इकाई 1 अधिकार शुल्क खाते

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 अधिकार शुल्क की परिभाषा
1.3 अधिकार शुल्क के लक्षण
1.4 किराया व अधिकार–शुल्क में अंतर
1.5 विश्लेषणात्मक सारणी बनाने की विधि
1.6 पट्टेदार की पुस्तकों में लेखा
1.7 पट्टादाता की पुस्तकों में लेखा और अधिकार–शुल्क संचित
1.8 सारांश
1.9 शब्दावली
1.10 बोध प्रश्न
1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.12 स्वपरख प्रश्न
1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- अधिकार शुल्क के अर्थ, परिभाषा और लक्षण को समझ सके।
- किराया व अधिकार शुल्क में अन्तर को बता सके ।
- विश्लेषणात्मक सारणी बना सके।
- पट्टेदार की पुस्तको मे लेखा कर सकें।
- पट्टादाता की पुस्तको में लेखा कर सकें।

1.1 प्रस्तावना

अधिकार शुल्क खाते (Royalty Accounts) के दो पक्षकार होते है (1) भूस्वामी या पट्टादाता (Landlord or lessor,) (2) पट्टेदार (Lessee)। यह भूस्वामी तथा पट्टेदार के बीच पट्टे (Lease) का अनुबन्ध होता है। भूस्वामी अपने भूमि के प्रयोग का अधिकार एक निश्चित शुल्क के बदले पट्टेदार को देता है। यह अनुबन्ध एक निश्चित अवधि के लिए होता है। अधिकार शुल्क की यह राशि उत्पादन, विक्रय या प्रयोग की गई इकाई द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही पट्टेदार लापरवाही न करे, अतः न्यूनतम किराये (Minimum Rent) की धनराशि निर्धारित कर दी जाती है। यदि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से कम होती है तो इसे लघुकार्य (Short-workings) कहा जाता है। पट्टादाता प्रतिवर्ष न्यूनतम किराये की राशि पट्टेदार से वसूल करता है। यदि किसी वर्ष लघुकार्य होता है तो यह पट्टेदार के लिए एक नुकसान होता है जिसे पट्टादाता प्रायः पूरा करने (Recoup) का अधिकार पट्टेदार को अगले वर्ष या वर्षो में दे देता है पट्टेदार न्यूनतम किराये की राशि से अधिक कार्य करके लघु कार्य को अपलिखित करने का प्रयास करता है। यदि पट्टेदार एक निश्चित अवधि (निश्चित अवधि प्रश्न में दिया होता है) तक लघु कार्य को अपलिखित नही कर पाता, तो वह अपलिखित करने का अधिकार खो देता है और लघु कार्य की राशि पट्टेदार

को वहन करना पड़ता है अर्थात उसे (पट्टेदार) को लाभ–हानि खाते (Profit & loss Account) में हस्तान्तरित करना पड़ता है यदि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से अधिक होती है तो पूरी धनराशि भूस्वामी या पट्टादाता को दे दी जाती है।

1.2 अधिकार शुल्क की परिभाषा

जे.आर. बाटलीबॉय के अनुसार – 'अधिकार–शुल्क' शब्द **उस राशि** को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिये हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष में दी जाती हैः, जैसे, पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेण्ट वस्तु बनाने व बेचने का अधिकार या एक खान खोदने का अधिकार।

पिकिल्स के अनुसार – सम्पत्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को **देय पारिश्रमिक** अधिकार शुल्क है चाहे इसे उस व्यक्ति से किराये पर लिया हो या क्रय किया हो। यह राशि उस सम्पत्ति के प्रयोग से सम्बन्धित उत्पादन या विक्रय पर निकाली जाती है।

आदर्श परिभाषा – अधिकार शुल्क भूस्वामी (पट्टादाता) तथा पट्टेदार के बीच एक अनुबन्ध होता है अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार पट्टेदार, भूस्वामी के भूमि का प्रयोग करता है। प्रयोग के प्रतिफल के बदले भूस्वामी को अधिकार शुल्क की राशि दी जाती है।

1.3 अधिकार शुल्क के लक्षण (Characteristics of Royalties)

1. विश्लेषणात्मक सारणी (Analytical Table) अधिकार शुल्के के निर्धारण के लिए सबसे पहले एक विश्लेषणात्मक सारणी बनायी जाती है।
2. उद्देश्य (Objects) – अधिकार शुल्क एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है।
3. अवधि (Period) अधिकार शुल्क एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। यह अवधि अधिकतर वार्षिक या अर्द्व–वार्षिक होती है।
4. प्रतिफल (Consideration) अधिकार शुल्क विशेषाधिकार प्रयोग करने का प्रतिफल है।
5. समझौता (Agreement) जब कभी कोई कार्य अधिकार शुल्क के आधार पर किया जाता है तो अधिकार शुल्क देने वाले एव पाने वाले के मध्य एक समझौता होता है और इसी समझौते के आधार पर अधिकार–शुल्क की दर, इसके भुगतान का समय व लघु–कार्य राशि (जिसका वर्णन आगे किया गया है) के अपलेखन, आदि की शर्ते निर्धारित की जाती है।
6. प्रयोग (Use) विशेषाधिकार का प्रयोग उत्पादन, प्रयोग या बिक्री के लिए अधिकतर किया जाता है। जैसे खानें से कोयला निकालने के लिए, पटेण्ट प्रयोग करने के लिए या पुस्तके बेचने के लिए।
7. अधिकार–शुल्क की दर अधिकार शुल्क निकालने के लिए एक दर निश्चित रहती है। इसी के आधार पर अधिकार–शुल्क की राशि की गणना की जाती है। यह दर या तो प्रति टन या प्रति पुस्तक या अन्य प्रकार की इकाई से सम्बन्धित होती है।

1.4 किराया और अधिकार शुल्क में अन्तर (Difference Between Rent & Royalty)

1. किराया किसी मूर्त सम्पत्ति का प्रयोग करने के बदले दिया जाता है। अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के उपयोग में लाने का प्रतिफल होता है।
2. किराये का भुगतान किसी अवधि के आधार पर किया जाता है जबकि अधिकार शुल्क की राशि सम्पत्ति के उपयोग में लाने की सीमा पर निर्भर होती है।
3. किराये में सम्पत्ति का उपयोगकर्ता किरायेदार कहलाता है जबकि अधिकार–शुल्क का उपयोगकर्ता पट्टेदार कहलाता है।
4. किराये की दर पूर्व निर्धारित होती है जबकि अधिकार शुल्क में, अधिकार शुल्क की राशि कम होने पर न्यूनतम किराये की भुगतान की शर्त रखी जाती है।
5. किराया स्थायी होता है जबकि अधिकार शुल्क में, अधिकार शुल्क की राशि से न्यूनतम किराया की राशि अधिक होने पर लघु कार्य राशि को अपलेखन का अधिकार प्रायः दे दिया जाता है।

1.5 विश्लेषणात्मक सारणी बनाने की विधि (Method of preparing Analytical Table)

अधिकार शुल्क खाते के अन्तर्गत सबसे पहले एक Analytical Table बनायी जाती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण –

एक कम्पनी ने 1 जनवरी 2014 को एक कोलियरी पट्टे पर 11,000 रू0 न्यूनतम किराये की राशि पर लिया। अधिकार शुल्क 1 रू0 प्रतिटन था एवं लघु कार्य की वशूली का अधिकार पट्टे के प्रथम दो वर्षो तक दिया गया प्रथम तीन वर्षो में कोलियरी की उत्पादन क्रमशः 10,000, 11,000 एवं 12,000 टन थे। विश्लेषणात्मक सारणी बनाइये –

हल –

Analytical Table

Year	Output in Tons	Royalties @ Re. 1.00 Per Ton	Minimum Rent Rs.	Short working Rs.	Surplus Rs.	Short - working Recouped Rs.	Amount Paid to land lord Rs.	Unrecouped short-working transferred to P/L A/c Rs.
2014	10,000	10,000	11,000	1,000	-	-	11,000	-
2015	11,000	11,000	11,000	-	-	-	11,000	1,000
2016	12,000	12,000	11,000	-	1,000	-	12,000	-

विश्लेषणात्मक सारणी Analytical Table प्रत्येक कॉलम का स्पष्टीकरण

कॉलम 1 वर्ष Year प्रश्न में दिया है।

कॉलम 2 उत्पादन (Output) प्रश्न में दिया है।

कॉलम 3 उत्पादन की इकाई टन है अधिकार शुल्क की दर प्रश्न में दिया है 1.00 रू0 प्रति टन। उत्पादन की इकाई (10,000) का अधिकार शुल्क की दर से गुणा करके अधिकार शुल्क की धनराशि आ जाती है।

उत्पादन (output) टन में		अधिकार शुल्क की दर	अधिकार शुल्क की राशि
10,000	×	1.00	10,000
11,000	×	1.00	11,000
12,000	×	1.00	12,000

कॉलम 4 (Minimum Rent) न्यूनतम किराया प्रश्न में दिया है। यह प्रति वर्ष वही रहता है जब तक प्रश्न में कोई दूसरी सूचना इस सम्बन्ध में न दी गई हो।

कॉलम 5	Minimum Rent	– Royalties	= Short working
2014	11,000	– 10,000	1,000
2015	11,000	– 11,000	शून्य

कॉलम 6	Royalities - Minimum Rent	= Surplus
2016	12,000 - 11,000	= 1,000

कॉलम 7 Short-working Recouped लघुकार्य को पूरा करने का अधिकार केवल प्रथम दो वर्षो में है। यदि 2015 वर्ष में 2016 वर्ष की तरह अधिक्य होता, तो कोई भी धनराशि Last कॉलम (कॉलम 9) P/L A/c में Transfer न करना पड़ता।

कॉलम 8 (Amount Paid to Landlord) (भूस्वामी को दिया जाने वाला धनराशि) यदि लघुकार्य होता है तो प्रतिवर्ष भूस्वामी को न्यूनतम किराया (रू0 11000) की धनराशि दी जाएगी जैसा कि 2014 व 2015 में किया गया है। यदि उत्पादन अधिक होता है जैसा कि वर्ष 2016 में हुआ है तो पूरी अधिकार शुल्क की राशि भूस्वामी को दे दी जायेगी।

कॉलम 9 पट्टेदार को प्रथम दो वर्षो की अवधि में लघुकार्य को पूरा करने का अधिकार दिया गया था अतः दूसरे वर्ष (2015) के अन्त में (2014 की लघु कार्य राशि) लाभ–हानि खाते में (Transfer) कर दी जा रही है।

नोट – 1. यदि प्रश्न में लघुकार्य को प्रथम तीन वर्षो में पूरा करने का अधिकार मिला होता तो तीसरे वर्ष 2016 की Surplus आधिक्य 1,000 रू0 कॉलम 7 में लिख दी जाती और कॉलम 8 Amount Paid to Landlord में 11,000 रू0 लिखा जाता तथा 2015 में अन्तिम कॉलम 9 में कोई धनराशि न लिखा जाता और न ही 2016 वर्ष में।

2. इस तरह प्रत्येक वर्ष 9 कॉलम बनेगा। यदि Analytical Table सही बन गया तो Royalties A/c के सही होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

3. Analytical Table सही होने पर 10 में 2 से 2.5 अंक प्राप्त हो जाते है।

1.6 पट्टेदार की पुस्तको में लेखा (Accounting Records in the Books of Lessee)

तीन परिस्थितिया हो सकती है

(अ) जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से कम हो।

(ब) जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराये राशि से अधिक हो।

(स) जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि के बराबर हो।

(अ) जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से कम होती है, तब निम्न लेखे किये जाते हैं (When Royalty is less than Minimum Rent) –

(1) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि देय हो।

Royalties A/c Dr.

Shortworkings A/c Dr.

To Landlord A/c

(Being Royalties earned and shortworkings to be paid to the landlord)

(2) जबकि उपर्युक्त देय राशि का भुगतान किया जाता है:

Landlord A/c Dr.

To Bank A/c

(Being Cash paid to landlord)

(3) अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अन्त में बन्द करने के लिए:

Profit & Loss A/c Dr.

To Royalties A/c

(Being the amount of Royalties transferred to profit & Loss A/c)

उपर्युक्त प्रथम (1) जर्नल प्रविष्टि के स्थान पर यदि आवश्यक हो तो निम्नलिखित दो लेखे किये जा सकते है–

(a) Minimum Rent A/c or Dead Rent A/c Dr.

To Landlord A/c

(Being minimum rent payable to landlord)

(b) Royalties A/c
Dr.

Shortworking A/c Dr.

To Rent or Dead Rent A/c

(Being the balance of minimum Rent A/c transferred to Royalties A/c and shortworking A/c)

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि न्यूनतम किराया खाता केवल उन्ही वर्ष में खोला जाता है, जिन वर्षो में अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से कम होती है और इसे खोलने के लिए स्पष्ट निर्देश दिये रहते है।

जब अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये के बराबर या इससे अधिक होती है तब न्यूनतम किराया खाता नही खोला जाता है।

(ब) जब अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से अधिक होती है (When Royalty is more than minimum Rent)

(1) जब अधिकार–शुल्क की राशि देय हो:

Royalties A/c Dr.

To Landlord A/c

(Being Royalties earned and payable to landlord)

(2) लघुकार्य राशि (यदि कोई हो) को अपलिखित करने के बाद तथा अधिकार शुल्क कि राशि का चेक द्वारा भुगतान करने पर।

Landlord A/c Dr.

To Shortworkings A/c

To Bank A/c

(Being shortworkings to the extent of Rs. …. Recouped and balance paid to the landlord.)

(3) अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अन्त में बन्द करने के लिए

Profit And loss A/c Dr.

To Royalties A/c

(Being the amount of royalties transferred to profit and loss A/c)

(स) जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि के बराबर होती है (When Royalty is equal to minimum rent)

(1) जब अधिकार–शुल्क की राशि देय हो:

Royalties A/c Dr.

To Landlord A/c

(Being Royalties earned and payable to landlord)

(2) जब अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान किया जाता है।

Landlord A/c Dr.

To Bank A/c

(Being Cash paid to landlord)

(3) जब अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अन्त में बन्द किया जाता है:

Profit & Loss A/c Dr.

To Royalties A/c

(Being the amount of Royalties transferred to Profit and Loss A/c)

व्यावहारिक प्रश्न Practical Questions –

(A) खानों के सम्बन्ध में अधिकार शुल्क (Royality in Connection with mines)

उदाहरण 1

एक कम्पनी ने 1 जनवरी 2014 को एक कोलियरी पट्टे पर 11,000 रू0 न्यूनतम किराये की राशि पर लिया। अधिकार शुल्क 1 रू0 प्रतिटन था एवं लघु कार्य की वशूली का अधिकार पट्टे के प्रथम दो वर्षो तक दिया गया प्रथम तीन वर्षो में कोलियरी की उत्पादन क्रमशः 10,000, 11,000 एवं 12,000 टन थे।

कम्पनी की पुस्तको में जर्नल प्रविष्टियॉ कीजिए और आवश्यक खाते बनाइये।

A Company took a lease of a colliery on 1st Jan 2014 at a minimum rent of Rs. 11000.00 merging into a royalty of Rs. 1.00 per tonne with a power to recoup shortworking over the first two years of lease. The output of the colliery for the first three years was 10,000, 11,000 and 12000 tonnes respectively.

Draft the necessary journal entries in the book of the company and show necessary a/c

हल –

Analytical Table

Year	Output in Tons	Royalties @ Re. 1.00 Per Ton	Minimum Rent Rs.	Short working Rs.	Surplus Rs.	Short - working Recouped Rs.	Amount Paid to land lord Rs.	Unrecouped short-working transferred to P/L A/c Rs.
2014	10,000	10,000	11,000	1,000	-	-	11,000	-
2015	11,000	11,000	11,000	-	-	-	11,000	1,000
2016	12,000	12,000	11,000	-	1,000	-	12,000	-

Journal entries in the books of Coal Company.

Date	Particulars	LF	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
2014 Dec 31	Royalities A/c Dr. Shortworkings A/c Dr. To Landlord's A/c (Being Royalties earned and shortworkings to be paid to the landlord)		10,000 1,000	 11,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		11,000	 11,000
" 31	Profit and loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the amount of Royalties transferred to P/L A/c)		10,000	 10,000
2015 Dec 31	Royalties A/c Dr. To Landlord's A/c (Being Royalties earned and payable to the landlord)		11,000	 11,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		11,000	 11,000
" 31	Profit and loss A/c Dr. To Royalties A/c To shortworkings A/c (Being the balance of royalties a/c and unrecouped shortworkings transferred to P/L A/c)		12,000	 11,000 1,000
2016 Dec 31	Royalties A/c Dr. To Landlord's A/c (Being Royalties earned and payable to the landlord)		12,000	 12,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		12,000	 12,000
" 31	Profit and loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the amount of Royalties transferred to P/L A/c)		12,000	 12,000

In the books of Coal Company.

Royalties A/c

2014 Dec.31	To landlord's A/c	10,000	2014 Dec.31	By P/L A/c	10,000
2015 Dec.31	To landlord's A/c	11,000	2015 Dec.31	By P/L A/c	11,000
2016 Dec. 31	To landlord's A/c	12,000	2016 Dec.31	By P/L A/c	12,000

Shortworkings A/c

2014 Dec.31	To Landlord's A/c	1,000	2014 Dec.31	By Balance c/d	1,000
		1,000			1,000
2015 Dec.31	To Balance b/d	1,000	2015 Dec.31	By P/L A/c	1,000
		1,000			1,000

Landlord's A/c

2014 Dec 31	To Bank A/c	11,000	2014 Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c By Shortworkings A/c	10,000 1,000
		11,000			11,000
2015 Dec 31	To Bank A/c	11,000	2015 Dec 31	By Royalties A/c	11,000
		11,000			11,000
2016 Dec 31	To Bank A/c	12,000	2016 Dec 31	By Royalties A/c	12,000
		12,000			12,000

उदाहरण 2

एक कम्पनी ने 1 जनवरी 2014 को एक कोलियरी पट्टे पर 11,000 रू0 न्यूनतम किराये की राशि पर लिया। अधिकार शुल्क 1 रू0 प्रतिटन था एवं लघु कार्य की वसूली का अधिकार पट्टे के प्रथम दो वर्षो तक दिया गया। प्रथम तीन वर्षो में कोलियरी की उत्पादन क्रमशः 10,000, 11,000 एवं 12,000 टन थे।

कम्पनी की पुस्तको में जर्नल प्रविष्टियॉ कीजिए और लघुकार्य, न्यूनतम किराया तथा अधिकार शुल्क खाते बनाइए।

A Company took a lease of a colliery on 1st Jan 2014 at a minimum rent of Rs. 11000.00 merging into a royalty of Rs. 1.00 per tonne with a power to recoup shortworking over the first two years of lease. The output of the colliery for the first three years was 10,000, 11,000 and 12000 tonnes respectively.

Draft the necessary journal entries in the book of the company and show shortworkings account, Minimum Rent account and royalties account.

हल

Analytical Table

Year	Output in Tons	Royalties @ Re. 1.00 Per Ton	Minimum Rent Rs.	Short working Rs.	Surplus Rs.	Short - working Recouped Rs.	Amount Paid to land lord Rs.	Unrecouped short-working transferred to P/L A/c Rs.
2014	10,000	10,000	11,000	1,000	-	-	11,000	-
2015	11,000	11,000	11,000	-	-	-	11,000	1,000
2016	12,000	12,000	11,000	-	1,000	-	12,000	-

Journal entries in the books of coal company

Date	Particulars	L.F.	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
2014 Dec 31	Minimum Rent A/c Dr. To Landlord's A/c (Being the minimum rent due)		11000	11,000
Dec 31	Royalties A/c Dr. Shortworkings A/c Dr. To Minimum Rent A/c (Being the Balance of Minimum Rent A/c transferred to Royalties A/c and shortworkings A/c)		10,000 1,000	11,000
Dec 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being Payment made to landlord)		11,000	11,000
Dec 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the balance of Royalties A/c transferred to profit and loss A/c)		10,000	10,000
2015 Dec 31	Royalties A/c Dr. To Landlord's A/c (Being Royalties earned and payable to the landlord)		11,000	11,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		11,000	11,000
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c To shortworkings A/c (Being the balance of royalties a/c and unrecouped shortworkings transferred to P/L A/c)		12,000	11,000 1,000
2016 Dec 31	Royalties A/c Dr.		12,000	

	To Landlord's A/c (Being Royalties earned and payable to the landlord)			12,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		12,000	 12,000
" 31	Profit and loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the amount of Royalties transferred to P/L A/c)		12,000	 12,000

In the books of Coal Company

Minimum Rent A/c

2014			2014		
Dec 31	To Landlord's A/c	11,000	Dec 31	By Royalties A/c	10,000
			Dec 31	By Shortworkings A/c	1,000
		11,000			11,000

Landlord's A/c

2014			2014		
Dec 31	To Bank A/c	11,000	Dec 31	By Minimum Rent A/c	11,000
		11,000			11,000
2015			2015		
Dec 31	To Bank A/c	11,000	Dec 31	By Royalties A/c	11,000
		11,000			11,000
2016			2016		
Dec 31	To Bank A/c	12,000	Dec 31	By Royalties A/c	12,000
		12,000			12,000

Shortworkings A/c

2014			2014		
Dec 31	To Minimum Rent A/c	1,000	Dec 31	By Balance c/d	1,000
		1,000			1,000
2015			2015		
Jan 1	To Balance b/d	1,000	Dec 31	By Profit & Loss A/c	1,000
		1,000			1,000

नोटः– Minimum Rent Account का स्पष्टीकरण

हमारा मुख्य Entry Royalties और Shortworkings के Due होने पर

Royalties Account Dr.
Shortworkings Account Dr.
To Landlord's Account

जब Minimum Rent Account खोलने को कहा जाए तो
प्रथम Entry
Minimum Rent Account Dr.
To Landlord's Account

द्वितीय Entry
Royalties Account Dr.
Shortworkings Account Dr.
To Minimum Rent Account

प्रथम Entry
~~Minimum Rent~~ Account Dr.
To Landlord's Account

द्वितीय Entry
Royalties Account Dr.
Shortworkings Account Dr.
To ~~Minimum Rent~~ Account

Minimum Rent कट जाने पर
मुख्य Entry
Royalties Account Dr.
Shortworkings Account Dr.
To Landlord's Account

नोटः– यदि प्रश्न में Royalties Account तथा Shortworkings Account को Profit & Loss Account तथा Balance Sheet में दिखाने को कहा गया हो तो निम्न तरीके से दिखायेः–

Profit & Loss Account
For the year ending 31st December 2014

To Royalties A/c	10,000		

Balance Sheet
As at 31st December 2014

		Shortworkings A/c	1,000

Profit & Loss Account
For the year ending 31st December 2015

To Royalties A/c To Shortworkings A/c	11,000 1,000		

Shortworkings Account का कोई Balance नहीं है, अतः 2015 में Balance sheet में कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा।

Profit & Loss Account
For the year ending 31st December 2015

To Royalties A/c	12,000		

नोटः— Minimum Rent को Dead Rent (मृत खाता) या Fixed Rent (स्थायी किराया) भी कहते हैं।

उदाहरण 3

A ने एक खान B से पट्टे पर ली। अधिकार—शुल्क उत्पादित खनिज पर 50 पैसे प्रति टन है एवं न्यूनतम किराया 50,000 रू0 वार्षिक है। पट्टाधारी को यह अधिकार है कि वह लघुकार्य राशि को अगले दो वर्षों में अपलिखित कर सकता है। किन्तु यदि किसी वर्ष की लघुकार्य राशि को उससे ठीक अगले वर्ष में वसूल न किया जा सके तो ऐसी वसूली न की गयी लघुकार्य राशि के 30 प्रतिशत भाग को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1996	0
1997	40,000
1998	70,000
1999	1,20,000
2000	1,60,000

यह भी तय हुआ कि हड़ताल होने पर न्यूनतम किराये को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया जायेगा। 1998 में एक माह हड़ताल रही। A की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइये।

A took a mine on lease from B on a royalty of 50 paise per tonne of are produced, the minimum rent being Rs. 50,000 per annum. The lessee is authorized to recoup the amount of shortworking, it any, during the next two years. But if he is not in a position to recoup the whole of the shortworking of any year during the immediate next year, he shall loose his right to recoup 30% of such unrecouped shortworking.

The production is as follows:

Year	Output (in tons)
1996	Nil
1997	40,000
1998	70,000
1999	1,20,000
2000	1,60,000

It was also agreed that in the event of strike, the minimum rent will reduced to 80%. Three was a strike for one month in 1998. Prepare necessary accounts in the books of A.

हल

Analytical Table

Year	Output in Tons	Royalties @ 50 Paise Per Ton	Minimum Rent Rs.	Short workings Rs.	Surplus Rs.	Short - working Recouped Rs.	Amount Paid to land lord Rs.	Unrecouped short-working transferred to P/L A/c Rs.
1996	0	0	50,000	50,000	-	-	50,000	-
1997	40,000	20,000	50,000	30,000	-	-	50,000	15,000[1]
1998	70,000	35,000	40,000[5]	5,000	-	-	50,000	9,000+35,000=44,000[2]
1999	1,20,000	60,000	50,000	-	10,000	10,000	50,000	15,00+11,000=12,500[3]
2000	1,60,000	80,000	50,000	-	30,000	3,500	76,500[4]	-

In the books of A

Shortworkings A/c

1996				1996			
Dec 31	To Landlord's A/c		50,000	Dec 31	By Balance c/d		50,000
			50,000				50,000
1997				1997			
Dec 31 Dec 31	To Balance b/d To Landlord's A/c		50,000 30,000	Dec 31 Dec 31	By Profit & Loss A/c By Balance c/d		15,000 65,000
			80,000				80,000
1998				1998			
Jan 1 Dec 31	To Balance b/d To Landlord's A/c		65,000 5,000	Dec 31 Dec 31	By Profit & loss A/c Balance c/d		44,000 26,000
			70,000				70,000
1999				1999			
Jan 1	To Balance b/d		26,000	Dec 31 Dec 31 Dec 31	By Landlord's A/c By Profit & Loss A/c By Balance c/d		10,000 12,500 3,500
			26,000				26,000
2000				2000			
Jan 1	To Balance b/d		3,500	Dec 31	By Landlord's A/c		3,500

			3,500				3,500

Landlord's A/c

1996				1996			
Dec 31	To Bank A/c		50,000	Dec 31	By Shortworkings A/c		50,000
			50,000				50,000
1997				1997			
Dec 31	To Bank A/c		50,000	Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c By Shortworkings A/c		20,000 30,000
			50,000				50,000
1998				1998			
Dec 31	To Bank A/c To		40,000	Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c By Shortworking's A/c		35,000 5,000
			40,000				40,000
1999				1999			
Dec 31 Dec 31	To Shortworkings A/c To Bank A/c		10,000 50,000	Dec 31	By Royalties A/c		60,000
			60,000				60,000
2000				2000			
Dec 31 Dec 31	To Shortworkings A/c To Bank A/c		3,500 76,500	Dec 31	By Royalties A/c		80,000
			80,000				80,000

`

Royalties A/c

1997				1997			
Dec 31	To Landlord's A/c		20,000	Dec 31	By Profit & Loss A/c		20,000
			20,000				20,000
1998				1997			
Dec 31	To Landlord's A/c		35,000	Dec 31	By Profit & Loss A/c		35,000

			35,000				35,000
1999				1999			
Dec 31	To Landlord's A/c		60,000	Dec 31	By Profit & Loss A/c		60,000
			60,000				60,000
2000				2000			
Dec 31	To Land Lord's A/c		80,000	Dec 31	By Profit & Loss A/c		80,000
			80,000				80,000

नोटः–

1. वर्ष 1997 में 1996 के Shortworkings का 30% (अर्थात् 50,000x$\frac{30}{100}$=15000) Profit and Loss Account में Transfer किया जाएगा।
2. वर्ष 1998 में 1996 के Shortworkings 50,000-15,000= 35,000
   वर्ष 1998 में ही 1997 के Shortworkings का 30% (30,000x$\frac{30}{100}$= 9,000
   Total Shortworkings= 44,000 Profit and Loss Account में Transfer किया जायेगा।
3. वर्ष 1999 में 1997 के Shortworkings 30,000-9,000= 21000
   वर्ष 1999 में 1998 के Shortworkings 5000x$\frac{30}{100}$= 1,500
   Total Shortworkings = 22,500

वर्ष 1999 में चूंकि 10,000 रू0 का Surplus हैं, अतः -10,000
12,500

Profit and Loss Account में Transfer किया गया है।

4. वर्ष 2000 में 30,000 का Surplus है तथा 1998 का Shortworkings 5000-1500=3500
   इसे 80,000-3,500=76,500 Landlord को Payment कर दिया जायेगा।
5. 1998 में एक माह हड़ताल रही। प्रश्न में दिया है कि हड़ताल होने पर न्यूनतम किराए को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अतः 50000x$\frac{80}{100}$=40000 रू0 वर्ष 1998 में न्यूनतम किराया दिखाया गया।

1.7 पट्टादाता की पुस्तकों में लेखे और अधिकार–शुल्क संचित (Accounting Record in the Books of Landlord and Royalty Reserve Account)

जिस वर्ष अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये की राशि से कम होती है, उस वर्ष सम्पत्ति का स्वामी न्यूनतम किराये की राशि लेता है। **न्यूनतम किराये की राशि अधिकार–शुल्क से जितनी अधिक होती है, सम्पत्ति का स्वामी उसे एक विशेष खाते में हस्तान्तरित करता है। इस खाते को "अधिकार–शुल्क संचित"** (Royalty Reserve) कहा जाता है। यहां यह याद दिलाना आवश्यक है कि इसी अन्तर को पट्टेदार (Lessee) 'लघुकार राशि' कहता है जबकि सम्पत्ति का स्वामी

'अधिकार–शुल्क' संचित कहता है। इस संचित के सम्बन्ध में वे सब नियम लागू होते है, जो कि लघुकार्य राशि के लेखों के सम्बन्ध में समझाए जा चुके हैं।

पट्टादाता (सम्पत्ति के स्वामी) की पुस्तकों में लेखे (Accounting Record in the Books of Landlord)– सम्पत्ति के स्वामी की पुस्तकों में लेखा करना समझने के लिए निम्न तीन परिस्थितियों के अन्दर लेखा करने के नियमों पर ध्यान देना चाहिए:–

(अ) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये से कम होती है।

(ब) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये से अधिक होती हैं।

(स) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये के बराबर होती हैं।

(अ) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये से कम होती है।

निम्नलिखित लेखों को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अधिकार–शुल्क देने वाले व्यक्ति को यहा पट्टेदार (Lessee) माना गया है। भू–स्वामी अधिकार–शुल्क के लिए अपनी पुस्तकों में अधिकार–शुल्क प्राप्ति खाता खोलता है। यदि इस खाते को केवल अधिकार–शुल्क खाता ही कहा जाय तो भी त्रुटि नहीं है।

(i) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि प्राप्त करने योग्य है :

Lessee A/c.... …Dr.

To Royalties Receivable A/c or Royalties A/c

To Royalties Reserve A/c.

(Being the amount of Royalties Receivable earned and the difference between minimum rent & royalties receivable transferred to Royalties Reserve A/c)

(ii) जबकि उपर्युक्त राशि प्राप्त की जाती है :

Bank A/c….. ….Dr.

To Lessee A/c

(Being amount received from Lessee)

(iii) अधिकार–शुल्क प्राप्ति खाते को वर्ष के अन्त में बन्द करने के लिए

Royalties Receivable A/c or Royalties A/c …..….Dr.

To Profit and Loss A/c

(Being the amount of royalties receivable transferred to Profit and Loss A/c)

अधिकार–शुल्क संचित खाते की बाकी चिट्ठे में दायित्व की ओर दिखायी जायेगी और धीरे–धीरे इसे अधिकार–शुल्क की राशि से भविष्य में अपलिखित किया जायेगा जब यह न्यूनतम किराये से अधिक होगी।

(ब) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये से अधिक होती है :

(i) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि मिलने योग्य हो :

Lessee A/c …….Dr.

To Royalties Receivable A/c or Royalties A/c

(Being the amount of royalties receivable earned)

(ii) अधिकार–शुल्क राशि के मिलने पर तथा अधिकार–शुल्क संचित राशि को अपलिखित करने पर:

Royalties Reserve A/c …….Dr.

Bank A/c ……Dr.
To Lessee A/c
(Being the amount of Royalties Reserved Rs. ….recovered and the Royalties received from lessee)

(iii) अधिकार–शुल्क प्राप्ति खाते को बन्द करते समय :
Royalties Receivable A/c ……Dr.
To Profit and Loss A/c
(Being the amount of royalties receivable transferred to Profit and Loss A/c)

(स) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये के बराबर होती है :

(i) जबकि अधिकार–शुल्क की राशि मिलने योग्य हो :
Lessee A/c …….Dr.
To Royalties Receivable A/c or Royalties A/c
(Being the amount of Royalties receivable earned)

(ii) अधिकार–शुल्क की राशि मिलने पर :
Bank A/c ……Dr.
To Lessee A/c
(Being the amount of Royalties received from Lessee)

(iii) अधिकार–शुल्क प्राप्ति खाते को बन्द करते समय :
Royalties Receivable A/c or Royalties A/c ……..Dr.
To Profit and Loss A/c
(Being the amount of royalties receivable transferred to Profit and Loss A/c)

पट्टादाता (सम्पत्ति के स्वामी) की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते का नमूना

Royalties Receivable Account

(यह आय है। अतः आय होने Cr. पर तथा P &L में Transfer करने पर Dr. होगा)

To P & L A/c (हस्तान्तरण करने पर)	Rs.	By Lessee A/c (प्राप्य होने पर)	Rs.

Royalties Reserve Account (S.W. A/c)

(यह दायित्व है जो होने पर Cr. एवं वसूल होने या P & L A/c में हस्तान्तरण करने पर Dr. किया जाता है।)

To Lessee A/c (वसूल या recoup हस्तान्तरण करने पर) To P & L A/c (Unrecouped S.W.) To Balance c/d (बचा हुआ)	Rs.	By Lessee A/c (बकाया होने पर)	Rs.

Lessee A/c

(यह व्यक्तिग खाता है जो ग्राहक के समान है। बकाया होने पर Dr. एवं रकम प्राप्त होने या Royalty Reserve recoup होने पर Cr. होगा)

To Royalties Receivable A/c To Royalty Reserve A/c (बकाया होने पर)	Rs.	By Bank A/c (रकम प्राप्त होने पर) By Royalties Reserve A/c (Recoup होने पर)	Rs.

पट्टादाता (सम्पत्ति के स्वामी) की पुस्तकों में लाभ–हानि खाता बनाना (Preparation of Profit and Loss Account)– जब सम्पत्ति के स्वामी की पुस्तकों में अधिकार–शुल्क की राशि लाभ–हानि खातें में दिखानी हो, तो इसे निम्न रूप में दिखाया जाता है :

I[st] Year Profit and Loss Account *(for the year ended...)*

	Rs.	By Royalties Receivable A/c	Rs.

II[nd] Year Profit and Loss Account *(for the year ended...)*

	Rs.	By Royalties Receivable A/c	Rs.

इसी प्रकार अन्य वर्षों में भी अधिकार–शुल्क प्राप्ति की राशि लाभ–हानि खाते में दिखायी जा सकती है।

सम्पत्ति के स्वामी की पुस्तकों में चिटठ्ा बनाना (Preparation of Balance Sheet)– अधिकार–शुल्क संचित खाते की बिना अपलिखित हुई बाकी चिट्ठे में निम्न रूप से दिखायी जाती है :

I[st] Year Balance Sheet *(as at ....)*

Royalties Reserve	Rs.		Rs.

इसी प्रकार अन्य वर्षों में भी अधिकार–शुल्क संचित खाते की बाकी को दायित्व की ओर दिखाया जा सकता है।

उदाहरण 4

बोकारो कोल कम्पनी लिमिटेड ने एक कोयले की खान 1 जनवरी, 2010 को 12,000 रू. के न्यूनतम किराये पर पट्टे पर लिया और 50 पैसे प्रति टन की दर से अधिकार शुल्क देना तय किया। लघुकार्य राशि को पट्टे के प्रथम तीन वर्षों में वसूल किया जा सकता है। कोयला उत्पादन प्रथम तीन वर्षों में इस प्रकार रहा– प्रथम वर्ष 18,000 टन, द्वितीय वर्ष 22,000 टन तथा तृतीय वर्ष 28,000 टन रहा। पट्टादाता तथा पट्टेदार की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ तथा न्यूनतम किराया सहित अन्य आवश्यक खाते तैयार कीजिए।

Bokaro Coal Company leased a colliery on 1[st] January, 2010 at a minimum rent of Rs. 12,000 merging into a royalty of 50 paise per ton with power of recoup shortworkings over the first three years on the lease. The output of the colliery for the first three years was 18,000 tones, 22,000 tones 28000 tons respectively. Draft Journal entries and prepare necessary accounts including minimum rent account in the books of lessee and lessor.

हल

Analytical Table

Year	Output in	Royalties	Minimum	Short	Surplus	Short -	Amount	Unrecouped short-working

	Tons	@ 50 Paise Per Ton	Rent Rs.	workings Rs.	Rs.	working Recouped Rs.	Paid to land lord Rs.	transferred to P/L A/c Rs.
2010	18,000	9,000	12,000	3,000	-	-	12,000	-
2011	22,000	11,000	12,000	1,000	-	-	12,000	-
2012	28,000	14,000	12,000	-	2,000	2,000	12,000	2,000

Journal entries in the books of Bokaro coal company (Lessee)

Date	Particulars	L.F.	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
2010 Dec 31	Minimum Rent A/c Dr. To Landlord's A/c (Being the minimum rent due)		12000	12,000
Dec 31	Royalties A/c Dr. Shortworkings A/c Dr. To Minimum Rent A/c (Being the Balance of Minimum Rent A/c transferred to Royalties A/c and shortworkings A/c)		9,000 3,000	12,000
Dec 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being Payment made to landlord)		12,000	12,000
Dec 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the balance of Royalties A/c transferred to profit and loss A/c)		9,000	9,000
2011 Dec 31	Minimum Rent A/c Dr. To Landlord's A/c (Being the minimum rent due)		12,000	12,000
" 31	Royalties A/c Dr. Shortworkings A/c Dr. To Minimum Rent A/c (Being the Balance of Minimum Rent A/c transferred to Royalties A/c and shortworkings A/c)		11,000 1,000	12,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Bank A/c (Being Payment made to landlord)		12,000	12,000
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being the balance of Royalties A/c transferred to profit and loss A/c)		11,000	11,000
2015 Dec 31	Royalties A/c Dr. To Landlord's A/c (Being Royalties earned and payable to the landlord)		14,000	14,000
" 31	Landlord's A/c Dr. To Shortworkings A/c To Bank A/c (Being payment made to the landlord)		14,000	2,000 12,000
" 31	Profit and Loss A/c Dr.		16,000	

	To Royalties A/c To shortworkings A/c (Being the balance of royalties a/c and unrecouped shortworkings transferred to P/L A/c)			14,000 2,000

Minimum Rent A/c

2010			2010		
Dec 31	To Landlord's A/c	12,000	Dec 31	By Royalties A/c	9,000
			Dec 31	By Shortworkings A/c	3,000
		12,000			12,000
2011			2011		
Dec 31	To Landlord's A/c	12,000	Dec 31	By Royalties A/c	11,000
			Dec 31	By Shortworkings A/c	1,000
		12,000			12,000

Landlord's A/c

2010 Dec 31	To Bank A/c	12,000	2010 Dec 31	By Minumum Rent A/c	12,000
		12,000			12,000
2011 Dec 31	To Bank A/c	12,000	2011 Dec 31	By Minumum Rent A/c	12,000
		12,000			12,000
2012 Dec 31 Dec 31	To Shortworkings A/c To Bank A/c	2,000 12,000	2012 Dec 31	By Royalties A/c	14,000
		14,000			14,000

Royalties A/c

2010 Dec 31	To Minimum Rent A/c	9,000	2010 Dec 31	By Profit & Loss A/c	9,000
		9,000			9,000
2011			2011		

Dec 31	To Minumum Rent A/c	11,000	Dec 31	By Profit and Loss A/c	11,000
		11,000			11,000
2012 Dec 31	To Landlord's A/c	14,000	2012 Dec 31	By Profit and Loss A/c	14,000
		14,000			14,000

Shortworkings A/c

2010				2010			
Dec 31	To Landlord's A/c		3,000	Dec 31	By Balance c/d		3,000
			3,000				3,000
2011				2011			
Dec 31 Dec 31	To Balance b/d To Minimum Rent A/c		3,000 1,000	Dec 31	By Balance c/d		4,000
			4,000				4,000
2012				2012			
Jan 1	To Balance b/d		4,000	Dec 31 Dec 31	By Landlord's A/c By Profit & loss A/c		2,000 2,000
			4,000				4,000

Journal entries in the books of Landlord

Date	Particulars	L.F.	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
2010 Dec 31	Bokaro Coal Co's. A/c Dr. To Royalties Receivable A/c To Royalties Reserve A/c (Being Royalty earned and Royalty Reserve Receivable)		12,000	 9,000 3,000
Dec 31	Bank A/c Dr. To Bokaro Coal Co's. A/c (Being amount received from Bokaro Coal Company)		12,000	 12,000
Dec 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable transferred to Profit and Loss A/c)		9,000	 9,000
2011 Dec 31	Bokaro Coal Co's. A/c Dr. To Royalties Receivable A/c		12,000	 11,000

	To Royalties Reserve A/c (Being Royalty earned and Royalty Reserve Receivable)			1,000
" 31	Bank A/c Dr. To Bokaro Coal Co's. A/c (Being amount received from Bokaro Coal Company)		12,000	12,000
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable transferred to Profit and Loss A/c)		11,000	11,000
2012 Dec 31	Bokaro Coal Co's. A/c Dr. To Royalties Receivable A/c (Being Royalty earned)		14,000	14,000
Dec 31	Royalty Reserve A/c Dr. Bank A/c Dr. To Bokaro Coal Co's. A/c (Being Writting off the amount of Royalty Reserve to the extent of 2,000 & the balance of Royalty Receivable recived)		2,000 12,000	14,000
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. Royalty Reserve A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable and Royalty Reserve A/c transferred to Profit and Loss A/c)		14,000 2,000	16,000

Bokaro Coal Co's A/c

2010				2010			
Dec 31 Dec 31	To Royalty Receivable A/c To Royalty Reserve A/c		9,000 3,000	Dec 31	By Bank A/c		12,000
			12,000				12,000
2011				2011			
Dec 31 Dec 31	To Royalty Receivable A/c To Royalty Reserve A/c		11,000 1,000	Dec 31	By Bank A/c		12,000
			12,000				12,000
2012				2012			
Dec 31	To Royalty Receivable A/c		14,000	Dec 31 Dec 31	By Royalty Reserve A/c By Bank A/c		2,000 12,000
			14,000				14,000

Royalty Receivable A/c

2010				2010			
Dec 31	To Profit and Loss A/c		9,000	Dec 31	By Bokaro Coal Co's A/c		9,000
			9,000				9,000
2011				2011			
Dec 31	To Profit and Loss A/c		11,000	Dec 31	By Bokaro Coal Co's A/c		11,000
			11,000				11,000
2012				2012			
Dec 31	To Profit and Loss A/c		14,000	Dec 31	By Bokaro Coal Co's A/c		14,000
			14,000				14,000

Royalty Reserve A/c

2010				2010			
Dec 31	To Balance c/d		3,000	Dec 31	By Bokaro Coal Co's A/c		3,000
			3,000				3,000
2011				2011			
Dec 31	To Balance c/d		4,000	Jan 1 Dec 31	By Balance b/d By Bokaro Coal Co's A/c		3,000 1,000
			4,000				4,000
2012				2012			
Dec 31 Dec 31	To Bokaro Coal Co's A/c To Profit and Loss A/c		2,000 2,000	Jan 1	By Balance b/d		4,000
			4,000				4,000

(B) ईंट बनाने के सम्बन्ध में अधिकार–शुल्क (ROYALTIES IN CONNECTION WITH BRICK MAKING)

जब ईंटें बनायी जाती है तो ईंटें बनाने वाली कम्पनी बहुधा मिट्टी निकालने के लिए जमीन पट्टे पर लेती है और जो मिट्टी जमीन से निकाली जाती है उस पर प्रति घन मीटर की दर से या अन्य इसी प्रकार दर से अधिकार–शुल्क दिया जाता है। इसमें भी लेखे उसी प्रकार किये जाते हैं जैसे खान सम्बन्धी अधिकार–शुल्क में किये जाते हैं।

नजराना दिया जानाः–

जब कभी भू–स्वामी से कोई जमीन पट्टे पर ली जाती हैं तो कभी–कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि भू–स्वामी अधिकार–शुल्क के अतिरिक्त नजराना भी लेता है। ऐसी दशा में पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति या फर्म या कम्पनी की पुस्तकों में नजराना खाता खोला जाता है और प्रथम वर्ष ही नजराने की पूरी राशि

से डेबिट किया जाता है तथा नजराने की पूरी राशि को पट्टे की अवधि से भाग देने पर जो राशि आती है उसी राशि में नजराना खाते को प्रति वर्ष अपलिखित किया जाता है अर्थात् इस राशि से प्रति वर्ष लाभ–हानि खाता डेबिट और नजराना खाता क्रेडिट किया जाता हैं।

उदाहरण 5

स्वास्तिक ब्रिक लि0 ईंटों का निर्माण करती है। इसने देवी सिंह से मिट्टी निकालने के उद्देश्य से 10 वर्ष के पट्टे पर भूमि का एक बड़ा प्लाट लिया। पट्टे में इस प्रकार की व्यवस्था है–

(अ) 1 जनवरी 2010 को जब पट्टे की अवधि प्रारम्भ होती है, पट्टादाता को 50000 रू. प्रीमियम के नजराने के रूप में दिया जाता है तथा (ब) रू. 20000 प्रतिवर्ष के न्यूनतम किराये की आधीन, उसे निकाली गई मिट्टी के प्रति 10 घनमीटर के लिए 10 पैसे की दर से वार्षिक अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाना है। यदि कोई अल्पकार्य राशि है तो उसकी आपूर्ति भविष्य के आधिक्य अधिकार शुल्क से की जानी है। इस वार्षिक अधिकार शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को किया जाना है।

पट्टाधारी द्वारा निकाली गयी मिट्टी की मात्रा 2010, 2011, 2012 तथा 2013 में क्रमशः 16,00,000, 18,00,000, 21,00,000 तथा 24,00,000 घनमीटर थी। पट्टाधारी की खाताबही में चार वर्ष के इन व्यवहारों को प्रविष्ट कीजिए।

The Swastick Brick Ltd. manufactures bricks. It acquired on a ten year lease, a large plot of land from Devi Singh for the purpose of getting earth. The lease provides that-

(a) A premium as Nazrana of Rs. 50000 is to be paid to the lessor on 1st January, 2010 when the period of lease commences: and (b) An annual royalty of 10 paise per 10 cubic meters of earth taken out is to be paid to him, subject to a minimum of Rs. 20000 per year and shortworkings to be recouped out of future excess royalty. This annual royalty is to be paid on 31st December each year.

The quantity of earth extracted by lessee in 2010, 2011, 2012 and 2013 was 16,00,000, 18,00,000, 21,00,000 and 24,00,000 cubic meters. Enter these transactions in the ledger of the lessee for the four years.

हल

Analytical Table

Year	Earth in cubitc feet	Royalty Rs.	Minimum Rent Rs.	Short workings Rs.	Surplus Rs.	Short - working Recouped Rs.	Amount Paid to land lord Rs.	Unrecouped short-working transferred to P/L A/c Rs.
2010	16,00,000	16,000[1]	20,000	4,000	-	-	20,000	-
2011	18,00,000	18,000	20,000	2,000	-	-	20,000	-
2012	21,00,000	21,000	20,000	-	1,000	1,000	20,000	-
2013	24,00,000	24,000	20,000	-	4,000	4,000	20,000	-

1. **Calculation of Royalties**

2010 $\frac{16,00,000\times.10}{10}=$
$Rs.16,000$

स्पष्टीकरणः— 10 घनमीटर निकाली गयी मिट्टी की Royalty Re .10 है

16,00,000 घनमीटर निकाली गयी मिट्टी की Royalty=
$\frac{16,00,000\times.10}{10}=16,000$

इसी तरह 2011 की Royalty (अधिकार—शुल्क) Rs. 18,000 2012 की Rs. 21,000 तथा 2013 की Rs. 24,000 आ जायेगी।

2. Profit and Loss Account में कोई भी धनराशि Transfer नहीं की गयी है, क्योंकि पट्टे की अवधि 10 वर्ष है।

3. Nazrana Rs. 50,000 को पट्टे की अवधि से भाग देकर अर्थात् 50,000÷10=5,000 प्रतिवर्ष Profit and Loss A/c में अपलिखित करेंगे।

स्पष्टीकरणः— 10 वर्ष के लिए नजराना 50,000 रू0 है

1 वर्ष के लिए नजराना $\frac{50,000}{10}=Rs.5,000$

In the books of The Swastik Brick Ltd. (Lessee)

Nazrana Account

2010 Jan 1	To Bank A/c	50,000	2010 Dec 31 Dec 31	By Profit & Loss A/c By Balance c/d	5,000 45,000
		50,000			50,000
2011 Jan 1	To Balance bd/	45,000	2011 Dec 31 Dec 31	By Profit & Loss A/c By Balanc c/d	5,000 40,000
		45,000			45,000
2012 Jan 1	To Balance b/d	40,000	2012 Dec 31 Dec 31	By Profit & Loss A/c By Balanc c/d	5,000 35,000
		40,000			40,000
2013 Jan 1	To Balance b/d	35,000	2013 Dec 31 Dec 31	By Profit & Loss A/c By Balanc c/d	5,000 30,000
		35,000			35,000

Shortworkings A/c

2010				2010			
Dec 31	To Devi Singh		4,000	Dec 31	By Balance c/d		4,000
			4,000				4,000

2011				2011			
Jan 1 Dec 31	To Balance b/d To Devi Singh		4,000 2,000	Dec 31	By Balance c/d		6,000
			6,000				6,000
2012				2012			
Jan 1	To Balance b/d		6,000	Dec 31 Dec 31	By Devi Singh By Balance c/d		1,000 5,000
			6,000				6,000
2013				2013			
Jan 1	To Balance b/d		5,000	Dec 31 Dec 31	By Devi Singh By Balance c/d		4,000 1,000
			5,000				5,000

Devi Singh (Landlord's A/c)

2010				2010			
Dec 31	To Bank A/c		20,000	Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c By Shortworkings A/c		16,000 4,000
			20,000				20,000
2011				2011			
Dec 31	To Bank A/c To		20,000	Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c By Shortworking's A/c		18,000 2,000
			20,000				20,000
2012				2012			
Dec 31 Dec 31	To Shortworkings A/c To Bank A/c		1,000 20,000	Dec 31 Dec 31	By Royalties A/c		21,000
			21,000				21,000
2013				2013			
Dec 31 Dec 31	To Shortworkings A/c To Bank A/c		4,000 20,000	Dec 31	By Royalties A/c		24,000

			24,000				24,000

(C) प्रतिलिप्याधिकार अधिकार–शुल्क (Copyroght Royalties)

लेखक से क्षतिपूर्ति लेना और न्यूनतम राशि का होना

1. जब लेखक समय पर संशोधित पुस्तक या मूल पुस्तक प्रकाशक को नहीं देता है तो अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार उसे प्रकाशक को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है।
2. क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकार–शुल्क की देय राशि में से काटकर, शेष अधिकार–शुल्क की राशि प्रकाशक लेखक को भुगतान करता है। क्षतिपूर्ति की राशि के लिए Damages Recovered Account खोला जाता है।
3. देरी करने वाले वर्ष में न्यूनतम राशि वाली शर्त लागू नहीं होती है, जब तक कि भिन्न सूचना न दी हुई हो।

उदाहरण 6

प्रो0 गुप्ता ने उच्च लेखाकर्म पर एक पुस्तक लिखी तथा उसे स्टूडेण्ट्स द्वारा प्रकाशित करवाया। अधिकार शुलक प्रकाशित मूल्य का 15 प्रतिशत होगा। न्यूनतम अधिकार शुल्क 10,000 रू. प्रतिवर्ष निश्चित किया गया। प्रो. गुप्ता ने यह वचन दिया कि वह प्रकाशक के अनुरोध पर पुस्तक को संशोधित करेंगे और यदि अनुरोध के छः महीने के उपरान्त भी वे संशोधन न कर सके, तो 500 रू. प्रतिमाह की दर से प्रकाशक को भुगतान करेंगे। संशोधन में विलम्ब के कारण न्यूनतम अधिकार शुल्क की शर्त लागू नहीं होगी। यह अनुबन्ध 10 वर्ष के लिए था। बेची गई पुस्तकों की संख्या तथा प्रकाशित मूल्य इस प्रकार है–

वर्ष	बिकी कापियों की संख्या	प्रकाशित मूल्य
1	3,000	रू. 20
2	4,000	रू. 20
3	5,000	रू. 30
4	2,000	रू. 25
5	5,000	रू. 30

तृतीय वर्ष के अन्त में प्रो. गुप्ता से पुस्तक संशोधित करने का अनुरोध किया गया लेकिन पुस्तक की पांडुलिपी प्रकाशक के पास चतुर्थ वर्ष के नवम्बर में पहुँची।

दोनों पक्ष के जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए।

Prof. Gupta wrote a book on Advance Accountancy and got it published with Students on the terms that Royalties will be 15% on published price with a minimum Royalty of Rs. 10,000 per year. Prof. Gupta gave the under taking to revise the book when requested by the publisher and to pay Rs. 500 per month to publisher for every month delay after six months of the request made by the publisher. In the event to delay the condition of minimum Royalty was not be apply. The arrangement was for 10 years. The number of copies sold and published price were as follows-

Year Number of Copies Sold Published Price

I	3,000	Rs. 20
II	4,000	Rs. 20
III	5,000	Rs. 30
IV	2,000	Rs. 25
V	5,000	Rs. 30

At the end of third year Prof. Gupta was requested to revise the book, but the revised manuscript reached the publisher only in November in fourth year.

Record the Journal Entries in the books of both the parties.

हल

Analytical Table

Year	No. of Copies Sold	Printed Price Rs.	Total Sales Rs.	Royalty Rs.	Minimum Royalty Rs.	Short - workings Rs.	Surplus Rs.	Shortworkings not Recouped Rs.	Payment Rs.	Amount transferred to PL A/c Rs.
1	3,000	20	60,000	9,000	10,000	1,000	-	1,000	10,000	10,000
2	4,000	20	80,000	12,000	10,000	-	2,000	-	12,000	12,000
3	5,000	30	1,50,000	22,500	10,000	-	12,500	-	22,500	22,500
4	2,000	25	50,000	7,500	7,500	-	-	-	7,500	7,500
5	5,000	30	1,50,000	22,500	10,000	-	12,500		22,500	22,500

Journal entries in the books of Students Publishers

Date	Particulars	L.F.	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
I year Dec 31	Royalties A/c Dr. Irrecoverable Shortwokriings A/c Dr. To Prof. Gupta (Being Royalties and Irrecoverable Shortwokings Dues)		9,000 1,000	 10,000
Dec 31	Prof. Gupta Dr. To Bank A/c (Being Payment made to Prof. Gupta)		10,000	 10,000
Dec 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c To Irrecoverable Shortwokings A/c (Being transfer)		10,000	 9,000 1,000
II year Dec 31	Royalties A/c Dr. To Prof. Gupta (Being Royalty Due)		12,000	 12,000
" 31	Prof. Gupta Dr. To Bank A/c (Being Payment made to Prof. Gupta)		10,000	 10,000
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being transfer)		12,000	 12,000
III year				

" 31	Royalties A/c Dr. To Prof. Gupta (Being Royalty Due)		22,500	 22,500
Dec 31	Prof. Gupta Dr. To Bank A/c (Being Payment made to Prof. Gupta)		22,500	 22,500
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being transfer)		22,500	 22,500
IV Year " 31	 Royalties A/c Dr. To Prof. Gupta (Being Royalty Due)		 7,500	 7,500
" 31	Prof. Gupta Dr. To Bank A/c To damage Recovered A/c (Being Payment made and damage recover)		7,500	 5,000 2,500
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being transfer)		7,500	 7,500
" 31	Damage Recovered A/c Dr. To Profit and Loss A/c (Being Transfer)		2,500	 2,500
V year " 31	 Royalties A/c Dr. To Prof. Gupta (Being Royalty Due)		 22,500	 22,500
Dec 31	Prof. Gupta Dr. To Bank A/c (Being Payment made to Prof. Gupta)		22,500	 22,500
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Royalties A/c (Being transfer)		22,500	 22,500

In the Books of Prof. Gupta

Date	Particulars	L.F.	Amount Dr. Rs.	Amount Cr. Rs.
I year Dec 31	 Students Publishing Dr. To Royalties Receivable A/c To Royalties Reserve A/c (Being Royalty and Irrecoverable Royalty Reserve Due from the publisher)		 10,000	 9,000 1,000
Dec 31	Bank A/c Dr. To Students Publishing (Being amount received)		10,000	 10,000
Dec 31	Royalty Receivable A/c Dr. Royalty Reserve A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable and Royalty reserve A/c transferred to Profit and Loss		9,000 1,000	 10,000

	A/c)			
II year Dec 31	Students Publishing Dr. To Royalties Receivable A/c (Being Royalty due)		12,000	12,000
" 31	Bank A/c Dr. To Students Publishing (Being amount received)		12,000	12,000
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable transferred to Profit and Loss A/c)		12,000	12,000
III year Dec 31	Students Publishing Dr. To Royalties Receivable A/c (Being Royalty due)		22,500	22,500
" 31	Bank A/c Dr. To Students Publishing (Being amount received)		22,500	22,500
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable transferred to Profit and Loss A/c)		22,500	22,500
IV year Dec 31	Students Publishing Dr. To Royalties Receivable A/c (Being Royalty due)		7,500	7,500
" 31	Bank A/c Dr. Damage Paid A/c Dr. To Students Publishing (Being amount received and damage paid)		5,000 2,500	7,500
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being transfer)		7,500	7,500
" 31	Profit and Loss A/c Dr. To Damage Paid A/c (Being transfer)		2,500	2,500
V year Dec 31	Students Publishing Dr. To Royalties Receivable A/c (Being Royalty due)		22,500	22,500
" 31	Bank A/c Dr. To Students Publishing (Being amount received)		22,500	22,500
" 31	Royalty Receivable A/c Dr. To Profit & Loss A/c (Being the Balance of Royalty Receivable transferred to Profit and Loss A/c)		22,500	22,500

नोटः–

1. न्यूनतम अधिकार शुल्क की राशि न कि न्यूनतम किराये की राशि :– ऐसा हो सकता है कि पुस्तक की बिक्री पर अधिकार–शुल्क की राशि दी हुई हो और प्रतिवर्ष के लिए न्यूनतम अधिकार–शुल्क की राशि निर्धारित हो, ऐसी दशा में बिक्री हुई पुस्तकों पर निकाली हुई अधिकार शुल्क की राशि और न्यूनतम अधिकार शुल्क की राशि में से जो भी अधिक होगी, वही अधिकार शुल्क की राशि प्रश्न को हल करते समय प्रयोग की जाएगी। इसी नियम का पालन किया गया हो। अतः Irrecoverable Shortwokrings लिखा गया है।
2. प्रश्नानुसार IV वर्ष न्यूनतम अधिकार शुल्क की शर्त लागू नहीं होगी।
3. यह माना गया है कि 31 दिसम्बर (III year) को प्रो0 गुप्ता को पुस्तक Revised करने को कहा गया तथा उन्होंने 30 नवम्बर (IV year) को Students Publishing को Revise करके दिया।

1.8 सारांश

अधिकार शुल्क खाते पर विशेषज्ञता हासिल करने का प्रथम सूत्र है कि हम सबसे पहले विश्लेषणात्मक सारणी बनाना सीखें। विश्लेषणात्मक सारणी बनाना बहुत ही सरल है। विश्लेषणात्मक सारणी बनाने का नियम, पट्टेदार तथा पट्टादाता की पुस्तकों में लेखा करने के नियम खानों के सम्बन्ध में, ईंट बनाने के सम्बन्ध में, तेल के कुओं के सम्बन्ध में, पेटेण्ट के सम्बन्ध में तथा प्रतिलिप्याधिकार के सम्बन्ध मे एक जैसा हैं।

1.9 शब्दावली

अधिकार शुल्क (Royalty): पट्टेदार Lessee द्वारा पट्टादाता (Landlord) को, उसकी (पट्टादाता) भूमि का प्रयोग करने के बदले दी जाने वाली धनराशि को अधिकार–शुल्क कहते हैं। इसका गणना उत्पादन के आधार पर किया जाता हैं।

न्यूनतम किराया (Minimum Rent): पट्टादाता अधिकार–शुल्क की एक न्यूनतम धनराशि निर्धारित कर देता है, ताकि पट्टेदार लापरवाही न करें, जिसे न्यूनतम किराया कहा जाता हैं।

लघुकार्य (Short working): सूत्र रूप में न्यूनतम किराया – अधिकार शुल्क = लघुकार्य राशि। यह एक तरह का पट्टादाता (स्वामी) को अग्रिम भुगतान है। अधिकार–शुल्क से जो भी राशि अतिरिक्त पट्टादाता (स्वामी) को दी जाती है उसे लघुकार्य कहा जाता है। इस अग्रिम भुगतान का समायोजन (Adjustment) एक निश्चित समय के अन्दर न्यूनतम किराया से अधिकार–शुल्क अधिक होने पर आधिक्य से की जाती हैं।

आधिक्य (Surplus): सूत्र रूप में अधिकार शुल्क– न्यूनतम किराया = आधिक्य। जब अधिकार–शुल्क की राशि न्यूनतम किराये से अधिक हो तो आधिक्य की स्थिति होती है। इस आधिक्य से लघुकार्य की वसूली होती है।

समायोजित न होने वाले लघुकार्य (Unrecouped Short-working): जो लघुकार्य पट्टादाता (स्वामी) द्वारा निर्धारित समय के अन्दर समायोजित (recouped) नहीं हो पाता है, उसे Unrecouped Short-working कहा जाता है जिसे समय के समाप्ति पर लाभ–हानि खाता में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

1.10 बोध प्रश्न

1. न्यूनतम किराया – अधिकार शुल्क = ?
2. अधिकार शुल्क – न्यूनतम किराया = ?
3. पट्टादाता द्वारा निर्धारित समय में पूरा न किया जा सका लघुकार्य राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है।
4. न्यूनतम किराया खाता नहीं खोला जा सकता है, यदि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराये से ....हो।
5. न्यूनतम किराये को और किस नाम से पुकारा जा सकता है ?

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. लघुकार्य राशि 2. आधिक्य 3. लाभ–हानि खाते में 4. अधिक 5. मृत किराया तथा स्थायी किराया।

1.12 स्वपरख प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नः– (Long Answer Type Questions)

1. अधिकार शुल्क का अर्थ, परिभाषा व लक्षण बताइए।
   Explain meaning, definitions and characteristics of Royalties.
2. उदाहरण सहित बताइए कि विश्लेषणात्मक सारणी कैसे बनाया जाता है ?
   Explain with example, how Analytical Table is prepared?
3. भू–स्वामी और पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार–शुल्क के सम्बन्ध में कौन–सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं ? विश्लेषणात्मक सारणी तथा काल्पनिक अंकों के माध्यम से वर्णन करिए।
   What Journal Entries are passed in the books of Landlord and Lessee, regarding Royalties? Explain with analytical table and imaginary figures.
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write short notes on.
   (i) विश्लेषणात्मक सारणी (Analytical Table)
   (ii) अधिकार–शुल्क (Royalty)
   (iii) न्यूनतम किराया (Minimum Rent)
   (iv) लघुकार्य (Shortwokrings)
   (v) आधिक्य (Surplus)
   (vi) समायोजित न होने वाले लघुकार्य (Unrecouped Short-working)
   (vii) अधिकार शुल्क और किराये में क्या अन्तर हैं ? What is the difference between Royalty and Rent?

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Question)

1. एक कम्पनी ने 1 जनवरी, 2013 को एक खान 4 वर्ष के पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया 10,000 रू. प्रति वार्षिक था तथा अधिकार शुल्क निकाले हुए कोयले पर 50 पैसा प्रति टन था। पट्टा अनुबन्ध में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी वर्ष देय न्यूनतम किराया, वास्तविक अधिकार शुल्क से

अधिक होगा, तो इस आधिक्य राशि को, कोयला कम्पनी द्वारा, केवल आगे आने वाले वर्ष में देय अधिकार शुल्क से पूरा किया जा सकेगा।

कोयला निम्नानुसार निकाला जा सकेगा :

वर्ष 2013 में, 2,000 टन, वर्ष 2014 में 1 2,000 टन, वर्ष 2015 में 24,000, वर्ष 2016 में 30,000 टन। कोयला कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए व लाभ–हानि खाते तथा चिट्ठे में प्रत्येक वर्ष दिखाई जाने वाली रकम दर्शाइए।

A Company takes a lease of mine for a term of four years from 1st January, 2013 paying a minimum rent of Rs. 10,000 per annum , merging in a royalty of 50 paise per tone of coal raised. The lease of coal raised. The lease contains a provision to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year the amount of the excess may be recouped by the coal company out of the royalty payable in the following year only:

The coal is raised as under:

2013	year	2000	Tonnes
2014	year	12000	Tonnes
2015	year	24000	Tonnes
2016	year	30000	Tonnes

Pass the Journal entries necessary to record these transactions in the books of the Coal Company ans show the amounts in the Profit and Loss Account and Balance Sheet of each year:

Ans- Unrecouped Shortworking Rs. 9,000 in 2014 and Rs. 2,000 in 2015.

2. ABC कोल कम्पनी लि0 ने एक खान को पट्टे पर लिया। अधिकार–शुल्क की राशि निकाले हुए कोयले पर 25 पैसे प्रति टन है। प्रति वर्ष का न्यूनतम किराया 1,500 रू. है। लघुकार्य राशि को पट्टे के प्रथम चार वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। निम्नांकित निकासी की गयी : 2013 में 3,000 टन, 2014 में 3,200 टन, 2015 में4,500 टन, 2016 में 5,000 टन। ABC कम्पनी की पुस्तकों में भू–स्वामी का खाता बनाइए।

The ABC Coal Co. Ltd., took lease of a colliery on the basis of 25 Paise per ton on the coal raised subject to minimum rent of Rs. 1,500 per year with the right of recouping shrtworkings during the first four years of the lease. The quantities raised were: 3,000 tons in 2013; 3,200 tons in 2014; 4,500 tons in 2015; 5,000 tons in 2016. Open the Landlord Account in the books of ABC Coal Co. Ltd.

Ans. In 2016 Balance of Shortworkings of Rs. 2,075 will be transferred to P. & L. A/c.

3. A ने B से एक खान पट्टे पर ली। अधिकार–शुल्क 75 पैसे प्रति टन है। न्यूनतम किराया 20,000 रू. प्रति वर्ष है। पट्टेदार प्रत्येक वर्ष की लघुकार्य राशि को अगले दो वर्षों में अपलिखित कर सकता है। यदि वह

लघुकार्य राशि वाली वर्ष के ठीक अगले वर्ष पूरी लघुकार्य राशि को अपलिखित नहीं कर सकता है तो उसका ऐसी न अपलिखित की हुई लघुकार्य राशि के 25 प्रतिशत भाग के अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। उत्पादन निम्न प्रकार हैः

वर्ष	1	2	3	4	5
उत्पादन टनो में	शून्य	20,000	30,000	16,000	36,000

यह भी ठहराव हुआ कि हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराये की राशि को 75 प्रतिशत कर दिया जायेगा। A की पुस्तकों में भू–स्वामी का खाता, अधिकार–शुल्क खाता एवं लघुकार्य खाता बनाइए। A अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द करता है। हड़ताल चौथे वर्ष हुई।

A took a mine of lessee from B. Rate of Royalty is 75 paise per ton. Minimum rent is Rs. 20,000 per year. Lease can recoup each year's shortworkings in next two years. If he cannot recoup the whole of shortworkings in the immediate next year of the year of shortworking, he loses his right to recoup 25% of such unrecouped shortworkings. Production is as under:

Years	1	2	3	4	5
Production in tons	Nil	20,000	30,000	16,000	36,000

It was also agreed that in the case of strike, the minimum rent will be reduced to 75%. Prepare landlord account, royalty account and shortworking account in the books of A. A closes his books every year on 31st December. Strike was in the fourth year.

Ans. Transfer of Shortworking to Profit and Loss Account Rs. 5,000, Rs. 13,7,50 and Rs. 37,50 respectively in II, III and IV year.

4. XYZ कम्पनी एक खान के पट्टेदार है। अधिकार–शुल्क निकाले हुए कोयले पर 1रू. प्रति टन हैं। न्यूनतम किराया 8,000 रू. प्रति वर्ष है। लघुकार्य राशि को पट्टे के केवल प्रथम दो वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। प्रथम तीन वर्षों का निकाला हुआ उत्पाद निम्न प्रकार है– 2014 में 5,000 टन, 2015 में 9,000 टन, 2016 में 8,000 टन। पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द की जाती हैं। भू–स्वामी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे करिए तथा XYZ कम्पनी का खाता, अधिकार–शुल्क संचय खाता एवं लाभ–हानि खाता एवं चिट्ठे में प्रत्येक वर्ष दिखाई जाने वाली रकम दर्शाइए।

XYZ Co. is lessee of a mine on a royalty of Rs. 1 per ton of coal raised with a minimum rent of Rs. 8,000 per annum with a power to recoup S.W. during the first two years of the lease only. The output for the first three years is as follows: 5,000 tpms om 2014; 9,000 tons in 2015; 8,000 tons in 2016. Books are closed each year on 31st December. Pass the necessary Journal entries in the books of the Landlord. Open XYZ Co. Account, Royalty Reserve Account and show the amounts in the profit and loss account and balance sheet of each year.

Ans. Transfer of unrecouped Royalties Reserve to profit and loss account in 2015 is Rs. 2,000.

5. 1 जनवरी, 2013 को ईंटें बनाने वाली कम्पनी ने मिट्टी निकालने के लिए सोहनलाल से एक भूमि का टुकड़ा 15 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। पट्टे की शर्तें है : (i) वार्षिक अधिकार–शुल्क की दर 5 पैसा प्रति 100 घन फुट मिट्टी निकालने पर है। (ii) प्रति वर्ष न्यूनतम किराया की राशि 1,200 है। (iii) 1 जनवरी, 2013 को कम्पनी ने सोहनलाल को 3,000 रू. नजराने के दिए। (iv) लघुकार्य की राशि को भविष्य की वर्षों में अधिकार–शुल्क के आधिक्य से पट्टे के प्रथम चार वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। (v) प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को वार्षिक अधिकार–शुल्क की राशि का भुगतान कर दिया जाता हैं। ईंट बनाने वाली कम्पनी निम्न प्रकार मिट्टी को निकालाः–

वर्ष	2013	2014	2015	2016
मिट्टी घन फीट में	20,00,000	30,00,000	18,00,000	28,00,000

ईंट बनाने वाली कम्पनी की पुस्तकों में नजराना खाता, अधिकार–शुल्क और लघुकार्य राशि खाता बनाइए।

On Jan 1, 2013 A Brick Co. acquired a lease for 15 years from Sohan Lal on lease for taking oil soil. Terms of the lease are : (i) Annual rate of Royalty is 5 Paise per 100 cubic feet of soil taken out. (ii) Minimum Rent per year is Rs. 1,200. (iii) On 1st January, 2013 company gave Rs.. 3,000 to Sohan Lal for nazrana. (iv) Shortworkings can be recouped in future out of excess royalty during the first four years of the lease only. (v) Annual royalty is paid every year on 31st December, Brick-making company extracted soil in the following manner:

Years	2013	2014	2015	2016
Soil in Cubic Feet	20,00,000	30,00,000	18,00,000	28,00,000

Open Nazrana Account, Royalty Account and S.W. Account in the books of Brick-making Company.

Ans. Unrecouped shortworkings transferred to profit and loss account Rs. 100 in 2016.

1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 जगदीश प्रकाश व डॉ0 डी0के0 वर्मा
2. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 एम0बी0 शुक्ल
3. उच्चतर लेखे– डॉ0पी0सी0 शर्मा
4. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 एस0एम0 शुक्ला
5. लेखांकन सिद्धान्त– डॉ0 रमेन्दु राय
6. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 अब्दुल करीम व डॉ0 एस0एस0 खनूजा
7. उच्चतर लेखाविधि– डॉ0 आर0के0 गुप्ता
8. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 बी0के0 सिंह एवं डॉ0 ए0पी0 सिंह

इकाई 2 किराया–क्रय पद्धति व किस्त क्रय या भुगतान पद्धति

इकाई की रूपरेखा–

2.1 प्रस्तावना

2.2 किराया–क्रय पद्धति के सैद्धान्तिक पक्ष

2.2.1 प्रस्तावना

2.2.2 परिभाषा

2.2.3 भारत के लॉ कमीशन के किराया–क्रय के सम्बन्ध में विचाराधारा

2.2.4 किराया–क्रय अधिनियम– 1972

2.2.5 किराया–क्रय ठहराव की विषय सामग्री

2.2.6 किराया–क्रय ठहराव की समाप्ति निर्धारित अवधि से पूर्व होना

2.2.7 माल के स्वामी द्वारा माल वापस लिये जाने पर प्रतिबन्ध

2.2.8 किराया–क्रय मूल्य न देने पर क्रेता को छूट

2.2.9 किराया–क्रय पद्धति के विशेषता लाभ व हानि

2.3 किराया–क्रय पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल करना

2.3.1 ब्याज की गणना व लेखा

2.3.2 किराया–क्रय क्रेता की पुस्तकों में लेखा

2.3.3 किराया–विक्रेता की पुस्तकों मे लेखा

2.3.4 उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

2.4 किस्त भुगतान पद्धति के सैद्धान्तिक पक्ष

2.4.1 प्रस्तावना

2.4.2 परिभाषा

2.4.3 विशेषताएं

2.4.4 किराया क्रय पद्धति तथा किस्त भुगतान पद्धति में अन्तर

2.5 किस्त भुगतान पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल करना

2.5.1 क्रेता की पुस्तकों में लेखा

2.5.2 विक्रेता की पुस्तकों में लेखा

2.5.3 उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 बोध प्रश्न

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.10 स्वपरख प्रश्न

2.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- किराया क्रय पद्धति सैद्धान्तिक पक्ष की व्याख्या कर सकें।

- किराया क्रय पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल कर सकें।
- किस्त भुगतान पद्धति के सैद्धान्तिक पक्ष की व्याख्या कर सकें।
- किस्त भुगतान पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल कर सकें।

2.1 प्रस्तावना

किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत यदि हम वस्तु का क्रय करते है तो हमें वस्तु पर अधिकार तो प्राप्त हो जाता है किन्तु स्वामित्व तब प्राप्त होता है, जब हम अन्तिम किस्त की अदायगी कर देते है। किराया–क्रय पद्धति से मिलती–जुलती माल बेचने की एक अन्य पद्धति भी है जो 'किस्त भुगतान पद्धति' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति में क्रेता को माल की पूरी रकम का भुगतान एक साथ नहीं करना पड़ता है वरन् किस्तों द्वारा करना पड़ता हैं, किन्तु माल का स्वामित्व क्रेता को तुरन्त हस्तान्तरित हो जाता है। इस इकाई में आप किराया क्रय पद्धति सैद्धान्तिक पक्षों व किस्त भुगतान पद्धति के सैद्धान्तिक पक्षों का अध्ययन करेंगें।

2.2 किराया क्रय पद्धति के सैद्धान्तिक पक्ष

2.2.1 प्रस्तावना :–

जब हम किसी वस्तु का क्रय करते है तो हमें उस वस्तु के क्रय के साथ वस्तु पर अधिकार व स्वामित्व प्राप्त होता है। किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत यदि हम वस्तु का क्रय करते है तो हमें वस्तु पर अधिकार तो प्राप्त हो जाता है किन्तु स्वामित्व तब प्राप्त होता है, जब हम अन्तिम किस्त की अदायगी कर देते है। इस तरह से किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत वस्तु का क्रय किस्तों के आधार किया जाता है। वस्तु पर अधिकार हमें प्रथम भुगतान या प्रथम किस्त के बाद प्राप्त हो जाता है और वस्तु चूँकि हमारे अधिकार में आ जाती है अतः हम वस्तु का इच्छानुसार प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक देय होने वाले किस्त व ब्याज की राशि का समयानुसार भुगतान करें यदि हम किस्त का भुगतान नही कर पाते है तो वस्तु हमे विक्रेता को लौटानी पड़ती है तथा हमारे द्वारा किस्त के रूप में भुगतान राशि विक्रेता द्वारा वस्तु का किराया मान कर रख ली जाती है। अतः इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहते है।

2.2.2 परिभाषाः–

प्रमुख लेखकों के अनुसार किराया–क्रय की परिभाषा (Definition of Hire-Purchase according to various Authors) नीचे कुछ विद्वानो के विचार इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में दिये जाते है। यद्यपि इन लोगों ने अपने विचार प्रकट करने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, परन्तु सभी परिभाषाओं का आशय एक ही है।

(1) जे. आर. बाटलीबॉय के अनुसार ,'' किराय–क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत इसके स्वामी को बाराबर सामायिक किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता हैं। ये किस्तें उस समय तक माल के किराये की तरह समझी जाती हैं जब तक कि माल की पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाय और तभी वह माल क्रेता की सम्पत्ति हो जाता है।''

(2) एल. सी. क्रॉपर के अनुसार, ''किराया–क्रय पद्धति अनुबन्ध की विशेषता वह है कि माल का स्वामित्व विक्रेता पर रहता है, लेकिन किरायेदार बहुत–से स्वीकृत भुगतानों में से प्रथम भुगतान देने पर उसको प्रयोग करने का अधिकार

प्राप्त कर लेता है। अन्तिम किस्त के भुगतान करने के बाद किरायेदार माल का कानूनी अधिकारी बन जाता है और फिर पहले वाले मालिक का इसमें कोई हित नहीं रहती है।''

(3) कार्टर के अनुसार– ''किराया–क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें, माल की कीमत सामयिक किस्तों द्वारा माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है। अन्तिम किस्त के भुगतान के समय तक प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है और माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जबकि उसके द्वारा सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है।''

''किराया–क्रय पद्धति से आशय क्रय की उस पद्धति से है जिसमें सम्पत्ति की प्राप्ति क्रेता को इस शर्त पर होती है कि इसके मूल्य का भुगतान किस्तों के द्वारा किया जायेगा। किस्तों की अवधि में सम्पत्ति का स्वामित्व विक्रेता पर रहता है। अन्तिम किस्त के भुगतान से पूर्व वाले भुगतान बिल्कुल किराये की तरह माने जाते है और सम्पत्ति का स्वामित्व क्रेता को तब तक नहीं होता है जब तक कि अन्तिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाय।''

2.2.3 भारत के लॉ कमीशन (Law Commission) की किराया–क्रय के सम्बन्ध में विचारधारा

किराया–क्रय ठहराव एक प्रकार का निक्षेप (bailment) है। किरायेदार को कुछ शर्तो पर माल क्रय करने का अधिकार दिया जाता है, क्रय करना उसकी केवल इच्छा (option) पर है उसका उत्तरदायित्व नहीं है, किरायेदार चाहे तो क्रय कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है और ठहराव की सभी शर्तो को पूरा कर देता है तो माल का स्वामित्व उसे मिल जाता है। यदि वह शर्तो को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे ठहराव की शर्तो के अनुसार माल लौटाना पड़ेगा और ठहराव समाप्त हो जायेगा।

2.2.4 किराया–क्रय अधिनियम, 1972 (Hire- Purchase Act, 1972)

किराया–क्रय अधिनियम, 1972 को संसद ने अपनी स्वीकृति 31 मई, 1972 को दी थी अैर 8 जून, 1972 से यह अधिनियम की तरह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य किराया–क्रय के व्यवहारों को नियन्त्रित करना है। इसमें माल के मालिक और किराये पर क्रय करने वाले के उत्तरदायित्वों का वर्एानहै तथा किराया–क्रय ठहराव की विषय–सामग्री और नमूने (form) की भी व्यथ्वा हैं व्याज के सम्बन्ध में इस अधिनियम में व्यवस्था है कि जो ब्याज की दर किराया–क्रय क्रेता से ली जाय वह उचित होनी चाहिए। इस अधिनियम में 31 धाराएं और 6 अध्याय है। इन अध्यायों की विषय–सामग्री सूक्ष्म में निम्न हैः

अध्याय 1– परिभाषाएं आदि (धाराएं 1 और 2)

अध्याय 2– किराया–क्रय ठहराव की विषय– सामग्री और नमूना (धाराएं 3 से 5)

अध्याय 3– शर्ते और आश्वासन, किराया–क्रय ठहरावों की सीमाएं, सम्पत्ति का हस्तान्तरण (धाराएं 6 से 8)

अध्याय 4– किराया–क्रय क्रेता के अधिकार और दायित्व (धाराएं 9 से 17)

अध्याय 5– माल के स्वामी के अधिकार और उत्तरदायित्व (धाराएं 18 से 23)

अध्याय 6– विविध(धाराएं 24 से 31)

इस अधिनियम की निम्नांकित परिभाषाएं ध्यान देने योग्य हैंः

किराये की परिभाषा–किराये का आशय किराया–क्रय ठहराव के अन्तर्गत ऐसी राशि से है जो किराया–क्रय क्रेता द्वारा देय हो।

किराया–क्रय क्रेता का आशय (Meaning of Hire-Purchaser)– किराया–क्रय क्रेता का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने किराया–क्रय ठहराव के अन्तर्गत माल के स्वामी से माल का अधिकार (Possession) प्राप्त कर लिया है, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल किया जाता है जिसको कानून के द्वारा (operation of law) या हस्तांकन द्वारा (assignment) किराया–क्रय क्रेता के अधिकार एवं दायित्वों का हस्तान्तरण होता है।

स्वामी का आशयः– (Meaning of Owner) स्वामी का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने किराया–क्रय ठहराव के अन्तर्गत किराया–क्रय क्रेता को माल किराये पर दिया है तथा माल का अधिकार (possesion) दिया है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल किया जाता है जिसे कानून के द्वारा (operation of law) या हस्तांकन द्वारा (assignment) माल के स्वामी का स्वामित्व या इसके अधिकार या दायित्व हस्तान्तरण होते होते हैं।

किराया–क्रय ठहराव का आशय (Meaning of Hire-purchase Agreement)– किराया–क्रय अधिनियम की धारा 2(C) के अनुसार किराया–क्रय ठहराव का आशय ऐसे ठहराव से है जिसके अन्तर्गत माल किराये पर दिया जाता है, और जिसे क्रय करने का विकल्प क्रेता को समझौते की शर्तें के अनुसार होता है तथा इसमें ऐसा ठहराव शामिल किया जाता है जिसके अन्तर्गतः–

(i) माल का स्वामी एक व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी इस शर्त पर देता है कि यह व्यक्ति ठहराव की राशि सामयिक किस्तों (Periodical Instalments) से भुगतान करे;

(ii) इस माल का स्वामित्व इस व्यक्ति को अन्तिम किस्त के भुगतान पर हस्तान्तरित होता है;

(iii) इस व्यक्ति को स्वामित्व हस्तान्तरण होने के पूर्व किसी भी समय ठहराव को समाप्त करने का अधिकार हैं।

किराया–क्रय मूल्य का आशय (Meaning of Hire-purchase Price)–किराया–क्रय मूल्य का आशय ऐसी कुल राशि से है जो किरायेदार द्वारा, किराया–क्रय ठहराव के अन्तर्गत क्रय को पूरा करने के लिए या सम्बन्धित माल के स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए, देय होती है और इसमें वे सब राशियां शामिल की जाती हैं जो किरायेदार द्वारा किराया–क्रय ठहराव के अन्तर्गत प्रारम्भ में जमा या अग्रिम के रूप में दी जाती है या उसके खाते में क्रेडिट की जाती हैं। किराया–क्रय मूल्य में निम्नांकित शामिल किये जाते है :

(i) रोकड़ी मूल्य,

(ii) रोकड़ी मूल्य की अदत्त किस्तों पर ब्याज

(iii) किराया क्रेता द्वारा माल लौटाने पर जोखिम का भार

(iv) किस्तों के भुगतान में त्रुटि करने पर जोखिम का भार।

जोखिम के भार को मुद्रा में आंकना सरल नहीं है अतः विक्रेता उपर्युक्त (iii) व (iv) में वर्णित जोखिमों के भार का समायोजन ब्याज की दर बढ़ाकर कर लेता हैं इसलिए सूक्ष्म में किराया–क्रय मूल्य का आशय रोकड़ मूल्य + रोकड़ मूल्य की अदत्त राशि पर ब्याज से होता है।

2.2.5 किराया–क्रय ठहराव की विषय–सामग्री (Contents of Hire-purchase Agreement)

प्रत्येक किराया–क्रय ठहराव में निम्नांकित विषयों का उल्लेख करना अनिवार्य हैः

(अ) किराया–क्रय ठहराव से सम्बन्धित माल का किराया–क्रय मूल्य ; (ब) माल का रोकड़ी मूल्य अर्थात् ऐसा मूल्य जिस पर किरायेदार माल को नकदी में क्रय कर सकता है ; (स) तारीख जिस पर ठहराव शुरू हुआ माना जायेगा ; (द) किराया–क्रय मूल्य भुगतान करने की किस्तों की संख्या ; (य) इन किस्तों में प्रत्येक किस्त की राशि, और वह तारीख, या इस तारीख को निर्धारित करने की विधि, जिस पर इसका भुगतान देय है और उस व्यक्ति का नाम एवं स्थान जिसे एवं जहां इसका भुगतान किया जाना है और (र) ठहराव से सम्बन्धित माल का वितरण ताकि इन्हें ठीक से पहचाना जा सकें।

यदि किराया–क्रय मूल्य का कोई भी भाग नकदी या चेक के अतिरिक्त अन्य प्रकार भुगतान किया जाता है तो इसका भी उल्लेख ठहराव में होना चाहिए।

यदि उपर्युक्त वर्णित व्यवस्थाओं में से किसी का भी पालन नहीं होता है तो किराया–क्रय क्रेता न्यायालय में इस ठहराव को समाप्त करने के लिए दावा कर सकता है और यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि किराया–क्रय क्रेता को वास्तव में क्षति हुई है तो वह ठहराव को समाप्त कर सकता है या जैसा आदेश उचित समझे, दे सकता है।

2.2.6 किराया क्रय ठहराव की समाप्ति निर्धारित अवधि से पूर्व होना – किराया क्रय ठहराव किये जाने के बाद और अन्तिम किस्त भुगतान के पूर्व इस बीच की अवधि मे किसी भी समय माल के स्वामी एवं किराया क्रय क्रेता मे से किसी एक के भी द्वारा की जा सकती है। इस संम्बन्ध मे किराया क्रय अधिनियम के व्यवस्थाओ का उल्लेख निम्नलिखित है

माल के स्वामी द्वारा किराया क्रय ठहराव की समाप्ति – जब क्रेता किराया क्रय मूल्य के भुगतान मे एक से अधिक त्रुटि करता है तो विक्रेता लिखित नोटिस क्रेता को देकर इस ठहराव को समाप्त कर सकता हैं। यह नोटिस यदि किस्तें साप्ताहिक या इससे कम है तो एक सप्ताह का होता है और अन्य अवधि कि किस्तों मे यह नोटिस 2 सप्ताह का होता हैं। परन्तु यदि क्रेता नोटिस की इस अवधि मे बकाया राशि एवं इस पर ब्याज का भुगतान कर देता है तो ठहराव समाप्त नही होता।

यदि क्रेता इस माल के साथ कोई ऐसा कार्य करता है जो ठहराव की शर्तो के विपरीत है या ठहराव की किसी एक ऐसी शर्त का उल्लघन करता है जिसके आधार पर ठहराव समाप्त किया जा सकता हैं। तो भी विक्रेता ठहराव समाप्त कर सकता हैं।

किराया क्रय ठहराव समाप्त होने पर विक्रेता उन किस्तो की राशि रख सकता है जो उसे मिल चुकी है और किराये कि अवशिष्ट राशियां वसूल करने के लिये कार्यवाही कर सकता है परन्तु जब विक्रेता माल को क्रेता से अपने अधिकार में कर लेता है तो किराया–क्रय क्रेता माल के स्वामी से किराया क्रय राशि का निम्नाकिंत राशियो के जोड़ पर जितना अधिक्य होता है वसूल कर सकता है।

(1) माल वापस किये जाने की तारीख तक क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान की हुई राशिया

(2) क्रेता से विक्रेता द्वारा माल वापस लिये जाने की तारीख पर इस माल का वह मुल्य जो इस तारीख पर बाजार में प्राप्त किया जा सकता है

उपर्युक्त वर्णन को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है Hire – Purchase price – Installments Paid+ Optimum price of the goods obtainable on the date of seizure = the amount which buyer is entitled to received when seizure of goods is made by the seller

2.2.7 माल के स्वामी द्वारा माल वापस लिये जाने पर प्रतिबन्ध (Restrictions On taking Back the goods by the owner)

किराया क्रय अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब माल किराया क्रय पद्धती से बेचा जाता है और क्रेता द्वारा किराया क्रय मूल्य का वैधानिक अनुपात भुगतान कर दिया जाता है तो माल का स्वामी क्रेता से माल वापस नही ले सकता परन्तु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे इस अधिकार के प्रयोग के लिए न्यायालय में आवेदन देकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है।

वैधानिक अनुपात का आशय यहाँ निम्नांकित हैः

(1) यदि किराया क्रय – मूल्य 15,000 रू से कम है तो इसका आधा वैधानिक आनुपातिक राशि है

(2) यदि किराया क्रय मूल्य 15,000 रू0 है या इससे अधिक है इसका 3/4 वैधानिक आनुपातिक राशि हैं।

ऐसी मोटरगाड़ियों के सम्बन्ध में वैधानिक अनुपात का आशय निम्नाकिंत है जिसकी परिभाषा मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 में की गयी हैः–

(1) मोटरगाड़ियो की दशा मे किराया–क्रय मूल्य 5,000 रू से कम होने पर इसका आधा (2) 5,000 रू या इससे अधिक होने पर लेकिन 15,000 रू से कम होने पर इसका 3/4 तथा (3) 15,000 या इससे अधिक होने पर इसका 3/4 या ऐसी अधिक राशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाय पर यह इसके 9/10 से अधिक नही हो सकती हैं।

2.2.8 किराया क्रय मूल्य न देने पर क्रेता को छूट

किराया–क्रय अनुबन्ध समाप्त करने के बाद जब माल का स्वामी माल पर अधिकार करने के लिए न्यायालय में क्रेता के विरूद्ध दावा करता है और क्रेता इस दावे की कार्यवाही के दौरान अवशिष्ट राशि ब्याज सहित दावे तथा आवेदन की लागत का भुगतान क्रेता को कर देता है तथा उन सब शर्तो को पूरा करता है जो न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध मे निर्धारित की जाय तो न्यायालय क्रेता के विरूद्ध डिक्री पास करने या माल वापस करने का आदेश देने के स्थान पर क्रेता को किराया–क्रय अनुबन्ध समाप्त से मुक्त कर देता है और क्रेता का अधिकार माल पर बना रहता है तथा ठहराव चालू रहता है।

2.2.9 किराया–क्रय पद्धति की विशेषताएं, लाभ व हानि (CHARACTERISTICS, MERITS AND DEMERITS OF HIRE-PURCHASE SYSTEM

किराया–क्रय पद्धति को भली–भांति समझने के लिए निम्न विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैः

(1) माल की उधार बिक्री होना (Credit sales of goods) इसमे माल की उधार बिक्री की जाती है क्योंकि माल क्रय करते समय पूरी कीमत का भुगतान नही किया जाता है कुछ राशि सुपुर्दगी तिथि को, कुछ प्रथम किस्त, मे इसी तरह क्रमशः द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ किस्त पर अदा की जाती है।

(2) समझौता (Agreement) वस्तु का भुगतान कितने किस्तो मे करना है इसका निर्धारण समझौते मे किया जाता है

(3) सुपुर्दगी (Delivery) सामान्यता सुपुर्दगी तिथि पर कोई धनराशि या प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाता है किन्तु यह अनिवार्य नही हैं। यह समझौते पर निर्भर करता हैं।

(4) अधिकार (Posserrion)समझौते या हस्ताक्षर के तुरन्त बाद वस्तु क्रेता को हस्तान्तरित कर दी जाती है और क्रेता को वस्तु के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है

(5) स्वामित्व (Ownership)समझौते पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद वस्तु पर क्रेता का अधिकार हो जाता है किन्तु उसे स्वामित्व तब प्राप्त होती है जब वह अन्तिम किस्त का भुगतान कर देता है।

(6) क्रेता का उत्तरदायित्व (Purcheser 's Responsibility) चूँकि अन्तिम किस्त के भुगतान के पूर्व तक विक्रेता का स्वामित्व होता है अतः वस्तु की उचित देखभाल करना क्रेता का फर्ज होता है।

(7) अन्तिम किस्त के भुगतान के बाद माल पर क्रेता का स्वामित्व होना– जब क्रेता द्वारा अन्तिम किस्त का भुगतान किया जाता है तो माल का स्वामित्व भी उसके पास आ जाता है।

(8) क्रय क्रेता की इच्छा (Option) **पर होना** – किराया–क्रय अधिनियम, 1972 के अनुसार किराया–क्रेता यदि चाहे तो क्रय करे, क्रय करने के लिए उसको अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि किराया–क्रय पद्धति में अन्तिम किस्त भुगतान के पूर्व किसी भी समय किराया–क्रय ठहराव समाप्त करने का अधिकार क्रेता एवं विक्रेता दोनो को है।

(9) अन्तिम किस्त के भुगतान तक मरम्मत करने का उत्तरदायित्व विक्रेता पर होना– अन्तिम किस्त के भुगतान तक यदि क्रेता ने किराया–क्रय पद्धति पर ली हुई वस्तु की पूरी परवाह रखी है और फिर भी वस्तु में टूट–फूट हो गयी है तो इसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व विक्रेता पर होगा।

(10) अन्तिम किस्त के भुगतान तक क्रेता द्वारा बिक्री करने पर दूसरे क्रेता का श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार न होना :– किराया–क्रय पद्धति के अनुसार माल क्रय करने पर यदि कोई भी क्रेता अन्तिम किस्त के भुगतान के पहले किसी समय इस माल को बेचता है तो दूसरा क्रेता इस माल पर श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं करता है क्योकि विक्रेता स्वयं माल का स्वामी नहीं होता है।

किराया–क्रय पद्धति से लाभ–

(अ) क्रेता को लाभ–

1. **मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग सम्भव–** ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन कम होता है और जो मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करने की इच्छा को उस समय तक के लिए टालने की क्षमता नहीं रखते है, जब तक कि उस

वस्तु के क्रय करने के लिए उनके पास आवश्यक धन एकत्र हो जाए, इस प्रथा से उन वस्तुओं के प्रयोग द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2. **मितव्ययिता की भावना होना**— जब इस प्रथा के अन्तर्गत माल क्रय कर लिया जाता है तो किस्तों का भुगतान करने के लिए खर्चीले व्यक्ति को भी बचत करनी पड़ती है ताकि वह निर्धारित समय पर किस्त की राशि का पूरा भुगतान कर सके क्योंकि उसे यह डर लगा रहता है कि यदि निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किया गया, तो विक्रेता वस्तु को वापस ले सकता है। इस पद्धति का यही डर लोगों को मितव्ययिता करने पर बाध्य करता है।
3. **भुगतान में सरलता होना**— इस पद्धति में माल का मूल्य देने में क्रेता को कठिनाई अनुभव नहीं करनी पड़ती है क्योंकि माल की सारी कीमत इकट्ठी न देकर किस्तों में दी जाती है।
4. **मुफ्त मरम्मत करवाने की सुविधा**— यदि क्रेता ने इस पद्धति के अन्तर्गत माल क्रय करने के बाद अन्तिम भुगतान की तिथि तक माल उतनी सावधानी से रखा है जितनी सावधानी से रखे जाने की उससे आशा की जाती थी और फिर भी माल में टूट—फूट हो जाती है तो इस मरम्मत का व्यय विक्रेता उठाता है। यही कारण है कि क्रेता को मुफ्त मरम्मत करवाने का लाभ प्राप्त होता है।
5. **क्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में कमी**— इस पद्धति के अभाव में बहुत से अवसरों पर क्रेताओं को वस्तुएं क्रय करने के लिए परिस्थितिवश ऋण लेना पड़ता था। परन्तु अब इस प्रथा के कारण थोड़ा बहुत भुगतान करके भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है तथा शेष भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। अतः क्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में कमी हो गयी है।

(ब) विक्रेता को लाभ —

1. **बिक्री में वृद्धि होना**— चूंकि क्रेताओं को मूल्य किस्तों में भुगतान करना पड़ता है, अतः बहुत—से ऐसे व्यक्ति भी माल क्रय कर लेते हैं जो कि वास्तव में इस पद्धति के अभाव में माल क्रय नहीं कर सकते थे। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति तो माल क्रय करते ही हैं, साथ—ही—साथ कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति भी माल क्रय करने लगते हैं। इनका प्रभाव यह होता है कि माल की बिक्री बढ़ जाती हैं।
2. **किस्त की राशि एकत्र करने में कठिनाई न होना**— माल छिन जाने के डर से प्रत्येक क्रेता अपनी किस्त समय पर देता है और विक्रेता को इन्हें वसूल करने में, यदि अन्य बातें समान रहें, कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है।
3. **कम ब्याज पर पूंजी मिलने की सुविधा**— आवश्यकता पड़ने पर विक्रेता किराया—क्रय अनुबन्धों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से कम ब्याज पर पूंजी प्राप्त कर सकता है। पूंजी देने वाले को सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे भुगतान की राशि किराया—क्रय पद्धति के अन्तर्गत क्रय किये हुए माल के क्रेताओं से किस्तों के रूप में निश्चित समयान्तर पर मिलने लगती है।

4. **क्रेताओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना–** नकद क्रय–विक्रय में क्रेता और विक्रेता का सम्पर्क केवल उसी समय होता है, जबकि माल क्रय–विक्रय किया जाता है, परन्तु इस विधि में प्रत्येक क्रय–विक्रय के लिए किस्तों में भुगतान किये जाने के कारण क्रेता और विक्रेता का सम्पर्क बहुत बार होता है। ऐसा करे से विक्रेता में जितना घनिष्ठ सम्बन्ध होता है उतना ही भविष्य की बिक्री पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
5. **अन्य वस्तुओं के बिकने की सम्भावना–** क्रेता के बार–बार आते रहने से अन्य वस्तुओं पर क्रेता की दृष्टि पड़ती है और उन्हें बार–बार देखे जाने के कारण उनकी बिक्री की सम्भावना भी बढ़ जाती है।

(स) अन्य लाभ–

1. **उत्पत्ति बढ़ना–** इस पद्धति के अन्तर्गत बिक्री बढ़ती है, यह अभी समझाया जा चुका है। बिक्री बढ़ने से माल की मांग बढ़ती है। बढ़ी हुई मांग पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से देश को बहुत–से लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे–रोजगार का बढ़ना, यातायात के साधनों का बढ़ना, उत्पादित वस्तु का मूल्य कम होना, आदि।
2. **समाज के मध्यम वर्ग को धन्धे की सुविधा–** समाज के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह प्रणाली इसलिए लाभदायक है कि इसके द्वारा वे अपनी जीविका उपार्जन करने लिए किसी मशीन, आदि को क्रय कर सकते हैं जिसके द्वारा वे अपना कुछ धन्धा चला सकते हैं।
3. **देश का जीवन–स्तर ऊंचा प्रतीत होना–** इस पद्धति के द्वारा देशवासी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनका जीवन–स्तर अधिक ऊंचा उठता है।

किराया–क्रय पद्धति से हानिया

(अ) क्रेता को हानियां–

1. **अधिक मूल्य दिया जाना–** क्रेताओं को उस मूल्य से अधिक मूल्य इस पद्धति में देना पड़ता है जो उन्हें वस्तु से नकद क्रय करने में देना पड़ता है। अतः क्रेताओं पर अधिक भार पड़ता है।
2. **वस्तु छिन जाने का डर–** यदि परिस्थितिवश क्रेता द्वारा किसी वस्तु का भुगतान रूक जाता है तो विक्रेता द्वारा माल वापस लिया जा सकता है।
3. **आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के क्रय करने का लालच होना–** इस पद्धति के कारण क्रेता बहुधा आवश्यकता से अधिक वस्तुएं क्रय कर लेते हैं जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि उनकी किस्त का भुगतान करने के लिए इन्हें बहुत अधिक मितव्ययिता करनी पड़ती हैं, यहां तक कि वे कभी–कभी बहुत आवश्यक वस्तुओं को भी क्रय नहीं कर पाते है जिनके अभाव में उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है।
4. **वस्तुओं को बेचने तथा गिरवीं रखने का अधिकार न होना–** जब तक अन्तिम किस्त का भुगतान न हो जाय, क्रेता न तो इस वस्तु को बेच सकता है और न गिरवी रख सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो इससे सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

(ब) विक्रेता को हानियां–

1. **अधिक पूंजी की आवश्यकता होना–** इस पद्धति के अनुसार माल बेचने के लिए विक्रेताओं को बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकत पड़ती है जो कि बहुत–से विक्रेताओं के लिए सम्भव नहीं है।
2. **माल के वापस होने में कठिनाई होना–** किसी भी किस्त के भुगतान न होने पर यह कहना आसान है कि विक्रेता माल वापस ले सकता है, परन्तु वास्तव में उसे क्रियात्मक रूप देना अत्यन्त कठिन है, और ऐसा करने में बेकार की मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है।
3. **माल की कीमत वसूल करने में कठिनाई–** माल की कीमत वसूल करने में विक्रेताओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
4. **माल के ह्रास की क्षति को सहन करना–** जब किसी किस्त के भुगतान न होने पर विक्रेता अपने माल को क्रेता से वापस लेता है तो इसके प्रयोग द्वारा, जो इसमें ह्रास हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति उसे नहीं हो पाती है।
5. **लेखाकर्म पर अधिक व्यय होना–** जो भी विक्रेता इस पद्धति को अपनाते हैं उनकी लेखाकर्म की प्रविष्टियां बढ़ जाती हैं और उन्हें पत्र–व्यवहार में बहुत–सा रूपया खर्च करना पड़ता है।

(स) अन्य हानियां

1. **अत्यन्त क्रय की स्थिति होना–** यह एक साधारण नियम है कि अत्यधिक क्रय की स्थिति सदैव हानिकारक होती है। जिस देश में यह पद्धति प्रगति पर होती है उसमें उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक क्रय किये जाते हैं जो देश के लिए अन्त में हानिप्रद होते हैं।

2.3 किराया–क्रय पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल करना

2.3.1 **ब्याज की गणना व लेखा–** ब्याज निकालने के सम्बन्ध में निम्नाकिंत नियमों को ध्यान में रखना चाहिए:–

1. **किस्त के भुगतान का समय –** दी हुई ब्याज की दर से उसी अवधि का ब्याज निकाला जायेगा जिसमे किस्तों का भुगतान किया जाता है। जैसे यदि किस्तो का भुगतान तिमाही किया जाता है तो ब्याज तीन माह का निकाला जायेगा, यदि किस्तों का भुगतान छमाही किया जाता है तो ब्याज छः महिने का निकाला जायेगा, तथा यदि किस्तो का भुगतान वार्षिक किया जाता है तो ब्याज वर्ष भर का निकाला जायेगा, आदि।
2. **किस राशि पर ब्याज निकाला जाय–**

   (अ) यदि किराया क्रय प्रसंविदा के समय क्रेता ने प्रथम किस्त की राशि विक्रेता को दी हैं, तो सम्पत्ति के नकद मूल्य मे इस राशि को घटाने के बाद शेष राशि पर, द्वितीय किस्त के देय तिथि पर ब्याज निकाला जायेगा।

   (ब) यदि किराया क्रय प्रसंविदा के समय क्रेता ने प्रथम किस्त की राशि विक्रेता को दी है तो सम्पत्ति के नकद मूल्य प्रथम किस्त की देय तिथि पर ब्याज निकाला जायेगा।

   (स) अन्य किस्तों की राशियों में ब्याज की राशि निकालने के लिये सम्पत्ति के शेष मूल्य का आशय उस मूल्य से है जो कि सम्पत्ति के नकद मूल्य मे से पहले की दी हुई किस्तों में सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल्य को घटाने के बाद आता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्ण किस्त

की राशि नही घटायी जाती हैं। वरन् इस राशि में उस अवधि का ब्याज घटाकर बचने वाली राशि ही घटायी जाती है यदि किस्त में ब्याज की राशि शामिल रहती हैं।

(द) जब अन्तिम किस्त (जिसमे ब्याज भी शामिल है) देय हो तब किस्त की राशि में से सम्पत्ति के नकद मूल्य की उस राशि को घटा देना चाहिए जो किस्त की देय तिथि के भुगतान होने से बच गयी हो। इस प्रकार घटाने से जो राशि बचेगी वही ब्याज की राशि होगीं।

3. यदि प्रश्न ब्याज निकालने के सम्बन्ध में कोई अन्य सूचनाएं दी हुई हों तो ब्याज उन्ही सूचनाओ के अनुसार निकाला जाता है और उपर्युक्त वर्णित विधि को ध्यान में नही लाया जायेगा।

4. **ब्याज लेखा–** जब किस्त देय होती है उस समय किस्त में जितनी राशि ब्याज की होती है उससे ब्याज खाता डेबिट और विक्रेता का खाता क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के अन्त मे ब्याज खाते की राशि को लाभ–हानि खाते मे हस्तान्तरित करके ब्याज खाता बन्द कर दिया जाता है परन्तु यदि प्रश्न में ब्याज का लाभ–हानि खाते मे हस्तान्तरण किसी अन्य विधि (तिमाही या छमाही आदि) के बाद किये जाने की सूचना हो तो इसका हस्तान्तरण उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।

(i) Interest A/c Dr.
To Hire- Vendor's A/c
(Being the amount of interest due)

इस लेखे के पीछे अन्य किस्तों का लेखा के साथ दिखाया गया है।

(ii) Profit and loss A/c Dr.
To Interest A/c
(Being balance of interest A/c transferred to profit and loss A/c)

अधिक मूल्य की वस्तुओ के सम्बन्ध में लेखांकन अभिलेख –

इस पद्धति के सम्बन्ध में लेखा करना माल की प्रकृति पर निर्भर है। लेखपालकों ने इसके लेखें करते समय एकरूपता नहीं अपनायी हैं। वर्तमान काल में क्रेता की पुस्तको में निम्नाकिंत दो विधियो से लेखे किये जाते है। (1) प्रथम विधि–सम्पत्ति अर्जित विधि (2) द्वितीय विधि – उधार क्रय विधि ।

2.3.2 किराया–क्रय क्रेता की पुस्तको में लेखें–

यदि विधि उन किराया–क्रय क्रेताओं द्वारा अपनायी जाती हैं। तो यह समझते है कि वे क्रय की हुई सम्पत्ति के केवल उतने भाग के मालिक बनते जाते हैं। अतः वे सम्पत्ति के खाते को प्रति वर्ष उतनी ही राशि से डेबिट करते हैं। जितना वे इसके लिए देते है। ऐसा करना वे इसलिए उचित समझते हैं क्योकि किराया–क्रय पद्वति में स्वामित्व अन्तिम किस्त के भुगतान के बाद ही प्राप्त होता हैं।

इस विधि के अनुसार क्रेता की पुस्तको में निम्नलिखित लेखे किये जाते हैं।

(1) प्रसंविदे के समय दी जाने वाली नकद किस्त में लेखा – यदि किराया क्रय प्रसंविदा के क्रेता द्वारा कोई किस्त दी गयी है तो उस तिथि पर निम्नाकिंत लेखा किया जायेगा।

Assets A/c Dr.

To Cash A/c

(Being payment of amount on signing of agreement)

(2) अन्य किस्तो का लेखा – उपर्युक्त लेखे के बाद (यदि कोई इस प्रकार का लेखा हो क्योकि यदि प्रसंविदे के समय क्रेता द्वारा कोई नकद किस्त नही दी जायेगी, तो उपर्युक्त लेखा नही किया जायेगा) अगली किस्त पर दी जाने वाली राशि को दो भागो मे बांटा जायेगा (अ) सम्पत्ति की राशि (ब) ब्याज की राशि।

यह बंटवारा इसलिए किया जाता है क्योकि वर्ष के अन्त में या अन्य किसी अवधि के अन्त में किस्त की जो राशि किराया क्रय क्रेता देता है उसमे सम्पत्ति का मूल्य एवं ब्याज दोनो शामिल होते है। सम्पत्ति का मूल्य पूंजीगत ब्यय हैं। और ब्याज आयगत व्यय यही कारण है कि पूँजीगत व्यय और आयगत व्ययो को अलग–अलग करने के लिए किस्त की राशि को सम्पत्ति की राशि और ब्याज की राशि में बांटा जाता हैं।

(1) इसका लेखा इस प्रकार किया जायेगा–

Assets A/c Dr.

Interest A/c Dr.

To Hire vendor's A/c

(Being the instalment falling due)

(2) इस राशि के भुगतान का लेखा – उपर्युक्त राशि के भुगतान का निम्नाकिंत लेखा किया जाता हैं।

Hire – Vendor's A/c Dr.

To Cash A/c

(Being Payment of Instalment)

(3) सामान्य नियम – जिस प्रकार के लेखे उपर्युक्त (2) शीर्षक के (1) और (2) भाग मे किये गये हैं उसी प्रकार के लेखे सभी किस्तो के लिए किये जाते हैं।

(4) ह्रास का लेखा – किराया –क्रय पद्वति के अन्तर्गत क्रय की हुई सम्पत्ति पर हास काटने के सम्बन्ध में निम्नांकित विचारधारा हैं

(अ) ह्रास का काटना – कुछ लोगों का विचार है कि चूंकि किराया –क्रय पद्धति के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रय की जाती है। उसका क्रेता अन्तिम भुगतान की तिथि तक मालिक नहीं बनता है तथा हो सकता है कि किस्तों का भुगतान की तिथि तक मालिक नहीं बनता है तथा हो सकता है कि किस्तों का भुगतान न करने पर यह सम्पत्ति उसे वापस करनी पड़े इसलिए उसे ह्रास का प्रबन्ध नहीं करना चाहिए साथ ही इस बारे में उसकी स्थिति एक किरायेदार की है और एक किरायेदार के लिए हास का लेखा करना उचित नहीं हैं । वास्तव में हास का लेखा तो सम्पत्ति के स्वामी द्वारा ही किया जाना चाहिए ।

(ब) ह्रास काटना –उपर्युक्त तर्क यद्यपि प्रभावशाली प्रतीत होता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि जिस समय क्रेता सम्पति का स्वामित्व प्राप्त करेगा, उस समय सम्पत्ति का यदि मूल्यांकन किया जाय, तो वह मूल्य इनके नकद मूल्य के बराबर नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण यह हैं कि सम्पत्ति के प्रयोग में आने के कारण ह्रास हो गया है। इसलिए ह्रास का प्रबन्ध करना आवश्यक हैं। जहां तक एक किरायेदार के तर्क का सम्बन्ध है, इस प्रसंविदे के अन्तर्गत सैद्धान्तिक रूप से क्रेता किरायेदार हो सकता है, परन्तु व्यावहारिक

दृष्टिकोण से प्रत्येक क्रेता सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए ही सम्पत्ति क्रय करता है तथा किस्तों में भुगतान करना स्वामित्व प्राप्त करने की केवल एक विधि है। और इस विधि को इतना महत्व देना कि एक क्रेता को किरायेदार की संज्ञा दे दी जाय , उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार इस पद्धति में ह्रास का लेखा करना उचित है और ऐसा होता भी है। ह्रास का लेखा करने के सम्बन्ध में निम्नांकित विवरण महत्वपूर्ण है :

(अ) हास का समय – इस पद्धति के अन्तर्गत क्रेता की पुस्तकों में **ह्रास का लेखा उसके वित्तीय वर्ष के समाप्त होने वाली अन्तिम तारीख पर किया जाना चाहिए जब तक कि कोई अन्य सूचना प्रश्न में न दी हुई हो । इसके लेखे के समय का किस्तों के भुगतान के समय से कोई सम्बन्ध नहीं है। किस्तें मासिक , तिमाही , छमाही , आदि हो सकती हैं, परन्तु ह्रास का लेखा वार्षिक ही किया जाता है। ह्रास के लिए क्रेता**

वित्तीय वर्ष के अन्त में ह्रास खाता डेबिट और सम्पत्ति खाता क्रेडिट किया जाता है।

Depreciation A/c ... ...Dr.
To Assets A/c
(Being Depreciation made at .....% on र...)

(ब) ह्रास खाता एंव ब्याज खाता बन्द करना – हास खाते एंव ब्याज खाते को बन्द करने के लिए लाभ हानि खाता डेविट और ह्रास खाता एंव ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है।

Profit and Loss A/c ... ...Dr.
To Depreciation A/c
(Being the balance of Depreciation and Interest transferred to P.and L.A/c)

(अ) ह्रास की विधि – हास निकालने की बहुत सी विधियां हैं और उनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु इस पद्धति में क्रमागत हास विधि (Diminishing Balance Method) अधिक उपयुक्त है। इस विधि के अनुसार प्रथम वर्ष में नकद सम्पत्ति पर हास निकाला जाता है और अगले वर्ष सम्पत्ति के मूल्य से ह्रास का मूल्य घटाने के बाद शेष राशि पर हास निकाला जाता है। इसी प्रकार अगले वर्षो में भी किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार हास की रकम प्रति वर्ष कम होती जाती है। इस प्रचलित पद्धति के अतिरिक्त कभी–कभी अन्य पद्धतियां भी प्रयोग में लायी जाती हैं : जैसे ,स्थायी प्रभाग विधि एंव वार्षिकी विधि ।

द्वितीय विधि –उधार क्रय विधि (Credit Purchase Method)

किराया –क्रय क्रेता की पुस्तकों में लेखें

यह विधि उन किराया –क्रय क्रेताओं द्वारा अपनायी जाती है जो समझते हैं कि यद्यपि यह सौदा किराया –क्रय का हैं और सम्पति खाते को क्रय के दिन ही इसके सम्पूर्ण नकद मूल्य से डेबिट कर देते हैं। चूंकि इस विधि में सम्पत्ति खाते को क्रेता की पुस्तकों में अनुबन्ध के समय ही इसके सम्पूर्ण रोकड़ मूल्य (Total Cash Price) से डेबिट किया जाता है। अतः इस विधि को **सम्पूर्ण नकद मूल्य**

विधि भी कहा जाता है। इस विधि को यहां समझाया गया है। निम्नांकित लेखे इस विधि के अनुसार क्रेता की पुस्तकों में किये जाते है :

(1) **सम्पत्ति के नकद–मूल्य का लिखना** – किराया –क्रय प्रसंविदा के समय क्रय की हुई सम्पत्ति को रोकड़ मूल्य से डेबिट किया जाता है और विक्रेता खाता क्रेडिट किया जाता है :

Assets A/c ... ...Dr.
To Hire-Vendor A/c
(Being the Purchases of Assets on Hire-purchase System)

(2) **प्रसंविदा के समय भुगतान का लेखा** – यदि किराया –क्रय प्रसंविदा के समय क्रेता द्वारा कोई राशि नकद दी गयी है। तो इस विधि पर निम्नांकित लेखा किया जायेगा :

Hire Vendor'sA/c ... ...Dr.
To Case A/c
(Being Payment of Instalement made)

(3) **ब्याज का लेखा** – ब्याज की राशि उन्हीं नियमों के अनुसार निकाली जाती है। जिन्हें प्रथम विधि में समझाया जा चुका है। इसका लेखा करने के लिए ब्याज खाता डेबिट किया जाता है और विक्रेता खाता क्रेडिट किया जाता है।

Interest A/c ... ...Dr.
To Hire-Vendor's A/c
(Being Interest becoming due)

(4) **किस्त भुगतान का लेखा** – पूरी किस्त की राशि से विक्रेता खाते को डेबिट किया जाता है। और रोकड़ खाते को क्रेड़िट किया जाता है।

Hire Vendor'sA/c ... ...Dr.
To Case A/c
(Being Payment of Instalment)

(5) **अन्य किस्तों के लेखे** – अन्य किस्तों के लेखे उसी प्रकार किये जायेगें जिस प्रकार के लेखे उक्त (3) व (4) शीषकों के अन्तर्गत किये गये हैं।

(6) **हास का लेखा** – वर्ष के अन्त में हास की राशि उसी प्रकार निकाली जायेगी जिस प्रकार कि प्रथम विधि में निकाली जाती है और इसका लेखा करने के लिए हास खाता डेबिट किया जाता है। तथा सम्पत्ति खाता क्रेड़िट किया जाता है।

Depreciation A/c ... ...Dr.
To Asset A/c
(Being depreciation on .....)

(7) **ब्याज का लाभ –हानि खाते में हस्तान्तरण** – वर्ष के अन्त में ब्याज की राशि को लाभ –हानि खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

Profit and Loss A/c ... ...Dr.
To Interest A/c
(Being interest transferred to Porfit and Loss A/c)

(8) **ह्रास की राशि का लाभ –हानि खाते में हस्तान्तरण** – ह्रास की राशि को वर्ष के अन्त में लाभ–हानि खाते में हस्तान्तरण करने के लिए लाभ–हानि खाता डेविट और ह्रास खाता क्रेडिट किया जाता है।

Profit and Loss A/c ... ...Dr.

To Depreciation A/c

(Being the amount of depreciation transferred to and L.A/c)

(7) और (8) में वर्णित जर्नल लेखों के स्थान पर एक संयुक्त जर्नल लेखा किया जा सकता है।

Profit and Loss A/c ... ...Dr.

To Interest A/c

To Depreciation A/c

(Being the amount of interest and depreciation transferred)

द्वितीय पद्वति का आलोचनात्मक अध्ययन – इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि सम्पत्ति खाते को इसके रोकड़ मूल्य से प्रारम्भ में ही डेविट कर दिया जाता है, जबकि क्रेता को सम्पत्ति का स्वामित्व उस समय प्राप्त नहीं होता है। अतः यह पद्धति न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं। परन्तु इसमें एक लाभ यह हैं कि क्रेता की पुस्तकों से विक्रेता के खाते तथा विक्रेता की पुस्तकों से क्रेता के खाते का मिलान आसानी से किया जा सकता है।

नोट – विद्यार्थियों को इसी विधि द्वारा सवाल हल करना चाहिए क्योंकि यह सरल एंव आसान है।

खाते का नमूनाः–

Books of Buyer

Assets Account

(यह Real A/cहै अतः आने पर Dr.एवं जाने पर Cr. होगा)

To Vendor's A/c (क्रय करने पर)	Full Value	By Depreciation A/c By Balance c/d	
To Balance b/d			

Vendor Account

(यह दायित्व है अतः क्रय करने पर **Cr.** एवं भुगतान करन पर **Dr.** होगा)

To Cash A/c (भुगतान करने पर) To Balance c/d	Full Value	By Asset A/c (क्रय करने पर) By Interest (ब्याज जोड़ने पर)	Full Value
		By Balance b/d	

2.3.3 किराया विक्रेता की पुस्तकों में लेखा

प्रथम एवं द्वितीय दोनो विधियों में विक्रेता की पुस्तकों में लेखे एक ही प्रकार से होते हैं। इनका वर्णन यहां किया गया हैं। विक्रेता अपनी पुस्तको में किराया–क्रय पद्धती के अन्तर्गत माल की बिक्री के लिये निम्नाकिंत लेखे करता हैं।

(1) बिक्री के नकद मूल्य का लेखा – बिक्री पाने वाले माल के नकद मूल्य से क्रेता खाता डेबिट और बिक्रय खाता क्रेडिट किया जाता हैं।

Hire- Purchasre's A/c ... ...Dr.
To Sales A/c
(Being cash price of the goods sold on hire-purchase system)

बिक्री खाते की बिक्री को वर्ष के अन्त में व्यापारिक खातें में हस्तान्तरित करने के लिए बिक्री खाता डेबिट और व्यापारिक खाता क्रेडिट किया जाता हैं।

Sales A/c ... ...Dr.
To Trading A/c
(Being transfer of balance of sales account to trading A/c)

(2) प्रसंविदा के समय नकद प्राप्ति का लेखा – जो रकम किराया–क्रय प्रसंविदा के अन्तर्गत माल की बिक्री करने से प्रसंविदा के समय प्राप्त होती हैं, उससे रोकड़ खाता डेबिट और क्रेता खाता क्रेडिट किया जाता है।

Cash or Bank A/c ... ...Dr.
To Hire – Purchaser's A/c
(Being the amount received on signing of the agreement)

(3) ब्याज का लेखा – किस्त की देय तिथि पर ब्याज की राशि से क्रेता खाता डेबिट और ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है। ब्याज की राशि उस विधि से निकाली जायेगी जिस विधि से क्रेता की पुस्तकों में लेखा करते समय निकाली जाती हैं। दोनों की पुस्तको में प्रति वर्ष ब्याज की राशि समान होगी।

Hire- Purchaser's A/c ... ...Dr.
To Interest A/c
(Being Interest due on unpaid balance)

(4) किस्त की देय तिथि पर प्राप्त राशि – किस्त की देय तिथि पर प्राप्त होने वाली राशि से रोकड़ खाता डेबिट और क्रेता खाता क्रेडिट किया जाता हैं।

Cash or Bank A/c ... ...Dr.
To Hire- Purchaser's A/c
(Being the amount of instalment received)

(5) अन्य किस्तो का लेखा – अन्य किस्तो के ब्याज व किस्त का लेखा उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि उक्त 3 और 4 शीर्षको के अन्तर्गत समझाया गया है।

(6) ब्याज की रकम का लाभ –हानि खाते में हस्तान्तरण – प्रत्येक वर्ष के अन्त में ब्याज खाते की रकम को लाभ–हानि खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा और प्रश्न में किसी अन्य अवधि के बाद ब्याज के लाभ –हानि खातें मे हस्तान्तरण की सूचना दी गयी हो तो उसी अवधि के बाद हस्तान्तरित किया जायेगा। इस प्रकार ब्याज खाता बन्द हो जायेगा। ब्याज खाता बन्द करने के लिये ब्याज खाता डेबिट और लाभ–हानि खाता क्रेडिट किया जाता हैं।

Interest A/c ... ...Dr.
To Profit and loss A/c
(Being transfer of balance of interest A/c to profit and loss A/c)

खाते का नमूना –

In the books of Hire-Vendor
Hire Purshaer's Account

To Hire Sales (बेचने पर) To Interest (ब्याज के लिए)	Full Value	By Depreciation (रकम पाने पर) By Balance c/d	
To Balance b/d			

2.3.4 उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

उदाहरण– 1

1. एक कोल मर्चेण्ट फर्म ने बैगनों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है। 6,000 रू0 सुपुर्दगी पर (1 जनवरी 2000) देना है तथा शेष 6,000 रू0 की ब्याज सहित वार्षिक किस्त के आधार पर प्रति 31 दिसम्बर को देना है। किराया–विक्रेता 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक शेषों पर ब्याज लगाता है। सुपुर्दगी के समय बैगनों का रोकड़ मूल्य 27300 रूपया है। ह्रास 10 प्रतिशत क्रमागत ह्रास मूल्य पर लगाना है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां करिए एवं किराया क्रेता तथा किराया–विक्रेता की पुस्तकों में खाते बनाइए। इसे दोनों विधियों से हल कीजिए।

   A firm of coal merchants purchased wagons on Hire-purchase system. Payment is to be made in a period of four years Rs. 6000 was payable on delivery (1st January 2000) and the balance by annual instalment of Rs. 6000 each on 31st December. The hire-vendor charged 5 percent per annum interest on the yearly balances. The cash price of the wagons on delivery was Rs. 27300. Depreciation at 10 percent on the diminishing balance was charged each year. Pass the necessary journal entries in the books of both the parties. Write up the accounts in the hire purchaser's book and hire vendor's book. Solve it by both the methods.

हल – **1**

प्रथम विधि (First Method) सम्पत्ति अर्जित विधि (Assets Accured Method)

Calculation of Interest

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
27300 6000		6000 I Instalment -1065 for Interest
21300 4935	$\frac{21300 \times 5}{100} = 1065$	4935 for Wagons 6000 II Instalment
16365 5182	$\frac{16365 \times 5}{100} = 818$	-818 for Interest 5182 for Wagons
11183 5441	$\frac{11183 \times 5}{100} = 559$	6000 III Instalment -559 for Interest
5742	6000 – 5742 = 258	5441 for Wagons 6000 IV Instalment

		-258 for Interest 5742 for Wagons

Journal Entries in the books of Hire Purchaser

Date	Particular	L.F.	Amount Dr	Amount Cr
2000 Jan. 1	Wagons A/c Dr. To Cash account (Being payment of cash on transaction Date)		6000	 6000
Dec. 31	Wagons A/c Dr. Interest A/c Dr. To Hire Vendor's A/c (Being the instalment becoming due)		4935 1065	 6000
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment of Ist Instalment)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		2730	 2730
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		3795	 1065 2730
2001 Dec. 31	Wagons A/c Dr. Interest A/c Dr. To Hire Vendor's A/c (Being the instalment becoming due)		5182 818	 6000
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment of IInd Instalment)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		2457	 2457
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		3275	 2457 818
2002 Dec. 31	Wagons A/c Dr. Interest A/c Dr. To Hire Vendor's A/c (Being the instalment becoming due)		5441 559	 6000
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment of IIIrd Instalment)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		2211	 2211
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		2770	 2211 559

2003 Dec. 31	Wagons A/c Dr. Interest A/c Dr. To Hire Vendor's A/c (Being the instalment becoming due)		5742 258	 6000
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment of IVth Instalment)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		1990	 1990
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		2248	 1990 258

Wagons Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000 Jan.1 Dec.31	 To Cash Account Hire vendor's A/c	 6000 4,935 10,935	2000 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 2,730 8,205 10,935
2001 Jan.1 Dec.31	 To Balance b/d Hire vendor's A/c	 8,205 5,182 13,387	2001 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 2,457 10,930 13,387
2002 Jan.1 Dec.31	 To Balance b/d Hire vendor's A/c	 10,930 5,441 16,371	2002 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 2,211 14,160 16,371
2003 Jan.1 Dec.31	 To Balance b/d Hire vendor's A/c	 14,160 5,742 19,902	2003 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 1,990 17,912 19,902

Hire Vendor's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000 Dec.31	 To Cash Account	 6000 6,000	2000 Dec.31 Dec.31	 By Wagons Account By Interest Account	 4,935 1,065 6,000
2001 Dec.31	 To Cash Account	 6000 6,000	2001 Dec.31 Dec.31	 By Wagons Account By Interest Account	 5,182 818 6,000

2002 Dec.31	To Cash Account	6000 6,000	2002 Dec.31 Dec.31	By Wagons Account By Interest Account	5441 559 6,000
2003 Dec.31	To Cash Account	6000 6,000	2003 Dec.31 Dec.31	By Wagons Account By Interest Account	5742 258 6,000

Interest Account

2000 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	1065	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	1065
2001 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	818	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	818
2002 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	559	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	559
2003 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	258	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	258

Depreciation Account

2000 Dec 31	To Wagons A/c	2730	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2730
2001 Dec 31	To Wagons A/c	2457	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2457
2002 Dec 31	To Wagons A/c	2211	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2211
2003 Dec 31	To Wagons A/c	1990	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	1990

द्वितीय विधि– **IInd Method Account** उधार क्रय विधि **Credit Purchase Method**

Date	Particular	L.F.	Amount Dr	Amount Cr
2000 Jan. 1	Wagons A/c Dr. To Hire Vendor's A/c (Being Purchase of Wagons on hire purchase system)		27,300	27,300
Jan. 1	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash A/c (Being payment made on agreement date)		6000	6000
Dec. 31	Interest A/c Dr. To Hire Vendor's account (Being interest becoming due)		1065	1065
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash A/c (Being payment made)		6000	6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr.		2730	

	To Wagons A/c (Being depreciation made)			2730
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		3795	 1065 2730
2001 Dec. 31	Interest A/c Dr. To Hire Vendor's account (Being interest becoming due)		 818	 818
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash A/c (Being payment made)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		2457	 2457
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		3275	 818 2457
2002 Dec. 31	Interest A/c Dr. To Hire Vendor's account (Being interest becoming due)		 559	 559
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash A/c (Being payment made)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		2211	 2211
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		2770	 559 2211
2003 Dec. 31	Interest A/c Dr. To Hire Vendor's account (Being interest becoming due)		 218	 218
Dec. 31	Hire Vendor's A/c Dr. To Cash A/c (Being payment made)		6000	 6000
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		1990	 1990
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		2208	 218 1990

Wagons Account

Date	Particular	Amou	Date	Particular	Amount

		nt			
2000			2000		
Jan.1	To Hire vendor's A/c	27300	Dec 31	By Depreciation Account	2,730
			Dec 31	By Balance c/d	24570
		27300			27300
2001			2001		
Jan.1	To Balance b/d	24570	Dec.31	By Depreciation Account	2,457
			Dec.31	By Balance c/d	22113
		24570			24570
2002			2002		
Jan.1	To Balance b/d	22113	Dec.31	By Depreciation Account	2211
			Dec.31	By Balance c/d	19902
		22113			22113
2003			2003		
Jan.1	To Balance b/d	19902	Dec.31	By Depreciation Account	1990
			Dec.31	By Balance c/d	17912
		19902			19902

Interest Account

2000 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	1065	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	1065
2001 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	818	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	818
2002 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	559	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	559
2003 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	258	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	258

Depreciation Account

2000 Dec 31	To Wagons A/c	2730	2000 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2730
2001 Dec 31	To Wagons A/c	2457	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2457
2002 Dec 31	To Wagons A/c	2211	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2211
2003 Dec 31	To Wagons A/c	1990	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	1990

Hire Vendor's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000			2000		
Jan. 1	To Cash Account	6000	Jan .1	By Wagons Account	2730
Dec. 31	To Cash Account	6000	Dec.31	By Interest Account	1,065
Dec. 31	To Balance c/d	16365			
		28365			28365
2001			2001		
Dec.31	To Cash Account	6000	Jan. 1	By Balance b/d	16365

Dec. 31	To Balance c/d	11183 17183	Dec.31	By Interest Account	818 17183
2002 Dec.31 Dec. 31	 To Cash Account To Balance c/d	 6000 5742 11742	2002 Jan. 1 Dec.31	 By Balance b/d By Interest Account	 11183 559 11742
2003 Dec.31	 To Cash Account	 6000 6000	2003 Jan. 1 Dec.31	 By Balance b/d By Interest Account	 5742 258 6000

Journal Entries in the books of Hire Vendor

Date	Particular	L. F.	Amount Dr	Amount Cr
2000 Jan. 1	Hire purchare's A/c Dr. To Hire sales A/c (Being cash price of wagons sold on hire purchase)		27,300	27,300
Jan. 1	Cash A/c Dr. To Hire purchaser's A/c (Being amount receive on signing of agreement)		6000	6000
Dec. 31	Hire purchaser's A/c Dr. To Interest A/c (Being interest becoming due)		1065	1065
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Hire purchaser's A/c (Being instalment received)		6000	6000
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)		1065	1065
Dec. 31	Hire sales A/c Dr. To Trading A/c (Being the balance of sales transferred to trading account)		27300	27300
2001 Dec. 31	Hire purchaser's A/c Dr. To Interest A/c (Being interest becoming due)		818	818
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Hire purchaser's A/c (Being instalment received)		6000	6000
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)		818	818
2002				

Dec. 31	Hire purchaser's A/c Dr. To Interest A/c (Being interest becoming due)			559	559
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Hire purchaser's A/c (Being instalment received)			6000	6000
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)			559	559
2003 Dec. 31	Hire purchaser's A/c Dr. To Interest A/c (Being interest becoming due)			258	258
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Hire purchaser's A/c (Being instalment received)			6000	6000
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)			258	258

Hire Purchaser's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000 Jan. 1 Dec. 31	 To Hire Sales Account To Interest Account	 27300 1065 28365	2000 Jan .1 Dec.31 Dec.31	 By Cash Account By Cash Account By Balance c/d	 6000 6000 16365 28365
2001 Jan.1 Dec. 31	 To Balance b/d To Interest A/c	 16365 818 17183	2001 Dec. 31 Dec.31	 By Cash A/c By Balance c/d	 6000 11183 17183
2002 Jan.1 Dec. 31	 To Balance b/d To Interest A/c	 11183 559 11742	2002 Dec. 31 Dec.31	 By Cash A/c By Balance c/d	 6000 5742 11742
2003 Jan.1 Dec. 31	 To Balance b/d To Interest A/c	 5742 258 6000	2003 Dec. 31	 By Cash A/c	 6000 6000

Interest Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000 Dec. 31	 To Profit and Loss A/c	 1065 1065	2000 Dec.31	 By Hire purchaser's A/c	 1065 1065
2001 Dec. 31	 To Profit and Loss A/c	 818 818	2001 Dec.31	 By Hire purchaser's A/c	 818 818

2002 Dec. 31	To Profit and Loss A/c	559 559	2002 Dec.31	By Hire purchaser's A/c	559 559
2003 Dec. 31	To Profit and Loss A/c	258 258	2003 Dec.31	By Hire purchaser's A/c	258 258

Hire Sales Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2000 Dec. 31	To Trading A/c	27300 27300	2000 Jan .1	By Hire purchaser's A/c	27300 27300

उदाहरण– 2

कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने किराया–क्रय पद्धति पर 1 जनवरी, 2001 को अशोका ऑटोमोबाइल्स से एक ट्रक खरीदा। ट्रक की नकद कीमत 3,20,000 रू0 थी जिसका भुगतान निम्न प्रकार से करना था:

Calcutta Transport Company purchased Truck from Ashoka Automobiles on 1st January, 2001 on hire-purchase system. The cash price of the truck was Rs. 3,20,000 which was payable as under:

	Rs.
1-1-2001	1,00,000
31-12-2001	80,000
31-12-2002	80,000
31-12-2003	82,478

अशोका ऑटोमोबाइल्स 5 प्रतिशत वार्षिक दर से अवशेष रकम पर ब्याज लेता है। क्रेता कम्पनी ने 20 प्रतिशत लागत मूल्य पर प्रति वर्ष ह्रास अपलिखित करना तय किया। तीन वर्षों के लिए कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कम्पनी के आवश्यक लेजर खाते तैयार कीजिए। ब्याज, ह्रास तथा किस्त राशि की गणना भी मालिक के द्वारा दिखलाइए।

Ashoka Automobiles charged interest @5% per annum on the unpaid amount. The purchasing company decided to write off depreiation @20% of the cost of price each year. You are required to give the necessary ledger account in the books of Calcutta Transport Company for three years. Also show the calculation of interest, depreciation and the instalment.

हल- 2

Calculation of Interest

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
3,20,000 -1,00,000 2,20,000	$\frac{2,20,000 \times 5}{100}$ = 11000	80,000 I Instalment -11,000 for Interest 69,000 for Truck

2,20,000 69,000 1,51,000	1,51,000 x 5 / 100 = 7,550	80,000 II Instalment -7,550 for Interest 72,450 for Truck
1,51,000 72,450	82,478 – 78,550 = 3,928	82,478 III Instalment -3,928for Interest 78,550 for Truck
78,550		

In the books of Hire Purchaser (Calcutta Transport Co.)

Trucks Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan.1	To Hire vendor's (Ashoka Automobiles) A/c	3,20,000 3,20,000	2001 Dec 31 Dec 31	By Depreciation Account By Balance C/d	64,000 2,56,000 3,20,000
2002 Jan.1	To Balance b/d	2,56,000 2,56,000	2002 Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance C/d	64,000 1,92,000 2,56,000
2003 Jan.1	To Balance b/d	1,92,000 1,92,000	2003 Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance C/d	64,000 1,28,000 1,92,000

Depreciation Account

2001 Dec 31	To Trucks A/c	64,000	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	64,000
2002 Dec 31	To Trucks A/c	64,000	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	64,000
2003 Dec 31	To Trucks A/c	64,000	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	64,000

Interest Account

2001 Dec 31	To Ashoka Automobiles A/c	11,000	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	11,000
2002 Dec 31	To Ashoka Automobiles A/c	7,550	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	7,550
2003 Dec 31	To Ashoka Automobiles A/c	3,928	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	3,928

Hire Vendor's Account (Ashoka Automobiles)

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan.1 Dec. 31 Dec. 31	 To Cash Account To Cash A/c To Balance c/d	 1,00,000 80,000 1,51,000	2001 Dec.31 Dec.31	 By Truck Account By Interest Account	 3,20,000 11,000

		3,31,000			3,31,000
2002 Dec.31 Dec. 31	To Cash Account To Balance c/d	80,000 78,550 1,58,550	2002 Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	1,51,000 7,550 1,58,550
2003 Dec.31	To Cash Account	82,478 82,478	2003 Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	78,550 3.928 82,478

उदाहरण – 3

1 जनवरी, 2001 को दि जिन्दल ट्रेडर्स लि0 ने एक ट्रक सुपुर्दगी हिन्द मोटर्स लि0 से किराया–क्रय पद्धति के आधार पर प्राप्त की। इसका मूल्य 60,000 रू0 की तीन समान किस्तों में 31 दिसम्बर, 2001, 2002, 2003 को चुकाया जाता है। सुपुर्दगी के समय ट्रक का क्रय मूल्य 1,63,400 रू0 था। विक्रेता वार्षिक शेष पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाता है। क्रेता प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को क्रमागत ह्रास पद्धति पर ह्रास के लिए 25 प्रतिशत अपलिखित करता है। क्रेता की पुस्तकों में आवश्यक खातें बनाइए।

On 1st January, 2001 the Jindal Traders Ltd. took delivery of one Truck from Hind Motors Ltd. on Hire-Purchase Agreement, payable in three equal instalments of Rs. 60,000 each on 31st December, 2001, 2002, 2003. The cash value of the truck on delivery was 1,63,400. Vendor charges interest at 5% per annum on the yearly balances. The purchaser wrote off 25 percent on the diminishing value as depreciation for each year to 31st December. Prepare necessary accounts in the books of purchaser.

हल- 3

Calculation of Interest

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
1,63,400 -51,830	1,63,400x5 / 100 = 8,170	60,000 I Instalment -8,170 for Interest 51,830 for Truck
1,11,570 54,422	1,11,570 x 5 / 100 = 5,578	60,000 II Instalment -5,578 for Interest 54,422 for Truck
57,148	60,000 – 57,148=2,852	60,000 III Instalment -2,852 Interest 57,148 for Truck

In the books of Hire Purchaser (Jindal Traders Ltd.)

Trucks Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan.1	To Hire vendor's A/c	1,63,400 163400	2001 Dec 31 Dec 31	By Depreciation Account By Balance c/d	40,850 122550 163400
2002 Jan.1	To Balance b/d	122550 122550	2002 Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance c/d	30638 91912 122550
2003 Jan.1	To Balance b/d	91912 91912	2003 Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance c/d	22978 68934 91912

Depreciation Account

2001 Dec 31	To Trucks A/c	40850	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	40850
2002 Dec 31	To Trucks A/c	30638	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	30638
2003 Dec 31	To Trucks A/c	22978	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	22978

Interest Account

2001 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	8170	2001 Dec 31	By Profit and Loss A/c	8170
2002 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	5578	2002 Dec 31	By Profit and Loss A/c	5578
2003 Dec 31	To Hire Vendor's A/c	2852	2003 Dec 31	By Profit and Loss A/c	2852

Hire Vendor's (Hind Motors) Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan.1 Dec. 31	To Cash Account To Balance c/d	60,000 1,11,570 1,71,570	2001 Dec.31 Dec.31	By Truck Account By Interest Account	1,63,400 8,170 1,71,570
2002 Dec.31 Dec. 31	To Cash Account To Balance c/d	60,000 57,148 1,17,148	2002 Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	1,11,570 5,578 1,17,148
2003 Dec.31	To Cash Account	60,000 60,000	2003 Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	57,148 2,852 60,000

विक्रेता द्वारा निःशुल्क मरम्मत प्रावधान (Free Repair by Hire Vendor)

किराया क्रय व्यवस्था के अन्तर्गत माल की बिक्री बढ़ाने हेतु किराया विक्रेता बेचे गये माल की एक निश्चित अवधि तक के लिए निःशुल्क मरम्मत का आश्वासन देता है। किराया क्रेता यह मानकर चलता है कि उसे यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो रही है जबकि व्यवहार में किराया क्रेता इन सुविधाओं के लिए अनुमानित लागत को विक्रय मूल्य में जोड़ लेता है। बिक्री की पूरी धनराशि को किराया बिक्री खाते (Hire Sales Account) में क्रेडिट कर दिया जाता है। वर्ष के अन्त में मरम्मत सम्बन्धी अनुमानित व्यय मरम्मत उचन्त खाते (Maintenance suspense Account) में अन्तरित कर दिया जाता है। किराया विक्रेता की पुस्तकों में निम्नलिखित लेखे किये जाते हैं।

1. जब विक्रेता किराया क्रेता को सम्पत्ति (माल) की बिक्री करता है।

    Hire Purchaser A/c Dr.
    To Hire Sales A/c

2. विक्रेता पिछले अनुभव के आधार पर सम्पत्ति का कुल मरम्मत व्यय को मरम्मत उचन्त खाते में अन्तरित करता है।

    Hire Sales A/c Dr.
    To Maintenance suspense A/c

3. विक्रेता द्वारा वर्ष के अन्त तक मरम्मत पर किया गया वास्तविक व्यय।

    Maintenance surpense A/c Dr.
    To Bank A/c

4. यदि मरम्मत पर किया गया व्यय अनुमानित व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है।

    Profit and Loss A/c Dr.
    To Maintenance Surpense A/c

यदि वास्तविक मरम्मत व्यय अनुमानित व्यय से कम होता है इस व्यय के आधिक्य को लाभ–हानि खाते में वापस अन्तरित नहीं किया जाता क्योंकि यह सम्भावना रहती है कि आगामी वर्षों में किसी वर्ष वास्तविक मरम्मत व्यय उस वर्ष के अनुमानित व्यय से अधिक हो जाय तो इस आधिक्य को पूर्व में उपलब्ध आधिक्य में से समायोजित कर लिया जायेगा।

5. विक्रेता द्वारा निःशुल्क मरम्मत सुविधा एक निश्चित अवधि तक के लिए उपलब्ध कराई जाती है अवधि समाप्त होने के बाद यदि मरम्मत उचन्त खाते में शेष उपलब्ध है तो लाभ हानि खाते में वापस अन्तरित कर दिया जाता है।

उदाहरण– 4

ए0बी0 कं0 लि0 ने वर्ष 1997 में तीन ट्रक किराया क्रय आधार पर बेची। प्रत्येक ट्रक का नकद मूल्य 1,50,000 रू0 था जो पाँच अर्द्धवार्षिक किश्तों में देय था इसके अतिरिक्त प्रत्येक किश्त के साथ अदत्त राशि पर 16 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना था। प्रथम किश्त 31 दिसम्बर 1997 को देय थी। विक्रेता ने ट्रकों की निःशुल्क मरम्मत और देखरेख दो वर्ष तक करने की गारण्टी दी। अपने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर विक्रेता ने अनुमान लगाया कि प्रति ट्रक कुल

मरम्मत व्यय 12,000 रू0 होगा जिसमें से प्रथम वर्ष में 3,000 रू0 और द्वितीय वर्ष में 9,000 रू0 हो सकता है। कुल वास्तविक मरम्मत व्यय 1997 में 7,500 रू0 है, 1998 में 15,000 तथा 1999 में 16,000 हुए।

एoबीo कंo लिo की बहियों में आवश्यक खाता खोलिए। वह अपनी बहियॉ प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द करती है।

A.B. Co. Ltd. Sold in 1997 three trucks on Hire purchase basis. The cash value of each truck being Rs. 1,50,000 which was payable in five equal half yearly instalments together with interest at 16% p.a. on the unpaid balance. The first instalment was to be paid on 31 Dec. 1997.

The vendor undertook to give free service for repairs and maintenance of the trucks for two years. As per past experience the total repair charges per truck was estimated to be Rs. 12,000 of which Rs. 3,000 was to be for the first year and Rs. 9,000 for the second. The total actual expenses of repairs and maintenance during the guarantee period were Rs. 7500 in 1997 Rs. 15,000 in 1998 and Rs. 16,000 in 1999.

Open necessary accounts in the books of ABC & Co. It closes its books on 31st December each year.

हल - 4

Cash value of one truck	Rs. 1,50,000	
Cash value of three truck Rs.	1,50,000x3 =	4,50,000
Each instalment of cash value	4,50,000/5=	Rs. 90,000

Calculation of Interest

Term	Amount Outstanding	Interest for Rs. ½ year at 16%	
I Half Year	4,50,000	4,50,000x16/100x6/12 =	36,000
II Half Year	3,60,000	3,60,000x16/100x6/12 =	28,800
III Half Year	2,70,000	2,70,000x16/100x6/12 =	21,600
IV Half Year	1,80,000	1,80,000x16/100x6/12 =	14,400
V Half Year	90,000	90,000x16/100x6/12 =	7,200

Estimated & Actual Repairs.

Particulas	Estimated Expenditure	Actual Expenditure	Excess of Acutal Exp.

Transferred to P & L A/c 1997 Half year	4500	7500	3000
1998 Full Year			
I Half Year 4500	18,000	15,000	-
II Half Year 13500	13,500		
III Half Year		16,000	-
	36,000		

Hire Purchaser's A/c

31.12.97	To Hire sales A/c	4,50,000	31.12.97	By Bank A/c	1,26,000
31.12.97	To Interest A/c	36,000	31.12.97	By Balance c/d	3,60,000
		4,86,000			4,86,000
01.01.98	To Balance b/d	3,60,000	30.06.98	By Bank A/c	1,18,800
30.06.98	to Interest A/c	28,800	31.12.98	By Bank A/c	1,11,600
31.12.98	To Interest A/c	21,600	31.12.98	By Balance c/d	1,80,000
		4,10,400			4,10,400
01.01.99	To Balance b/d	1,80,000	30.06.99	By Bank A/c	1,04,400
30.06.99	To Interest A/c	14,400	31.12.99	By Bank A/c	97,200
31.12.99	To Interst A/c	7,200			
		2,01,600			2,01,600

Maintenance SuspenseA/c

31.12.97	To Bank A/c	7,500	30.06.97	By Hire sales A/c	36,000
31.12.97	To Balance c/d	31,500	31.12.97	By P & L A/c	3,000
		39,000			39,000
31.12.98	To Bank A/c	15,000	01.01.98	By Balance b/d	31,500
31.12.98	To Balance A/c	16,500			
		31,500			31,500
30.06.99	To Bank A/c	16,000	01.01.99	By Balance b/d	16,500
31.12.99	To To P& L A/c	500			
		16,500			16,500

उदाहरण– 5

एक निर्माता किराया क्रय पद्धति पर 45,460रू0 में एक मशीन खरीदता है। प्रथम किस्त का भुगतान मशीन की सुपुर्दगी के समय होता है और शेष सम्पूर्ण भुगतान 4 समान वार्षिक किस्तों में पूर्ण होता है। किराया विक्रेता 5 प्रतिशत

वार्षिक की दर से ब्याज लगाता है। यह मानते हुए कि ह्रास 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से लगाना है, निर्माता की पुस्तकों में मशीन एवं किराया विक्रेता का खाता बनाइये। 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक दर पर प्रत्येक वर्ष के अन्त में विनियोजित 1 रू0 का वर्तमान मूल्य 4.5460 रू0 है। सभी किस्तें प्रथम भुगतान सहित बराबर की है।

A manufacturer purchase a machine for Rs. 45,460 on hire purchase system. The first instalment is to be paid at the time of taking delivery of the machine and the entire payment is to be completed by four equal annual instalments. The Hire vendor charged @ 10% per annum on the reducing instalment system. Prepare machine account and the Hire Vendor's account in the books of the manufacturer. The present value of Rs. 1 invested at the beginning of each year at 5% per annum is Rs. 4.5460. All the instalment including the first are of equal value.

हल 5

Amount of each Instalment = $\frac{45460}{4.5460} = Rs.10000$

Calculation of Interest

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
46460 -10000 delivery 35460	$\frac{35460 \times 5}{100} = 1773$	10000 I Instalment -1773 for Interest 8227 for Machine
- 8227 27233	$\frac{27235 \times 5}{100}$ $= 1361.65\ or\ 1362$	10000 II Instalment -1362 for Interest 8638 for Machine
-8638 18595	$\frac{18595 \times 5}{100}$ $= 929.75\ or\ 930$	10000 III Instalment -930 for Interest 9070 for Machine
-9070 9525	10000-9525= 475	10000 IV Instalment -475 for Interest 9525 for Machine

In the books of Hire Purchaser (Manufacturer)

Machine Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
I year Jan.1	To Hire vendor's A/c	45460 45460	I year Dec 31 Dec 31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 4546 40914 45460
II year Jan.1	To Balance b/d	40914 40914	II year Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance C/d	 4091 36823 40914
III year			III year		

Jan.1	To Balance b/d	36823	Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance C/d	3682 33141
		36823			36823
IV year Jan.1	To Balance b/d	33141	IV year Dec.31 Dec.31	By Depreciation Account By Balance C/d	3314 29827
		33141			33141

Hire Vendor's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
I year Jan.1 Dec. 31 Dec. 31	To Cash Account To Cash Account To Balance c/d	10000 10000 27233	I year Dec.31 Dec.31	By Machine Account By Interest Account	45460 1773
		47223			47233
II year Dec.31 Dec. 31	To Cash Account To Balance c/d	10000 18595	II year Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	27233 1362
		28595			28595
III year Dec.31 Dec. 31	To Cash Account To Balance c/d	10000 9525	III year Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	18595 930
		19525			19525
IV year Dec.31	To Cash Account	10000	IV year Jan.1 Dec.31	By Balance b/d By Interest Account	9525 475
		10000			10000

माल की वापसी (Return of Goods)– यदि किसी भी कारणवश किराया क्रेता किसी किश्त का समय पर भुगतान नहीं करता अथवा भुगतान में असमर्थ हो जाता है तो विक्रेता में यह अधिकार निहित होता है कि क्रेता से माल वापस ले ले तथा प्राप्त सभी किश्तों की धनराशि को माल का किराया (Hire Charges of Goods) मानकर जब्त कर ले। व्यवहार में माल को वापस लेने का अधिकार विक्रेता को तभी उपलब्ध होता है जबकि किराया क्रेता ने क्रय मूल्य के वैधानिक अनुपात (Statutory proportion) को भुगतान की तिथि पर चुकाने में असमर्थ रहा हो। यदि किराया क्रेता द्वारा किश्त त्रुटि की तिथि तक वैधानिक अनुपात का भुगतान कर दिया गया तो किश्त का भुगतान न करने की स्थिति में विक्रेता को सर्वप्रथम माल वापस लेने की पूर्व स्वीकृति न्यायालय से लेनी होगी। वैसे किराया क्रेता द्वारा किश्तों का भुगतान न करने पर विक्रेता कुल माल अथवा माल का कुछ भाग वापस ले सकता है।

(अ) समस्त माल की वापसी

यदि विक्रेता किराया क्रेता से समस्त माल की वापसी लेता हैं तो निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टियाँ पूरी की जाती है।

1. **किराया क्रेता की पुस्तकों में लेखा**– त्रुटि की तिथि तक देय किश्त के सम्बन्ध में लेखा जिसका कि भुगतान किराया क्रेता द्वारा नहीं किया जा सका है :

Assets A/c Dr.

Interest A/c Dr.
To Hire Vendor's A/c

(क) किराया— माल वापस करने की तिथि पर विक्रेता खाते के शेष को सम्पत्ति खाते में अन्तरित करने पर निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाएगी :

Hire Vendor's A/c Dr.
To Assets A/c

(ख) लेखा वर्ष के अन्त में सम्पत्ति खाते का शेष जो हानि के रूप में लाभ–हानि खाते में अन्तरित किया जायेगा :

Profit & Loss A/c Dr.
To Assets A/c

2. किराया विक्रेता की पुस्तकों में लेखा :

यदि विक्रेता द्वारा समस्त माल की वापसी ली जा रही है तो लिए जाने वाले माल का मूल्यांकन किया जाता है जिसके निम्नलिखित आधार होते है :–

(क) किराया क्रेता खाते में उपलब्ध अवशेष के आधार पर वापस किये जाने वाले माल का मूल्यांकन किया जाता हैं। दूसरे शब्दों में वापस माल का मूल्य उपलब्ध अवशेष के बराबर होता है। यदि व्यवहार में इस आधार का प्रयोग किया जाता है तो किराया क्रेता खाता बन्द हो जाता है। इस स्थिति में विक्रेता को न तो लाभ होता है ओर न तो हानि। स्पष्ट निर्देश के अभाव में यही आधार प्रश्नों के समाधान में प्रयुक्त करना चाहिए।

Repossessed Stock A/c Dr.
To Hire Purchaser A/c

(ख) किराया क्रय समझौते के अनुसार किराया क्रय खाते में उपलब्ध अवशेष से अधिक या कम पर वापस लिए जाने वाले माल का मूल्यांकन होगा तथा यदि अवशेष से अधिक पर माल वापस लिया जा रहा है तो विक्रेता को लाभ तथा किराया क्रेता को हानि होती है। इसी प्रकार यदि अवशेष से कम पर मूल्यांकन किया जा रहा है तो विक्रेता को हानि एवं किराया क्रेता को लाभ होता है। विक्रेता द्वारा इस लाभ या हानि को लाभ–हानि खाते में अन्तरित कर किराया क्रय खाता बन्द कर दिया जाता है।

(अ) यदि लाभ होता है तो लाभ–हानि खाते में अन्तरण करने पर–

Hire Purchaser's A/c Dr.
To P&L A/c

(ब) यदि हानि होती है तो लाभ हानि खाते में अन्तरण करने पर–

P&L A/c Dr.
To Hire Puchaser's A/c

(ग) वापस माल के मूल्यांकन के बाद विक्रेता द्वारा वापस माल से सम्बन्धित एक खाता खोला जाता है जिसे Repossessed Stock A/c या Returned Stock A/c or Goods Returned A/c कहा जाता है। माल वापस होने के पश्चात् यदि मरम्मत की आवश्कता पड़ती है तो उस पर विक्रेता मरम्मत व्यय करता है जिसके सम्बन्ध में निम्न लेखा किया जाता है–

Repossessed Stock A/c Dr.
To Bank A/c

(घ) इसी तरह यदि वापस माल का मरम्मत कराकर विक्रेता किसी दूसरे ग्राहक को बेच देता है तो निम्नलिखित लेखा किया जाते है–

Bank A/c Dr.
To Repossessed Stock A/c

(ङ) यदि वापस माल का पुनर्विक्रय किया गया है तो होने वाले लाभ–हानि को लाभ–हानि खाते में अन्तरित कर दिया जाता है–

लाभ होने पर :

Repossessed Stock A/c Dr.
To P&L A/c

हानि होने पर :

P&L A/c Dr.
To Repossessed Stock A/c

(च) यदि वापस माल नहीं बेचा जा पाया है तो व्यापारिक खाते में अन्तरित कर दिया जाता है:

Trading A/c Dr.
To Repossessed Stock A/c

उदहारण– 6

सोमेश्वर ने किराया क्रय पद्वति पर 56,000 रू0 में 1 जनवरी 1997 को एक मशीन सोमैया एण्ड कम्पनी से क्रय किया। 15000 रू0 तत्काल तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में 15,000 रू0 की तीन किश्तों में भुगतान किया जाना था। ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्षिक थी। क्रेता अपलिखित मूल्य पर 10 प्रतिशत वार्षिक ह्रास का प्रावधान करता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सोमेश्रर सुपुर्दगी पर तथा प्रथम किश्त के भुगतान के बाद दूसरी किश्त का भुगतान न कर सका। इस पर विक्रेता ने मशीन वापस ले लिया। विक्रेता ने 350 रू0 मशीन की मरम्मत पर व्यय करने बाद उसे 30,110 रू0 में बेच दिया। दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए।

Someshwar Purchased a machine on hire purchased system for Rs. 56,000 : Payment to be made Rs. 15,000 drawn and 3 instalments of Rs. 15000 each at the end of each year. Rate of interest is charged at 5% per annum. Someswar after having paid down payment and first instalment at the end of first year could not pay second instalment and hire vendor took possession of the machine. Hire vendor after spending Rs. 350 on repairs of the asset sold it away for Rs. 30,110. Prepare necessary accounts in the books of both parties.

हल **6**

In the books of Someswar (Hire Purchaser)

Machine A/c

1.1.97	To Somiya & Co. A/c	56000	31.12.97 31.12.97	By Depreciation A/c By Balance c/d	5600 50400
		56000			56000

1.1.98	To Balance b/d	50400	31.1.98	By Depreciation	5040
			31.12.98	A/c	29453
			31.12.98	By Somaiya &	
				Co.	15907
		50400		By P & L A/c	50400
				(Balancing	
				Figure)	

Somaiya & Company

1.1.97	To Bank A/c	15000	1.1.97	By Machine	56000
31.12.97	To Bank A/c	15000	31.12.97	A/c	2050
31.12.97	To Balance c/d	28050		By Interest	
		58050		A/c	58050
31.12.98	To Machine	29453	1.1.98		28050
	A/c		31.12.98		1403
		29453		By Balance	29453
				b/d	
				By Interest	
				A/c	

Depreciation A/c

31.12.97	To Machine A/c	5600	31.12.97	By P & L	5600
		5600		A/c	5600
31.12.98	To Machine A/c	5040	31.12.97		5040
		5040		By P & L	5040
				A/c	

Interest A/c

31.12.97	To Somaiya &	2050	31.12.97	By P & L	2050
	Co.	2050		A/c	2050
31.12.98		1403	31.12.97		1403
	To Somaiya &	1403		By P & L	1403
	Co.			A/c	

In the books of Somaiya & Co. (Hire Vendor)

Someswar

1.1.97	To Hire Sales	56000	1.1.97	By Bank A/c	15000
31.12.97	A/c	2050	31.12.97	By Bank A/c	15000
	To Interest A/c		31.12.97	By Balance c/d	28050
		58050			58050
1.1.98		28050	31.12.98	By Repossessed	29453
31.12.98	To Balance b/d	1403		Stock. A/c	
	To Interest A/c	29453			29453

Repossessed Stock A/c

31.12.98	To Someswar A/c	29453	31.12.98	By Sales A/c	30110
31.12.98	To Bank A/c (Exp.)	350			
31.12.98	To P & L A/c	307			
		30110			30110

Profit & Loss A/c

			31.12.97	By Repossessed Stock A/c	307
					307

2.4 किस्त भुगतान पद्धति के सैद्धान्तिक पक्ष

2.4.1 प्रस्तावना :–

किराया–क्रय पद्धति से मिलती–जुलती माल बेचने की एक अन्य पद्धति भी है जो 'किस्त भुगतान पद्धति' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति में क्रेता को माल की पूरी रकम का भुगतान एक साथ नहीं करना पड़ता है वरन् किस्तों द्वारा करना पड़ता हैं, किन्तु माल का स्वामित्व क्रेता को तुरन्त हस्तान्तरित हो जाता है।

2.4.2 परिभाषाः–

कार्टर के अनुसार, ''किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत माल का स्वामित्व तुरन्त क्रेता पर हस्तान्तरित हो जाता है अथवा माल पर उसका वास्तविक स्वामित्व हो जाता है, यद्यपि उसे उस पर भुगतान कई वर्षों में करना पड़ता हैं। यदि क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता है, वह केवल बाकी रकम के लिए दावा कर सकता है।''

2.4.3 किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएंः–

किस्त भुगतान पद्धति की निम्नांकित विशेषताएं है :–

1. **उधार बिक्री होना–** इस पद्धति के अन्तर्गत माल की बिक्री तो होती है और इसकी सुपुर्दगी क्रेता की दी जाती है, परन्तु इसका पूर्ण भुगतान बिक्री के समय नहीं होता है, इसलिए यह बिक्री उधार बिक्री है।
2. **भुगतान किस्तों में होना–** इस प्रणाली में क्रेता को सबसे अधिक सुविधा यही है कि उसे माल की कीमत किस्तों में भुगतान करनी पड़ती हैं। किस्तों की राशि तथा इसके भुगतान का समय क्रेता व विक्रेता के आपसी ठहराव द्वारा तय किया जाता है।
3. **माल की सुपुर्दगी क्रेता को होना–** बिक्री प्रसंविदा होते ही माल की सुपुर्दगी क्रेता को हो जाती है।
4. **सौदा होते ही स्वामित्व का हस्तान्तरण होना–** क्रेता को बिक्री प्रसंविदा के बाद ही तुरन्त माल का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है।
5. **किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को दावा करने का अधिकार होना–** क्रेता द्वारा किसी भी किस्त का भुगतान न किये जाने पर विक्रेता उसके ऊपर दावा कर सकता है।
6. **किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर भुगतान की हुई किस्तों का विक्रेता द्वारा जब्त न करना–** यदि क्रेता ने किसी भी किस्त के भुगतान करने की त्रुटि की है तो विक्रेता को यह अधिकार नहीं है कि वे क्रेता द्वारा उस

समय तक भुगतान की हुई किस्तों को जब्त कर ले और पूरे मूल्य के लिए क्रेता पर दावा करे। वह पूरे मूल्य में से भुगतान की हुई किस्तों की राशि काटकर शेष किस्तों के लिए दावा कर सकता हैं। ऐसा इसलिए है कि माल का स्वामित्व क्रेता पर हस्तान्तरित हो जाता है।

7. **विक्रेता द्वारा बिक्री करने या गिरवीं रखने पर दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त होना–** यदि क्रेता इसके अन्तर्गत माल क्रय करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचता है या गिरवीं रखता है तो इस अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त होता है।

2.4.4 किराया–क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अन्तर

अन्तर का आधार	किराया–क्रय पद्धति	किस्त भुगतान पद्धति
A सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार		
प्रसंविदे का स्वभाव	इस प्रसंविदा का स्वभाव एक किराया–प्रसंविदे की तरह है, यद्यपि यह बाद में बिक्री हो जाता है।	इस प्रसंविदे का स्वभाव प्रारम्भ से ही एक बिक्री का प्रसंविदा है।
स्वामित्व का हस्तान्तरण	इस प्रसंविदे में अन्तिम किस्त के भुगतान होने पर स्वामित्व का हस्तान्तरण क्रेता पर हो जाता है अर्थात् स्वामित्व का हस्तान्तरण अन्त में होता है।	इसमें क्रेता पर स्वामित्व का हस्तान्तरण क्रेता और विक्रेता के आपसी समझौते द्वारा बिक्री के समय ही हो जाता है, अर्थात् स्वामित्व का हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही होता है।
माल की वापसी	क्रेता द्वारा किस्त के भुगतान न किये जाने पर विक्रेता को कुछ विशेष दशाओं में माल वापस लेने का अधिकार होता है।	क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान न करने पर विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता है।
वादा करने का अधिकार	क्रेता द्वारा किस्त के भुगतान न किये जाने पर विक्रेता न चुकायी हुई किस्त के लिए दावा भी कर सकता हैं।	क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान न करने पर विक्रेता शेष राशि के लिए दावा कर सकता है। यदि प्रसंविदे में कोई भिन्न शर्त न दी हुई हो।
श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार	अन्तिम किस्त भुगतान करने के पहले यदि किसी भी समय क्रेता द्वारा माल गिरवीं रखा जाता है या बेचा जाता है तो दूसरा व्यक्ति इस माल पर श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार नहीं पाता है।	इसमें दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार पाता है।
माल की	अन्तिम किस्त के भुगतान के पहले	इसमें विक्रेता पर मरम्मत,

मरम्मत का दायित्व	तक यदि क्रेता ने माल को सावधानी के साथ रखा है और फिर भी उसमें कुछ टूट–फूट हो जाती है तो इसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व विक्रेता पर रहता है क्योंकि वही इसका इस अवधि में असली मालिक होता है	आदि का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
निक्षेप (Bailee)	क्रेता निक्षेपगृहीता (Bailee) होता है।	क्रेता निक्षेपगृहीता नहीं होता है।
जोखिम	अन्तिम भुगतान तक जोखिम विक्रेता पर रहती हैं।	जोखिम सदैव क्रेता पर रहती है।
B लेखांकन के दृष्टिकोण के आधार पर		
क्रेता की पुस्तकों में लेखा	क्रेता की पुस्तकों में सम्पत्ति अर्जित विधि (Asset Accrual Method) या उधार क्रय विधि में से किसी एक विधि के अनुसार लेखे किये जा सकते हैं।	यहां केवल उधार क्रय विधि के अनुरूप ही क्रेता की पुस्तकों में लेखे किये जाते हैं।
अदेय राशि	विक्रेता की पुस्तकों में अदेय राशि को किराये पर बाहर जमा माल' की तरह माना जाता है।	इस विधि में अदेय राशि को विक्रेता की पुस्तकों में पुस्तकीय ऋण माना जाता है।
अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	यहां अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान करने की प्रायः आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता है।	यहां अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता होती है।
ब्याज उचन्त खाता	यहां ब्याज उचन्त खाता नहीं बनाया जाता है।	यहां ब्याज उचन्त खाता बनाया जाता है।
विक्रेता का शेष या देय राशि	सम्पत्ति पक्ष की ओर सम्पत्ति में से घटाकर दिखायी जाती है।	विक्रेता को देय राशि दायित्व पक्ष की ओर ब्याज उचन्त खाते की बाकी घटाकर प्रकट की जाती है।
चिट्ठा	क्रेता की पुस्तकों में सम्पत्ति की ओर सम्पत्ति में से ह्रास घटाकर आने वाली राशि में से विक्रेता को देय राशि घटायी जाती है।	क्रेता की पुस्तकों में क्रय की गयी सम्पत्ति को चिट्ठे में सम्पत्ति पक्ष की ओर ह्रास घटाकर दिखाया जाता है।
ब्याज का खाता	इसमें क्रेता व विक्रेता दोनों की पुस्तकों में ब्याज खाता अवश्य खोला जाता है।	इसमें कभी–कभी कुछ लोग प्रति वर्ष की ब्याज की राशि के लिए ब्याज खाता नहीं खोलते हैं, वरन् ब्याज उचन्त खाते से इसे सीधा लाभ–हानि

		खाते में हस्तान्तरित कर देते हैं, परन्तु बहुधा ब्याज खाता यहां भी खोला जाता है।

2.5 किस्त भुगतान पद्धति के व्यावहारिक प्रश्नों को हल करना

2.5.1 क्रेता की पुस्तकों में लेखा (Entries in Purchaser's Books)–

इस भुगतान पद्धति के अन्तर्गत क्रेता की पुस्तकों में निम्नलिखित लेखे किये जाते है :

1. प्रसंविदा तथा माल सुपुर्दगी के समय– जिस समय प्रसंविदा किया जाता है और माल की सुपुर्दगी होती है, उस समय सम्पत्ति खाता और ब्याज सन्देह खाता डेबिट तथा विक्रेता का खाता क्रेडिट किया जाता है।

Assets A/c ....Dr. (Cash Price)
Interest Suspense A/c.... ...Dr. (Total Interest)
To Vendor A/c (Total Price)
(Being purchase under the Instalment Purchase System, interest calculated....)

2. किस्त का तुरन्त भुगतान होने पर– प्रसंविदा के समय क्रेता द्वारा यदि किसी किस्त की राशि का नकद भुगतान किया जाता है, तो निम्न लेखा किया जायेगा :

Vendor's A/c ....Dr.
To cash A/c or Bank A/c
(Being payment of cash to the seller at the time of transaction)

3. ब्याज के लिए– ब्याज देय तिथि पर ब्याज की रकम उसी प्रकार निकाली जाती है जिस प्रकार किराया–क्रय पद्धति से निकाली जाती है। फिर इस राशि को ब्याज सन्देह खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

Interest A/c ....Dr.
To Interest Suspense A/c
(Being transfer of interest falling due)

4. किस्त भुगतान के लिए– किस्त भुगतान के लिए विक्रेता खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है।

Vendor's A/c ....Dr.
To Cash A/c or Bank A/c
(Being the amount of Instalment paid)

5. अन्य किस्तों का लेखा– अन्य किस्तों तथा ब्याज का लेखा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार ऊपर (3) और (4) से किया गया है।

6. ह्रास का लेखा– ह्रास खाते को डेबिट और सम्पत्ति खाते को क्रेडिट किया जाता है।

Depreciation A/c ....Dr.
To Asset A/c
(Being charing of depreciation @ ......)

7. ह्रास और ब्याज खाता बन्द करना– ह्रास और ब्याज खाते को बन्द करने के लिए लाभ–हानि खाता डेबिट तथा ह्रास और ब्याज खाते को क्रेडिट किया जाता है।

Profit and Loss A/c ....Dr.
To Interest A/c
To Depreciation A/c
(Being transfer of balance of interest and depreciation accounts to P. & L. A/c)

2.5.2 विक्रेता की पुस्तकों में लेखा (Entries in the Books of seller)–
इस पद्धति के अनुसार विक्रेता की पुस्तकों में निम्नांकित लेखे किये जायेंगे :

1. बिक्री के समय– विक्रेता द्वारा बिक्री के समय क्रेता के खाते को डेबिट और बिक्री खाते तथा ब्याज सन्देह खाते को क्रेडिट किया जाता है :

Buyer's A/c ....Dr.
To Sales A/c (with Cash price)
To Interest Suspense A/c
(Being sale of goods on instalment system and record of interest suspense A/c)

उपर्युक्त लेखे का स्पष्टीकरण– (अ) इस पद्धति में क्रेता से सम्पत्ति का रोकड़ मूल्य नहीं लिया जाता है वरन् कुल मूल्य लिया जाता है। इसलिए क्रेता के खाते को कुल मूल्य से डेबिट किया जाता है। (ब) सम्पत्ति के कुल मूल्य से रोकड़ मूल्य घटाने के बाद शेष रकम को ब्याज न मानकर ब्याज सन्देह खाते में ले जाया जाता है। ऐसा करना अनुचित नहीं है क्योंकि यद्यपि यह राशि ब्याज की है, परन्तु बिक्री प्रसंविदा की तिथि पर इतनी राशि ब्याज की तरह देय नहीं है, इसलिए इसे ब्याज खाते में हस्तान्तरित करना ठीक नहीं हैं, परन्तु ब्याज सन्देह खाते में ले जाना उचित है। जैसे–जैसे प्रत्येक किस्त पर ब्याज देय होता जायेगा, ब्याज ब्याज सन्देह को इस राशि से अपलिखित कर दिया जायेगा। (स) बिक्री खाते को बिक्री रोकड़ मूल्य से क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वास्तव में यदि नकद बिक्री होती तो यही बिक्री मूल्य होता। इस पद्धति में बिक्री से जो अधिक राशि ली जाती है, वह बहुत वर्षों में किये जाने वाले भुगतान पर ब्याज है।

2. बिक्री के समय प्राप्त रोकड़ के लिए– प्रसंविदा के समय तथा माल सुपुर्दगी के समय यदि विक्रेता को क्रेता से राशि प्राप्त होती है तो रोकड़ खाता डेबिट और विक्रेता का खाता क्रेडिट किया जाता है :

Cash A/c or Bank A/c ....Dr.
To Buyer's A/c
(Being cash receipt on delivery of goods)

3. किस्त राशि के लिए– जब किस्त की राशि देय होती है, तो विक्रेता अपनी पुस्तकों में दो प्रविष्टियां करता है– प्रथम ब्याज सन्देह खाता डेबिट तथा ब्याज खाता क्रेडिट। इस प्रविष्टि के लिए ब्याज की राशि उसी प्रकार निकाली जायेगी, जैसे किराया–क्रय पद्धति में निकाली जाती है :

(i) Interest Suspense A/c ....Dr.
To Interest A/c
(Being interest due)

(ii) Cash A/c or Bank A/c ....Dr.
To Buyer's A/c
(Being receipt of instalment)

4. अन्य किस्तों के सम्बन्ध में वही लेखे किये जायेंगे जो नं0 (3) में किये गये है।

5. **ब्याज खाते को बन्द करना–** वर्ष के अन्त में ब्याज खाते को बन्द करने के लिए ब्याज खाता डेबिट और लाभ–हानि खाता क्रेडिट किया जाता है।

Interest A/c ....Dr.
To P. & L. A/c
(Being transfer of balance from Interest A/c to Profit and Loss A/c)

वर्ष के अन्त में विक्रय खाते को व्यापार खाते में हस्तान्तरण करने पर,

Sales A/c ....Dr.
To Trading A/c

किराया–क्रय पद्धति तथा किस्त–भुगतान पद्धति में की जाने वाली प्रविष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन

(अ) क्रेता की पुस्तकों में (In the Books of Buyer)

Transactions	Entries in Hire-Purchase System		Entries in Installment Payment System
	First Method	Second Method	
1. On Sale	No Entry	Assets A/c ..Dr. To Vendor's A/c (with cash price)	Asset A/c ..Dr. Interest Suspense A/c ..Dr. To Vendor's A/c
2. On Payment of Cash by Buyer on Sale	Asset A/c ..Dr. To Bank A/c	Vendor's A/c ..Dr. To Bank A/c	Vendor's A/c ..Dr. To Bank A/c
3. When Instalment becomes Due	Asset A/c ..Dr. Interest A/c ..Dr. To Vendor's A/c	Interest A/c ..Dr. To Vendor's A/c	Interest A/c ..Dr. To Interest Suspense A/c
4. On Payment of Instalment	Vendor's A/c . .Dr. To Bank A/c	Vendor's A/c ..Dr. To Bank A/c	Vendor's A/c ..Dr. To Bank A/c
5. At the close of the year for Depreciation	Depreciation A/c ..Dr. To Asset a/c	Depreciation A/c Dr. To Asset A/c	Depreciation A/c ..Dr. To Asset A/c
6. At close of the year for transfer of Interest & Depreciation	P. & L. A/c ..Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c	P. & L. A/c ..Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c	P. & L. A/c ..Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c

(ब) विक्रेता की पुस्तकों में

Transactions	Entries in Hire-Purchase System	Entries in Installment Payment System

1. When Sales is made	Buyer's A/c ..Dr. To Sale A/c (with cash price)	Buyer's A/c ..Dr. To Sales A/c To Interest Suspense A/c
2. When Cash is paid by buyer on delivery of goods	Bank A/c ..Dr. To Buyer's A/c	Bank A/c ..Dr. To Buyer's A/c
3. When Instalment becomes Due	Buyer's A/c ..Dr. To Interest A/c	Interest Suspense A/c ..Dr. To Buyer's A/c
4. On Payment of Instalment by the buyer	Bank A/c ..Dr. To Buyer's A/c	Bank A/c ..Dr. To buyer's A/c
5. At the close of the year for transfer of Interest Buyer	Interest A/c ..Dr. To Profit and Loss a/c	Interest A/c ..Dr. To Profit and Loss A/c
6. At close of the year for transfer of sales	Sales A/c ..Dr. To Trading A/c	Sales A/c ..Dr. To Trading A/c

2.5.3 उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

उदाहरण– 7

1 जनवरी, 2001 को कोलियरी कम्पनी ने 1 वैगन किस्त भुगतान पद्धति पर क्रय किया। वैगन का रोकड़ मूल्य 745 रू0 था और 200 रू0 अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करते समय चुकाये गये तथा शेष राशि तीन किस्तों में, जिनमें से प्रत्येक 200 रू0 की थी, प्रत्येक वर्ष के अन्त में दी जाती है। वैगन कम्पनी द्वारा 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के लगाये गये। कोलियरी कम्पनी 10 प्रतिशत वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति पर ह्रास काटती है। कोलियरी कम्पनी व वैगन कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा आवश्यक खाते बनाइए।

On 1st January, 2001 the Colliery Company purchased 1 Wagon on the Instalment System. The cash price of the Wagon was Rs. 745 and Rs. 200 was to be paid on signing of the agreement and the balance in three instalments of Rs. 200 each at the end of each year. Interest charged at 5% per annum by the Wagon Company. The Colliery Company writes off depreciation @ 10% annually on the diminishing balance method of the cash value. Make the entries and prepare necessary accounts in the books of the Colliery Comapny and also of the Wagons Company.

हल 7

Analytical Table

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
745 -200	$\frac{545 \times 5}{100} = 27.25$	200 I Instalment -27 for Interest 173 for Wagons
545 -173	$\frac{372 \times 5}{100} = 18$	200 II Instalment -18 for Interest

		182 for Wagons
372 -182	200-190= 10	200 III Instalment -10 for Interest
190		190 for Wagons

Journal Entries in the books of Purchaser (Colliery Company)

Date	Particular	L.F.	Amount Dr	Amount Cr
2001 Jan. 1	Wagons A/c Dr. Interest Suspense A/c Dr. To Vendor's A/c (Being Wagons purchased on instalment system.)		745 55	 800
Jan. 1	Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being cash paid on agreement day)		200	 200
Dec. 31	Interest A/c Dr. To Interest Suspense A/c (Being interest becoming due)		27	 27
Dec. 31	Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment made)		200	 200
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		75	 75
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		102	 75 27
2002 Dec. 31	Interest A/c Dr. To Interest Suspense A/c (Being interest becoming due)		19	 19
Dec. 31	Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment made)		200	 200
Dec. 31	Depreciation A/c Dr. To Wagons A/c (Being depreciation made)		67	 67
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		86	 67 19
2003 Dec. 31	Interest A/c Dr. To Interest Suspense A/c (Being interest becoming due)		10	 10
Dec. 31	Vendor's A/c Dr. To Cash account (Being payment made)		200	 200
Dec. 31	Depreciation A/c Dr.		60	

	To Wagons A/c (Being depreciation made)			60
Dec. 31	P/L A/c Dr. To Interest A/c To Depreciation A/c (Being transfer)		70	 60 10

Wagons Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan.1	 To Vendor's Account	 745 745	2001 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance c/d	 75 670 745
2002 Jan.1 Dec.31	 To Balance b/d Hire vendor's A/c	 670 670	2002 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance c/d	 67 603 670
2003 Jan.1	 To Balance b/d	 603 603	2003 Dec.31 Dec.31	 By Depreciation Account By Balance c/d	 60 543 603

Interest Suspense Account

2001 Jan.1	 To Vendor's A/c	 55 55	2001 Dec 31 Dec. 31	 By Interest A/c By Balance c/d	 27 28 55
2002 Jan 1	 To Balance b/d	 28 28	2002 Dec 31 Dec. 31	 By Interest A/c By Balance c/d	 18 10 28
2003 Jan 1	 To Balance b/d	 10 10	2003 Dec 31	 By Interest A/c	 10 10

Vendor's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Jan. 1 Dec. 31 Dec. 31	 To Cash Account To Cash Account To Balance c/d	 200 200 400 800	2001 Jan. 1 Dec.31	 By Wagons Account By Interest Suspense A/c	 745 55 800
2002 Dec.31 Dec. 31	 To Cash Account To Balance c/d	 200 200 400	2002 Jan.1	 By Balance b/d	 400 400
2003 Dec.31	 To Cash Account	 200 200	2003 Jan. 1	 By Balance b/d	 200 200

In the books of seller

Date	Particular	L. F.	Amount Dr	Amount Cr
2001 Jan. 1	Buyer's A/c Dr. To sales A/c To Interest Suspense A/c (Being sale of goods on instalment system and record of interest suspense account)		800	745 55
Jan. 1	Cash A/c Dr. To Buyer's A/c (Being cash receipt on delivery of goods)		200	200
Dec. 31	Interest suspense A/c Dr. To Interest A/c (Being interest due)		27	27
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Buyer's A/c (Being cash receipt of instalment)		200	200
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)		27	27
Dec. 31	Sales A/c Dr. To Trading A/c (Being the balance of sales transferred to trading account)		745	745
2002 Dec. 31	Interest suspense A/c Dr. To Interest A/c (Being interest due)		18	18
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Buyer's A/c (Being cash receipt of instalment)		200	200
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)		18	18
2003 Dec. 31	Interest suspense A/c Dr. To Interest A/c (Being interest due)		10	10
Dec. 31	Cash A/c Dr. To Buyer's A/c (Being cash receipt of instalment)		200	200
Dec. 31	Interest A/c Dr. To P/L A/c (Being transfer of interest to profit and loss account)		10	10

Buyer's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount

2001 Jan. 1 Jan. 1	To Sales Account To Interest suspense A/c	745 55 800	2001 Jan .1 Dec.31 Dec.31	By Cash Account By Cash Account By Balance c/d	200 200 400 800
2002 Jan.1	To Balance b/d	400 400	2002 Dec. 31 Dec.31	By Cash A/c By Balance c/d	200 200 400
2003 Jan.1	To Balance b/d	200 200	2003 Dec. 31	By Cash A/c	200 200

Interest Suspense Account

2001 Dec. 31 Dec. 31	To Interest A/c To Balance c/d	27 28 55	2001 Jan. 1	By Buyer's A/c	55 55
2002 Dec. 31 Dec. 31	To Interest A/c To Balance c/d	18 10 28	2002 Jan. 1	By Balance b/d	28 28
2003 Dec. 31	To Interest A/c	10 10	2003 Jan. 1	By Balance b/d	10 10

Sales Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2001 Dec. 31	To Trading A/c	745 745	2001 Jan .1	By Buyer's A/c	745 745

उदाहरण– 8

1 जनवरी 2002 को एक्स कुछ माल दो वर्ष की अवधि में 1600 रू0 की छमाही किश्तों के द्वारा चुकाने का प्रबन्ध करते हुए क्रय करता हैं माल देने वाली कम्पनी 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाती है। माल का वर्तमान रोकड़ मूल्य 5948 रू0 है। एक्स की पुस्तकों में खाते बनाओ।

X purchases on 1st January, 2002 some goods arranging to pay for the same over a period of two years by half-yearly instalments of Rs. 1600. The Company supplying the goods charges interest at 6% per annum and the present cash value of the goods is Rs. 5948. Prepare Ledger Accounts in the books of X.

Solution 8

Analytical Table

Cash Price Rs.	Interest Rs.	Instalment Rs.
5948 -1421.56	$\frac{5948 \times 6 \times 6}{100 \times 12}$ $= 178.44$	1600 I Instalment -178.44 for Interest 1421.56 for Wagons

4526.44 -1464.21	$\frac{4526.44 \times 6 \times 6}{100 \times 12}$ = 135.79	1600 II Instalment -135.79 for Interest 1464.21 for Wagons
3062.21 -1508.13	3062.23x $\frac{6\times6}{100\times12}$ = 91.87	1600 III Instalment -91.87 for Interest 1508.13 for Wagons
1554.10	1600-1554.10= 45.90	

In the books of X (Buyer)

Interest Suspense Account

2002 Jan.1	To Vendor's A/c	452.00	2002 Jun 30 Dec. 31 Dec. 31	By Interest A/c By Interest A/c By Balance c/d	178.44 135.79 137.77
		452.00			452.00
2003 Jan 1	To Balance b/d	137.77	2003 Jun. 30 Dec. 31	By Interest A/c By Interest A/c	91.87 45.90
		137.77			137.77

Vendor's Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2002 Jun. 30 Dec. 31 Dec. 31	To Cash Account To Cash Account To Balance c/d	1600 1600 3200	2002 Jan. 1 Jan. 1	By Goods Account By Interest Suspense A/c	5948 452
		6400			6400
2002 Jun. 30 Dec. 31	To Cash Account To Cash Account	1600 1600	2003 Jan.1	By Balance b/d	3200
		3200			3200

Wagons Account

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
2002 Jan.1	To Vendor's Account	5948	2002 Dec.31	By Balance C/d	5948
		5948			5948
2003 Jan.1	To Balance b/d	5948	2003 Dec.31	By Balance C/d	5948
		5948			5948

Note: Depreciation is not given in the question, therefore in Goods accounts, no record of depreciation has been made.

2.6 सारांश

किराया क्रय पद्धति किसी वस्तु को किस्तों में भुगतान द्वारा खरीदने की एक पद्धति हैं। इस पद्धति की यह विशेषता है कि किराया क्रय के साथ ही क्रेता को वस्तु पर अधिकार तो प्राप्त हो जाता है किन्तु स्वामित्व क्रेता को अन्तिम

किस्त के भुगतान के बाद प्राप्त होती है। यदि क्रेता किस्त भुगतान में त्रुटि करता है तो विक्रेता द्वारा किस्त के रूप मे ंप्राप्त राशि को वस्तु का किराया मानकर रख लिया जाता है। इसी कारण इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहते है। किस्त भुगतान पद्धति भी किसी वस्तु को किस्तों में भुगतान द्वारा खरीदने की एक पद्धति है इस पद्धति की यह विशेषता है कि क्रय के साथ ही क्रेता को वस्तु पर अधिकार व स्वामित्व दोनों ही प्राप्त हो जाता है यदि क्रेता किस्त भुगतान में त्रुटि करता है तो विक्रेता वस्तु को वापस नहीं ले सकता है वह (विक्रेता) केवल बकाया राशि की प्राप्ति के लिए क्रेता पर दावा कर सकता है।

2.7 शब्दावली

किस्त (Instalment) जब किसी वस्तु के क्रय पर भुगतान एक मुश्त न करके थोड़ी–थोड़ी मात्रा की धनराशि में थोड़े–थोड़े अन्तराल पर की जाती है तो इस भुगतान को किस्त कहते हैं।

किस्त किराया क्रेता (Hire Purchaser)- ऐसा व्यक्ति जिसने किराया क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत माल के स्वामी से माल पर अधिकार प्राप्त कर लिया है अथवा अधिकार प्राप्त करता है, किराया क्रेता कहलाता है।

स्वामी (Owner)- ऐसा व्यक्ति जिसने किराया क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत माल के क्रेता को माल दिया हो अथवा देता हो अथवा माल का अधिकार दिया हो अथवा देता हो, माल का स्वामी कहलाता है।

किराया क्रय मूल्य सदैव रोक़ मूल्य से अधिक होता है।

किराया क्रय मूल्य = नकद मूल्य + नकद मूल्य की अदत्त राशि पर देय ब्याज

रोकड़ या नकद मूल्य (Cash price)- नकद मूल्य अथवा रोकड़ मूल्य से आशय उस मूल्य से है जिस मूल्य पर क्रेता, विक्रेता से नकद में माल क्रय कर सकता है। रोकड़ मूल्य, किराया क्रय मूल्य से सदैव कम होता है।

शुद्ध नकद मूल्य (Net Cash Price)- वस्तु के नकद मूल्य में से क्रेता द्वारा जमा की गई नकद मूल्य के भाग की राशि घटाने के पश्चात् मूल्य शुद्ध नकद मूल्य कहलाता है।

नकद मूल्य – अग्रिम जमा = शुद्ध नकद मूल्य

शुद्ध किराया क्रय मूल्य (Net Hire Purchase Price)- किराया क्रय मूल्य में से माल की सुपुर्दगी सम्बन्धी व्यय, पंजीयन शुल्क, बीमा प्रीमियम आदि व्ययों की राशि घटाने के पश्चात् प्राप्त मूल्य शुद्ध किराया क्रय मूल्य कहलाता हैं।

कुल ब्याज (Total Interest)- किराया क्रय मूल्य का रोकड़ मूल्य से अन्तर कुल ब्याज कहलाता है।

किराया क्रय मूल्य – रोकड़ मूल्य = कुल ब्याज

2.8 बोध प्रश्न

1. किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत वस्तु क्रय व अन्तिम किस्त के भुगतान के पूर्व तक क्रेता को वस्तु पर केवल .... प्राप्त होती है।
2. जब अन्तिम किस्त का भुगतान क्रेता कर देता है तो उसे वस्तु पर .... प्राप्त हो जाती है।
3. भारत के लॉ कमीशन के अनुसार किराया क्रय ठहराव एक प्रकार का .... है।

4. किराया क्रय अधिनियम को संसद ने अपनी स्वीकृत .... को दी थी।
5. यदि किराया क्रय मूल्य 15000 रू0 से कम है तो इसका .... वैधानिक आनुपातिक राशि है।
6. यदि किराया क्रय मूल्य 15000 रू0 से अधिक है तो इसका .... वैधानिक आनुपातिक राशि है।
7. यदि किस्तों का भुगतान तिमाही किया जाता है तो ब्याज .... का निकाला जायेगा।
8. क्रेता की पुस्तकों में दो विधियों से लेखें किये जाते है प्रथम विधि है .... ।
9. क्रेता की पुस्तकों में दो विधियों से लेंखें किये जाते है द्वितीय विधि है .... ।
10. किस्ते मासिक, तिमाही, छमाही, या वार्षिक हो सकती है परन्तु ह्रास का लेखा ....ही किया जाता है।
11. द्वितीय विधि उधार क्रय विधि के अनुसार क्रेता की पुस्तकों में लेखा करने पर क्रेता की पुस्तको का विक्रेता की पुस्तको से मिलान .... से हो जाता है।
12. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत क्रेता को वस्तु पर .... दोनों ही प्राप्त हो जाती है।
13. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत विक्रेता, क्रेता द्वारा भुगतान में त्रुटि करने पर वस्तु .... नही ले सकता है।
14. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत क्रेता द्वारा भुगतान में त्रुटि करने पर विक्रेता अदत्त मूल्य के लिए केवल .... कर सकता हैं।
15. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत विक्री करने पर या गिरवी रखने पर दूसरे व्यक्ति को ....प्राप्त हो जाता है।
16. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत सम्पति का विक्रय मूल्य – सम्पत्ति का रोकड़ मूल्य = ...।
17. किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत क्रेता की पुस्तकों में लेखा करने की केवल .... है।

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) अधिकार (2) स्वामित्व (3) निक्षेप (4) 31 मई 1972 (5) आधा (6) $\frac{3}{4}$ (7) तीन माह (8) सम्पत्ति अर्जित विधि (9) उधार क्रय विधि (10) वार्षिक (11) आसानी (12) अधिकार व स्वामित्व (13) वापस (14) दावा (15) श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार (16) ब्याज सन्देह (17) एक विधि

2.10 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति में अन्तर को बताइये। जब माल किस्त भुगतान पद्धति पर विक्रय किया जाता है तब विक्रेता की पुस्तकों में क्या लेखे होते हैं ?

Explain the difference between the Hire Purchase System and the Instalment Payment System. What entries are recorded in the books of seller when goods are sold on Instalment Payment System?

2. किराया क्रय पद्धति द्वारा माल बेचे जाने पर क्रेता एवं विक्रेता की पुस्तकों में किये जाने वाले आवश्यक लेखे कीजिए।

Pass the neccessary entries in the books of Buyer and Seller when goods are sold on Hire Purchase System.

3. किस्त भुगतान पद्धति क्या हैं ? जब माल किस्त भुगतान पद्धति पर बेचा जाता है तब क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में कौन–कौन सी लेखांकन प्रविष्टियां दी जाती हैं ?

What is Instalment Payment System? When Goods are sold on Instalment System, what accounting entires are passed in the books of Buyer and Seller?

क्रियात्मक प्रश्न **(Practical Questions)**

1. मद्रास ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने बोम्बे मोटर कम्पनी से 1 जनवरी 2001 को मोटर लॉरी किराया–क्रय पद्धति पर क्रय की। 10,000 रू उसी समय नकद दिये और दस–दस हजार रू0 की तीन किस्तें और देने के लिये सहमत हो गयी। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इनमें से एक किस्त 31 दिसम्बर को देय होती हैं। मोटर लॉरी का नकद मूल्य 37,250 रू0 है और मोटर कम्पनी 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेती है। ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रति वर्ष क्रमागत ह्रास प्रणाली के आधार पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ह्रास काटती है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल व लेजर के आवश्यक लेखे कीजिए। इसे दोनो विधियों से हल कीजिए।

The Madras Transpoart co. purchased Motor Lorry from the Bombey Motor Co. on a hire purchase agreement on 1st january 2001 paying cash Rs. 10,000 agreeing to pay three further instalments of Rs 10,000 each on 31st December of every year. The cash price of the Motor Lorry is Rs 37,250 and the Motor Co. charges interest at 5% per annum. The Transpoart Co. write off 10% depreciation every year on the cash value of the Lorries on the reducing balance method. Make the necessary accounting records in journal and ledger of both the parties solve it by both the methods.

Ans. Interest of I, II and III years respectively Rs. 1362.50, Rs. 930.63, and Rs. 456.87.

2. डी कोलरी लि. 4,600 रू0 मे किराया क्रय–पद्धति पर वैगन खरीदने के लिये सहमत हो गयी। 1 जनवरी 1999 को जबकि वैगन लिये गये इस कम्पनी ने 600 रू0 नकद दिये और शेष राशि का भुगतान 800 रू0 और 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की वार्षिक किस्तों में किया। डी. कोलरी लि.

की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए। डी. कोलरी लि. वैगन की मूल लागत पर 10 प्रतिशत हास प्रति पर्ष काटती हैं।

The D. Colliery Ltd. agreed to purchase wagons from the Vendor on the hire – Purchase system for Rs 4,600, Rs 600 were paid when wagons acquired on 1st january 1999 and the balance was to be paid by annual instalments of Rs 800 plus interest at 5% percent per annum. Open the necessary ledger account in the books of the D Colliery Ltd. showing the details – to completion – of this transaction. The D. Colliery Ltd. depreciates the wagons each year by 10 % on the original cost.

Ans. Interest of I, II, III and IV years respectively Rs. Rs. 200, Rs.160, Rs. 120, Rs. 180

3. एक कोलरी कम्पनी नें 1 जनवरी 2002 को दो वर्ष की अवधि वाली किराया–क्रय प्रणाली पर वैगनो को किराया विक्रेता से क्रय किया। प्रत्येक किस्त 4,000 रू0 की हैं। जिसे छमाही दिया जाता है। वैगन का नकद मूल्य 14,870 रू0 है और वैगन कम्पनी 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अर्द्ध–वार्षिक आधार पर ब्याज लगाती हैं। कोलरी कम्पनी की पुस्तकों मे जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए और वैगनों का खाता खोलिए। खाते प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द किये जाते हैं।

A Colliery company purchases wagons from hire vendor on the hire purchase system over a term of two years starting 1st January 2002. The instalments of 4,000 each are payable half yearly. The present cash value of Wagon is Rs 14870 and the wagon company charges interest at the rate of 6 % per annum working on half yearly rates. Draft the necessary journal entries to record these transactions in the books of the Colliery company Prepare also the Wagons account, Book are closed every year on 31st December.

Ans. Interest of I, II, III, and IV of half year respectively Rs. 446.10, Rs. 339.48, Rs. 229.67, Rs. 114.75.

4. A ने एक मशीन 1 जनवरी 2002 को किराया–क्रय पद्धति पर **B** से खरीदी। मशीन की नकद कीमत 10,600 रू0 थी और इसका भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था राशि का भुगतान चार किस्तों में, जिनमें से प्रत्येक 3,000 रू0 की थी किया गया। इनमे से प्रत्येक किस्त, प्रत्येक वर्ष के अन्त में दी गयी। विक्रेता द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। A क्रमागत हास पद्धति के आधार पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ह्रास काटता है। क्रेता 31 दिसम्बर 2003 को देय होने वाली किस्त का भुगतान न कर सका। किराया–क्रय अधिनियम 1972 के अनुसार चूकिं किराया–क्रय मूल्य का वैधानिक अनुपात भुगतान नही हो सका है अतः विक्रेता ने सभी औपचारिकताए पूरी करने के बाद मशीन को अपने अधिकार में ले लिया। मशीन की ओवर हॉलिग में 1,000 रू0 व्यय हुए और इसे 9,580 रू0 में बेच दिया गया।

क्रेता की पुस्तकों में मशीन खाता और किराया–विक्रेता खाता खोलिए और B की पुस्तकों मे किराया–क्रेता खाता एवं पुनः अधिकार में आया रहतिया खाता खोलिए।

A Purchased a machine on 1st January 2002 on the Hire-Purchase system from B. The cash prise of the machinery was Rs 10,600 and the payment was to be made as follows: payment was to be made in four instalment of Rs 3,000 each at the end of each year, 5% interest is charged by the seller per annum. A has decided to write off 10 % depreciation annually on the diminishing balance method. The hire purchaser could not pay off the instalment due to 31st December 2003, according to Hire Purchase act 1972 as the statutory proportion of hire–purchase price has not been paid by the hire- purchaser, the seller after completing all formalities took possession of the machinery and spent Rs 1,000 in overhauling the machinery throughly and sold it Rs. 9580. Prepare the machinery account and hire- vendor's account in the books of A and hire- Purchaser's Account and Repossessed stock Account in the books in the books of B.

Ans. Interest on I instalment Rs. 530. Interest on II Instalment Rs. 407 Approx.

Balance of Machine Account. 31 December 2002. Rs. 9540.

Profit and Loss Account Rs. 49 transferred on 31 Dec. 2003

5. 1 जनवरी 2001 को न्यू कोलरी कम्पनी ने (किस्त भुगतान पद्धति) पर वैगन क्रय किये। वैगन का नकद मूल्य 11,175 रू0 था और भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था 3,000 रू0 समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दिये गये और शेष राशि का भुगतान 3 किस्तों मे किया गया, जिनमे से प्रत्येक किस्त 3,000 रू0 की है और प्रत्येक वर्ष के अन्त मे दी जाती है। वैगन कम्पनी द्वारा 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लिया जाता हैं। कम्पनी नकद मूल्य का क्रमागत हास पद्धति से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ह्रास काटती है। न्यू कोलरी कम्पनी की पुस्तकों में तथा वैगन कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए एवं आवश्यक खाते बनाइए।

On 1st January 2001, the new colliery Co. bought wagons on the instalment system. the cash price of wagons was Rs 11,175 and payment was to be made as follows ; An amount of Rs 3,000 was to be paid on the signing of the agreement and the balance in three instalments of Rs 3,000 each at the end of each year. 5% interest is charged by the wagon company per annum. The company writes off depreciation @ 10% annually on the diminishing balance method. Pass the necessary journal entries and open the necessary accounts in the books of New Colliery Co. and Wagon Company.

Ans. Interest of I, II and III year respectively Rs. 408.75, Rs. 279.18, Rs. 137.06.

Interest suspense Account Rs. 825.

2.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 जगदीश प्रकाश व डॉ0 डी0के0 वर्मा
2. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 एम0बी0 शुक्ल
3. उच्चतर लेखे– डॉ0पी0सी0 शर्मा
4. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 एस0एम0 शुक्ला
5. लेखांकन सिद्धान्त– डॉ0 रमेन्दु राय
6. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 अब्दुल करीम व डॉ0 एस0एस0 खनूजा
7. उच्चतर लेखाविधि– डॉ0 आर0के0 गुप्ता
8. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 बी0के0 सिंह एवं डॉ0 ए0पी0 सिंह

इकाई 3 संयुक्त साहस एंव माल प्रेषण

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 संयुक्त साहस का अर्थ एवं परिभाषा
3.3 संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर
3.4 संयुक्त साहस से संबधित लेखें
3.5 माल प्रेषण का अर्थ एंव परिभाषा
3.6 प्रेषण और विक्रय में अंतर
3.7 संयुक्त साहस और प्रेषण में अंतर
3.8 विक्रय विवरण और प्रेषण खाते में अंतर
3.9 माल प्रेषण से संबधित लेखें
3.10 सारांश
3.11 शब्दावली
3.12 बोध प्रश्न
3.13 बोध प्रश्नो के उत्तर
3.14 स्वपरख प्रश्न
3.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- संयुक्त साहस के अर्थ एंव परिभाषा की व्याख्या कर सके।
- संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर समझ सके।
- संयुक्त साहस के लेखे कर सके।
- माल प्रेषण के अर्थ एंव परिभाषा की व्याख्या कर सकें।
- प्रेषण और विक्रय, संयुक्त साहस और प्रेषण एंव विक्रय विवरण और प्रेषण खाते में विभेद कर सके।
- विभिन्न परिस्थितियो में माल प्रेषण से संबधित लेखे कर सके।

3.1 प्रस्तावना

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनियां या अन्य संस्थाएं संयुक्त जोखिम पर अस्थायी रूप से किसी कार्य को करने के लिए या माल क्रय–विक्रय करने के लिए और इसके लाभालाभ को समझौते के अनुसार बांटने के लिए सहमत होते है तो इस प्रकार के साहस को संयुक्त साहस कहा जाता है और संयुक्त साहस का कार्य पूरा होने पर यह समाप्त हो जाता है। वर्तमान युग स्पर्द्धा तथा बृहत् मात्रा में उत्पादन एवं निर्माण का है। सभी वस्तुओं का विक्रय अपने ही देश में निर्माण के स्थान पर अथवा व्यापारी के अपने क्षेत्र में ही नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यवसायी अधिकतम विक्रय करने का प्रयत्न करता है क्योंकि यह ही व्यापारिक सफलता की आधारशिला है। विक्रय बढ़ाने की अनेक नवीन विधियों का व्यवसायिक जगत में प्रयोग होता है जिसमें एक विधि प्रेषण द्वारा माल का विक्रय भी है।

3.2 संयुक्त उपक्रम का अर्थ एंव परिभाषा

प्रायः व्यापारिक क्षेत्र में कुछ अल्पकालीन ऐसे सुअवसर आते रहते है जिनसे लाभ उठाने की इच्छा व्यापारियों में जागृत हो जाती है। ऐसे व्यापारिक सुअवसरो में अकेले प्रविष्ट होने की अपेक्षा एक से अधिक अन्य व्यापारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार संयुक्त उपक्रम अल्पकालीन तथा एक व्यापारिक कार्य विशेष के लिए अपने चलते व्यापार के अतिरिक्त साझेदारी का स्वरूप धारण कर लेता है। कार्य विशेष समाप्त हो जाने पर लाभ–हानि बांटकर संयुक्त उपक्रम समाप्त हो जाता है। उदहरणार्थ, यदि लखनऊ का कोई व्यापारी किसी वस्तु की कलकत्ते में विशेष मांग और बढ़ते मूल्य का लाभ उठाना चाहता है तो इसके दो विकल्प हो सकते है–

1. वह कलकत्ते में किसी को अभिकर्ता नियुक्त करके माल का विक्रय कराये। ऐसी स्थिति में पूरी जोखिम उसकी ही रहेगी।
2. वह कलकत्ते के किसी अन्य व्यापारी को इस उपक्रम में सह–उपक्रमी के रूप में सम्मिलित होने के लिए तैयार करे। इस प्रकार जोखित बंट जायगी और आपसी सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होगा ।

इसी प्रकार अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करने, नीलाम में वस्तुए क्रय करके विक्रय करने, कोई निर्माण कार्य अथवा किसी वस्तु की पूर्ति का कार्य इत्यादि संयुक्त उपक्रम के रूप में किये जा सकते है। इसका प्रचलन अंशों तथा स्कन्ध में सट्टा करने, अंशों के अभिगोपन मे एक पूरा जहाज किराये पर लेने इत्यादि है।

इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि यह साझेदारी की प्रकृति का होने पर भी साझेदारी से भिन्न है। विशेषतः अपनी अस्थायी प्रकृति के कारण ऐसे उपक्रम अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अपने स्थायी व्यापार के अतिरिक्त किये जाते है। कभी–कभी प्रेषण की अपेक्षा संयुक्त उपक्रम ही अधिक उचित एंव लाभप्रद प्रतीत होता है। संयुक्त उपक्रम में सह–उपक्रमियों में सभी शर्तो पर आपसी करार हो जाता है और उसी के अनुसार उन्हे कार्य करना होता है। यदि कोई करार नहीं हैं तो उनके विवादों तथा सम्बन्धों का साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार ही निर्णय होगा।
संयुक्त साहस की आदर्श परिभाषा

3.3 संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर

अन्तर का आधार	संयुक्त साहस	साझेदारी
1. समझौता या सम्बन्ध	दो या दो से अधिक व्यक्तियों से कोई विशेष कार्य करने के लिए समझौता करना संयुक्त साहस या संयुक्त उपक्रम कहा जाता है।	साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध है जो एक ऐसे व्यापार का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा सबकी ओर से चलाया जाता है।
2. संख्या	संयुक्त साहस में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए पर इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	इसमें साझेदारी की अधिकतम सीमा बैंकिंग व्यवसाय के लिए दस है और अन्य व्यवसाय के लिए बीस है।
3. अधिनियम	इसके लिए अलग से कोई	इसके लिए भारतीय साझेदारी

	अधिनियम नही बनाया गया है।	अधिनियम, 1932 है और साझेदारी इसी के द्वारा नियन्त्रित होती है।
4. अवयस्क	इसमें अवयस्क के साथ समझौता अवैध है।	इसमें अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है पर साझेदार नहीं बनाया जा सकता है।
5. अवधि एंव स्थायित्व	यह किसी विशेष कार्य के लिए ही होता है और जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाता है संयुक्त साहस समाप्त हो जाता है। इसमें स्थायित्व नहीं है वरन् यह एक प्रकार की अस्थायी साझेदारी है।	यह केवल एक ही कार्य के लिए बहुधा नहीं होती है पर इसमें स्थायित्व है।
6. रजिस्ट्रेशन	बाहरी व्यक्तियों के प्रति वाद प्रस्तुत करने के लिए इसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है।	बाहरी व्यक्यिों के प्रति वाद प्रस्तुत करने के लिए इसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है।
7. नाम	साझेदारी संस्था की तरह इसमें फर्म का नाम नहीं होता है।	इसमें फर्म का नाम सदैव होता है।
8. प्रतिनिधित्व	संयुक्त साहस के अन्तर्गत प्रत्येक सह–साझेदार इस अस्थायी साझेदारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता।	साझेदारी में प्रत्येक साझेदार साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

3.4 संयुक्त साहस से संबधित लेखें

संयुक्त साहस के हिसाब का लेखा करने की निम्न विधियां हैः

i. संयुक्त साहस के लेन–देनों का लेखा अलग–अलग बहियों मे रखा जाना और संयुक्त बैंक खाता खोलना।

ii. संयुक्त साहस का हिसाब एक ही संयुक्त कारोबारी की पुस्तकों में रखना।

iii. सभी साहसियों द्वारा संयुक्त साहस खाता अपनी पुस्तकों में खोलना।

iv. मेमोरैण्डम संयुक्त साहस खाता खोलना।

1. संयुक्त साहस के लेन–देनों का लेखा अलग–अलग बहियों मे रखा जाना और संयुक्त बैंक खाता खोलना।

विशेषताएं – संयुक्त साहस के लेखांकन की इस विधि में निम्नांकित विशेषताएं हैः

1. एक संयुक्त बैंक खाते का खोला जाना – संयुक्त साहस के साझेदार जो राशि संयुक्त साहस में लगाना चाहते है उसे वे संयुक्त बैंक खाते में जमा करते है। इसी बैंक खाते से संयुक्त साहस के सभी व्यय किये जाते है।
2. प्रत्येक साहसी का खाता – संयुक्त साहसी की पुस्तकों में अलग से खोला जाता है।

3. संयुक्त साहस खाता – खोला जाता है जिसके डेबिट पक्ष में क्रय किये हुए माल एंव इसके सम्बन्ध में किये गये व्ययों का लेखा किया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में माल की बिक्री और अन्तिम रहतिया लिखा जाता है। इस खाते की बाकी लाभ या हानि होती है जिसे संयुक्त साहसियों में उनके समझौते के अनुसार निर्धारित लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाता है।
4. संयुक्त साहस का कार्य पूरा होने पर सब खाते एंव पुस्तके बन्द कर दी जाती हैं।

लेखांकन का ढंग – उपर्युक्त वर्णित विधि का लेखांकन एंव संयुक्त साहस तभी उपयुक्त है जब सभी संयुक्त साहसी एक ही स्थान के हों। इस विधि में संयुक्त साहस सम्बन्धी विभिन्न व्यवहारों का लेखा निम्न प्रकार किया जाता है।

इस विधि के अन्तर्गत जर्नल की प्रविष्टियां निम्न प्रकार होती हैः

1. सह–साहसियों द्वारा अपने हिस्से की पूंजी लाने पर :

Joint Bank A/C ...Dr.
To Co-Venturers' A/C
(Being Cash Deposited Into Joint Bank A/C By Co-Venturers)

2. माल नगद क्रय किये जाने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.
To Joint Bank A/C
(Being Goods Purchased For J.V.)

3. माल उधार क्रय करने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.
To Supplier's Personal A/C
(Being Goods Purchased On Credit For A/C)

4. सह–साहसी द्वारा माल दिये जाने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.
To Particular Co-Venturer A/C
(Being Goods Supplied By The Co-Venturer)

5. व्ययों का भुगतान करने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.
To Joint Bank A/C
(Being Expenses Paid On J.V. A/C)

6. सह–साहसी द्वारा व्ययों का भुगतान करने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.
To Particular Co -Venturer's A/C
(Being Expenses Incurred On Behalf Of Joint Venture By The Co-Venturer)

7. माल बेचने पर बैंक में जमा करने परः

Joint Bank A/C ...Dr.
To Joint Venture A/C
(Being Goods Sold On Account Of J.V.)

8. विक्रय राशि सह–साहसी द्वारा लेने परः

Particular Co-Venturer's A/C ...Dr.
To Joint Venture A/C

(Being Sale Proceeds Taken By Co-Venturer)

9. माल उधार बेचने परः

Purchaser's Personal A/C ...Dr.

To Joint Venture A/C

(Being Goods Sold On Credit)

10. माल सह–साहसी द्वारा लिये जाने परः

Particular Co-Venturer's A/C ...Dr.

To Joint Venture A/C

(Being Goods Taken By Him)

11. संयुक्त साहस पर लाभ होने की दशा मेंः

Joint Venture A/C ...Dr.

To Each Co-Venturer's A/C

(Being Distribution Of Joint Venturer's Profit)

12. संयुक्त साहस पर हानि होने की दशा में :

Each Co-Venturer's A/C ...Dr.

To Joint Venture A/C

(Being Transfer Of Joint Venturer's Loss)

13. संयुक्त साहस की समाप्ति पर सह–साहसियों को भुगतान की दशा मेंः

Particular Co-Venturer's A/C ...Dr.

To Joint Bank A/C

(Being Final Payment Made)

इस दशा में खोले जाने वाले खाते – ऊपर वर्णित दशा में साधारणतया निम्न खाते खोले जोते है– संयुक्त साहस खाता, बैंक खाता और सह–साहसियों के व्यक्तिगत खाते।

उदाहरण – 1

कानपुर के सुभाष और सुधीर ने कोयले को संयुक्त साहस पर बेचने का निर्णय किया। उन्होने एक बैंक में 40000 रू से संयुक्त साहस खाता खोला। इस खाते में सुभाष ने 24000 रू और सुधीर ने 16000 रू जमा किये। उन्होने अपने एजेण्ट रमेश को कोयला क्रय करने के लिए 30000 रू दिये। उन्होने भाड़ा पर 1000 रू बीमा पर 500 रू और विविध व्यय पर 500 रू भुगतान किये। उन्होने कमीशन 1000 रू दिया। कोयले को 40000 रू में बेचकर उन्होने संयुक्त साहस खाता बन्द कर दिया। बिना बिका हुआ कोयला सुधीर ने 6000 रू में क्रय कर लिया। वे लाभालाभ 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते हैं। आवश्यक खाते खोलिए एंव रोजनामचा प्रविष्टियां करिये।

	L.F.	Rs.	Rs.
Joint Bank A/C ... .Dr. To Subhash To Sudhir (Being Amount Deposited By Co-Venturer In Joint A/C		40000	 24000 16000
Joint Venture A/C ... .Dr.		30000	 30000

To Joint Bank A/C (Being Payment Made Ramesh For Purchase Of Coal)			
Joint Venture A/C ... .Dr. To Joint Bank A/C (Being Sale Of Goods)		2000	2000
Joint Bank A/C ... .Dr. To Joint Venture A/C (Being Sale Of Goods)		40000	4000
Joint Venture A/C ... .Dr. To Joint Bank A/C (Being Payment Of Commission)		1000	1000
Sudhir ... .Dr. To Joint Venture A/C (Being Stock Taken By Sudhir)		6000	6000
Joint Venture A/C ... .Dr. To Subhash To Sudhir (Being Distribution Of Profit Amongst Co-Ventrers)		13000	7800 5200
Subhash ... .Dr. Sudhir ... .Dr. To Joint Bank A/C (Being Amount Withdrawn By Co-Venturers		31800 15200	47000

Joint Venture Account

	Rs		Rs.
To Joint Bank A/C	30000	By Joint Bank A/C	40000
To Bank A/C Rs.		By Sudhir	6000
(a) Freight 1000			
(b) Insurance 500			
(c) Expenses 500			
(d) Commission 1000	3000		

To Subhash To Sudhir	7800[1] 5200[2]		
	46000		46000

[1] Profit = Rs. (40000 + 6000) - (3000 + 3000) = Rs. 13000, $\frac{13000 \text{ X } 3}{5}$ = Rs. 7800

[2] $\frac{13000 \text{ X } 2}{5}$ =Rs. 5200

Joint Bank Account

	Rs.		Rs.
To Subhash	24000	By Joint Venture A/C	30000
To Sudhir	16000	By Joint Venture A/C	3000
To Joint Venture A/C	40000	By Subhash	31800
		By Sudhir	15200
	80000		80000

Subhash And Sudhir's Accounts

	Subhash	Sudhir		Subhash	Sudhir
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
To J.V. A/C	_	6000	By Joint Bank A/C	24000	16000
To Joint Bank A/C	31800	15200	By J.V. A/C	7800	5200
	31800	21200		31800	21200

2. संयुक्त साहस का हिसाब एक ही संयुक्त कारोबारी की पुस्तकों मे रखना

जब सब साहसी मिलकर यह निर्णय करते हैं कि सब अपनी–अपनी राशि एक साहसी के पास जमा कर देंगे और वही साहसी संयुक्त साहस का सारा काम करेगा तथा अपनी बहियों में इसका हिसाब रखेगा व बाकी के साहसियों को धन लगाने के अलावा कोई और कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो यह विधि अपनायी जा सकती हैं। इसमें विशेषता यह है कि उस साहसी को जो हिसाब–किताब अपनी पुस्तकों में रखकर संयुक्त साहस का सारा कार्य करता है, कुछ कमीशन भी दिया जाता है। इस प्रकार उसे अपने लाभालाभ अनुपात में लाभ तो मिलता ही है, इसके अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। इस प्रथा के अनुसार साहसी की पुस्तको में निम्नलिखित खाते खोले जाते है : संयुक्त साहस खाता और साहसियो के खाते।

ऐसी स्थिति में संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी लेखे निम्न प्रकार होंगे :

1. संयुक्त उपक्रम के लिए माल क्रय करने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.

To Cash A/C Or Bank A/C Or Creditors

2. व्यय करने पर।

Joint Venture A/C ...Dr.

To Cash A/C

3. दूसरे सहउपक्रमी द्वारा माल क्रय करने तथा व्यय करने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.

To Co-Venturer

4. माल बेचने पर :

Cash A/C Or Debtors ...Dr.

To Joint Venture A/C

5. दूसरे सह–उपक्रमी द्वारा माल बेचने पर :

Co-Venturer ...Dr.

To Joint Venture A/C

6. कमीशन लेने पर :

Joint Venture A/C ...Dr.

To Commission A/C

7. बचा माल स्वयं लेने पर :

Purchases Or Drawings A/C ...Dr.

To Joint Venture A/C

8. लाभ बांटने पर

Joint Venture A/C ...Dr.

To P & L A/C

To Co-Venturer

9. ड्राफ्ट या स्वीकृति देकर संयुक्त उपक्रम व्यवसाय समाप्त करने पर :

Co-Venturer ...Dr.

To B/P/ A/C Or Bank A/C

उदाहरण – 2

'ए', 'बी' और 'सी' में माल को क्रय और विक्रय करने के लिए संयुक्त साहस का अनुबन्ध किया गया। 'सी ने 'ए' से 30000 रू और 'बी' से भी 30000 रू संयुक्त उपक्रम के लिए प्राप्त किये और स्वयं भी इतनी ही राशि लगायी। उसने 'डी' से 80000 रू का माल उधार खरीदा क्योंकि इस समय तक 'ए' और 'बी' से उनकी राशियां प्राप्त नहीं हो सकी थीं। जिस दिन 'ए' और 'बी' की राशियां प्राप्त हुई उसी दिन 'सी' ने 'डी' की पूरी राशि भुगतान कर दी। उसने क्रय के सम्बन्ध में 2000 रू किराये के, 600 रू. गाड़ी भाड़ा के और 600 रू बीमा के भुगतान किये। उसने 100000 रू का माल बेचा। वे लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते है।

'सी' की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा संयुक्त साहस और 'ए' तथा 'बी' का खाता बनाइए।

Journal Entries In The Books Of C

	l.f.	rs.	rs.
Cash A/C ...Dr.		60000	
To A			30000

To B (Being Amount Received From A & B)			30000
Joint Venture A/C ...Dr. To D (Being Goods Purchased For Joint Venture From D On Credit		80000	80000
Joint Venture A/C ...Dr. To Cash A/C (Being Of Freight Rs. 2000 Carriage Rs. 600 On Ins. Rs. 600)		3200	3200
Cash ...Dr. To Joint Venture A/C (Being Sale Of Goods On J. V.)		100000	100000
Joint Venture A/C ...Dr. To A To B To P & L A/C (Being Profit On Venture Transferred)		16800	5600 5600 5600
A ...Dr. B ...Dr. To Cash A/C (Being Amount Paid To A And B)		35600 35600	71200

Joint Venture Account

	Rs.		Rs.
To D	80000	by bank a/c	100000
To Cash A/C			
(a) Freight 2000			
(b) Cartage 600			
(c) Insurance 600	3200		
To A	5600		
To B	5600		
To P & L A/C	5600		
	100000		100000

A And B's Account

	A Rs.	B Rs.		A Rs.	B Rs.
To Bank A/C	35600	35600	By Bank A/C	30000	30000
			By J. V. A/C	5600	5600
			.		

	35600	35600		35600	35600

3. सभी साहसियों द्वारा संयुक्त साहस खाता अपनी पुस्तको में खोलना

इस विधि में प्रत्येक साहसी अपने यहां संयुक्त साहस खाता व अन्य साहसी या साहसियों के खाते खोलता है। यह लेखे उस समय अधिक उपयुक्त होते हैं जब संयुक्त साहस के सभी साहसी कुछ न कुछ कार्य इस करोबार में करते है। प्रत्येक साहसी उन सब लेन–देनों का ब्यौरा, जिसे उसने अपनी पुस्तकों में लिखा है, दूसरे के पास भेजता है। इस प्रकार संयुक्त साहस से सम्बंधित सभी लेन–देनों का ब्यौरा प्रत्येक साहसी के पास पहुंच जाता है, अतः पत्येक साहसी अपनी पुस्तको में इस साहस का लाभ या हानि निका सकता है। संयुक्त साहस का खाता, व्यापारिक एंव लाभ–हानि खाते ही की तरह है और इसकी बाकी लाभ या हानि प्रकट करती है जिसे साहसियों में बांटकर दिखाया जाता है। एक साहसी के यहां संयुक्त साहस खाते के अतिरिक्त अन्य साहसी का खाता भी खोला जाता है। इस खाते की वही बाकी होती है जो साहसी के खाते द्वारा अन्य साहसी की पुस्तकों में प्रकट की जाती है। इस विधि में निम्न प्रकार के लेखे किये जाते है।

I. **माल का क्रय** – संयुक्त साहस खाता डेबिट और रोकड़ खाता या माल बेचने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है। संयुक्त साहस में जब साहसी रोकड़ के स्थान पर माल देता है, तो संयुक्त साहस खाता डेबिट और माल खाता क्रेडिट किया जाता है।

II. **माल की बिक्री पर** – यदि साहसी ने नकद माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है, परन्तु यदि माल उधार बेचा गया है तो माल क्रय करने वाले का खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है।

III. **दूसरे साहसी के व्यय** – दूसरा साहसी जो अन्य माल क्रय करने में या इस कारोबार में करता है, उन व्ययों से संयुक्त साहस खाता डेबिट और उस साहसी का खाता क्रेडिट किया जाता है।

IV. **साहसी द्वारा बिक्री होने पर** – यदि माल की बिक्री अन्य साहसी द्वारा की जाती है, तो अन्य साहसी का खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है।

V. **संयुक्त साहस का माल स्वयं क्रय करने पर** – यदि वह साहसी जिसकी पुस्तको में संयुक्त साहस खाता खोला जा रहा है संयुक्त साहस के बिक्री होने वाले माल को स्वयं क्रय करता है तो माल खाता, स्टॉक खाता या क्रय खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है।

VI. **साहसी के व्ययों के लिए** – यदि साहसी संयुक्त साहस के सम्बन्ध में किराया, भाड़ा आदि के लिए व्यय करता है तो संयुक्त साहस खाता डेबिट ओर रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है।

VII. **अन्तिम रहतिया के लिए** – यदि कोई माल बिकने से रह जाता है तो अन्तिम रहतिया खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है, परन्तु यदि बिना बिका हुआ यह माल सह–साहसी के पास रह जाता है तो सह–साहसी का खाता डेबिट और संयुक्त साहस खाता क्रेडिट किया जाता है।

VIII. **ब्याज के लिए** – जब साहसी संयुक्त साहस से ब्याज लेता है तो संयुक्त साहस खाता डेबिट और ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता हे।

IX. **अन्य साहसी के ब्याज के लिए** – संयुक्त साहस द्वारा जो ब्याज अन्य साहसी को देय होता है उसके लिए संयुक्त साहस खाता डेबिट और अन्य साहसी का खाता क्रेडिट किया जाता है।

X. **संयुक्त साहस खाते को बन्द करने पर** – संयुक्त साहस खाते के क्रेडिट पक्ष के बड़े तथा डेबिट पक्ष के छोटे होने पर लाभ होता है और इस लाभ को सब साहसियों में लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। अपने लाभ से लाभालाभ खाता क्रेडिट तथा अन्य साहसी के लाभ के भाग से उसका व्यक्तिगत खाता क्रेडिट और पूरे लाभ से संयुक्त साहसी खाता डेबिट किया जाता है। हानि की दशा में लाभालाभ खाता अपनी हानि के भाग से डेबिट तथा साहसी का व्यक्तिगत खाता उसकी हानि के भाग से डेबिट व संयुक्त कारोबार खाता क्रेडिट किया जाता है।

XI. **साहसी के व्यक्तिगत खाते की बाकी के लिए** – साहसी के खाते की बाकी आपसी अनुबन्ध के अनुसार प्राप्त या भुगतान की जाती है। यदि साहसी को कुछ राशि नकद दी जाती है तो साहसी का खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। यदि साहसी से कुछ राशि प्राप्त की जाती है तो रोकड़ खाता डेबिट और साहसी का खाता क्रेडिट किया जाता है।

XII. **अन्य साहसी से बिल प्राप्त होने पर** – प्राप्य बिल खाता डेबिट और अन्य साहसी का खाता क्रेडिट किया जाता है

XIII. **प्राप्य बिल की कटौती के लिए** – जब अन्य साहसी से प्राप्य बिल प्राप्त होता है और इसे भुनाया जाता है तो जो कटौती होती है उसके लिए संयुक्त साहस खाता डेबिट और प्राप्य बिल खाता क्रेडिट किया जाता है।

In The Books Of The Persons Receiving B/R :

Joint Venture A/C Dr
    To B/R A/C
(Being Record For Discount Of B/R)

In The Books Of A Person Giving Acceptance:

Joint Venture A/C Dr
    To That Person A/C Who Has Recd. B/R
(Being Record For Discount)

XIV. **एक साहसी द्वारा दूसरे साहसी को माल भेजने पर** – जब एक साहसी दूसरे साहसी के पास संयुक्त साहस से सम्बन्धित माल भेजता है तो इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है वरन् भविष्य के प्रसंग के लिए स्मारक पुस्तक में लिख लिया जाता है।

XV. **अन्य साहसी का खाता बन्द करने पर** – अन्य साहसी का खाता बन्द करने पर जो अन्तिम शेष रहता है वह यदि क्रेडिट बाकी होगी तो उससे यह बाकी रोकड़ में, ड्राफ्ट द्वारा या बिल द्वारा वसूल की जाती है, यदि डेबिट बाकी होगी तो उसे रोकड़, ड्राफ्ट या देय बिल द्वारा चुकाया जाता है।

उदाहरण – 3

दिल्ली के रामनाथ और मुम्बई के बाबूराम एक संयुक्त साहस में 100 गांठें कपड़े की कोलकाता के चांद नारायण को भेजकर उसके जोखिम पर बेचने के लिए सहमत हुए। रामनाथ और बाबूराम के लाभालाभ अनुपात 3/5 और 2/5 है। रामनाथ ने 75 गांठें 1000 रू प्रति गांठ की दर से भेजीं जिन पर भाड़ा तथा अन्य व्यय 1500 रू. भुगतान किया। बाबूराम ने 25 गांठें 1250 रू. प्रति गांठ की दर सें भंजीं जिन पर उन्होंने भाड़ा व अन्य व्यय 600 रू. भुगतान किया।

चांद नारायण द्वारा सभी गांठें 130000 रू. में बेच दी गयीं जिनमें से उन्होने 1100 रू अपने द्वारा किये व्यय तथा 2½ % अपने कमीशन के काटे। उसने 90000 रू का एक चैक रामनाथ के पास और शेष राशि बाबूराम के पास भेज दी।
रामनाथ और बाबूराम की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए।

In The Books Of Ram Nath Of Delhi

Joint Venture Account

	Rs.		Rs.
To Goods A/C	75000[1]	By Chand Narain	130000
To Cash A/C	1500		
To Babu Ram :			
(a) Goods 31250[2]			
(b) Carriage Etc. 600	31850		
To Chand Narain			
(a) Expenses 1100			
(b) Comm. 3250[3]	4350		
To P. & L. A/C	10380[4]		
To Babu Ram	6920[5]		
	130000		130000

[1] 75 x 1000 = rs. 75000

[2] 25 x 1250 = rs. 31250

[3] $\frac{130000 \times 5}{2 \times 100}$ = rs. 3250

[4] rs. 130000 – (75000 + 1500 + 31850 + 4350) $\frac{17300 \times 3}{5}$ = rs. 10380

[5] $\frac{17300 \times 3}{5}$ = rs. 6920

Babu ram

	Rs.		Rs.
To Chand Narain	35650[6]	By J.V. A/C	31850
To Balance C/D	3120	By J.V. A/C	6920
	38770		38770

[6] Rs. 130000 – 4350 = Rs. 125650; 125650 – 90000 = Rs. 35650

In The Books Of Babu Ram Of Mumbai

Joint Venture

	Rs.		Rs.
To Goods A/C	31250	By Chand Narain	130000
To Cash A/C	600		
To Ram Nath			
(a) Goods 75000			
(b) Expe. 1500	76500		
To Chand Narain			
(a) Exps. 1100			
(b) Commission 3250	4350		
To P & L A/C	6920		
To Ram Nath	10380		
	130000		130000

Ram nath

	Rs.		Rs.
By Chand Narain	90000	By J.V. A/C	76500
		By J.V. A/C	10380
		By Balance C/D	3120
	90000		90000

स्टॉक का मूल्यांकन – संयुक्त साहस खाता की बाकी निकालते समय स्टॉक का मूल्यांकन एक गम्भीर समस्या है। इसका मूल्यांकन लागत + आनुपातिक व्यय (पर इसमें बिक्री व वितरण व्यय शामिल नहीं किये जायेंगें) जोड़कर आने वाली राशि व बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए।

सम्पत्तियों का ह्रास – जहां संयुक्त साहस में सम्पत्तियां प्रयोंग की जाती है, वहां इनका ह्रास संयुक्त साहस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और ह्रास के क्रेडिट पक्ष में या सम्पत्तियों के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है या सम्पत्ति का मूल्य संयुक्त साहस खाते के क्रेडिट पक्ष में और इसका ह्रासित मूल्य इसी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार लाभ या हानि पर इसका प्रभाव अपने आप पड़ता है।

ब्याज – जब संयुक्त साहस के पक्षों में डेबिट और क्रेडिट राशियों पर ब्याज के बारे में समझौता हो जाता है तो संयुक्त साहस खाता चालू की तरह प्रयोग किया जाता है। संयुक्त साहस खाते में लाभ की राशि निकालने के पहले ब्याज का लेखा किया जाता है। ब्याज खाते की बाकी लाभ–हानि खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। दोनों पक्षों मे हाने वाले नकद सौदों का ब्याज मेमोरैण्डम संयुक्त साहस खाते में नहीं लिखा जाता है, क्योकि इसका प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है, संयुक्त साहस पर नहीं।

4. मेमोरैण्डम संयुक्त साहस खाता खोलना

इस विधि के अन्तर्गत संयुक्त साहस व्यवसाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे स्दस्यों के साथ संयुक्त साहस खाता खोलना है तथा संयुक्त साहस से सम्बन्धित सभी लेन–देनों को इस खातें में उसी प्रकार लिखता है जैसे कि अन्य व्यक्ति के साथ सह–साहसी लेन–देन करता हो। संयुक्त साहस व्यवसायके समापन पर प्रत्येक सह–साहसी संयुक्त साहस खाते की नकल एक–दूसरे सह–साहसी को भेज देता है। इस नकल के प्राप्त होने पर प्रत्येक सह–साहसी अपनी पुस्तकों में मेमोरैण्डम संयुक्त साहस खाता खोलता है।

इस प्रकार इस खाते से जो लाभ–हानि ज्ञात होती है, उस समस्त सह–साहसियों में एक पूर्व निश्चित अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक सह–साहसी लाभ या हानि से संयुक्त उपक्रम खाते को ऋणी या धनी कर देता है। इस प्रकार अन्त में संयुक्त उपक्रम खाते का जो शेष निकलता है वह रकम आपस में एक सह–साहसी दूसरे सह–साहसी को भेज देता है या प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक सह–साहसी के जर्नल में अग्रलिखित जर्नल के लेखे लिए जाते है।

(1) माल के क्रय एंव व्ययों का भुगतान करने पर –

Co-Adventurer's A/C Dr.
    To Cash Or Bank A/C

(2) अपने पास से माल देने पर –

Co-Adventurer A/C Dr.
    To Sales Or Goods A/C

(3) स्वयं माल की बिक्री करने पर –

Cash, Bank Or Debtor's A/C Dr.
    To Co-Adventurer A/C

(4) बचा हुआ माल स्वयं लेने पर –

Purchase A/C Dr.
    To Co-Adevturer's

(5) संयुक्त उपक्रम पर लाभ होने पर –

Co-Adventurer's A/C Dr.
    To Profit & Loss A/C

(6) यदि सम्पूर्ण माल के विक्रय से पूर्व लाभ ज्ञात किया जाता है – यदि संयुक्त उपक्रम कार्य पूर्ण हाने से पूर्व माल का रहतिया बच जाता है तो इसके मूल्य से सह–साहसी का खाता धनी किया जाता हैं तथा इसको अगले वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक शेष के रूप में दिखाया जाता है। इसके लिए निम्न जर्नल लेखा किया जाता है।–

Joint Venture Stock A/C Dr.
    To Joint Venture A/C

(7) अन्तिम हिसाब के रूप में भुगतान प्राप्त होने पर–

Cash, Bank Or B/R A/C Dr.
    To Co-Adventurer' A/C

(8) भुगतान देने पर –

Co-Adventurer's A/C Dr.
    To Cash, Bank Or B/P A/C

उदाहरण – 4

ए, बी, ने संयुक्त उपक्रम पर पुरानी घड़ियां खरीदकर बेचने के लिए अनुबन्ध किया तथा निश्चय किया कि दोनों ही व्यापार का कार्य देखेंगे तथा लाभ–हानि भी समान अनुपात में विभाजित करेंगे। वर्ष 2007 में उनके लेन–देन निम्न प्रकार थे–

जनवरी 1	अ ने दस घड़ियां 2900 रू में क्रय कीं।
जनवरी 31	अ ने घड़ियों की मरम्मत पर 260 रू व्यय किए।
मार्च 1	ब ने शोरूम के किराए के 120 रू एंव विज्ञापन के 60 रू दिए।
अप्रैल 12	ब ने लाइसेंस के नवीनीकरण के 136 रू दिए।
अगस्त 10	ब ने एक घड़ी 300 रू की क्रय की।
अगस्त 31	अ ने समस्त घड़ियां 5600 रू में विक्रय कर दी।

उपर्युक्त विवरण से अ तथा ब की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा अ की पुस्तकों में ब के साथ संयुक्त उपक्रम खाता, ब की पुस्तकों में अ के साथ संयुक्त उपक्रम खाता तथा संयुक्त उपक्रम के लिए मेमोरैण्डम संयुक्त उपक्रम खाता तैयार कीजिए।

In The Books Of A- Journal Entires

2007			Rs	Rs.
Jan.1	Joint Venture With B… …		2900	
	…Dr			2900
	To Cash A/C			
	(Being Goods Purchased For Joint		260	
	Venture)			260
Jan.	Joint Venture With B… …			
31	…Dr		5600	
	To Xash A/C			5600
	(Being Repairs Paid For Joint Venture)			
Aug.	Cash A/C … …			
31	…Dr			
	Joint Venture With B			
	(Being Goods Sold For Joint Venture)			
Aug.	Joint Venture With B … …		912	
31	…Dr			912
	To P & L A/C			
	(Being Share Of Profit Calculated From			
	Joint Venture Memorandum A/C)		1528	
Aug.	Joint Venture With B B… …			1528
31	…Dr			
	To Cash A/C			
	(Being Cash Paid In Full Settlement			

Joint Venture Account With B

	Rs.		Rs.
To Cash S/C (Purchases)	2900	By Cash A/C (Sales)	5600
To Cash A/C (Expenses)	260		
To P&L A/C (Share Of Profit)	912		
To Cash A/C (Paid To B)	1528		
	5600		5600

Joint Venture Memorandum Account

	Rs.		Rs.
To A (Purchases)	2900	By A (Sales)	5600
To B (Purchases)	300		
To A (Repairs)	260		
To B (Rent)	120		
To B (Advertisement)	60		
To A (License &Insurance)	136		
To P & L A/C (Share Of Profit)	912		
To A (Share Of Profit)	912		
	5600		5600

Journal Entires In The Books Of B

			Rs.	Rs.
2007 March 1	Joint Venture With A... ... ...Dr To Cash A/C (Being Expenses Paid For Joint Venture)		180	180
Apirl 12	Joint Venture With A... ... ...Dr To Cash A/C (Being Insurance Premium Paid For Joint Venture)		136	136
Aug. 10	Joint Venture With A... ... ...Dr To Cash A/C (Being Watch Purchased For Joint Venture)		300	300
			912	912
Aug. 31	Joint Venture With A... ...			

	...Dr To P & L A/C (Being Share Of Profit Calculated From Joint Venture Memorannum A/C		1528	1528
Aug. 31	Cash A/C ... ...Dr To Joint Venture With A (Being Cash Received In Full Settlement)			

Joint Venture Account With A

	Rs.		Rs.
To Cash A/C (Expenses)	180	By Cash A/C (Received From A)	1528
To Cash A/C (Expenses)	136		
To Cash A/C (Watch Purchased)	300		
	912		
To P & L A/C (Share Of Profit	1528		1528

3.5 माल प्रेषण का अर्थ एंव परिभाषा

विक्रय बढ़ाने की अनेक नवीन विधियों का व्यवसायिक जगत में प्रयोग होता है जिसमें एक विधि प्रेषण द्वारा माल का विक्रय भी है। जब स्वामी द्वारा एजेन्टो के पास बिक्री के लिये माल भेजा जाता है तो इसे चालान या प्रेषण पर भेजा हुआ माल कहा जाता है।

माल प्रेषण की आदर्श परिभाषा – माल प्रेषण का आशय एक व्यापारी द्वारा अपने एजेन्टो को बिक्री के लिये माल भेजना है ताकि वह मालिक की ओर से तथा उसी के जोखिम पर, कमीशन व अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के आधार पर उसकी बिक्री कर सकें।

माँग और पूर्ति की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर तथा देशों में वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर होते है और प्रत्येक स्थान पर व्यवसायी द्वारा स्वयं जाकर विक्रय करना अथवा शाखा खोलना सम्भव नही, अतएव विक्रय बढ़ाने की अनेक नवीन विधियों का व्यावसायिक जगत में प्रयोग होता है। जिसमें एक विधि प्रेषण द्वारा माल का विक्रय भी है।

आधुनिक व्यवसाय की क्रियायें इतनी अधिक जटिल और पेंचीदी हो गई है कि व्यापारी को स्वयं समस्त क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा उनको करना असम्भव ही है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाये करने के लिये एक नये वर्ग का जन्म हुआ है जिसे अभिकर्ता या आढ़तिया कहते है और इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है विभिन्न नगरों तथा विदेशों में एजेन्टों अथवा आढ़तियों का जाल सा बिछा हुआ है। ये लोग अपने नगर तथा देश की परिस्थितियों, रूचियों तथा मांग का पूर्ण ज्ञान रखते है। इनके अपने स्थापित सम्बन्ध भी होते है जिनके द्वारा वे निर्माताओं, थोक–विक्रेताओं तथा निर्यातकों की विक्रय बढ़ाने में सहायता कर सकते है। इन्ही एजेन्टों द्वारा निर्यातकों, निर्माताओ तथा थोक–व्यापरियों के माल

को स्टाक मे रखना और उसका विक्रय करना, चालान अथवा प्रेषण द्वारा माल का विक्रय कहलाता है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

I. चालानकर्ता अथवा प्रेषक – वे निर्यातक, थोक व्यापारी अथवा, निर्माता जो चालान द्वारा विक्रयार्थ माल आढ़तियों अथवा एजेन्टों को भेजते है चालानकर्ता अथवा प्रेषक कहलाते है।

II. प्रेषिती अथवा एजेन्ट – वे आढतिये अथवा एजेन्ट जो विक्रयार्थ निर्यातकों, थोक व्यापारियों अथवा निर्माताओं सें विक्रयार्थ माल प्राप्त करते है, प्रेषिती कहलाते है।

III. चालान पर निर्गत माल – जो माल विक्रय के लिये विभिन्न नगरों तथा विदेशों में स्थित एजेन्टों के पास भेजा जाता है, वह चालान पर निर्गत माल कहलाता है।

IV. चालान पर आगत माल – एजेन्टों अथवा आढती की विक्रय के लिये व्यवसायियों का जो माल प्राप्त होता है, वह उनकी दृष्टि से चालान पर आगत माल कहलाता है।

V. विक्रय विवरण – एजेन्ट द्वारा माल का विक्रय हो जाने पर विक्रय विवरण भेजते हैं जिसमें बिके हुये माल, उससे सम्बन्धित व्यय तथा कमीशन का पूर्ण विवरण दिया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि माल धनी अथवा प्रेषक को कितनी रकम एजेण्ट से प्राप्त करनी है। विक्रय विवरण की सहायता से ही प्रेषण सम्बन्धी लेखा कार्य, किया जाता है।

एजेन्ट और प्रेषक के आपसी सम्बन्ध

प्रेषक और एजेण्ट के आपसी सम्बन्ध एजेन्सी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित एंव संचालित होते है। संक्षेप में माल प्रेषण सम्बन्धी दोनों पक्षों के सम्बन्ध निम्नलिखित होते है–

i. चालान अथवा प्रेषण पर भेजा गया माल विक्रय नहीं है। माल का केवल स्थान बदल जाता है, स्वामित्व नही हस्तान्तरित होता है, अतएव माल करने पर एजेन्ट माल का स्वामी नहीं होता, वह प्रेषक की ओर से तथा उसकी जोखिम पर माल बेचने के लिये उत्तरदायी होता है।

ii. माल से सम्बन्धित किसी प्रकार की हानि तथा व्यय के लिए अभिकर्ता उत्तरदायी नही होता है। यदि वह प्रेषक की ओर से कोई व्यय करता है तो उसे प्रेषक से वह रकम प्राप्त करने का अधिकार होता है।

iii. जब तक माल नहीं बिकता है, एजेण्ट प्रेषक का देनदार नहीं होता। अगर माल बिक न सके तो वह माल प्रेषक को लैटा दिया जायेगा और माल लौटाने के व्यय भी प्रेषक को ही सहन करने पड़ेंगे।

iv. व्यवहार में जमानत के रूप में प्रेषक द्वारा अग्रिम राशि नकद अथवा स्वीकृति के रूप प्राप्त किी जाती है। इस राशि के लिये प्रेषक एजेन्ट का देनदार होता है जब तक माल के विक्रय द्वारा उसको उतनी राशि प्राप्त न हो।

v. माल बिक जाने पर एजेन्ट प्रेषक का देनदार हो जाता है। विक्रय द्वारा प्राप्त राशि में से उसे अपना कमीशन तथा मालधनी की ओर से किए हुए व्यय तथा अग्रिम राशि काट लेने का अधिकार होता है। शेष रकम के लिये वह देनदार होता है।

vi. एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि वह माल का विक्रय प्रेषक के निर्देशानुसार करे। माल को सुरक्षित रखने तथा यथाशक्ति लाभ पर माल बेचने के लिये वह जिम्मेदार होता है।

vii. अपनी सेवाओं के लिये वह पारिश्रमिक जिसे कमीशन कहते है, पाने का अधिकारी है।

अभिकर्ता का पारिश्रमिक – एजेण्ट को उसकी सेवाओ के लिये पारिश्रमिक स्वरूप कमीशन दिया जाता है जो आपसी शर्तो के अनुसार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है।

1. **सामान्य विक्रय कमीशन** – यह कमीशन प्रेषण द्वारा विक्रय का आधार है। कमीशन की दरे भिन्न हो सकती हैं परन्तु विक्रय की कुल राशि पर पूर्व निश्चित दर से गणना करके इस कमीशन को देना अनिवार्य है। माल बिकने पर हानि हुई हो, अथवा लाभ, एजेण्ट को यह कमीशन देना ही पड़ेगा।
2. **विशिष्ट कमीशन** – प्रायः एजेण्टों को माल को अधिकतम लाभप्रद मूल्य पर बेचने के लिये प्रेरणा स्वरूप यह कमीशन दिया जाता है। इस अवस्था में वस्तु का मूल्य निश्चित कर दिया जाता है जिससे अधिक प्राप्त राशि पर प्रतिशत के रूप से इस कमीशन की गणना की जाती हे और दिया जाता है। कभी कभी अतिरिक्त लाभ में सें कुछ भाग एजेण्ट को दिया जाता है।
3. **परिशोध कमीशन** – प्रेषण पर भेजे गये माल से सम्बन्धित सभी प्रकार की जोखिम के लिये प्रेषक उत्तरदायी होता है। यदि अभिकर्ता प्रेषक के आदेशानुसार माल उधार बेचता है और कुछ रकम बट्टा हो जाती है तो यह हानि प्रेषक को ही उठानी पड़ेगी, इसलिये इस प्रकार की हानि के लिये एजेंण्ट को ही उत्तरदीय बनाने की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है जिसे परिशोध कमीशन कहते है और एजेण्ट को परिशोध एजेण्ट कहते है। बट्टे द्वारा हानि के लिये परिशोध एजेंण्ट उत्तरदायी होता है अतएव वह अधिक सतर्कता और सावधानी से माल का उधार विक्रय करता है। इस कमीशन की गणना आपसी शर्तों पर निर्भर करती है, वैसे व्यय हार में यह विक्रय की कुल राशि पर ही दिया जाता है। शर्तो के अनुसार यह भी सम्भव हो सकता है कि यह कमीशन उधार बेचे गये माल की राशि पर ही दिया जाय। यदि कोई शर्त नहीं है तो कमीशन की गणना का आधार विक्रय की कुल राशि ही होगी यह स्मरणीय है कि एजेंण्ट बाजार में माल न बेचकर स्वयं ही उस माल को खरीद ले तो भी वह कमीशन पाने का अधिकारी होगा।

माल प्रेषण की गति विधि – व्यवसायी द्वारा विभिन्न नगरों तथा विदेशों में माल की बिक्री करने के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इनको विक्रय हेतु समय–समय पर माल सीधा भेजा जाता है और एक कच्चा बीजक बनाकर भेज दिया जाता है। इस बीजक का उद्‌देश्य एजेण्ट को माल के मूल्य और तत्सम्बन्धी व्यय की जानकारी कराना है जिससे उसे माल का विक्रय करने में सुविधा हो। उसे आदेश भी होता है कि कच्चे बीजक में दिये हुये मूल्य से कम पर वह माल न बेचे। माल प्राप्त होने पर अभिकर्ता माल का बीजक से मिलान कर लेता है और यदि कोई अन्तर हो जैसे यदि माल बिगड़ गया हो, कम हो अथवा चोरी हो गया हो तो उसकी सूचना माल धनी को दे देता है। उसे माल को छुड़ाने, गोदाम तक ले जाने, सुरक्षित रखने तथा विक्रय करने मे मालधनी की और से अनेक व्यय करने होते है।

एजेण्ट द्वारा पूरा माल बेच देने पर अथवा आंशिक रूप से बिक जाने पर विक्रय विवरण भेजना पड़ता है। विक्रय विवरण प्राप्त हो जाने पर ही प्रेषण सम्बन्धी खातों मे लेखा किया जाता है। प्रायः बड़े एजण्टों से स्वीकृति के रूप में अग्रिम भी प्राप्त किया जाता है। इस स्वीकृति को आवश्यकता पड़ने पर भुनाया भी जा सकता है। अथवा पृष्ठांकन द्वारा किसी लेनदार को हस्तान्तरित किया जा सकता है। बिल भुनाने

के बट्टे के सम्बन्धी में यह प्रश्न उठता है कि इसे प्रेषण का व्यय माना जाय अथवा पूरे व्यापार का उचित यही मालूम पड़ता है कि इसे व्यापार के लाभ हानि खातें में डेबिट किया जाय, क्योकि यह अग्रिम राशि है और वित्त सम्बन्धी आवश्यकता के कारण इसे भुनया जाता है। यह हानि प्रेषण से बिल्कुल सम्बन्धित नही है। यदि व्यापारी केवल माल प्रेषण का ही व्यापार करता है तो इस राशि को सम्बन्धित प्रेषण खाते में ही डेबिट करना होगा।

व्यापारिक वर्ष समाप्त होने पर पर तो एजेण्ट को विक्रय भेजना अनिवार्य है बिना उसके फर्म के अन्तिम खाते तैयार हो ही नहीं सकते। प्रेषण पर लाभ अथवा हानि तथा प्रेषण रहतिया हिसाब में लाना आवश्यक है। विक्रय विवरण के साथ–साथ एजेण्ट द्वारा देय राशि बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेज दी जाती है। यदि माल बिक गया है और एजेण्ट ने भुगतान नही किया है तो एजेन्ट देनदार के रूप में चिट्ठे मे दिखलाया जायगा। इसी प्रकार प्रेषण रहतिया भी चल सम्पत्ति के रू॰ में चिट्ठे में प्रदर्शित होगा।

3.6 प्रेषण और विक्रय में अंतर

क्रम स.	अन्तर का आधर	प्रेषण	बिक्री
1.	स्वामित्व	प्रेषण पर भेजे गए माल पर स्वामित्व प्रेषक का होता है, प्रेषणी का नहीं।	माल की बिक्री हो जाने पर माल का स्वामित्व माल के क्रेता को हस्तान्तरित हो जाता है।
2.	देनदार या ऋणी होना	प्रेषणी जब तक माल का विक्रय नहीं कर देता तब तक वह प्रेषक का ऋणी या देनदार नहीं होता।	माल उधार बेचते ही क्रेता विक्रेता का ऋणी अथवा देनदार हो जाता है।
3.	माल का क्षतिग्रस्त होना	प्रेषण पर भेजा गया माल यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रेषक उत्तरदायी होता है।	माल बिक जाने के पश्चात् क्षति के सम्बन्ध में विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।
4.	परस्पर सम्बन्ध	प्रेषक और प्रेषणी में प्रधान और प्रतिनिधि का सम्बन्ध होता है।	माल की बिक्री होने पर क्रेता और विक्रेता में स्थायी सम्बन्ध नहीं होता।
5.	अनबिके माल की वापसी	प्रेषणी के पास अनबिका माल प्रेषक का होता है। प्रेषणी उसे प्रेषक उसे प्रेषक को वापस कर सकता है।	क्रेता को क्रय किया हुआ माल सामान्यतः वापस करने का अधिकार नहीं होता।
6.	कमीशन की प्राप्ति	प्रेषणी द्वारा माल की बिक्री किए जाने पर प्रेषणी को कमीशन मिलता है।	माल के क्रेता को कभी–कभी व्यापारिक बट्टा मिलता है।
7.	बिक्री के व्यय	प्रेषणी द्वारा किए गए अभी व्यय प्रेषक को देने पड़ते है।	माल बिक जाने के पश्चात् सभी व्यय क्रेता द्वारा किए जाते है।
8.	विक्रय विवरण बनाना	प्रेषणी को उसके द्वारा विक्रय किए गए माल तथा बिना बिके माल का हिसाब बनाकर समयानुसार प्रेषक को भेजना होता है।	बिक्री में क्रेता को माल क्रय किए जाने के पश्चात् कोई हिसाब बनाकर नहीं भेजना पड़ेगा।

9.	विक्रय किए गए माल के लाभ पर अधिकार	प्रेषणी द्वारा विक्रय किए गए माल के लाभ पर प्रेषक का अधिकार होता है।	विक्रय हो चुकने के पश्चात् क्रेता यदि उस माल का पुनः विक्रय कर लाभ कमाता है तो उस लाभ पर क्रेता का अधिकार होगा विक्रेता का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

3.7 संयुक्त साहस और प्रेषण में अंतर

अन्तर का आधार	संयुक्त साहस	प्रेषण
1. प्रधान एंव प्रतिनिधि का सम्बन्ध	इसमें सभी संयुक्त साहसी बराबर स्थिति के होते है। इनमें से कोई भी प्रधान एंव दूसरे का प्रतिनिधि नहीं होता है।	इसमें प्रेषण प्रधान की स्थिति में और प्रेषी प्रतिनिधि की स्थिति में होता है।
2. स्वामित्व	इसमें सभी संयुक्त साहसी संयुक्त साहस के माल के स्वामी होते है।	इसमें केवल प्रेषक ही माल का स्वामी होता है।
3. कार्यक्षेत्र	यह माल बेचने क अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए भी किया जाता है, जैसे– भवन बनाने का ठेका लिया जाना आदि।	यह माल बेचने के अतिक्ति अन्य किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जाता है।
4. साझेदारी	इसके सभी साहसी, साझेदारी की स्थिति में होते है और यह एक तरह से अस्थायी साझेदारी मानी जाती है।	यह अस्थायी साझेदारी के रूप में नहीं है। यद्यपि कभी–कभी प्रेषीं को प्रेषण के लाभ में भी कुछ भाग दे दिया जाता है।
5. लाभ का बंटवारा	संयुक्त साहसियों में लाभ बंटवारा उनकं द्वारा किये गये अनुबंध में निर्धारित अनुपात के अनुसार होता है।	प्रेषक और प्रेषी में लाभ का बंटवारा नहीं होता है वरन् प्रेषी को कमीशन दिया जाता है और प्रेषण का सम्पूर्ण लाभ प्रेषक द्वारा लिया जाता है।
6. हानि का उत्तरदायित्व	निर्धारित अनुपात में अभी संयुक्त साहसी हानियों का उत्तरदायित्व लेते है।	हानियों का उत्तरदायित्व केवल प्रेषक पर ही होता है।
7. विभिन्न अधिकार	संयुक्त साहसियों को माल के क्रय–विक्रय एंव इससे सम्बन्धित धन आदि वसूल करने के अधिकार होते है।	प्रेषी को केवल वही अधिकार होते है जो प्रेषक द्वारा उसे दिये जाते है।
8. पूंजी लगाना	सुयुक्त साहसी के कार्य में बहुधा सभी संयुक्त साहसी पूंजी	प्रेषण के कार्य में प्रेषक द्वारा ही पूंजी लगायी जाती है। प्रेषक सम्बन्धी लेखे केवल एक

	लगाते है।	ही प्रकार से रखे जाते है।
9. लेखाकर्म की विधियां	संयुक्त साहस की दशा में कई प्रकार से लेखे रखे जाते है।	
10. विक्रय विवरण	संयुक्त साहस में बिक्री एंव लेन–देनों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं एक–दूसरे को दी जाती है।	यहां प्रेषी के लिए ब्रिकी के सम्बन्ध में बिक्री विवरण बनाकर भेजना आवश्यक है।
11. अवधि	संयुक्त साहस के अन्तर्गत किसी विशेष कार्य की समाप्ति होने पर संयुक्त साहस एंव समाप्त हो जाता है।	एक सौदे की समाप्ति पर भी प्रेषण को आगे के लिए चलाया जा सकता है।
12. अधिनियम	चूंकि संयुक्त साहस आपसी अनुबन्ध के आधार पर चलाया जाता है। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की व्यवस्थाएं इस पर लागू होती है।	इसमें चूंकि प्रधान और एजेन्सी के सम्बन्ध होते है अतः इसमें एजेन्सी सम्बन्धी धारांए लागू होती है।
13. सहसाहसी एंव साझेदारी	इसमें जो साझेदार होते है उन्हें सह–साहसी कहा जाता है।	इसमे जो साझेदार होते है उन्हें साझेदार ही कहा जाता है।

3.8 विक्रय विवरण और प्रेषण खाते मे अंतर

अन्तर का आधार	बिक्री विवरण	प्रेषण खाता
1. बनाने वाला	यह प्रेषण पाने वाले द्वारा बनाया जाता है।	यह प्रेषण भेजने वाले की लेखा पुस्तको में बनाया जाता है।
2. रूप	यह एक विवरण – पत्र है, खाता नहीं।	यह एक खाते के रूप में बनाया जाता है।
3. विषय–सामग्री	इसमें प्रेषणा पाने वाले द्वारा की हुई बिक्री तथा उसके व्यय व कमीशन काटकर शुद्व राशि दिखायी जाती है। इसमें प्रेषण की लागत तथा प्रेषण भेजने वाले के व्यय नहीं दिखाये जाते है।	इसमें प्रेषण की लागत, प्रेषण भेजने व पाने वाले दोनों के व्यय व कमीशन तथा कुल बिक्री दिखायी जाती है।
4. उद्देश्य	इसका उद्देश्य बिक्री, बिक्री के व्यय व कमीशन का विवरण देने के अतिरिक्त यह बताना है कि प्रेषण पाने वाले को कितनी राशि प्रेषण भेजने वाले को देनी है।	इसका बनाने का उद्देश्य प्रेषण माल पर हुए लाभ–हानि को ज्ञात करना है।
5. आधार	प्रेषण खाते के आधार पर बिक्री विवरण नहीं बनाया जाता है।	बिक्री विवरण के आधार पर प्रेषण खाता बनाया जाता है।

3.8 माल प्रेषण से संबन्धित लेखे

विभिन्न परिस्थितियों में माल प्रेषण से संबन्धित भिन्न–भिन्न प्रकार के लेखे किये जाते है, जो कि निम्नानुसार है।

(a) प्रेषण करने वाले की पुस्तको में लेखें

I. **माल भेजने पर** – प्रेषण खाता डेबिट और प्रेषण पर भेजा हुआ माल खाता क्रेडिट किया जाता है। प्रेषण खातों की संख्या उतनी ही होती है जितने एजेण्ट होते हैं, पर प्रेषण पर भेजा हुआ माल खाता एक ही होता है।

II. **प्रेषण करने वाले के व्यय** – प्रेषण खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है।

III. **अग्रिम प्राप्ति पर** – (1) यदि प्रेषण पाने वाले से नकदी अग्रिम में प्राप्त हुई है तो रोकड़ खाता डेबिट और प्रेषण पाने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है। (2) यदि अग्रिम में बिल प्राप्त हुआ है तो प्राप्य बिल खाता डेबिट और प्रेषण पाने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है।

IV. **बिक्री का लेखा प्राप्त होने पर** – (1) कुल बिक्री से प्रेषण खाता क्रेडिट और प्रेषण पाने वाले का खाता डेबिट किया जाता है। (2) एजेण्ट के द्वारा किये हुए व्यय तथा कमीशन से उसका व्यक्तिगत खाता क्रेडिट और प्रेषण खाता डेबिट किया जाता है।

V. **प्रेषण खाते की बाकी के लिए** – प्रेषण खाते की बाकी को लाभ–हानि खाते में हस्तातिरित कर दिया जाता है।

(1) प्रेषण खाते का क्रेडिट पक्ष बड़ा और डेबिट पक्ष छोटा होने पर प्रेषण खाता डेबिट और लाभ–हानि खाता क्रेडिट किया जाता है। (2) प्रेषण खाते का डेबिट पक्ष बड़ा और क्रेडिट पक्ष छोटा होने पर लाभ–हानि खाता डेबिट और प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है।

VI. **प्रेषण पाने वाले की बाकी निकालना** – प्रेषण पाने वाले के खाते मे बहुधा क्रेडिट बाकी होती है। अतः इसे वह या तो नकदी में या बैंक ड्राफ्ट से या बिल द्वारा भुगतान करता है, प्रेषण पाने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है।

VII. **प्रेषण पर भेजे हुए माल की बाकी के लिए** – प्रेषण पर माल भेजने वाले खाते को डेबिट और व्यापारिक खाते को क्रेडिट किया जाता है।

VIII. **रहतिये के सम्बन्ध में लेखा** – जब खाते बन्द किये जाये तब तक प्रेषण पर भेजा गया माल बिक नहीं पाता है तब प्रेषण के स्टॉक खाते को डेबिट और प्रेषण खाते को क्रेडिट करते है। चिठ्ठे में इसे सम्पत्ति पक्ष में लिखते है।

बिक्री से बचे हुए माल का मूल्य निकालना – इस सम्बन्ध में निम्न विवरण ध्यान देने योग्य है।

1. **एजेण्ट द्वारा बिल्कुल बिक्री न करने पर** – प्रेषण पर माल भेजने वाला जिस तिथि पर प्रेषण खाता बन्द करता है उस तिथि तक यदि एजेण्ट द्वारा माल की बिल्कुल भी बिक्री नहीं की जाती है तो प्रेषण खाते की बाकी को प्रेषण स्टॉक खाते में हस्तान्तरित नही किया जाता है वरन् इसे चिठ्ठे में सम्पत्ति पक्ष की ओर ले जाया जाता है। यदि किसी हानि की सम्भावना होती है तो उनके लिए संचित द्वारा प्रबन्ध किया जाता है।

2. **एजेण्ट द्वारा पूरे माल की बिक्री न होने पर** – एजेण्ट जब पूरे माल को प्रेषण खाता बन्द होने तक बेच नही पाता है तो जितना माल बिना बिका हुआ बच जाता है उसका मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो मूल्य कम हो उस पर किया जाना चाहिए, पर यहां लागत मूल्य निकालने के लिए उन आनुपातिक व्ययों को जोड़ लेना चाहिए जो माल के मूल्य को बढ़ाते है जैसे किराया, रास्ते का बीमा, ढुलाई व्यय, लदाई व उतराई व्यय तथा प्रशुल्क दर आदि। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण नियम है कि वे ही व्यय आनुपातिक रूप में जोड़े जाने चाहिए जो माल के मूल्य को बढ़ाते हों चाहे उन्हें प्रेषण भेजने वाले द्वारा या प्रेषण पाने वाले के द्वारा किया गया हो। प्रमुख ध्यान देने योग्य विषय व्ययों का स्वभाव है, न कि पक्ष जिनके द्वारा इन्हें भुगतान किया जाता है। पर जो व्यय प्रेषी द्वारा प्रेषण का माल बेचने के लिए किये जाते हैं उन्हें अन्तिम रहतिये में नहीं जोड़ा जाता है जैसे गोदाम का बीमा, गोदाम का किराया, बिक्री एजेण्ट का वेतन व कमीशन और विज्ञापन व्यय, आदि। सूक्ष्म में यह ध्यान रखना है कि अन्तिम स्टॉक के मूल्य निकालने मे एजेण्ट के पास तक माल पहुंचने के व्यय तथा उस समय तक इस माल को सुरक्षित रखने के व्यय बचे हुए स्टॉक के अनुसार आनुपातिक रूप मे प्रयोग किये जात है। गोदाम का किराया यदि माल छुड़ाने में प्रेषी ने दिया है तो शामिल किया ताता है, किन्तू यदि प्रेषी ने गोदाम में माल बिक्री वयय माना जाता है वस्तुतः इसे शामिल करने या न करने का विषय परिस्थितियों पर निभेर है। अन्तिम रहतिये में आनुपातिक व्यय ही जोड़ने चाहिए।

3. (1) **माल का मार्ग में नष्ट होना** – जब प्रेषण पर भेजा हुआ माल मार्ग में साधारणतया नष्ट हो जाता है तो इस हानि को साधारण हानि कहा जाता है। इसे कुल माल से कम कर देना चाहिए। जो मूल्य कुल माल का था वही मूल्य अब बाकी माल का मानना चाहिए तथा इसी के अनुपात में बचे हुए स्टॉक का भी मूल्य निकालना चाहिए।

(2) **संयोगवश माल नष्ट होना** – कुछ माल चोरी के कारण या आग लगने के कारण या अन्य ऐसे कारणों से नष्ट हो जाता है जो स्वाभाविक नहीं है, तो इस नष्ट हुए माल से जो हानि होती हे उसे असाधारण हानि माना जाता है और उसी प्रकार निकाला जाना चाहिए जैसे अन्तिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है और फिर इस हानि की राशि से लाभ–हानि खाता डेबिट और प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है। ऐसा करना इसलिए उचित है कि इसके द्वारा प्रेषण का सही लाभ ज्ञात हो जाता है। यदि इस हानि का कोई भी लेखा प्रेषण खाते में न किया जाय, तो लाभ–हानि खाते का लाभ वही होगा जो पहले वाली विधि से आता था, यद्यपि प्रेषण खाते का लाभ से कम आयेगा।

उपर्युक्त हानियों के वर्णन यह स्पष्ट है कि साधारण हानियॅा और असाधारण हानियों में अन्तर करना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही अन्तिम स्टॉक का सही मूल्य निकल सकता है। असाधारण हानियों की दशा में (जैसे चोरी से या आग लगने से माल नष्ट होने पर) अन्तिम रहतिये का मूल्य निकालने के लिए प्रारम्भ की वस्तुओ या माल (जो कि प्रेषी के पास भेजा गया था) में सें आग द्वारा नष्ट हुई वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित विधि की तरह नहीं घटायी जाती है, जैसे यदि 50000 घड़ियां 500000 रू की लागत से प्रेषण पर भेजी गयी थी जिनमें से रास्तें मे रास्ते में आग द्वारा 100 घड़ियां नष्ट हो गयीं और प्रेषण पाने वाले ने 3900 घड़ियां बेच डाली तो अन्तिम स्टाकॅ 1000 घड़ियो का होगा जिसका मूल्य $\frac{500000 \text{ x } 1000}{5000}$ अर्थात् 100000 रू होगा। यदि यही

100 घड़ियों की हानि साधारण हानि होती तो अन्तिम स्टॉक 1000 घड़ियों का मूल्य $\frac{500000 \times 1000}{4900}$ अर्थात् 102040 रू 81 पैसे होगा।

जब स्टॉक लेने में स्टॉक में कमी पायी जाय और इस कमी को प्रेषण पाने वाले से वसूल करना है तथा यदि स्टॉक की हानि प्रेषण पाने वाले से प्राप्त की जा सकती है, तो प्रेषी खाता डेबिट और प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है।

जब उपर्युक्त हानि के लिए प्रेषी उत्तरदायी न हो तो स्टॉक का कुल मूल्य ही लिखा जायेगा पर प्रेषण खाता इस हानि से डेबिट कर दिया जाता है या स्टॉक को घटी हुई कीमत पर दिखाने से भी काम चल जाता है।

जब प्रेषण पाने वाले द्वारा माल नमूने के रूप में निःशुल्क दूसरो कोदिया जाता है, तो इस माल के लिए विज्ञापन व्यय खाता डेबिट और प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है।

4. माल का बीमा होने पर – जब माल का बीमा होता है और यह माल नष्ट हो जाता है, तो बीमा कम्पनी से इसके लिए राशि प्राप्त की जाती है। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी से मिलने वाली राशि को बिक्री की राशि की तरह ही मानना चाहिए।

बहुत – से प्रेषण होने पर

जब बहुत से एजेण्टों को विभिन्न स्थानों पर प्रेषण पर माल भेजा जाता है तो प्रत्येक प्रेषण के लिए प्रेषण खाता अलग बनाया जात है और प्रत्येक प्रेषण पर होने वाला लाभ या हानि एक अलग खाते में हस्तान्तरित किया जाता है जिसे प्रेषण खाते पर लाभालाभ खाता कहा जाता है और इस खाते की बाकी से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सभी प्रेषण पर कुल कितना लाभ या हानि हुई है। इस लाभ या हानि को लाभालाभ खाते मे हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

उदाहरण – 5

ए. ने 1000 रू के मूल्य वाली 200 गांठे बी के पास प्रेषण पर भेजीं। रास्ते में आग द्वारा 20 गांठें नष्ट हो गयी। इनका बीमा था अतः इनकी हानि का बीमा कम्पनी से क्लेम किया गया। प्रेषण के सम्बन्ध में व्यय हुए : रास्ते की हानि होने के पूर्व 60 रू हानि होने के बाद 100 रू और बिक्री व्यय 20 रू। पुस्तकें 31 दिसम्बर को बन्द की जाती हैं और इस तारीख तक 130 गांठे 1500 रू में बेची गयीं। प्रेषणकर्ता की पुस्तकों में केवल प्रेषण खाता बनाइए।

Consignment Account

	Rs.		Rs.
To Goods Sent On Consignment A/C	1000.00	By B (Sales)	1500.00
To Cash A/C		By Insurance Co.A/C	106.00[1]
Expenses Prior To Loss 60		By Stock On Consignment	
Expenses After Loss 100	160.00	A/C	292.78[2]
To B (Sales Expenses)	20.00		
To Profit And Loss A/C	718.78		
	1898.78		1898.78

[1] cost of sales rs. 1000 $\frac{1060 \times 20}{200}$ = rs. 106 is the amount of claim.
add: expenses rs. 60
rs.1060

[2] 200 bales – (20+130) = 50 bales stock ; cost $\frac{1000 \times 50}{200}$ = rs. 250

expenses prior to loss = $\frac{60 \times 50}{200}$ = rs. 15; expenses after loss = $\frac{100 \times 50}{180}$ =27.78.

value of stock = rs. (250 + 15 +27.78) = rs.292.78.

(b) प्रेषण पाने वाले की पुस्तकों में लेखें

प्रेषी के लिए यह अन्यन्त आवश्यक है कि वह एक प्रेषण भीतरी रजिस्टर रखे और इसमें जब–जब प्रेषण पर माल आये, उसका लेखा करे। आन्तरिक प्रेषण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के लेखे प्रेषी द्वारा किये जाते है।

1. **माल प्राप्ति पर** – माल प्राप्ति पर प्रेषण भीतरी रजिस्टर में लेखा किया जाता है पर लेखा बहियों में कोई लेखा नहीं किया जाता है।
2. **बिल स्वीकार करने पर** – यदि एजेण्ट कोई बिल स्वीकार कर प्रेषण पर माल भेजने वाले को देता है तो प्रेषण पर माल भेजने वाले का खाता डेबिट और देय बिल खाता क्रेडिट किया जाता है।
3. **प्रेषण करने वाले के व्यय** – इन व्ययों का कोई भी लेखा प्रेषण पाने वाला अपनी पुस्तकों में नही करता है।
4. **प्रेषी के व्ययों पर** – एजेण्ट पर जो व्यय करता है उसकी राशि से प्रेषण पर माल भेजने वाले का खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट करता है।
5. **कमीशन पर** – बिक्री होने पर कमीशन के लिए प्रेषण पर माल भेजने वाले के खाते को डेबिट और कमीशन खाते को क्रेडिट करता है।
6. **बिक्री पर** – यदि नकद बिक्री होती है तो रोकड़ खाता डेबिट और प्रेषण पर माल भेजने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है और यदि उधार बिक्री होती है तो रोकड़ के स्थान का खाता डेबिट किया जाता है।
7. **भुगतान करने पर** – प्रेषण पर माल भेजने वाले के खाते में जो बाकी आती है वह राशि उसे दी जाती है तो इस भुगतान के लिए उसका खाता डेबिट और रोकड़ या बैंक खाता क्रेडिट किया जाता है।
8. **अन्तिम स्टॉक पर** – जो माल बिकने से रह जाता है तो ऐसे अन्तिम स्टॉक के लिए प्रेषण पर माल पाने वाला अपनी किताबों में कोई लेखा नहीं करता है और न इसे अपने चिठ्ठे में दिखाता है क्योकि वह माल का स्वामी नहीं है।

बिक्री विवरण

समय–समय पर एजेण्ट प्रेषण भेजने वाले के पास निम्नांकित सूचनाओं का विवरण भेजता है जिसे बिक्री विवरण कहा जाता है

v. माल की प्राप्ति
vi. माल की बिक्री
vii. इसके द्वारा किये हुए व्यय
viii. इसके द्वारा लिया हुआ कमीशन
ix. इसके द्वारा मालिक के पास भेजी हुई राशि
x. बाकी की राशि जो इसको देनी है। बिक्री विवरण के प्रारूप सुविधानुसार विभिन्न प्रकार के हो सकते है

उदाहरण – 6

मुम्बई के एक्स ने कानपुर के वाई को 1 फरवरी 2007 को 100 रू प्रति गांठ के हिसाब से 74 गांठें प्रेषण पर भेजीं। बिक्री पर 2½ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। एक्स ने प्रेषण के सम्बन्ध में 35 रू भाड़े पर और 12 रू बीमा कराने में व्यय किये। इसने 1000 रू का दो माह का बिल भी वाई पर लिखा जिसे वाई ने स्वीकार कर लिया। वाई ने 7 रू माल छुड़ाने पर और 20 रू बीमा एंव गाड़ी भाड़ा के दिये। वाई ने 30 गांठ 120 रू प्रति गांठ के हिसाब से, 24 गांठ 125 रू प्रति गांठ की दर से तथा 20 गांठ 130 रू प्रति गांठ की दर से बेंचीं। बिक्री विवरण बनाइए तथा एक्स एंव वाई की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए।

Sales Statement

74 Bales Of Goods Received Pre... From Mr. X Of Mumbai To Be Sold Their Account By Y Of Kanpur.

	Rs.	Rs.
30 Bales Of Goods @ Rs. 120 Per Bale	3600	
24 Bales Of Goods @ Rs. 125 Per Bale	3000	
20 Bales Of Goods @ Rs. 130 Per Bale	2600	9200
Less : Charges : Reight & Insurance	20	
Unloading Charges	7	
Omission @ 2½% On Sale	230	257
		8943
Less: Amount Of Bill		1000
Balance Due	Rs.	7943

E & O.E.

Kanpur

....

Date............... 2007

(Sd) Y Of Kanpur

In The Books Of X (Consignor)

Goods Sent On Consignment Account

2007		Rs.	2007		Rs.
	To Trading A/C	7400		By Consignment To Kunpure A/C	7400

Consignment To Kanpur Account

2007		Rs.	2007		Rs.
	To Good Sent On			By B	9200[3]
	Consignment A/C	7400[1]			
	To Bank A/C :				
	Freight				
	35	47			
	Insurance				
	12				
	To Y :				
	Fright And				
	Insurance	257			
	20	1496			
	Unloading Charges				
	7	9200			9200
	Commission				
	230[2]				
	To P. & L. A/C				

[1] rs 74 x 100 = rs. 7400; [2] $\frac{9200 \text{x} 5}{2 \text{x} 100}$ = rs. 230;

[3] rs. (30 x 120) + (24 x 125) + rs.(20x130) = rs. 9200

Y Of Kanpur (Consignee)

2007		Rs.	2007		Rs.
				By B/R A/C	1000
	To Consignment			By Consignment To	
	To	9200		Kanpur A/C	257
	Kanpur A/C			By Balance C/D	7943
		9200			9200

In The Books Of Y (Consignee)

X Of Mumbai (Consignor)

2007		Rs.	2007		Rs.
	To B/P A/C	1000		By Bank A/C	9200
	To Bank A/C	27[1]			
	To Commission	230			
	A/C	7943			
	To Balance C/D	9200		Rs.	9200

	Rs.				

Rs. 7+20 = Rs. 27.

Commission Account

2007	To P. & L. A/C	Rs. 230	2007	By X Of Mumbai	Rs. 230

(c) असाधारण व साधारण हानि की स्थिति में लेखे

कभी–कभी ससाधारण हानि तो माल भेजते समय रास्ते में ही हो जाती है, परन्तु साधारण हानि रास्ते में न होकर प्रेषी के पास माल पहुंचाने पर उसके बाद गोदाम में या माल बेचते समय होती है। ऐसी स्थिति में असाधारण हानि को पहले निकाला जाएगा और तत्पश्चात् साधारण हानि को। इसको निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया गया है:

उदाहरण – 7

1 अप्रैल, 2007 को भगवान सिंह ने जिसका वित्तीय वर्ष 31 मई, 2007 को समाप्त होता है, 100 बोरे शक्कर जिसमें प्रत्येक बोरे की लागत 300 रू है, मुम्बई के अजीत कुमार के पास प्रेषण पर भेजे। उन्होने 500 रू भाड़ा एंव बीमा पर व्यय किये। रास्ते में 15 बोरे नष्ट हो गये और मई, 2007 को प्रेषक ने बीमा कम्पनी से नष्ट हुई माल की क्षतिपूर्ति के रूप में 1000 रू स्वीकार प्राप्त किये। अजीत कुमार ने 10 अप्रेल 2007 का प्रेषण पाया और तुरन्त 60 दिन की अवधि का 20000 रू का एक बिल स्वीकार कर प्रेषक के पास भेज दिया। प्रेषी ने बिक्री विवरण के पास भेजा इसके अनुसार :

i. 70 बोरे 350 रू प्रति बोरे के हिसाब से बेचे गये थे।

ii. क्षतिग्रस्त बोरे 110 रू प्रति बोरे के हिसाब से बेचे गये थे।

iii. 1700 रू का माल छुड़ाने में तथा 300 रू बाह्य गाड़ी–भाड़ा के रूप में व्यय किये गये थे।

iv. क्षतिग्रस्त माल की बिक्री को छोड़कर शेष कुल बिक्री पर 10 प्रतिशत कमीशन पाने का अधिकार प्रेषी को है।

31 मई 2007 को अजीत कुमार ने देय राशि का भुगतान प्रेषक को नकदी में किया। प्रेषक की पुस्तक में जर्नल के आवश्यक लेख कीजिए। यह मानते हुए कि प्रेषी द्वारा किये गये व्ययों का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त माल पर नहीं पड़ेगा। क्षतिग्रस्त बोरों की हानि निकालिए।

In The Books Of Bhagwan Singh

Journal Entries

2007		L.F.	Rs.	Rs.
April 1	Consignment A/C ... ...Dr. To Goods Sent On Consignment A/C (Being 100 Bags Of Sugar Sent On Consignment To Mumbai)		30000[1]	30000[1]
April 1	Consignment A/C... ... ...Dr. To Bank A/C (Being Expenses Paid)		500	500
April	Bills Receivable A/C... ... ...Dr.		20000	

10	To Ajit Kumar (Being Receipt Of B/R From Ajit Kumar)		1000	20000
May 31	Bank A/C... ... ...Dr. To Consignmet A/C (Being Amount Of Claim Received From Insurance Company)		26150[2]	1000
May 31	Ajit Kumar ... ...Dr. To Consignment A/C (Being Sale Of 70 Bags@ Rs. 350 Per Bag And 15 Bags @ Rs. 110 Per Bag)		1925[3]	26150
	Profit & Loss A/C... ... ...Dr. To Consignment A/C (Being Loss On 15 Damaged Bage)			1925
	Consignment A/C... ... ...Dr. To Ajit Kumar (Being Expenses And Commission Of Consignee)		4450[4] 1700[5]	4450
	Bank A/C... ... ...Dr. To Ajit Kumar (Being Bank Draft Received For Balance Due)		4875[6]	1700 4875
	Stock On Consignment A/C... ... ...Dr. To Consignment A/C (Being Record Of Closing Stock With Consignee)		1000[7]	1000
	Profit & Loss A/C... ... ...Dr. To Consignment A/C (Being Loss Transferred To Profit And Loss A/C)			

[1] Rs. 100x300 = Rs. 30000

[2] (70x350) + (15x110) = Rs. 26150

[3] Cost Of 15 Bags = 15x300 = Rs. 4500 Exps On 15 Bags = $\frac{500x15}{100}$ = Rs.75

Total Xost And Exps. On 15 Bags: (Rs. 4500 + 75) = Rs. 4575 Rs.

Amount Received From Insurance Co.		1000
Sale Price Of 15 Damaged Bags @110 Per Bag		1650
	Rs.	2650

[4] Rs. 4575 – Rs. 2650 = Rs. 1925

Sale Price Of 70 Bage@Rs. 350 Per Bag Is Rs. 24500

$\frac{24500x\,10}{100}$ = Rs. 2450 Exps + Commission = 1700 + 300 + 2450 = Rs. 4450

[5] Rs. 26150 – (20000 + 4450) = Rs. 1700

[6] 100 Bags – (70 Bags + 15 Bags) = 15 Bags Cost Of 15 Bags @ Rs. 300 Per Bag = Rs. 4500

Exps. Of Consignee On (100-15 Damaged Bags) I.E., 85 Bags Are Rs. 1700; Carriage Outward Is On Sales, Hence It Has Not Been Onsidered $\frac{1700x15}{85}$=Rs. 300

[7] Rs. 4500+75+300 = Rs. 4875

Rs. (1000 + 26150+4875+1925)-(30000 + 500 +4450)= Rs.10000

उदाहरण – 8

ए ने बी को प्रेषण पर माल भेजा। निम्न सूचनाओं से ए की पुस्तको में प्रेषण खाता बनाओं

8000 किग्रा तेल 12 रू प्रति किग्रा की दर से प्रेषण पर भेजा गया। प्रेषक ने माल भेजने में 4500 रू खर्च किया। बी के विक्रय व्यय कुल 2800 रू रास्ते में 800 किग्रा तेल नष्ट हो गया और बीमा कम्पनी से कुल 9000 रू वसूल हुए। 6000 किग्रा तेल 16 रू प्रति किग्रा की दर से बेच दिया गया विक्रय पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया गया। बी के पास रहतियां 1100 किग्रा इसलिए साधारण हानि 100 किग्रा की आंकी गई

Consignment Account

	Rs.		Rs.
To Goods Sent On Consignment A/C	96000	By B	96000
To Cash A/C (Exp.)	4500	By Abnormal Loss	1050[1]
To B (Exp.) A/C	2800	By Insurance Claim A/C	9000
To B (Commission)	4800	By Stock On Consignment A/C	14013[2]
To P & L A/C	11963		
	120063		12013

इस प्रश्न में असाधारण हानि रास्ते में हुई है तथा साधारण हानि गोदाम में अतः असाधारण हानि पहले निकाली जायेगी :

1 $\frac{96000+4500x80}{8000}$ = 10050 रू

10050 – 9000 रू कं. से मिले = 1050 रू हानि

2 अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन

रू

8000 किग्रा तेल की लागत = rs. 96000 + 4500 =

100500

(-) 800 किग्रा तेल की लागत	10050
7200 किग्रा तेल की लागत	90450
100 किग्रा तेल की लागत nil	
7100	90450

अतः शेष 1100 किग्रा तेल की लागत $\frac{90450}{7100}$x 1100 = rs. 14013 approx.

(d) प्रेषण के बीजक का मूल्य लागत से अधिक दर पर लगाने की स्थिति में लेखें प्रेषण के बीजक का मूल्य लागत से अधिक दर पर लगाना

कभी–कभी प्रेषण पर माल भेजने वाला अपने एजेण्ट को माल, लागत मूल्य से अधिक दर पर मूल्य लगाकर भेजता है। जैसे, माना कि माल की लागत 10000 रू है। इस पर 25 प्रतिशत लाभ जोड़कर मूल्य 12500 रू हुआ। प्रेषण भेजने वाला इस प्रकार का लागत मूल्य तभी निकालता है जबकि :

I. वह अपने एजेण्ट को लागत का असली मूल्य प्रकट नहीं होने देना चाहता है,

II. वह अपने एजेण्ट को उत्साहित करना चाहता है कि माल को और अधिक कीमत पर बेचने का प्रयत्न करे और यदि परिस्थितियोंवश वह इस लागत से कम पर भी बेचेगा, तो भी प्रेषण पर माल असली कीमत से बढ़ी हुई कीमत पर भेजा है, और

III. वह अपने एजेण्ट को अपने लाभ का सही अनुमान नहीं देना चाहता है।

इस लेखे का लाभ पर प्रभाव

उपर्युक्त लेखा करने का आशय यह होता है कि Goods Sent On Consignment Account को बन्द करते समय इसकी बाकी को Trading Account में हस्तान्तरित करने पर लाभ बढ़ जाता है। Consignment Account भी सही लाभ नहीं प्रकट करता है। यह स्थिति लेखाकर्म तथा व्यापार की दृष्टि से ठीक नहीं है क्योकि लाभ–हानि खाते द्वारा उचित व सही लाभ दिखाया जाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जबकि निम्नांकित समायोजन के लेखे कर दिये जाये :

1. **दर्शनार्थ बीजक मे अधिक लगी हुई राशि के लिए लेखा** – दर्शनार्थ बीजक में जितनी राशि अधिक लगी होती है उससे प्रेषण पर माल भेजने वाला खाता डेबिट और प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है।
2. **एजेण्ट द्वारा पूरा माल न बिकने पर** – जो माल एजेण्ट खाते बन्द करते समय तक बेच नहीं पाता है उनके लिए प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है यह सूचना पहले दी जा चुकी है। इस माल का मूल्यांकन भी दर्शनार्थ बीजक की दर से करने पर खाते में अशुद्ध लाभ निकलता है, अतः इस त्रुटि को ठीक करने के लिए बचे हुए माल का मूल्य लागत मूल्य से जितना अधिक होता है उस राशि से प्रेषण खाता डेबिट और प्रेषण स्टॉक उचन्त खाता क्रेडिट किया जाता है।
3. **प्रेषण स्टॉक उचन्त खाते की बाकी–**
   I. इस खाते की बाकी को प्रेषण पर माल भेजने वाला अपने चिठ्ठे में प्रेषण स्टॉक की राशि में से घटा कर दिखाता है।
   II. अगले वर्ष प्रेषण स्टॉक खाते की बाकी को प्रेषण खाते के डेबिट पक्ष में लिखते है और जब इस माल की बिक्री हो जाती है तो बिक्री का लेखा तो उसी प्रकार किया जाता है जैसे किया जाना चाहिए पर ध्यान देने योग्य बात

यह है कि प्रेषण स्टॉक उचन्त खाते की बाकी भी प्रेषण खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है।

उदाहरण – 9

नयी दिल्ली की निर्यात कम्पनी ने कपड़े की 300 गांठे 1 अक्टूबर 2007 को मुम्बई के जॉन स्मिथ के पास प्रेषण पर भेजीं। लागत मूल्य 600 रू प्रति गांठ था, परन्तु इनका बीजक मूल्य प्रकार रखा गया ताकि बिक्री पर 20 प्रतिशत सकल लाभ प्रकट हो। 31 दिसम्बर, 2007 को प्रेषी ने यह सूचना दी कि उन्होने प्रेषण का 2/3 माल बिक्री पर 25 प्रतिशत लाभ से बेचा है और उन्होने भाड़ा कर एंव माल छुड़ाने में 2000 रू एंव बिक्री व्यय 1000 रू किया। प्रेषक ने 900 रू माल भेजने में पहले ही खर्च कर दिये थे। प्रेषी को बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है और प्रेषण के उस लाभ का ¼ भाग मिलता है जो कि प्रेषी के कमीशन और लाभ के इस 1/4 भाग को निकालने के बाद बचता है। 1 जनवरी 2008 को जॉन स्मिथ ने देय राशि के लिए एक बिल भेजा। प्रेषक की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए।

Consignment To Mumbai Account

2007		Rs.	2007		Rs.
Oct. 1	To Goods Sent On Consignment A/C	225000.00[1]	Dec. 31	By John Smith Sales	160000[2]
	To Cash A/C (Expenses)	900.00		By Consignment Stock A/C	75967[4]
Dec. 31	To John Smith : Rs. Carriage Etc. 2000 Sekes Exp. 1000	3000.00		By Goods Sent On Consignment A/C (Loading)	45000[5]
	To John Smith : Cormmision 8000.00[3] Share Of Profit 5813.40[7]	13813.40			
	To Consignment Stock Suspense A/C	150000.00[6]			
	To Profit Transferred To Profit And Loss A/C	23253.60[8]			
		280967.00			280967

Goods Sent On Consignment Account

2007		Rs.	2007		Rs.
Dec.31	To Consignment To Mumbai A/C To Trading A/C Rs.	45000 180000 225000	Oct. 1	By Consignment To Mumbai A/C Rs.	225000 225000

John Smith

2007		Rs.	2007		Rs.
Dec.31	To		Dec.	By	
	Consignment	160000	31	Consignment	3000.00
	To Mumbai		Dec.	To Mumbai	
	A/C		31	A/C	13813.40
			Dec.	By	143186.60[9]
		160000	31	Consignment	160000.00
				To Mumbai	
	Rs.			A/C	
				By Balance D/C	
				Rs.	

[1] Rs. 100 – 20 = Rs 80; $\frac{100x600x300}{80}$= Rs. 225000;

[2] 300 Bales X$\frac{2}{3}$ = 200 Bales; Rs. 100 – 25 = Rs. 75; Cost Of 200 Bales Is 200x600 Or Rs. 1200000;

$\frac{120000x100}{75}$ = Rs. 160000

[3] $\frac{160000x5}{100}$ = Rs. 8000;

[4] Closing Stock 100 Bales, 100x600 = Rs. 60000;60000 X$\frac{20}{80}$ = 15000; Rs. 60000+ 15000 = Rs. 75000;

$\frac{900x1}{3}$ = Rs. 300; $\frac{2000x1}{3}$ = Rs. 667; 75000 + 300 + 667 = Rs. 75967;

[5] $\frac{225000x20}{100}$ = Rs. 45000;

[6] $\frac{75000x20}{100}$ = Rs. 15000;

[7] Rs.(160000 + 75967 + 45000) – (225000+ 900 +3000+8000+15000) = Rs. 29067; $1+\frac{1}{4}=5/4$

$\frac{29067x4x1}{5x4}$ = Rs. 5813.40;

[8] Rs. 29.067 – 5813.40 = Rs. 23253.60;

[9] Rs. 160000 – (3000 + 13813.40)= Rs. 143186.60

(e) प्रेषी द्वारा स्टॉक का लिये जाने और अप्राप्य ऋण होने पर लेखें

जब प्रेषी को प्रतिशोध कमीशन दिया जाता है और वह उधार बिक्री की कुछ राशि वसूल नहीं कर पाता है तो इस न वसूल हुई राशि के लिए कोई भी विशेष प्रकार का लेखा प्रेषक की पुस्तकों में नहीं किया जाता है, परन्तु प्रेषी की पुस्तकों में लेखा करते समय देनदारों का खाता खोला जाता है और वह अप्राप्य ऋण की राशि से प्रभावित होता है। वास्तव में प्रेषी को जो कमीशन प्रेषक से मिलता है वह अप्राप्य ऋण की राशि से कम हो जाता है और यदि अप्राप्य ऋण की राशि कमीशन से अधिक होती है। तो प्रेषी को इस आधिक्य की राशि के बराबर

हानि होती है। प्रेषक की पुस्तकों में इसका लेखा न किये जाने का कारण यह है कि उसे इस न वसूल हुई राशि से कोई हानि नहीं होती है क्योकि वह तो पूरी राशि प्रेषी से ले लेता है।

उदाहरण – 10

एस. लाल एण्ड कम्पनी, इटावा ने शुद्ध घी के 1000 टिन जिसकी लागत 60 रू प्रति टिन है, अपने एजेण्ट बंसल घी स्टोर्स, कोलकाता को भेजे। टिन का बीजक मूल्य 80 रू प्रति टिन रखा गया। एजेण्ट ने 400 टिन 80 रू प्रति टिन की दर से नकद बेचें, 600 टिन 82 रू प्रति टिन की दस उधार बेचे। एस. लाल एण्ड कं. ने 500 रू गाड़ी भाड़ा दिया और 200 रू. विविध व्यय के किये। उन्होने बंसल घी स्टोर्स पर 45000 रू का एक बिल तीन माह की अवधि का लिखा जिसे स्वीकार कर एस. लाल एण्ड कं को वापस कर दिया। बंसल घी स्टोर्स ने निम्नांकित व्यय किये:

गाड़ी भाड़ा 50 रू चुंगी 40 रू भण्डारगृह 100 रू विविध 100 रू। कुल बिक्री पर उन्हे 5 प्रतिशत कमीशन और 2 प्रतिशत प्रतिशोध कमीशन पाने का अधिकार है। उन्होने अपने मालिक के पास बिक्री विवरण अपने खर्च एंव कमीशन काटने के बाद भेजा।

एक माह के बाद सभी देनदारों ने, एक को छोड़कर जिसे 200 रू भुगतान करना था, बंसल घी स्टोर्स को देय राशि का भुगतान कर दिया। प्रेषक की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए एंव प्रेषी का खाता तथा प्रेषण खाता बनाइए। प्रेषी की पुस्तकों में प्रेषक खाता, कमीशन खाता एंव देनदार खाता बनाइए।

In The Books Of S. Lal & Co., Etawah

Journal Entries

	L.F.	Rs.	Rs.
Consignment A/C ... ...Dr.		80000	
To Goods Sent On Consignment A/C			80000
(Being Goods Sent On Consignment)			
Consignment A/C... ... ...Dr.		700	
To Cash a/C			700
(Being Entry For Freight Rs. 500 And Expenses Rs. 200)			
Bills Receivable A/C... ... ...Dr.		45000	
To Bansal Ghee Stores			45000
(Being Receipt Of Acceptance From Bansal Ghee Stores)		5984	
Bansal Ghee Stores... ... ...Dr.			5984
To Bansal Ghee Stores			
(Being Exp. Rs. 300 And Commission Rs. 4060 Del Credere Commission Rs. 1624)		30216	
Cash A/C... ... ...Dr.			30216
To Bansal Ghee Stores			
(Being Cash Received)		20000	
Goods Sent On Consignment A/C... ...			20000

...Dr. To Vonsignment A/C (Being Abjustment On Goods Sent At Invoice Price		14516	14516
Consignment A/C... ... ...Dr. To P.& L. A/C (Being Transfer Of Profit			

Consignment Account

	Rs.		Rs.
To Goods Sent On Consignment A/C	80000	By Bansal Ghee Stores	81200[2]
To Cash A/C:		By Goods Sent On Consignment A/C	20000
(a) Freight & Carriage 500	700		
(b) Misc. Exps. 200			
To Bansal Ghee Stores:			
(a) Exps. 300[1]	5984		
	14516		
(b) Commission 4060[3]	101200		101200
(c) Del Credere Com. 1624[4]			
To P.& L. A/C			

[1] 50 + 40 + 110 + 100 = Rs. 300

[2] 400 Tin @ Rs. 80 Per Tin = Rs. 32000; 600 Tins @ Rs. @ 82 Per Tin = Rs. 49200; Rs. 32000 + 49200 = Rs. 81200

[3] $\frac{81200x5}{100}$ = Rs. 4060

[4] $\frac{81200x2}{100}$ = Rs. 1624

Bansal Ghee Stores Account

	Rs.		Rs.
To Consignment A/C	81200	By B/R A/C	45000
		By Consignment A/C	5984
		By Bank A/C	30216
	81200		81200

Note: Bad Debts Of Rs. 200 Are Included In The Balance Rs. 30216 Because Del Credere Commission Is Given.
In The Books Of Bansal Ghee Stores, Kolkata

S. Lal & Co. Account

	Rs.		Rs.
To B/P A/C	45000	By Bank A/C	32000
To Bank A/C (Expe.)	300	By Debtor[1]	49200[1]
To Commission A/C (4060 + 1642)	5684		
To Bank A/C	30216		
	81200		81200

Commission Account

	Rs.		Rs.
To Bad Debta A/C	200[2]		5984
To P. & L. A/C	5784	By S. Lal & Co.	
	5984		5984

Debotr's Account

	rs.		rs.
to s.lal & co.	49200	by bank a/c	49000
		by dad debts a/c	200
	49200		49200

Bad Debts Account

	Rs.		Rs.
To Debtors A/C	200	By Commission A/C	200

[1] चूंकि 600 टिन उधार बेचे गये है। अतः Debotr's Account का प्रयोग गया है।

[2] Bad Debts की राशि को कमीशन में इसलिए हस्तान्तरित किया गया है कि प्रेषण के सम्बन्ध में यह पता चल सकें कि वास्तव में प्रेषी को कितना लाभ या हानि हुआ।

3.10 सारांश

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनियां या अन्य संस्थाएं संयुक्त जोखिम पर अस्थायी रूप से किसी कार्य को करने के लिए या माल क्रय–विक्रय करने के लिए और इसके लाभालाभ को समझौते के अनुसार बांटने के लिए सहमत होते हैं तो इस प्रकार के साहस को

संयुक्त साहस कहा जाता है और संयुक्त साहस का कार्य पूरा होने पर यह समाप्त हो जाता है। माल प्रेषण का आशय एक व्यापारी एक व्यापारी द्वारा अपने एजेन्टो को बिक्री के लिये माल भेजना है ताकि वह मालिक की ओर से तथा उसी के जोखिम पर, कमीशन व अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के आधार पर उसकी बिक्री कर सके।

3.11 शब्दावली

बीजक : यह व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला ऐसा प्रपत्र है जों किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है।

3.12 बोध प्रश्न

(a) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।

I. संयुक्त साहस में सदस्यो की न्यूनतम संख्या .... होती है।

II. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई विशेष कार्य करने के लिये अस्थाई साझेदारी करते है, तो उसे .... कहते है।

III. प्रेषण खातो में एजेंट .... की जोखिम पर माल का विक्रय करता है।

IV. एजेन्ट को मालिक की ओर से माल बेचने पर प्रतिफल के रूप में .... प्राप्त होता है।

V. प्रेषण खाते मे मुख्य रूप से .... पक्षकार होते है।

3.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

I. 2

II. संयुक्त साहस

III. प्रेषक

IV. कमीशन

V. दो

3.14 स्वपरख प्रश्न

1. संयुक्त साहस का क्या आशय है ? यह साझेदारी से किस प्रकार भिन्न है?
2. संयुक्त साहस के खाते कितने प्रकार से खोले जाते है? इनमें से किसी एक के लिए अनुमानित उदाहरण लेकर आवश्यक लेखे कीजिए।
3. मेमोरैण्डम संयुक्त उपक्रम क्या होता है ? इसे क्यों तैयार किया जाता है ?
4. बिक्री एंव प्रेषण के अन्तर को स्पस्ट कीजिए।
5. प्रेषण का अर्थ समझाइए। प्रेषण के सम्बन्ध में प्रेषक एंव प्रेषी की पुस्तकों में किए जाने वाले जर्नल के लेखो का वर्णन कीजिए।
6. प्रेषी को दिये जाने वाले विभिन्न कमिशनों का वर्णन कीजिए।

क्रियात्मक प्रश्न

1. रंजन और राजू ने संयुक्त साहस में साझेदार होने का निश्चय किया । उन्होने 20000 रू से एक संयुक्त साहस के लिए बैंक खाता खोला जिसमें रंजन ने 12000 रू और राजू ने 8000 रू जमा किये। उन्होने लाभ–हानि पूंजी अनुपात में बांटने का निश्चय किया। उन्होनें 15000 रू अपने एजेण्ट के पास माल क्रय करने के लिए और बाद में 2100 रू और भेजे। एजेण्ट के पास माल प्राप्त हो जाने पर उन्होने किराया और बीमा आदि में 3900 रू और व्यय किये। कुल बिक्री 23740 रू की हुई जिसमें से उन्होने

अपनी विनियोजित पूंजी निकाल ली और व्यापार बन्द करने का निश्चय किया। राजू ने शेष रहतिया 1260 रू में केय कर लिया। आवश्यक खाते खोलिए।

(उत्तर – लाभ : रंजन 2400 रू राजू 1600 रू भुगतान रंजन को 14400 रू राजू को 8340 रू।)

2. कोलकाता के राम और मुम्बई के श्याम सुमात्रा से हरी को रूई की गांठें भेजने के लिए कारोबार में शामिल हुए। राम ने 50000 रू के मूल्य की रूई भेजी और 3000 रू रेलवे भाड़ा आदि के तथा 3150 य विविध व्ययों के अदा किये। श्याम ने 41500 रू का माल भेजा और भाड़ा तथा बीमा के 2400 रू जहाज घाट के शुल्क के 400 रू चुंगी के 1000 रू अन्य विविध व्ययों के 1000 रू भुगतान किये। संयुक्त कारोबार के सम्बन्ध में श्याम ने 12000 रू पेशगी दिये। श्याम को हरी से बिक्री के रूप में 160000 रू प्राप्त हुए। श्याम ने राम को चैक भेजकर हिसाब चुकता किया। उपर के विवरण से राम की पुस्तको मे आवश्यक खाते खोलिए।

(उत्तर – संयुक्त साहस पर लाभ 57550 रू अन्तिम भुगतान श्याम से प्राप्त हुआ 72925 रू।)

3. पुरवार एण्ड सन्स ने 10000 रू का माल खरीदा और उसे विनोद मेडिकल स्टोर्स के पास संयुक्त साहस के रूप में बेचने को भेजा। लाभ–हानि का बंटवारा 2 : 1 के अनुपात में होने का निश्चय हुआ। 600 रू भाड़ा तथा बीमा के रूप में भुगतान हुआ तथा विनोद मेंडिकल स्टोर्स के उपर 4000 रू का बिल लिखा। बिल को 3850 रू पर भुनाया गया। विनोद मेडिकल स्टोर्स ने निम्नलिखित व्यय किये।

300 रू ठेला भाड़ा व संग्रह व्यय, 15000 रू का माल बिका और 350 रू विक्रय व्यय के रूप मे विनोद मेंडिकल स्टोर्स ने भुगतान किया। सकल रकम पर 3 प्रतिशत काटकर शेष रकम चैक द्वारा पुरवार एण्ड सन्स के पास भेज दी गयी। दोनों पक्षों की किताबों में खाते खोलिए।

(उत्तर – संयुक्त साहस पर लाभ–विनोद मेडिकल स्टोर्स 1050 रू पुरवार एण्ड सन्स 2100 रू विनोद मेडिकल स्टोर्स खाते की बाकी 8850 रू।)

4. राम व मोहन समान अनुपात मे एक संयुक्त व्यापार का संचालन करते है इनके लेन–देन निम्न थे।

राम ने मोहन को 20000 रू माल क्रय करने के लिए भेजा और मोहन ने 40000 रू का माल क्रय किया। मोहन ने 2000 रू क्रय के सम्बन्ध में व्यय किये। मोहन ने 50000 रू मे माल बेच दिया और बिक्री व्यय 1000 रू दिये तथा शेष माल राम ने 5000 रू मे ले लिया। मोहन ने शेष रकम का भुगतान राम को चैक द्वारा किया।

उपर्युक्त लेन–देनों का लेखा मोहन की पुस्तको में संयुक्त उपक्रम खाता एंव राम का खाता बनाइए।

(संयुक्त उपक्रम पर लाभ 12000 रू राम 6000 रू मोहन 6000 रू।)

5. मुम्बई की एक वूलन मिल ने उन की 150 पेटियां देहली की नावल्टी वूल स्टोर को 550 रू प्रति पंटी की लागत पर 600 रू प्रति पेटी सूचनार्थ बीजक में लगाकर प्रेषित की। प्रेषक ने प्रेषक पर पैकिंग 400 रू ढुलाई 70 रू तथा रेल भाड़ा 250 रू दिये 10 पेटियां मार्ग मे बिल्कुल नष्ट हो गयीं और नावल्टी वूल स्टोर ने केवल 140 पेटियों की सुपुर्दगी प्राप्त की एजेण्ट ने 225 रू माल उतराई ढुलाई तथा चुंगी के दिये मिल को रेलवे कम्पनी से 3100 रू क्षतिपूर्ति के रूप में मिला। एजेण्ट ने 120 पेटी 700 रू प्रति पेटी के हिसाब से बेच दीं। उन्होने 200 रू गोदाम किराया, 90 रू बीमा तथा 150 रू

फुटकर व्यय के दिये। अपने खर्च तथा बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष रकम अपने प्रधान को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी। प्रेषक की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए।

(उत्तर – प्रेषण पर लाभ 13591 रू अन्तिम भुगतान 79135 रू।)

संकेत –

I. असाधारण हानि 5548 रू की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

(लागत 10 x 550 = 5500 rs. + खर्च $\frac{720 \times 10}{150}$ = 48 rs.)

=5548 rs. 5548 – 3100 प्राप्य राशि = 2448 रू. हानि

II. रहतिये का मूल्यांकन 12128 रू निम्न प्रकार किया जाएगा

[लागत $\frac{90000x20}{150}$ = 12000 रू + व्यय रू $\frac{720 \times 20}{150}$ = 96 रू

+ $\frac{225x20}{140}$ = 32 rs. (approx.) =] = 12128 रू रहतिये की लागत

6. 5 दिसम्बर 2007 को मुम्बई के रेडियो सप्लाई स्टोर्स ने 400 रेडियों माताचरण टूण्डला वालों को प्रेषण पर भेजे। प्रत्येक रेडियो की लागत 450 रू थी लेकिन बीजक मूल्य बिक्री पर 25 प्रतिशत लाभ के हिसाब से बनाया गया। 27 दिसम्बर को प्रेषी ने प्रेषण का 75 प्रतिशत माल बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। प्रेषक ने चुंगी आदि के 1200 रू एंव विज्ञापन व्यय पर 700 रू व्यय किये। माताचरण को बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है और शुद्ध लाभ का ¼ भाग मिलता है। प्रेषक की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए।

(उत्तर – प्रेषण पर लाभ 40000 रू माताचरण का लाभ में भाग 10000 रू।)

संकेत

i. बीजक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायगा

यदि बीजक मूल्य 100 रू हे तो लाभ 25 रू लागत मूल्य 100 – 25 = रू अतः एक रेडियो का बीजक मूल्य = $\frac{450x100}{75}$ = 600 रू तो 400 रेडियो का बिक्री मूल्य = 240000 रू

ii. रहतिये का मूल्यांकन 60800 रू निम्न प्रकार निकाला गया

($\frac{240000x1x1}{4}$ = 60000 + अनुपातिक व्यय $\frac{(2000+1200x1)}{4}$ =800 rs.) = 60800 rs.

iii. $\frac{60000x1}{4}$ = 15000 रू की प्रविष्टि प्रेषण खाते के डेबिट में Consignment Stock Suspense A/C के नाम से होगी।

iv. माताचरण को देय लाभ की गणना करने के लिए Difference Profit X$\frac{25}{125}$ करना होगा अर्थात् $\frac{50000x1}{5}$ =10000 rs.

7. 1 जनवरी 2007 को कोलकाता के मुकर्जी एण्ड कम्पनी ने सूरत के पटेल एण्ड क़ं के पास 500 साइकिलें 150 रू प्रति साइकिल की दर से भेजीं जो लागत मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक था। मुकर्जी एण्ड क़ं ने पैकिंग आदि के लिए 200 रू बीमा 100 रू और भाड़ा 600 रू व्यय किये। मार्च को पटेल एण्ड कम्पनी ने 450 साइकिलें 72800 रू पर बेच दीं जिन पर 1060 रू व्यय हुआ। उनको 5 प्रतिशत तथा 2½ प्रतिशत कमीशन

विक्रय पर देय था। उन्होने 60000 रू हिसाब में भेजा। उपर्युक्त विवरण से चालानकर्ता की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए।

(उत्तर – प्रेषण पर लाभ 11470 रू प्रेषण पर रहतिया 7590 रू पटेल एण्ड क़ं खाते की बाकी 6280 रू।)

8. हीरो साइकिल लि. ने 500 साइकिलें कपूर एण्ड सन्स दिल्ली को 1 जनवरी 2007 को अपनी ओर से बेचने के लिए भेजीं। एक साइकिल की कीमत 500 रू थी लेकिन बीजक मूल्य 600 रू था। हिरो साइकिल लि. ने 10000 रू रेलभाड़ा एंव बीमे में खर्च किए 100000 कपूर एण्ड सन्स दिल्ली से अग्रिम प्राप्त किये। कपूर एण्ड सन्स ने 5000 रू चुंगी एवं गाड़ी भाड़ा, 4000 रू किराया तथा 3000 रू बिमें के खर्च किए तथा 31 जनवरी तक 400 साइकिले 250000 रू में बेची। कपूर एण्ड सन्स बीजक मूल्य पर 5 प्रतिशत कमिशन तथा अतिरिक्त वसूले हुए मूल्य पर 25 प्रतिशत कमिशन पाने के अधिकारी है। कपूर एण्ड सन्स ने देय धन एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा अन्तिम तिथि को भेज दिया। प्रेषक की पुस्तकों में प्रेषण खाता बनाइए।

(उत्तर – प्रेषण पर लाभ 16500 रू.।)

3.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 जगदीश प्रकाश व डॉ0 डी0के0 वर्मा
2. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 एम0बी0 शुक्ल
3. उच्चतर लेखे– डॉ0पी0सी0 शर्मा
4. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 एस0एम0 शुक्ला
5. लेखांकन सिद्धान्त– डॉ0 रमेन्दु राय
6. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 अब्दुल करीम व डॉ0 एस0एस0 खनूजा
7. उच्चतर लेखाविधि– डॉ0 आर0के0 गुप्ता
8. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 बी0के0 सिंह एवं डॉ0 ए0पी0 सिंह

इकाई– 4 समुद्री यात्रा तथा संवेष्ठन

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 समुद्री यात्रा
4.3 जलयान या जहाज
4.4 समुद्री यात्रा की अवधि
4.5 बन्दरगाह के दिन
4.6 समुद्री यात्रा खाता
4.7 समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में लेखे
4.8 समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष वाले मद
4.9 समुद्री यात्रा खाता व लाभ–हानि खाता
4.10 समुद्री यात्रा खाता या अपूर्ण यात्रा खाता
4.11 व्यवहारिक प्रश्न
4.12 संवेष्ठन : प्रस्तावना
4.13 संवेष्ठन लेखांकन के उद्देश्य
4.14 संवेष्ठन के सम्बन्ध में विक्रेता की पुस्तकों में लेखा व्यवस्था
4.15 सारांश
4.16 शब्दावली
4.17 बोधपरक प्रश्न
4.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.19 स्वपरख प्रश्न
4.20 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- समुद्री यात्रा खाते के सैद्धान्तिक पक्ष की व्याख्या कर सके।
- समुद्री यात्रा खाते के व्यावहारिक प्रश्नो को हल कर सके।
- संवेष्ठन खाते के सैध्दान्तिक पक्ष की व्याख्या कर सके ।
- संवेष्ठन खाते के व्यावहारिक प्रश्नो को हल कर सके।

4.1 प्रस्तावना

परिवहन के तीन साधन होते है जल वायु तथा सडक। जल परिवहन को परिवहन का प्राचीनतम साधन माना जाता है। जल . परिवहन के दो प्रकार है 1 आन्तरिक जल परिवहन 2 सामुद्रिक या जहाजरानी परिवहन। विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामुद्रिक परिवहन व्यवसाय में संलग्न कम्पनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाजरानी कम्पनिया समुद्री मार्ग से जलयान या जहाज द्धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल एंव यात्रियो को ले जाती है। इन जहाजरानी कम्पनियों का भी उद्देष्य अन्य व्यवसायिक संस्थाओं की भाति लाभ अर्जित करना होता है। फलतः प्रत्येक जहाजरानी कम्पनी अपने व्यवसाय का लाभ–हानि खाता तैयार करती है। साथ ही वह कम्पनी यह भी ज्ञात करना चाहती है कि प्रत्येक सामुद्रिक यात्रा पर उसे कितनी राशि व्यय करनी पडी है और

कितनी आय अर्जित हुई है तथा यात्रा विशेष से उसे क्या लाभ हानि हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाजरानी कम्पनी द्वारा प्रत्येक सामुद्रिक यात्रा के लिए एक पृथक खाता खोला जाता है जिसे समुद्री यात्रा खाता कहते है।

4.2 समुद्री यात्रा

जलयान या समुद्री जहाज मे माल लादकर एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक ले जाना समुद्री यात्रा कहा जाता है। यह समुद्री यात्रा निम्न दो प्रकार की होती है :

1 **बाह्य यात्रा** : जब जलयान भारत के एक बन्दरगाह से विदेश के किसी बन्दरगाह को जाता है तो इसे बाह्य यात्रा कहा जाता है। यदि यह जहाज भारत के एक बन्दरगाह से भारत के ही दूसरे बन्दरगाह तक जाता है तो भी इसे बाह्य यात्रा कहा जाता है। इसमे पहली वाली को विदेशी बाह्य यात्रा और दूसरी वाली को देशी बाह्य यात्रा कहा जाता है।

2 **आन्तरिक यात्रा** : जब जहाज दूसरे देश से भारत वापस आता है या भारत के ही किसी बन्दरगाह से वापस आता है तो जहाज की इस यात्रा को आन्तरिक यात्रा या वापसी यात्रा कहा जाता है।

4.3 जलयान या जहाज

समुद्री यात्रा मे माल या सवारी को ढोने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जाता है उसे जलयान या पानी का जहाज कहा जाता है। छोटे आकार के जहाज को Steamer तथा बडे आकार के जहाज को टमेमस कहा जाता है।

4.4 समुद्री यात्रा की अवधि

समुद्री यात्रा जिस दिन से प्रारम्भ होती है और जिस दिन समाप्त होती है उस दिन की अवधि को समुद्री यात्रा की अवधि कहा जाता है। इसमें वे दिन भी शामिल किए जाते हैं जिनमें जहाज बन्दरगाह पर लदा हुआ खड़ा रहता हैं।

4.5 बन्दरगाह के दिन

जब जहाज पर माल चढ़ाया जाता है तथा उतारा जाता है तब जितने दिन इस कार्य में लगते है उन्हें बन्दरगाह के दिन कहा जाता है।

4.6 समुद्री यात्रा खाता

जब जलयान एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो इन जलयानों की कम्पनियां अपने प्रत्येक जलयान की प्रत्येक यात्रा से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करना चाहती हैं और प्रत्येक यात्रा के लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे समुद्री यात्रा खाता कहा जाता है। ये कम्पनियां इस खाते को अवधि के अनुसार भी बनाती हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में, समुद्री यात्रा खाता लाभ . हानि खाते की प्रकृति का होता है जिसमें किसी जलयान पर किसी यात्रा विशेष में किए गए व्यय डेबिट किए जाते हैं और अर्जित आयें क्रेडिट की जाती हैं।

4.7 समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में लेखे

इस खाते के डेबिट पक्ष में उन व्ययों को लिखा जाता है जो जहाज यात्रा के सम्बन्ध में किए जाते हैं, जैसेः–

1. **डीजल, पेट्रोल, पानी आदि की लागत (Bunker Cost)** – Bunker का यहां आशय जलयान में डीजल आयल रखने के स्थान से है। परन्तु समुद्री यात्रा खाते में तेल, पेट्रोल, शुद्ध पानी आदि जो भी व्यय यात्रा के सम्बन्ध में होते हैं वे सब डेबिट की ओर लिखे जाते हैं। आज–कल समुद्री जहाज बहुधा कोयले के स्थान पर डीजल आयल, आदि से चलाए जाते हैं अतः इन जहाजों में पहले जहां कोयला रखा जाता था वहा अब डीजल आयल, आदि वे सब वस्तुए रखी जाती हैं जिनसे जलयान चलाने को शक्ति प्रदान की जाती है। डीजल आयल का प्रारम्भिक रहतिया एवं निर्मित डीजल आयल डेबिट में एवं इनका अन्तिम रहतिया क्रेडिट में लिखा जाता है। प्रारम्भिक रहतिया . निर्गमित रहतिया . अन्तिम रहतिया त्र प्रयोग किया गया डीजल आयल । इसे डेबिट मे लिखा जाता है।

2 बन्दरगाह के व्यय समुद्री जहाजी कम्पनियो द्वारा बन्दरगाह का प्रयोग समुद्री जहाज को खड़ा करने, इस पर माल लादने एवं इस पर से माल उतारने, आदि के लिए किया जाता है अतः उन्हें इस प्रयोग के लिए कुछ राषि बन्दरगाह के अधिकारियों को देनी पड़ती है। इस राशि को बन्दरगाह व्यय कहा जाता है।

3 **ह्रासः** . ह्रास समुद्री जहाज की लागत पर निर्धारित दर से लगाया जाता है। ह्रास का लेखा करते समय यात्रा में लगने वाली अवधि का ध्यान रखा जाता है और इस अवधि के लिए जो भी ह्रास होता है वही डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसका सूत्र निम्नांकित है :

$$\frac{\text{कुल ह्रास X यात्रा की अवधि}}{\text{365 दिन या 12 माह}} \quad \left(\frac{\text{Total Dep. X Period of Voyage}}{\text{365 Days or 12 Months}} \right)$$

4 **दलालीः** समुद्री जहाजी कम्पनी के लिए जो व्यक्ति व्यवसाय लाते हैं अर्थात् उन पक्षों का सम्पर्क जहाजी कम्पनियों से कराते हैं जिनका माल समुद्री जहाजी कम्पनी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगी उन्हें जो दलाली दी जाती है वह इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है या इस खाते के क्रेडिट पक्ष में भाड़े में से घटाकर लिखी जाती है।

5 **माल लादने व उतारने के व्ययः** जलयान के यात्रा आरम्भ करने के स्थान पर माल को जलयान पर चढ़ाना पडता है जिसे लदान या भार भरना कहते हैं। इसी प्रकार गन्तव्य स्थान पर जलयान के पहुँचने पर जलयान से माल उतारना पड़ता है जिसे भारहीन करना कहा जाता है। जलयान पर माल को लादने तथा उतारने पर किए गए व्ययों को Stevendoring Charges कहते हैं। इन्हें समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित करते हैं।

6 **वार्षिक स्थायी व्ययः** वार्षिक स्थायी व्ययों को उस अनुपात में इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है जो यात्रा की अवधि एवं पूरे वर्ष में होता है। स्थायी व्ययों के कुछ उदाहरण हैं : वेतन, मरम्मत, ब्याज, बीमा एवं ह्रास, आदि।

7 **बीमा–** समुद्री यात्रा के सम्बन्ध में निम्न प्रकार का बीमा कराया जा सकता है :

A. **समुद्री जहाज का बीमा एवं इसका प्रीमियमः** समुद्री जहाज का बीमा साधारणतया एक वर्ष के लिए कराया जाता है। जैसे एक वर्ष के

बीमा प्रीमियम की राशि रू 60000 है, परन्तु समुद्री यात्रा में 3 माह लगे हैं तो इस अवधि का प्रीमियम 60000 x 3/12 = 15000 रू0 होता है, जो समुद्री बीमा खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है।

B. **समुद्री यात्रा बीमाः** जब बीमा समुद्री यात्रा की अवधि के लिए ही कराया जाता है बीमा प्रीमियम की पूरी राशि इस समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है।

C. **भाड़ा बीमाः** जब भाड़ा बीमा कराया जाता है तो इसे समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष मे लिखा जाता है।

8. **दक्षता कमीशनः** जहाजरानी कम्पनी के द्वारा यह कमीशन उन्हें दिया जाता है जिनकी सहायता से भाड़ा प्राप्त होता है। भाड़ा तथा उस पर प्राइमेज दोनों राशियों के जोड़ पर एक निश्चित प्रतिशत से इस कमीशन की गणना की जाती है। यदि बाह्य भाडा तथा आन्तरिक भाड़ा के लिए एड्रेस कमीशन की दरें अलग–अलग हों तो सम्बन्धित भाडे पर निर्धारित दर से कमीशन निकालकर उनका योग करके कुल एड्रेस कमीशन ज्ञात करते हैं। इसे समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित करते हैं।

9. **प्रबन्धक का कमीशनः** कभी कभी जहाजरानी कम्पनी के प्रबन्धक को लाभ के एक प्रतिषत के रूप में कमीशन दिया जाता है। कमीषन की गणना के लिए निम्नाकिंत दो दशाओं में कोई एक दशा या शर्त हो सकती है :

A लाभ में से इस कमीशन को काटे जाने से पूर्व की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत से प्रबन्धक को कमीशन दिया जाना। इस दषा में पहले कमीशन से पूर्व लाभ की राशि ज्ञात की जाएगी और तत्पश्चात् कमीशन की राशि निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा :

समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष की राशियों का जोड़	....
घटाया : बिना कमीशन लिखे हुए डेविड पक्ष की राशियों का जोड़	....
कमीशन से पूर्व लाभ की राशि	....

सूत्र : $\dfrac{\text{कमीशन से पूर्व लाभ की राशि x दर}}{100}$ ....

माना कि कमीशन से पूर्व लाभ की राशि 4,40,000 रू है और उस लाभ पर कमीशन 10% दिया जाता है जिसमें से यह कमीशन न काटा गया हो तो :

$$\text{कमीशन} = \frac{4,40,000 \times 10}{100} = 44,000$$

B लाभ में से इस कमीशन के काटे जाने के बाद शेषे बचे हुए लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया जाना। इस दशा में पहले उपर्युक्त विधि से कमीशन से पूर्व लाभ की राशि ज्ञात करेंगे और तत्पश्चात् कमीशन की राशि निकालने के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा

सूत्र : कमीशन से पूर्व लाभ की राशि x दर

100 ̣ दर

माना कि दर 10ःहै और कमीशन से पूर्व लाभ की राषि 4,40,000 रू हो तो :

कमीशन = $\frac{4,40,000 \times 10}{100+10}$ = 40,000

4.8 समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष वाले मद

समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में निम्नांकित मद बहुधा लिखे जाते हैं :

1 **भाड़ाः** समुद्री जहाजी कम्पनी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए जो किराया माल के मालिक से लेती है उसे भाड़ा कहा जाता है। यह समुद्री जहाजी यात्रा की आय होती है। अतः इसे समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, परन्तु जो भाड़ा अपूर्ण यात्रा का होता है उसे समुद्री जहाजी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है।

2 **भाडे के अतिरिक्त दी गई दलालीः** माल के स्वामी समुद्री जहाज कम्पनी को भाड़े के अतिरिक्त एक और राशि इसलिए देतें है ताकि उनका माल सुरक्षित पहुचाया जाए।

3 **यात्रा राशिः** जब समुद्री जहाजी कम्पनियां माल के अतिरिक्त यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं तो इन यात्रियों से जो किराया वसूल करती है वह यात्रा राशि कहा जाता है। इसे समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है।

4 **शराब की बिक्री और सेलून की आयः** इस बिक्री और आय को भी समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है।

5 **स्टोर्स, डीजल, आदि का अन्तिम रहतियाः** इनके अन्तिम रहतिये को समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है।

4.9 समुद्री यात्रा खाता एवं लाभ - हानि खाता

- समुद्री यात्रा खाता एवं लाभ - हानि खाता दोनों एक से सिद्धान्तों पर बनाए जाते हैं।
- लाभ - हानि खाता साधारणतया लेखांकन अवधि के लिए बनाया जाता है जो बहुधा एक वर्श की होती है जबकि समुद्री यात्रा खाता जलयान की बाह्य एवं आन्तरिक यात्रा के लिए बनाया जाता है। यह खाता प्रति यात्रा के लिए अलग से बनाया जाता है। यदि बाहर जाना और वापस आना दोनों दिए है तो इसके लिए एक ही समुद्री यात्रा खाता बनाया जाएगा। कुछ जलयान कम्पनियां समुद्री यात्रा खाता अवधि के आधार पर भी बनाती है।
- समुद्री यात्रा खाते में जलयान का ह्रास उस अवधि का लिखा जाता है जो अवधि उसकी समुद्री यात्रा की होती है जबकि लाभ . हानि खाते में ह्रास का लेखा इस प्रकार नहीं होता है।

- न पूरी हुई समुद्री यात्रा से सम्बन्धित जो व्यय होते हैं उन्हें समुद्री यात्रा खाते में आगे ले जाया जाता है। यह स्थिति लाभ - हानि खाते में नहीं होती है। अतः इन्हे इस खाते के केडिट पक्ष में लिखा जाता है।

समुद्री यात्रा खाता बन्द करना

जब समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष का योग इसके डेबिट पक्ष के योग की तुलना में अधिक होता है तब उस यात्रा में लाभ होता है और जब कम होता है तब उस यात्रा में हानि होती है इस लाभ या हानि को जलयान कम्पनी के लाभ - हानि खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

4.10 चालू समुद्री यात्रा या अपूर्ण यात्रा

लेखाकंन वर्ष की समाप्ति पर जब जहाजी कम्पनी अपने वार्षिक खाते बन्द कर रही हो, यह सम्भव है कि किसी जहाज की समुद्री यात्रा पूर्ण न हो पाई हो अर्थात् यात्रा अभी जारी हो। इस स्थिति को चालू समुद्री यात्रा कहते है तथा यात्रा का वह भाग जो पूरा नहीं हुआ है अपूर्ण यात्रा कहलाता है। चालू या अपूर्ण यात्रा की दशा में लाभ की गणना यात्रा के उस भाग पर की जाती है जो यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अतः समुद्री यात्रा का लाभ . हानि ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि समुद्री यात्रा खाते में उतने ही आयों एवं व्ययों दिखाया जाना चाहिए जो पूरी की गई यात्रा से सम्बन्धित हों। यदि अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित आयें एवं व्ययों समुद्री यात्रा खाते में लिख दिया गया है तो इस अपूर्ण यात्रा के लिए उचित समायोजन करना आवश्यक है। प्रत्येक समुद्री यात्रा के लाभ - हानि की गणना से पूर्व मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे व्ययों एवं आयों को आगामी अवधि में अन्तरित करना आवश्यक है जो भुगतान किए जा चुके हैं, किन्तु उनका सम्बन्ध उस यात्रा से है जो अभी अपूर्ण है।

उदाहरणार्थ .... जलयान मुम्बई से रंगून माल लेकर गया। जलयान रंगून पहुंच गया और वापसी यात्रा में आधे मार्ग में है। ऐसी दशा में रंगून पहुंचने तक की यात्रा का लाभ ज्ञात किया जाएगा। वापसी अपूर्ण यात्रा का प्राप्त भाड़ा तथा यात्रा पर हुए व्ययों को आगे ले जाया जाएगा। अपूर्ण समुद्री यात्रा के सम्बन्ध में निम्न क्रिया अपनाई जाती हैः

1. अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित प्राप्त भाड़ा (प्राइमेज सहित) जिसे समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जा चुका है, को समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में 'voyage-in-Progress/Freight-in-Advance' शीर्षक में अन्तिम मद के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे भाड़े को अग्रिम भाड़ा माना जाता है।
2. समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में पूर्ण यात्रा तथा अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित सभी व्ययों को दिखाया जाता है। कुछ व्ययों का वह भाग जो अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित होता है उसे समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में 'Voyage-in-Progress/Expenses Carried Forward' शीर्षक में अन्तिम मद के रूप में लिखा जाता है।

चालू या अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित व्ययों की गणना करने की विधि निम्नवत् है :

1. चालू यात्रा से सम्बन्धित जो स्पष्ट व्यय होते हैं। जैसे– Address Commission, Stevendoring charges आदि, उनकी पूरी राशि लेते हैं।
2. भाड़ा बीमा का उतना भाग लेते हैं जो चालू यात्रा के भाड़े और कुल भाड़े के आपसी अनुपात में हिसाब में आता है। उल्लेखनीय है कि इसके लिए मूल भाड़े (अर्थात् भाड़े में प्राइमेज सम्मिलित न करके) का अनुपात देखा जाता है।

अ. यदि प्रश्न में कुल यात्रा (पूर्ण तथा अपूर्ण) के व्यय दिए हों :

$$\text{शेष व्ययों की कुल राशि} \times \frac{\text{अपूर्ण यात्रा}}{\text{कुल यात्रा (पूर्ण तथा अपूर्ण)}}$$

ब. यदि प्रश्न में पूरी की गई यात्रा अर्थात् समुद्री यात्रा खाता बनाने की अन्तिम तिथि तक के व्यय दिए हों :

$$\text{शेष व्ययों की कुल राशि} \times \frac{\text{अपूर्ण यात्रा}}{\text{कुल यात्रा (पूर्ण तथा अपूर्ण)}}$$

महत्वपूर्ण– यदि भाड़ा बीमा की पॉलिसी राशि दी गई हो तो भाड़ा बीमा को भाड़े के अनुपात में न बांटकर शेष व्ययों की राशि (iii) में सम्मिलित कर यात्रा के अनुपात में बांटते हैं।

संक्षेप में, चालू/अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित व्ययों की गणना विधि इस प्रकार है :

(i) Address Commission, Stevandoring Charges relating to Voyage-in-progress .....

(ii) Freight Insurance x $\frac{\text{Basic Freight of Voyage−in−Progres}}{\text{Total Basic Freight Earned}}$

(iii) All other expenses :

a. When expenses of total Voyage are given :

All other exps. x $\frac{Incomplete\ Voyage}{Total\ Voyage}$

Or

b. When expenses of Voyage are given upto the end of the year :

All other expenses x $\frac{Incomplete\ Voyage}{Completed\ Voyage}$ ....

Total Expenses of Voyage-inProgress

समुद्री यात्रा खाते का प्रारूप

(From .... to ....)

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Bunker Cost To Port Charges To Harbour Wages To Stevendoring Charges/Loading & unloading Charges To Salaries of Officers & Crew	Rs.	By Freight : Outward Add: Primage Inward Add: Primage By Passage Money By Closing Stock of Desel, Stores, etc.	Rs.

To Commission and Brokerage To Depreciation To Insurance Ship Freight To Standing Charges To Address Commission To Voyage-in-Progress (Freight of Incomplete Voyage) To Manager's Commission To Net Profit (Balancing Figure)		By Voyage-in-Progress (Exps. of Incomplete Voyage) By Net Loss (Balancing figure)	

4.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

A. पूर्ण होने की दशा में समुद्री यात्रा खाता बनाना

उदाहरण 1

1. रिचा जलयान ने अपनी समुद्री यात्रा चेन्नई से लन्दन तथा वापस चेन्नई के लिए 1 जून 2002 को प्रारम्भ की। जलयान पर लन्दन जाने के लिए 1,000 टन दर 50 रू0 प्रति टन तथा लन्दन से चेन्नई के लिए 2,000 टन दर 40 रू0 प्रति टन की दर से किराया भाड़ा पर लदाई की गयी।
   - (i) बन्दरगाह पर व्यय बाह्य समुद्री यात्रा के लिए 40,000 रू0 तथा वापसी समुद्री यात्रा के लिए 28,000 रू0 व्यय हुए।
   - (ii) समुद्री यात्रा के समय फ्यूल तेल 25,000 रू0 तथा वेतन के 27,000 रू0 व्यय हुए।
   - (iii) जलयान का बीमा प्रीमियम इस समुद्री यात्रा के लिए 5,000 रू0 दिया गया।
   - (iv) इस समुद्री यात्रा के लिए एजेण्ट को कमीशन 2,000 रू0 दिया गया।
   - (v) जलयान 30 सितम्बर, 2002 को चेन्नई वापस आ गया।

समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

Richa vessel commenced its voyage from Chennai to London and back to Chennai on 1st June, 2002. Vessel was loaded on freight rate of 1,000 tons @ Rs. 50 per ton from Chennai to London and 2,000 ton @ Rs. 40 per ton from London to Chennai.

- (i) Expenses on port amounted to for outward Voyage Rs. 40,000 and for return journey Rs. 28,000.
- (ii) During sailing period fuel oil charges amounted to Rs. 25,000 and salaries Rs. 27,000.

(iii) Insurance premium of this vessel for this journey was paid Rs. 5,000.

(iv) Commission to agent for this voyage was paid Rs. 2,000.

(v) Vessel reached Chennai on 30th Sept. 2002.

Prepare Voyage account

हल **1**

Richa Vessel

Voyage account

from 1st June 2002 to 30th Sep. 2002.

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Expenses on Port		By Freight	50,000
Outward - 4		outward 1000x50	80,000
Inward 2	68,000	By Freight inward	
To Fuel oil charges	25,000	2000x40	
To Salaries	27,000		
To Insurance Premium	5,000		
To Agent's Commission	2,000		
To Profit and Loss account	3,000		
(Net Profit)			
	1,30,000		1,30,000

उदाहरण **2**

AB जलयान ने अपनी यात्रा 1 जुलाई, 2001 को कोलकाता से मुम्बई तथा वापस कोलकाता आने के लिए प्रारम्भ की। जहाज को निम्नांकित किराया भाड़ा मिला :

कोलकाता से बम्बई 5,000 टन दर 30 रू0 प्रति टन

बम्बई से कोलकाता 3,000 टन दर 40 रू0 प्रति टन

(i) बाह्य समुद्री यात्रा पर बन्दरगाह के व्यय 22,000 रू0 तथा वापसी समुद्री यात्रा पर बन्दरगाह के व्यय 21,000 रू0 हुए।

(ii) समुद्री यात्रा के समय वेतन 35000 तथा फ्यूल व्यय 23000 रूपये के हुए।

(iii) इस समुद्री यात्रा के समय जलयान का बीमा प्रीमियम 2000 रूपया हुआ।

(iv) प्राइमेज 10 प्रतिशत है।

(v) एड्रेस कमीशन 1 प्रतिशत किराये भाड़े पर है।

(vi) जलयान कोलकाता 15 सितम्बर 2001 को वापस आया।

समुद्री यात्रा खाता बनाइए–

AB ship commenced its voyage on 1 July 2001 from kolkata to Mumbai and back to Kolkata. The ship received the following freight.

Kolkata to Mumbai 5000 ton @ 30 per ton.

Mumbai to Kolkata 3000 ton @ 40 per ton

(i) Port expenses on outward voyage were Rs 22000 while on return voyage were Rs. 21000/-
(ii) During sailing period salaries were Rs. 35000/- and fuel charges amounted to Rs. 23000/-
(iii) Insurnace premium of ship for this voyage amounted to Rs. 2000/-
(iv) primage is 10%
(v) Address commission 1%on freight.
(vi) Ship returned to Kolkata on 15th Sep. 2001.

prepare voyage account.

हल – 2

ABvessel

voyage account

(from 1st July to 15th Sept. 2001)

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To outward port exps. To Inward port exp. To Salares To Fuel charges To Ins. Premium To Address Commission 1650 1320 To Profit & Loss A/c (Net Profit)	22,000 21,000 35,000 23,000 2,000 2,970 1,91,030	By Freight outward 1.50,000 Primage 10% 15,000 By Freight inward 1,20,000 Primage 10% 12,000	 1,65,000 1,32,000
	2,97,000		2,97,000

उदाहरण 3

सुशील जलयान ने चेन्नई से मुम्बई की यात्रा 1 नवम्बर 2002 को प्रारम्भ की तथा वापसी भी हुई। यह समुद्री यात्रा 31 दिसम्बर 2002 को पूरी हुई। जलयान का वार्षिक प्रीमिय 24000 रूपया था। निम्नांकित विवरण को भी ध्यान में रखकर समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

	धनराशि		धनराशि
बन्दरगाह के व्यय	5,000	ह्रास (वार्षिक)	84,000
डीजल	28,800	भाड़ा अर्जित (वाह्य)	1,10,000
मजदूरी	47,000	भाड़ा अर्जित (आन्तरिक)	75,000
स्टोर्स क्रय किया	19,000	एड्रेस कमीशन 4 प्रतिशत	
विविध व्यय	12,000	वाह्य भाड़े पर तथा 5 प्रतिशत आन्तरिक भाड़े पर यात्रा राशि प्राप्त की	10,000

मैनेजर को ऐसे लाभ पर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। जिसमें यह कमीशन काटा न गया हो। स्टोर्स एवं कोयला का अन्तिम रहतिया 6000 रूया था।

Sushil ship commenced voyage from Chennal to Mumbai and back on 1st Nov. 1998. This voyage was coplete on 31st Dec. 1998 Annual insurnace premuum of this ship is Rs. 24000/- prepare voyage account after taking following particulars also into consideration.

	Amount		Amount
Post charges Diesel Wages Stores purchased Sundry Expenses	5,000 28,800 47,000 19,000 12,000	Deprecciation (annual) Freight earned (outward) Freight earned (inward) Address commission @ 4% on outward and 5% on inward freight passage money received	84,000 1,10,000 75,000 10,000

The manager is entitled to 10% commission on such profit which arrived at before charging such commission. Closing stock of stores and coal amounted to 6000/-

हल **– 3**

Voyage No. ___________ Account of Sushil Ship

from Chennai to mumbai

Commencement 01.11.2002 arrival 31st Dec. 2002

	Amount		Amount
To Insurnce Premium of Ship (two months) To Port charges To Desel To Wages To Stores used 19000-6000 To Sundry Charges To Dep. (Two months) to Address commission 4,400 3,750 To manager's Comission To Profit and Loss A/c (Net Profit)	4,000 5,000 28,8,00 47,000 13,000 12,000 14,000 8,150 6,305 56,745	By Freight outward By Freight inward To Passage money	1,10,000 75,000 10,000
	1,95,000		1,95,000

Working Note – Manager's commission की गणना

Manager commisison के पहले	Credit Side का योग	195000
	debit Side का योग	131950
		63050
63050 का 10%		6305

उदाहरण 4

एक जहाजी कम्पनी अपनी समुद्री यात्रा संख्या 45 के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करा रही है जो 1.2.2000 को आरम्भ की गई थी। जहाज 31.03.2000 को बन्दरगाह ''ब'' पहुॅचा जबकि उसकी समुद्री यात्रा पूरी हो गई। बन्दरगाह 'अ' से बन्दरगाह 'द' के लिए 2000 टन तथा बन्दरगाह 'अ' से बन्दरगाह 'स' के 500 टन क्रमशः माल की लदान हुई। दूसरे बन्दरगाह 'स' से बन्दरगाह 'ब' के लिए 300 टन की लदान हुई। भाड़ा व्यय इस प्रकार रहा–

अ से द	100 रू0 प्रतिटन
अ से स	80 रू0 प्रतिटन
स से द	50 रू0 प्रतिटन

भाड़ा 10 प्रतिशत प्राइमेज, 5 प्रतिशत एड्रेस कमीशन तथा 3 प्रतिशत दलाली के अधीन है। भाड़ा 1/2 प्रतिशत की दर पर बीमित है। जहाज यात्रा के लिए 1 प्रतिशत की दर से बीमित हैं ह्रास 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रभारित किया जाना है।

जहाज की लागत 12 लाख रूपये है, विभिन्न बन्दरगाहों का व्यय इस प्रकार है–

	अ	ब	स	द
	रू0	रू0	रू0	रू0
बन्दरगाह व्यय	5,000	1,000	3,000	3,000
कोयला	18,000	–	4,000	–
कप्तान व्यय	1,200	800	600	900
बन्दरगाह मजदूरी	4,000	–	3,000	2,500

आरम्भ में स्टोर्स 8,000 रू0 का दिया गया था। स्टोर्स का प्रारम्भिक स्कन्ध 5,000 रू0 तथा अन्तिम स्कन्ध 2,000 रू0 का था। कोयले का अन्तिम स्कन्ध 4,500 रू0 का था जबकि आरम्भ में कोयले का स्कन्ध 1,500 रू0 था।

जहाज चालकों का वेतन तथा मजदूरी 12,000 रू0 प्रतिमाह था। समुद्री यात्रा खाता तैयार कीजिए।

The following details are furnished by a shipping company in connection with Voyage No. 45 which was commenced on 1.2.2000. The ship arrived at Port D on 31.03.2000 when the voyage was completed 2,000 tons and 500 tons were loaded at port A to port D and C respectively. Another 300 tons were loaded at C for D. The freight charges were:

A to D	Rs. 100 per ton
A to C	Rs. 80 per ton

A to D Rs. 50 per ton

The freight is subject to 10% primage, 5% address commission and 3% brokerage. The freight was insured at ½%. The Hull was insured for the voyage @ 1%. Depreciation is provided @ 5% p.a.

Cost of ship is Rs. 12 lakhs. The expenses at different ports were as under:

	A	B	C	D
Port Charges	5,000	1,000	3,000	3,000
Coal	18,000	—	4,000	—
Captain's exp.	1,200	800	600	900
Harbour Wages	4,000	—	3,000	2,500

Stores provided at commencement amounted to Rs. 8,000. Opening Stock of stores was Rs. 5,000 and Closing Stock is estimated at Rs. 2,000. Stock of coal at close is estimated at Rs. 4,500 as against stock of Rs. 1,500 at the beginning.

Salaries and wages of sailors etc. amount to Rs. 12,000 per month. Prepare the voyage Account.

<u>हल **4**</u>

<u>Voyage No. 45 Account</u>

Date of Commencement : 1.2.2000 Date of Arrival : 31.03.2000

From: Port A To Port D

	Rs.		Rs.
To Wages and Salaries	24,000	By Freight	2,55,000
12,000x2)	19,000	Charges	25,500
to Coal (1,500+22,000) -	12,000	By Primage	
4,500)	3,500		
To Port Charges	9,500		
To Captain's Expenses	14,025		
To Harbour Wages	8,415		
to Address Commission	11,000		
To Brokerage			
To Stores (5,000+8,000)-	12,000		
2,000)	1,402		
To Insurance Premium	10,000		
Hull 1% of 12,000,000	1,55,658		
To Freight Ins. – ½% of	2,80,500		2,80,500
2,80,500			
To Depreciation for 2 months			
To Net profit c/d			

Note:

(i) To find out freight charges;

	Qty	Rate	Total Rs.
Port A to Port D	2,000 tons	@Rs. 100	=Rs. 2,00,000
Port A to Port C	500 tons	@ Rs. 80	=40,000
Port C to Port D	300 tons	@ Rs. 50	=15,000
			Rs. 2,55,000

(ii) Primage :

10% on freight charges = Rs. 2,55,000 x 10/100 Rs. 25,500

(iii) Address Commission :

5% on (freight charges + primage) = 5/100 x Rs. 2,80,500= Rs. 14,025

(iv) Brokerage @ 3% =

3% on (freight charges + primage) = 3/100 x Rs. 2,80,500= Rs. 8,415

(v) Duration = 2 months = from 1.2.2000 to 31.3.2000

(vi) Depreciation for 2 months @ 5% on Hull :

5/100 x 12,00,000 x 2/12 = Rs. 10,000

B. अपूर्ण यात्रा की दशा में समुद्री यात्रा खाता बनाना

उदाहरण **5**

एस0एस0 प्राइड ऑफ इण्डिया ने समुद्री यात्रा कोलकाता से मुम्बई 1 दिसम्बर, 2002 को प्रारम्भ की। जिस दिन खाते बन्द किये जाते हैं वापसी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। मुम्बई तक की तथा कोलकाता वापस आने की सम्पूर्ण यात्रा जो 31 दिसम्बर, 2002 के बाद पूरी हुई, उस सम्पूर्ण यात्रा का विवरण निम्न है :

भाड़ा 6,00,000 रू0 डीजल प्रयोग किया गया 105,000 रू0 स्टोर्स प्रयोग किया गया 45,000 रू0 बन्दरगाह के व्यय 22,500 रू0 कर्मचारियों का वेतन 60,000 रू0 ह्रास 60,000 रू0 बीमा समुद्री जहाज 30,000 बीमा भाड़ा 12,000 रू0 प्राइमेज 10 प्रतिशत एड्रेस कमीशन 5 प्रतिशत वापसी यात्रा पर मात्र 2,25,000 रू0 का भाड़ा उपलब्ध था।

31 दिसम्बर 20002 तक का समुद्री यात्रा खाता बनाइए। वापसी यात्रा के पूरे व्यय सम्मिलित किए गए हैं।

S.S. Pride of India set on voyage from Kolkata to Mumbai on 1st December, 2002. On which date the accounts are cloes, the return voyage had not been completed. The details for the entire voyage to Mumbai and back to Kolkata completed after December 31, 2002 are given below.

Freight rs. 6,00,000 Diesel consumption Rs. 1,05,000 Stores consumed Rs. 45,000 Port charges 12,000 Primage 10% Address commission 5% Only Rs. 2,25,000 freoght was available on return Journey.

Prepare Voyage Accounts uptu 31st December, 2002. Expenses on full return voyage have been included.

<u>हल **5**</u>

Voyage Account

To Diesel Consumption	1,05,000	By freight	6,00,000
To Stores used	45,000	Primage 10%	60,000
To Port charges	22,500		6,60,000
To Salaries of Crew	60,000	By Voyage in progress	
To Depreciation	60,000	or expenses	1,78,125
To Insurance		carried forward	
Ship 30,000	42,000		
Freight 12,000			
To Address Commision 5%	33,000		
To Voyage in progress 2,25,000	2,47,500		
22,500	2,23,125		
To Profit and Loss A/c (Net Profit)			
	8,38,125		8,38,125

Working Notes :

1. Ratio of incomplete journey = incomplete journey / Total Journey

$$= \frac{.5}{1.00} = \frac{1}{2}$$

2. Voyage in progress(Dr. side) की गणना

वापसी यात्रा पर भाड़ा	2,25,000
Primage 10%	22,500
Voyage in progress	2,47,500

3- Voyage in progress (Cr. side) की गणना

Diesel Consumption	1,05,000
Stores used	45,000
Port charges	22,500
Salaries of Crew	60,000
Depreciation	60,000
Insurance	
Ship	30,000
Total Expeneses	
	3,22,500

$\frac{1}{2}$ of total expenses (3,22,500) 1,61,250

Address commission 2,47,500 का 5%	12,375
Freight Insurance 12,000x2,25000/6,00,000	4,500
Expenses relating to incomplete journey	1,78,125

उदाहरण **6**

एक्स शिप लि0 मुम्बई ने एक जहाज बी0सी0 चेन्नई लागत 25,00,000 रू0 का 1 सितम्बर 2002 को प्राप्त किया और इसका 6 प्रतिशत वार्षिक पर बीमा कराया। भाड़े का भी इसी दर पर बीमा कराया गया, पॉलिसी की राशि 16,00,000 रू0 थी। 31 दिसम्बर 2002 को समाप्त होने वाली 4 माह की अवधि में जहाज लन्दन गया और आया तथा दूसरी यात्रा एक तरफ की लन्दर की आधी थी। वह निम्नांकित कार्गो ले गया :

लन्दन को 10,000 टन दर 20 रू0 प्रतिटन
लन्दन से 8,000 टन दर 30 रू0 प्रतिटन
लन्दन को 10,000 टन दन 19 रू0 प्रतिटन

स्टोर्स क्रय 18,000 रू0 मजदूरी और वेतन 47,000 रू0 स्टीवेण्डरिंग 56,000 (2 रू0 प्रतिटन) 31 दिसम्बर 2002 को स्टोर्स का स्टॉक 3,000 रू0 पोर्ट व्यय 18,000 रू0 ईंधन एवं शक्ति 57,000 रू। प्राइमेज 5 प्रतिशत और एड्रेस कमीशन 10 प्रतिशत था। जहाज की मूल लागत पर 6 प्रतिशत वर्ष ह्रास लगाया जाता है।

समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

X Ship Ltd. Mumbai acquired a ship BC Chennai, costing Rs. 25,00,000 on 1st Sept, 2002 and of it insured at 6%. The freight was also insured at the same rate, the amount of the policy being Rs. 16,00,000. During the four months to Dec. 31 2002 the ship made one round trip to London and was half through, the second trip (single way) to London. It carried the following carge:

To London 10,000 Tonne @ Rs. 20 per ton
From London 8,000 tonne @ Rs. 30 per ton
To London 10,000 tonne @ Rs. 19 per ton

Stores purchases Rs. 18,000 Wages and salaries Rs. 47,000 Stevendoring Rs. 56,000 (Rs. 2 per ton) Stock of stores 31st Dec. 2002 Rs. 3,000 Port dues Rs. 18,000 Fuel & Power Rs. 57,000 Primage was 5% and address commission was 10%. The ship is subject to depreciation @ 6% p.a. on the original cost.

Prepare voyage account.

हल 6

X Ship Ltd. Mumbai
Voyage Account
From 01.09.2002 to 31.12.2002

To Insurance ship 25,00,000x6%x4/12	50,000	By freight	
To Insurance freight 16,00,000x6%x4/12	32,000	To London 10,000x20 = 20,00,000	
To Stores used 18,000-3,000	15,000	From London 8,000x30 = 2,40,000	
To Wages and Salaries	47,000	Unfinished Voyage 10,000x19= 1,90,000	
To Stevendoring (28,000 tons @ Rs. 2 per	56,000	6,30,000	
ton)	18,000	Primage 5% 31,500	6,61,500
To Port dues	57,000	By Voyage in progress (expenses relating to	
To Fuel and Power	50,000	incomplete voyage)	93,750
To Depreciation 25,00,000x6/100x4/12	66,150		
To Address Commision 10%			
To Voyage in progress (freight relating to			
incomplete journey) 10,000x19=1,90,000	1,99,500		
5% 9,500	1,64,600		
To Net Profit transfereed to P/L A/c			
	7,55,250		7,55,250

Working Notes :

1. कुल यात्रा 2.5 अपूर्ण यात्रा .5

   अपूर्ण यात्रा का अनुपात $\frac{.5}{2.5} = \frac{1}{5}$

2. Voyage in progress (Cr.)

Address Commission 10% on 1,99,500	19,950
Insurance 82,000 x $\frac{1}{5}$	16,400
Stores 15000x $\frac{1}{5}$	3,000
Wages and salaries 47000x$\frac{1}{5}$	9,400
Stevendoring 10000x2	20,000
Port dues 18,000x$\frac{1}{5}$	3,600
Fuel and power 57000x$\frac{1}{5}$	11,400
Depreciation 50000x$\frac{1}{5}$	10,000
	93,750

4.12 संवेष्ठन : प्रस्तावना

पैकेज को संवेष्ठन या परिवेष्ठन या पैकेज या पैकेजिंग भी कहते है। पैकेज वह पात्र है जिसमें विक्रय के लिए वस्तुएं रखी जाती है। पैकिंग के अन्दर के सामान का उपयोग करने के बाद क्रेता के पास दो विकल्प उपलब्ध होते है, जिनमें एक तो वह खाली पैकिंग या डिब्बे को अपने पास रख लें अथवा उसे विक्रेता को वापस कर दें। माल की बिक्री डिब्बों या संवेष्ठन में करने पर उत्पादक

या विक्रेता को पैंकिंग या संवेष्ठन के लिए अतिरिक्त लागत व्यय करनी पड़ती है और यह वह व्यय है जो विक्रेता पात्रों की अतिरिक्त लागत को बिक्री मूल्य में जोड़कर ग्राहक से अप्रत्यक्ष रूप में वसूल लेता हैं। यदि ग्राहक अपेक्षाकृत अधिक माल क्रय करता है तो पैकिंग उसके लिए निरर्थक होगी और वह इसे उत्पादक या विक्रेता को वापस करना चाहेगा। विक्रेता पैकिंग के अतिरिक्त व्यय को बचाकर विक्रय की गई वस्तु के लागत को कम करने का प्रयास करेगा। ग्राहक को उपलब्ध कराये गये संवेष्ठन को सामान्यतया दो वर्णों में बाँटा जा सकता है :

1. **वापस न किये जाने वाले पात्र (Non-Returnable containers)**

ऐसे पात्र जिनका मूल्य उसमें रखे जाने वाले उत्पाद की तुलना में बहुत कम होता है वे पात्र वापस न किये जाने वाले पात्र कहे जाते है। इस स्थिति में बिक्री मूल्य में उत्पाद तथा पात्र दोनों का मूल्य सम्मिलित रहता है। इन परिस्थितियों में पात्रों के लिए पृथक लेखा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। पात्र की नाम–मात्र की लागत की उत्पादन लागत का अंग बन चुकी है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, दूध आदि।

2. **वापस किये जाने वाले पात्र (Returnable containers)**

यह वह पात्र है जिसमें रखे गये पात्र का उपयोग करने के बाद क्रेता खाली पात्र विक्रेता को वापस कर देता है। उदाहरण के लिए तेल के पीपे, रसायन के डिब्बे, लिम्का की बोतल, बिस्कुट के कनस्तर आदि। सामान्यतया निर्धारित समय के अन्दर ठीक हालत में खाली पात्र वापस करने पर खाली पात्र की लागत का अधिकांश भाग क्रेता को वापस कर दी जाती है। इस सन्दर्भ में खाली पात्र के लिए क्रेता से प्रभारित (charged) लागत तथा वापस किये गये मूल्य के अन्तर को ही किराया मूल्य (Hired Price) कहा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि खाली पात्र का मूल्य 100रू है और पात्र वापस करने पर क्रेता को 95 रू0 वापस दे दिए जाते है तो किराया मूल्य 5 रू0 होगा। व्यवहार में विक्रेता पात्र की लागत की तुलना में वापस किया जाने वाला मूल्य थोड़ा अधिक ही रखता है, जिससे कि ग्राहक खाली पात्रों को वापस कर दे। यदि अधिक मूल्य ग्राहकों से खाली पात्र के लिए वसूला जाता है तो वे खाली पात्र को समय सीमा के अन्दर ही वापस कर देते हैं।

4.13 संवेष्ठन लेखांकन के उद्देश्य

सवेंष्ठन लेखांकन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

1. पात्रों के क्रय में उत्पादकों या विक्रेताओं की काफी धनराशि विनियोजित रहती है, इसलिए वे जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि पात्रों में लगी (Block) हैं।
2. पात्रों के सम्बन्ध में लाभ–हानि का पता लगाना।
3. पात्रों के ग्राहकों के पास जाने उनके पास रह जाने तथा उनसे वापस आने की प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखना।
4. पात्रों के स्कन्ध के बारें में जानकारी रखना, जिससे कि पात्रों के अभाव में बिक्री कार्य प्रभावित न हो।

4.14 संवेष्ठन के सम्बन्ध में विक्रेता की पुस्तकों में लेखा व्यवस्था

1. वापस न किये जाने योग्य पात्र (Non-Returnable containers) वापस न किये जाने योग्य पात्रों की लागत तैयार उत्पाद के बिक्री मूल्य में सम्मिलित रहता है इसलिए पात्रों पर लाभ उत्पाद की बिक्री पर उपलब्ध लाभ में सम्मिलित रहता है। ऐसी स्थिति में मात्र पात्र स्कन्ध खाता (Container Stock account) तैयार किया जाता है। इसके लिए दो स्थितियॉ होती हैः–

क. **प्रयुक्त पात्र की लागत की स्थिति में**

पात्र स्कन्ध खाता के डेबिट पक्ष में पात्रों का प्रारम्भिक स्कन्ध, वर्ष में क्रय किये गये पात्रों को लिखा जाता हैं और क्रेडिट पक्ष में पात्र का अन्तिम स्कन्ध लिखा जाता है दोनों पक्षों का अन्तर वर्ष में प्रयुक्त पात्रों की लागत होती है, जिसे व्यापार खाते में अन्तरित किया जाता है, इसका विवरण निम्नलिखित हैः–

Container's Stock A/c

Particulars	No.	Amnt	Particulars	No.	Amnt
To opening balance of containers To Bank A/c (Purchases of containers)			By Trading Account (Balance Figure) (treated as cost of containers during the year) By Closing Balance		

(ख) **लाभ हानि की स्थिति में–**

इसके अन्तर्गत ग्राहकों से पात्र की लागत पृथक रूप से वसूल की जाती है इस व्यवस्था के अनुसार पात्र स्कन्ध खाता डेबिट पक्ष में पात्र का प्रारम्भिक रहतिया, वर्ष के दौरान पात्रों का क्रय तथा क्रेडिट पक्ष मे ग्राहक को प्रभारित (charged) पात्रों की संख्या स्पष्ट किया जाता है इसी प्रकार क्रेडिट पक्ष मे पात्रों का अन्तिम स्कन्ध भी दिखाया जाता है। यदि ग्राहको से पात्र की लागत से अधिक धनराशि वसूली की जाती है तो पात्र स्कन्ध खाता का क्रेडिट पक्ष डेबिट की तुलना में अधिक होगा यही लाभ–हानि खाते में अन्तरित कर दिया जाता है। यदि पात्र की लागत को क्रेताओं से कम मूल्य वसूला गया है तो डेबिट पक्ष की तुलना में अधिक होगा और अन्तर ही हानि होगी। इस हानि को लाभ – हानि में अन्तरित कर दिया जाता हैं। इस दशा में पात्र स्कन्ध खाता निम्नलिखित है–

To Opening Balance To Bank A/c To Profit And loss A/c (Profit)	- - -	- - -	By customer's A/c (Containers charged to customers during the year By closing Balance By Profit & Loss A/c (Loss)	- - -	- - -

2. वापस किये जाने योग्य पात्र **(Returnable Containers)**–

इस व्यवस्था के अन्तर्गत क्रेता के पास दो विकल्प होते है वह पात्रो को वापस भी कर सकता है अथवा उन्हे अपने पास रख भी सकता है। माल खरीदते समय क्रेता पात्रों की लागत पूर्वदत्त धनराशि में विक्रेता के यहॉ जमा कर देता है। यदि वह निर्धारित समय सीमा के अन्दर पात्रो को वापस कर देता है तो पूर्व दत्त धनराशि का अधिकांश भाग वापस हो जाता है। जमा धनराशि और वापस की गई धनराशि का अन्तर किराया धनराशि हैं।

(क) जब पात्रो की लागत बिक्री मूल्य में सम्मिलित होती हैं –

निर्धारित अवधि मे पात्र वापसी को विक्रेता बिक्री मानता है और इसे हासिल मूल्य पर दिखाया जाता है।

जर्नल प्रविष्टियाँ (Journal Entries)

1 – पात्रों के प्रारम्भिक स्कन्ध के सम्बन्ध में

Containers stock A/c Dr.
To opening stock with customers
To opening stock in ware house
(Being opening balance entered into account)

2– प़ात्र क्रय करने के संम्बन्ध में

Containers stock A/c Dr.
To Bank A/c
To Suppliers A/c
(Being Purchase of containers)

3– पात्र मे रखे गये माल को बेचने पर

Containers A/c Dr.
To Sales A/c
(Being Sale of good in containers)

4– पात्र वापसी के संम्बन्ध में

Sales Returns A/c Dr. (Depreciated value of containers)
To Bank A/c
(Being Return of containers by customers)

5– पात्रों की मरम्मत के संम्बन्ध में

Containers stock A/c Dr.
To Bank A/c
(Being Repairs of containers)

6– प़ात्र के खोने नष्ट होने के संम्बन्ध में

Profit & Loss A/c Dr.
To Containers stock A/c
(Being Loss on containers lost or destroyed)

7– पात्र के अन्तिम स्कन्ध के सम्बन्ध में

Stock with customers A/c Dr.
Stock in warehouse A/c Dr.
To Containers Stock A/c

To Suppliers A/c
(Being closing balance of containers)

8– पात्र स्कन्ध खाते के शेष को लाभ–हानि खाता के अन्तरण के सम्बन्ध में

Profit & Loss A/c Dr.
To container's Stock A/c (Deprecation Amount)
(Being transfer)

उदाहरण 1.

वाम आर्गेनेक्सि के पास 1 जनवरी 2000 को 10,000 पात्रो का स्कन्ध था जिनका मूल्यांकन 4 रू0 प्रति पात्र किया गया। वर्ष के दौरान कम्पनी ने 9,000 पात्रों का क्रय किया। कम्पनी के ग्राहकों को 1,10,000 पात्र निर्गमित किये और उनसे 95,000 पात्र वापस प्राप्त किया। 120 पात्र नष्ट हो गये जिसमें से 50 पात्रो पर 1 रू0 की दर से प्रभावित मरम्मत व्यय दिये गये। पात्रों का क्रय मूल्य 5 रू0 है स्कन्ध का मूल्याकन 4 रू0 पर किया गया जिससे ह्मास प्रावाधान किया जा सकें। इन लेनदेन के सम्बन्ध में अनावश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा पात्र स्कन्ध खाता तैयार कीजिए।

Vam Organics Ltd. had the stock of 10,000 containers valued at Rs.4 on 1st January 2000. During the year the company purchased 9,000 containers. It issued 1,10,000 container to customers and received from customers 95,000 containers. 120 containers were damage out of which 50 were repair of cost of Re. 1 Per container . The purchased 9,000 containers. The purchase price of the container is Rs. 5 but stock are valued at Rs.4 to allow for depreciation make entries for above transactions and prepare containers stock account.

हल :

Journal Entries

2000 Jan.1	Container's stock A/c To Opening Stock (Being Transfer of Op. Stock)		40,000	 40,00
Jan.to	Container's stock A/c To Bank A/c (Being purchase of containers)		45,000	 45,000
	Container's stock A/c To Bank A/c (Being repair of containers)		50	 50
Dec.31	Prof & Loss A/c To Containers Stock A/c (Being 70 Damaged containers written off)		280	 280
Dec.31	Stock with customers A/c Stock in warehouse A/c To container's stock A/c (Being closing balances of stock)		60,000 15,720	 75,720
Dec.31	Profit & loss A/c			

	To container's stock A/c (Being Depreciation on Container's)			

Working Notes :

1- Stock with customers

1,10,000-95,000= 15,000

Value of stock = 15,000× 4 = 60,000

2- Stock in warehouse

10,000+9,000-(70+15,000)

= 19,000-15.070=3,930

Value of stock in warehouse = 3,930×4=15,720

हल

Container and stock Account

Date	Particulars	No.	Amount	Date	Particulars	No.	Amount
1.1.2000	To Balance b/d To bank A/c To bank A/c (Repairs)	10,000 9,000	40,000 45,000 50	31.12.2000	By P&L A/c (Damaged containers) By P&L A/c (Balancing figure) By Balance c/d (Stock with Customer) (Stock in ware house)	70 15,000 3,930	280 9,050 60,000 15,720
		19,000	85,050			19,000	85,050

उदाहरण 2.

1 जनवरी 2000 को स्पेयर्स इण्डिया लि0 के पास 3,000 कन्टेनर्स थे जिनका मूल्यांकन 60 पैसे प्रति हिसाब से किया गया वर्ष मे कम्पनी 6,000 कन्टेनर्स खरीदे। इसने 70,000 कन्टेनर्स ग्राहको को निर्गमित किये तथा 65,000 कन्टेनर्स उनसे वापस पाये। 75 कन्टेनर्स क्षतिग्रस्त थे जिसमें से 25 कन्टेनर्स की मरम्मत 20 पैसे प्रति कन्टेनर की दर से कराया गया। क्रय मूल्य 1.25 प्रति कन्टेनर्स है किन्तु स्टाक का मूल्याकंन हास को ध्यान मे रखते हुए 60 पैसे प्रति कन्टेनर्स की दर से किया गया। कन्टेनर्स स्टाक खाता बनाइये।

Spares India Ltd. had the stock of 3,000 containers valued at 60 paise each on 1st January 2,000. During the year company purchased 6,00 Containers It issued 70,000 Containers to customers and received from customers 65,000 Containers. 75 Containers were damaged of which 25 were repaired at a cost of 20 paise per container. the purchase price of the container is Rs. 1.25 but stock are valued at 60 paise to allow for depreciation prepare containers stock account.

Stock with customers = 70,000- 65,000- 5,000

Stock in ware house = 3,000 + 6,000 – (50+5,000) = 3,950

Container and stock Account

Date	Particulars	No.	Amount	Date	Particulars	No.	Amount
1.1.2000	To Balance b/d	3,000	1,800	31.12.2000	By P&L A/c	50	30
	To bank A/c	6,000	7,500	31.12.2000	(Damaged		
	(Purchases)				containers)		3,905
	To bank A/c			31.12.2000	By P&L A/c		
	(Repair)		5				
					(Balancing figure)	5,000	3,000
					By Balance c/d	3,950	2,370
					(Stock with Customer) (Stock in ware house)		
		9,000	9,305			9,000	9,305

(ख) ग्राहकों से पात्र की लागत पृथक रूप में वसूल करना–

कभी–कभी उत्पादक अपने ग्राहको से माल की कीमत के साथ–साथ प्रयुक्त होने वाले पात्र की लागत को अलग से वसूल करता है। स्वाभाविक है इस स्थिति में वस्तु के मूल्य में पात्रों की लागत का समावेश नही होता है। पात्र के लिये पृथक रूप से वसूली गई धनराशि व्यवहार मे पात्र की लागत से अधिक होती हैं। और ग्राहक द्वारा पात्र वापस न करने पर यही अन्तर विक्रेता या उत्पादक का लाभ होता है।

इस संम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पात्र की लागत उसका क्रय मूल्य होता है जबकि वसूला गया मूल्य वह मूल्य है जो ग्राहको से वास्तव में पात्रो के लिए

लिया गया है पात्र का वापसी मूल्य है जिसपर कि एक निश्चित समय सीमा मे पात्रों को वापस करने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस नही की जाती है। किराया मूल्य प्रभारित मूल्य और वापसी मूल्य का अन्तर होता है इसी तरह यदि ग्राहक ने पात्रों को समय सीमा के अन्दर वापस नही किया है तो उसे बिक्री हुआ मान लिया जाता है या ग्राहकों द्वारा रोके गये पात्र माने जाते हैं।

उदाहरण 3

पैकर्स लि0 अपने उत्पादों को पात्रों में बेचती है जिसके लिए वह प्रत्येक के लिए 50 रू0 वसूलती है। यदि ग्राहक 2 माह के अन्दर पात्र वापस करते हैं तो उन्हें 45 रू0 प्रत्येक के लिए क्रेडिट किया जाता है। अन्तिम तिथि पर ग्राहकों के पास तथा कारखानों में समस्त स्कन्ध को 40 रू0 प्रत्येक की दर से मूल्यांकित किया जाता है। केवल नये पात्रों का मूल्यांकन क्रय मूल्य पर किया जाता है। ग्राहकों के पास तथा कारखाने में प्रारम्भिक स्कन्ध का मूल्यांकन 50रू0 प्रत्येक पर किया गया है। 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पात्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैः–

	पात्रों की संख्या
ग्राहाकें के पास स्कन्ध 1–4–1999	6,800
कारखाने में स्कन्ध 1–4–1999	8,200
ग्राहकों को भेजा गया	60,000
ग्राहकों द्वारा वापस किया गया	60,600
रद्दी के रूप में बेचे गये (प्रत्येक 30रू0 में)	100
ग्राहकों के पास वापसी योग्य स्कन्ध (31.03.2000)	4,000
कारखानों में स्कन्ध (31–3–2000)	10,700
वर्ष के दौरान क्रय	1,20,000

पात्र स्कन्ध खाता तथा पात्र संचय खाता तैयार कीजिए।

Packers Ltd. sells its products in containers charging them out at Rs. 50 each. Customers are credited by Rs. 45 each if the containers are returned within 2 months. All stocks with the customers and in the factory on the date of closing are valued at Rs. 40 each, except those representing new ones which are valued at purchase price. The opening stock with customers and in factory has been valued at Rs. 50 each. The following particulars with regard to the containers are available for the year ended 31st March, 2000.

	No. of Containers
Stock with customers (1.4.1999)	6,800
Stock in factory (1.4.1999)	8,200
Sent out to customers	60,000
Returned by customers	60,600
Sold as scrap (for Rs. 30 each)	100
Returnable stock with customers (31.03.2000)	4,000
Stock in factory (31.03.2000)	10,700
Purchases during the year	1,20,000

Prepare Container's Stock Account and containers Reserve Account.

<u>हल</u>

Packers Ltd.

Container Stock Account

Date	Particulars	No.	Rate	Amount	Date	Particulars	No.	Rate	Amount
	To				31.03.2000	By	2,200	45	99,000
	Balance	8,200	50	4,10,000		Containers			
	b/d	6,800	50	3,40,000					
	in factory					Reserve		5	3,00,000
	With					A/c	100	30	3,000
	Customers					By			
						Containers			
						Reserve	8,700	40	3,48,000
						A/c	2,000	60	1,20,000
						Hire	4,000	40	1,60,000
						Charges			
						By Cash			
						A/c			
						By			
		17,000		10,30,000		Balance	17,000		10,30,000
						c/d			
						in factory			
						-Old			
						-New			
						With			
						customers			

Container Reserve Account

Date	Particulars	No.	Rate	Amount	Date	Particulars	No.	Rate	Amount
	To Debtors				1.4.2000	By Balance	6,800	45	3,06.000
	A/c				31.3.2000	b/d			
	-containers	60,600	45	27,27,000		By	60,000	50	30,00,000
	returned					Debtors			
	To					A/c			
	Containers					-containers			
	Stock A/c	2,200	45	99,000		sentout			
	Containers			3,00,000					
	Retained	4,000	45	1,80,000					
	To Hire								
	charges								
	To Balance								
	c/d	66,800		33,06,000			66,800		33,06,000

Working Notes:

(1) Containers Retained by Customers:

Memorandum Customers Account (quantity colums only)

Container Reserve Account

Date	Particulars	Qty.	Daet	Particulars	Qty..
1.4.1999	To Balance c/d	6,800	1.4.1999- 31.3.2000	By Containers returned	60,600
1.4.1999- 31.3.2000	To Containers sent ou	60,000	31.3.2000	By Containers retained	2,200
			31.3.200	By Balance c/d	4,000
		66,800			66,800

2- Containers Purchased:

	Nos.		Nos.
Opening Stock:	8,200		
With customers	6,800		15,000
Less: Containers retained by Customers		2,200	
Containers Scraped		100	2,300
			12,700
(A)			
Closing Stock			
In factory		10,700	
With customers		4,000	14,700
(B)			2,000

4.15 सारांश

समुद्री यात्रा खाता लाभ–हानि खाते की प्रकृति का होता है, जिसमें किसी जलयान पर किसी यात्रा में किये गये व्यय डेबिट किये जाते है और अर्जित आय क्रेडिट की जाती है। जिस तरह से लाभ–हानि खाते में समस्त व्ययों को डेबिट पक्ष में दिखाते है तथा समस्त आय को क्रेडिट पक्ष में दिखाते है, उसी तरह से समुद्री यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्ययों को दिखाते है तथा क्रेडिट पक्ष में समस्त आयों को दिखाते है तथा क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने पर लाभ प्रदर्शित करता है डेबिट पक्ष का योग अधिक होने पर हानि प्रदर्शित करता है।

आधुनिक युग में पैकेजिंग का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं। एक सर्वे से यह स्पष्ट हो गया कि 33 प्रतिशत ग्राहक अनाकर्षक पैकेज के कारण दूसरी आकर्षक पैकेज वाली वस्तु खरीद लेते हैं। पैकेजिंग विज्ञापन का माध्यम भी बनता जा रहा है। उपभोक्ता पैकेज को सम्भाल कर रखता है और जितनी बार उस पैकेज के पास जाता है पैकेज उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में उसे याद दिलाता रहता है। पैकेज वापसी योग्य तथा गैर वापसी योग्य हो सकते है। गैर वापसी योग्य पैकेज की लागत को विक्रेता अपने क्रेता से वसूल कर सकता है, किन्तु वापसी योग्य पैकेज के लिए विक्रेता नाम–मात्र का किराया लेता है तथा वह इनकी लागत को तभी वसूल करता है जबकि क्रेता पैकेज/पात्र को निर्धारित समय के अन्दर नहीं लौटाता है।

4.16 शब्दावली

बाह्य यात्राः– जब जलयान भारत के एक बन्दरगाह से विदेश के किसी बन्दरगाह को जाता है तो इसे बाह्य यात्रा कहा जाता है। यदि यह जहाज भारत के एक बन्दरगाह से भारत के ही दूसरे बन्दरगाह तक जाता है तो भी इसे बाह्य यात्रा कहा जाता है। इसमे पहली वाली को विदेशी बाह्य यात्रा और दूसरी वाली को देशी बाह्य यात्रा कहा जाता है।

आन्तरिक यात्राः– जब जहाज दूसरे देश से भारत वापस आता है या भारत के ही किसी बन्दरगाह से वापस आता है तो जहाज की इस यात्रा को आन्तरिक यात्रा या वापसी यात्रा कहा जाता है।

जलयान या जहाजः– समुद्री यात्रा मे माल या सवारी को ढोने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जाता है उसे जलयान या पानी का जहाज कहा जाता है। छोटे आकार के जहाज को Steamer तथा बड़े आकार के जहाज को Vessel कहा जाता है।

समुद्री यात्रा की अवधिः– समुद्री यात्रा जिस दिन से प्रारम्भ होती है और जिस दिन समाप्त होती है उस दिन की अवधि को समुद्री यात्रा की अवधि कहा जाता है। इसमें वे दिन भी शामिल किए जाते हैं जिनमें जहाज बन्दरगाह पर लदा हुआ खड़ा रहता हैं।

बन्दरगाह के दिनः– जब जहाज पर माल चढ़ाया जाता है तथा उतारा जाता है तब जितने दिन इस कार्य में लगते है उन्हें बन्दरगाह के दिन कहा जाता है।

वसूल किया गया मूल्यः– ग्राहकों को पात्र भेजने (या देने) के समय जो मूल्य वसूल किया जाता है, उसे 'वसूली मूल्य' या चार्ज किया गया मूल्य कहा जाता है। इसे बिक्री मूल्य भी कहा जा सकता है।

वापसी योग्य मूल्यः– वह मूल्य जिससे एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ग्राहकों द्वारा लौटाये गये पात्रों के लिए ग्राहकों के खाते को क्रेडिट, किया जाता है उसे वापसी योग्य मूल्य (अर्थात् Credit given price) कहा जाता है।

किराया मूल्य :– पात्रों के लिए चार्ज किये गये मूल्य तथा वापसी योग्य मूल्य के अन्तर को किराया मूल्य (Rental or Hire Charges) कहा जाता हैं।

पात्रों की बिक्री/ग्राहकों द्वारा रोककर रखे गये पात्रः– जो पात्र ग्राहकों द्वारा नहीं लौटाये जाते हैं और जिनके मूल्य चुका दिये जाते है, उन्हें बिक्रीत या रोका हुआ (Retained) माना जाता है।

वापसी योग्य पात्रः– पात्रों की वापसी के लिए निर्धारित अवधि, यदि समाप्त नहीं हुई हो और कुछ पात्र ग्राहकों के पास हों तो उन्हें वापसी योग्य पात्र कहा जाता है।

4.17 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरिए–

1. जब जलयान भारत के एक बन्दरगाह से विदेश के किसी बन्दरगाह को जाता है तो इसे .... बाह्य यात्रा कहा जाता है।
2. जब जलयान भारत के एक बन्दरगाह से भारत के एक बन्दरगाह से भारत के ही दूसरे बन्दरगाह तक जाता है तो इसे .... बाह्य यात्रा कहा जाता है।
3. जब जहाज दूसरे देश से भारत वापस आता है या भारत के ही किसी बन्दरगाह से वापस आता है तो जहाज की इस यात्रा को ....यात्रा कहा जाता है।
4. छोटे आकार के जहाज को .... कहा जाता है।
5. बड़े आकार के जहाज को .... कहा जाता है।
6. पात्र .... तथा .... हो सकते हैं।

7. लेखांकन की दृष्टि से यात्रों या पैकेजेज को .... वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।
8. पात्र के अन्तिम स्टॉक की गणना अपने पास या गोदाम में रहने वाले .... स्टॉक के आधार पर की जाती है।
9. जब पात्र स्टॉक खाता तथा पात्र व्यापारिक खाता तैयार किया जाता है तो उसे .... कहा जाता है।
10. ....खाता लाभ–हानि प्रदर्शित नहीं करता।

4.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. विदेशी, 2. देशी, 3. आन्तरिक/वापसी, 4. Steamer, 5. Vessel, 6. वापसी योग्य, गैर वापसी योग्य, 7. दो, 8. अन्तिम, 9. पात्र व्यापारिक खाता, 10. पात्र स्टॉक

4.19 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्नः–

1. समुद्री यात्रा खात क्या है ? यह क्यों बनाया जाता हैं ? अपूर्ण यात्राओं के सम्बन्ध में लाभ किस प्रकार निर्धारित किया जाता हैं ?
   What is voyage account? Why is it prepared? How is profit ascestained in case of incomplete voyage?
2. समुद्री यात्रा खाते के डेबिट व क्रेडिट पक्ष में साधारणतया किन मदों का लेखा किया जाता है ? स्पष्ट कीजिए।
   What Items are usually recorded in the debit and credit side of voyage account? Explain.
3. संवेष्ठन खाता में लाभ की गणना किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं ?
   How is profit determined in package account?
4. पैकेजिंग लेखे से आप क्या समझते हैं ? इसके उद्‌देश्य लाभ व हानि का समझाइए।
   What do you mean by packaging account? Explain its objectives, advantages and disadvantages.
5. टिप्पणियां लिखिए। Write notes on:
   जहाज पर माल चढ़ाने व उतारने के व्यय Stevendoring charges
   वार्षिक स्थायी व्यय Annual standing charges
   भाड़ा Freight
   भाड़े के अतिरिक्त दी गयी दलाली Primage
   यात्रा राशि Passage Money
   एड्रेस कमीशन Address Commssion
   वापसी योग्य पात्र Returnable containers
   न वापस योग्य पात्र Non returnable containers

<u>व्यावहारिक प्रश्न **Practical Questions**</u>

1. P.M. जलयान ने कोलकाता से मुम्बई और वापसी की अपनी समुद्री यात्रा 1 नवम्बर, 2002 को प्रारम्भ की और 31 दिसम्बर 2002 को समाप्त की। यह जलयान मुम्बई को जाते समय जूट ले गया और वापस आते समय कपड़ा

लाया। जलयान का बीमा 48,000 रू0 का कराया गया था। इस सम्बन्ध में निम्नांकित विवरण उपलब्ध है :

डीजल 60,000 रू0, वेतन 80,000 रू0, बन्दरगाह व्यय 10,000 रू0, स्टोर्स क्रय 8,000 रू0, ह्रास दो माह का 28,000 रू0, वापसी के लिए किराया भाड़ा मिला 90,000 रू0 जाने के लिए किराया भाड़ा मिला 1,50,000 रू0। प्राइमेज किराये भाड़े का 10 प्रतिशत है। समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

P.M. Ship commenced its voyage from Kolkata to Mumbai and back on 1st Nov., 2002 and completed it on 31st Dec., 2002. This ship carried jute while going to Mumbai and returned with cloth. Ship was insured for Rs. 48,000. Following particulars are availabale in this connection.

Diesel Rs. 60,000, Salaries Rs. 80,000, Port charges Rs. 10,000, Stores purchased Rs. 8,000, Depreciation for two months Rs. 28,000 Freight earned for return journey Rs. 90,000 and for outward journey Rs. 1,50,000. Primage is 10% of freight.

Prepare voyage account.

Ans. Profit Rs. 70,000

2. जल प्रताप ने 1 अक्टूबर, 2002 को मुम्बई से लन्दन तथा वापसी की समुद्री यात्रा प्रारम्भ की। यात्रा 30 नवम्बर, 2002 को पूर्ण हुई। इसने बाहरी यात्रा में चाय और वापसी यात्रा मे मशीन ढोई। जहाज का बीमा हुआ था और वार्षिक प्रीमियम 24,000 रू0 था। निम्न विवरणों से समुद्री यात्रा खाता तैयार कीजिए।

Jal Pratap commenced a voyage on 1st October, 2002 from Mumbai to London and back. The voyage was completed on 30th Nov. 2002. It carried a consignment of tea on its outward journey and of machinery on its return journey. The ship was insured and the annual premium was Rs. 24,000. Prepare Voyage Account from the following particulars.

	Rs.
अर्जित भाड़ा बाह्य (Freight earned (outward]	1,00,000
लेनदार (Creditors)	10,000
अर्जित भाड़ा आन्तरिक (Freight earned Inward)	70,000
बन्दरगाह व्यय (Port dues)	5,000
भवन (Building)	30,000
बंकर लागत (Bunker Cost)	25,000
मजदूरी एवं वेतन (Wages & Salary)	55,000
विविध व्यय (Sundry Expenses)	16,000
यात्रा राशि प्राप्त (Passage money received)	10,000
स्टोर्स क्रय (Store purchased)	5,800
शक्ति व्यय (Lighterage charges)	6,600
ह्रास वार्षिक (Depreciation Annual)	96,000

एड्रेस कमीशन– 5 प्रतिशत बाह्य तथा 4 प्रतिशत वापसी भाड़े पर। भाड़े पर अतिरिक्त भाड़ा 5 प्रतिशत। 30 नवम्बर, 2002 को स्टोर्स हाथ में 3,000 रू0 पर मूल्यांकित किया गया।

Address Commission : 5% on outward and 4% on return freight. Primage 5% on freight. Stores in hand were valued at Rs. 3,000 on 30th Nov. 2002.

Ans. Profit Rs. 49,910

3. एस.एस. ओडासी जलयान ने एक समुद्री यात्रा कोलकाता से एथेन्स तक की। यह यात्रा 1 जनवरी, 2002 को शुरू एवं 31 मार्च, 2002 का समाप्त हुई। माल में 900 टन खाद्यान्न और 100 टन इन्जीनियरिंग का माल था। किराया भाड़ा खाद्यान्न पर 150 रू0 प्रति टन तथा इन्जीनियरिंग सामान पर 100 रू0 प्रति टन था। इसके अतिरिक्त प्राइमेज 10% था तथा दलाली 5 देय थी।

व्यय निम्न थे :–

	एथेन्स	कोलकाता
	रू0	रू0
डीजल	20,000	–––
बन्दरगाह व्यय	9,000	2,000
बन्दरगाह मजदूरी	3,000	1,000
लदाने के व्यय	2,000	–––
अन्य व्यय :		
स्टोर्स	10,000	
डिसचार्जिग व्यय	2,000	
डाक व्यय	1,000	
कर्मचाारियों का वेतन	10,000	

इस समुद्री जहाज का बीमा 10,00,000 रू0 के लिए 1% प्रीमियम पर समुद्री यात्रा पॉलिसी हल के लिए किया गया था। किराया भाड़ा 1/2% पर बीमित था। इस समुद्री जहाज के ह्रासित मूल्य पर 5% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाया गया। 1 जनवरी, 2002 को जहाज का मूल्य 8,00,000 रू0 था। समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

The S.S. Odyssey Ship undertook a voyage from Athens to Kolkata starting 1st Jan.,2002 and reaching on 31st March, 2002, The cargo consisted of 900 tons of foodgrains and 100 tons engineering goods. The freight charges were Rs. 150 per ton for foodgrains and Rs. 100 per ton for engineering goods. In addition primage was 10% and Brokerage was payable at 5%. The expenses were:

	Athens	Kolkata
	Rs.	Rs.
Diesel	20,000	-----
Port Charges	9,000	2,000
Harbour Wages	3,000	1,000
Loading Charges	2,000	-----

Other expenses were:

Stores	10,000
Discharging Expenses.	2,000
Postage	1,000
Salaries of Crew	10,000

The ship was insured for Rs. 10,00,000 at 1% premium for voyage policy of the ship. The freight was insured @ ½% . Depreciation is charged on the written-down value of the ship at 5% per annum. The value of ship as on 1st Jan., 2002 was Rs. 8,00,000. Prepare voyage account.

Ans. Rs. 70,727

4. एम. वी. इण्डियन एक्सप्रेस जलयान ने 1 अक्टूबर, 2002 को अपनी समुद्री यात्रा मुम्बई से लन्दन को शुरू की और वापसी भी की। 30 नम्बर, 2002 को यात्रा पूरी हो गयी। इस ओर से चाय ले गया और वापसी में मशीन लाया। जहाज का 12,000 रू0 वार्षिक प्रीमियम पर बीमा कराया गया।

मजदूरी 12,000 रू0: बन्दरगाह व्यय 1,400 रू0 डीजल 7,500 रू: भाड़ा प्राप्त (बाहा) 25,000 रू0: स्टोर्स क्रय 4,200 रू: वार्षिक हास 24,000 रू:, भाड़ा प्राप्त (आन्तरिक) 17,500 रू0: एड्रेस कमीशन 5% बाह्य भाड़े पर और 4% आन्तरिक भाड़े पर ; यात्रा व्यय प्राप्त (बाह्य) 2,500 रू0 : भाड़े पर प्राइमेज 5% हस्तस्थ स्टोर्स और कोयला 30 नवम्बर, 2002 को 750 रू।

समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

M.V. Indian Express ship commenced voyage on 1st Oct., 2002 from Mumbai to London back ; On 30th Now, 2002 the return voyage was completed. It carried a consignment of tea on its outward journey and of machinery on its return journey. The ship was insured at an annual premium of Rs. 12,000 per annum.

Wages Rs. 12,000; Port Charges Rs. 1,400; Diesel Rs. 7,500; Freight earned (outward) Rs. 25,000; Stores purchased Rs. 4,200; Depreciation annual Rs. 24,000; Freight earned (Inward) Rs. 17,500; Address commission 5% on outward and 4% on return freight. Passage money received (outward journey) Rs. 2,500; Primage is 5% on freight. Stores and coal on hand were valued at Rs. 750 on Nov. 30, 2002.

Prepare voyage account.

Ans. Rs. 14,727.50

5. एस.एस. जयहिन्द जलयान ने अपनी यात्रा 1 अक्टूबर 2001 को शुरू की। यह यात्रा मुम्बई से लन्दन जाने और वापस आने की है। यात्रा 30 नवम्बर, 2001 को पूर्ण हुई। जाने पर चाय ले जायी गयी और वापस आने पर मशीन लायी गयी। जहाज का बीमा कराया गया और वार्षिक प्रीमियम 1,20,000रू0 था। भाड़ा कमाया (बाह्य) 5,00,000 रू0 : भाड़ा कमाया (आन्तरिक) 3,50,000, रू: बन्दरहगाह के व्यय 30,000 रू0: बंकर 1,45,000 रू0: मजदूरी और वेतन 2,58,000 रू0: स्टोर्स 76,000 रू0: विविध व्यय 25,000 रू0: यात्रा

राशि प्राप्त 50,000 रू: रोशनी व्यय 33,000 रू0: हास (वार्षिक) 4,80,000 रू: एड्रेस कमीशन 5% बाहा पर और 4% आन्तरिक भाड़े पर।

भाड़े पर प्राइमेज 5%।

मैनेजर का कमीशन निकालने के बाद आये हुए लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। 30 नम्वबर, 2001 को स्टोर्स का मूल्य 15,000 रू0:।

समुद्री यात्रा खाता बनाइए।

S.S. Jaihind Ship commenced a voyage on 1st Oct. 2001 from Mumbai to London and back. The voyage was completed on 30th Nov. 2001 It carried a consignment of tea on its outward journey and of machinery on its returned journey. The ship was insured and the annual premium was Rs. 1,20,000.

Freight earned (outward) Rs. 5,00,000; Freight earned (inward) Rs. 3,50,000, Port dues Rs. 30,000; Bunker Rs. 1,45,000; Wages and salaries Rs. 2,58,000; Stores Rs. 76,000; Sundry Expenses Rs. 25,000; Passage money received Rs. 50,000; Lighterage charges Rs. 33,000; Depreciation (Annual) Rs. 4,80,000.

Address commission 5% on outward and 4% on inward freight. prim age is 5% on freight.

The manager is entitled is 5% commission on the profit earned after charging such commission. Stores on hand were valued at Rs. 15,000 on 30th Nov. 2001.

Prepare voyage account.

Ans. Net Profit Rs. 2,37,667

6. एस.एम. हिमालिया जलयान ने समुद्री यात्रा कोलकाता से मुम्बई की प्रारम्भ की। 31 दिसम्बर को खाते बन्द किये जाते है, इस 31 दिसम्बर तक वापसी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। मुम्बई तक की तथा कोलकाता वापस आने की कुल यात्रा जो 31 दिसम्बर के बाद पूरी हुई उस सम्पूर्ण यात्रा का विवरण निम्न है:

भाड़ा 4,00,000 रू0 डीजल प्रयोग किया गया 70,000 रू0: स्टोर्स प्रयोग किया गया 30,000रू0: बन्दरगाह के व्यय 15,000रू0: कर्मचारियों का वेतन 40,000 रू0 ह्रास 40,000 रू0: बीमा–समुद्री जहाज 20,000रू0: बीमा–भाड़ा 8,000 प्राइमेज 10%, एड्रेस कमीशन 5 प्रतिशत। वापसी यात्रा पर केवल 1,50,000रू0: का भाड़ा उपलब्ध था। 31 दिसम्बर तक का समुद्री यात्रा खाता बनाइए। वापसी यात्रा के पूरे व्यय शामिल किये गये है।

S.M. Himalaya Ship set on voyage from Kolkata to Mumbai. On 31st December on which date the accounts are closed, the return voyage had not been completed. The details for the entire voyage to Mumbai and back to Kolkata completed after December 31st , are:

Freight Rs.4,00,000; Diesel consumption Rs. 70,000; Stores consumed Rs. 30,000; Port charges Rs. 15,000; Salaries of crew Rs. 40,000; Depreciation Rs. 40,000; Insurance-Ship Rs. 20,000; Insurance-Freight Rs. 8,000; Primage 10% Address commission 5% Only, Rs. 1,50,000 freight was available on return journey. Prepare

voyage account up to December, 31. Expenses on full return voyage have been included.

Ans. Rs. 1,48,750

7. श्याम एण्ड संस के पास 4,000 पेटियों का रहतिया था जिसका मूल्य 100रू0 प्रति पेटी आंका गया। वर्ष के मध्य 8,000 पेटियां का क्रय किया गया। इसने ग्राहकों को 80,000 पेटियों वितरित किया और उनसे 74,000 पेटियां प्राप्त किया। 80 पेटियां क्षतिग्रस्त हुए जिनमें से 40 पेटियों का मरम्मत 20 रू0 प्रति पेटी की दर से किया गया। पेटियों का क्रय मूल्य 200 रू0 प्रति पेटी है। परन्तु हास के लिए प्रावधनार्थ रहतिया का मूल्यांकन 100 रू0 प्रति पेटी किया जाता है। पेटी रहतिया खाता तैयार कीजिए।

Shyam & Sons has stock of 4,000 Containers valued at Rs. 100 each. During the year the firm purchased 8,000 containers. It issued 80,000 containers to customers and received from customers 74,000 Containers, 80 Containers were damaged of which 40 were repaired at cost of Rs. 20 per container. The purchase price of containers is Rs. 200 but stocks are valued at Rs. 100 to allow for depreciation Prepare Containers Stock Account.

Ans. Closing stock with customers 6,000 containers Rs. 6,00,000.
Closing stock in hand 5,960 containers Rs. 5,96,000.

8. सुधीर लिमिटेड के पास 15,000 पात्र1.1.2008 को थे, इनकी कीमत 30,000 रू0 थी। इस कम्पनी ने 9,000 पात्र 1.50 रू0 प्रति पात्र की दर से वर्ष 2008 में क्रय किये। इस कम्पनी ने 30,000 पात्र ग्राहकों को भेजे। ग्राहकों ने 29,000 पात्र कम्पनी को लौटा दिये। नष्ट हुए पात्र 30 थे। ह्रास के कारण अन्तिम स्टॉक नष्ट पात्रों सहित का मूल्यांकन 75 पैसे प्रति पात्र की दर से किया गया। पात्र स्टॉक खाता सुधीर लिमिटेड की पुस्तकों में बनाइए।

Sudhir Limited had 15,000 containers on 1.1.2008, its cost was Rs. 30,000. The company purchased 9,000 containers @ Rs. 1.50 per container during the year 2008. This company sent 30,000 containers to customers. Customers returned 29,000 containers to the company. Damaged containers were 30. Due to depreciation stock including damaged container was valued @ 75 paise per container. Prepare Container's Stock Account in the books of Sudhir Ltd.

Ans. Profit and loss A/c Rs. 25,500,
Stock in hand 22,970, with customers 1,000.

9. ए लिमिटेड के पास 20,000 पात्र थे जिनका मूल्य 2 रू0 प्रति पात्र था। वर्ष में कम्पनी ने 40,000 पात्र 4 रू0 प्रति यात्रा की दर से खरीदे। इसने ग्राहकों को 80,000 पात्र निर्गमित किये और वर्ष के दौरान 74,000 पात्र ग्राहकों से वापस आये। 400 पात्र क्षतिग्रस्त हो गये जिसमें से 200 की मरम्मत 1 रू0 प्रति पात्र की दर से करायी गयी। स्टॉक वाले सभी पात्रों का

मूल्यांकन 2 रू0 प्रति पात्र की दर से किया जाता है। आपको पात्र स्टॉक खाता तैयार करना है।

A Ltd. has a stock of 20,000 containers valued at Rs. 2 each. During the year, the company purchases 40,000 containers at Rs. 4 each. It issued 80,000 containers to customers and received back from its customers 74,000 containers during the year. 400 containers were damaged out of which 200 were repaired at a cost of Re. 1 per container. All containers in stock are valued at Rs. 2 each. you are required to prepare Containers Stock Account.

Ans.Containers in warehouse 53,800; with customers 6,00.

Total amount of containers stock account Rs. 2,00,200.

10. पैकर्स लिमिटेड अपने उत्पादों को पात्रों में बेचती है, जिसके लिए वह प्रत्येक के लिए 50 रू0 वसूलती है। यदि ग्राहक 2 माह के अन्दर पात्र वापस करते हैं तो उन्हें 45 रू0 प्रत्येक के लिए क्रेडिट किया जाता है। अन्तिम तिथि पर ग्राहकों के पास तथा कारखाने में समस्त स्कन्ध को 40 रू0 प्रत्येक की दर से मूल्यांकित किया जाता है। केवल नये पात्रों का मूल्यांकन क्रय मूल्य पर किया जाता हैं। ग्राहकों के पास तथा कारखाने में प्रारम्भिक स्कन्ध का मूल्यांकन 50 रू0 प्रत्येक पर किया गया है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पात्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैः–

	पात्रों की संख्या
ग्राहकों के पास स्कन्ध 01.04.2012	6,800
कारखाने में स्कन्ध 01.04.2012	8,200
ग्राहकों को भेजा गया	60,000
ग्राहकों द्वारा वापस किया गया	60,600
रद्दी के रूप में बेचे गये (प्रत्येक 30 रू0 में)	100
ग्राहकों के पास वापसी योग्य स्कन्ध (31.03.2013)	4,000
कारखाने में स्कन्ध (31.03.2013)	10,700
वर्ष के दौरान क्रय (60 रू0 प्रति पात्र की दर से) रू0 1,20,000	

पात्र स्कन्ध खाता तथा पात्र संचय खाता तैयार कीजिए।

Packers Ltd. sells its products in containers charging them out at Rs. 50 each. Customers are credited by Rs. 45 each if the containers are returned within 2 months. All stock with the customers and in the factory on the date of closing are valued at Rs. 40 each expect those representing new ones with are value at purchase price. The opening stock with customers and in factory has been valued at Rs. 50 each. The following particulars with regard to the containers are available for the year ended 31st March, 2013.

	No. of Containers
Stock with customers (1.4.2012)	6,800
Stock in factory (1.4.2012)	8,200
Sent out to customers	60,000
Returned by customers	60,600

Sold as scrap (for Rs. 30 each)	100
Returnable stock with customers (31.3.2013)	4,000
Stock in factory (31.3.2013)	10,700

Purchases during the year Rs. 1,20,000 @ Rs. 60 each container's

Prepare container's stock account and container reserve account.

Ans. Total amount of container's stock account Rs. 10,30,000

Total amount of container's Reserve account Rs. 33,06,000

4.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 जगदीश प्रकाश व डॉ0 डी0के0 वर्मा
2. उच्चतर लेखांकन– प्रो0 एम0बी0 शुक्ल
3. उच्चतर लेखे– डॉ0 पी0सी0 शर्मा
4. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 एस0एम0 शुक्ला
5. लेखांकन सिद्धान्त– डॉ0 रमेन्दु राय
6. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 अब्दुल करीम व डॉ0 एस0एस0 खनूजा
7. उच्चतर लेखाविधि– डॉ0 आर0के0 गुप्ता
8. वित्तीय लेखांकन– डॉ0 बी0के0 सिंह एवं डॉ0 ए0पी0 सिंह

इकाई –5 शाखा खाते (Branch Accounts)

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 शाखाओं के प्रकार
5.3 शाखाओं से सम्बन्धित लेखे
5.4 सारांश
5.5 शब्दावली
5.6 बोध प्रश्न
5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
5.8 स्वपरख प्रश्न
5.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- व्यापार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाय, का वर्णन कर सकें।
- प्रत्येक शाखा के लिए माल एवं रोकड़ की व्यवस्था कैसे की जाय, को स्पष्ट कर सके।
- शाखाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि के उपायों का वर्णन कर सकें। ।

5.1 प्रस्तावना

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय के आकार में निरन्तर वृद्धि हो रही है, ऐसे में व्यवसायी अपने व्यवसाय में विस्तार के साथ ही लाभों में वृद्धि भी चाहते हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए कुछ व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तथा अपनी वस्तुओं को दूर–दराज के ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए देश एवं विदेश के विभिन्न कस्बों, नगरों एवं स्थानों पर व्यापारिक शाखाएं स्थापित कर लेते है। बहुसंख्यक भण्डार (Multiple shops) या श्रृंखला भण्डार (Chain shops) इनके उदाहरण है। जो व्यवसायिक संस्थाएँ इस प्रकार की शाखाएं खोलती है उसे मुख्य शाखा या प्रधान कार्यालय (Head Office) कहा जाता है।

5.2 शाखाओं के प्रकार (Types of Branches)

शाखाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है–

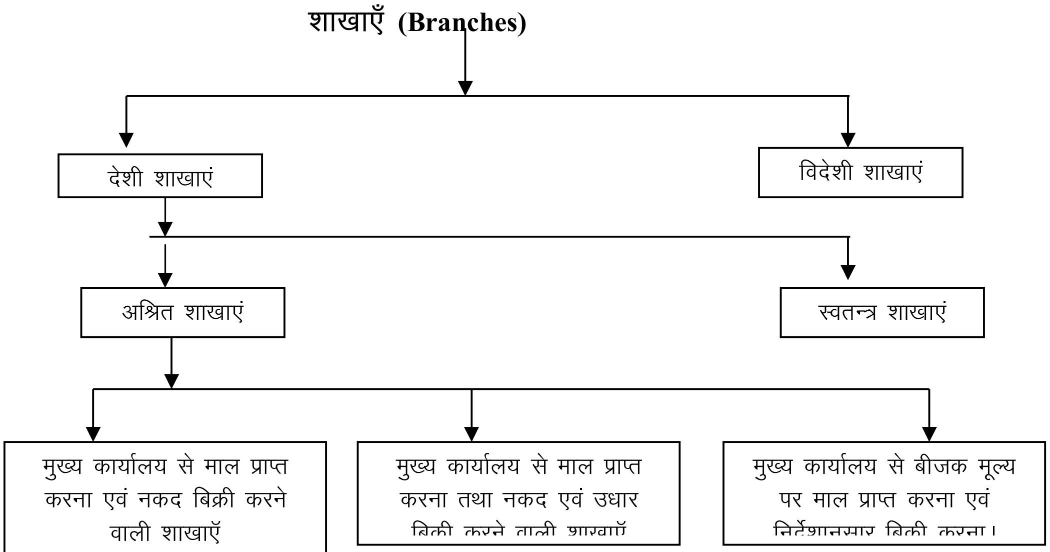

1 **देशी शाखाएँ (In land Branches) :-**

देशी शाखाओं से अभिप्राय ऐसी शाखाओं से है जो एक देश की सीमाओं के अन्तर्गत स्थिर रहती है। इन शाखाओं का प्रधान कार्यालय उसी देश में होता है जिस देश में ये शाखाएं होती है। लेखांकन प्रक्रिया के आधार पर देशी शाखाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. **आश्रित शाखाएं : (Dependent Branches):-** आश्रित शाखाएं मुख्य कार्यालय के बिक्री डिपो अथवा विक्रय एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। इनके कार्य एवं खातों पर पूर्ण नियन्त्रण मुख्य कार्यालय का होता है। मुख्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये माल अथवा वस्तुओं को ही शाखाएं विक्रय करती है। शाखाओं की बिक्री सम्बन्धी व्यवहारों का लेखांकन भी मुख्यालय द्वारा किया जाता है। शाखाएं सिर्फ निम्नलिखित पुस्तकें रखती है :

- खुदरा रोकड़ बही (Petty Cash Book)
- रोकड़ बही (Cash Book)
- स्टॉक बही (Stock Book)
- ग्राहक का खाता (Customer Ledger)

इस प्रकार की शाखाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है–

- इस प्रकार की शाखाएँ प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गये माल को ही बेचती है।
- शाखाओं के समस्त स्थायी व्ययों का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- फुटकर खर्चो के भुगतान के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही कुछ अग्रिम राशि दे दी जाती है।
- शाखाओं की बिक्री या देनदारों से प्राप्ति राशि को प्रधान कार्यालय को भेजनी होती है।
- शाखाओं के सम्बन्ध में लेखांकन मुख्य कार्यालय द्वारा अपनी पुस्तकों में किये जाते हैं।

आश्रित शाखाओं के प्रकार : आश्रित शाखाएं तीन प्रकार की हाती है–

- मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने तथा केवल नकद विक्रय करने वाली शाखाएं।
- मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने एवं नकद व उधार विक्रय कने वाली शाखाएं
- शाखाएं जिन्हें मुख्य कार्यालय द्वारा बीजक मूल्य या विक्रय मूल्य पर माल भेजा जाता है।

5.3 शाखाओं से सम्बन्धित लेखे

मुख्य कार्यालय भी पुस्तकों में शाखा सम्बन्धी लेखे करने की विधि शाखा के आकार तथा मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा पर नियन्त्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। मुख्य कार्यालय शाखाओं के खातों को निम्न पद्धतियों में से किसी एक पद्धति पर रख सकता है :

क. **साधारण पद्धति (Simple Method):** इस पद्धति में मुख्य कार्यालय में प्रत्येक शाखा के लिए एक खाता खोला जाता है। इसे शाखा खाता (Branch Account) कहते हैं। यह खाता लाभ हानि खाता का काम करता है।

साधारण पद्धति के अन्तर्गत शाखा खाता बनाने हेतु जर्नल प्रविष्टयाँः–

I. **नकद विक्रय करने वाली शाखा हेतु**

1. **शाखा को माल भेजने पर :**

Branch A/c Dr.
To Goods Sent to Branch A/c
(Being Goods supplied to Branch)

वर्ष के अन्त में शाखा को भेजे गये माल का खाता निम्न प्रविष्टयाँ द्वारा बन्द कर दिया जाता है।

Goods sent to Branch A/c Dr.
To Trading A/c
(Being Balance Transferred)

2. **शाखा के व्ययों के लिए रोकड़ भेजने पर–**

Branch A/c Dr.
To Cash / Bank A/c
(Being Cash sent for Branch expenses)

3. **शाखा से रोकड़ प्राप्त होने पर–** जब मुख्य कार्यालय को शाखा से बिक्री की रकम प्राप्त होती है–

Cash / Bank A/c Dr
To Branch A/c
(Being Cash Received from Branch)

4. अन्तिम बाकियों के लिए– यदि शाखा पर वर्ष के अन्त में कुछ, रकम, सम्पत्ति या स्टॉक शेष है तो–

Branch Petty Cash A/c Dr.
Branch Assets A/c Dr.
Branch Stock A/c Dr
To Branch A/c
(Being Closing Balance of Cash, Assets & Stock at Branch)

5. **शाखा के अन्तिम दायित्वों के लिए–**

Branch A/c Dr.
To Branch Creditors A/c
To Branch Outstanding Expenses
(Being Closing Balance of Liabilities)

6. अन्त में शाखा खाता बनाने पर

क. लाभ होने पर :

Branch A/c Dr.
To General Profit / Loss A/c
(Being Transfer of Profit in General P/L A/c

ख. हानि होने पर :

General Profit / Loss A/c Dr
To Branch A/c
(Being Transfer of Loss in to General P/L A/c)

मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का नमूना :

Branch Account

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Balance b/d (Assets in the Beginning) Petty Cash .... Debtors .... Stock .... Furniture	....	By Balance b/d (Liabilities in the Beginning) Creditors .... Outstanding Expenses etc....	....
To Goods sent to Branch A/c To Cash/Bank A/c (For Expenses) Wages .... Salaries .... Rent etc.	....	By Bank A/c Remittances from the Branch By Goods Sent to Branch A/c (Goods Returned by Branch) By Balance C/d	....
To Balance of Branch Liability (If any)	....	(Assets at the end) Stock .... Sundry Debtors	
To General Profit & Loss A/c (if Profit)	....	Petty Cash .... Furniture .... By General Profit Loss A/c (If Loss)	....
	....		....

उदाहरण : गुलाब एण्ड संस हरिद्वार की एक शाखा नैनीताल में है जो माल नकद में बेचती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में मुख्य कार्यालय तथा शाखा के बीच निम्नलिखित लेन–देन हुए–

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	Rs. 7200
शाखा को भेजा गया माल (Goods Sent to Branch)	120000
शाखा द्वारा वापस किया गया माल (Goods Returned by Branch)	8000
शाखा को भेजी गयी रकम (Cash Sent to Branch)	

वेतन (Salaries)	38400
किराया (Rent)	2400
डाक व्यय (Postage)	280
खुदरा रोकड़ (Petty Cash)	320
शाखा से प्राप्त रोकड़ (Cash Recieved from Branch)	160000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	16000
खुदरा रोकड़ शेष (Closing Balance of Petty Cash)	80

उपर्युक्त सूचना के आधार पर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों के आवश्यक प्रविष्टयां कीजिए एवं नैनीताल शाखा का खाता बनाइये।

हल : **In the Book of Gulab & Sons (H.O.)**

Journal Entries **(Dr)** **(Cr)**

Date	Particular	Amount Rs.	Amount Rs.
	Branch A/c Dr To Branch Stock A/c (Being opening stock of Branch)	7200	7200
	Branch A/c Dr To Good Sent to Branch A/c (Being Goods supplied to Branch)	120000	120000
	Goods Returned by Branch A/c Dr. To Branch A/c (Being Goods Returned by Branch)	8000	8000
	Branch A/c Dr. To Cash A/c (Being Cash Sent for Expenses	41080	41080
	Branch A/c Dr. To Petty Cash A/c (Being Cash Sent for Petty Expenses)	320	320
	Cash A/c Dr. To Branch A/c (Being Cash Received from Branch)	160000	160000
	Branch Stock A/c Dr. Branch Petty Cash A/c Dr. To Branch A/c (Being Closing Balance of Stock and Petty Cash)	16000 80	16080
	Branch A/c Dr. To General Profit / Loss A/c Being Profit of Branch Transferred)	15480	15480

Nainital Branch Account

Particular	Amount	Particular	Amount
To opening stock	7200	By cash	160000
To Goods sent to Branch	120000	By Goods Returned to	8000
To Cash		Branch	16000
Salaries 384		By Closing Stock	80
Rent 24		By Balance of Petty	
Postage 2	41080	Cash	
To Petty Cash	320		
To General P & L A/c	15480		
	184080		**184080**

(II) मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल की नगद एवं उधार बिक्री करने वाली शाखाएँ

इन शाखाओं के लिए मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में वे समस्त लेखे जो पहले प्रकार की शाखा के सम्बन्ध में बताये गये हैं उसी प्रकार के होते हैं। वर्ष के अन्त में शाखा से सूचना प्राप्त होने पर मुख्य कार्यालय निम्न जर्नल प्रवृष्टियॉ करेगा–

Branch Stock A/c Dr.
Branch Debtors A/c Dr.
Branch Petty Cash A/c Dr.
To Branch A/c
(Being closing Balances of various Branch Assets)

शाखा खाते का शेष उसी प्रकार सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा। शाखा की ये सम्पत्तियाँ मुख्य कार्यालय के चिट्ठे में दिखायी जायेगी और आगामी वर्ष के प्रारम्भ में सम्बन्धित शाखा खाता इनसे डेविट किया जायेगा। जब शाखा द्वारा माल की बिक्री उधार पर भी की जाती हो तो देनदारों के सम्बन्ध एक खाता बनाया जाता है जिसे Branch Debtors Account कहा जाता है। इस खाते में देनदारों से सम्बन्धित सभी लेनदेनों का लेखा किया जाता है। यह खाता निम्न प्रकार बनाया जाता है–

Branch Debtor Account

To Balance b/d (Opening Debtors)	--------	By Return Inward A/c	-------
To Credit sales a/c	--------	By Bank A/c	-------
To Bills Receivables (Dishonoured a/c)	--------	By Bills Receivable A/c	-------
		By Discount A/c	-------
		By Allowance Allowed to Debtors	-------
		By Bad debts	-------
		By Balance c/d (closing debtors)	-------

	-------		-------

निम्न मदें प्रश्न में दी होती हैं, इनका प्रयोग देनदारों की अन्तिम राशि ज्ञात करने के लिए तो किया जाता है परन्तु इन्हें शाखा खाते में नहीं लिखा जाता है–

1. Credit sales 2. Returned Inwards 3. Discount Allowed to customers
4. Allowances to customers 5. Bad Debts.

उदाहरण : रामा लि0 मुरादाबाद की एक शाखा मेरठ में है। इस शाखा को नकद व उधार दोनों प्रकार की बिक्री का अधिकार प्राप्त है 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा का विवरण निम्नवत है–

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	Rs. 40000
आरम्भिक देनदार (Opening Debtors)	20000
आरम्भिक खुदा रोकड़ शेष (Opening Balance of Petty Cash)	40
शाखा को माल भेजा (Goods sent to Branch)	140000
कुल बिक्री (Total Sales)	240000
नकद बिक्री	100000
देनदारों से प्राप्त रोकड (Cash Received from Debtors)	80000
शाखा द्वारा लौटाया गया माल (Goods Returned by Branch)	1600
ग्राहकों द्वारा लौटाया गया माल (Goods Returned by Customers)	10000
व्यय के लिए प्राप्त रोकड़ (Cash Received for Expenses)	
वेतन (Salaries)	2000
किराया (Rent)	1000
अन्य व्यय (Other Expenses)	800
अप्राप्त ऋण (Bad Debts)	4000
ग्राहकों को दी गई कटौती (Discount Allowed to Customers)	1000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	20000
मार्गस्थ माल (Goods in Transit)	3000

मुख्य कार्यालय की बहियों में शाखा खाता खोलिए।

हल : उपरोक्त प्रश्न में देनदारों की प्रारम्भिक बाकी ज्ञात है परन्तु अन्तिम बाकी अज्ञात है अतः देनदार खाता बनाकर अन्तिम बाकी ज्ञात करना होगा–

Meerut Branch Debtors A/c

	Rs.		**Rs.**
To Balance b/d	20000	By Cash	80000
To Credit sales	140000	By Returned Inward	10000
(Total Sales - Cash Sales)		By Bad debts	4000
		By Discount allowed	1000
		By Balance c/d	65000[1]
	160000		160000

1. **Balancing Figure**

Meerut Branch Account

		Rs.			Rs.
To Opening Balances:			By Cash:		
Stock	40000		Cash Sales	100000	
Debtors	20000		Cash Received		
Petty Cash	40	60040	from Debtors	80000	180000
To Goods sent to Branch		140000	By Goods Returned from Branch		1600
To Cash :			By Branch Debtors		

Salaries	2000		By Branch Stock	65000
Rent 1000			By Goods in Transit	20000
Other Expenses	800	3800		3000
To General P/c A/c		65760		
		269600		**269600**

III. शाखाएं जिन्हें मुख्य कार्यालय द्वारा बीजक मूल्य या बिक्रय मूल्य पर माल भेजा जाता है :

व्यवहार में इसी प्रकार की शाखाएं अधिक पायी जाती है जिन्हें मुख्य कार्यालय द्वारा बीजक मूल्य या अंकित मूल्य पर माल भेजा जाता है। इस प्रकार अंकित मूल्य में लागत और लाभ की निश्चित मात्रा जुड़ी रहती है। इस प्रकार अंकित मूल्य पर माल भेजने पर शाखा के कर्मचारियों को माल की लागत ज्ञात नहीं हो पाती है। इससे मुख्य कार्यालय शाखा के रहतिये (Stocks) पर समुचित नियंत्रण रख सकता है। प्रायः लागत को छिपाने का उद्देश्य यह भी होता है कि उसके प्रतियोगियों को उसकी लागत और लाभ की जानकारी न हो सके।

इस सम्बन्ध में शाखा की पुस्तकों में जर्नल प्रवृष्टियाँ उसी प्रकार की जाती है जैसा कि पहले दोनों प्रकार की शाखाओं में की जाती है।

प्रत्येक शाखा से प्राप्त लाभ या हानि की मात्रा जानने के लिए मुख्य कार्यालय शाखा खाता बनाता है परन्तु सही लाभ या हानि जानने के लिए उसे अंकित मूल्य में से लाभ का समायोजन करके लागत निकालनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में शाखा खाता बनाने की चार विधियॉ प्रयोग में लायी जाती है जो निम्नवत है :

1. **बीजक मूल्य या अंकित मूल्य पर लेखा करना** : जब मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बीजक मूल्य या अंकित मूल्य पर बनाया जाता है तो उसमें कुछ व्यवहार जैसे प्रारम्भिक रहतिया, शाखा को भेजा गया माल, शाखा से वापस आया हुआ माल और अन्तिम रहतिया बढ़े हुए मूल्य पर दिखाये जाते हैं। इसीलिए इन खातों के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन करने के पश्चात ही शाखा का लाभ या हानि ज्ञात किया जा सकता है। यह समायोजन निम्न लेखों द्वारा होगा–

I. प्रारम्भिक रहतिया (Opening Stock)-

Difference in the value of stock A/c Dr.
To Branch A/c
(Being the adjustment for Increased value of opening stock)

II. शाखा को भेजा हुआ माल (Goods sent To Branch)

Goods sent to Branch A/c Dr.
To Branch A/c
(Being the adjustment for Increased Value of Goods Supplied)

III. शाखा द्वारा वापस किया गया माल (Goods Returned By the Branch)

Branch A/c Dr.
To Goods sent to Branch A/c
(Being the adjustment for increased value of Goods Returned By the Branch)

(IV) अन्तिम रहतिया (Closing Stock)-

Branch A/c Dr.

To Difference in the Value of Stock A/c

(Being the adjustment for Increased value of closing stock)

2. **लागत मूल्य पर लेखा करना** : इस विधि के अन्तर्गत शाखा खाता बनाते समय सभी लेखे लागत मूल्य पर ही कर लिये जाते है, ऐसा करने से शाखा को लाभ हानि ज्ञात करने के लिए समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में शाखा खाता पूर्व में वर्णित विधि के अनुसार ही बनता है।

3. **बीजक मूल्य और लागत मूल्य दोनों से लेखा करने की विधि या द्विस्तम्भ विधि** : इस विधि के अन्तर्गत एक ही शाखा खाता तैयार किया जाता है। इस खाते के रकम के खाने को दो भागों में बॉट दिया जाता है (1) लागत मूल्य तथा (2) बीजक मूल्य। पहले खाने में अंकित मूल्य वाले मदों से लाभ निकालकर लागत पर प्रवृत्ति होती है। बीजक मूल्य वाले खाने में उन मदों का बीजक मूल्य पर लेखा किया जाता है। लागत वाले खाने से सही लाभ की गणना होती है। बीजक वाले खाने से लाभ ज्ञात करने हेतु समायोजन सम्बन्धी लेखे किये जाते हैं। चूँकि रकम वाले खाने को दो भागों में विभक्त करने के कारण ही इसे द्विस्तम्भ विधि कहते हैं।

4. **शाखा समायोजन विधि** : इस विधि के अन्तर्गत दो खाते बनाये जो हैं (1) शाखा खाता तथा (2) शाखा समायोजन खाता शाखा खाता को अंकित मूल्य से तैयार किया जाता है और उसके शेष को शाखा समायोजन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। शाखा समायोजन खाते में पहले तो शाखा खाता का शेष दिखाया जाता है फिर समायोजन सम्बन्धी लेखे। निम्न उदाहरण से द्विस्तम्भ विधि एवं शाखा समायोजन विधि को समझा जा सकता है।

उदाहरण : यथार्थ क0लि0 का मुख्य कार्यालय हरिद्वार में है और इसकी एक शाखा बरेली में है। मुख्य कार्यालय से शाखा को माल लागत मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक पर भेजा जाता है और शाखा नकद तथा उधार दोनों प्रकार की बिक्री करती है। निम्न विवरण से मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में चारों विधियों से शाखा खाता बनाइये।

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	Rs. 18000
आरम्भिक देनदार (Opening Debtors)	30000
आरम्भिक खुदरा रोकड़ शेष (Opening Balance of Petty Cash)	300
शाखा को भेजा गया माल (Goods sent to Branch)	300,000
शाखा से प्राप्त रोकड़ (Cash Received From Branch)	
नकद बिक्री (Cash Sales)	
देनदारों से प्राप्त रकम (Cash from Debtors)	270000
शाखा को भेजी गई रकम (Cash Sent to Branch)	
वेतन (Salaries)	
किराया (Rent)	
अन्य व्यय (Other Expenses)	11600
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	30000

अन्तिम देनदार (Closing Debtors)	48000
अन्तिम खुदरा रोकड़ शेष (Closing Balance of Petty Cash)	200

हल : **(1) Invoice Price Method–**

Bareilly Branch Account

	Rs.		Rs.
To opening stock	18000	By Bank A/c (Cash Sales)	60000
To opening Debtors	30000	Cash from Debtors	210000
To Opening Petty Cash	300	By Closing Stock	30000
To Good Sent to Branch	300000	By Closing Debtors	48000
To Cash A/c		By Closing Petty Cash	200
Salaries	9000	By Difference in the Value of Stock	3000
Rent	1500	By Goods Sent to Branch	50000
Petty Cash	1100		
To difference in value of stock	5000		
To General Profit and Loss A/c	36300		
	401200		**401200**

(2) Cost Price Method–

Bareilly Branch A/c

	Rs.		Rs.
To Opening stock	15000	By Bank A/c (Cash Sales)	60000
To Opening Debtors	30000	Cash from Debtors	210000
To Opening Petty Cash	300	By Closing Stock	25000
To Good Sent to Branch	250000	By Closing Debtors	48000
To Cash A/c		By Closing Petty Cash	200
Salaries	9000		
Rent	1500		
Petty Cash	1100		
To General Profit and Loss A/c	36300		
	343200		**343200**

(3) Double Columns Method–

Bareilly Branch Account

	Rs Cost Price	**Rs. Invoice Price**		**Rs Cost Price**	**Rs. Invoice Price**
To Opening stock	15000	18000	By Bank A/c (Cash Sales)	60000	60000
To Opening Debtors	30000	30000	Cash from Debtors	210000	210000
To Opening Petty Cash	300	300	By Closing Stock	25000	30000
To Good Sent to Branch	250000	300000	By Closing Debtors	48000	48000
To Cash A/c			By Closing Petty Cash	200	200
Salaries	9000	9000	By Difference in the Value of Stock	-	
Rent	1500	1500	By Goods Sent to Branch		3000
Petty Cash	1100	1100		-	50000
To Different in value of Stock	-	5000			

To General Profit Loss A/c	36300	36300			
	343200			**343200**	**401200**

(4) Branch Adjustment Method–

Bareilly Branch A/c

	Rs.		Rs.
To Opening stock	18000	By Bank A/c (Cash Sales)	60000
To Opening Debtors	30000	Cash from Debtors	210000
To Opening Petty Cash	300	By Closing Stock	30000
To Good Sent to Branch A/c	300000	By Closing Debtors	48000
To Cash A/c		By Closing Petty Cash	200
Salaries	9000	By Branch Adjustment A/c	11700
Rent	1500		
Petty Cash	1100		
	359900		**359900**

Branch Adjustment A/c

	Rs.		Rs.
To Bareilly Branch A/c	11700	By Difference in the Value of Stock A/c	3000
To Difference in Value of Stock A/c	5000	By Goods Sent to Branch	50000
To General Profit and Loss A/c	36300		
	53000		**53000**

B. अन्तिम खाता विधि (Final Account Method)-

अधिक व्यापार करने वाली शाखाओं के सम्बन्ध में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत शाखा का व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा शाखा खाता तैयार किया जाता है। व्यापार एवं लाभ हानि खाते से शाखा का लाभ/हानि का पता चलता है इसके बनाने की विधि सामान्य लाभ हानि खाते बनाने की विधि की ही तरह है। शाखा के व्यापार एवं लाभ हानि खाते के अतिरिक्त 'शाखा खाता' भी तैयार किया जाता है। शाखा खाता व्यक्तिगत खाते के समान होता है। शाखा के दायित्व एवं सम्पत्तियाँ शाखा खाते में दिखाये जाते हैं। शाखा का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा शाखा खाता का प्रारूप निम्नवत हैः–

Branch Trading and Profit & Loss Account - For the year Ending............

To Opening Stock	....	By Sales	....	
To Goods Supplied		Less Sales Return	....	....
Less Goods Returned	....	By Closing Stock		....
To Direct Expenses	....	By Gross Loss c/d (if any)		....
To Gross Profit c/d	....			
	....			....
To Gross Loss (if any)	....	By Gross Profit B/d		....
To Indirect Expenses	....	By Net Loss (Balancing Figure)		....
To Wages	....			
To Salaries	....			
To Discount Allowed	....			

To Bad Debts	....		
To Rent Rates etc.	....		
To Depreciation	....		
To Other Branch Expenses	....		
To Net Profit (Balancing Figure)	....		
	....		....

Branch Account

To Balance B/d	....	By Balance B/d	
Cash		(Liabilities in the Beginning)	....
Stock	....	By Bank - Cash Sales	....
Debtors	....	Cash Received from Debtors	....
Petty Cash	....	By Goods Supplied A/c (R/o)	....
Furniture	....	By Profit & Loss A/c (Loss)	....
Prepaid Expenses etc.	....	By Balance C/d [1]	....
(Assets in the Beginning)	....		
To Goods supplied	....		
To Cash/Bank A/c (Expenses)	....		
To Profit & Loss A/c	....		
	....		....

1. यह बाकी उन राशियों के योग के बराबर होती है जो शाखा के पास सम्पत्तियों के रूप में बचते हैं जैसे Closing Stock, Closing Cash, Closing Furniture आदि। शाखा की अन्तिम सम्पत्तियों में से इसके अन्तिम दायित्व को घटा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसे ही Balance C/d की रकम के रूप में दिखाया जाता है।

C. स्टॉक एवं देनदार विधि (Stock and Debtors Method) : यह विधि तब प्रयोग में लायी जाती है जब शाखा के कार्य पर अधिक नियंत्रण रखना होता है। इस विधि के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा खाता ही नहीं रखा जाता है बल्कि एक ही शाखा के लिए कई खाते खोले जाते हैं–

1. **शाखा स्टॉक खाता (Branch Stock Account) :** सामान्यतः यह खाता बीजक मूल्य पर बनाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में वे मदें लिखी जाती है जिनसे स्टॉक में वृद्धि होती है जैसे प्रारम्भिक रहतिया, शाखा को भेजा गया माल, ग्राहकों द्वारा वापस किया गया माल आदि। इसके क्रेडिट पक्ष में वे मदें लिखी जाती है जिनसे स्टॉक में कमी होती है जैसे– शाखा द्वारा की गई बिक्री, नष्ट हुए माल का मूल्य, प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल, अन्तिम रहतिया आदि। सामान्यतः इस खाते को दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। यदि इस खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष से अधिक हो तो अन्तर की राशि को

अन्तिम स्टॉक या नष्ट हुए माल का मूल्य माना जाता है इसके विपरीत यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो अन्तर की राशि को स्टॉक का आधिक्य माना जाता है। इस खाते द्वारा ज्ञात की गई स्टॉक की कमी या आधिक्य को लाभ हानि खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

2. **शाखा सम्पत्ति खाता (Stock Assets Account) :** शाखा की प्रत्येक सम्पत्ति के लिए मुख्य कार्यालय पृथक शाखा खाता खोलता है। उदाहरण के लिए शाखा रोकड़ खाता, शाखा देनदार खाता, शाखा फर्नीचर खाता, शाखा भवन खाता आदि।

3. **शाखा समायोजन खाता (Branch Adjustment A/c) :** यह खाता व्यापारिक तथा लाभ हानि खाते के समान होता है और दो भागों में बनाया जाता है। प्रथम भाग के डेबिट पक्ष में अन्तिम स्टॉक का रिजर्व तथा स्टाक की कमी में लाभ का अंश तथा क्रेडिट पक्ष में शाखा पर भेजे गये माल, स्टाक की बढ़ोत्तरी तथा प्रारम्भिक स्टाक में लाभ के अंश लिखे जाते हैं। इस भाग का शेष कुल लाभ या हानि होती है। द्वितीय भाग के डेबिट पक्ष में शाखा व्यय खाते का शेष तथा स्टाक की कमी का शेष भाग और क्रेडिट पक्ष में कुल लाभ तथा स्टाक की बढ़ोत्तरी का शेष भाग लिखते हैं इस खाते का शेष शुद्ध लाभ या हानि होती है।

4. **शाखा व्यय खाता (Branch Expenses Account) :** इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्यय जैसे वेतन मजदूरी, कमीशन, किराया, ह्रास, अवशेष ऋण, देनदारों को छूट आदि दिखाये जाते हैं ये व्यय चाहे मुख्य कार्यालय द्वारा हो या शाखा के द्वारा दोनों की प्रवृष्टियां होती है। इस खाते के द्वारा शाखा पर होने वाले व्ययों का एक चित्र मिल जाता है। इस खाते के शेष को शाखा समायोजन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

5. **शाखा लाभ हानि खाता (Branch Profit & Loss Account) :** इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शाखा समायोजन खाते से सकल लाभ की राशि हस्तान्तरित की जाती है तथा डेबिट पक्ष में शाखा व्यय खाते का शेष तथा कमी (Shortage) लागत मूल्य को लिखा जाता है। इस खाते का शेष शुद्ध लाभ या हानि को प्रकट करता है।

6. **शाखा को प्रेषित माल खाता (Goods sent to Branch Account) :** इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शाखा को भेजा गया माल बीजक मूल्य पर लिखा जाता है। इसे बन्द करने के लिए भेजे गये माल के बीजक मूल्य में जो लाभ का अंश होता है उसे शाखा समायोजन खाते में तथा शेष क्रय खाते या व्यापारिक खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

7. **स्टॉक संचय खाता (Stock Reserve Account) :** शाखा पर शेष अन्तिम स्टाक में जो लाभ का अंश होता है उससे शाखा समायोजन खाता डेबिट तथा स्टॉक संचय खाता क्रेडिट किया जाता है। प्रारम्भिक स्टॉक पर रिजर्व गत वर्ष ही बनाया गया होगा, उसे भी शाखा समायोजन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इसके लिए यह खाता डेबिट तथा समायोजन खाता क्रेडिट होगा।

उदाहरण : नन्दा एण्ड संस बरेली की शाखा कानपुर में है। शाखा को माल लागत पर 33.33 प्रतिशत जोड़कर भेजा जाता है। शाखा से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	Rs. 120000
बीजक मूल्य पर अन्तिम रहतिया (Closing Stock at Invoice Price)	64200
नकद बिक्री (Cash Sales)	297600
उधार बिक्री (Credit Sales)	134400
शाखा को भेजा गया माल (Goods Sent to Branch)	456000
ग्राहकों को दी गई छूट (Discount to Customers)	4800
ग्राहकों ने माल लौटाया (Goods Returned by Customer)	2400
माल के भार में कमी बीजक मूल्य पर (Loss in weight at Invoice Price)	1200
फर्नीचर पर ह्रास (Depreciation on furntiture)	1200
माल की चोरी बीजक मूल्य पर (Pilferage at Invoice Price)	24000
मार्गस्थ माल की हानि लागत मूल्य पर (Loss in Goods in Transit at Cost)	45000
मार्गस्थ माल की हानि के लिए बीमा क0 से प्राप्ति राशि (Received cash from Insurance Co. against Loss in Goods in Transit)	36000
शाखा के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा किये गये प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses Paid By H.O. For branch)	11040
शाखा के लिए मुख्य कार्यालय से किये गये अप्रत्यक्ष व्यय (Indirect Expenses Paid by H.O. for Branch)	30000
देनदारों से प्राप्त रोकड़ (Cash Received from Debtors)	120000

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2016 का शाखा का लाभ हानि खाता स्टाक तथा देनदार विधि से ज्ञात कीजिए।

हल : इस विधि के अन्तर्गत शाखा का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए निम्न खाते खोले जायेंगे :–

Branch Stock Account A/c

To Opening Stock	120000	By Sales		
To Goods Sent to Branch	456000	Cash	297600	
To Good Return from Customers	2400	Credit	134400	432000
To Surplus Stock	3000	By Branch Adjustment A/c		
(Balancing Figure)		Normal Loss in weight	1200	
		Pilferage (24000x1/4)	6000	
		Loss in Transit 60000[1]x1/4	15000	22200
		By Branch Profit & Loss A/c		
		Pilferage	18000	
		Loss in Transit	45000	63000
		By Closing Stock		64200
	581400			**581400**

1. यह लागत मूल्य पर दिया है इसे बीजक मूल्य पर दिखाया जायेगा
रू. 45000 + 1/3 of 45000 = रू0 60000

Goods Sent to Branch A/c

	Rs.		Rs.
To Branch Adjustment A/c		By Branch Stock A/c	456000

(456000 x 1/4) To H.O. Purchase A/c	114000 342000		
	456000		**456000**

Branch Expenses A/c

	Rs.		Rs.
To Cash A/c Branch Direct Expenses 11040 Branch Indiract Expenses 30000	 41040	By Branch Adjustment A/c (Direct Expenses Transfered) By Branch P/L A/c	11040
To Branch Debtors A/c (Discount Allowed)	4800	(Indirect Expenses, Discount Allowed & Depreciation)	 36000
To Depreciation on Furniture	1200		
	47040		**47040**

Branch Debtors A/c

To Credit Sales	134400	By Cash By Discount Allowed By Return Inward By Balance C/D	120000 4800 2400 7200
	134400		**134400**

Stock Reserve Account

To Branch Adjustment A/c (Transfer of Stock Reserve on opening in stock)	 30000	By Balance B/d Stock Reserve on Opening stock (120000x1/4)	 30000
To Balance c/d	16050	By Branch Adjustment A/c (Stock Reserve on closing Stock 64200 x 1/4)	 16050
	46050		**46050**

Branch Adjustment Account

To Stock Reserve A/c	16050	By Stock Reserve A/c	30000
To Branch Expenses A/c	11040	By Goods Sent to Branch A/c	114000
To Branch Stock A/c	22200	By Branch Stock A/c (3000x1/4)	750
To Gross Profit Transfered Branch P/L A/c	95460		
	144750		**144750**

Branch P/L A/c for the year Ended - 2016

To Branch Expenses A/c	36000	By Gross Profit (Transferred from Branch Adjustment A/c)	95460
To Branch Stock A/c	63000	By Branch Stock A/c (3000x3/4)	2250
To Net Profit Transferred To General P/L A/c	34710	By Insurance Company	36000
	133710		**133710**

D. थोक शाखा विधि (Wholesale Branch System)-

कुछ उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने के उद्देश्य से फुटकर बिक्री करने वाली शाखाएं खोलते हैं। इन शाखाओं को माल थोक मूल्य पर भेजा जाता है और शाखाएं फुटकर मूल्य पर वस्तुओं को ग्राहकों को बेचती है। इस प्रकार फुटकर बिक्री मूल्य का लाभ शाखा को और थोक बिक्री मूल्य का लाभ मुख्य कार्यालय को होता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता हैं माना कि वस्तु का लागत मूल्य 100 रू0 है और थोक मूल्य 25 प्रतिशत अधिक है तो वस्तु का थोक मूल्य हुआ 125/– रू0। मान ले कि फुटकर मूल्य लागत मूल्य से 40 प्रतिशत अधिक है तो वस्तु का फुटकर या खुदरा मूल्य 140 रू0 हुआ। इस प्रकार शाखा उस वस्तु को 140 रू0 में बेचेगी, फलस्वरूप मुख्य कार्यालय को रू0 140 – रू0 125 = 15 रू0 का अतिरिक्त लाभ होगा।

थोक शाखा विधि के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में व्यापार एवं लाभ/हानि खाता बनाया जाता है। इसी प्रकार शाखा का व्यापार एवं लाभ/हानि खाता बनाया जाता है। थोक शाखा के वास्तविक लाभ के निर्धारण के लिए शाखा को थोक मूल्य से प्रभारित किया जाता है। अतः मुख्य कार्यालय के व्यापार खाते को शाखा को प्रेषित माल खाते से क्रेडिट किया जायेगा। थोक मूल्य पर शाखाओं को माल भेजे जाने पर शाखाओं के शुद्ध लाभ का सही–सही आकलन करना आवश्यक होता है। यदि शाखाओं को भेजे गये समस्त माल की बिक्री हो जाये तो मुख्य कार्यालय का सही लाभ एवं शाखा पर अतिरिक्त लाभ का पता लगाना सरल होगा पर यदि लेखांकन अवधि में कुछ माल शेष बच जाता है तथा स्टॉक का मूल्यांकन करना होगा। अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन मुख्य कार्यालय द्वारा लागत मूल्य पर एवं शाखा द्वारा थोक मूल्य पर किया जाना चाहिए। सही लाभ को जानने के लिए अन्तिम स्टाक के थोक मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देना चाहिए और अन्तर की राशि के लिए स्टॉक संचय खाता को क्रेडिट किया जाना चाहिए और मुख्य कार्यालय के खाते की डेबिट किया जाना चाहिए।

उदाहरण : हनीफ एण्ड संस की एक शाखा लखनऊ में है। ग्राहकों को माल लागत + 100 प्रतिशत पर बेचा जाता है थोक मूल्य लागत + 80 प्रतिशत है। लखनऊ शाखा को माल थोक मूल्य पर भेजा जाता है। निम्नलिखित विवरण से मुख्य कार्यालय तथा शाखा को 2016 में हुए लाभ को ज्ञात कीजिए।

	मुख्य कार्यालय **H.O. Rs.**	शाखा **Branch Rs.**
1 जनवरी 2016 को स्टॉक (Stock on 1 Jan. 2016)	100000	
क्रय (Purchase)	600000	
शाखा को बीजक मूल्य पर भेजा माल (Goods Sent to Branch at Invoice Price)	216000	
बिक्री (Sales)	612000	200000
31 दिसम्बर 2016 को स्टॉक (Stock on 31 Dec. 2016)	240000	36000

प्रधान कार्यालय द्वारा केवल थोक विक्रय किया जाता है, जबकि शाखा ग्राहकों को बेचती है। शाखा के स्टॉक का मूल्यांकन बीजक मूल्य पर किया जाता है।

हल : **Trading Account for the year 2016**

	H.O. Rs.	Branch		H.O. Rs.	Branch
To Opening Stock	100000	-	By Sales	612000	200000
To Purchase	600000	-	By Goods Sent to Branch	216000	-
To Goods Received from HO	-	216000	By Closing Stock	240000	36000
To Profit & Loss A/c (Gross Profit)	368000	20000			
	1068000	**236000**		**1068000**	**236000**

Profit & Loss A/c for the Year 2016

	H.O. Rs.	Branch		H.O. Rs.	Branch
To Difference in Value of Branch Stock	16000[1]		By Gross Profit	368000	20000
To Net Profit	352000	20000			
	368000	**20000**		**368000**	**20000**

1 Rs. 36000 x 80 / 180 = 16000

II. स्वतन्त्र शाखाएं : (Independent Branches) :

स्वतन्त्र शाखाओं से अभिप्राय ऐसी शाखाओं से है जिन्हें मुख्य कार्यालय द्वारा क्रय–विक्रय एवं अन्य लेन–देन स्वयं करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतन्त्र शाखाएं मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करने के साथ ही अन्य पक्षों से भी माल क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार ये शाखाएं अपने विभिन्न प्रकार के व्ययों का भी भुगतान करती है। ऐसी शाखाएं बिक्री व देनदारों से प्राप्त रकम को मुख्य कार्यालय न भेजकर अपने नाम में खाता खोलकर बैंक में जमा करती है। इस खाते के जमा धन का प्रयोग वस्तु क्रय व अन्य व्ययों के भुगतान में किया जाता है। ये शाखाएं मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत ही कार्य करती है और शाखा के लाभ हानि का हकदार मुख्य कार्यालय ही होता है। ऐसी शाखाएं अपने यहाँ पूर्ण लेखे रखती है और वर्ष के अन्त में सामान्य व्यापारियों की तरह व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करती है। शाखा तथा मुख्य कार्यालय के मध्य में जो लेन–देन होता है उनका लेखा करने के लिए शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय (H.O.) खाता और मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता खेला जाता है। क्योंकि दोनों खातों में एक से ही लेखे होते हैं इसलिए वर्ष के अन्त में दोनों खातों का प्रायः एक ही शेष आता हैं अन्तर यह होता है कि मुख्य कार्यालय खाते का जमा का शेष होता है तो शाखा खाते का नाम का शेष। शाखा के यहाँ मुख्य कार्यालय खाता पूँजी खाते के रूप में होता है। लाभ हानि खाते का शेष इसमें हस्तान्तरित किया जाता है और यह खाता शाखा के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है इस खाते में निम्न प्रकार से लेखे होते हैं।

1. मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करने पर–

Goods Received from H.O. A/c Dr
To Head Office A/c
(Being the Receipt of Goods from H.O.)

2. मुख्य कार्यालय को माल वापस करने पर–

Head Office A/c Dr.
To Goods Returned to H.O. A/c

(Being Goods Returned to H.O.)

3. मुख्य कार्यालय को रकम भेजने पर–

Head Office A/c Dr.

To Cash or Bank A/c

(Being Money Sent to H.O.)

4. मुख्य कार्यालय से रकम प्राप्त करने पर–

Cash or Bank A/c Dr.

To Head Office A/c

(Being The Cash Receipt From H.O.)

5. मुख्य कार्यालय को माल भेजने पर–

Head Office A/c Dr.

To Goods Sent to H.O. A/c

(Being Goods Sent to Head Office)

6. शुद्ध लाभ के लिए–

Profit & Loss A/c Dr.

To Head Office A/c

(Being the Net Profit Transferred)

7. शुद्ध हानि के लिए–

Head Office A/c Dr.

To Profit & Loss A/c

(Being the Net Loss Transferred)

मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में लेखें : मुख्य कार्यालय अपने शाखा कार्यालय के सम्बन्ध में निम्न लेखे करेगा–

1. शाखा को माल भेजने पर–

Branch A/c Dr.

To Goods Sent to Branch A/c

(Being Goods Supplied to Branch)

2. शाखा से माल वापस प्राप्त होने पर–

Goods Returned by Branch A/c Dr

To Branch A/c

(Being Goods Returned By Branch)

3. शाखा को रकम भेजने पर–

Branch A/c Dr.

To Bank or Cash A/c

(Being Cash Sent to Branch)

4. शाखा से रकम प्राप्त करने पर

Cash or Bank A/c Dr.

To Branch A/c

(Being Cash Received from Branch)

5. शाखा से माल प्राप्त होने पर–

Goods from Branch A/c Dr

To Branch A/c

(Being Goods Received From Branch)

6. शाखा की स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास के सम्बन्ध में–

I. शाखा की पुस्तकों में–

Dpreciation A/c Dr.

To Head Office A/c

(Being Depreciation on Fixed Assets)

II. प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में–

Branch A/c Dr.

To Branch Assets A/c

(Being Depreciation of Branch Assets)

शाखाओं के आपसी लेन देन : (Inter Branch Transactions)

जब एक ही मुख्य कार्यालय की कई शाखाएं होती है तो उनमें माल या रोकड़ का लेन देन होना स्वाभाविक है। इन व्यवहारों को अन्तर शाखा लेनदेन कहते हैं। इसमें लेखा करने की दो विधि है–

प्रथम विधि के अनुसार शाखाएं अपनी–अपनी पुस्तकों में अन्य शाखाओं के चालू खाते खोलती है। वर्ष के अन्त में इन खातों के शेष जो डेविट या क्रेडिट हो सकते हैं, शाखा के तलपट में आते हैं और मुख्य कार्यालय इन्हें शाखा की सम्पत्ति अथवा दायित्व के रूप में आर्थिक चिट्ठे में दिखाता है।

द्वितीय विधि के अन्तर्गत शाखाओं को एक दूसरे का चालू खाता खोलने की अनुमति नहीं होती है अपितु लेन–देनों का लेखा प्रधान कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए मेरठ शाखा से बरेली शाखा को माल भेजा गया। इसकी प्रवृष्टि निम्न प्रकार होगी–

मेरठ शाखा की पुस्तकों में–

Head Office A/c Dr.

To Goods A/c

(Being Goods sent to Bareilly Branch on H.O. Instruction)

बरेली शाखा की पुस्तकों में–

Goods A/c Dr.

To Head Office A/c

(Being the Receipt of Goods from meerut Branch on H.O. Instruction)

मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में–

Bareilly Branch A/c Dr

To Meerut Branch A/c

(Being Goods Transferred from Meerut Branch to Bareilly Branch)

मुख्य कार्यालय खाते तथा शाखा खाते में समायोजन– सामान्यतः मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का शेष तथा शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय खाते का शेष एक ही होना चाहिए, केवल अन्तर यह होना चाहिए कि दोनों के खाते के शेष एक दूसरे के विपरीत हो। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है इसके निम्न कारण है–

मार्गस्थ माल (Goods in Transit) : यदि मुख्य कार्यालय ने शाखा को माल भेजा है जो शाखा को अन्तिम खाता बनाये जाने की तिथि तक नही प्राप्त

हुआ है तो इस कारण मुख्य कार्यालय तथा शाखा खाते में अन्तर हो जायेगा। इसके लिए निम्न समायोजन प्रवृष्टि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में होगी–

Goods in Transit A/c Dr
To Branch A/c
(Being the adjustment of Goods in Transit)

मार्गस्थ माल खाता संयुक्त आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जायेगा और आगामी वर्ष के आरम्भ में शाखा खाते के नाम हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। यदि शाखा ने मुख्य कार्यालय को माल भेजा हो तो यह प्रवृत्ति शाखा की पुस्तकों में होगी।

मार्गस्थ रोकड़ (Remittance in Transit) : कभी–कभी शाखा मुख्य कार्यालय को कुछ रकम भेजती है जो अन्तिम खाते बनाये जाने की तिथि तक मुख्य कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है। शाखा तो मुख्य कार्यालय खाते को उसी समय डेविट कर देती है जब वह रकम भेजती है, परन्तु मुख्य कार्यालय शाखा खाते को उस समय क्रेडिट करेगा जब उसे भुगतान प्राप्त होगा। अतः दोनों खातों में अन्तर आ जायेगा। इसका समायोजन शाखा अपनी पुस्तकों में निम्न प्रकार करेगा–

Cash in Transit A/c Dr.
To Head Office A/c
(Being the Adjustment for cash in Transit)

मार्गस्थ रोकड़ खाता आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्ति की ओर दिखाया जायेगा और आगामी वर्ष के आरम्भ में शाखा खाते के डेविट पक्ष में लिखा जायेगा। अगर रकम मुख्य कार्यालय ने शाखा को भेजी है तो यह समायोजन मुख्य कार्यालय करेगा।

शाखा के तलपट का समायोजन (In Corporation of branch Trail Balance) :

वर्ष के अन्त में शाखाएं अपने तलपट की जो एक प्रति मुख्य कार्यालय को भेजती है, उसे मुख्य कार्यालय अपनी पुस्तकों में समामेलित करता है। समायोजन की प्रवृष्टि निम्न प्रकार होती है–

1. शाखा के व्यापारिक खाते के डेविट पक्ष में आने वाली मदों के योग से–

Branch Trading A/c Dr.
To Branch A/c
(Being the Incorporation of Branch Opening Stock, Purchases Sales Return Wages)

2. शाखा के व्यापारिक खाते के जमा पक्ष के आने वाली मदों के योग से–

Branch A/c Dr.
To Branch Trading A/c
(Being the Incorporation of branch Sales, Purchase Return and Closing Stock)

3. शाखा के व्यापारिक खाते को बन्द करने के लिए–

Branch Trading A/c Dr.
To Branch P/L A/c
(Being the Gross Profit)

(In Case of Gross Loss the Entry will be Reverse)

4. शाखा के लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में आने वाली मदों के लिए–

Branch P/L A/c Dr.

To Branch A/c

(Being the Incorporation of Branch Expenses)

5. शाखा के लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में आने वाली मदों के लिए–

Branch A/c Dr.

To Branch P/L A/c

(Being the Incorporation of Branch Incomes)

6. शाखा के लाभ हानि खाते को बन्द करने के लिए–

Branch P/L A/c Or

To General P/L A/c

(Being the Net Profit Transferred)

(In Case of Net Loss the Entry will be reverse)

7. शाखा की सम्पत्तियों के लिए–

Branch Assets A/c Dr.

To Branch A/c

(Being the Incorporations of Branch Assets)

8. शाखा के दायित्वों के लिए–

Branch A/c Dr.

To Branch Liabilities A/c

(Being the Incorporation of Branch Liabilities)

उदाहरण : 31 दिसम्बर 2016 को अवध शाखा का निम्नलिखित टलपट है–

	Rs.	Rs.
मुख्य कार्यालय का खाता (H.O. A/c)	64800	-
1 जनवरी 2016 को स्टॉक (Stock on 1 Jan 2016)	120000	-
क्रय (Purchase)	356000	-
मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल (Goods Received From H.O.)	180000	-
बिक्री (Sales)	-	760000
मुख्य कार्यालय को भेजा माल (Goods Supplied to H.O.)क	-	120000
वेतन (Salaries)	30000	-
देनदार (Debtors)	74000	-
लेनदार (Creditors)	-	37000
किराया (Rent)	19200	-
कार्यालय व्यय (Office Expenses)	9400	
रोकड़ व्यय (Office Expenses)	9400	
रोकड (Cash)	35600	

फर्नीचर (Furniture)	28000	
	917000	917000

अतिरिक्त सूचनाएँ :

I. 31 दिसम्बर 2016 को स्टॉक का मूल्यांकन रू0 54000 किया गया।

II. 31 दिसम्बर 2016 को मुख्य कार्यालय की पुस्तक में शाखा खाते का डेबिट शेष रू0 9200 था।

III. 25 दिसम्बर 2016 को मुख्य कार्यालय ने शाखा को रू0 50000 का माल भेजा जो शाखा को 3 जनवरी 2017 को मिला।

IV. शाखा द्वारा 27 दिसम्बर 2016 को भेजा गया रू0 24000 मुख्य कार्यालय को 2 जनवरी 2017 को प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त ऑकड़ों को समामेलित करने हेतु जर्नल प्रवृष्टि कीजिए तथा शाखा का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता तैयार कीजिए।

हल : Journal Entries in the Books of H.O.

		Dr.	Cr.
31 Dec. 2016	Goods in Transit A/c Dr.	50000	
	To Awadh Branch A/c		50000
	(Being Adjustment of Goods in Transit)		
	Cash in Transit A/c Dr.	24000	
	To Awadh Branch A/c		24000
	(Being Adjustment of Remittance in Transit)		
	Awadh Branch A/c Dr.	219400	
	To General Profit & Loss A/c		219400
	(Being Incorporation of Branch Net Profit)		
	Awadh Branch Cash A/c Dr.	35600	
	Awadh Branch Debtors A/c Dr.	74000	
	Awadh Branch Stock A/c Dr.	54000	
	Awadh Branch Furniture A/c Dr.	28000	
	To Awadh Branch A/c		191600
	(Being Incorporation of Branch Assets)		
	Awadh Branch A/c Dr.	37000	
	To Awadh Branch Creditors A/c		37000
	Being Incorporation of Branch Creditors		

Awadh Branch Trading & Profit / Loss A/c
(For the Year Ending 31 Dec. 2016)

To Opening Stock	120000	By Sales	760000
To Goods From H.O.	180000	By Goods Supplied to H.O.	120000
To Purchases	356000	By Closing Stock	54000
To Gross Profit	278000		
	934000		934000
To Salaries	30000	By Gross Profit	278000
To Rent	19200		
To Office Expenses	9400		
To Net Profit	219400		
	278000		278000

Awadh Branch Account

To Balance B/d	9200	By Awadh Branch Cash A/c	35600
To Creditors	37000	By Awadh Branch Debtors A/c	74000
To General Profit & Loss A/c	219400	By Awadh Branch Stock A/c	54000
		By Awadh Branch Furniture A/c	28000
		By Cash in Transit	24000
		By Goods in Transit	50000
	265600		**265600**

III. विदेशी शाखा (Foreign Branch) : जब कोई व्यावसायिक फर्म अपने व्यवसाय का विस्तार देश की सीमाओं के बाहर करना चाहती है तो वह विदेशों में शाखाएं खोलती है। बाह्य देशों में स्थापित शाखाओं को विदेशी शाखा कहा जाता है। इन शाखाओं के लेन देन उस देश की प्रचलित मुद्रा में होते हैं, इस कारण ये शाखाएं अपने लेखे विदेशी मुद्रा के रखती है। मुख्य कार्यालय के पास तलपट प्राप्त होने पर इसे मुख्य कार्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद शाखा व मुख्य कार्यालय के समामेलित अन्तिम खाते बनाये जाते हैं। विदेशी शाखा के तलपट को मुख्य कार्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है–

(A) स्थिर विनिमय दर : यदि मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालय के देशों की मुद्रा की विनिमय दरों में नाम मात्र का परिवर्तन होता है तो तलपट की मदों को परिवर्तित करने के लिए स्थाई विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में निम्न मदों को छोड़कर शाखा तलपट की शेष मदों को स्थाई विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है–

(1) **तलपट में दिया गया मुख्य कार्यालय का शेष** : इसे उस रकम पर परिवर्तित करना चाहिए जो शेष मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का है।

(2) **शाखा द्वारा भेजी गई राशियाँ** : इसे भी उस रकम पर परिवर्तित करना चाहिए जो मुख्य कार्यालय ने अपनी पुस्तकों में दिखायी हुई है।

(B) परिवर्तनशील विनिमय दर : यदि मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालय के देशों की मुद्रा की विनिमय दरों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा हो तो शाखा के तलपट की मदों में परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक दर (Opening rate) अन्तिम दर (Closing Rate) व औसत दर (Average Rate) का प्रयोग किया जाता है।

उक्त विनिमय दरें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से लागू की जाती है :

विवरण	जिस दर पर परिवर्ति की जायेगी
• स्थायी सम्पत्तियाँ	प्रारम्भिक दर
• स्थायी दायित्व	प्रारम्भिक दर
• चालू सम्पत्तियॉ	अन्तिम दर
• चालू दायित्व	अन्तिम दर
• माल, व्यय व आय	औसत दर

उपरोक्त नियमों के आधार पर विदेशी शाखा के तलपट के शेषों को परिवर्तित करने के बाद एक परिवर्तित तलपट बनाया जाता है। इस तलपट में भिन्न–भिन्न मदों को भिन्न–भिन्न दरों से परिवर्तित किया जाता है। अतः तलपट के डेविट तथा क्रेडिट पक्ष के योगों में अन्तर हो जाता है। इस अन्तर की राशि से विनिमय अन्तर खाता या विनिमय उचन्त खाता खोला जाता है। तलपट के मिलान के लिए कम योग वाले पक्ष में अन्तर की राशि की प्रवृष्टि की जाती है और इसे विनिमय अन्तर खाते में अन्तरित कर दिया जाता है। यदि अन्तर की राशि कम है तो लाभ हानि खाते में अन्तरित कर दिया जाता है अन्यथा की स्थिति में इसे स्थिति विवरण में दिखाया जाता है।

उदाहरण : एक अमेरिकी फर्म जिसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है की मुम्बई शाखा का तलपट 31 दिसम्बर 2016 को निम्नवत था–

	Dr.	**Cr.**
आरम्भिक स्टॉक (Opening Stock)	75600	-
क्रय (Purchase)	450000	-
विक्रय (Sales)	-	675000
देनदार (Debtors)	234000	-
लेनदार (Creditors)	-	156000
प्राप्य बिल (Bills Receivable)	62400	-
देय बिल (Bills Payable)	-	54600
मजदूरी एवं वेतन (Wages & Salaries)	28800	-
किराया एवं कर (Rent & Taxes)	30600	-
फर्नीचर (Furniture)	29460	-
बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)	173940	-
वाशिंगटन खाता (Washington Account)	-	199200

31 दिसम्बर 2016 को स्टॉक का मूल्य रू0 195000 था वाशिगटन की पुस्तको मे शाखा खाते का डेबिट शेष 31 दिसम्बर 2016 को $ (डालर) 2680 और फर्नीचर खाता $ (डालर) 350 दिखाया हुआ था

विनिमय दर 31.12.2015 को 84 रू0 एव 31.12.2016 को 78 रू0 थी। वर्ष 2016 की औसत दर 72 रू0 थी। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का लाभ हानि खाता तथा चिट्टा बनाइये।

हल : **Converted Trial Balance of Branch :**

Particulars	(Dr.) Amount	(Cr.) Amount	Rate	(Dr.) Amount	(Cr.) Amount
Stock Jan. 1-2016	75600	-	84	$ 900	-
Purchase & Sales	450000	675000	72	$ 6250	9375
Debtors & Creditors	234000	156000	78	$ 3000	2000
Bills Receivable & Bills	62400	54600	78	$ 800	700
Payable	28800	-	72	$ 400	-
Wages & Salaries	30600	-	72	$ 425	-
Rent & Taxes	29460	-	-	$ 350	-
Furniture	173940	-	78	$ 2230	-
Cash at Bank	-	199200		-	2680
Washington Account				$ 400	
Difference in Exchange					
Closing Stock & 2500					
	1084800	**1084800**		**14755**	**14755**

Head Office Book

Mumbai Branch Trading and Profit / Loss A/c

For the Year Ending 31 Dec. 2016

	$		**$**
To Opening Stock	900	By Sales	9375
To Purchase	6250	By Closing Stock	2500
To Gross Profit	4725		
	11875		11875
To Wages & Salaries	400	By Gross Profit	4725
To rent & Taxes	425		
To Net Profit	3900		
	4725		4725

Balance Sheet as on 31 Dec. 2016

Liabilities	$	Assets	$
Creditors	2000	Cash at Bank	2230
Bills Payble	700	Stock	2500
Washington Account	2680	Bills Receivables	800
Net Profit	3900	Debtors	3000
		Furniture	350
		Difference in Exchange	400
	9280		9280

5.4 सारांश

वर्तमान अर्थ प्रधान युग में व्यावसायिक संस्थाएँ अपने व्यवसाय को बढ़ाकर अधिकाधिक लाभ कमाना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे अपने व्यवसाय का निरन्तर विस्तार करना चाहती है व्यवसाय के विस्तार के ही क्रम में व्यवसायिक फर्में एक ही नगर के कई स्थानों पर या प्रदेशों में, अथवा विदेशों में अपनी व्यवसायिक इकाईयाँ स्थापित कर लेती है। इन इकाईयों को ही शाखा कहते है। मुख्य कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के बीच होने वाले लेन देनों का लेखा करने के लिए जो लेखे या खाते खोले जाते हैं उसे ही शाखा लेखे या शाखा खाता कहते हैं। इन लेखों को रखने को मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मुख्य कार्यालय शाखा के सम्पूर्ण व्यवसाय की स्थिति को ज्ञात कर सकता है। तद्नुसार माल व रोकड़ की उचित व्यवस्था के साथ ही साथ सही निर्णय ले सकता है।

5.5 शब्दावली

देशी शाखाएँ: देशी शाखाओं से अभिप्राय ऐसी शाखाओं से है जो एक देश की सीमाओं के अन्तर्गत स्थिर रहती है।

5.6 बोध प्रश्न

1. .... मुख्य कार्यालय के बिक्री डिपो अथवा विक्रय एजेन्सी के रूप में कार्य करती है।
2. .... से अभिप्राय ऐसी शाखाओं से है जिन्हें मुख्य कार्यालय द्वारा क्रय–विक्रय एवं अन्य लेन–देन स्वयं करने के अधिकार प्राप्त होते हैं।
3. जब कोई व्यावसायिक फर्म अपने व्यवसाय का विस्तार देश की सीमाओं के बाहर करना चाहती है तो वह विदेशों में शाखाएं खोलती है। बाह्य देशों में स्थापित शाखाओं को ....कहा जाता है।

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. आश्रित शाखाएं, 2. स्वतन्त्र शाखाओं, 3. विदेशी शाखा

5.8 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1 : शाखा खातों से आपका क्या आशय है? शाखा लेखों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2 : शाखाएं कितने प्रकार की होती है? उनमें लेखा करने के क्या नियम है?

प्रश्न 3 : अन्तर्शाखा लेन देनों से आप क्या समझते हैं? इन लेन देनों को करने कितनी विधि है।

प्रश्न 4 : विदेशी शाखा के तलपट को मुख्य कार्यालय की मुद्रा में परिवर्तन सम्बन्धी क्या नियम है? समझाइये

प्रश्न 5 : निम्नलिखित पर टिप्पणियॉ लिखिए :

I. मार्गस्थ माल

II. मार्गस्थ रोकड़

III. स्वतन्त्र शाखाएं

IV. शाखा समायोजन खाता

प्रश्न 6 : जयपुर के एक व्यापारिक फर्म की शाखा इन्दौर मे हैं। शाखा उधार बिक्री नहीं करती है और प्राप्त रकम को तत्काल मुख्य कार्यालय भेज देती है। व्ययों के लिए मुख्य कार्यालय शाखा को समय–समय पर चैक भेजती है। 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त हुए वर्ष में निम्न प्रकार लेन देन हुए

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)		Rs. 15000
शाखा को माल भेजा (Goods Sent to Branch)		Rs. 156000
मुख्य कार्यालय ने व्ययों के लिए चैक भेजा (Cheque Sent By H.O. For Expenses)		
वेतन (Salaries)	Rs. 7200	
किराया (Rent)	Rs. 2700	
विविध व्यय (Sundry Expenses)	Rs. 360	Rs. 10260
शाखा से प्राप्त रोकड़ (Cash Received from Branch)		Rs. 192000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)		Rs. 13500

मुख्य कार्यालय की बहियों में शाखा खाता तैयार कीजिए।

प्रश्न 7 : लुधियाना मुख्य कार्यालय की एक शाखा पठसकोट में है। 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पठान कोट शाखा के विवरण निम्नवत है–

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)		Rs. 44000
आरम्भिक देनदार (Opening Debtors)		Rs. 40000
शाखा को माल भेजा (Goods Sent To Branch)		Rs. 580000
शाखा ने माल लौटाया (Goods Returned by Branch)		Rs. 30000
व्ययों हेतु प्रेषित रकम (Remittance to Branch for Expenses)		
किराया (Rent)	Rs. 12000	
वेतन (Salaries)	Rs. 24000	
विविध व्यय (Sundry Expenses)	Rs. 10000	Rs. 46000
आरम्भिक खुदरा रोकड़ शेष (Opening Petty Cash)		Rs. 500
अन्तिम खुदरा रोकड़ शेष (Closing Petty Cash)		Rs. 300
फुटकर व्यय (Petty Expenses)		Rs. 200
अशोध्य ऋण (Bad Debts)		Rs. 6000
कटौती (Discount)		Rs. 9000
भत्ता (Allowances)		Rs. 5000
शाखा के ग्राहकों द्वारा लौटाया गया माल (Goods Returned by Branch Customers)		Rs. 10000
शाखा के ग्राहकों से प्राप्त रकम (Cash Received from Branch Customers)		Rs. 160000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)		Rs. 65000

मुख्य कार्यालय की बहियों में आवश्यक खाता बनाकर शाखा की लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 8 : रहीम ट्रेडर्स वाराणसी की एक शाखा पटना में हैं। शाखा को माल लागत पर 25 प्रतिशत जोड़कर भेजा जाता है निम्नलिखित विवरण से मुख्य कार्यालय की बहियों में शाखा खाता तैयार कीजिए–

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)		Rs. 24000
आरम्भिक देनदार (Opening Debtors)		Rs. 10500
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)		Rs. 12000
अन्तिम देनदार (Closing Debtors)		Rs. 21600
शाखा को माल भेजा (Goods sent to Branch)		Rs. 169100
शाखा में व्यय हेतु प्रेषित रकम (Cash Sent to Branch for Expenses)		
वेतन (Salaries)	Rs. 3600	
किराया (Rent)	Rs. 2400	
विविध व्यय (Sundry Expenses)	Rs. 660	Rs. 6660
मजदूरी (Wages)		Rs. 3300
अदत मजदूरी (Out Standing Wages)		Rs. 900
पूर्वदत्त किराया (Pre paid Rent)		Rs. 1800
नकद बिक्री (Cash Sales)		Rs. 115800
ग्राहकों से प्राप्त रकम (Cash Recived from customers)		Rs. 51900

प्रश्न 9 : ए0बी0 लि0 झाँसी की एक शाखा विठूर में है। 31 दिसम्बर 2016 को शाखा ने मुख्य कार्यालय को निम्नलिखित तलपट प्रेषित किया–

	Dr. Rs.	**Cr. Rs.**
आरम्भिक स्टॉक (Opening Stock)	9000	-
क्रय (Purchase)	24000	-
मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल (Goods Received from H.O.)	12400	-
विविध देनदार (Sundry Debtors)	6200	-
कुल लेनदार (Total Creditors)	-	8600
कुल बिक्री (Total Sales)	-	40200
मजदूरी Wages	600	-
वेतन (Salaries)	3200	-
विविध व्यय (Sundry Expenses)	500	-
हस्तस्थ रोकड़ (Cash in Hand)	1400	-
फर्नीचर (Furniture)	1000	-
मुख्य कार्यालय (H.O.)	-	9500
	58300	**58300**

अन्तिम रहतिया रू0 20600 था मुख्य कार्यालय की बहियों में उपर्युक्त तलपट के समायोजन के लिए जर्नल में प्रवृष्टियाँ कीजिए तथा शाखा का व्यापारिक लाभ हानि ज्ञात कीजिए एवं शाखा खाता बनाइये।

प्रश्न 10 : ड्यूक क0 लन्दन की एक शाखा मुम्बई में है। 31 दिसम्बर 2016 को शाखा ने निम्नलिखित तलपट मुख्य कार्यालय को भेजा

	Dr. Rs.	**Cr. Rs.**

आरम्भिक स्टॉक (Opening Stock)	135000	-
क्रय (Purchase)	542640	-
विक्रय (Sales)	-	755250
फर्नीचर (Furniture)	14400	-
मोटरकार (Motor Car)	49500	-
देनदार (Debtors)	215000	-
लेनदार (Creditors)	-	42200
हस्तस्थ रोकड़ (Cash Hand)	26200	-
प्राप्त कटौती (Discount Received)	-	3610
वेतन व किराया (Salaries and Rent)	17670	-
कर व विविध व्यय (Taxes and Sundry Expenses)	12350	-
ह्रास (Dpreciation)	6460	-
आन्तरिक भाड़ा (Carriage Inward)	15580	-
मजदूरी (Wages)	70110	-
अशोध्य ऋण (Bad Debts)	6080	-
छूट दी (Discount Allowed)	14440	-
बीमा (Insurance)	15637	-
मुख्य कार्यालय खाता (H.O. A/c)	-	340007
	1141067	**1141067**

अन्तिम रहतिया (Closing stock) रू0 165000 था। मुख्य कार्यालय की बहियों में शाखा की डेबिट बाकी 17050 पौण्ड थी।

वर्ष में विदेशी विनिमय दर निम्न थी :

1 जनवरी 2016 को 1 E (पौण्ड)– 18 रू0

31 दिसम्बर 2016 को 1 E – 20 रू0

वर्ष का औसत 1 E – 19 रू0

तलपट को परिवर्तित करते हुए शाखा का व्यापारिक, लाभ हानि खाता व चिट्ठा तैयार कीजिए।

5.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मित्तल– आर0के0 एवं बंसल, एम0आर0 वित्तीय लेखांकन, वी0के0 ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, 2012–13
2. शुक्ला एस0एम0, वित्तीय लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. सिंह एस0के0 एवं मिश्रा ए0के0, वित्तीय लेखांकन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा।
4. त्रिपाठी, बोस, अंसारी एवं चन्द्र, एडवांस्ड एकाउन्ट्स, एस0जे0 पब्लिकेशन्स मेरठ, 1982
5. प्रकाश जगदीश, वर्मा, डी0के0 उच्चतर लेखांकन, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2000
6. अग्रवाल, आर0सी0 एवं कोठारी एन0एस0 विपणन के सिद्धान्त, एस.वी.पी. डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा, 2013–14
7. अष्थाना, पदमाकर : व्यावसायिक संगठन प्रबन्ध एवं प्रशासन साहित्य भवन, आगरा, 1991

8. Shukla S.M., Practical problems in Advanced Accounts Sahitya Bhawan Publications, Agra.
9. Gupta R.L., Radhaswamy. M. Advanced Accountancy Sultan Chand & Sons. 1992.
10. Sehgal Ashok : Fundamentals of financial Accounting Taxmann Publications (P) Ltd. 2011.
11. Tulsian P.C. Financial accounting, Pearson Dorling Kindersley India, 2012
12. Shukla M.C., Grewal T.S. Advanced Accounts - S. Chand & Co. Ltd. New Delhi, 1978.

इकाई –6 विभागीय खाते (Departmental Accounting)

इकाई की रूपरेखा :

6.1 प्रस्तावना
6.2 विभाग और शाखा में अन्तर
6.3 विभागीय खाता रखने की विधियाँ
6.4 विभागीय सहायक पुस्तकें
6.5 विभागीय लेखांकन
6.5.1 विभागीय व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता
6.5.2 सामान्य लाभ हानि खाता
6.5.3 विभागीय आर्थिक चिट्ठा
6.6 अन्तर विभागीय हस्तान्तरण
6.7 अप्राप्त लाभ का संचय
6.8 सारांश
6.9 शब्दावली
6.10 बोध प्रश्न
6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
6.12 स्वपरख प्रश्न
6.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- वितरण की प्रक्रिया क्या है, का अध्ययन कर सकें।
- फुटकर वितरण प्रबन्ध कैसे होता है, का वर्णन कर सकें।
- विभागीय खातों के लाभ क्या हैं, का वर्णन कर सकें।
- विभागीय लेखांकन की विधियों का वर्णन कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

किसी भी वस्तु के उत्पादन का उद्देश्य उसे अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है। आधुनिक वृहतस्तरीय उत्पादन और विशिष्टीकरण के युग में सभी परिस्थितियों में उत्पादक द्वारा यह कार्य स्वयं नहीं किया जा सकता है। अतः वस्तु को अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए उत्पादकों द्वारा अनेक मध्यस्थों की सहायता ली जाती है जैसे उत्पादक–थोक व्यापारी–फुटकर व्यापारी–उपभोक्ता।

उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से ही अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय करता है। आधुनिक युग में संसार के अधिकांश देशों में दीर्घस्तरीय फुटकर व्यापार प्रचलित हो गया है। फुटकर व्यापार के अन्तर्गत फेरी वाले व्यापारी, साधारण दुकाने एवं बहुपरिमाण में व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे विभागीय भण्डार, बहुसंख्यक दुकानें या सुपर बाजार आते हैं। वर्तमान समय में विभागीय भण्डारों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विभागीय भण्डार से आशय बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रेता की दुकान से है जिसमें एक ही भवन के अन्तर्गत कई विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु का विक्रय करता है तो ऐसे विभागीय संगठन में लेखांकन की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जिससे

सम्पूर्ण व्यवसाय के लाभ हानि का निर्धारण होने के साथ–साथ प्रत्येक विभाग के लाभ हानि का भी निर्धारण हो सकें इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संगठनों में लेखांकन की जो प्रणाली अपनायी जाती है उसे ही विभागीय खाते कहते हैं।

6.2 विभाग एवं शाखा में अन्तर

विभाग और शाखा में निम्न आधारों पर अन्तर किया जा सकता है।

- **स्थान** : यदि व्यवसाय के विभिन्न विभाग एक ही छत के नीचे हैं अर्थात एक ही स्थान पर हैं तो इन्हें विभाग कहा जाता है और यदि ये विभाग एक ही नगर के विभिन्न स्थानों, विभिन्न राज्यों या विदेशों में स्थित हो तो इन्हें शाखाएं कहा जाता है।
- **उद्देश्य** : विभागों को व्यवसाय की कार्यक्षता बढ़ाने एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है जबकि शाखाएं ग्राहकों के पास पहुँचने के लिए एवं बिक्री बढ़ाने के खोली जाती है।
- **लेखांकन** : विभागीय लेखे एक स्थान पर रहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर होते हैं परन्तु शाखाएं अलग–अलग स्थानों पर होती है। अतः प्रत्येक शाखा अपने अलग लेखे भी रखती हैं। यद्यपि मुख्य कार्यालय में सभी शाखाओं के लेखे रखे जाते हैं।
- **प्रबन्ध** : प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता हे जो उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है जबकि प्रत्येक शाखा में एक मैनेजर होता है जो उस शाखा के लिए उत्तरदायी होता है। शाखा के प्रबन्धकों के अधिकारों एवं विभागीय अध्यक्षों के अधिकारों में पर्याप्त अन्तर होता है।
- **निर्भरता** : विभाग प्रायः एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं जबकि शाखाओं में ऐसा बहुत कम होता है।
- **वैधानिक आवश्यकता** : कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनियों की शाखाओं के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है परन्तु विभाग लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है।
- **स्वतन्त्रता** : शाखाओं में कुछ शाखाएं स्वतंत्र होती है जबकि विभागीय स्वतन्त्र नहीं होते हैं।

6.3 विभागीय खाता रखने की विधियाँ

विभागीय खातों को रखने की प्राय दो विधियाँ प्रयोग में लायी जाती है–

- **पृथक विधि** : इस विधि के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक विभाग को एक पृथक इकाई माना जाता है। प्रत्येक विभाग में अलग–अलग लेखा पुस्तकें रखी जाती है। वर्ष के अन्त में सभी विभागों के लाभ हानि खातों को पृथक–पृथक बनाकर लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है तदुपरान्त सभी विभागों के लाभ/हानियों का योग कर सम्पूर्ण व्यवसाय का लाभ या हानि को ज्ञात किया जाता है।

पृथक विधि अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग की अलग–अलग लेखा पुस्तकें बनानी पड़ती है। इस कारण से इस विधि को अपनाने में अधिक श्रम, व्यय व समय लगता है। परन्तु यदि व्यवसायिक फर्म का आकार वृहद हो और विभागों की संख्या अधिक हो तो यह विधि उपयोगी होती है।

- **खानेदार विधि** : इस विधि के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के लिए अलग–अलग लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, अपितु लेखा पुस्तकें

खानेदार आधार पर बनायी जाती है। लेखा पुस्तकों में सामान्य खानों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए भी खाना होता है।

विभागीय व्यवसायिक लेखांकन में यह विधि अधिक प्रयोग में लायी जाती है क्योंकि इसमें लेखा पुस्तकें कम बनानी पड़ती है। फलस्वरूप यह विधि मितव्ययी एवं केन्द्रीयकृत है।

6.4 विभागीय सहायक पुस्तकें

प्रत्येक विभाग के निष्पादन की जाँच के लिए आवश्यक है कि उनके लाभ या हानि की सही स्थिति ज्ञात हो। इसके लिए आवश्यक होता है कि विभाग से सम्बन्धित व्यय, क्रय, विक्रय स्टॉक आदि से सम्बन्धित सूचनाएं ज्ञात हो। इसीलिए विभागीय संगठनों में सहायक बहियों जैसे क्रय बही विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही आदि खानेदार विधि के द्वारा रखी जाती है। इन बहियों में सामान्य खानों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए एक खाना तथा योग का खाना होता है। विभागीय क्रय बही तथा बिक्री बही का प्रारूप निम्नवत है।

विभागीय क्रय बही

(Departmental Purchase Book)

Date	Particulars	Inward Invoice No.	L F	Total Amount (Rs.)	Department				
					A	B	C	D	E

विभागीय विक्रय बही

(Departmental Sales Book)

Date	Particulars	Inward Invoice No.	L F	Total Amount (Rs.)	Department				
					A	B	C	D	E

उपर्युक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि क्रय या विक्रय की कुल धनराशि से सर्वप्रथम कुल योग खाने में लिखा जाता है और फिर प्रत्येक विभागों की क्रिया या विक्रय की राशियों को सम्बन्धित विभागों के खाने में लिखा जाता है। विभागीय खानों में लिखी राशियों का कुल योग व्यवसाय का कुल क्रय या विक्रय के योग के समतुल्य होता है।

6.5 विभागीय लेखांकन

ऐसी व्यावसायिक फर्में जो विभागीय आधार पर संचालित होती हैं के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित खाते सम्मिलित होते हैं–

6.5.1 विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता :

फर्म के प्रत्येक विभाग के सकल व शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के लिए वर्ष के अन्त में विभागवार व्यापार खाता व लाभ/हानि खाता बनाया जाता है। इस खाते के डेविट पक्ष व क्रेडिट पक्षों में सामान्य खाने के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए एक खाना होता है। विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते का प्रारूप निम्नवत है–

Departmental Trading and Profit & Loss Account
(For the year Ending 31 Dec. ....)

Particulars	Departments			Total	Particulars	Departments			Total
	A	B	C			A	B	C	
	Rs	Rs	Rs			Rs	Rs	Rs	
To Opening Stock	....	....	....	....	By Sales	....	....	....	....
To Purchase	....	....	....	....	By Closing Stock	....	....	....	....
To Wages	....	....	....	....	By Gross Loss (Balancing Figure)	....	....	....	....
To Carriage etc.	....	....	....	....					
To Gross Profit (Balancing Figure)	....	....	....	....					
Total	....	....	....	....		....	....	....	....
To Gross Loss (B/d)	....	....	....	....	By Gross Profit B/d	....	....	....	....
To Salaries	....	....	....	....					
Ro Rent Rates and Taxes	....	....	....	....					
To Printing & Stationery	....	....	....	....					
To Postage & Telegram	....	....	....	....					
To Insurance Premium	....	....	....	....					
To Office Light	....	....	....	....					
To Depreciation	....	....	....	....					
To Bank Charge	....	....	....	....					
To Legal Charge	....	....	....	....					
To Discount Allowed	....	....	....	....					
To Advertisement	....	....	....	....					
To Bad Debts	....	....	....	....					

To Misc. Expenses etc.	....	....	....	....					
To Net Profit	....	....	....	....					
Total	....	....	....	....					

उपर्युक्त प्रारूप में व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किये गये कुछ व्ययों के संदर्भ में उल्लेख करना है कि जो व्यय प्रत्यक्ष रूप से जिस विभाग पर किये जाते हैं उन्हें उस विभाग में डेबिट किया जाता है, परन्तु जा व्यय ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध सभी विभागों से हैं उनहें एक निश्चित आधार से विभिन्न विभागों में बॉटकर डेबिट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक एक विभाग से सम्बन्धित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी व्ययों का लेखा न हो जाय तब तक उस विभाग का सही लाभ–हानि ज्ञात नहीं किया जा सकेगा। व्ययों का विभाजन निम्न नियम से किया जा सकता हैः–

- **प्रत्यक्ष व्यय** : प्रत्यक्ष व्यय जिस विभाग से सम्बन्धित हो उसी विभाग में इसे डेबिट कर दिया जाता है। जैसे मजदूरी व पारिश्रमिक।
- **अप्रत्यक्ष व्यय** : विभागीय लेखांकन में अप्रत्यक्ष व्ययों के सम्बन्ध में निम्न आधारों पर व्ययों का वर्गीकरण कर विभागीय खातों में डेबिट किया जाता है–

(1) **बिक्री के आधार पर** : जो व्यय सभी विभागों की बिक्री के लिए एक साथ किये जाते हैं, परन्तु उनसे होने वाला लाभ प्रत्येक विभाग को अलग–अलग मिलता है ऐसे व्ययों का विभाजन प्रत्येक विभाग की बिक्री के अनुपात में किया जाना चाहिए। ऐसे व्ययों में मुख्यतः बिक्री का कमीशन, विज्ञापन पर व्यय, यात्री विक्रेता का वेतन, निरीक्षण एवं व्यवस्थापन व्यय, अप्राप्य ऋण आदि है।

(2) **क्षेत्रफल के आधार पर** : संयुक्त रूप से किये गये कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनसे होने वाला लाभ प्रत्येक विभाग को उसके द्वारा प्रयोग किये गये स्थानों के अनुपात में प्राप्त होता है। ऐसे व्ययों को प्रत्येक विभाग के द्वारा आच्छादित किये गये क्षेत्रफल के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्ययों में मुख्यतः भवन का किराया, बीमा, स्थानीय नगर पालिका कर, बिजली व्यय, गैस के व्यय आदि सम्मिलित होते हैं।

(3) **बिक्रीत माल की लागत** : यदि प्रश्न में किसी व्यय को बिके हुए माल की लागत के आधार पर विभाजित करने का निर्देश हो तो ऐसे व्यय को प्रत्येक विभाग में बिके हुए माल की लागत के अनुपात में बॉटा जाता है। बिक्रीत माल की लागत को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है–

बिके हुए माल की लागत = आरम्भिक रहतिया + क्रय किया माल + प्रत्यक्ष व्यय – माल का अन्तिम रहतिया।

(4) **माल का बीमा प्रीमियम** : प्रत्येक विभाग में माल के औसत स्टॉक के मूल्य या मात्रा के अनुपात में बीमा प्रीमियम की राशि का विभाजन किया जाना चाहिए।

(5) **मजदूरी के आधार पर** : ऐसे व्यय जो श्रम कल्याण से सम्बन्धित होते हैं उन्हें प्रत्येक विभाग की मजदूरी या श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बॉटा जाता है। श्रम कल्याण से सम्बन्धित व्यय मुख्यतः श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण, क्षतिपूर्ति, बीमा प्रीमियम आदि है।

(6) **बिक्रीत माल की संख्या के आधार पर** : पैकिंग आदि के व्ययों को विक्रीत माल की संख्या के आधार पर विभागों में विभाजित करना चाहिए।

(7) **कार्य के घण्टों के आधार पर** : कुछ व्ययों का विभाजन कार्य के घण्टों के आधार पर किया जाता है जैसे शक्ति पर व्यय।

(8) **क्रय के आधार पर** : ऐसे व्यय जो क्रय से सम्बन्धित होते हैं जैसे क्रय पर कमीशन, लेनदारों पर कटौती, क्रय पर गाड़ी भाड़ा, आदि को क्रय के आधार पर विभागों में विभाजित करते हैं।

(9) **शुद्ध लाभ के आधार पर** : जब आयकर का बॅटवारा विभिन्न विभागों में करना होता है तो उसे प्रत्येक विभाग के शुद्ध लाभ के अनुपात में बॉटा जाता है।

(10) **ह्रास** : ह्रास का बॅटवारा सम्बन्धित सम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(11) **अन्य व्ययों का विभाजन** : व्ययों जैसे बिजली व्यय का विभाजन प्रत्येक विभाग में लगे विद्युत मीटर में दिखायी हुई गणना के आधार पर किया जाना चाहिए, अन्य व्ययों को विभिन्न विभागों की परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यय के स्वभाव के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए।

6.5.2 सामान्य लाभ–हानि खाता :

विभागीय लेखांकन के अन्तर्गत सामान्य लाभ हानि खाता का प्रारूप निम्न प्रकार का होता है–

General Profit & Loss Account
(For the Year Ended 31 Dec. ....)

To General Expenses	....	By Gross Profit	
To Depreciation	....	Department - A	
To Stock Reserve (Transfer from Department)	....	Department - B	....
To Net Profit	....	Department - C	
	....		....

6.5.3 विभागीय आर्थिक चिट्ठा :

एक विभागीय संगठन का आर्थिक चिट्ठा उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार एक साधारण आर्थिक चिट्ठा बनता है। इस आर्थिक चिट्ठे में प्रत्येक विभाग के लिए कोई खाना नहीं होता है। अपितु पूरे व्यापार के सम्पत्तियों एवं दायित्वों को इसमें दिखाया जाता है। यदि प्रश्न में कुछ सम्पत्तियाँ या दायित्व विभागानुसार दिये गये हो तो उन्हें सम्बन्धित पक्ष के अन्दर कालम में लिखकर उनके योग को वाह्य कालम में ले जाना चाहिए।

आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप

(Balance Sheet as at......................)

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Bank Over Draft	....	Cash in hand	....
Bills Payable	....	Cash at Bank	....
Trade Creditors	....	Investment	....
Out Standing Expences	....	Debtors	....

Long Terms Loans	....	Bills Recivables	....
Reserve and Funds	....	Closing Stock	....
Capital		Closing Stores	....
....		Furniture	
+ Net Profit	....	Depreciation	....
....		Patterns and Patents	....
- Drawing		Copyrights	....
....		Live Stock	....
		Vehicles	
		Depriciation	....
		Plant and Machinery	....
		Depreciation	....
		....	....
		Land & Building	....
		Goodwill	....
		Income Accrued	
		Prepaid Expenses	
	....		....

6.6 अन्तर विभागीय हस्तान्तरण

जब किसी व्यापारिक फर्म में अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है तो यह स्वाभाविक ही है कि एक विभाग दूसरे विभाग से माल क्रय कर ले। इसे ही विभागीय हस्तान्तरण कहते हैं। यह हस्तान्तरण प्रायः लागत मूल्य पर होता है परन्तु इसे कभी–कभी विक्रय मूल्य पर भी किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में जिस विभाग को माल भेजा जाता है उसे हस्तान्तरण मूल्य से डेविट तथा भेजने वाले विभाग को क्रेडिट करते हैं। जब माल विक्रय मूल्य पर हस्तान्तरित होता है और उसमें से क्रय करने वाले विभाग के पास कुछ शेष स्टॉक शेष बच जाता है तो इसके लिए "अप्राप्त लाभ के रिजर्व खाता (Reserve for un realised profit A/c) बनाना होता है जो बिक्री करने वाले विभाग के लाभ से घटाकर बनाया जाता है।

अन्तर विभागीय हस्तान्तरण के अन्तर्गत माल के साथ ही साथ कभी सेवाओं का भी हस्तान्तरण एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकता है। ऐसे जब एक विभाग से मजदूरो, लिपिकों, तकनीकी व्यक्तियों आदि की सेवाएं दूसरे विभाग को हस्तान्तरित की जाती है तो जिस विभाग से ये सेवाएं हस्तान्तरित की जाती है उस विभाग का व्यापारिक एवं लाभ–हानि खाता क्रेडिट तथा सेवाएं लेने वाले विभाग का व्यापार एवं लाभ हानि खाता डेबिट किया जाता है।

6.7 अप्राप्त लाभ का संचय

जब व्यापारिक फर्म के एक विभाग से दूसरे विभाग को माल को हस्तान्तरित किया जाता है तों कभी–कभी इसके लागत मूल्य में लाभ जोड़कर हस्तान्तरित किया जाता है। इसका आशय यह है कि यदि हस्तान्तरित करने वाले

विभाग से सीधा बाजार मे इसे बेचा जाता, तो इस पर लाभ मिलता, उसी लाभ को जोड़कर इसे दूसरे विभाग में भेजते हैं। यदि दूसरा विभाग इसे अपने अन्य विभाग से न लेकर बाजार से क्रय करता तो भी उसे लागत में लाभ जुड़ा हुआ मूल्य देना पड़ता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक विभाग से लाभ पर माल दूसरे विभाग को हस्तान्तरित होता है तब जिस विभाग में यह माल जाता है उसमें जो अबिक्रीत अन्तिम रहतिया बचता है वह दो प्रकार का हो सकता है– अपने विभाग के माल का रहतिया तथा दूसरे विभाग से प्राप्त माल का रहतिया।

जब एक विभाग के अन्तिम रहतिये में ऐसा माल सम्मिलित है जो दूसरे विभाग से विक्रय मूल्य पर आया है तो इस रहतिये में से लाभ का भाग अलग करके एक संचय में रखा जाता है जिसे रहतिया संचय कहा जाता है। इस रहतिया संचय को सामान्य लाभ हानि खाते के डेविट पक्ष में लिखा जाता है। इसी संचय को अप्राप्त लाभ संचय भी कहा जाता है। इस संचय को निम्न प्रकार निकाल सकते हैं–

$$\text{रहतिया संचय} = \frac{\text{हस्तान्तरित करने वाले विभाग का सकल लाभ} \times \text{उसी विभाग से हस्तान्तरित रहतिया}}{\text{विभाग की बिक्री} + \text{हस्तान्तरित रहतिया}}$$

यदि आरम्भिक रहतिया भी बढ़ी कीमत पर है तो इस पर संचय गत वर्ष के लाभ के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है इसके बाद निम्न लेखा किया जाता है :

1. इस वर्ष के अन्तिम रहतिये का संचय इस वर्ष के प्रारम्भिक रहतिये के संचय से जितना अधिक होता है उसे लाभ हानि खाते के डेविट पक्ष में लिखा जाता है।
2. इस वर्ष के प्रारम्भिक रहतिये का संचय, इस वर्ष के अन्तिम रहतिये के संचय से जितना अधिक होता है उसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में ले जाया जाता है।

6.8 सारांश

जब कोई व्यवसायिक फर्म अपनी व्यापारिक क्रियाओं का संचालन विभिन्न विभागों के आधार पर करती है तो ऐसे विभागीय संगठन में लेखांकन की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जिससे सम्पूर्ण व्यवसाय के लाभ हानि का निर्धारण होने के साथ–साथ प्रत्येक विभाग के लाभ हानि का भी निर्धारण हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संगठनों में लेखांकन की जो विधि अपनायी जाती है उसे विभागीय खाते कहते हैं। विभगीय खातों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं–लाभ निर्धारण में सहायक, लाभ वृद्धि में सहायक, योग्य विभागीय प्रबन्धकों को पुरस्कृत करने में सहायक, कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक व नीति निर्धारण में सहायक।

6.9 शब्दावली

विभागः यदि व्यवसाय के विभिन्न विभाग एक ही छत के नीचे हैं अर्थात एक ही स्थान पर हैं तो इन्हें विभाग कहा जाता है ।

शाखाएंः यदि ये विभाग एक ही नगर के विभिन्न स्थानों, विभिन्न राज्यों या विदेशों में स्थित हो तो इन्हें शाखाएं कहा जाता है।

6.10 बोध प्रश्न

1. ....के अन्तर्गत फेरी वाले व्यापारी, साधारण दुकाने एवं बहुपरिमाण में व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे विभागीय भण्डार, बहुसंख्यक दुकानें या सुपर बाजार आते हैं।
2. फर्म के प्रत्येक .... के सकल व शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के लिए वर्ष के अन्त में विभागवार व्यापार खाता व लाभ/हानि खाता बनाया जाता है।
3. जब किसी व्यापारिक फर्म में अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है तो यह स्वाभाविक ही है कि एक विभाग दूसरे विभाग से माल क्रय कर ले। इसे ही .... कहते हैं।
4. जब एक विभाग के अन्तिम रहतिये में ऐसा माल सम्मिलित है जो दूसरे विभाग से विक्रय मूल्य पर आया है तो इस रहतिये में से लाभ का भाग अलग करके एक संचय में रखा जाता है जिसे .... कहा जाता है।

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. फुटकर व्यापार, 2. विभाग, 3. विभागीय हस्तान्तरण, 4. रहतिया संचय

6.12 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1 : विभागीय खातों से आप क्या समझते हैं? विभागीय लेखा विधि को समझाइये।

प्रश्न 2 : विभागीय लेखांकन से आपका क्या आशय है? विभाग एवं शाखा में अन्तर बताइये।

प्रश्न 3 : विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि बनाते समय अप्रत्यक्ष व्ययों का विभाजन के आधारों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 4 : विभागीय खातों का क्या आशय है? विभागीय लेखे तैयार करते समय अन्तर विभागीय हस्तान्तरणों का क्या व्यवहार होता है?

प्रश्न 5 : फैजाबाद विभाग स्टोर से सम्बन्धित सूचनाओं से आप 31 दिसम्बर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए–

	विभाग		
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	20000	50000	30000
क्रय (Purchase)	150000	160000	100000
मजदूरी (Wages)	10170	19850	10130
बिक्री (Sales)	250000	300000	150000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	40000	20000	50000

निम्न व्ययों को प्रत्येक विभाग में बिक्री के अनुपात में बॉटना है। वेतन (Salaries) Rs. 28000, किराया एवं कर (Rent and Taxes) Rs. 14000 कार्यालय व्यय (Office Expenses) Rs. 7000 और विविध व्यय (Sundry Expenses) Rs. 42000.

प्रत्येक विभाग के प्रबन्धक को अपने विभाग के लाभ पर 10 प्रतिशत कमीशन पाने का अधिकार है जो इस प्रकार का कमीशन चार्ज करने के बाद होता है।

प्रश्न 6 : रमेश ट्रेडिंग क0 अपना व्यापार 3 तीन विभागों (A, B, C) में करती है। 31 दिसम्बर 2016 को विभागों से सम्बन्धित सूचनाएं निम्न है–

	विभाग		
	A	**B**	**C**
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	10000	9000	12500
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	2000	3000	9000
क्रय (Purchase)	60000	70000	40000
बिक्री (Sales)	90000	110000	75000
मजदूरी (Wages)	3500	5000	4000
स्थान का अनुपात (Space Ratio)	3	2	4

अन्य व्यय इस प्रकार है।

1. किराया व कर (Rent & Taxes) Rs. 9000
2. विज्ञापन (Advertisement) Rs. 4500
3. दी गई छूट (Discount Allowed) Rs. 900
4. विविध व्यय (Sundry Expenses) Rs. 15000 (इन्हें तीनों विभागों में क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/6 के अनुपात में बॉटना है)
5. डूबत ऋण (Badebts) Rs. 1800
6. ह्रास (Depreciation) Rs. 3000 (प्रत्येक विभाग में समान रूप से बांटा जाना है।

उपर्युक्त सूचनाओं से आप विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाइये–

प्रश्न 7 : एक व्यवसाय A B C D और E विभाग में विभाजित है। 31 दिसम्बर 2016 को प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित निम्न विवरण है :

	विभाग				
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	12000	5000	4500	7500	9000
क्रय (Purchase)	90000	62500	17500	45000	70000
बिक्री (Sales)	125000	90000	16000	40000	100000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	11000	7500	6000	8500	10000

आरम्भिक एवं अन्तिम रहतियों का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है। ऐसे व्यय जिन्हें प्रत्येक विभाग द्वारा विक्रय किये गये माल की लागत के आधार पर बॉटना है निम्न है–

1. किराया व कर (Rent & Taxes) Rs. 2800
2. मजदूरी व वेतन (Wages & Salaries) Rs. 9800
3. कानूनी व्यय (Legal Expenses) Rs. 2100
4. अप्राप्तय ऋण (Bad debts) Rs. 1260
5. बीमा व्यय (Insurance Expenses) Rs. 1680
6. विविध व्यय (Sundry Expenses) Rs. 4200

अन्तिम परिणामों को ज्ञात करने के लिए आप विभागीय व्यापारिक लाभहानि खाता बनाइये तथा प्रत्येक विभाग की बिक्री तथ कुल बिक्री पर अन्तिम परिणामों के प्रतिशत की गणना भी कीजिए।

प्रश्न 8 : मि0 जोशी एक विभागीय स्टोर के स्वामी हैं जो A B C D E तथा F विभागों में बॅटा हुआ है। मि0 जोशी A B C विभाग का अनुमानित लाभ 30 जून 2016 को समाप्त हुए 6 माह के लिए पृथक–पृथक ज्ञात करना चाहते हैं। इस तिथि को इन तीनों विभागों के अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन सम्भव न था, किन्तु इन तीनों विभागों में सकल लाभ (प्रत्यक्ष व्ययों को बगैर ध्यान में रखे) इनकी विक्री का क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत होता है। अप्रत्यक्ष व्ययों का 1/4 भाग सभी 3 विभागों में समान रूप से बांटा जाता है तथा शेष विभागीय बिक्री के आधार पर बांटा जाता है। 30 जून 2016 को समाप्त हुए 6 माह की अवधि के लिए निम्न विवरण उपलब्ध है–

	विभाग		
	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	18000	22500	27000
बिक्री (Sales)	120000	135000	105000
क्रय (Purchase)	90000	67500	75000
प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses)	15000	18000	12000

सभी विभागों के अप्रत्यक्ष व्यय रू0 36000 थे तथा सभी विभागों की बिक्री रू0 750000 थी।

30 जून 2016 के अनुमानित रहतिये के मूल्य पर 10 प्रतिशत का स्टॉक संचय बनाते हुए विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाइये।

प्रश्न 9 : निम्न सूचनाएं एक व्यापारिक संस्था के A B और C विभागों से सम्बन्धित है–

	विभाग		
	A	B	C
आरम्भिक रहतिया (इकाई में)	6000	12500	14000

Opening Stock (In Units)			
क्रय (इकाइयों में) Purchase (In Units)	20000	30000	50000
विक्रय (Sales) (In Units)	19000	36000	57500

व्यापारिक संस्था ने अपने तीनों विभागों की गई खरीद पर कुल रू0 116000 व्यय किये थे (A-B और C विभागों में प्रति इकाई विक्रय कीमत क्रमशः 7 रू0 8 रू0 एवं 4 रू0 थी।

आप तीनों विभागों में सकल लाभ की दर समान मानते हुए विभागीय व्यापारिक खाता बनाइये।

प्रश्न 10 : महेश ट्रेडिंग कं0 अपना व्यापार तीन विभागों में करती है। 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विभाग A, विभाग B, एवं विभाग C से सम्बन्धित सूचनाएं निम्न है–

	विभाग		
	A	**B**	**C**
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	80000	120000	60000
क्रय (Purchase)	260000	380000	310000
बिक्री (Sales)	540000	580000	400000
क्रय वापसी (Purchase Return)	20000	40000	10000
बिक्री वापसी (Sales Return)	60000	20000	-
वेतन (Salaries)	60000	80000	40000
क्रय ढुलाई (Carriage Inward)	10000	16000	12000
मजदूरी (Wages)	40000	30000	36000
दी गई छूट (Discount Allowed)	4000	8000	6000
प्राप्त छूट (Discount Recieved)	12000	15000	21000
डूब ऋण (Bad Debts)	4000	10000	2000
अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	60000	140000	100000

अन्तर विभागीय हस्तान्तरण (लागत मूल्य पर) इस प्रकार है–

A से B रू0 6000

B से C रू0 6000

C से A रू0 12000

A से C रू0 10000

B से A रू0 8000

C से B रू0 2000

अन्य व्यय इस प्रकार है–

1. विज्ञापन (Advertisement) रू0 36000
2. किराया कर (Rent & Taxes) रू0 60000 (स्थान के अनुपात में A विभाग 1/2 B - 1/10 तथा C विभाग 1/5)
3. बीमा (Insurance) रू0 6000 $\left(\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{6}\right)$ में
4. विविध (Sundry Expenses) रू0 24000 (1:1:1 में)

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर आप महेश ट्रेडिंग कं0 का विभागीय आधार पर व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता बनाइये।

प्रश्न 11 : A B क0 की पुस्तकों से 31 दिसम्बर 2016 को लिए गये निम्न शेषों से विभागीय व्यापारिक, लाभ हानि खाता तथा सामान्य लाभ हानि खाता बनाइये।

	विभाग	
	A	B
	Rs.	Rs.
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	65000	40000
क्रय (Purchase)	175000	100000
निर्माणी व्यय (Manufacturing Expenses)	11000	4000
बिक्री (Sales)	255000	140000
बिक्री व्यय (Selling Expenses)	3000	1000
वेतन (Salaries)	9000	4000
बीमा (Insurance)	2000	500
विविध व्यय (Sundry Expenses)	4000	1500
अन्तिम रहतिया	75000	30000

अन्य सूचनाएं इस प्रकार है–

1. एक विभाग से दूसरे विभाग को माल का हस्तान्तरण विक्रय मूल्य पर होता है। वर्ष में A विभाग ने B विभाग से 35000 रू0 का माल तथा B विभाग ने A विभाग से 25000 रू0 का माल क्रय किया।
2. A विभाग के अन्तिम रहतिये में 30 प्रतिशत वह माल मिला हुआ है जिसे A विभाग ने B विभाग से क्रय किया था। इसी प्रकार से B विभाग के अन्तिम रहतिये में 40 प्रतिशत वह माल मिला हुआ है जिसे B ने A विभाग से क्रय किया था।
3. A और B विभाग के आरम्भिक रहतिये में 7500 रू0 और 5000 रू0 का वह माल शामिल है जो क्रमशः B तथा A विभाग से प्राप्त किया गया था।
4. A विभाग द्वारा B विभाग के लिए की गई सेवा के 1000 रू0 निर्माणी व्यय में सम्मिलित है।
5. अन्य व्यय – आयकर रू0 12500, कानूनी व्यय रू0 6000 तथा सामान्य व्यय रू0 19000 है।
6. सामान्य प्रबन्धक को उस लाभ पर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है जो कमीशन घटाने के पूर्व होता है।

7. सकल लाभ की दर प्रतिवर्ष समान है।

प्रश्न 12 : निम्न तलपट से 31 दिसम्बर 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विभागीय व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइये

आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	A विभाग	रू0 34000
	B विभाग	रू0 29000
क्रय (Purchase)	A विभाग	रू0 70800
	B विभाग	रू0 60400
बिक्री (Sales)	A विभाग	रू0 121600
	B विभाग	रू0 102500
मजदूरी (Wages)	A विभाग	रू0 16400
	B विभाग	रू0 5400
किराया कर व बीमा (Rent Rales Taxes & Insurance)		रू0 18780
विविध व्यय (Sundry Expenses)		रू0 7200
वेतन (Salaries)		रू0 6000
गर्मी एव प्रकाश (Light & Heating)		रू0 4200
छुट्टी (Discount Allowed)		रू0 4440
छूट प्राप्त की (Discount Received)		रू0 1300
विज्ञापन (Adverstising)		रू0 7360
क्रय ढुलाई (Carriage Inward)		रू0 4680
फर्नीचर (Furniture)		रू0 6000
प्लाण्ट मशीनरी (Plant & Machinery)		रू0 42000
विविध देनदार (Sundry Debtors)		रू0 12120
विविध लेनदार (Sundry Creditors)		रू0 37200
A विभाग की पूँजी (A's Capital)		रू0 95320
A विभाग का आहरण (A's Drawing)		रू0 9000
हस्तगत रोकड़ (Cash in Hand)		रू0 340
बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)		रू0 19800

अतिरिक्त निम्न सूचनाएं भी उपलब्ध है–

1. A विभाग से B विभाग को माल का आन्तरिक हस्तान्तरण 840 रू0 का है।
2. किराया, कर दर, बीमा, विविध व्यय, प्रकाश, वेतन और क्रय ढुलाई को A और B में 2 : 1 अनुपात में बॉटना है।
3. विज्ञापन व्यय को समान रूप से बॉटना है।
4. देय छूट तथा प्राप्त छूट को विभागीय विक्रय एवं क्रय के अनुपात में बॉटना है।

5. फर्नीचर तथा मशीन पर ह्रास की दर 10 प्रतिशत है जिसे AB 3 : 1 में विभाजित करेंगे।

6. B विभाग द्वारा A विभाग के लिए की गई सेवा के 1000 रू0 मजदूरी में शामिल है।

7. 31 दिसम्बर 2015 को रहतिया इस प्रकार था A विभाग रू0 33480 और B विभाग रू0 24100

6.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मित्तल– आर0के0 एवं बंसल, एम0आर0 वित्तीय लेखांकन, वी0के0 ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, 2012–13
2. शुक्ला एस0एम0, वित्तीय लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. सिंह एस0के0 एवं मिश्रा ए0के0, वित्तीय लेखांकन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा।
4. त्रिपाठी, बोस, अंसारी एवं चन्द्र, एडवांस्ड एकाउन्ट्स, एस0जे0 पब्लिकेशन्स मेरठ, 1982
5. प्रकाश जगदीश, वर्मा, डी0के0 उच्चतर लेखांकन, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2000
6. अग्रवाल, आर0सी0 एवं कोठारी एन0एस0 विपणन के सिद्धान्त, एस.वी.पी. डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा, 2013–14
7. अष्थाना, पदमाकर : व्यावसायिक संगठन प्रबन्ध एवं प्रशासन साहित्य भवन, आगरा, 1991
8. Shukla S.M., Practical problems in Advanced Accounts Sahitya Bhawan Publications, Agra.
9. Gupta R.L., Radhaswamy. M. Advanced Accountancy Sultan Chand & Sons. 1992.
10. Sehgal Ashok fundamentals of financial Accounting Taxmann Publications (P) Ltd. 2011.
11. Tulsian P.C. Financial accounting, Pearson Dorling Kindersley India, 2012
12. Shukla M.C., Crewal T.S. Advanced Accounts - S. Chand & Co. Ltd. New Delhi, 1978.

इकाई –7 बीमा दावे (Insurance Claims)

इकाई की रूपरेखा :

7.1 प्रस्तावना
7.2 बीमा की विशेषताएं
7.3 बीमा दावे
7.4 बीमा दावे की गणना
7.4.1 रहतिये की क्षति के लिए दावा
7.4.2 स्थायी सम्पत्तियों की क्षति के सन्दर्भ में दावा
7.4.3 लाभ की हानि/परिणामी हानि या अनुवर्ती हानि का दावा
7.5 सारांश
7.6 शब्दावली
7.7 बोध प्रश्न
7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
7.9 स्वपरख प्रश्न
7.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- व्यापारिक जोखिम क्या–क्या है, का वर्णन कर सकें।
- जोखिमों में कमी करने या बचने के उपाय क्या है, को समझ सकें।
- व्यवसाय में बीमा का योगदान क्या है, को समझ सकें।
- बीमा दावे क्या है, का वर्णन कर सकें।
- बीमा दावों का निपटारा कैसे किया जाता है, का वर्णन कर सकें।

7.1 प्रस्तावना

व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन अब उनके जोखिमों से भरा है। कभी भी किसी दुर्घटना से व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है, घर में चोरी हो सकती है। व्यापारिक प्रतिष्ठान में आग लग सकती है, माल से भरा समुद्री जहाज लूटा जा सकता है या उसमें आग लग सकती है, आदि ऐसे जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही बीमा व्यवसाय का विकास हुआ। बीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनियॉ इन दुर्घटनाओं को रोक तो नहीं पाती है किन्तु इन दुर्घटनाओं से व्यक्ति या व्यवसाय को होने वाली हानि को कम अवश्य कर देती है। बीमा कम्पनियॉ एक निश्चित द्राव्यिक भुगतान के बदल अपने ग्राहकों की ओर से हानि को सहन करने और जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा कम्पनियाँ अपना व्यवसाय बीमा प्रसंविदा के आधार पर करती है। यह प्रसंविदा दो पक्षों के बीच होता है– (1) बीमा कम्पनी अर्थात बीमाकर्ता (2) बीमा कराने वाला या बीमा पॉलिसी लेने वाला अर्थात बीमादार।

चूँकि हमें व्यापारिक जोखिमों को कम करने के सन्दर्भ में बीमा प्रसंविदा करना होता है। अतः हमें सामान्य बीमा के बारे में अध्ययन करना होगा। व्यवसायी अपने व्यवसाय की चल अचल सम्पत्तियों को अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकम्प, चोरी आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए जो बीमा

करवाता है वह सामान्य बीमा कहा जाता है। इसके अन्तर्गत अग्निबीमा, समुद्री बीमा, दुर्घटना बीमा आदि आते हैं।

7.2 बीमा की विशेषताएं

1. बीमा अनुबन्ध में दो पक्षकार होते हैं– बीमादार और बीमादाता।
2. बीमादाता बीमादार को एक निश्चित प्रीमियम के बदले में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का बचन देता है।
3. बीमा अनुबन्ध दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सद्भावना पर आधारित जोखिमों से सुरक्षा पाने का एक साधन है।
4. बीमा सम्भाविता एवं सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित है।
5. बीमित विषय में बीमा कराने वाले का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है।
6. बीमादाता द्वारा उसी आर्थिक जोखिमों से उत्पन्न क्षति की पूर्ति की जाती है जिसे मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जा सकता हो।

7.3 बीमा दावे (Insurance Claims)

विभिन्न प्रकार की जोखिमों के आधार पर सामान्य बीमें को निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं–

1. अग्नि बीमा
2. समुद्री बीमा
3. दुर्घटना बीमा
4. अन्य बीमा

इस इकाई के अध्ययन में हम अग्नि बीमा से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि सामान्य बीमा के अन्तर्गत जिस जिस जोखिमों का बीमा होता है उन सभी में प्रक्रियाएं एक समान ही होती है।

किसी घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति राशि या दावा की बात उठती है जिस जोखिम के लिए बीमा कराया जाता है उस जोखिम से हानि हो जाने पर बीमा पात्र बीमा कम्पनी पर हानि की पूर्ति के लिए दावा करता है। इसे बीमा पात्रों के अन्तर्गत दावा (Claims) कहते हैं। यदि सम्बन्धित घटना नहीं घटती है और बीमा पात्र को कोई क्षति नहीं होती है तो बीमा पत्र दावे का रूप नहीं लेता है। अग्नि बीमा के सम्बन्ध में सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अग्नि बीमा एक अनुबन्ध है जिसमें बीमादार बीमा कम्पनी को एक निश्चित प्रीमियम देता है और इस प्रतिफल के बदले में बीमा कम्पनी इस बात का वचन देती है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर बीमित विषय के अग्नि के द्वारा नष्ट होने पर बीमादार को एक निश्चित सीमा तक क्षतिपूर्ति देगी। अग्नि बीमा प्रायः कारखानों, गोदामों, दुकानों, निवास स्थानों, सिनेमाघरों आदि का करा लिया जाता है। अग्नि बीमा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बीमा योग्य हित बीमा पात्र लेते समय और दावा करते समय होना चाहिए। क्षति पूर्ति प्राप्त करने के लिए बीमादार को यह प्रमाणित करना होगा कि बीमित वस्तु आग लगने के कारण ही नष्ट हुई। यदि ऐसा प्रमाणित नहीं हो पाया तो बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्नि के द्वारा होने वाली हानियाँ निम्न हो सकती है।

1. रहतियॉ की हानि
2. स्थायी सम्पत्तियों (भवन, मशीन, फर्नीचर) आदि की हानि
3. लाभों की हानि

7.4 बीमा दावे की गणना

प्रत्येक प्रकार की हानि का अलग–अलग बीमा कराना होता है और उसका प्रीमियम भी अलग–अलग देना होता है। प्रदत्त प्रीमियम की राशि को व्यवसाय के लाभ हानि खाते के डेविट खाते में प्रभारित किया जाता है। अग्नि के कारण हुई क्षति के लिए बीमा कम्पनी पर दावा किया जाता है जिसे बीमा दावा कहते हैं। अलग–अलग प्रकार की हानियों के सम्बन्ध में बीमा दावो के निर्धारण की विधियाँ भी भिन्न होती है।

7.4.1 रहतिये की क्षति के लिए दावाः–

रहतिया से तात्पर्य कच्चा माल, चालू दशा में अर्ध निर्मित माल, तथा निर्मित माल। जब अग्नि के कारण रहतिये की हानि होती है तो इसे अग्नि दुर्घटना के कारण रहतिये की हानि कहा जाता है। सामान्यतः व्यापारी आग से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए स्टाक का अग्नि बीमा करा लेते हें। अग्नि बीमा अनुबन्ध वार्षिक होता है। अग्नि के कारण रहतिये की जो हानि होती है उसकी पूर्ति वास्तविक हानि की राशि तक ही सीमित होती है।

अग्नि के कारण रहतिये की हानि का दावा करते समय निम्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं–

- अग्नि दुर्घटना के समय संस्था के पास रहतिया कितना था?
- अग्नि के कारण कितना रहतिया नष्ट हुआ?
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कितना रहतिया सुरक्षित बचा लिया गया?
- रहतिये की हानि के लिए कितनी राशि का दावा किया जा सकता है?

अतः अग्नि के कारण रहतिये की क्षति के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करने के लिए निम्न प्रक्रियाएं की जानी चाहिए–

(1) **रहतिये का मूल्य निकालना :** सामान्यतः रहतियों का मूल्यांकन निम्न विधियों से होता है।

A. विवरण विधि : इस विधि के अनुसार प्रारम्भिक एवं अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है।

	Rs.	**Rs.**
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	....	
+ क्रय (Purchase)	....	
– क्रय वापसी (Purchase Returnes)	....	....
+ प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses)	....	....
योग (Total)	....	....
– विक्रीत माल की लागत[1] (Cost of Goods Sold)	....	....
¾ अन्तिम रहतिया (Closing stock)	....	....

1. विक्रीत माल की लागत = बिक्री – सकल लाभ

उपर्युक्त विवरण का विपरीत क्रम में रखने पर आरम्भिक रहतिया निकाला जा सकता है।

B. स्मारक व्यापारिक खाता विधि : वित्तीय विवरणों के अन्तर्गत जिस प्रकार से व्यापारिक खाता बनाया जाता है उसी प्रकार से स्मारक व्यापारिक खाता भी बनाया जाता है इसका प्रारूप निम्नवत है–

	Rs.		Rs.
आरम्भिक स्टॉक .... क्रय वापसी .... मजदूरी अन्य प्रत्यक्ष व्यय सकल लाभ	....	बिक्री ... . बिक्री वापसी ... . अन्तिम स्टाक	....
	....		....

2. **अग्नि के कारण नष्ट हुए रहतिया का मूल्यांकन** : जब रहतिया सम्बन्धी लेखा बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में रहतिया का मूल्यांकन सरल होता है। अग्नि के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

	Rs.	**Rs.**
(A) आरम्भिक स्टॉक (Opening Stock)	....	....
(B) क्रय (Purchase)	....	
– क्रय वापसी (Purchase Returnes)	....	....
योग		....
(C) विक्रीत माल की लागत अग्नि दुर्घटना के समय तक (Cost of Goods sold to The date of Fire)		....
(D) अग्नि दुर्घटना के दिन तक का रहतिया (Value of Stock on The Date of fire)		....
– शेष बचा रहतिया (Remaining Balance Stock)		
अग्नि के कारण नष्ट रहतिया (Value of Stock Lost on account of Fire)		....

जब रहतिया सम्बन्धी लेखा न रखा गया हो तो अग्नि दुर्घटना के समय रहतिया का मूल्य सही–सही ज्ञात करना कठिन होता है तो ऐसी दशा में रहतिया का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा सकता है–

वर्ष के आरम्भ से अग्नि दुर्घटना की तिथि तक का स्मरण व्यापारिक खाता बनाया जाता है। इसकेलिए वर्ष का आरम्भिक रहतिया, अग्नि दुर्घटना के समय तक का क्रय, अग्नि दुर्घटना के समय तक का विक्रय, आहरण, प्रत्यक्ष व्यय आदि को सम्बन्धित बहियों से ज्ञात किया जाता है। फिर सकल लाभ की राशि की गणना पिछले वर्ष की सकल लाभ की दर के आधार पर की जाती है यदि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लागत या विक्रय मूल्य में परिवर्तन होने के कारण

सकल लाभ की दर में परिवर्तन कीसम्भावना हो तो गत वर्ष की सकल लाभ की दर को समायोजित करके चालू वर्ष की लाभ की दर ज्ञात की जाती है। इसी समायोजित दर के आधार पर रहतिया का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात स्मरण व्यापारिक खाते से अन्तिम रहतिया को ज्ञात किया जाना चाहिए।

3. **बचाये गये रहतिया का मूल्यांकन** : अग्नि दुर्घटना के बाद कभी–कभी कुछ रहतिया या माल पूर्णतया सुरक्षित बच जाता है और कुछ रहतिया या माल आंशिक रूप से नष्ट हो जाता है। आंशिक रूप से हुए नष्ट माल को परिमार्जित कर कुछ माल या रहतिया को पुनः बिक्री योग्य बना लिया जाता है उपर्युक्त दोनों माल या रहतिया (अग्नि दुर्घटना के समय बचा सुरक्षित माल या रहतिया + परिमार्जित माल या रहतिया) को निस्तारण माल (Salvaged Stock) कहा जाता है। अग्नि दुर्घटना बीमा दावा प्रस्तुत करने के लिए बचाये गये रहतिया का मूल्यांकन आवश्यक होता है।

4. **रहतिया की वास्तविक हानि का आगणन** : अग्नि दुर्घटना की तिथि पर व्यापारिक फर्म में उपलब्ध रहतिया के मूल्य में से बचाये गये रहतिये के मूल्य को घटा देने से अग्नि दुर्घटना के कारण हुई वास्तविक क्षति का आकलन होगा। इसे निम्न प्रकार आगणित किया जा सकता है– अग्नि दुर्घटना के कारण रहतिये की क्षति ¾ अग्नि दुर्घटना की तिथि तक वास्तविक रहतिया – (ऋण) शेष बचाये गये माल का मूल्य।

5. **बीमा दावे की गणना** : दुर्घटना के फलस्वरूप हुई हानि के लिए बीमा कम्पनी से क्षति पूर्ति की मॉग की जाने वाली राशि की गणना के लिए निम्नलिखित बातों पर गौर करना होगा–

- क्या फर्म के सम्पूर्ण रहतिये के मूल्य का बीमा कराया गया है?
- क्या फर्म के सम्पूर्ण रहतिये के आंशिक मूल्य का बीमा कराया गया है?
- क्या अग्नि दुर्घटना के कारण फर्म का सम्पूर्ण रहतिया नष्ट हो गया है?
- क्या अग्नि दुर्घटना के कारण रहतिये की आंशिक क्षति हुई है?

यदि फर्म के रहतिये के सम्पूर्ण मूल्य का बीमा कराया गया है तो रहतिया के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर बीमा दावे की राशि वास्तविक रहतिये के क्षति की राशि के बराबर होगी और यदि दुर्घटना के फलस्वरूप रहतिया अंशतः नष्ट हुआ है तो दावे की राशि वास्तविक हानि के बराबर होगी। उल्लेखनीय है कि यदि बीमा रहतिये की सम्पूर्ण राशि के अधिक मूल्य का कराया गया है तो भी क्षति होने की दशा में बीमा कम्पनी केवल वास्तविक हानि के बराबर ही क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

यदि जब फर्म के सम्पूर्ण रहतिये के आंशिक मूल्य का बीमा कराया गया हो अर्थात जब रहतिये को पूर्ण मूल्य का बीमा न कराया गया हो तो इसे रहतिये के आंशिक मूल्य का बीमा कहा जायेगा। इस प्रकार के बीमा के अन्तर्गत यह व्यवस्था रहती है कि हानि होनेकी दशा में बीमा कम्पनी आंशिक क्षतिपूर्ति ही करेगी और शेष हानि को फर्म को स्वयं वहन करना होगा। रहतिया के आंशिक मूल्य का बीमा रहने की स्थिति में बीमा दावे की राशि बीमा पॉलिसी की प्रकृति पर निर्भर करेगी जो निम्न प्रकार है–

- **बिना औसत वाक्य के बीमा पॉलिसी–** इस प्रकार के बीमें में दावे की राशि वास्तविक हानि या बीमित रहतिया का मूल्य जो दोनों में कम हो के बराबर होगी।
  - औसत वाक्य के आधार पर– सामान्यतः बीमा कम्पनियॉ प्रसंविदा करते समय औसत वाक्य का उल्लेख कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रसंविदा के पक्षकार दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति को आनुपातिक रूप में वहन करेगी। औसत वाक्य के बीमा दावे की राशि की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
- कुल क्लेम ¾ नष्ट हुए रहतिये का मूल्य x बीमा पालिसी की राशि
  बीमा योग्य राशि अर्थात अग्नि दुर्घटना के दिन कुल रहतिया का मूल्य

उदाहरण : 1 एक फर्म जो अपने वित्तीय विवरणों को वित्तीय वर्ष के अनुसार बनाती है में 1 अक्टूबर 2016 को आग लग गई। 1 अप्रैल 2016 को आरम्भिक रहतिया 75000 रू0 का था। आग लगने की तिथि तक 150000 रू0 का माल क्रय किया गया था। सकल लाभ की दर बिक्री पर 25 प्रतिशत है। आग लगने की तारीख तक बिक्री 250000 रू0 की थी। उपर्युक्त विवरण से आग वाले दिन के रहतिये का मूल्यांकन कीजिए।

हल :

Memorandum Trading Account
up to date of Fire i.e. 1st Oct. 2016

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	75000	By Sales	250000
To Purchase	150000	By Closing Stock (Balancing Figure)	37500[1]
To Gross Profit (Being 25% of Sales)	62500		
	287500		**287500**

1= अग्नि के दिन रहतिये का मूल्य

उदाहरण 2 : एक फर्म जो अपना लेखा कैलेण्डर वर्ष के अनुसार रखती है के व्यापारिक प्रतिष्ठान में 28 फरवरी को आग लग गई जिससे रहतिया का बड़ा भाग जो जनवरी 2016 को पुस्तकों में रू0 240000 अंकित था नष्ट होगया। बचा लिये रहतिया का मूल्य 54000 था। विक्रय पर सकल लाभ 30 प्रतिशत था और 1 जनवरी से आग लगाने की तिथि तक बिक्री 612000 रू0 थी, जबकि उसी अवधि के लिए क्रय 434000 रू0 का था। बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किये जाने वाले दावे का विवरण तैयार कीजिए।

हल :

Memorandum Trading Account
For the date Period From 1 Jan. to 28 February

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	240000	By Sales	612000
To Purchase	434000	By Closing Stock (Balancing Figure)	245600
To Gross Profit (Being 30% of Sales)	183600		

	857600		**857600**

Statement of Claim :

Estimated Stock on 28 Feb.	Rs. 245600
Less : Stock Salvaged	54000
Amount Claim	191600

उदाहरण 3 : राजकुमार ट्रेडिंग कम्पनी अपने वार्षिक खाते कैलेण्डर वर्ष के अनुसार बनाती है सकल लाभ का बिक्री पर प्रतिशत सदैव समान रहता है। 30 अप्रैल 2016 को रहतिया अंशतः आग लगने से नष्ट हो गया। बहियों से निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई :

रहतिया लागत पर	रू0
31 दिसम्बर 2014	2700
31 दिसम्बर 2015	6600
क्रय 2015 में	67530
विक्रय 2015 में	90900
क्रय–जनवरी– अप्रैल 2016 में	25050
विक्रय जनवरी–अप्रैल 2016 में	31200

नष्ट हुए रहतिया का मूल्य निकालिये।

हल :

Memorandum Trading Account
(For the Period upto 30th April 2016)

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	6600	By Sales	31200
To Purchase	25050	By Stock Destroyed	9810[3]
To Gross Profit	9360[1]		
	41010		**41010**

Trading Account
(For the year Ended 31th Dec. 2015)

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	2700	By Sales	90900
To Purchase	67530	By Stock Stock	6600
To Gross Profit	27270[2]		
	97500		**97500**

Rate of Gross Profit on Sales = $\frac{27270}{90900} x100 = 30\%$

1. Gross Profit = $\frac{31200x30}{100} = 9360$
2. This is Balancing Amount
3. This is Balancing Amount

उदाहरण 4 : निम्नलिखित विवरण से आप श्याम क0लि0 के दावे का विवरण तैयार कीजिए जिनका व्यापारिक प्रतिष्ठान आंशिक रूप से 31 मार्च 2016

को अग्नि द्वारा नष्ट हो गया जबकि वे अपने खाते प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को तैयार करते हैं।

	रू0
रहतिया 31 दिसम्बर 2015 को	136000
क्रय 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 16 तक	320000
मजदूरी 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 16 तक	120000
विक्रय 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 16 तक	600000

औसत सकल लाभ लागत का 25 प्रतिशत है। बचे हुए रहतिये का मूल्य 44000 रू0 था, बीमित रकम 32000 रू0 थी। दावे के लिए औसत वाक्य का प्रयोग किया जाता है।

निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध है :

1. क्रय में रू0 32000 का प्लाण्ट क्रय भी सम्मिलित है।
2. आरम्भिक रहतिया की गणना लागत से 15 प्रतिशत कम पर की गई है।

रहतिये में हुई हानि के दावे की रकम ज्ञात कीजिए।

हल :

Memorandum Trading Account
(For the Period Ended 31st March 2016)

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	160000[1]	By Sales	600000
To Purchase 3200 Cost of Plant 320	288000	By Stock Destroyed (Balancing figure)	88000
To Wages	120000		
To Gross Profit (25% onCost or 20% on Sales)	120000[2]		
	688000		**688000**

I. Loss of Stock

Estimated stock on the Date of Fire	Rs. 88000
Less : Stock Salvaged	Rs. 44000
Loss of Stock	Rs. 44000

II. Claim on the Basis of Average Caluse :

Claim = Amount of Policy x Actual Loss / Value of Stock

Claim = $\frac{32000x44000}{88000} = Rs.16000$

Working Notes-

1. Value of opening Stock = $\frac{136000x100}{85} = 160000$
2. Gross Profit 25% on Cost $\frac{600000x25}{125} = Rs.120000$ i.e. 20% on sales.

7.4.2 स्थायी सम्पत्तियों की क्षति के सन्दर्भ में दावा : व्यावसायिक फर्मों में प्रयुक्त स्थायी सम्पत्तियों जैसे प्लाण्ट मशीनरी, फर्नीचर, भवन आदि का बीमा भी

प्रायः फर्में करवाती है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि इन स्थायी सम्पत्तियों के पुस्तक मूल्य के आधार ही इनका बीमा प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। अतः अग्नि या अन्य दुर्घटना, चोरी आदि कारणों से यदि ये सम्पत्तिया नष्ट हो जाती है तो इनके पुस्तकीय मूल्य से ह्रास की रकम घटाकर दावे की गणना की जाती है।

7.4.3 लाभ की हानि/परिणामी हानि या अनुवर्ती हानि का दावा :

अग्नि दुर्घटना के फलस्वरूप रहतिया तथा स्थायी सम्पत्तियों आदि की हानि तो होती ही है साथ ही व्यवसाय की कार्य की स्थिति भी कुछ समय के लिए अव्यवस्थित हो जाती है फलस्वरूप व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता में कमी आ जाती है। चूँकि सामान्य बीमा पॉलिसी केवल मूर्त सम्पत्तियों की हानि की क्षति पूर्ति का प्रसंविदा करती है। अतः अग्नि दुर्घटना के कारण व्यवसायिक क्रिया कलापों को सामान्य स्थिति तक आने में होने वाले लाभ में कमी को जिसको लाभ की क्षति या परिणामी हानि या अनुवर्ती हानि कहा जाता है के सन्दर्भ में व्यवसायिक संस्था अलग से पॉलिसी करा सकती है। यह पॉलिसी निम्न हानियों के सम्बन्धी में ली जा सकती है।–

- व्यवसाय बन्द रहने के कारण इस अवधि में होने वाले लाभ की क्षति के लिए।
- व्यवसाय बन्द रहने के दौरान पुर्नस्थापन सम्बन्धी होने वाले स्थायी व्ययों के लिए।
- अतिरिक्त संचालन व्यय जैसे अस्थायी रूप से लिये गये कमरे आदि के किराये की राशि के लिए।
- व्यवसाय को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए किये गये अतिरिक्त व्ययों के लिए।

व्यवसायी अपने व्यवसाय भी पूर्ण सुरक्षा के लिए इस प्रकार की होने वाले क्षतियों के लिए बीमा कराते हैं।

लाभ की हानि पालिसी के अन्तर्गत बीमा दावा का गणना : इस प्रकार की पॉलिसी लेने वाले व्यवसायी को हुई क्षति के लिए दावा प्राप्त करने के लिए अव्यवस्था की अवधि की बिक्री ज्ञात करनी होगी। बीमा कम्पनी बीमित पक्षकार को कम बिक्री के कारण लाभों में होने वाली कमी के बराबर क्षतिपूर्ति करती है अन्य लाभों की हानियों के सम्बन्ध में चालू व्ययों का समायोजन करने के बाद बीमा कम्पनी क्षति की पूर्ति करती है।

अव्यवस्था की स्थिति में लाभ की हानि के दावे की राशि ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रियाएं की जानी चाहिए–

- **क्षतिपूर्ति की अवधि ज्ञात करना** : क्षतिपूर्ति की अवधि का आशय अग्नि दुर्घटना की तारीख से 12 महीने की अवधि। यदि आग से होने वाली क्षति इस अवधि से कम समय में ही पूर्ण हो जाती है और व्यवसाय पूर्व की भॉति सामान्य रूप में चलने लगता है तो कम अवधि ही क्षतिपूर्ति की अवधि कही जायेगी परन्तु यह अवधि किसी भी दशा में 12 माह से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति की अवधि पॉलिसी की अवधि के अन्दर प्रारम्भ हो जानी चाहिए। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति की अवधि अग्नि दुर्घटना से प्रारम्भ होती है और अधिक से अधिक एक वर्ष की ही होती है।

जैसे यदि लाभ की हानि की पॉलिसी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के लिए है और आग 2 जनवरी 2017 को लगती है तो यह क्षतिपूर्ति

की अवधि नहीं मानी जायेगी। परन्तु यदि आग 10 अक्टूबर 2016 को लगती है तो क्षतिपूर्ति की अवधि 10 अक्टूबर 2016 से 09 अक्टूबर 2017 तक हो सकती है।

- **सकल लाभ का अनुपात ज्ञात करना** : दुर्घटना के फलस्वरूप व्यवसाय को हुई हानि की राशि ज्ञात करने के लिए दुर्घटना के पूर्व लेखांकन वर्ष की कुल बिक्री, शुद्ध लाभ तथा बीमित स्थायी व्ययों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार आगणित करेंगे–

1. जब शुद्ध लाभ दिया हो–

सकल लाभ की दर ¾ गत वर्ष के शुद्ध लाभ + गत वर्ष के बीमित स्थायी व्यय x 100
गत वर्ष की कुल बिक्री

2. जब शुद्ध हानि हो–

सकल लाभ की दर ¾ गत वर्ष के बीमित स्थायी व्यय – गत वर्ष के शुद्ध हानि x 100
गत वर्ष की कुल बिक्री

यदि चालू वर्ष अर्थात अग्नि दुर्घटना के वर्ष में व्यवसाय में होने वाले लाभ में वृद्धि की सम्भावना हो तो उपर्युक्त विधि से सकल लाभ की दर का आगणन कर उसमें सम्भावित लाभ वृद्धि की दर को जोड़ देना चाहिए।

- **विक्रय में होने वाली कमी की गणना** : अग्नि दुर्घटना के कारण व्यवसाय के संचालन में बाधा आ जाती है जिसके फलस्वरूप विक्रय कम हो जाता है। विक्रय में होने वाली कमी को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है।

I. क्षति पूर्ति अवधि में हुई बिक्री की राशि

II प्रमाप बिक्री (क्षति पूर्ति वाली अवधि की बिक्री की तुलना इसके पूर्व वाले वर्ष में इसी अवधि की बिक्री से की जाती है। आग लगने वाले वर्ष के पूर्व वाले वर्ष में जो बिक्री उस अवधि में होती है जो अवधि इस वर्ष की क्षतिपूर्ति अवधि है तो इस पूर्व वाली अवधि बिक्री को प्रमाप बिक्री कहा जाता है।

III. यदि चालू वर्ष में विक्रय में वृद्धि या कमी की सम्भावना हो तो पिछले वर्ष की बिक्री को समायोजित करना होगा।

IV समायोजित बिक्री की राशि के आधार पर बिक्री में कमी की राशि ज्ञात की जानी चाहिए।

विक्रय में कमी की गणना का सूत्र–

कम बिक्री ¾ प्रमाप बिक्री – क्षति पूर्ति की अवधि में बिक्री

- **विक्रय में कमी पर लाभ की हानि की गणना** : आग लगने के कारण होने वाली कम बिक्री की गणना की जाती है, पुनः आग लगने के पहले वाले वर्ष के सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है (पूर्व में वर्णित है) तदुपरान्त कम बिक्री की राशि में उपर्युक्त आगणित सकल लाभ की दर का गुणा करके लाभ की हानि की राशि ज्ञात करते हैं। इसे निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं–

लाभ की हानि ¾ कम बिक्री x सकल लाभ की दर
100,

- **कार्य करने की अतिरिक्त लागत निकालना** : अग्नि दुर्घटना के बाद व्यवसायी को व्यापार संचालित करने के लिए कुछ अन्य अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। जैसे व्यवसाय के भवन की रंगाई पुताई, फर्नीचर फिक्शर्स भी मरम्मत आदि। इन अतिरिक्त व्ययों के लिए भी बीमा कम्पनी से दावें किये जा सकते हैं

और बीमा कम्पनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इन व्ययों का भुगतान भी करती है। दावे की रकम में अतिरिक्त संचालन व्ययों से सम्बन्धित निम्नलिखित राशियों में से जो सबसे कम होगी जोड़ी जायेगी।

1. अतिरिक्त व्यय की वास्तविक धनराशि
2. अतिरिक्त व्यय के कारण क्षतिपूर्ति अवधि की वास्तविक बिक्री पर सकल लाभ की दर से गणना की गई राशि तथा
3. निम्न प्रकार आगणित की धनराशि (यदि सम्पूर्ण स्थायी व्यय बीमित न हो)

$$\text{अतिरिक्त संचालन व्यय} \times \frac{\text{शुद्ध लाभ x बीमित स्थायी व्यय}}{\text{शुद्ध लाभ + कुल स्थायी व्यय}}$$

- **व्ययों में बचत** : यदि अग्नि दुर्घटना के बाद व्यवसाय संचालन में किन्हीं स्थायी व्ययों में बचत हो तो दावे की राशि का आगणन करते समय इसे लाभ की हानि की धनराशि से इसे घटा दिया जाना चाहिए।
- **औसत वाक्य** : यदि व्यवसायी ने फर्म में होने वाले सामान्य लाभ के बराबर या उससे अधिक की राशि का बीमा कराया हुआ है तो वहॉ पर औसत वाक्य नहीं लागू होगा अपितु ऐसी दशा में बीमा कम्पनी लाभ की हानि की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करेगी। परन्तु यदि बीमा पॉलिसी पर्याप्त राशि की नहीं ली गई हो तो लाभ की हानि की पूरी राशि दावे के रूप में नहीं की जा सकती है। ऐसी दशा में दावा को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जायेगा। इसे निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है–

$$\text{दावे की राशि} = \frac{\text{पालिसी की राशि x लाभ की हानि}}{\text{बीमित रकम}}$$

- **अग्नि शमन व्यय** : व्यवसाय में आग लगने के दौरान यदि अग्नि शमन आदि सम्बन्धी कोई व्यय हुए हो तो इन्हें दावे की राशि में जोड़कर दावा किया जाना चाहिए।

उदाहरण : नरेन्द्र ट्रेडिंग क0 का 31 दिसम्बर 2015 का लाभ हानि खाता निम्नवत है–

	Rs.		Rs.
आरम्भिक रहतिया (Opening Stock)	300000	बिक्री (Sales)	2850000
क्रय (Purchase)	1800000	अन्तिम रहतिया (Closing Stock)	150000
निर्माण व्यय (Manufacturing Expenses)	201000		
परिवर्तनीय बिक्री व्यय (Variable Sellng Expenses)	271500		
स्थायी व्यय (Fixed Expenses)	217500		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	210000		
	3000000		3000000

1 मई 2016 को नरेन्द्र ट्रेडिंग कं0 में आग लग गई। क0 के पास रू0 360000 की लाभ की हानि की पॉलिसी थी। 1 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक की बिक्री रू0 3000000 थी। 1 मई 2015 से 31 अगस्त 2015 तक की बिक्री रू0 900000 थी। क्षतिपूर्ति की अवधि जो चार माह की थी के दौरान रू0 120000 की बिक्री हुई।

2016 के प्रथम चार माह की बिक्री की तुलना 2015 से करने पर पता चला कि 2016 में बिक्री 20 प्रतिशत अधिक थी। लाभ की हानि ज्ञात कीजिए।

हल :

(1) Caluclation of Short Sales :

Statement of Short Sales

Sales from 1st May to 2015 to 31st Aug. 2015	900000
Add 20% Increase	180000
	1080000
Less : Sales during the Indemnity period	120000
Amount of Short Sales	960000

(2) Calculation of Gross Profit Rates :

Gross Profit Rate = Net Profit + Insured Standing Charges (Fixed Expenses) x 100

Sales

$$= \frac{210000 + 217500}{2850000} x100$$

$$= \frac{427500}{2850000} x100 = 15\%$$

3. Calculation of 'loss of Gross Profit on Short Sales' :

Loss of Profit = Gross Profit Rates x Short Sales

100

$$= \frac{15x960000}{100} = Rs.144000$$

4. Insurable Amount :

Sales for 12 months immediately before the date of fire that is from

1st May 2015 to 30th April 2016	Rs. 3000000
Add 20% expected increase	Rs. 600000
Total Adjusted Sales	Rs. 3600000

Insurable Amount = Gross Profit on Adjusted Sales =

Gross Profit Rate x Adjusted Sales

$$= \frac{15}{100} x3600000 = Rs.540000$$ Insurable Amount.

5. Application of average clause :

Claim = Insured Amount / Insurable amount x Loss of Profit

$$= \frac{360000}{540000} x 144000$$

= Rs. 96000.

7.5 सारांश

व्यवसाय अनेक प्रकार के जोखिमों से घिरा रहता हे। अचानक आग लगने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। व्यवसाय में आग लगाने के फलस्वरूप न केवल सम्पत्तियां पूर्णतः या अंशतः जल जाती है अपितु दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यापार भी प्रतिकूल असर पड़ता है। व्यवसाय की सीमित कार्यशील पूँजी होने के कारण सम्पत्तियों का पुर्नस्थापन करना दुरूह हो जाता है। इन कठिनाइयों या जोखिमों से छुटकारा पाने के लिए व्यवसायी अपने व्यवसाय का बीमा करा लेते हैं। यदि व्यवसाय का अग्नि बीमा कराया गया है और व्यवसाय में आग लगने से सम्पत्तियाँ जल जाती है तो सम्पत्तियों की वास्तविक हानि के लिए बीमा कम्पनी से दावा किया जाता है। दावे की राशि को प्राप्त करने के लिए व्यवसायी को बीमा कम्पनी के समक्ष एक दावा विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। बीमा कम्पनी आग लगने की परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करती है। इन तकनीकी व्यक्तियों के प्रतिवेदन के आधार पर ही बीमा कम्पनी व्यवसायी के क्षति सम्बन्धी दावे की राशि का भुगतान करती है। व्यवसाय में अग्नि दुर्घटना के कारण रहतिया तथा सम्पत्ति सम्बन्धी क्षति के साथ ही साथ अनुवर्ती लाभों की भी क्षति होती है। क्षति ग्रस्त सम्पत्तियों जैसे भवन, यत्र, फर्नीचर आदि के क्षति की राशि कीजानकारी चिट्ठे में प्रदर्शित पुस्तकीय मूल्य से प्राप्त कर ली जाती है जबकि जले हुए रहतिया या मॉल के क्षति की जानकारी के लिए व्यवसाय का स्मरण व्यापार खाता बनाते हैं।

7.6 शब्दावली

दावाः किसी घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति राशि या दावा की बात उठती है जिस जोखिम के लिए बीमा कराया जाता है उस जोखिम से हानि हो जाने पर बीमा पात्र बीमा कम्पनी पर हानि की पूर्ति के लिए दावा करता है। इसे बीमा पात्रों के अन्तर्गत दावा (Claims) कहते हैं।

7.7 बोध प्रश्न

1. बीमादाता बीमादार को एक निश्चित प्रीमियम के बदले में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर .... प्रदान करने का बचन देता है।
2. .... में बीमा कराने वाले का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है।
3. अग्नि बीमा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बीमा योग्य हित बीमा पात्र लेते समय और दावा करते समय होना चाहिए।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. आर्थिक सुरक्षा, 2. बीमित विषय, 3. अग्नि बीमा

7.9 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1 : अग्नि बीमा दावा से आप क्या समझते हैं? अग्नि से रहतिया की क्षति का दावा प्रस्तुत करते समय दावा विवरण किस प्रकार तैयार किया जाता है?

प्रश्न 2 : अग्नि बीमा में रहतिये की हानि के दावे का निर्धारण करते समय आप किन–किन बातों पर ध्यान देंगे?

प्रश्न 3 : अग्नि बीमा दावा से आपका क्या आशय है? लाभ की हानि की क्षति के लिए दावा की रकम कैसे निर्धारित की जाती है।

प्रश्न 4 : लाभ की हानि पालिसी से आप क्या समझते हैं? विस्तार से उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 5 : निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

1. बिक्री की कमी
2. औसत वाक्य
3. स्मरण व्यापार खाता
4. क्षति पूर्ति अवधि
5. बीमा दावा

प्रश्न 6 : 31 दिसम्बर 2015 को बंसल पुस्तक भण्डार में आग लग गई। विभिन्न लेखा पुस्तकें जो अग्नि से बचा ली गई थी से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई–

क्रय (Purchase from 1 Jan. to 31 Dec. 2015)	Rs. 200000
विक्रय (Sales from 1 Jan. to 31 Dec. 2015)	Rs. 300000
रहतिया (Stock on 31 Dec. 2014)	Rs. 100000

विक्रय पर पिछले 5 वर्षों का औसत सकल लाभ 30 प्रतिशत था

अग्नि से बचाये गये रहतिया का मूल्य रू0 25000 था। आप अग्नि से रहतिया की क्षति के दावे भी रकम को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण बनाइये जो बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। औसत वाक्य नहीं था।

प्रश्न 7 : 15 अगस्त 2016 को हिन्द ट्रेडिंग क0 में आग लग गई जिसमें रहतिया का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। अग्नि से बचाये गये माल से 60000 रू0 वसूल हुआ। 1 जनवरी 2016 से 15 अगस्त 2016 तक की अवधि की निम्न सूचनाएं प्राप्त है–

1.	क्रय मूल्य (Purchase Amount)	Rs. 340000
2.	विक्रय मूल्य (Sales Amount)	Rs. 360000

3. रू0 20000 मूल्य का रहतिया हिन्द ट्रेडिंग कं0 द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग में लिया गया था।
4. 1 जनवरी 2016 को रहतिये का लागत मूल्य रू0 160000 था

पिछले लेखों से स्पष्ट है कि सकल लाभ की दर 33 1/3 प्रतिशत है। बीमा पालिसी रू0 200000 की थी और औसत वाक्य सम्मिलित है।

बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दावा विवरण तैयार कीजिए।

प्रश्न 8 : 28 फरवरी 2015 को अग्नि से जिन्दल कं0 की सम्पत्तियॉ क्षतिग्रस्त हो गई और 31 मई 2015 तक कम्पनी का व्यवसाय अव्यवस्थित रहा। कम्पनी ने 520000 रू0 के लिए लाभ की हानि का बीमा कराया है और क्षतिपूर्ति की अवधि 6 माह है। 31 दिसम्बर 2014 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के खातों ने रू0 1400000 का विक्रय और रू0 160000 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है। बीमा कम्पनी द्वारा रक्षित स्थायी व्यय की राशि रू0 400000 थी। 28 फरवरी 2015 को 12 माह की समाप्ति पर विक्रय रू0 1560000 था। अव्यवस्थित अवधि का विक्रय रू0 160000 का था जबकि पिछले वर्ष में तत्सम्बन्धी अवधि का विक्रय रू0 340000 था। हानि को कम करने के लिए रू0 44800 का व्यय किया गया था लेकिन अग्नि के कारण स्थायी व्यय में कोई बचत नहीं हुई थी।

बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दावा तैयार कीजिए।

प्रश्न 9 : एक व्यापारिक भवन का कुछ भाग आग से 1 मार्च 2016 को नष्ट हो गया और इस कारण व्यवसाय 1 मार्च से 31 जुलाई तक अव्यवस्थित रहा। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को बन्द किये जाते हैं। फर्म ने लाभ की हानि वाली पॉलिसी 375000 की ली है। क्षतिपूर्ति अवधि पॉलिसी में 6 माह वर्णित है। निम्नलिखित विवरण से लाभ की हानि की पॉलिसी के अन्तर्गत दावा की गणना कीजिए।

वर्ष 2015 की बिक्री	रू0 2000000
वर्ष 2015 के लिए शुद्ध लाभ	रू0 120000
बीमित स्थायी व्यय	रू0 240000
अबीमित स्थायी व्यय	रू0 40000
अव्यवस्था की अवधि में बिक्री (1.3.16 से 31.7.16 तक)	रू0 400000
तत्सम्बन्धित अवधि के लिए प्रमाप बिक्री (1.3.15 से 31.7.15)	रू0 1000000
आग लगने से पूर्व 12 माह की बिक्री (1.3.14 से 28.02.15 तक)	रू0 2200000
कामकाज की बढ़ी लागत	रू0 75000
बीमित स्थायी व्ययों में बचत	रू0 15000
कामकाज की बढ़ी लागत के कारण बिक्री की कमी बचाई गई	रू0 200000

विशेष वाक्य जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है निम्न है।

अ. बिक्री की वृद्धि (प्रमाप तथा वार्षिक) 10 प्रतिशत से तथा

ब. सकल लाभ की दर में वृद्धि 2 प्रतिशत से

प्रश्न 10 : 1 फरवरी 2013 ग लिमिटेड के भवन में आग लगी। 30 जून 2013 तक एक रिटेल स्टोर और व्यवसाय आंशिक रूप में अव्यवस्थित हो गया। कम्पनी ने लाभ की हानि केलिए 375000 रू0 में पॉलिसी ली थी इसकी क्षतिपूर्ति अवधि 6 माह थी।

निम्नांकित सूचनाओं से लाभ की हानि पॉलिसी के अन्तर्गत दावा की राशि की गणना कीजिए :

1 फरवरी 2013 से 30 जून 2013 तक वास्तविक बिक्री	रू0 240000
1 फरवरी 2012 से 30 जून 2012 तक बिक्री	रू0 600000
1 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक की बिक्री	रू0 1350000
गत वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ	रू0 210000
गत वित्तीय वर्ष के बीमित स्थायी व्यय	रू0 168000
गत वित्तीय वर्ष के बीमित स्थायी व्यय	रू0 192000
गत वित्तीय वर्ष के लिए बिक्री	रू0 1260000

कम्पनी ने 20100 रू0 अतिरिक्त व्यय किये जिन्होंने बिक्री की हानि को कम कर दिया। क्षतिपूर्ति अवधि में अग्नि के कारण बीमित स्थायी व्ययों में 7350 रू0 की बचत भी थी।

गत वार्षिक खातों की तिथि से व्यापार में बहुत वृद्धि हुई और यह ठहराव हुआ कि बिक्री वृद्धि के लिए 15 प्रतिशत समायोजन कर दी जाये।

7.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मित्तल— आर0के0 एवं बंसल, एम0आर0 वित्तीय लेखांकन, वी0के0 ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, 2012—13
2. शुक्ला एस0एम0, वित्तीय लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

3. सिंह एस0के0 एवं मिश्रा ए0के0, वित्तीय लेखांकन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा।
4. त्रिपाठी, बोस, अंसारी एवं चन्द्र, एडवांस्ड एकाउन्ट्स, एस0जे0 पब्लिकेशन्स मेरठ, 1982
5. प्रकाश जगदीश, वर्मा, डी0के0 उच्चतर लेखांकन, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2000
6. Shukla S.M., Practical problems in Advanced Accounts Sahitya Bhawan Publications, Agra.
7. Gupta R.L., Radhaswamy. M. Advanced Accountancy Sultan Chand & Sons. 1992.
8. Sehgal Ashok fundamentals of financial Accounting Taxmann Publications (P) Ltd. 2011.
9. Tulsian P.C. Financial accounting, Pearson Dorling Kindersley India, 2012
10. Shukla M.C., Crewal T.S. Advanced Accounts - S. Chand & Co. Ltd. New Delhi, 1978.

इकाई–8 दिवालिया सम्बन्धी खाते (Insolvency Accounts)

इकाई की रूपरेखा :

8.1 प्रस्तावना
8.2 दिवालिया का अर्थ
8.3 दिवालिया तथा दिवालियापन में अन्तर
8.4 भारत में दिवाला सन्नियम
8.5 दिवाला सन्नियम के लाभ
8.6 दिवालिया सन्नियम की हानियॉ
8.7 दिवालिया घोषित होने की विधि
8.8 दिवालिया सम्बन्धी लेखे
8.9 सारांश
8.10 शब्दावली
8.11 बोध प्रश्न
8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.13 स्वपरख प्रश्न
8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- दिवालिया किसे कहते हैं, की व्याख्या कर सके।
- दिवालिया सम्बन्धी प्रकरणों के सन्दर्भ में क्या सन्नियम हैं, को समझ सके।
- दिवालिया कैसे घोषित किया जा सकता है, को समझ सके।
- दिवाला से व्यापारिक स्थिति पर प्रभाव क्या होता है, को समझ सके।
- आर्थिक चिट्ठा तथा स्थिति विवरण में अन्तर कैसे होता है, की व्याख्या कर सके।

8.1 प्रस्तावना

आर्थिक कठिनाइयों एवं व्यापारिक असफलताओं के कारण कभी–कभी किसी व्यापारी पर ऋण अधिक हो जाता है। एक ओर तो इन ऋणों को चुकाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरी ओर लेनदार अपनी धनराशि वसूल करने के लिए नित तकादा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में लेनदारो द्वारा ऋणी को परेशान किया जाना स्वाभाविक है। क्योंकि उन्हें अपनी राशि को डूबने का अहसास होता है। यह स्थिति लेनदार एवं देनदार दोनों के लिए अप्रिय होती है। देनदार भी अपमानित होता है और इस स्थिति में उसके व्यापार का संचालन भी असम्भव हो जाता है। लेनदारी का उसके उपर से विश्वास उठ जाता है उसकी साख समाप्त हो जाती है, उसे उधार माल नहीं मिलता। उसकी सम्पत्ति का मूल्य ऋणों की अपेक्षा कम रह जाता है। उसकी सम्पत्ति के विक्रय से भी उसके समस्त दायित्वों का पूर्ण भुगतान नहीं हो पाता है।

व्यापार में सफलता व्यापारी के विवेक, ज्ञान, तत्परता, चातुर्य एवं ईमानदारी पर ही निर्भर नहीं करती अपितु इस पर बहुत से वाह्य तत्वों का भी प्रभाव होता है। जैसे यदि व्यापारी ने अधिक माल का संग्रहण कर लिया है और

अचानक माल का मूल्य बाजार में कम हो जाये तो व्यापक नुकसान हो जायेगा। इसी प्रकार भूकम्प, बाढ़, हड़ताल तालाबन्दी, उत्पादन में कमी, बाहर से माल न मिल पाना आदि कारणों से व्यवसाय प्रभावित होता है।

8.2 दिवालिया का अर्थ

साधारणतः जब कोई व्यक्ति या देनदार अपने ऋणों या दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहते हैं पर कानून की दृष्टि में दिवालिया वह है जिसका दायित्व उसकी सम्पत्तियों से अधिक हो और न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया गया हो। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(8) के अनुसार एक व्यक्ति उस समय दिवालिया कहा जाता है जबकि वह कारोबार की सामान्य प्रगति में अपने ऋण के भुगतान में असमर्थ होता है, भले ही उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया हो अथवा नहीं।

8.3 दिवालिया तथा दिवालियापन में अन्तर

विभिन्न भारतीय विधि संहिताओं में 'Insolvent' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को इंगित करने के लिए किया गया है जिसकी सम्पत्तियाँ उसके दायित्व से कम है तथा उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो। इसी सन्दर्भ में भारत में दिवालिया कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। अंग्रेजी दिवाला अधिनियम में भारतीय 'Insolvent' को 'Bankrupt' कहा जाता है। इस कानून में Insolvent से आशय से ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जिसके दायित्व सम्पत्तियों से अधिक होते हैं परन्तु जिसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। भारतीय दिवाला अधिनियम में दोनों ही शब्दों 'Insolvent तथा Bankrupt में कोई अन्तर नहीं किया गया है। प्रोविन्सियल इन्सालवेन्सी एक्ट में Involvent को ऋणी की संज्ञा दी गई है। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम में ऐसे व्यक्ति को दिवालिया की संज्ञा प्रदान की गई है जो व्यापार की साधारण दशाओं में ऋण का भुगतान बंद कर देता है या जब ऋण देय हो जाते हैं परन्तु उनका भुगतान नहीं कर सकता है। न्यायाधीश ब्लैक स्टोन के अनुसार ‘‘दिवालियापन एक ऐसी कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत जब कोई ऋणी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है अथवा जब अपने लेनदारों के दावों को पूरा नहीं कर पाता है तो कुछ परिस्थितियों में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उसकी सम्पत्ति को अपने कब्जे में` लेता है तथा इस प्रकार प्राप्त सम्पत्ति की वसूली से मिली राशि को उसके लेनदारों के बीच समान अनुपात में बॉट देता है।

8.4 भारत में दिवाला सन्निनियम

भारत में दिवाला सम्बन्धी व्यवहारों का नियमन करने हेतु निम्नलिखित दो अधिनियम क्रियाशील है :

A. प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेंसी एक्ट 1909 : यह अधिनियम वर्ष 1909 में पारित किया गया तथा यह वर्तमान में मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता जो प्रेसीडेन्सी टाउन कहलाते हैं, में लागू होता है।

B. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम 1920 : यह अधिनियम वर्ष 1920 में लागू हुआ तथा प्रेसीडेन्सी टाउन्स को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है।

इन दोनों अधिनियमों में दिवाला अधिनियम (संशोधित) 1978 द्वारा संशोधन किये गये हैं। इस नये अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी

स्वीकृति 4 अगस्त 1978 को दी थी। मई 1979 की गजट की सूचना के अनुसार यह नया अधिनियम 1 सितम्बर 1978 से लागू हुआ माना जायेगा। ये अधिनियम व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाओं पर लागू होते हैं। वस्तु जिन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार हुआ है उन पर तथा कम्पनियों एवं अवयस्कों पर ये अधिनियम लागू नहीं होते हैं। कम्पनी के दिवालियापन की स्थिति में समापन की कार्यवाही कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की जाती है।

8.4.1 **एक व्यक्ति को कब दिवालिया घोषित किया जा सकता** : एक व्यक्ति को निम्न दो शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त दिवालिया घोषित किया जा सकता है–

- वह देनदार होना चाहिए और उसकी सम्पत्तियाँ उसके सभी दायित्वों के भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो।
- व्यक्ति ने दिवालिया होने का कार्य किया हो।

8.4.2 **भारतीय दिवाला सन्नियम के उद्देश्य** : भारत के दिवाला सम्बन्धी सन्नियम का उद्देश्य यह है कि असमर्थ ऋणी को उसके दायित्वों से मुक्ति दिलाकर उसे फिर से जीवन यापन करने के योग्य बनाया जाये। संक्षेप में इस सन्नियम के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- दिवालियों की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना
- ऋणी की सम्पत्ति को समान रूप से उसके लेनदारों में बॉटना तथा
- ऋणी को सुरक्षा प्रदान करना

8.5 दिवाला सन्नियम के लाभ

इस सन्नियम के लागू होने से ऋणी एवं ऋणदाता दोनों को ही लाभ होता है जो निम्नवत है–

1. **देनदार के स्वाभिमान की रक्षा** : यदि दिवालिया सन्नियम द्वारा ऋणों से मुक्ति देने का नियम न होता तो लेनदारों द्वारा बकाया रकम वसूल करने के लिए देनदार के साथ कठोर व्यवहार अपनाया जा सकता था।

2. **ऋणदाता के हितों की रक्षा होना** : इस सन्नियम के द्वारा देनदार की सब सम्पत्तियों पर सरकार का अधिकार हो जाता है। ऐसा होने से देनदार सम्पत्तियों का दुरूपयोग नहीं कर सकता है। फलस्वरूप ऋणदाता के हित सुरक्षित रह सकते हैं।

3. **व्यापार की प्रगति में सहायक** : व्यापार प्रारम्भ करते समय प्रत्येक व्यापारी के मस्तिष्क में यह भय बना रहता है कि कहीं भविष्य में व्यवसाय में अत्यधिक हानि न हो जाय और वह अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाय। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति से यह सन्नियम बचाव करता है। क्योंकि यदि दुर्भाग्यवश व्यापारी के दायित्व सम्पत्तियों से अधिक हो जाते हैं तो वह इस अधिनियम की शरण ले सकता है।

4. **लेखांकन को सही ढंग से रखना** : कोई भी व्यक्ति या व्यापारी इस सन्नियम का लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने वित्तीय विवरणों के माध्यम से यह सिद्ध कर दे कि उसकी आर्थिक स्थिति वही है जो वित्तीय विवरण प्रदर्शित कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यापारी सामान्यतः अपने लेखों को ठीक ढंग से रखता है।

8.6 दिवाला सन्नियम की हानियाँ

इस सन्नियम के लागू होने से निम्न विषमताएं या हॉनिया होने की प्रबल सम्भावना रही है–

1. **बेईमानी की प्रवृत्ति जागृत होना** : बहुत सम्भव है कि कुछ व्यक्ति या व्यापारी इस नियम का लाभ उठाने के लिए अधिक मात्रा में ऋण लेकर अपने वित्तीय विवरणों में छल कपट या मिथ्यावर्णन के द्वारा यह प्रदर्शित करें कि उनकी वित्तीय परिस्थिति डॉवाडोल है और वे अपने दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। भारत में यह प्रवृत्ति वर्तमान में काफी तेजी से बढ़ी है। जिसके फलस्वरूप बैंकों में अनिष्पादनीय सम्पत्तियों (NPA) की मात्रा बढ़ी है।

2. **ऋणदाता को हानि** : दिवाला सन्नियम के संरक्षण के कारण ऐसे देनदारों को ऋण चुकाने से मुक्ति मिल जाती है जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। परन्तु ऋण दाता या लेनदार की बहुत सी राशि वसूल नहीं हो पाती है।

3. **अयोग्य व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय किया जाना** : इस सन्नियम के संरक्षण में बहुत से अयोग्य व्यक्ति भी व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि व्यवसाय में अत्यधिक हानि की दशा में वे दिवालिया कानून की मदद सुरक्षित बच जायेंगे।

8.7 दिवालिया घोषित होने की विधि

भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुबन्ध करने की क्षमता रखता हो दिवालिया घोषित किया जा सकता है परन्तु दिवालिया घोषित किये जाने से पूर्व निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है–

A. कि वह व्यक्ति ऋणी है और ऋण की राशि रू0 500 या अधिक है

B. कि उसने दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत दिवालियापन का कार्य किया है जैसे–

1. उसने भारत में अथवा भारत के बाहर अपने लेनदारों के सामान्य हित के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति का कुछ भाग तीसरे पक्ष को हस्तान्तरित करता है।
2. अपने लेनदारों का भुगतान विलम्ब करने या न करने की उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति या सम्पत्ति का कुछ भाग तीसरे पक्ष को हस्तान्तरित करता है।
3. यदि वह भारत में अथवा अन्य कहीं अपनी सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का हस्तान्तरण लेनदारों के एक समूह की तुलना में दूसरे समूह को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से करता है जो कि यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो यह कपटपूर्ण प्राथमिकता के कारण व्यर्थ होगा।
4. यदि वह अपने लेनदारों का भुगतान न करने के अभिप्राय से भारत के बाहर चला जाता है या अपने निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान से बाहर रहता है या अपने को ऐसा छुपा ले कि लेनदार उससे सम्पर्क न कर सके।
5. यदि उसकी कोई सम्पत्ति किसी न्यायालय के आदेशानुसार नगद भुगतान करने के लिए बेच दी जाती है।
6. यदि वह अपने को अभि निर्णीत किये जाने के आशय से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है।

7. यदि वह अपने किसी लेनदार का भुगतान स्थगन या भुगतान निलम्बन के आशय की सूचना देता है।

8. यदि उसे किसी दायित्व भुगतान न करने के सन्दर्भ में कैद कर लिया गया हो।

दिवालिया घोषित किये जाने की कार्यवाही निम्नांकित है–

A. आवेदन देना : देनदार या लेनदार में से कोई एक देनदार को दिवालिया घोषित करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

- **देनदार द्वारा आवेदन पत्र देना** : एक देनदार निम्नलिखित दशाओं में आवेदन पत्र दे सकता है–

1. जब देय ऋण रू0 500 या अधिक हों
2. जब वह किसी न्यायालय द्वारा आदेश के बाद भी भुगतान न करने कारण गिरफ्तार कर लिया गया हो
3. जब किसी दायित्व के भुगतान के लिए न्यायालय के आदेश से उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई हो
4. जब वह अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो।

- **लेनदार द्वारा आवेदन पत्र**: निम्नलिखित दशाओं में लेनदार द्वारा देनदार को दिवालिया घोषित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र दे सकता है–

1. जबकि वह रू0 500 या अधिक का लेनदार हो
2. यदि देनदार को कोई निश्चित राशि जिसका भुगतान तत्काल या कुछ अन्तराल पर किया जाना हो को करना है।
3. यदि दिवालियापन का कार्य जिस पर प्रार्थना पत्र आधारित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर ही हुआ हो।

परन्तु सुरक्षित लेनदार उस समय तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक वह अपने आपको असुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में शामिल नहीं कर लेता है।

B. न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित करने का आदेश : प्रार्थना पत्र दिये जाने पर न्यायालय सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई की तिथि की सूचना देता है। यदि न्यायालय प्रार्थना पत्र से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह ऋणी को दिवालिया घोषित करते हुए 'अभिनिर्णयादेश' जारी कर देता है तथ सम्पत्तियों की वसूली एवं ऋणों के भुगतान के लिए सरकारी प्रापक या सरकारी अभिहस्तांकिती की नियुक्ति कर देता है।

C. संरक्षण आदेश : न्यायालय का अभिनिर्णयादेश जारी हो जाने के बाद दिवालिया व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में याचना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे याचना पत्र पर न्यायालय दिवालिया घोषित व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने या नजरबंद किये जाने के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने कें लिए संरक्षण आदेश जारी कर सकता है। संरक्षण आदेश के निम्न दो प्रभाव हो सकते हैं– (1) दिवालिया व्यक्ति को किसी ऋण के सम्बन्ध में गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया जा सकता है तथा (2) यदि दिवालिया व्यक्ति पहले से ही कारावास में तो उसे मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

D. ऋणी की सम्पत्ति न्यायालय के अधिकार में जाना : न्यायालय के अभिनिर्णयादेश जारी किये जाने के बाद दिवालिया व्यक्ति की वे सभी सम्पत्तियॉ जिनका वह निजी लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है तथा जिनका वह स्वामी है सरकारी प्रापक के कब्जे में आ जाती है। दिवालिये की सम्पत्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है–

1. विभाजनीय सम्पत्तियां– जिन्हें लेनदारों में बांटा जा सकता है
2. अविभाजनीय सम्पत्तियां– जिन्हें लेनदारों में नहीं बांटा जा सकता है।

E. ऋणदाताओं द्वारा सबूत : व्यक्ति को दिवालिया अभिनिर्णित किये जाने के बाद परन्तु मुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व सभी लेनदार अपने ऋण के सबूत सरकारी प्रापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि वे ऋणों की अनुसूची में शामिल किये जा सके। ऋणों की अनुसूची बनाये के उद्देश्य से लेनदारों को चार भागों में बांटा जा सकता है (1) पूर्वाधिकार लेनदार (2) पूर्णतः सुरक्षित लेनदार (3) अंशतः सुरक्षित लेनदार तथा (4) असुरक्षित लेनदार।

F. सम्पत्ति का वितरण : सरकारी प्रापक द्वारा दिवालिये की सम्पत्ति को निम्न प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है :

1. जो सम्पत्ति पूर्ण रक्षित ऋण दाताओं के पास रहन होती है अथवा जिस सम्पत्ति पर ऋण दाताओं का ग्रहणाधिकार अथवा प्रभार होता है उसका इन देनदारियों को सन्तुलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी सन्तुष्टि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है तो वह अन्य लेनदारों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जाती है।
2. जो सम्पत्ति आंशिक रक्षित ऋण दाताओं के पास रहन होती है अथवा उसके ग्रहणाधिकार में होती है तो उससे उनके ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा शेष ऋण के लिए वह आरक्षित ऋणदाताओं के सामने माने जाते हैं।
3. इसके बाद सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि तथा दिवालिये को देनदारों से प्राप्त राशि में से सर्वप्रथम पूर्वाधिकारी ऋणों का भुगतान किया जाता है। यदि कोई धनराशि शेष बच जाती है तो उसे अन्य ऋण दाताओं के ऋणों की सन्तुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

G. मुक्ति का आदेश : न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर दिवालिया अपनी मुक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष याचना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। मुक्ति याचना पत्र मिलने के बाद न्यायालय सम्बन्धित पक्षों एवं लेनदारों को सूचना देगा जिसमें सुनवाई की तिथि निश्चित की जायेगी। विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद यदि न्यायालय उचित समझे तो पूर्ण मुक्ति आदेश जारी कर सकता है। पूर्ण मुक्ति आदेश मिल जाने पर दिवालिया को नया आर्थिक जीवन मिल जाता है।

8.8 दिवालिया सम्बन्धी लेखे

दिवालिया अधिनियम के अनुसार ऋणी को दिवालिया घोषित किये जाने पर 30 दिन के अन्दर अपनी समस्त सम्पत्ति एवं देनदारियों (दायित्वों) का विवरण प्रस्तुत करना होता है ऋणी के द्वारा निम्नलिखित प्रलेख बनाये जायेंगे।

1 **दायित्व या देनदारों की सूचियॉ** : ऋणी के लिए यह उचित होता है कि वह विभिन्न श्रेणी के ऋणदाताओं की अलग–अलग सूचियाँ बनाये जो निम्न प्रकार होती है–

सूची–अ (List-A) : यह ऋणी के समस्त असुरक्षित ऋणदाताओं (Unsecured Creditors) की सूची होती है इसमें व्यापारिक लेनदार, देयविपत्र, बैंक अधिविकर्ष, निजी एवं घरेलू ऋण, अदत्त व्यय, भुनाये गये बिलों का दायित्व तथा पूर्वाधिकार लेनदारों एवं आंशिक रक्षित लेनदारों की अवशेष राशि आदि आते हैं।

सूची–ब (List-B) : यह ऋणी के समस्त पूर्णरक्षित ऋणों (Fully Secrured Creditors) की सूची होती है।

सूची–स (List-C) : यह ऋणी के अंशत रक्षित ऋणी (Partly Secured Creditors) की सूची होती है। इस सूची में ऐसे ऋणदाताओं के ऋणों का विवरण होता है जिनके द्वारा ऋणी को दिये गये ऋण की अपेक्षा प्रतिभूति का मूल्य कम होता है।

सूची–द (List-D) : यह पूर्वाधिकारी ऋणों (Preferential Creditors) से सम्बन्धित सूची होती है। इसमें ऐसे ऋण सम्मिलित किये जाते हैं जो अन्य ऋणदाताओं की अपेक्षा भुगतान के लिए विशेष एवं पूर्वाधिकार रखते हैं इसमें ऐसे ऋण सम्मिलित होते हैं जो कि केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थनीय सरकार को देय है तथा दिवालिया घोषित किये जाने से 4 माह पूर्व दिवालिये के यहाँ लिपिक अथवा मजदूर के रूप में प्रदत्त की गई सेवाओं के प्रतिफल हो और प्रेसीडेन्सी दिवाला अधिनियम में भूस्वामी को देय एक माह का किराया सम्मिलित होता है।

पूर्वाधिकारी ऋणदाताओं के सम्बन्ध में प्रेसीडेन्सी दिवालिया अधिनियम 1909 में निम्न प्रावधान है–

1. केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार को देय समस्त कर एवं ऋण पूर्वाधिकारी होते हैं।
2. दिवालिया अधिनियम के अन्तर्गत दिवालिया घोषित किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र देने के ठीक चार माह पूर्व ऋणी के यहाँ सेवा अर्पित करने के पारिश्रमिक का शेष जो कि एक लिपिक के लिए 300रू0 तथा एक मजदूर के लिए 100 रू0 हो सकता है।
3. मकान मालिक का एक माह का किराया पूर्वाधिकारी हो सकता है।

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम 1920 में पूर्वाधिकारी ऋणदाताओं के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है–

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत भी केन्द्रीय प्रान्तीय या स्थानीय सरकार को देय कर एवं ऋण पूर्वाधिकारी होते हैं।
2. प्रार्थना पत्र देने के ठीक चार माह पूर्व तक का वेतन अथवा मजदूरी जो कि प्रत्येक लिपिक एवं मजदूर के लिए 20रू0 पूर्वाधिकारी होते हैं।
3. मकान मालिक का किराया पूर्वाधिकारी नहीं माना जाता है।

2 **सम्पत्ति से सम्बन्धित सूचियॉ** : इससे सम्बन्धित सूचियां निम्न प्रकार है–

सूची–ई (List-E) : इस सूची में दिवालिया की निम्नलिखित सम्पत्तियॉ लिखी जाती है, हस्तस्थ रोकड़ बैंक में रोकड़, व्यापारिक रहतिया, मशीन फर्नीचर, बीमा पॉलिसी, प्रेषण, निजी सम्पत्तियां एवं अन्य सम्पत्तियॉ।

सूची–F **(List-F) :** इस सूची में पुस्तकीय ऋण या देनदार को दिखाया जाता है। देनदारों से प्राप्त होने वाली धनराशि को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। (1) पूर्ण प्राप्य ऋण (2) संदिग्ध ऋण (3) अप्राप्त ऋण।

सूची–G **(List-G) :** इस सूची में प्राप्य बिलों, तथा प्रतिज्ञापत्र से होने वाली राशियों को लिखा जाता है। इनसे प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि को रकम वाले स्तम्भ में दर्शाया जाता है।

सूची–H **(List-H) :** इस सूची के अन्तर्गत दिवालिया द्वारा कमी की रकम दिखायी जाती है। यह वह राशि होती है जिसका भुगतान करने में दिवालिया व्यक्ति असमर्थ होता है। यह दायित्व पक्ष के योग में से सम्पत्ति पक्ष के योग को घटाने से प्राप्त होता है। यह धनराशि न्यूनता कहलाती है।

3 **स्थिति विवरण** : स्थिति विवरण में दिवालिया व्यक्ति की वित्तीय स्थिति दिखायी जाती है। इसमें दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्तियों के पुस्तकीय एवं वसूली मूल्य को दिखाया जाता है और विभिन्न प्रकार के दायित्वों का विवरण दिया जाता है। स्थिति विवरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित प्रारूप पर ऋणी के द्वारा निम्न प्रकार बनाया जाता है।

STATEMENT OF AFFAIRS
(As required by the Indian Insolvency Act)
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
In Insolvency

To the insolvent- You are required to fill up carefully and accurately, this Sheet and the several Sheets A,B,C,D,E, F,G and H, showing the state of your affairs on the day on which the order of adjudication was made against you, viz the....day......of......20.......

Such sheets, when filled up, will constitute your Schedule and must be verified by Oath or Declaration.

Gross Liabilities	**Liabilities (as stated and estimated by the Debtor)**	**Expected to Rank**	**Assets (as stated and estimated by the Debtor)**	**Estimated to Produce**
	Unsecured Creditors as per list A Fully Secured Creditors as per list B Estimated value of Securites............ Surplus Less : Amount thereof carried to list C............ Balance thereof to contra Partly Secured Creditors as per list C Less : Estimatec value of Securities Preferential Creditors as per list D (Creditors forRates, Taxes, Salaries and Wages, etc. payable, in full as per list D)	Rs.	Property as per list E viz.: (a) Cash at Bankers (b) Cash in hand (c) Cash deposited with Solicitor for cost of petition (d) Stock-in-Trade (e) Machinery (f) Trade fixtures, fitt., utensils, etc. (g) Furniture (h) Life Ins. Policies (i) Other Property Book debts as per list F viz.: Good Doubtful	Rs

	Deducted as per contra		Bad Estimated to produce Bills of exchange or other similar Securities on hand as per List G Surplus from Securities in the hands of creditors fully secured (per contra) Deduct : Creditors for Preferential, Rates, Taxes, Salaries and Wages, etc. (per contra) Deficiency as explained in List H	

I/We make oath, solemnly affirm, and say, that the above sttement and the several lists hereinto annexed, A,B,C,D,E,F, G and H are, to the best of my/our knowledge and belief, full, true, and complete Statement of my/our affairs on the date of the above mentioned order of adjudication made against me/us.

Affirmed at............this............day of

Sworn

before

Commissioner

(Signature).........

स्थिति विवरण तथा आर्थिक चिट्ठे में अन्तर : स्थिति विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा दोनों में ही सम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है किन्तु दोनों में मुख्य रूप से निम्न अन्तर है–

1. **समय** : आर्थिक चिट्ठा एक चालू व्यापार की स्थिति में प्रत्येक वर्ष के अन्त में खातों के शेषों से बनाया जाता है। स्थिति विवरण किसी व्यक्ति या फर्म के दिवालिया होने पर ही बनाया जाता है।
2. **बनाने का कारण** : आर्थिक चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें बताया जाता है कि व्यापारी की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व क्या–क्या है। इसमें प्रायः सम्पत्ति का दायित्व पर आधिक्य दिखाया जाता है जो कि चिट्ठे बनाने की तिथि पर व्यापार की पूँजी होती है जबकि स्थिति विवरण व्यापारी भी आर्थिक कठिनाईयों में होने की स्थिति में बनाया जाता है।
3. **मूल्य** : आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्तियाँ पुस्तक मूल्य पर दिखायी जाती है जबकि स्थिति विवरण में सम्पत्तियाँ स्वाभाविक प्राप्य मूलय पर ही दिखायी जाती है।
4. **ऋणदाताओं एवं ऋणों का प्रदर्शन** : स्थिति विवरण में ऋणों को रक्षित, अंशत रक्षित, आरक्षित एवं अधिमानी ऋणों के रूप में दिखाया जाता है जबकि आर्थिक चिट्ठे में इन्हें अलग–अलग न दिखाकर एक साथ ही दिखाया जाता है।

5. **पूर्वाधिकार लेनदार** : आर्थिक चिट्ठे में पूर्वाधिकार लेनदार दायित्वों के योग में सम्मिलित रहते हैं किन्तु स्थिति विवरण में इन्हें सम्पत्तियों से घटाया जाता है।

6. **लाभ हानि तथा न्यूनता खाता** : आर्थिक चिट्ठे के साथ लाभ हानि खाता बनाया जाता है जबकि स्थिति विवरण के साथ न्यूनता खाता बनाया जाता है।

7. **पूँजी** : आर्थिक चिट्ठे में व्यापारी की पूँजी, लाभ अथवा हानि एवं आहरण दिखाये जाते हैं जबकि स्थिति विवरण में इन मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

8. **अमूर्त सम्पत्तियाँ** : आर्थिक चिट्ठे में अमूर्त सम्पत्तियाँ जैसे ख्याति, प्रारम्भिक व्यय व्यापारिक हानि आदि को दिखाया जाता है जबकि स्थिति विवरण में विक्रय योग्य सम्पत्तियों को उनके अनुमानित प्राप्य मूल्य पर ही दिखाया जाता है।

9. **दोनों पक्षों का योग** : आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति एवं दायित्व पक्ष की राशियों का योग सदैव बराबर होता है जबकि स्थिति विवरण में सामान्यतः सम्पत्ति पक्ष का योग दायित्व पक्ष के योग से कम होता है।

10. **बनाने का उद्देश्य** : आर्थिक चिट्ठा व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है जबकि स्थिति विवरण बनाने का उद्देश्य दिवालिया की वास्तविक स्थिति प्रकट करने के लिए बनाया जाता है।

4 **न्यूनता अथवा कमी खाता** : यह विवरण एक खाते की तरह बनाया जाता है जिसका उद्देश्य यह समझाना होता है कि ऋणी की पूँजी किस प्रकार नष्ट हुई तथा स्थिति विवरण में दिखायी गई कमी किस प्रकार हुई। यह खाता लाभ हानि खाते के विपरीत होता है। इसके डेबिट पक्ष की ओर सम्पत्ति का दायित्व पर आधिक्य, पूँजी पर ब्याज, व्यापारिक लाभ, अन्य लाभ, तथा स्थिति विवरण में दिखायी गई कमी आदि दिखायी जाती हैं तथा क्रेडिट पक्ष की ओर दायित्वों का सम्पत्ति पर आधिक्य, व्यापारिक हानि, आहरण, भुनाये गये बिलों के अप्रतिष्ठित होने से हानि, देनदारों से प्राप्तियों पर हानि तथा सम्पत्ति के विक्रय एवं बिलों पर हानियाँ दिखायी जाती हैं। खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। यदि इस खाते के दोनों पक्षों में अन्तर रह जाये तो प्रारम्भिक चिट्ठा अथवा तलपट बनाना चाहिए। यदि चिट्ठे अथवा तलपट में भी इतना ही अन्तर आता है तो अन्तर की राशि को अन्य हानि या लाभ माना जा सकता है। न्यूनता अथवा कमी खाते का कोई विधिमान्य प्रारूप निर्धारित नहीं है। किन्तु कमी अथवा न्यूनता खाता निम्न प्रकार से बनाया जाता है।

Deficiency Account

Items Reducing Deficiency	Amount	Items Contributing to Deficiency	Amount
Excess of Assets over Liabilities, or Capital Interest on Capital Net Profit on Trading Excess of Private Assets over Private Liabilities Profit on Assets realised, if any or apprciation in the value of assets Salary of Proprietor in Business (if	Rs.	1. Excess of Liabilities over Assets 2. Losses from Business 3. Drawings 4. Bad Debts and Doubtful (as per List 'F') 5. Losses on Realisation of Assets, viz., Stock Investments	Rs.

any Profit in Speculation and Betting etc. Deficiency as per Statement of Affairs.		furniture Mechaniery etc. 6. Bill descounted and dishonoured 7. loss on Speculation 8. Loss through Betting 9. Trade Expenses 10. Stock Exchange Expenses etc. 11. Expenses not accounted so far 12. Excess of Private Liabilities over Private Assets 13. Surplus as per Statement of Affairs, if any	

लाभ हानि खाते तथा कमी/न्यूनता खाते में अन्तर : लाभ हानि खाते तथा कमी खाते के अन्तर को विलियम पिकिल्स ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। ''स्थिति विवरण के पक्ष आर्थिक चिट्ठे के पक्षों के समान होते हैं परन्तु कभी खाते के पक्ष लाभ हानि खाते के पक्ष के विपरीत होते हैं। कमी खाता का बायॉ पक्ष लाभ का एवं दायॉ पक्ष हानि का होता है। दोनों में अन्तर का आधार निम्न है–

1. **समय** : लाभ हानि खाता प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है जबकि कभी खाता व्यापारी के दिवालिया होने पर ही बनाया जाता है।
2. पक्ष : लाभ हानि खाते में आय जमा पक्ष में तथा व्यय नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। जबकि कमी खाते में इसके विपरीत लेखे होते हैं।
3. **उद्देश्य** : लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य वर्ष भर के व्यापारिक लाभों या हानियों को ज्ञात करना होता है जबकि कभी खाता यह ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है कि दिवालिये की की कमी के क्या–क्या कारण थे।
4. **पूँजी** : लाभ हानि खाते में ये पूँजी का उल्लेख नहीं किया जाता है जबकि कमी खाते में सम्पत्तियों कें दायित्वों पर आधिक्य लिखा जाता है।
5. **मदें** : लाभ हानि खाते में आय तथा व्यय की मदें लिखी जाती है जबकि कभी खातें में आहरण, व्यापारिक हानियाँ, तथा सम्पत्तियों की वसूली पर हानियों की मदें लिखी जाती है।
6. **निजी सम्पत्तियों एवं दायित्वों में अन्तर** : निजी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का अन्तर लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जाता है जबकि कभी खाते में यह अन्तर लिखा जाता है।

5 **साझेदारी फर्म का दिवालिया होना** :

किसी साझेदारी फर्म के समस्त साझेदारों के दिवालिया घोषित होने पर साझेदारी फर्मका दिवाला कहा जाता है। फर्म के दिवालिया घोषित होने पर फर्म की सम्पत्तियों तथा दायित्वों और साझेदारों के व्यक्तिगत दायित्वों एवं सम्पत्तियों में अन्तर किया जाता है। फर्म की स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता अलग बनाया जाता है और प्रत्येक साझेदार का स्थिति विवरण एवं न्यूनता खाता अलग–अलग बनाया जाता है।

साझेदारी फर्म की सम्पत्ति का प्रयोग पहले कर्म के दायित्वों के भुगतान में तथा प्रत्येक साझेदार की सम्पत्ति का प्रयोग उसके निजी दायित्वों भुगतान के लिए किया जाता है। यदि किसी साझेदार की निजी सम्पत्ति से कोई

आधिक्य प्राप्त होता है तो उसे साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर किसी साझेदार ने फर्म के दायित्व के लिए अपनी किसी सम्पत्ति की सुरक्षा अथवा अपनी व्यक्तिगत जमानत दी है तो उस साझेदार का स्थिति विवरण बनाते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा।

उदाहरण 1 : हर्ष ने 1 अगस्त 2015 को दिवालिया होने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उसकी देनदारियाँ निम्न प्रकार थी–

1. **आयकर (Income Tax)** Rs. 1000
2. **मजदूरी (Wages)**

   राम को देय 100 रू0 प्रतिमाह की दर से जून तथा जुलाई 2015 की। श्याम को देय 120 रू0 प्रतिमाह की दर से मार्च से जुलाई 2015 की। हरि को देय 200 रू0 प्रतिमाह की दर से जनवरी तथा फरवरी 2015 की।
3. **वेतन (Salaries)**

   रमेश को देय 600 रू0 प्रतिमाह की दर से 4 माह का। दिनेश को देय 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से 2 माह का। गणेश को देय 1200 रू0 प्रतिमाह की दर से 1 माह का
4. बिक्री कर (Sales Tax) 3000 रू0
5. एक कर्मचारी को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि– 700 रू0
6. तीन माह का किराया (Rent) 900 रू0
7. प्रबन्धक का वेतन (Salaries) 3000 रू0

प्रस्तीय दिवाला अधिनियम 1920 तथा प्रेसीडेन्सी टाउन्स दिवालिया अधिनियम 1909 के अन्तर्गत पूर्वाधिकारी लेनदार (Preferential Creditors) तथा आरक्षित लेनदार (Unsecured Creditors) ज्ञात कीजिए।

हल :

Particulars	**Provincial Insolvency Act 1920**		**Presidency Town Insolvency Act 1909**	
	Preferential Creditors Rs.	**Unsecured Creditors Rs.**	**Preferential Creditors Rs.**	**Unsecured Creditors Rs.**
1. Income Tax	1000	-	1000	-
2. Wages Ram	20	180	100	100
	20	580	100	500
Shyam	-	400	-	400
Hari	20	2380	300	2100
3. Salaries	20	1980	300	1700
Ramesh	20	1180	300	900
	3000	-	3000	-
Dinesh	700	-	700	-
Ganesh	-	900	300	600
4. Sales Tax	-	3000	-	3000
5. Amount Payble Under worksmen compensation Act.				
6. Rent				
7. Manager,s Salary				

Total	4800	10600	6100	9300

उदाहरण : 2 श्री श्याम लाल स्थिति विवरण बनाने के लिए आपकी राय लेता है। निम्न राशियॉ सूचियों में किस प्रकार लिखी जायेगी?

1. आरक्षित ऋण 100000 रू0
2. निजी देनदारियॉ 5000 रू0
3. भुनाये गये बिल 4000 रू0 जसमें से 2500 रू0 के बिलों के अनादृत होने की सम्भावना है।
4. घनश्याम से 30000 रू0 का ऋण भूमि व भवन को गिरवी रखकर लिया। भूमि व भवन का पुस्तकीय मूल्य 29000 रू0 और प्राप्त मूल्य रू0 27500 रू0 है।
5. महेश से बीमा पॉलिसी पर प्रथम प्रभार का अधिकार देकर 20000 रू0 का ऋण लिया है। बीमा पालिसी का समर्पित मूल्य 25000 रू0 है।
6. दरें व कर 200 रू0 है।
7. आयकर 200 रू0 है।
8. अवधेश से उपर्युक्त वर्णित बीमा पॉलिसी पर द्वितीय प्रभार का अधिकार देकर 17500 रू0 ऋण के रूप में लिए।
9. किराया 75 रू0 प्रतिमाह किी दर से 4 माह का देय है
10. 15000 रू0 का बैंक अधिविकर्ष जिसके लिए श्याम लाल के मित्र अजय ने व्यक्तिगत गारन्टी दी है एवं अजय ने 25000 रू0 के अंश की प्रतिभूति जमानत की तरह जमा की है।
11. देय बिल 2000 रू0 है
12. पत्नी से 7500 रू0 का ऋण लिया है जिसमें से पत्नी ने 7000 रू0 का ऋण अपने पिता जी से लेकर दिया है।

हल :

Gross Liabilities Rs.	Liabilities		Expected to Rank Rs.
	Unsecured Creditors as Per List - A		
100000	Unsecured Loan		100000
5000	Private Liabilities		5000
4000	Bills discounted		2500
300	4 months Rent @ 75 p.m.		300
15000	Bank overdraft		15000
2000	Bills Payble		2000
7500	Loan from wife		7000
133800			**131800**
Rs.	**Fully secured Creditors as Per List-B**		
20000	Loan from Mahesh	20000	
	Less : Estimated Value of Policy	25000	
	Surplus Carried to List C	5000	

Rs.	Partly secured Creditors as Per List-C		Rs.
47500	Loan from Ghanshyam	30000	
	Loan from Awadhesh	17500	
		47500	
	Less : Estimated value of land & Building	27500	
	Surpluss carried from List B	5000	
		32500	15000

Rs.	Preferential Creditors as Per List D		Rs.
400	Rates and Taxes	200	
	Income Tax	200	400m

उदाहरण–3 : गढ़वाल के धर्म सिंह ने दिवालिया घोषित किये जाने के लिए 31 दिसम्बर 2016 को प्रार्थना पत्र दिया। लेखा पुस्तकों से निम्न सूचना प्राप्त हुई। धर्म सिंह को लेनदारों को 30000 रू0 देने थे और 50,000 रू0 के लेनदारों का स्टॉक पर बन्धक था, जिससे 8000 रू0 प्राप्त होने की आशा थी। 10000 रू0 भूमि व भवन के बन्धक पर ऋण थे। 1000 रू0 वेतन, मजदूरी एवं करों के देने थे। 10000 रू0 के विनिमय बिलों को बैंक से भुनाया गया था जिन पर 3000 रू0 सम्भाव्य दायित्व थे।

उसकी सम्पत्ति निम्न थी : प्रेषण पर मा 20000 रू0 अनुमानित मूल्य 2000 रू0, प्राप्य देनदार 18000 रू0, संदिग्ध देनदार 6000 रू0, अनुमानित प्राप्ति 3000 रू0 अप्राप्य देनदार 15650 रू0 भूमि व भवन जिसकी लागत 100000 रू0 थी तथा पुस्तकीय मूल्य 75000 रू0 था और अनुमानित प्राप्य मूल्य 50000 रू0 था। फर्नीचर 2000 रू0 अनुमानित प्राप्य मूल्य रू0 1000 रू0/ स्टॉक 25000 रू0 अनुमानित प्राप्त मूल्य 8000 रू0/ रोकड़ 1350 रू0/ उसने 1 जनवरी 2012 को 90000 रू0 की पूंजी से व्यापार आरम्भ किया। भूमि व भवन पर 5000 रू0 वार्षिक ह्रास लगाने तथा 5500 रू0 पूॅजी पर वार्षिक ब्याज लगाने के उपरान्त 2012 में 6500 रू0 तथा 2013 में 5000 रू0 का लाभ हुआ, 2014, 2015 तथा 2016 में क्रमशः 6000 रू0 7000 रू0 और 9500 रू0 की हानि हुई। 14500 रू0 की सट्टे में हानि हुई तथा उसके आहरण 4000 रू0 वार्षिक के थे। आप स्थिति विवरण व न्यूनता खाता बनाइये।

हल :

Statement of Affairs of Dharam Singh
as on 31st Dec. 2016

Gross Liabilities	Liabilities	Rs.	Expected to Rank Rs.	Assets	Book Value Rs.	Estimated to Produce Rs.
40000	Unsecured Creditors as per List A		33000	Property as per List E Cash	1350	1350
10000	Fully Secured Creditors as per List-B Less Value of Security Surplus Carried to	10000 50000 40000		Consignment Furniture Book Debt as per List F Good	20000 2000 18000	2000 1000 18000

	Contra					
50000	Partly Secured Creditors as Per List C Less Value of Security	50000 8000	42000	Doubtful & Bad Estimated to Produce Bills of Exchange as per	21650	3000
1000	Preferential Creditors as per List D Deducted as per Contra	1000		list G Surplus from Security in the hands of fully secured creditors	- -----	- 40000
				Preferential Creditors deducted as per contra	-----	1000
				Defieciency as explained in List H		10650
101000			**75000**			**75000**

Working Notes:

Unsecured Creditors	Gross Liabilities Rs.	Expected to Rank Rs.
Trade Creditors	30000	30000
Liability on Bills discounted	10000	3000
	40000	33000

Defieciency Account

	Rs.		Rs.
Excess of Assets over Liabilities on 1 Jan. 2012	90000	Net Loss arising from Carrying on of Business from 1 Jan. 2012 to the Date of Adjudication	22500
Net Profit arising from carrying on of Business From 1 Jan 2012 to the date of Adjudication	11500	Bad Debts	18650
Income or Profit from other Sources:		Expenses other than Trade Expenses : Drawing	20000
Interest on Capital	27500	Other Losses and Expenses: 1. Loss on Stock in Trade - 17000 2. Loss on Consignment- 18000	
Deficiency as per statement of Affairs.	10650	3. Loss on Furniture- 1000 4. Loss on Building- 25000 5. Loss on Bill discounted 3000 6. Loss on speculation- 14500	78500
	139650		**139650**

8.9 सारांश

साधारणतः जब कोई व्यक्ति या फर्म या देनदार अपने ऋणों या दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहा जाता है पर कानून की दृष्टि से दिवालिया वह है जिसका दायित्व सम्पत्तियों से अधिक है और न्यायालय उसको दिवालिया घोषित करे। भारतीय दिवाला राजनियम के अन्तर्गत

दिवालिया सम्बन्धी व्यवहारों का नियमन करने हेतु प्रेसीडेन्सी टाउन इन्सालवेन्सी एक्ट 1909 तथा प्रान्तीय दिवाला अधिनियम 1920 लागू है।

8.10 शब्दावली

दिवालियाः जब कोई व्यक्ति या देनदार अपने ऋणों या दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहते हैं।

8.11 बोध प्रश्न

1. ....एक ऐसी कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत जब कोई ऋणी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है
2. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम 1920 वर्ष 1920 में लागू हुआ तथा यह .... को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है।
3. प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेंसी एक्ट वर्ष .... में पारित किया गया तथा यह वर्तमान में मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता जो प्रेसीडेन्सी टाउन कहलाते हैं, में लागू होता है।

8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. दिवालियापन, 2. प्रेसीडेन्सी टाउन्स, 3. 1909

8.13 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1 : दिवालिया से आप क्या समझते हैं? इस सन्दर्भ में भारत में कौन–कौन से अधिनियम लागू है?

प्रश्न 2 : स्थिति विवरण से आपका क्या आशय है? इसमें और आर्थिक चिट्ठों में अन्तर बताइये।

प्रश्न 3 : न्यूनता खाता क्या होता है? काल्पनिक ऑकड़ों के आधार इसका प्रारूप दीजिए।

प्रश्न 4 : स्थिति विवरण तैयार करते समय ऋणी कौन–कौन सी सूचियाँ तैयार करता है।

प्रश्न 5 : उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जबकि स्थिति विवरण तथा कभी खाते तैयार किये जाते हैं।

प्रश्न 6 : प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम के अनुसार स्थिति विवरण का एक नमूना दीजिए।

प्रश्न 7 : निम्न पर टिपणी लिखिएः

1. सुरक्षित लेनदार
2. असुरक्षित लेनदार
3. स्थिति विवरण
4. कमी/न्यूनता खाता
5. अनुमानित देय
6. दायित्वों की सूचियाँ
7. सम्पत्तियों की सूचियाँ

प्रश्न 8 : मि0 हर्ष जिसने 1 जनवरी 2015 को दिवालिया होने के लिए आवेदन किया है। निम्नांकित सूचनाओं से प्रेसीडेन्सी टाउन दिवालिया अधिनियम और प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदार ज्ञात कीजिए।

1. 4 लिपिकों का गत दो माह का वेतन 400 रू0 प्रतिमाह/प्रतिलिपिक की दर से

2. एक अन्य लिपिक का अगस्त, सितम्बर 2014 का वेतन 150 रू0 प्रतिमाह की दर से

3. दिसम्बर 2014 के 20 दिन के लिए एक श्रमिक की मजदूरी 120 रू0

4. दिसम्बर 2014 के लिए प्रबन्धक का वेतन 1000 रू0।

5. नवम्बर और दिसम्बर 2014 के लिए भू स्वामी को देय किराया 400 रू0 प्रतिमाह

6. देय गृह कर 500 रू0, बिजली और पानी बिल की देयराशि 250 रू0।

7. कर्म क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी को देयराशि 400 रू0।

8. इलाहाबाद बैंक से लिये हुए ऋण पर देय ब्याज 1000 रू0।

9. देय बिक्री कर 2500 रू0, आयकर 3800 रू0।

10. निजी लेनदार 2000 रू0 जिसमें उसके घर के देयकर के 500 रू0 शामिल हैं।

प्रश्न 9 : मि0 हनीफ ने 31 दिसम्बर 2016 को दिवालिया होने के लिए एक आवेदन पत्र दिया। इस तारीख को उसकी स्थिति निम्न प्रकार थी–

पुस्तकीय देनदारिया : अच्छी 20000 रू0, संदिग्ध 6000 रू0 (अनुमानित प्राप्य राशि 2000 रू0) डूबत 1000 रू0, रहतिया 60000 रू0 अनुमानित प्राप्य मूलय 43000 रू0, हिन्द लि0 कम्पनी के पूर्वाधिकारी अंश 15000 रू0 अनुमानित प्राप्य मूलय 1000 रू0, समता अंश 5000 रू0 अनुमानित प्राप्य मूल्य 2000 रू0, बेंक में रोकड़ 500 रू0, प्राप्य बिल 1000 रू0, भवन 15000 रू0 मूल्यांकित 12000 रू0, मशीनरी 14000 रू0 अनुमानित वसूली मूल्य 11000 रू0, फर्नीचर 2000 रू0 अनुमानित प्राप्य मूल्य 1500 रू0, एक कम्पनी में ऋण पत्र 6250 रू0 अनुमानित मूल्य 5000 रू0। कुल लेनदार 60000 रू0, देयबिल 15000 रू0 अशो पर ग्रहणाधिकार रखने वाले 40000 रू0 के आंशिक लेनदार है। भूस्वामी का किराया 100 रू0 देय हे। भुनाये हुए प्राप्य बिल 7000 रू0, अनुमानित दायित्व 3500 रू0 भवन पर बन्धक 10100 रू0, कर मजदूरी और वेतन के लिए लेनदार 2900 रू0। 1 जनवरी 2012 को उसकी पूँजी 50000 रू0 थी प्रत्येक वर्ष 2500 रू0 पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद 2012, 2013 एवं 2014 में क्रमशः उसे 10000 रू0 4500 रू0 और 3000 रू0 का लाभ हुआ। 2015 एवं 2016 में 2000 रू0 एवं 7500 रू0 की हानि हुई। इस अवधि में 35850 रू0 के आहरण हुए। जुए तथा स्कन्ध विनिमय के सौदों एवं सट्टे के कारण क्रमशः 1000 रू0, 11000 रू0 और 5000 रू0 की हानियॉ हुई। स्थिति विवरण एवं कमी खाता बनाइये।

8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मित्तल– आर0के0 एवं बंसल, एम0आर0 वित्तीय लेखांकन, वी0के0 ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, 2012–13

2. शुक्ला एस0एम0, वित्तीय लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

3. सिंह एस0के0 एवं मिश्रा ए0के0, वित्तीय लेखांकन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा।

4. त्रिपाठी, बोस, अंसारी एवं चन्द्र, एडवांस्ड एकाउन्ट्स, एस0जे0 पब्लिकेशन्स मेरठ, 1982
5. प्रकाश जगदीश, वर्मा, डी0के0 उच्चतर लेखांकन, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2000
6. Shukla S.M., Practical problems in Advanced Accounts Sahitya Bhawan Publications, Agra.
7. Gupta R.L., Radhaswamy. M. Advanced Accountancy Sultan Chand & Sons. 1992.
8. Sehgal Ashok fundamentals of financial Accounting Taxmann Publications (P) Ltd. 2011.
9. Tulsian P.C. Financial accounting, Pearson Dorling Kindersley India, 2012
10. Shukla M.C., Crewal T.S. Advanced Accounts - S. Chand & Co. Ltd. New Delhi, 1978.

इकाई–9 साझेदारी खाते पूर्व समायोजन एवं गारण्टी

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा
9.3 साझेदारी की विशेषतायें
9.4 साझेदारी संलेख
9.5 साझेदारी फर्म के आवश्यक खाते
9.6 व्यवहारों एवं खातों का समायोजन
9.7 लाभ का साझेदारों में वितरण
9.8 सारांश
9.9 शब्दावली
9.10 बोध प्रश्न
9.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.12 स्वपरख प्रश्न
9.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- साझेदारी के अर्थ, प्रकृति और साझेदारी के मूल तत्व को समझ सके।
- साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता को समझ सके।
- साझेदारी फर्म के आवश्यक खातों को भली–भॉति समझ सके।
- साझेदारी व्यवहारों का समायोजन विधि की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- साझेदारी के लाभों का वितरण साझेदारों में किस प्रकार होता है, इसे जान सकें।

9.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप साझेदारी खाते का अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके अर्न्तगत साझेदारी संलेख की आवश्यकता एवं उसके अभाव में लागू होने वाले नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में व्यवहारों के समायोजन की विधि जिसके अर्न्तगत साझेदारी का पूँजी खाता, और साझेदारों का चालू खाता का भी अध्ययन करेंगे। फर्म के आवश्यक खातों में पूँजी खाता, आहरण खाता बनाने की विधि का एवं लाभ का वितरण विभिन्न साझीदारो में किस प्रकार किया जायेगा? इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे।

9.2 साझेदारी का अर्थ एंव परिभाषा

साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। बैकिंग व्यवसाय में यह संख्या 10 तथा अन्य व्यवसायों के लिए 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साझेदारी का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई काम करना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ''साझेदारी उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है। जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुये हैं जो कि उनके सबके द्वारा उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है।'' किम्बाल एंव किम्बाल के

अनुसार,''साझेदारी व्यक्तियों का समूह है। जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूँजी एंव सेवाए लगाई हों।'' एल.एच. हैने के अनुसार, ''साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुबन्ध करने की क्षमता रखते है। परस्पर एक प्रतिज्ञा हैं। जिसके अनुसार वे अपने लाभ के लिए कोई ना कोई न्यायपूर्ण व्यवसाय करते है।''जिस साझेदारी का मुख्य कार्य निमार्ण करना या माल का क्रय विक्रय होता है उसे 'व्यापारिक साझेदारी' कहा जाता है और जो साझेदारी सेवायें देने के लिए होती है उसे अव्यापारिक साझेदारी कहा जाता है, जैसे– चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स की साझेदारी और एटारनीज की साझेदारी इत्यादि।

9.3 साझेदारी की विशेषतायें

परिभाषा के आधार पर साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताए हैंः–

1. **दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होनाः–** साझेदारी में अनुबन्ध की क्षमता रखने वाले कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक हैं क्योंकिएक व्यक्ति स्वयं साझेदारी नहीं बना सकता।
2. **ठहराव या अनुबन्ध का होना–** इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, ''साझेदारों का सम्बन्ध अनुबन्ध द्वारा उत्पन्न होता है स्थिति द्वारा नहीं ठहराव लिखित तथा मौखिक भी दो सकता है सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध अनुबन्ध द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, अतः वे साझेदार नहीं माने जाते है।
3. **कारोबार का होना –** साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए अन्यथा साझेदारी अवैध हो जायेगी।
4. **कारोबार का उददेश्य–** लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना– साझेदारी कारोबार का उद्देश अर्जित लाभ का आपस में बांटना होना चाहिए अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारों में लाभ के विभाजन का ठहराव आवश्यक है।
5. **व्यवसाय का सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जानाः–** साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा चलाया जा सकता है या सभी साझेदारी की तरफ से किसी एक साझेदार द्वारा भी चलाया जा सकता है।
6. **प्रत्येक साझेदार का अपने फर्म का एजेण्ट होनाः–**साझेदारी व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेण्ट भी है और स्वामी भी है। अतः एजेन्सी के आधार पर ही साझेदारों के उत्तर दायित्व का निर्णय होता है।
7. **साझेदारो की अधिकतम संख्याः–** अधिनियम, 1932 में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 11 में यह अवश्य कहा गया हैं कि किसी भी साझेदारी फर्म में सदस्य संख्या बैकिंग व्यवसाय की दशा में 10. तथा सामान्य व्यवसाय की दशा में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. **असीमित दायित्वः–** साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अर्थात् दायित्व के भुगतान को फर्म की सम्पत्ति कम होने पर साझेदारों के व्यक्तिगत सम्पत्तियों का भी उपयोग किया जा सकता है ।

9. **अस्तित्वः–** साझेदारी में फर्म का साझेदारो से एवं साझेदार का फर्म से पृथक अस्तित्व नही होता। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन या पागलपन होने अथवा फर्म से पृथक होने पर किसी पूर्व व्यवस्था के अभाव में साझेदारी समाप्त हो जाती है।
10. **वैधानिक स्थितिः** साझेदारी की स्थापना या अन्त के लिए वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक नही है। इसका पंजियन अनिवार्य नही होता और न ही इसका कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
11. **हित का हस्तान्तरणः–** इसमे को कोई भी साझेदार अन्य साझेदारो की अनुमति के बिना अपना हित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही कर सकता साझेदार की मृत्यु होने पर भी उसके उत्तराधिकारी को अन्य साझेदारो की सहमति के बिना फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता।
12. **निर्णयः–** साझेदारी में सभी निर्णय साझेदारो की सर्वसम्मति के आधार पर ही लिये जाते है बहुमत के आधार पर नही किन्तु साझेदारो के मध्य स्पष्ट ठहराव होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर भी लिये जा सकते हैं।

9.4 साझेदारी संलेख

जब कभी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है। तो प्रायः साझेदारो के मध्य आपसी सम्बन्ध एवं उसकी सीमाओं के निर्धारण तथा व्यवसाय के कुशल संचालन के लिये जो समझौता किया जाता है, वही समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है जिसमें व्यवसाय संचालन के नियमों का उल्लेख होता है। यह पंजीकृत भी हो सकता है और अपंजीकृत भी। भावी विवादों के निवारण में साझेदारी संलेख का लिखित एवं पंजीकृत होना आवश्यक होता है। एक साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना आवश्यक हैः–

1. **फर्म का नाम एवं पताः** फर्म किसी भी नाम से अपना व्यवसाय कर सकती है, किन्तु यह नाम किसी अन्य विद्यमान फर्म के नाम से मिलता जुलता अथवा भ्रम उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए।
2. **साझेदारों का नाम एव पताः**
   फर्म के सभी साझेदारों का नाम एवं पता साझेदारी संलेख में दिया जाना चाहिए।
3. **साझेदारी की अवधिः–** साझेदारी संलेख में साझेदारी की अवधि या यदि किसी विशेष कार्य के लिए उसकी स्थापना की गई है या ऐच्छिक है, तो इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में अवश्य करना चाहिएं
4. **साझेदारो की पूँजीः** इसके अर्न्तगत निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिएः–
   - साझेदारी में प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूँजी
   - पूँजी में वृद्धि करने की शर्ते।
   - पूँजी खाते चल होंगे या अचल
   - पूँजी पर कोई ब्याज दिया जायेगा या नहीं
   - ब्याज की दर
5. आहरण एवं ब्याजः–
   - व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल या नगद के रूप में आहरण की क्षमता

- आहरण की तिथियों का निर्धारण
- उस पर ब्याज की दर

6. साझेदारों का वेतन एवं कमीशन व्यवसाय संचालन में सक्रिय योगदान हेतु साझेदारों को वेतन या कमीशन के रूप में क्या धनराशि देय होगी इसका उल्लेख होना चाहिए।
7. **लाभ–हाँनि अनुपातः** लाभ–हाँनि किस अनुपात में साझेदारो में बाँटा जायेगा? इसका उल्लेख भी इसमें आवश्यक है।
8. **ऋणः–**

   इस सम्बन्ध में निम्न बाते महत्वपूर्ण हैः–

   - साझेदारों द्वारा फर्म से ऋण लेने एवं इस पर ब्याज सम्बन्धी नियम
   - फर्म के बाहरी व्यक्तियों से ऋण लेने सम्बन्धी सम्पूर्ण शर्ते
   - फर्म साझेदारो से ऋण लिया जा सकता है या नहीं

9. **मध्यस्थ वाक्य का प्रयोगः** भविष्य में साझेदारी के मध्य होने वाले विवाद के निराकरण मेंमध्यस्थों की नियुक्ति होगी या नही? मध्यस्थ के अधिकार क्या होंगे? इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिये।
10. **साझेदारी का विघटनः** किन–किन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन होगा इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिये संलेख में उल्लेख न होने पर साझेदारी का अन्त अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप होगा।
11. **साझेदारी से सम्बन्ध विच्छेदः** साझेदारी में मतभेद होने पर साझेदार फर्म से अपना सम्बन्ध अलग कर सकता है साझेदार अपने इस अधिकार का प्रयोग कैसे करेगा तथा उसके सम्बन्ध विच्छेद से साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिये।
12. **साझेदारी की मृत्यु एवं उसके वैधानिक उत्तराधिकारीः–** किसी साझेदार की मृत्यु होने पर व्यापार में लगी उसकी पूँजी और सम्पत्ति का भुगतान किस प्रकार होगा? क्या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को फर्म में प्रवेश दिया जा सकेगा? इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिए।
13. **प्रवेश एवं सेवानिवृतिः–** साझेदारी में नये साझेदार के प्रवेश के क्या नियम होंगे? साझेदार द्वारा फर्म में अवकाश ग्रहण करने अथवा उसके हटाये जाने की कौन सी स्थितियाँ होंगी? अवयस्क साझेदार का प्रवेश कैसे होगा? इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिये।
14. **ख्यातिः–** साझेदारी संलेख में ख्याति के मूल्यांकन की विधि का उल्लेख किया जाना चाहियें। साझेदारी फर्म में नये साझेदार के प्रवेश अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है।
15. **साझेदारी के कर्तव्यः–** व्यवसाय के सामान्य संचालन में साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे? किन–किन कार्यो को कौन–कौन से साझेदार साझेदारी संलेख के अनुसार करेंगे।

16. **अधिकार एवं नियंत्रणः–** प्रायः सभी साझेदारों को फर्म के प्रबन्ध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। किन्तु व्यवहार में कार्यो के अनुसार अधिकारों में परिवर्तन आवश्यक होता है। उन पर नियन्त्रण किस प्रकार स्थापित होगा?
17. **खातो का संधारण एवं उनके अंकेक्षण की व्यवस्थाः** साझेदारी की लेखा पुस्तके किस प्रणाली के अनुसार रखी जायेगी तथा उसके अन्तिम खातो की जाँच किस प्रकार हेगी? इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिये।

साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमः

यदि साझेदारो के मध्य में साझेदारी संलेख नहीं बना है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम,1932 की धारायें 12 से 17 के नियम लागू होते हैं जो इस प्रकार हैः–

1. साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज का उललेख न होने पर ब्याज देय नहीं होगा।
2. संलेख में पूँजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं होने पर साझेदारो कोअपनी पूँजी पर ब्याज नही दिया जायेगा।
3. संलेख के नियम के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ–हाँनि का विभाजन बराबर अनुपात में किया जायेगा। पूँजी साझेदार ने लगाई हो या नही।
4. साझेदार के मृत्यु होने की दशा में साझेदारी का अन्त हो जाता है।
5. हर साझेदार फर्म की पुस्तकों की एवं खातों की जाँच कर सकता है और प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।
6. सभी साझेदारों की सहमति से ही नये साझेदार का प्रवेश दिया जा सकता है।
7. यदि उल्लेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
8. यदि संलेख में उल्लेख नहीं है तो साझेदार द्वारा दिये गये ऋण पर केवल 6 प्रतिशत ब्याज लाभ हो या हाँनि प्राप्त करने का अधिकार है।
9. साझेदारों के मध्य मतभेदो का निर्णय बहुमत से किया जायेगा।
10. यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझ कर लापरवाही के कारण फर्म को हाँनि उठानी पड़ी हो तो हाँनि के लिए वह उत्तरदायी होगा।
11. विपरीत अनुबन्ध के अभाव में फर्म की सम्पत्ति व्यापार के लिए ही प्रयोग की जायेगी।
12. यदि फर्म के ढांचे में कोई परिवर्तन होता है तो इस फर्म के सभी साझेदारों के आपसी अधिकार व कर्तव्य वही होगे जो परिवर्तन के पहले थे।
13. साझेदारों की सम्पत्ति को साझेदारों में बांटने का यदि कोई अनुपात दिया है तो इसके सभी साझेदारो में बराबर अनुपात में बांटा जाता है।

9.5 साझेदारी फर्म के आवश्यक खाते

कम्पनी अधिनियम के अनुसार जैसी वैधानिक पुस्तके रखी जाती है वैसी वैधानिक पुस्तके साझेदारी फर्म में नहीं रखी जाती हैं। यहाँ पर एकाकी व्यवसाय की भाँति ही लेखे रखे जाते है और व्यवहारों का लेखांकन दोहरी प्रविष्टी प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। साझेदारी खाते निम्नलिखित है–

1. पूँजी खाता–
   क. चल या परिवर्तन शील पूँजी पद्धति
   ख. स्थायी या अचल पूँजी पद्धति–
2. साझेदार का पूँजी खाता
3. साझेदार का चालू खाता
4. आहरण खाता एवं आहरण पर ब्याज खाता
5. ब्याज खाता
6. ऋण खाता

9.6 व्यवहारों एवं खातों का समायोजन

साझेदारीं फर्म की लेखांकन प्रक्रिया में पूँजी खाता, आहरण खाता, ऋण खाता, ब्याज खाता एवं पूर्व मूल्यांकन खातों से सम्बन्धित व्यवहारों का समायोजन आवश्यक होता हैं जो अग्रांकित विवरण से स्पष्ट है:–

साझेदारों के पूँजी खाते :–

साझेदारों द्वारा फर्म के व्यवसाय में अंशदान साझेदार की पूँजी कही जाती है। साझेदारी की पूँजी में किया गया अंशदान उसके पूँजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदार अपनी पूँजी नगद सम्पत्ति या माल के रूप में दे सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार प्रत्येक साझेदार को फर्म में पूँजी लाना अनिवार्य नहीं है।

विशेष योग्यता वाले व्यक्ति बिना पूँजी लगाये भी फर्म में साझेदार बन जाते है। साझेदार द्वारापूँजी लगाने पर निम्न जर्नल प्रविष्टि होगी :–

Cash/Bank A/c Dr.
Stock/Purchase A/c Dr.
Assets A/c Dr.
To Partner's capital, A/c

साझेदारी फर्म में पूँजी खाते निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक विधि द्वारा खोले जा सकते हैं:–

1. चल या अस्थायी या परिवर्तनशील पूँजी विधि:–

(Fluctuating or floating capital Method)

इस विधि में साझेदार एंव फर्म के मध्य हुये समस्त व्यवहारों का लेखा साझेदार के पूँजी खाते (Partners capital A/c)में होता है। इस विधि में साझेदार के पूँजी खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसे चल या अस्थायी या परिवर्तनशील पूँजी विधि कहा जाता है। इस विधि में पूँजी खाते का अन्तिम शेष चिट्ठे में दर्शाया जाता है। अगले वर्ष पूँजी खाता इसी शेष से शुरू होता है।

इस विधि में साझेदार का पूँजी खाता इस इस प्रकार बनाया जाता है:–

डेबिट नामे साझेदार का पूँजी खाता क्रेडिट (जमा)

तिथि	विवरण		राशि	तिथि	विवरण		राशि
–	आहरण खाते से		–	–	शेष ला0/ग0 (प्रा0		–
–	आहरण पर ब्याज		–	–	शेष)		–
–	खाते से		–	–	रोकड़ बैंक खाते को		–
	लाभ–हाँनि			–	सम्पत्ति खाते को		–
	विनियोजन खाते से			–	पूँजी पर ब्याज खाते		–

				– – – – –	को स्कन्ध क्रय खाते को वेतन खाते को कमीशन खाते को लाभ–हाँनि विनियोजन खाता को (लाभ में मांग) शेष ला0 / ग0 को		– – – – –

Dr. **Partners Capital Account** **Cr.**

Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.	Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.
- - -	To Drawings A/c To Interest on Drawing A/c To Profit and Loss A/c Preparation A/c (Share in loss) "Balance b/d (closing balance)	-	-	-	By balance b/d "cash/bank A/c "Stock/Purchase A/c "Assets A/c "Interest on capital A/c "Commision A/c "Salary A/c "Profit & Loss Appropriation A/c (Share in profit) By balance b/d (opening Bal.)		

2. अचल या स्थायी पूँजी विधि :

(Fixed capital A/c Method)

इस विधि में साझेदारी के पूँजी खाते में साझेदार द्वारा लायी गई अथवा निकाली गई, पूँजी को ही दिखाया जाता है। इस खाते में साझेदार का पूँजी एंव आहरण पर ब्याज, कमीशन,वेतन,लाभ–हाँनि के माँग को न दिखा कर एक दूसरे में दर्शाया जाता है जिसे साझेदार का चालू खाता (Partner's current Account) कहते हैं। अतः इस विधि में दो खाते खोले जाते है –

1. साझेदार का पूँजी खाता(capital A/c)
2. साझेदार का चालू खाता (current A/c)

1. साझेदार का पूँजी खाता :–

साझेदारी में विपरीत अनुबन्ध के अभाव में पूँजी खाता स्थिर या अचल (Fixed) माना जाता है। क्योंकि पूँजी स्थिर रहती है।

साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूँजी लगाये जाने पर या अधिक पूँजी निकालने पर ही इस खाते में परिवर्तन होता है अतिरिक्त लायी गई पूँजी इस खाते के क्रेडिट पक्ष में और निकाली गई पूँजी इसके डेबिट (नामे) पक्ष में लिखी जाती है। प्रतिवर्ष इस खाते के क्रेडिट शेष को फर्म के चिट्ठे में दायित्व की ओर दिखाते हैं।

2. **साझेदार का चालू खाता :–**

पूँजी को स्थिर रखने हेतु एक अलग से खाता खोला जाता है जिसे चालू खाता कहा जाता है। यदि साझेदारों में पूँजी स्थायी रखने का समझौता हुआ हो तो पूँजी को छोड़कर वाकी के सारे लेन देन चालू खाते में दिखाये जाते हैं। पूँजी खाते में केवल साझेदार की पूँजी ही लिखी जाती है। चालू खाते के शेष पर ब्याज लिया अथवा दिया जाता है। यदि इस प्रकार का समझौता हो, तो इसकेब्याज का लेखा भी चालू खाते में होता है। चिट्ठा बनाते समय पूँजी खाता एंव चालू खाता कीबाकियों को अलग–अलग दिखाया जाता है। यदि साझेदारों में यह समझौता हुआ है कि पूँजी परिवर्तन शील रहेगी तो साझेदारी एंव फर्म के बीच होने वाले लेन–देन पूँजी खातो में लिखे जायेगें।

इस विधि में साझेदार का पूँजी खाता एंव चालू खाता का नमूना निम्नलिखित है :

Dr. Partners Capital Account Cr.

Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.	Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.
-	To Cash Bank A/c	-	-	-	By balance b/d		
-	To balance c/d	-	-	-	"cash bank A/c		
				-	"Stock/Purchase A/c		
				-	"Assets A/c		

Dr. Partners Current Account Cr.

Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.	Date	Particulars	J.F.	Amt. Rs.
-	To balance b /c		-	-	By Balance b/d		–
-	To Drawing A/c		-	-	By Interest on capital A/c		–
-	To Interest on Drawing A/c		-	-	By salary A/c		–
-	Profit and Loss Appro priation A/c (Share of Loss)		-	-	By Commission on A/c		–
-			-	-	By Profjt and loss A/c Appropriation (Share of profit)		–
					balance c/d		

	Balance c/d						

इस विधि में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है :–

1. **पूँजी पर ब्याज (Interent on capital) :**

भारतीय साझेदारी अधिनियम किसी विपरीत व्यवस्था के अभाव में साझेदारों को अपनी पूँजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करता,किन्तु साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों को अपनी पूँजी लगाये जाने पर अथवा समान पूँजी पर लाभ –हाँनि का अनुपात असमान होने पर प्रायः साझेदारी संलेख में पूँजी पर ब्याज खाता डेविट तथा स्थिर पूँजी पद्धति की दशा में साझेदार का चालू खाता अथवा परिवर्तनशील पूँजी की दशा में साझेदार का पूँजी खाता डेविट किया जाता है । जिसे वर्ष के अन्त में लाभ –हाँनि विनियोजन खाता में अन्तरित कर पूँजी पर ब्याज खाता बन्द कर दिया जाता है । प्रविष्ट इस प्रकार है–

i. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज लगाने पर –

पूँजी पर ब्याज खाता डेविट — Interest on capital A/c Dr.

साझेदार का चालू/पूँजी खाता से — To Partner'scurrent/capital A/c

ii. वर्ष के अन्त में पूँजी पर ब्याज लाभ–हाँनि विनियोजन खाते में अन्तरित करने पर –

लाभ–हाँनि विनियोजन खाता डेविड — Profi and Loss Appropriation A/c ...Dr.

पूँजी पर ब्याज खाता से — To Interest on capiatal A/c

2. **साझेदारों द्वारा आहरण (Drawings by Partner's):**

साझेदार द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से नगद अथवा माल का निकालना आहरण कहलाता है। प्रायः साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आहरण की राशि में साझेदार का आहरण खाता डेबिट तथा नकद की स्थिति में रोकड़/बैंक खाता क्रेडिट एंव माल आहरण करने की स्थिति में क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के अन्त में साझेदार के आहरण खाता का शेष साझेदार का चालू खाता अथवा साझेदार का पूँजी खाता बन्द कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जर्नल प्रविष्ट है –

(i) साझेदार द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु रोकड़ अथवा माल का आहरण करने पर –

साझेदार का आहरण खाता डेबिट — Partner's drawing A/cDr.

रोकड़/बैंक खाता से — To Cash /Bank A/c

क्रय खाता से — To Purchases A/c

(ii) वर्ष के अन्त में आहरण खाता बन्द करने पर — Partners current Dr.

साझेदार का चालू /पूँजी खाता डेबिट — capital A/c

साझेदार का आहरण खाता से — To Partner's drawing A/c

3.आहरण पर ब्याज (Interest on Drawings):-

फर्म से अधिक राशि आहरित करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से प्रायः साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज लिये जाने का प्रावधान किया जाता है। आहरण पर ब्याज की दर पर तय की जाती है। आहरण पर ब्याज लगाने हेतू चालू खाता अथवा साझेदारी का पूँजी खाता डेबिट

तथा आहरण पर ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के अन्त में आहरण पर ब्याज खाता लाभ–हॉनि विनियोजन खाता में अन्तरित कर बन्द कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रविष्ट हैं :–

(i) आहरण पर ब्याज लगानें पर –
साझेदार का चालू/पूँजी खाता डेबिट | Partner's current / capital A/c Dr.
आहरण पर ब्याज खाता से | To Interest on drawings A/c

(ii) वर्ष के अन्त में आहरण पर ब्याज की कुल राशि लाभ–हॉनि विनियोजन खाता में अन्तरित करने पर –
आहरण पर ब्याज खाता डेविट | Interest on Drawings A/c Dr.
लाभ–हॉनि विनियोजन खाता से | To Prorfit loss Appropriation A/c

4. साझेदारों का वेतन अथवा कमीशन (Partner's salary or commission) :

यदि फर्म में कोई साझेदार अन्य साझेदारो की अपेक्षा अपना अधिक समय देता है, अथवा किसी विशेष योग्यता से सम्बन्धित कार्यो को पूरा करता है तो ऐसी थिति में साझेदारी संलेख में प्रावधान कर उन्हें अपनी अतिरिक्त सेवाओं के लिए अथवा विशिष्ट कार्यो के लिए वेतन अथवा कमीशन दिया जा सकता है। यह वेतन मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाता है तथा कमीशन की गणना वर्ष के अन्त में ज्ञात किये गये विक्रय के आधार पर की जाती है।

वेतन अथवा कमीशन की राशि को साझेदार का वेतन/कमीशन खाता डेबिट तथा साझेदार का चालू खाता अथवा साझेदार का पूँजी खाता क्रेडिट किया जाता है। वेतन अथवा कमीशन फर्म के लिए व्यय है अतः वर्ष के अन्त में इसे लाभ–हॉनि विनियोजन खाता में अन्तरित कर साझेदार का वेतन/कमीशन खाता बन्द कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रविष्टियॉ होगी–

(1) साझेदार का वेतन अथवा कमीशन की राशि उसके चालू/पूँजी खाते में जमा करने पर–

साझेदार का वेतन/कमीशन खाता डेबिट Partner's salary/commission A/c Dr.
साझेदार का चालू/पूँजी खाता से To partners current/Capital A/c

(2) वर्ष के अन्त में साझेदार के वेतन अथवा कमीशन की कुल राशि लाभ–हॉनि विनियोजन खाते में अन्तरित करने पर–

लाभ–हॉनि खाता डेबिट Profit & Loss Appropriation A/c Dr.
साझेदार का वेतन/कमीशन खाता से Partner's salary/commission A/c

5.साझेदार द्वारा फर्म को ऋण प्रदान करना

कभी–कभी पूँजी के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर फर्म अपने साझेदारों को ऋण भी प्राप्त करती है। यह ऋण फर्म के लिए एक पृथक दायित्व होता है अतः इसे साझेदार का ऋण खाता खोलकर पृथक से दर्शाया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रविष्टि होगी–

रोकड़/बैंक खाता डेबिट Cash/Bank A/c
साझेदार का ऋण खाता से To partners Loan A/c
(साझेदार से प्राप्त ऋण) (Being loan received from the partner)

ऋण पर ब्याज

साझेदार द्वारा दिये गये ऋण पर फर्म साझेदारी संलेख में उल्लिखित ब्याज दर के आधार पर ब्याज का भुगतान करती है। यदि संलेख में ऐसी कोई ब्याज दर निश्चित नहीं है तो साझेदार को 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज की राशि का भुगतान साझेदार को नकद किया जा सकता है अथवा साझेदार के ऋण खाता में जमा कर अथवा साझेदार के चालू/पूँजी खाता में जमा कर दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रविष्टि होगी–

ऋण पर ब्याज खाता डेबिट	Interest on Loan A/c Dr.
रोकड़/बैंक खाता से	To cash/bank A/c
या Or	
साझेदार का ऋण खाता से	To Partner's Loan A/c
या Or	
साझेदार का चालू/पूँजी खाता से	To Partner's Current/Capital A/c

6. लाभ–हाँनि विभाजन–

सामान्यतः साझेदारों के मध्य फर्म की लाभ–हाँनि का वितरण साझेदारी संलेख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता है। यदि संलेख में लाभ–हाँनि के विभाजन का उल्लेख नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म की लाभ–हाँनि का विभाजन साझेदारों के मध्य बराबर के अनुपात में होगा चाहे साझेदार के फर्म में पूँजी लगायी हो अथवा न लगायी हो। यदि साझेदारी संलेख में केवल फर्म के लाभ के विभाजन का उल्लेख हो तो ऐसी स्थिति में फर्म की हाँनि का विभाजन भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में लाभ का विभाजन किया जाना है। साझेदारों के मध्य समझौता होने पर लाभ एवं हाँनि का विभाजन पृथक–पृथक अनुपात में भी किया जा सकता है। फर्म के लाभ अथवा हाँनि का साझेदारों के मध्य विभाजन की प्रविष्टि होगी–

लाभ की दशा में –

लाभ–हाँनि विनियोजन खाता डेबिट	Profit & Loss Appropriation A/c
साझेदारों का चालू/पूँजी खाता से	To Partner's current/capital A/c

हाँनि की दशा में –

साझेदारों का चालू/पूँजी खाता डेबिट	Partner's current/capital A/c Dr.
लाभ–हाँनि विनियोजन खाता से	To Profit & Loss Appropriation A/c

साझेदारों के मध्य लाभ–हाँनि का विभाजन निम्नलिखित में से किसी भी एक विधि द्वारा किया जा सकता है–

एक निश्चित अनुपात में–

यह अनुपात पूर्णांक में, भिन्न में अथवा निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है। जैसे–'A' 'B'एवं 'C' के मध्य लाभ–हाँनि के विभाजन का अनुपात 2:3:5 अथवा $\frac{2}{10} : \frac{3}{10} : \frac{5}{10}$ अथवा $\frac{1}{5} : \frac{3}{10} : \frac{1}{2}$ अथवा 20%, 30% एवं 50% निश्चित किया जाना।

पूँजी के अनुपात में–

यदि साझेदारी संलेख में लाभ–हाँनि का विभाजन पूँजी के अनुपात में किया जाना है तो इस स्थिति में इसका निम्नलिखित में से किसी भी एक विधि द्वारा किये जाने का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिए–

1. मूल पूँजी अनुपात में
2. प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ की पूँजी के अनुपात में
3. प्रत्येक वर्ष के अन्त की पूँजी के अनुपात में
4. प्रत्येक वर्ष की औसत पूँजी के अनुपात में

7. बराबर अनुपात में –

यदि संलेख में लाभ–हाँनि के विभाजन का कोई निश्चित अनुपात नहीं है तो लाभ–हाँनि का विभाजन बराबर के अनुपात में होगा जैसे–X, Y, Z के बीच लाभ–हाँनि का विभाजन का अनुपात 1:1:1 होगा।

8. लाभ की कुछ राशि एक निश्चित अनुपात में तथा शेष राशि एक दूसरे निश्चित अनुपात में बॉटना–

जैसे–A एवं B के मध्य 20000 रू0 तक का लाभ 2:3 अनुपात में तथा इससे अधिक लाभ 1:2 के अनुपात में बॉटा जाना हो तथा वर्ष 2015–16 में 35000/– रू0 का लाभ हो तो इसका विभाजन इस प्रकार है–

	Rs.	Rs.	Rs.
प्रथम शेष	20000/- (35000-20000) = 15000/-	8000/- 5000/-	12000/- 10000/-
योग	35000/-	13000/-	22000/-

वर्ष 2015–16 का लाभ–हाँनि विभाजन अनुपात होगा 13:22 ।

9. लाभ एवं हाँनि का अलग–अलग अनुपात में विभाजनः–

जब साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य लाभ–हाँनि विभाजन का अनुपात अलग–अलग दिया गया हो तो लाभ का वितरण एक अलग अनुपात में और हानि का वितरण निर्धारित किये गये अलग अनुपात से होगा।

कुछ महत्वपूर्ण गणनायें Calculation of Interst on Capital:–

क. पूँजी पर ब्याज की गणनाः–

$$\text{पूँजी पर ब्याज} = \frac{\text{विनियोजित पूँजी} \times \text{ब्याज की दर} \times \text{अवधि (माह)}}{100 \times 12}$$

or

$$\text{Interest on capital} = \frac{\text{Capital Invested X Rate of Interest x Period}}{100 \times 12}$$

नोटः– उपर्युक्त सूत्र से वर्ष के प्रारम्भ की पूँजी वर्ष भर का ब्याज और वर्ष के दौरान लायी गई अतिरिक्त पूँजी पर विनियोग की तिथि से वर्ष के अन्त तक की अवधि के ब्याज की गणना की जायेगी।

किन्तु यदि प्रश्न में पूँजी के अन्तिम शेष का उल्लेख हो तो प्रारम्भिक पूँजी की गणना करके उस पर ब्याज की गणना किया जाता है–<u>Calculation of opening capital</u>

Capital at the end of the year (closing capital) -			Rs.
Add-	(i) Drawing made during the year	....	......
	(ii) Share of Loss debited for the year	....	......
Less-	(i) Additional of Capital introduced duringthe year –	....	.....
	(ii) Share of Profit credited for the year -	....	.....
	Capital at the begining of the year – (opening capital)	.....	.....

ख. आहरण पर ब्याज की गणना Calculation of Interest on drawing:–

आहरण पर ब्याज की गणना की विधियॉ निम्नलिखित है:–

(i) साधारण विधि Simple Method:–

इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर आहरण की तिथि से खाता बन्द करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात कर उस पर निर्धारित दर पर ब्याज की गणना की जाती है। उसके बाद विभिन्न आहरणों पर निकाली गयी ब्याज की राशि का योग कर आहरण पर ब्याज की गणना निम्न सूत्र से की जाती है–

$$\text{आहरण पर ब्याज} = \frac{\text{आहरण की राशि} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100 \text{ x } 365 \text{ or } 12}$$

Or

$$\text{Interest on Drawing} = \frac{\text{Drawing Amount x Rate x Time}}{100\text{x } 365 \text{ or } 12}$$

(ii) गुणनफल विधि(Produet Method)

इसमें आहरण की तिथि से खाता बन्द करने की तिथि तक की अवधि की गणना महीनों में की जाती है, उसके बाद प्राप्त महीनों का आहरण की राशि से गुणा कर प्राप्त गुणनफल के आधार पर निम्न सूत्र से ब्याज की गणना की जाती है–

$$\text{आहरण पर ब्याज} = \frac{\text{गुणनफल का योग} \times \text{ब्याज की दर}}{100 \times 12}$$

Or

$$\text{Interest on Drawing} = \frac{\text{Total of Product x Rate of Interest}}{100\text{x}12}$$

(iii) औसत भुगतान विधि(Average Due Date Method):–

इस विधि में ब्याज की गणना औसत अवधि के आधार पर निम्न सूत्र से की जाती है–

$$\text{आहरण पर ब्याज} = \frac{\text{कुल आहरण} \times \text{ब्याज की दर} \times \text{औसत अवधि (माह दिनों में)}}{100 \times 12 \text{ या } 365}$$

Or

$$\text{Interest on Drawings} = \frac{\text{Total of Drawings x Rate of Interest x Average perioed (in months)}}{100\text{x}12 \text{ or } 365}$$

Calculation of Average Period in above Formula =

$$\text{औसत अवधि (Average Period)} = \frac{\text{गुणनफल का योग (Total Product)}}{\text{आहरण का योग (Total of Drawings)}}$$

विशेष :—आहरण की तिथि स्पष्ट न होने पर यदि आहरण पर ब्याज की दर वार्षिक दी है तो कुल आहरण पर वर्ष के आधे माह अर्थात् 6 माह के ब्याज की गणना की जाती है।

आहरण पर ब्याज निकालने की कुछ अन्य विधियॉ—

1 मासिक आहरण पर ब्याज निकालना—

यदि साझेदार प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख पर एक निश्चित धनराशि आहरण के रूप में लेते है तो आहरण पर ब्याज निकालने की निम्न विधियॉ है—

क. प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख पर आहरण की राशि को आगे वाले महीनों की संख्या से गुणा करके

जैसे— यदि 31 जनवरी को आहरण किया गया है तो इसे शेष 11 माह से गुणा करना और यदि 29 फरवरी को आहरण किया गया है तो इस राशि को शेष 10 माह से गुणा करना और यही विधि आगे भी अपनायी जाती है। इस प्रकार आहरण की राशि में आगे के शेष महीनों का गुणा करके आने वाली सब राशियों के योग की राशि पर एक माह का जो ब्याज निर्धारित दर पर आयेगा वहीं अभिष्ट ब्याज होगा, या

ख. यदि आहरण प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख को किये जाते है, तो आहरण का ब्याज, आहरण की कुल राशि पर 5½ महीने के ब्याज के बराबर होता है।

ग. यदि आहरण नियमित अवधि से निकाले जाते हैं, जैसे— प्रत्येक चार माह पर तो प्रथम आहरण पर जिस अवधि का ब्याज निकालना है तथा अन्तिम आहरण पर जिस अवधि का ब्याज निकालना है इन दोनों अवधियों को जोड़कर दो का भाग देने से जो अवधि आती है, इस औसत अवधि के लिए आहरण की राशियों के योग पर निर्धारित प्रतिशत से ब्याज निकाला जाता है।

घ. प्रत्येक माह की प्रथम तारीख पर आहरण :

(अ) यदि साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख पर एक निश्चित धनराशि आहरण करते है तो आहरण की राशि को उन महीनों से गुणा करना चाहिए जो वर्ष की समाप्ति तक के हो जैसे 1 जनवरी के आहरण को राशि को 12 से 1 फरवरी के आहरण की राशि को 11 से और 1 मार्च के आहरण की राशि को 10 से गुणा करना चाहिए। यही क्रम अन्य माह के आहरण की राशि के लिए भी अपनाा जाता है। इन राशियों के योग पर एक माह का जो ब्याज निर्धारित दर से आता है वहीं अभिष्ट ब्याज होता है। या

(ब) यदि आहरण प्रत्येक माह का प्रथम तारीख पर किये जाते है तो आहरण पर ब्याज निकालने की इस विधि के अनुसार वर्ष भर के कुल आहरण की राशि पर 6½ माह का ब्याज निकालना चाहिए।

(स) प्रथम माह के आहरण की अवधि में अन्तिम माह के आहरण की अवधि को जोड़कर दो का भाग देने से औसत अवधि आती है। इसी अवधि का आहरण के योग पर ब्याज निकाला जाता है।

9.7 लाभ का साझेदारों में वितरण (Distribution of profit amongst the partners)

इसके नियम निम्नलिखित हैं:—

1. **साझेदारी के आधार पर लाभा—लाभ का विभाजन करना:—**

सामान्यतया लाभा—लाभ विभाजन का अनुपात साझेदारों में आपसी समझौते के आधार पर तय होताहैं। लाभ का विभाजन निम्नलिखित विधियों में से किसी भी एक विधिसे किया जा सकता है:—

क. बराबर अनुपात में

ख. बिना किसी आधार के एक निश्चित अनुपात में

ग. साझेदारों की पूँजी के अनुपात में

घ. साझेदारी की सेवाओं के लिए वेतन या बोनस आदि देना और शेष राशि को किसी भी अनुपात में बाँटना।

च. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज देकर और शेष राशि को किसी भी अनुपात में बाँटना।

छ. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज देना और साझेदारों की सेवाओं के लिए वेतन, आदि देना तथा राशि को किसी भी अनुपात में बाँटना।

उपर्युक्त वर्णित 6 विधियों में से प्रथम दो विधियाँ स्पष्ट हैं। परन्तु तीसरी विधि जो कि पूँजी के अनुपात में लाभ बाँटने में सम्बन्धित है का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

पूँजी अनुपात में लाभ का विभाजन—

जब पूँजी के अनुपात में लाभ बॉटे जाते है तो साझेदार संलेख में अग्रांकित में से किसी एक का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए—

क. प्रत्येक वर्ष के अंत की पूँजी के अनुपात में।

ख. मूल पूँजी के अनुपात में।

ग. प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ की पूँजी के अनुपात में।

घ. लाभ की कुछ राशि एक अनुपात में शेष राशि दूसरे अनुपात में बाँटना और पूँजी खाते तैयार करना।

इस नियम के अनुसार साझेदारों में लाभ का बंटवारा उस अनुपात में किया जाता है जो उनमें निश्चित हो जाता है यह अनुपात कई प्रकार से निश्चित किये जा सकते है। जैसे यदि दो साझेदार हो तो पूरे लाभ को 3:4 या 3/4 या 1/4 या 75 प्रतिशत या 25 प्रतिशत या तो इन प्रकारों से या अन्य किसी अनुपात या विधि के द्वारा बॉट सकते है, अर्थात लाभ के प्रथम 10,000/— रूपया की राशि को या अन्य किसी भी राशि को बराबर बाँटेंगे और इसके अतिरिक्त बाकी की राशि को 1:3 के अनुपात में या अन्य किसी अनुपात में बाटेंगे। किन्तु यदि लाभ बॉटने का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं किया गया है तो लाभ इन सब साझेदारों में बराबर—बराबर बाँटा जाता है।

विभाजन योग्य लाभ का समायोजन (Adjustment of Distributable profit)

साझेदारों में बॉटे हुये लाभ को उस समय समायोजित करना पड़ता है। जब खाते बन्द कर दिये जाते है। वे दशायें जिसके लिए यह समायोजन करना पड़ता है इस प्रकार है–

1. पूँजी पर ब्याज का लेखा छूट जाने की दशा में लाभ का समायोजन– जब समझौते के अनुसार पूँजी पर ब्याज का लेखा किये बगैर लाभ निकाल लिये जाते है तब जिस वर्ष यह भूल प्रकट होती है उस वर्ष गत वर्षो के लाभों के समायोजन के बाद एक प्रविष्टि की जाती है।
2. ब्याज की दरों में समायोजन करना एवं उन त्रुटियों का सुधार करना जो खाता बन्द करने के बाद प्रकट हुई हो।
3. लेखा कर्म की पद्धति में परिवर्तन करने के कारण लाभ का समायोजन करना।
4. पुस्तकों में किसी सम्पत्ति का लेखा छूट जाने के कारण समायोजन करना।
5. गत वर्षो के सम्बन्ध में लाभहॉनि अनुपातों का समायोजन करना।
6. साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज को निश्चित दर का उल्लेख होने के बाद भी आहरण पर ब्याज न लगाया जाना अथवा किसी अन्य दर पर ब्याज लगाया गया हो।
7. साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को वेतन, कमीशन, का भुगतान किया जाना हो, किन्तु न किया गया हो या करने या अधिक किया गया हो।
8. लाभ–हॉनि का विभाजन गलत अनुपात में किया गया हो।
9. विगत वर्षो के लाभ–हॉनि अनुपात को समायोजित करना हो।
10. खाते बन्द करने के पश्चात प्रकट हुई भूलों का सुधार करना हो।

रोकड़ पद्धति से व्यापारिक पद्धति के आधार पर लाभ का समायोजन–

साझेदारों द्वारा अपनी लेखा पुस्तकें रोकड़ पद्धति के स्थान पर व्यापारिक पद्धति से तैयार किये जाने का निर्णय लिए जाने पर रोकड़ पद्धति से ज्ञात वर्ष के लाभ–हॉनि में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एंव अनुपार्जित आय का समायोजन आवश्यक होता है । उक्त समायोजन के बाद लाभ–हॉनि की राशि पुनः ज्ञात की जाती है तथा इसका तुलना में रोकड़ पद्धति के अनुसार ज्ञात किए गए लाभ–हॉनि से कर समायोजित राशि की गणना की जाती है। चालू वर्ष के अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय के साथ समायोजितलाभ की समायोजन प्रविष्टि कर आगामी वर्षो के खाते रोकड़ पद्धति के स्थान पर व्यापारिक पद्धति से तैयार किये जा सकते हैं।

9.8 सारांश

साझेदारी उन व्यक्तियो का सम्बन्ध है, जो एक ऐसे व्यापार के लाभो को बाँटने के लिए सहमत हुये हैं जो उन सब के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार साझेदारों में साझेदारो के मध्य आपसी सम्बन्ध , और उनकी सीमाओं के निर्धारण तथा व्यवसाय के कुशल संचालन हेतू साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एकाकी व्यवसाय की भाँति ही लेखे रखे जाते हैऔर व्यवहारों का लेखांकन दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है । इससे निम्नलिखित खाते तैयार किये जाते है ।

पूँजी खाता , आहरण खाता , ब्याज खाता, ऋण खाता, इत्यादि ।

9.9 शब्दावली

साझेदारी– साझेदारी उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है।

ठहराव अथवा अनुबन्ध– साझेदारी का जन्म साझेदारों के बीच स्पष्ट अथवा गर्भित ठहराव या अनुबन्ध के ही आधार पर होता है।

ऐजेण्ट– प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेण्ट भी है और स्वामी भी है।

साझेदारी संलेख–जब कभी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो प्रायः साझेदारी से सम्बन्धित सम्पूर्ण शर्तों को एक पत्र पर लिख लिया जाता है। इस लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। इस संलेख में विभिन्न प्रकार की शर्तें लिखी जाती है।

पूँजी खाता–एक साझेदार द्वारा साझेदारी की पूंजी में किया गया अंशदान उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारी में विपरीत अनुबन्ध के अभाव में पूंजी खाता अचल या स्थिर (Fixed) माना जाता है।

चालू खाता–पूँजी को स्थिर रखने के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है, जिसे चालू खाता कहा जाता है।

आहरण खाता– फर्म में साझेदारों द्वारा बहुत बार आहरण किया जाता है तब आहरण का हिसाब चालू खाते में लिखने से चालू खाता जटिल हो जाता है। ऐसी दशा में आहरण का लेखा एक अलग खाते में रखा जाता है, जिसे आहरण खाता कहा जाता है।

पूँजी पर ब्याज– साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूँजी पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था होती है, वहां पर ब्याज दिया जाता हैं।

आहरण पर ब्याज– जब साझेदार अपने निजी व्यय के लिए व्यवसाय से राशि निकालते है तो इसे आहरण कहा जाता हैं आहरण पर ब्याज लेना फर्म का गर्भित अधिकार नहीं है। इस आहरण पर प्रत्येक साझेदार को समझौते में दी हुई दर के अनुसार ब्याज देना पड़ता है।

विभाजन योग्य लाभ का समायोजन– खाते बन्द करने के बाद बहुधा साझेदारों में बांटे हुए लाभ को समायोजन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऐसी या तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन होने के कारण या कुछ अन्य कारणों के आधार पर करना पड़ता है।

9.10 बोध प्रश्न

बताइये निम्नलिखित कथन 'सत्य' है या 'असत्य'–

State whether following statements are " True' or False':

(I) साझेदारी का निर्माण केवल वैधानिक व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है।
A partnership can be formed only for a legal business.

(II) साझेदारी का जन्म अनुबन्ध से होता हैं।
A partnership is born by an agreement.

(III) साझेदारी का सामझौता सदैव लिखित होता है।
The partnership agreement is always in writing.

(iv) परिवर्तनशील पूँजी पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक, साझेदार के लिए फर्म की पुस्तको में पूँजी खाता एवं चालू खता खोला जाता है।.
Under fluctuating capital method in the books of the firm to each partner Capital Account and Current Account are opened.

(v) साझेदार पूँजी पर 6% वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है।
A partner is entitled to 6% p.a interest on capital.

(vi) एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है।
The liability of a partner is unlimited.

9.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(i) सत्य; (ii) सत्य; (iii) असत्य; (iv) असत्य; (v) असत्य; (vi) सत्य;

9.10 स्वपरख प्रश्न

(अ) दीर्घ उत्तरीय **(Long Question)** :–

1. साझेदारी की परिभाषा दीजियें। साझेदारी के मूल तत्व क्या है।
(Define partnership. What are the essential elements of partnership.)
2. 'साझेदारी संलेख' क्या है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य कौन से नियम लागू होंगे?
(What is 'partnership deed' ? What rules shall be applicable amorngst partners in the absence of any agreements?)
3. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा किस प्रकार किया जायेगा?
How the matters will be settled among the partners in absence of partnership deed?
4. साझेदारो संलेख क्या है? एक साझेदारी संलेख में लेखांकन सम्बन्धी किन–किन बातों का समावेश किया जाना चाहिये? साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमों की विवेचना कीजिये।
(What is partnershipdeed? What points relating to accounting should be included in a partner-ship deed? Discuss the rules which are applieable in the absence of the partnership deed.)
5. साझेदारी व्यवस्था के अंग क्या है तथा साझेदारी समझौते के आवश्यक अंग क्या है ?
(What are the elements of partnership system and what are the essential elements of a partnership deed?)–

(ब) लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short Answer Question)**

1. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों में से किन्ही तीन ऐंसे नियमों को लिखिए जो लेखांकन से सम्बन्धित हों।
Write any three such rules which apply in the absence of a partnership deed and are related with accounting.
2. साझेदारों के चालू खातों में किन–किन मदों की प्रविष्टि की जाती है ?
Which items are entered in partner's current accounts?
3. आहरण पर ब्याज की गणना की कोई दो विधियाँ लिखिए।

(What are the elements of partnership system and what are the essential elements of a partnership deed?)–

4. लाभ–हॉनि विनियोजन खाता तैयार करने के क्या उद्देश्य है?

(What are the objects of preparing profile of loss Appropriation A/c)

संख्यात्मक प्रश्न (Numerical Questions)

उदाहरण 1.

एक फर्म की निम्नलिखित सूचनाओं से साझेदारों के पूँजी लेखे तैयार कीजिये। (i) जब पूँजी स्थायी है, तथा (ii) जब पूँजी परिवर्तनशील है।

विवरण	अमित	मोहित रू.	रोहित रू.
प्रारम्भिक पूँजी–	45,000	65,000	75,000
अतिरिक्त पूँजी	8,000	–	–
आहरित पूँजी	–	3,000	5,000
पूँजी पर ब्याज	2,450	3,325	3,875
कमीशन	–	4,500	–
साझेदार का आहरण	20,000	15,000	10,000
आहरण पर ब्याज	600	450	300
लाभ का हिस्सा	20,000	40,000	60,000

From the following informations of a firm. partner's capital accounts: (i) When capital are fixed and (ii) When capital are flucatuating:

एक फर्म की निम्नलिखित सूचनाओं से साझेदारों के पूँजी लेखे तैयार कीजिये। (i) जब पूँजी स्थायी है, तथा (ii) जब पूँजी परिवर्तनशील है।

Particulars	Amit Rs.	Mohit Rs.	Rohit Rs.
Opening Capital-(Cr.)	45,000	65,000	75,000
Additional Capital	8,000	-	-
Capital withdrawn	-	3,000	5,000
Interest on Capital	2,450	3,,325	3,875
Commission	-	4,500	-
Partner's Drawings	20,000	15,000	10,000
Interest on drawings	600	450	300
Share of Profits	20,000	40,000	60,000

उत्तर–(i) स्थायी पूँजी पद्धति–पूँजी लेखे (समा.) शेष– अमित 53.000 रू,; मोहित 62,000 रू. एवं रोहित 70,000 रू.; चालू लेखे (समा.) शेष– अमित 1,850 रू. मोहत 32,375 रू. एवं रोहित 53,575 रू,।

(ii) परिवर्तनशील पूँजी पद्धति पूँजी लेखे शेष– अमित 54,850 रू. मोहित 94,375 रू. एवं रोहित 1,23,575 रू

संख्यात्मक प्रश्न (Numerieal Question)

उदाहरण– 1

'A; 'B' और 'C' जो 6 : 5 : 3 के अनुपात में लाभ–हानि का विभाजन करते है, का 31 मार्च, 2016 को चिट्ठा (स्थिति–विवरण) निम्नानुसार था:

The following was the balance sheet of 'A; 'B' and 'C' sharing profits and losses in the ratio of : 6 : 5 :3 as 31st March, 2016.

दायित्व (Liabilities)		राशि (Amount)	सम्पत्तियों (Assets)	राशि (Amount)
		रू. Rs.	Rs.	Rs.
लेनदार (Creditors)		19,000	रोकड़ (Cash)	1,890
देयबिल (Bills Payable)		6,200	देनदार (Debtors)	26,460
पूँजीखाते(CapitalA/cs)	रू.(Rs.)	.	स्कन्ध (Stock)	29,400
A	39,900		फर्नीचर (Furniture)	7,350
B	33,600	.	भूमि एवं भवन (Land &Building)	50,400
C	16,800	90,000		
		1,15,500		1,15,500

उन्होनें (D) को निम्न शर्तो पर 1/8 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया:

(i) D ख्याति के 12,600 रू. तथा 14,700 रू. पूँजी के लायेगा।

(ii) फर्नीचर पर 920 रू. ता स्कन्ध पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाय।

(iii)1,320 रूपये अदत्त मरम्मत के बिल के लिए संचय किया जाय।

(iv)भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़ाकर 65,100 रू. कर दिया जाय।

आवश्यक जर्नल (पंजी) प्रविष्टियाँ, पुनर्मूल्याकन खाता एवं साझेदारों के पूँजी खाते बनाइये।

They agreed to take D into partnership by giving him 1/8th share on the following terms:

(i) That D should bring in Rs. 12,600 for goodwill and Rs 14,700 as his capital.

(ii) The furniture be depreciated by Rs. 920 and stock @ 10%

(iii) That a reserve of Rs. 1,320 be made for outstanding repairs Bills.

(iv) That the value of land and building having appreciated by brought up to Rs.65,100 Make journal entries and prepare Revaluation A/c and Partners' Capital Accounts.

हल–

Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Amount Debit	Amount Credit
2016			Rs.	Rs.
Mar., 31	Revaluation A/c Dr.		5,180	
	To Furniture A/c Dr.			920
	To Stock A/c Dr.			2,940
	To Outstanding RepairsA/c Dr.			1,320
	(Being depreciation of assets and provision for outstanding repairs)			
" 31	Land & Building A/c Dr.		14,700	
	To Revaluation A/c			14,700
	(Being the appreciation in the value of Land & Building			
" 31	Revaluation A/c Dr.		9,520	
	To A's Capital A/c			4,080
	To B's Capital A/c			3,400
	To C's Capital A/c			2,040
	(Being capital and goodwill brought in by the new partner D)			
" 31	Bank A/c Dr.		27,300	
	To D's Capital A/c			27,300
	(Being capital and goodwill brought in by the new partner D)			
" 31	D's Capital A/c Dr.		12,600	
	To A's Capital A/c			5,400
	To B's Capital A/c			4,500
	To C's Capital A/c			2,700
	(Being the amount of goodwill distributed amongst the old partners)			

.

Dr. Revaluation Account Cr.

	Particulars		Amount		Particulars		Amount
			Rs.				Rs.
	To Furniture A/c		920		By Land & Building A/c		14,700
	To Stock A/c		2,940				
	To Outstanding RepairsA/c						
	To Partner's capital A/c : Rs		1,320				
	A 4,080						
	B 3,400						
	C 2,400		9,520				
			14,700				14,700

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Date	Particulars	A	B	C	D	Date	Particulars	A	B	C	D

2016		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	2016		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Mar,31	ToA'sCapital				5,400	Mar, 31	By Balance				
	A/c						b/d	39,900	33,600	16,800	
" 31	ToB'sCapital					Mar, 31	By Revaluation				
	A/c				4,500		A/c (Profit)	4,080	3,400	2,040	
" 31	ToC'sCapital					Mar, 31	By Bank A/c				27,300
	A/c				2,700	Mar, 31	By D's Capital				
	To Balance c/d	49,380	41,500	21,540	14,700		A/c	5,400	4,500	2,700	
		49,380	41,500	21,540	27,300			49,380	41,540	21,540	27,300

उदाहरण– 2

'ए' और 'बी' बराबर के साझेदार है। 1 अप्रैल, 2016 को वे 'सी' को प्रवेश देने हेतु सहमत हो जाते हैं। 'सी' को 2,000 रू. प्रीमियम के रूप में देने थे, रूपए को व्यवसाय में छोड़ दिया जाना था। उसने व्यवसाय में एक तिहाई हिस्से के लिए 5,000 रू. पूँजी के रूप में लगाये।

31 मार्च, 2016 को 'ए' तथा 'बी' का चिट्ठा निम्नानुसार था:

दायित्व		राशि	सम्पत्तियाँ	राशि
		रू.		रू.
पूँजी खाते :	रू.		भूमि एवं भवन	7,962
'ए'	9,000		प्लाण्ट एवं मशीनरी	6,841
'बी'	9,000	18,000	पुस्तकीय देनदार	10,210
विविध लेनदार		9,862	स्कन्ध	3,528
संचय खाता		1,000	बैंक में रोकड़	271
			हस्तस्थ रोकड़	50
		28,862		28,862

पक्षकारों के मध्य यह तय हुआ कि पुस्तकीय मूल्यों में निम्नांकित समायोजन किया जाये–

(i) भूमि एवं भवन को 12,000 रू. पर मूल्यांकित किया जाये।
(ii) प्लाण्ट एवं मशीनरी को घटाकर 5,000 रू. कर दिया जाये।
(iii) 749 रू. अप्राप्य ऋण के अपलिखित किये जायें।
(iv) स्कन्ध का मूल्यांकन 3,000 रू. पर किया जाये।
(v) संचय खाता को 'ए' तथा 'बी' में समान रूप से बाँटा जाये।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये तथा नयी फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए।

' A' and 'B' are equal partners. On 1st April, 2016 they agreed to admit 'C' as partner. 'C' was to pay Rs. 2,000 as permium, the money to be left in the business and contributed Rs. 5,000 as capital for one-third share in business.

The Balance Sheet of 'A' and 'B' as at 31st March, 2016 was as follows:

Liabilities		Amount	Assets	Amount
		Rs.		Rs.
Capital A/cs:	Rs.		Land & Building	7,962
'A'	9,000		Plant & Machinery	6,841
'B'	9,000	18,000	Book Debts	10,210
Sundry Creditors		9,862	Stock	3,528
Reserve Account		1,000	Cash at Bank	271
Total		28,862	Total	28,862

It was agreed that the following adjustments in the book values were to be made:

(i) Land and building to be valued Rs. 12,000.
(ii) Plant and Machinery to be reduced Rs.5,000.
(iii) Bad Debts to be written off Rs. 749
(iv) Stock to be valued at Rs. 3,000.
(v) Reserve Account to be shared equally between 'A' & 'B'.

Show journal entries and prepare the Balance sheet of the new firm.

हल–

Date	Particulars	L.F.	Debit Amount	Credit Amount
2016			Rs.	Rs.
April 1	Reserve A/c Dr.		1,000	
	To A's Capital A/c			500
	To B's Capital A/c			500
	(Being distribution of reserve among old partners			
" 1	Land and Building A/c Dr.		4,038	
	To Revaluation A/c			4,038
	(Being increase in the value of land and building			
" 1	Revaluation A/c Dr.		3,118	
	To Plant and Machinery A/c			1,841
	To Book Debts A/c			749
	To Stock A/c			528
	(Being reduction in the value of assets			
" 1	Revaluation A/c Dr.		920	
	To A's Capital A/c			460
	To B's Capital A/c			460
	(Being profit on revaluation transferred to old partners' capital accounts)			
" 1	Bank A/c Dr.		7,000	
	To C's Capital A/c			7,000
	(Being amount brought in by 'C' as capitl and premium			
	C's Capital A/c		2,000	
	To A's Capital A/c			1,000
	To B's Capital A/c			1,000
	(Being the amount of premium credited to old partners' capital accounts in their sacrificing ratio i.e. 1: 1)			

Balance Sheet of 'A; 'B' and 'C' as on 1st April, 2016

Liabilities		Amount	Assets	Amount
		Rs.		Rs.
Capital A/cs			Land and Building	12,000
A	10,960		Plant and Machinery	5,000
B	10.960		Book Debts	9,461
C	5,000		Stock	3,000
		26,920		
Sundry Creditors		9,862	Cash at Bank (271+5,000+2,000)	7,271
			Cash in Hand	50
		36,782		36,782

Working Notes:

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Particulars	A	B	C	Particulars	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
To A's Capital A/c			1,000	By Balance B/d	9,000	9,000	
To B's Capital A/c			1,000	By Reserve A/c	500	500	
To Balance c/d	10,960	10,960	5,000	By Revaluation A/c	460	460	
				By Bank A/c			7,000
				By C's Capital A/c	1,000	1,000	
	10,960	10,960	7,000		10,960	10,960	7,000

उदाहरण– 3

A और B लाभ में क्रमशः 3/4 भाग लेते हैं तथा 31 मार्च, 2016 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था–

देयताएँ	राशि	सम्पत्तियाँ	राशि
	रू.		रू.
लेनदार	75,000	बैंक में शेष	45,000
सामान्य संचय	8,000	प्राप्य विपत्र	6,000
पूँजीखाते रू0		देनदार	32,000
A60,000 B 32,000	92,000	स्कन्ध	40,000
		कार्यालय उपस्कर	2,000
		भूमि तथा भवन	50,000
	1,75,000		1,75,000

वे 1 अप्रैल, 2016 को C को निम्नलिखित शर्तो पर साझेदारी में लेते हैं–

(1) कि C फर्म के आगामी लाभों में $\frac{1}{5}$ भाग के लिए 28,000 रू. दें।

(2) कि नयी फर्म की पुस्तकों में प्रब्याजि खाता 40,000 रू. से खोला जाय किन्तु प्रवेश के बाद उसे अपलिखित कर दिया जाए।

(3) कि स्कन्ध तथा कार्यालय उपस्कर को 10% से कम किया जाये तथा देनदारों पर 5% से संदग्धि ऋणों के लिए आयोजन किया जाय।

(4) कि भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% वृद्धि की जाय।

(5) कि सभी साझेदारों के पूँजी खाते उनके लाभ–हाँनि के अनुपात में पुनः समायोजित किये जायें तथा जो अतिरिक्त रकम हो उसे अस्थायी रूप से चालू खाते में जमा या नाम किया जाय तथा उसी समय उसका भुगतान नकद किया जाए।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा नई फर्म का प्रारम्भिक चिट्ठा बनाइये।

The following is the Balance Sheet as at 31st March, 2016 of A and B, who share profits in the proportion of $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively:

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.		Rs.

Sundry Creditors	75,000	Cash at Bank	45,000
General Reserve	8,000	Bills Receivable	6,000
Capital A/cs Rs.		Sundry Debtors	32,000
A60,000		Stock	40,000
B 32,000	92,000	Office Furniture	2,000
		Land & Buildings	50,000
	1,75000		1,75,000

They admit C into partnership on 1st April, 2016 on the following terms:

(1) That C pays Rs. 28,000 for $\frac{1}{5}$thshare in future profits.

(2) That a Premium (Goodwill) account be raised in the books of the firm at a value of Rs. 40,000 but written off after admission.

(3) That stock and office furniture be reduced by 10% and a provision for doubtful debts be created at 5% on debtors.

(4) That the value of the land and Building be appreciated by20%

(5) That the capital of all the partners be adjusted on the basis of their profit sharing proportion and any additional amount to the credit of any partner should be temporarily transferred to his current account and immediately paid in cash to him.

Give journal entries and prepare the initial balance sheet of the new firm.

हल:

Date	Particulars	L.F.	Debit Amount	Credit Amount
2016			Rs.	Rs.
April 1	Bank A/c Dr.		28,000	
	To C Capital A/c			28,000
	(Being capital brought in by Mohan for 1/5th share			
April 1	Premium (Goodwill) A/c		40,000	
	To A's Capital A/c			30,000
	To B's Capital A/c			10,000
	(Being Goodwill raised on the admission of new partner)			
" 1	A's Capital A/c		24,000	
	B's Capital A/c		8,000	
	C's Capital A/c		8,000	
	To Premium (Goodwill) A/c			40,000
	(Being the goodwill written off)			
" 1	Revaluation A/c		5,800	
	To Stock A/c			4,000
	To Office furniture A/c			200
	To Provision for Doubtful Debts A/c			1,600
	(Being value depreciated on admission of C)			
" 1	Building A/c Dr.		10,000	
	To Revaluation A/c			10,000
	(Being appreciation in the value of Building)			
	Revaluation A/c		4,200	
	To A's Capital A/c			3,150
	To B's Capital A/c			1,050
	(Being profit on revaluation transferred to old partners'capital)			
" 1	General Reserve A/c		8,000	

	To A's Capital A/c			6,000
	To B's Capital A/c			2,000
	(Being general reserve transferred to partners' capital accounts			
" 1	A's Capital A/c		15,150	
	Shyam's Capital A/c		17,050	
	To A's Current A/c			15,150
" 1	To B's Current A/c			17,050
	(Being exeees capital transferred)			
	A's Current A/c		15,150	
	B's Current A/c		17,050	
" 1	To Bank A/c			32,200
	(Being excess capital withdrawn by old partners			

Balance Sheet of the New Firm as on 1st April, 2016

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.		Rs.
Sundry Creditors	75,000	Cash at Bank	40,800
Capital Accounts: Rs.		Bills Receivable Rs.	6,000
A 60,000		Sundry Debtors 32,000	
B 20,000		*Less* : Provision 1,600	30,400
C20,000	1,00,000	Stock	36,000
		Furniture	1,800
		Buildings	60,000
	1,75,000		1,75,000

Working Notes:

(i) Calculation of New Profit Sharing Ratio

Let total profit be Re. 1

Share given to Mohan $=\frac{1}{5}$

Remaining share $=\frac{1}{1}-\frac{1}{5}=\frac{5-1}{5}=\frac{4}{5}$

A's Share $=\frac{3}{4}$ of $\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$

B's Share $=\frac{1}{4}$ of $\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$

New Profit Sharing ratio of A, B and C Will Be

$=\frac{3}{5}:\frac{1}{5}:\frac{1}{5}=3:1:1$

(ii) *Calculation of New Capital of partners*

C is to Pay Rs. 28,000

Less: Share of Goodwill $\left[20{,}000\times\frac{1}{5}\right]$ Rs. - 8,000

C's Capital 20,000

On the basis of C's Capital of Rs. 20,000 the total capital of the firm willbe

$20{,}000\times\frac{5}{1}=Rs.\,1{,}00{,}000$

Capital of Partners

A's Capital in the new firm $=1{,}00{,}00\times\frac{3}{5}=Rs.\,60{,}000$

B's Capital in the new firm $=1{,}00{,}000\times\frac{1}{5}=Rs.\,20{,}000$

C's Capital in the new firm Rs. 20,000

(iii) Calculation of old Partners's Net Capital

	A	B
	Rs.	Rs.
Balance b/d	60,000	32,000
Add : Goodwill (C's Share)	6,000	2,000
Revaluation Profit	3,150	1,050
General Reserve	6,000	2,000
Net Capital	75,150	37,050

(iv) Calculation of Excess Capital withdrawn by old Partners:

Partners	Net Capital	New Capital	=	Excess Capital
A	Rs. 75,150	Rs. 60,000	=	Rs. 15,150
B	Rs. 37.050	Rs. 20,000	=	Rs. 17.060

(v)

Dr. Bank A/c Cr.

2016			Rs.	2016			Rs.
April 1	To Balance b/d		45,000	April 1	By A Current A/c		15,150
" 1	To C's Capital A/c		28,000	" 1	By B CurrentA/c		17,050
				" 1	By Balance c/d		40,800
			73,000				73,000

9.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।

6- "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.

7- S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,

8- Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।

9- Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई– 10 साझेदारी खाते : नये साझेदार का प्रवेश
(Partnership Accounts : Admission of a new partner)

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 नये साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्यायें
10.3 नये साझेदार के प्रवेश पर नये लाभ–हॉनि अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना
10.4 ख्याति एंव उसकी गणना विधि
10.5 ख्याति को अपलेखन करना एंव मूल्याकंन करना
10.6 नये साझेदार का प्रवेश
10.7 ख्याति का लेखांकन
10.8 नये साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति सम्पत्ति के रूप में देना
10.9 गुप्त ख्याति का अर्थ व गणना विधि
10.10 सम्पत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना
10.11 लाभ हॉनि खाता संचय और अवितरित लाभ का हस्तान्तरण करना
10.12 कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन
10.13 नये साझेदार के पूँजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूँजी का समायोजन ।
10.14 पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी के आधार पर नए साझेदार को पूँजी की गणना
10.15 सांराश
10.16 शब्दावली
10.17 बोध प्रश्न
10.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
10.19 स्वपरख प्रश्न
10.20 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- किसी साझेदारी फर्म में नये साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, यह जान सकें।
- नये साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन की समस्यायों को भलि–भाँति समझ सकें।
- नये साझेदार के प्रवेश पर नये लाभ–हॉनि अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना विधि की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- ख्याति का आशय, उसकी गणना विधि और ख्याति का अपलेखन मूल्यांकन की विधि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- ख्याति का लेखाकन एंव नये साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति सम्पत्ति के रूप में लाने के तरीकों को समझ सकें।

- गुप्त ख्याति का अर्थ, गणना विधि, एंव सम्पत्तियों एंव दायित्वों की पूनर्मूल्यांकन विधि के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन का आशय, लाभ हाँनि खाता संचय एंव अवितारित लाभ का हस्तान्तरण विधि को समझ सकें।
- नये साझेदार के पूँजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूँजी का समायोजन विधि को समझाने में योग्य हो सकें।
- पुराने साझेदार को संयुक्त पूँजी के आधार पर नये साझेदार की पूँजी की गणना सम्बन्धी नियमों को समझ सकें ।

10.1 प्रस्तावना

जब सभी साझेदारों की सहमती से नये व्यक्ति को साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश या सम्मिलित किया जाता है तो इसे नये साझेदार का प्रवेश करना कहा जाता है । इस स्थिति में नये साझेदार सहित सभी साझेदारों के मध्य पुनः साझेदारी का समझौता करना आवश्यक होता है । भारतीय साझेदारो अधिनियम 1932 की धारा 31 (1) के अनुसार सभी ''साझेदारों की आपसी सहमति से किसी नये व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। '' धारा 31 (2) के अनुसार '' नया व्यक्ति प्रवेश के पूर्व फर्म के द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिये उत्तरदायित्व नही होगा । ''

सामान्यतया किसी फर्म में नये साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणो से होती है :–

1. व्यवसाय की प्रतियोगिता कम करने हेतु
2. किसी योग्य कर्मचारी को साझेदारी में लाने हेतु ,
3. किसी साझेदार की मृत्यु होने पर
4. किसी साझेदार के फर्म से अलग होने पर
5. व्यवसाय की ख्याति में वृद्विव करने हेतु
6. व्यवसाय वृद्वि हेतु अधिक पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिसे वर्तमान साझेदार पूरा करने में असमर्थ हों।

10.2 नये साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं

साझेदारी फर्म में नये साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन की निम्नलिखित समस्याओं का समायोजन करना आवश्यक होता है :

1. नये सांझेदार के प्रवेश पर नये लाभ –हाँनि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना ।
2. फर्म की ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन।
3. फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों का पुन मूल्यांकन ।
4. फर्म के संचय , अवितरित लाभ तथा लाभ हाँनि खाते का हस्तान्तरण ।
5. फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों का पुन मूल्यांकन ।
6. पूँजी का समायोजन या नये साझेदार की पूँजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूँजी की गणना ।
7. पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी के आधार पर नये साझेदार की पूँजी की गणना ।
8. संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का समायोजन ।

10.3 नये साझेदार के प्रवेश पर नये लाभ – हाँनि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना

साझेदारी व्यवसाय में नये साझेदार के प्रवेश के समय उसे व्यवसाय के कुल लाभ में से एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है। तत्पश्चात् शेष बचा हुआ लाभ पुराने साझेदारों का रहता है। नये साझेदार के प्रवेश के फलस्वरूप पुराने साझेदारों के लाभ –हाँनि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। नये साझेदार के लाभ के हिस्से को पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग को त्याग करने पूरा करता है । ऐसी स्थिति में नये' साझेदार के प्रवेश पर नये लाभ –हाँनि अनुपात की गणना (calculation of new profit sharing ratio on admission of a new partner) और पुराने साझेदारों के त्याग के अनुपात की गणना (calculation of sacrificing ratio of old partners) की गणना करना अनिवार्य होता है।

नया लाभ–हाँनि अनुपात का अर्थ –(Meaning of New Profit sharing Ratio):-साझेदारी व्यवसाय के भविष्य के लोगों को सभी साझेदारों (नए और पुराने सहित) के बीच बांटने हेतु निर्मित अनुपात नया लाभ–हाँनि अनुपात है। नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को नए साझेदार के पक्ष में छोड़ देते है। इसी से नए साझेदार के लाभ का अनुपात बनता है और पुराने साझेदारों के लाभ के अनुपातः में कमी आ जाती है।

नया लाभ–हाँनि अनुपात = पुराना लाभ हाँनि अनुपात–त्याग का अनुपात

New Profit sharing Ratio = Old Profit sharing Ratio – Sacrificing Ratio

त्याग के अनुपात का अर्थ –(Meaning of sacrificing Ratio):-साझेदारी फर्म में नये साझेदार को लाभ का एक हिस्सा या अनुपात देने हेतु पुराने साझेदारो के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है ं। नये साझेदार के प्रवेश पर नये लाभ हाँनि अनुपात की गणना कर ली जाती है। तत्पश्चात् पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हाँनि अनुपात को घटाकर पुराने साझेदारों के त्याग का अनुपात निकाला जाता है। अर्थात

त्याग का अनुपात = पुराना लाभहाँनि अनुपात – नया लाभहाँनि अनुपात

Sacrificing Ratio = old Profit sharing Ratio - New Profit sharing Ratio

त्याग के अनुपात का उपयोग–(USE OF SACRIFICING RATIO):- नये साझेदार के द्वारा ख्याति का रूपया नकद लाने पर पुराने साझेदारों के त्याग का अनुपात निकालना आवश्यक होता है। क्योंकि नये साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की नकद राशि पुराने साझेदारों के बीच त्याग के अनुपात में बांटी जाती है।

नया लाभ–हाँनि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने की विभिन्न स्थितियॉ–(Various Situatations for calculating New profit sharing ratio and sacrificing ratio):-

स्थिति–I जब नये साझेदार का हिस्सा दिया हो–

जब प्रश्न में केवल नये साझेदार का लाभ का अनुपात दिया रहता है और यह स्पष्ट नहीं रहता है कि नये साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया है तो यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदारों के

अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है और वे पुराने अनुपात में ही लाभ–हाँनि का विभाजन कर रहे हैं।

इस स्थिति में पुराने साझेदारों का पुराना लाभ–हाँनि अनुपात तथा त्याग का अनुपात एक समान रहता है।

उपर्युक्त स्थिति में नया लाभ–हाँनि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने हेतु निम्नलिखित चरणबद्ध क्रिया की जाती हैः

1. भविष्य के कुल लाभ को 1 मान लीजिए।
2. 1 में से नये साझेदार के लाभ के हिस्से को घटा दीजिए। शेष बचा हुआ लाभ (Remaining Profit) पुराने साझेदारों का है।
3. क्रमशः पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में शेष बचा हुआ लाभ से गुणा कर दीजिए। प्राप्त अंक पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा है।
4. त्याग का अनुपात निकालने हेतु पुराने साझेदारों के लाभ–हाँनि अनुपात में से नया लाभ–हाँनि अनुपात घटा दीजिए।

स्थितिः–II: जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है।

(Case II: When the new partner aqures a particular part from the old partners as his share of profit)

जब प्रश्न में यह दिया रहता है कि नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करेगा तो इस स्थिति में नया लाभ हाँनि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने हेतु निम्नलिखित चरणबद्ध क्रिया की जाती है :

1. क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से को उनके द्वारा दिये जाने वाले निश्चित भाग से गुणा कीजिए । प्राप्त अंक उनके द्वारा त्याग किया जाने वाला हिस्सा प्रकट करेगा ।
2. क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से उनके द्वारा त्याग दिये जाने वाले हिस्से को घटा दीजिए । प्राप्त अंक उनके नये लाभ हाँनि अनुपात को प्रकट करेगा ।
3. पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग दिये जाने वाले हिस्से को जोड़ दीजिए । प्राप्त अंक नये साझेदार का नया लाभ हाँनि अनुपात है।
4. त्याग का अनुपात निकालने हेतु पुराने साझेदार के लाभ हाँनि अनुपात में से नया लाभ हाँनि अनुपात घटा दीजिए ।

स्थितिIII:- जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता हैः–

(Case III:-When the new partner acquires a particular part from the old partners as his share of profit-)

जब यह दिया हो कि नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करेगा तो इस स्थिति में नया लाभ–हाँनि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने हेतु निम्नलिखित चरणबद्ध क्रिया की जाती हैः

1. क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से को उनके द्वारा दिये जाने वाले निश्चित भाग से गुणा कीजिए। प्राप्त अंक उनके द्वारा त्याग किया जाने वाला हिस्सा प्रकट करेगा।
2. क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से उनके द्वारा दिये जाने वाले हिस्से को घटा दीजिए। प्राप्त अंक उनके नये लाभ–हाँनि अनुपात को प्रकट करेगा।
3. पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग दिये जाने वाले हिस्से को जोड़ दीजिए। प्राप्त अंक नये साझेदार का नया लाभ–हाँनि अनुपात है।
4. त्याग का अनुपात निकलाने हेतु पुराने साझेदारों के लाभ–हाँनि अनुपात में से नया लाभ–हाँनि अनुपात घटा दीजिए।

स्थिति IV जब पुराना लाभ हाँनि अनुपात और नया लाभ अनुपात दिया हुआ हो –

(Case IV : When old profit sharing ratio and New Profit sharing ratio is given)

जब यह दिया हुआ हो कि पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हाँनि अनुपात तथा नये साझेदार सहित सभी साझेदारों का नया लाभ हाँनि अनुपात दिया हो तो इस स्थिति में नये लाभ हाँनि अनुपात को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात उनके पुराने लाभ हाँनि अनुपात में से नया लाभ हाँनि अनुपात घटाकर निकाल लिया जाता है।

10.4 ख्याति एंव उसकी गणना विधि

अर्थ (Meaning) – ख्याति एक अदृश्य (invisible), स्थायी(fixed)सम्पत्ति है। ख्याति का सृजन (creation) एक प्रक्रिया के रूप में होता है। जिनका मूल्य तो होता है पर इसे देखा और छूआ नहीं जा सकता है। लेकिन समझा जा सकता है । यह एक आकर्षक शक्ति हैं। जिसके माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते है। फलस्वरूप व्यापारिक संस्थान अतिरिक्त लाभ कमाने में सफल होते है। इसका मूल्य व्यापारिक संस्थान अतिरिक्त लाभ कमाने में सफल होते है। इसका मूल्य व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्दि प्रतिष्ठा,ईमानदारी, सच्चाई, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ सम्पर्को पर निर्भर होता है। इन सबके परिणामस्वरूप लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता ख्याति कहलाती है। व्यापार के अस्तित्व पर ख्याति का अस्तित्व निर्भर करता है।

परिभाषाएं (Definitions) –

ख्याति को सुतथ्यता (Precidely)के साथ परिभाषित करना कठिन है । विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्नलिखित प्रकार दी हैः

1. लॉर्ड लिण्डले के अनुसार '' ख्याति एक लाभ है। जो व्यवसाय के सम्बन्ध एंव प्रसिद्धि से उत्पन होती है।
2. लॉर्ड एल्डन के अनुसार–''ख्याति सम्भव से ज्यादा कुछ नहीं हैं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेगे।''
3. जे.ओ.मागी के अनुसार– ''ख्याति शब्द से अभिप्राय मूलतः एक व्यवसाय के भविष्य में लाभ अर्जन करने की क्षमता से है।''

4. लार्ड मैक्नाटन के अनुसार– ''ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे सम्बन्ध का लाभ है । यह एक आकर्षण शक्ति है। जो ग्राहको को लाती है।''

आदर्श परिभाषा (Ideal definition) –

''किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते है।''

ख्याति का ऐसी अदृश्य, स्थायी सम्पत्ति है जिसके द्वारा व्यापारिक संस्थान भविष्य में आधिक्य उपार्जन (Excess earnings) की स्थिति को प्राप्त करता हैं। व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का जन्म होता है और प्रसिद्धि के विस्तार के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ख्याति विभिन्न तत्वों के मिश्रण से निर्मित होती है तथा इसका स्वरूप और मूल्य भिन्न–भिन्न व्यापारों में तथा एक ही व्यापार के भिन्न–भिन्न व्यवसायों में अलग–अलग होता है। संक्षिप्त शब्दों में, ''किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं।''

विशेषताएं (Characteristics)–

सामान्यतया 'ख्याति' की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है :–

1. ख्याति एक अमूर्त, स्थायी सम्पत्ति है ।
2. ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता है पर महसूस किया जा सकता है।
3. व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर होता है।
4. ख्याति का निर्माण बहुत तत्वों के मिश्रण से होता है।
5. इसे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता है।
6. इसका जन्म व्यापार के साथ होता है और व्यापार के बन्द होने के साथ यह समाप्तहो जाती है।
7. सुदृढ़ ख्याति ग्राहको को आकर्षित करती है। उन्हें स्थायी बनाती है और व्यापारिक सम्पर्को में वृद्धि करती है।
8. वस्तुत : ख्याति वास्तविक सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि यह किसी अन्य, सम्पत्ति के साथ खरीदी या बेची जा सकती है।
9. ख्याति व्यापार की स्थिति , स्वामी की प्रसिद्धि , संस्था के कर्मचरियों की दक्षता वस्तु की लोकप्रियता और संस्था की प्रसिद्धि पर निर्भर करती है।
10. यह एक बिक्री योग्य सम्पत्ति(Marketable Asset)है ।

महत्व (Significance) – ख्याति को व्यापारिक संस्थान की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, व्यापारिक दक्षता और भविष्य में आधिक्य उपार्जन का दर्पण माना गया है। ख्याति का महत्व निम्नलिखित शब्दों से दृष्टिगोचर हो जाता है–

" If capital is lost , nothing is last.
If customers are lost , something is lost .
If Goodwill is lost , everything is lost ."

यदि पूँजी की हाँनि (lost) हो जाए तो कुछ भी समाप्त (lost) नहीं हुआ है।
यदि ग्राहक समाप्त (lost)हो जाए तो कुछ हाँनि (lost) हुई है ।
यदि ख्याति खत्म (lost)हो जाए तो सब कुछ हाँनि (lost) हो गया है। ''

प्रकृति या स्वभाव (Nature) –

व्यापार की लाभोपार्जन क्षमता [Profit Earnings Capacity]पर ख्याति का मूल्य निर्भर करती है। ख्याति का स्वभाव मूल्य अधिक लाभ रहने पर तीव्र अधिक तथा कम लाभ रहने पर मन्द कम होता है। ख्याति को अमूर्त सम्पत्ति(Intangible Asset)की तरह व्यापार में महसूस किया जाता है। , पर यह सम्पत्ति अदृश्य (Invisible)होती है। इसे अन्य स्थायी सम्पत्तियों की तरह अलग से पहचाना (Identify)नहीं जाता है।

वस्तुतः ख्याति अवास्तविक सम्पत्ति नहीं है। क्योंकि यह अन्य सम्पत्ति के साथ खरीदी या बेची जाती है। (Goodwill is not a ficticious asset as it can be purchased or sold with any asset)

इसकी प्रकृति या स्वभाव को बिल्ली , 'कुत्ता, और 'चूहे' के स्वभाव के आधार पर निम्नलिखित प्रकार वर्णित किया जा सकता हैः–

1. **कुत्ते के स्वभाव की ख्याति [Dog natured good will]**

   कुत्ता अपने स्वामी के प्रति स्वामिभक्त होता है और वह अपने स्वामी के पीछे – पीछे लगा रहता है। ठीक इसी ढंग से यदि ख्याति किसी निश्चित व्यक्ति या व्यापार के बदलने पर ख्याति पर प्रतिकूल प्रभावा पड़ता हो तो इसे कुत्ते की स्वभाव की ख्याति कहते है। स्वामी के बदलने पर ख्याति भी स्वामी के साथ चली जाती है। इस कारण ऐसी ख्याति का मूल्य काफी कम होता है। जैसे किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति (जैसे टाटा बिड़ला) के साथ साझेदारी ।

2. **चूहे के स्वभाव की ख्याति [Rat natured Good will] –**

   चूहा एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं रहता है और इधर उधर भागता रहता है ं। ठीक उसी ढंग से यदि व्यवसाय की ख्याति बिलकुल अस्थिर और अनिश्चित हो तो इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते है। ऐसी ख्याति का नाममात्र मूल्य होता है। जैसे प्रत्येक वर्ष स्थान परिवर्तित करके ईटा का भट्टा लगाना ।

3. **बिल्ली के स्वभाव की ख्याति– [Cat natured Good will]**

   समान्यतया बिल्ली का स्वभाव सीमित स्थान या विशिष्ट घर तक सीमित रहता है। ऐसे स्थान या घर तक समित रहता है। ऐसे स्थान या घर के स्वामी से उसका लगाव कम रहता है । स्वामी के बदल जाने पर भी बिल्ली अपना स्थान नही छोड़ती है। ठीक इसी ढ़ग से यदि ख्याति व्यापार में इस प्रकार की है। कि वह कभी समाप्त नही हो चाहे जितने भी व्यापार के स्वामी बदलते रहे तो इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते है। स्वामी के बदलने पर व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ऐसी ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। उदाहरणार्थ , अलीगढ़ में तालों का निर्माण।

ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक–[Factors affecting the value of goodwill]

एक व्यापार की सामान्य से अधिक लाभार्जन की शक्ति अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। ये सभी कारण ख्याति को उत्पन्न करने वाले घटक (Origin of goodwill) या ख्याति को मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कहे जाते है।

ख्याति के उत्पत्ति या इसके मूल्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुख्य घटक है :–

1. **व्यापार का प्रबन्ध [Management of Business]-** जिस व्यवसाय का प्रबन्ध–संचालन योग्य कुशल, अनुभवी और पेशेवर प्रबन्धकों और विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। उस व्यवसाय की ख्याति तथा ख्याति का मूल्य अधिक होता है ।
2. **व्यवसायी का व्यक्तित्व [Personality of Businessmen]-** व्यवसाय की ख्याति का सम्बन्ध, व्यवसायी के व्यक्तित्व से भी जुड़ा रहता है। सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय, अनुभवी, व्यवहार कुशल व्यवसायी के व्यवसाय की ख्याति अधिक रहती है परिणाम स्वरूप ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है।
3. **एकाधिकरात्मक व्यवसाय [Monopolistic Businessmen]-** दीर्घ कालीन एकाध्किारात्मक व्यवसाय की ख्याति अधिक रहने से ख्याति का मूल्य अधिक रहता है। अल्प कालीन एकाधिकारात्मक व्यवसाय की ख्याति कम होती है । एकाधिकार रहित सामान्य व्यवसाय की ख्याति ग्राहको की स्थिति पर निर्भर करती है।
4. **पूँजी की मात्रा [Volume of capital]-** पर्याप्त पूँजी से युक्त व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है। अल्प कालीन पूँजी से संचालित की ख्याति कम होती है। पूँजी की कमी से ग्रस्त व्यवसाय की ख्याति नाम मात्र होती है।
5. **व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता [Risk and Uncertainty of Business]-** ख्याति और जोखिम के बीच विपरीत सम्बन्ध होता है। जोखिम रिक्त वस्तुओं के व्यवसाय (गृह सामान की बिक्री) की ख्याति अधिक रहने से इसका मूल्य भी अधिक होता है। इसके विपरीत जोखिम युक्त वस्तुओं के व्यवसाय (फल, सब्जी, सड़नशील वस्तुओं की बिक्री) की ख्याति कम रहने से इसका मूल्य भी काफी कम होता है।
6. **व्यवसाय की प्रक्रति [Nature of Businessmen]-** अनिवार्य आवश्यकता से सम्बन्धित व्यवसाय एकाधिकारात्मक व्यवसाय जोखिम रिक्त वस्तुओं का व्साय, आदि की ख्याति अधिक रहती हैं परिणामस्वरूप ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है।
7. **व्यापार का स्थान [Place fo Business]-** ग्राहकों के निर्वाध आवागमन से युक्त व्यापारिक स्थान की ख्याति सर्वाधिक होती है जैसे रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर के पास होटल का व्यवसाय, विद्यालय–महाविद्यालय के पास पुस्तक की दुकान आदि। ऐसे व्यवसायों का ख्याति का मूल्य अधिक होता है।
8. **व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता–[Popularity of Trade Mark]-** व्यवसाय की ख्याति व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता पर भी निर्भर करती है। अधिक लोकप्रिय व्यापार चिन्ह की ख्याति अधिक होती है। नये व्यापार चिन्ह से युक्त व्यवसाय की ख्याति कम होती है।
9. **लाभ की मात्रा [Volume of Profit]-** अधिकाधिक लाभ कमाने वाले व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है तथा लाभ के उच्चावचन से युक्त व्यवसाय की ख्याति कम होती है। सामान्य लाभ कमाने वाले व्यवसाय की ख्याति बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है।

10. अन्य कारक **[Other Factors]-** सरकारी नीति, आयात–निर्यात नीति, लाइसेंस नीति, देश में शान्ति, बाजार की स्थिति, उपभोक्तावाद, ग्राहकों की क्रय शक्ति, आदि कारक भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते है।

10.5 ख्याति का अपलेखन करना एवं मूल्यांकन करना

ख्याति को आर्थिक चिट्ठा [Balance Sheet]-के सम्पत्ति पक्ष में स्थायी सम्पत्ति के रूप में लिखा जाता हैं व्यवसाय की अन्य स्थायी सम्पत्तियों की तरह ख्याति भी एक स्थायी सम्पत्ति मानी जाती है पर अन्य स्थायी सम्पत्ति और ख्याति में अन्तर है। व्यवसाय कीअन्य स्थायी सम्पत्तियों मूर्त, दृश्यमान और वास्तविक होती है जबकि ख्याति अदृश्यमान होती हैं अन्य सम्पत्तिया सभी को दिखाई पड़ती है जबकि ख्याति दिखाई नहीं पड़ती है ओर लेखपालको का कहना है कि '' ख्याति एक अमूर्त सम्पत्ति है और इसे यथाशीर्घ व्यवसाय से अप लिखित कर देना चाहिए।'' [Goodwill is an intangible asset and it should be written off as soon as Possible from the Business.]-

ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता–[Need for Valuation of Goodwill]-

1- नये साझेदार के प्रवेश करने पर [On the admission of a new Partner]-
2- किसी साझेदार के मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर। [On the death or retirement of a Partner]-
3- साझेदार फर्म की बिक्री करने पर –[On the sale of Partnership firm]-
4- साझेदार फर्मो के एकीकरण पर [on the amalamation of Partnership Firm]-
5- साझेदारी फर्म का सीमित कम्पनी में रूपान्तर होने पर [On the conversion of Partnership firm into a limited company]-
6- साझेदारों के लाभ–हॅानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर [On the alteration in the profit and loss shving ratio of partners]-
7- साझेदारी फर्म का विघटन करने पर [On the dissolution of Partnership firm]-

ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियां [Methods of Valuation of Goodwill]-

ख्याति का मूल्यांकन करने की निम्नलिखित मुख्य विधियाँ हैः

1- औसत लाभ विधि [Average profit Method]-

इस विधि के अनुसार सर्व प्रथम प्रश्नानुसार पिछले कुछ वर्षो के लाभो का औसत निकाला जाता है। तत्पश्चात् प्रश्न में उल्लिखित निश्चित संख्या (जैसे दो वर्षो के क्रय के बराबर या तीन वर्षो के क्रय के बराबर, आदि) से गुणा कर दिया जाता है। प्राप्त अभीष्ट राशि ख्याति की रकम कहलाती है। व्यवहार में यह विधि सरल, लोकप्रिय और व्यावहारिक है।

Goodwill= $\frac{TotalProfit}{Numbersofyears}$ xNumber of years for which the purchase is *required*.

2- अधिलाभ विधि [Super Profit Methad]-

व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है। सामान्यतया व्यवसाय में लाभ की एक प्रचलित दर होती है जिसके द्वारा व्यवसाय का सामान्य लाभ [Normal

Profit]-ज्ञात होता है। कोई व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक वास्तविक लाभ [Actual Profit]- कमाता है उसे अधिलाभ [Super profit]- कहते हैं। इस अधिलाभ में प्रश्न में उल्लिखित निश्चित संख्या (जैसे दो वर्षो के क्रय के बराबर या तीन वर्षो का क्रय के बराबर आदि) से गुणा कर ख्याति की राशि निकाल ली जाती है। यदि प्रश्न में पिछले कुछ वर्षो का लाभ दिया हो वो इसका औसत वास्तविक लाभ निकालने के बाद अधिलाभ निकाला जाता है। वास्तविक लाभ में से साझेदारों के पारिश्रमिक (वेतन) को घटाकर शुद्ध लाभ निकाला जाता है।

$$\text{Normal Profit} = \frac{Capital invested x Rate of Profit generally yearned}{100}$$

Super Profit= Actual Profit - Normal Profit

Goodwill = Super Profit x No.of years Purchased

3- वार्षिक विधि [Annuity Methed]-

यह अधिलाभ विधि का संशोधित रूप है। इस विधि के अन्तर्गत सर्व प्रथम अधिलाभ निकाल लिया जाता है। तत्पश्चात् 1 रू0 के वार्षिकी मूल्य से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लेते है।

4- पूंजी करण विधि [Capitalisation Method]-

इस विधि के अन्तर्गत साझेदारी फर्म के कुल मूल्य [Total value of firm]-और शुद्ध सम्पत्तियों [Net Assets]-का अन्तर फर्म की ख्याति कहलाती है।

5- छिपी हुई ख्याति [Hidden Goodwill]-

जब नया साझेदार ख्याति की रकम–नकद नही लाता है तो इस स्थिति में फर्म की ख्याति की गणना नये साझेदार की पूँजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर की जाती है।

10.6 नये साझेदार का प्रवेश

नये साझेदार के प्रवेश का अर्थ–[Meaning os Admission of a New Partner]-साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है [Admission of a new partner means acconstitution of the partner ship firm]-नए साझेदार के प्रवेश करने पर साझेदारी मृत हो जाता है और नए साझेदार समेत एक नया साझेदारी–संलेख जीवित हो जाता है। नए साझेदार के प्रवेश करने पर साझेदारी फर्म को उसकी पूँजी, प्रबन्धकीय योग्यता, विशिष्ट ज्ञान, ख्याति और व्यवसायिक सम्बन्धो का लाभ मिलता है। इसके प्रतिफल में साझेदारी फर्म भविष्य के लाभो में उसे हिस्सा देती है। यही कारण है कि पुराने साझेदार अपना लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते है।

अधिनियम में प्रावधान [Provision in Act]-भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार फर्म के सभी साझेदारो की स्वतन्त्र सहमति से नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश पा सकता है। नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने के बाद फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है।

घारा 31(2) के अनुसार नया साझेदार साझेदार बनने के पूर्व साझेदारी फर्म के द्वारा किए किसी भी कार्य के लिये उत्तरदायी नही हो सकता है।

साझेदारी फर्म में निम्नलिखित योग्यताधारी व्यक्ति/फर्म/संख्या ही नये साझेदार हो सकते है:

1. **व्यक्ति [Individuel]-** व्यक्तियों में पुरूष एवं स्त्री में से कोई भी या दोनो नये साझेदार हो सकते हैं। इन्हे वयस्क होना चाहिए।
2. **अवयस्क [Minor]-**किसी अवयस्क को साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों की स्वतन्त्र सहमति से फर्म में नया साझेदार बनाया जा सकता है। अवस्यक साझेदार फर्म में केवल लाभ के लिए साझेदार होता है।

3- **फर्म (Firm)** –किसी फर्म को नये साझेदार की तरह प्रवेश दिया जा सकता है। इस स्थिति में दूसरी फर्म का विघटन नहीं होता हैं। , बल्कि वह पहली फर्म में एक नये साझेदार के रूप में रहेगी और दोनों फर्मे अपना अलग 2 व्यवहार करती रहेंगी।

4. **अन्य संस्थाएं एंव संघ (other Institutions and Associations)** –अन्य संस्थाओं और संघों को भी नये साझेदार की तरह साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है।

नये साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता –(Need of admission of new partner)-किसी साझेदारी फर्म में नये साझेदार का प्रवेश निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है।

1 साझेदारी फर्म के व्यापार का विस्तार होते रहने पर अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता ।

2 व्यवसाय कुशल प्रबन्ध संचालन हेतु विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता ।

3 फर्म में कार्यरत किसी कर्मचारी की विशिष्ट योग्यता का गहन लाभ उठाने हेतु उसे साझेदार बनाने की आवश्यकता ।

4 फर्म में लाभदायक की सुदृढ़ता हेतु नये साझेदार की आवश्यकता ।

5 प्रतियोगी फर्म को साझेदारी बनाने की आवश्यकता ।

6 फर्म के विकास एंव विस्तार हेतु सुविख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाने की आवश्यकता ।

7 साझेदारी फर्म की परिस्थितियों की मांग के अनुसार नये साझेदार की आवश्कता ।

नये साझेदार के द्वारापूँजी लाना –(Capital to be brought in by new partner)

साझेदारी फर्म में प्रवेश के समय साझेदारपूँजी लाता है। नये साझेदार को फर्म की सम्पत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। इस अधिकार की प्राप्ति के प्रतिफल में उनके द्वारा दी गई राशि नये साझेदार की पूँजी(Capital of new partner)कहलाती है । नये साझेदार का पूँजी खाता (New Partner's Capital Account)व्यक्तिगत खाता (Personal Account)होता है।

नये साझेदार के द्वारा अर्जित मुख्य अधिकार (Main Rights acquired by a New Partner) :-

साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश के समय नया साझेदार निम्नलिखित दो मुख्य अधिकार अर्जित करता हैः–

1. फर्म की सम्पत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार –(Right to share the Assets of the firm)

नया साझेदार अपनी विनियमित पूँजी के प्रतिफल में फर्म की सम्पत्तियों में हिस्सा पाने और दायित्वों में सहभागी होने का अधिकार प्राप्त करता हैं।

2. फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार(Right to share future profits of the Firm)

नया साझेदार अपने हिस्से की पूँजी के साथ साथ अपनी प्रबन्धकीय क्षमता, योग्यता, विशिष्ट ज्ञान, व्यवसायिक सम्बन्ध और ख्याति लाता है। इसका लाभ साझेदारी व्यवसाय को मिलता है। जिससे व्यवसाय का लाभ बढ़ता है। इसके प्रतिफल में पुराने साझेदारी नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ के हिस्से का त्याग करते हैं। इसी आधार पर उसे फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार मिल जाता है।

रोजनामचा प्रतिष्ठियां (Journal entries) –

समान्यता नया साझेदार अपनी पूँजी रोकड़ में तथा आंशिक पूँजी सम्पत्ति (माल) के रूप में तथा आंशिक पूँजी लाने का लेखा निम्नलिखित प्रकार होता है :

1 पूँजी रोकड़ में लाना

2 पूँजी सम्पत्ति तथा माल के रूप में लाना

नये साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि लाना–(Amount of goodwill brought in by new partner)-स्थापित साझेदारी फर्म के प्रारम्भ में पुराने , साझेदार अपने परिश्रम , कुशलता और योग्यता के द्वारा फर्म के व्यवसाय को स्थापित करते है। और शनैः शनैः व्यापार का विस्तार करते है। वे व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवाएं देते हैं। और मेहनत केद्वारा बाजार में फर्म का स्थान बनाते हैं। नये साझेदार का साझेदारी फर्म की स्थापना और विकास में कोई योगदान नहीं रहता है। वह स्थापित साझेदारी में लाभ को प्राप्त करने के लिए साझेदार बनता है। इस कारण यह न्यायसंगत है कि नये साझेदार से पूँजी लेने के अतिरिक्त पुराने साझेदारों के मेहनत के प्रतिफल स्वरूप निश्चित अतिरिक्त राशि भी ली जाए । यह निश्चित अतिरिक्त राशि ख्याति कहलाती है।

नये साझेदार से ली जाने वाली ख्याति की राशि की मात्रा के निधारण की विधि साझेदारी संलेख में उल्लेखित रहती है।

10.7 ख्याति का लेखांकन

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया ने स्थायी सम्पत्तियों के लिए लेखांकन हेतु लेखांकन प्रमाप– 10 (Accounting Standard-10 for Fixed Assets) बनाया है। यह प्रमाप विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत की गई स्थायी सम्पत्तियों से सम्बन्धित है। इस प्रमाप से यह स्पष्ट होता है कि किस आय/व्यय को सम्पत्ति माना जाए और किस व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाए। लेखांकन प्रमाप–10 1 अप्रैल, 1991 से लागू है। लेखांकन प्रमाप–10 का अनुच्छेद– 16 ख्याति के लिए लेखांकन (Accounting for Goodwill) से सम्बन्धित है।

लेखांकन प्रमाप–10 का अनुच्छेद 16 (Paragraph-16 of Accounting Standard-10) लेखांकन प्रमाप–10 के अनुच्छेद–16 के अनुसार, ''किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु या साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात

में परिवर्तन की स्थिति में फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में प्रतिफलस्वरूप मुद्रारूपी भुगतान नहीं किया जाता है। ख्याति को लेखा पुस्तकों में केवल उसी समय दिखाया जा सकता है जबकि इसके बदले में कोई प्रतिफल मुद्रा के रूप में दिया जाए। इसलिए केवल खरीदी गई ख्याति ही खाता पुस्तकों में दिखाई जानी चाहिए।''

लेखांकन प्रमाप–10 के अनुच्छेद–16 का प्रयोग (Application of Paragraph-16 of Accounting Standard-10) ख्याति का लेखा बहियों में लेखा करनेके दृष्टिकोण से लेखांकन प्रमाप–10 के अनुच्छेद–16 का लेखांकन में निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया जाता हैः

1. **ख्याति को लेखा पुस्तकों में दिखाना(Appearance of goodwill in the books of accounts)-**

लेखा पुस्तकों में केवल खरीदी गई ख्याति को ही दिखाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, ख्याति को लेखा पुस्तकों में तभी दिखाया जाएगा जबकि ख्याति को खरीदा जाए और ख्याति के प्रतिफल में मुद्रा का भुगतान (Payment of money in consideration of goodwill) कियाजाए। वस्तुतः ख्याति कृत्रिम सम्पत्ति नहीं है (Goodwill is not a fictitious asset.)। उदाहरणार्थ, किसी व्यवसाय को खरीदते समय ख्याति का भुगतान करना, स्थायी सम्पत्तियो को खरीदते समय अधिमूल्य (Premium) लगना।

2. **ख्याति खाता खोलना वर्जित (Prohibition of Opening Goodwill Account)-**

साझेदारी फर्म की ख्याति स्वंय कमाई गई वंशानुकूल ख्याति (Inherent Goodwill) या अंतःप्रेरित अर्जित ख्याति (Internally generated goodwill) होती है। इसके लिए साझेदार फर्म प्रतिफलस्वरूप मुद्रा का भुगतान नहीं करती है। इस आधार पर किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु या साझेदारों के लाभ–हाँनि अनुपात में परिवर्तन की स्थिति में साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है पर लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में ख्याति के मूल्य की समायोजना (Adjustment of value of goodwill) साझेदारी के पूँजी खातों के द्वारा की जाती है।

3. **नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नकद लाना (Cash brought in by New Partner for his share of Goodwill)–**

नए साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करते समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद देने पर इसे फर्म की लेखा पुस्तकों में प्रीमियम के रूप में प्राप्त कर लिया जाएगा। तत्पश्चात् प्रीमियम (ख्याति) की राशि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के अनुपात (Sacrificing ratio) में बांट (क्रेडिट) दिया जाएगा।

(a) नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाना

Cash/Bank A/c ....Dr.

To Premium (for-Goodwill) A/c

(Being cash brought in by new partner as premium for his share of profit)

(b) प्रीमियम (ख्याति) को पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग के अनुपात **(Sacrificing ratio)** में बांटना

Pemium (for Goodwill) A/c ....Dr.

To Old Partners Capital A/c

(Being premium credit to old partners capital accounts in their sacrificing ratio)

4. **नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नकद नहीं लाना(Cash not brought in by new partner for his share of Goodwill)-**

नए साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करते समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर उसके हिस्से की ख्याति की राशि निकाल ली जाएगी। अब इस ख्याति की राशि की समायोजना हेतु लेखांकन प्रविष्टि करने के लिए नए साझेदार के पूँजी खाता को उसके हिस्से की ख्याति से डेबिट और पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को उनके लाभ के त्याग के अनुपात (Sacrificing ratio of profit)मेंक्रेडिट कर दिया जाएगा। साझेदारी फर्म में नया ख्याति खाता कदापि नहीं खोला जाएगा।

नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूँजी खातों के द्वारा त्याग के अनुपात में समायोजन

New Partner's Capital A/c ....Dr.

To Old Partners Capital A/c

(Being new partner's share of goodwill debited to his capital account and credited to old partners capital accounts in their sacrificing ratio)

5. आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित ख्याति खाता को अपलिखित करना(Write of Goodwill Account appears in the Balance Sheet)- यदि साझेदारी फर्म के आर्थिक चिट्ठा/लेखा बहियों में ख्याति दी हुई हो तो इसे पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटकर ख्याति खाता को बन्द कर दिया जाएगा और फर्म के आर्थिक चिट्ठा/बहियों में इसे नहीं दिखाया जाएगा।

आर्थिक चिट्ठा/बहियों में प्रदर्शित ख्याति खाता को पुराने साझेदारों के द्वारा पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटकर अपलिखित करना

Old Partners capital A/c ....Dr.

To Goodwill A/c

(Being existing goodwill in Balance Sheet written off by old partners in their profit sharing ratio)

अदृश्य सम्पत्तियों का लेखांकन : लेखांकन प्रमाप– 26 का प्रयोग
(ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS : APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARD- 26)

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया ने अदृश्य सम्पत्तियों के लिए लेखांकन हेतु लेखांकन प्रमाप– 26 (Accounting Standard-26 for Intangible Assets) बनाया है। यह प्रमाप 1 अप्रैल, 2003 से लागू है।

अदृश्य सम्पत्तियों का गणु (Properties of Intangible Assets)– लेखांकन प्रमाप–26 के अनुसार, अदृश्य सम्पत्ति में निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य हैः

1. सम्पत्ति में एक सम्पत्ति का गुण होना चाहिए अर्थात् सम्पत्ति का आन्तरिक/बाह्रा मूल्य (External/internal value) होना चाहिए और इसकी सरलता से पहचान (easy identifiable) होनी चाहिए, जैसे– ट्रेडमार्क, कॉपीराइड, पेटेण्ट आदि अदृश्य सम्पत्ति रहते हुए भी इनकी सरलता से पहचान होती है औ इनका आन्तरिक और बाह्य मूल्य भी है।
2. लाभ कमाने की क्षमता (Efficency to earn Profit)– अदृश्य सम्पत्ति में व्यापार के हित में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाने की क्षमता होनी चाहिए अर्थात् अदृश्य सम्पत्ति में भविष्य में सम्भावित आर्थिक लाभ (Future probable economic profit) कमाने की शक्ति का होना अनिवार्य है। साथ–ही–साथ प्रबन्ध इस लाभ का मापन करने की स्थिति में भी होना चाहिए।
3. अदृश्य सम्पत्ति का विश्वसनीय मापन (Reliable measure of Intangible Asset)– अदृश्य सम्पत्ति की लागत का सहज और विश्वसनीय मापन होना चाहिए। यदि अदृश्य सम्पत्ति की लागत का विश्वसनीय और सही मापन नहीं किया जा सकता है तो इसे अदृश्य सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।

लेखांकन प्रमाप– 26 का प्रयोग (Application of Accounting Standard-26)– साझेदारी फर्म की वंशानुकूल ख्याति (Inherent Goodwill) या अंतःप्रेरित ख्याति (Internally Generated Goodwill) लेखांकन प्रमाप– 26 के अदृश्य सम्पत्ति के गुण के सन्दर्भ में किसी गुण (शर्त) का पालन निम्नलिखित प्रकार नहीं करता है :

1. साझेदारी फर्म की अन्य सम्पत्तियों जैसे– पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइड आदि की तरह ख्याति सरलता से पहचान योग्य सम्पत्ति(easy identifiable asset) नहीं है।
2. साझेदारी फर्म की वंशानुकूल या अंतःप्रेरित अर्जित ख्याति के आधार पर भविष्य के सम्भावित आर्थिक लाभों का वास्तविक आंकलन करना कठिन है।
3. साझेदारी फर्म की वंशानुकूल या अंतःप्रेरित अर्जित ख्याति की लागत का सहज और विश्वसनीय मापन नहीं किया जा सकता है।

लेखांकन प्रमाप– 26 के अनुसार, ख्याति अदृश्य सम्पत्ति होने के किसी भी शर्त का पालन नहीं करने के कारण ख्याति अदृश्य कृत्रिम सम्पत्ति नहीं है (Goodwill is not an intangible/fictitous asset)।

लेखांकन प्रमाप– 26 के अनुसार, साझेदारी फर्म की वंशानुकूल/अन्तःप्रेरित अर्जित ख्याति में अदृश्य सम्पत्ति का गुण नहीं रहने से ख्याति का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं होना (Goodwill will not be recorded in the books of accounts) बल्कि ख्याति के समायोजन का लेखा पुराने साझेदारों के पूँजी खातों के माध्यम से उनके पुराने लाभ–हाँनि अनुपात के आधार पर किया जाएगा। ख्याति के प्रतिफल में मुद्रा का भुगतान (Payment of money in

considerationi of goodwill) को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में फर्म की बहियों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा और न ही आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाएगा।

नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखा
(ACCOUNTING TREATMENT OF GOODWILL ON ADMISSION OF A PARTNER)

लेखांकन प्रमाप– 10 और लेखांकन प्रमाप– 26 को आधार मानते हुए व्यावहारिक लेखांकन के दृष्टिकोण से नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी फर्म की पुस्तकों/लेखा बहियों में ख्याति से सम्बन्धित रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रकार से की जाती है :

संव्यवहार(Transactions)	रोजनामचा प्रविष्टियां(Journal Entries)
1. नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि निजी रूप में पुराने साझेदार को देने पर–	No Journal Entry (साझेदारी फर्म के बाहर ख्याति की राशि का भुगतान होने से यह राशि व्यापार में नहीं आती है। इसी कारण फर्म की पुस्तकों में इसका लेखा नहीं होता है।)
2. (a) नए साझेदारों के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेने पर	(a) Cash/Bank A/c Dr. To Premium A/c (Being cash brought in by new partner as goodwill/premium for his share of profit)
(b) पुराने साझेदारों के द्वारा ख्याति की राशि को अपने लाभ के त्याग के अनुपात (Sacrificing ratio) में बांट लेने पर–	(b) Premium A/c Dr. To Old Partner's Capital A/cs (in sacrificing ratio) (Being premium credited to old partners capital acounts in their sacrificing ratio
3. प्रश्नानुसार पुराने साझेदारो के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि को पूर्णतः/आंशिक रूप में निकालने पर	Old Partners Capital A/c Dr. To Cash/ Bank A/c (Being amount of premium fully/partially withdrawn by old partners)
4. नया साझेदार अपेन हिस्से की ख्याति की राशि नकद नही लाए तो प्रश्नानुसार फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर नए साझेदार के लाभ के आधार पर इसके हिस्से की ख्याति की राशि निकालने पर	New Partners Capital A/c Dr. (with his share of goodwill) To Old Partner's Capital A/cs (in sacrificing ratio) (Being new partners share of goodwill debited to his capital account and credited to old partners capital accounts in their sacrificing ratio)

5. आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित खाता को पुराने साझेदारों के द्वारा उनके पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में अपलिखित करने पर	Old Partner's Capital A/c (in old Profit sharing ratio) To Goodwill A/c (in sacrificing ratio) (Being existing goodwill in Balance sheet written off by Old Partners in their profit sharing ratio)
6. सुविधा के लिए उपर उल्लिखित प्रविष्टि संख्या 2 (a) नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाना (b) पुराने साझेदारो के द्वारा ख्याति की राशि को अपने लाभ के त्याग के अनुपात (Sacrificing ratio)मे बांट लेखा के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि भी की जाती है।	Cash/Bank A/c Dr. To Old partners capital A/c (Being amount of premium brought in by new partner directly created to old partners capital account in their sacrificing ratio)

10.8 नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति सम्पत्ति के रूप में देना

नया साझेदार कभी–कभी अपने हिस्से की ख्याति नकद लाकर देने के बजाय सम्पत्ति के रूप में लाकर देता है। सामान्यता ऐसा तभी होता है जबकि नया साझेदार स्वंय का अपना व्यवसाय संचालित करता है। ऐसी स्थिति में ख्याति के लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैः–

1. नए साझेदार के द्वारा सम्पत्तियों के रूप में पूँजी और ख्याति देना

    Assets A/c (Various assets individually) .....Dr.
    To New Partner's Capital A/c
    (Share of Capital)
    To Premium A/c (Share of Goodwill)

(Being) various assets contributed by new partner as his share of capital and goodwill)

2. ख्याति (प्रीमियम) को पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में त्याग के अनुपात में हस्तान्तरित करना

    Premium A/c ....Dr.
    To Old Partner's Capital A/cs

(Being premium transferred to old partners capital accounts in their sacrificing ratio)

3. यदि आर्थिक चिट्ठा/लेखा बहियों में पूर्व से ही ख्याति खाता हो तो उसे पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में उनके लाभ–हाँनि खाता में बांटकर अपलिखित कर दिया जाएगा :

आर्थिक चिट्ठा/लेखा बहियों में प्रदर्शित ख्याति को अपलिखित करने पर :

Old Partner's Capital A/cs ...Dr.
To Goodwill A/c

(Being goodwill existing in Balance Sheet books of accounts written off by old partner's capital accounts in their profit sharing ratio)

10.9 गुप्त ख्याति का अर्थ व गणना विधि

प्रश्न में कभी–कभी नए साझेदार के द्वारा दी जाने वाली ख्याति की राशि के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं रहता है या फर्म की ख्याति के मूल्यांकन के विषय में प्रश्न में कोई संकेत नहीं दिया हुआ रहता है। इसके बावजूद भी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने/ख्याति का लेखा करने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न के भीतर छिपी हुई ख्याति (Inferred or Hidden Goodwill) होती है। इस स्थिति में फर्म की ख्याति की गणना हेतु निम्नलिखित चरणबद्ध क्रियाएं अपनाई जाती है–

1. **नई फर्म की कुल पूँजी निकालना :–**
   सर्वप्रथम नए साझेदार के द्वारा अपने लाभ के हिस्से के लिए लाई गई पूँजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूँजी निकाली जाती है। उदाहरार्थ, यदि नया साझेदार 1/4 लाभ के लिए 25,000रू0 पूँजी लाता है तो नई फर्म की पूँजी 25,0004 x 4 = 1,00,000रू0 होगी।
2. **पुराने और नए साझेदारों की संयुक्त पूँजी की गणना :–**
   पुराने साझेदारों की कुल पूँजी और नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूँजी का योग (total capital of old partners plus capital brought in by new partner) फर्म की संयुक्त पूँजी(combined capital) हैं।
   यदि प्रश्न में आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ हो तो सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य के योग में से पुनर्मूल्यांकित दायित्वों के योग घटाने के बाद बचा हुआ शेष पुराने साझेदारों की कुल पूँजी मानी जाती है।
   Total capital of old partners = Assets at revaluedValues - Liabilities at revalued values
3. **गुप्त ख्याति निकालना–**
   नई फर्म की कुल पूँजी में से पुराने और नए साझेदारों की संयुक्त पूँजी घटा देने पर बचा हुआ शेष गुप्त ख्याति है (Excess of the total capital of the new firm over the combined capital of old and new partners is assumed to be hidden goodwill) यही गुप्त ख्याति फर्म की ख्याति मानी जाती है।
4. **नए साझेदार का गुप्त ख्याति में हिस्सा निकालनाः–**
   फर्म की कुल (गुप्त) ख्याति में से नए साझेदार का ख्याति का हिस्सा उसके लाभ–हाँनि अनुपात के आधार पर निकाल लिया जाता है।
   विधि का उपयोग– गुप्त ख्याति की विधि का उपयोग सामान्यतया नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद नहीं लाने की स्थिति में होता है।

10.10 सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना (REVALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES)

विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में नये साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार नये साझेदार की उपस्थिति में साझेदारी फर्म की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पूनर्मूल्यांकन हेतु फर्म के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य की तुलना वर्तमान समय के मूल्य से की जाती है। तुलना करने पर सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि/कमी परिलक्षित होती है। सम्पत्तियों के मूल्य में कमी और दाायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए हाँनि होती है। इसके विपरीत सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों में मूल्य में कभी फर्म के लिए लाभ होता है। सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का शुद्ध परिणाम लाभ या हाँनि होता है जिसे पुराने सझेदार अपने पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांट लेते हैं।

नये साझेदार के प्रवेश के समय सम्पत्तियो ंऔर दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता/उद्देश्यः–

नये साझेदार के प्रवेश के समय विद्यमान साझेदारी व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा पुराने साझेदारों का होता है। नया साझेदार अपने प्रवेश के समय वह सोच सकता है कि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक है या दायित्वों को कम मूल्य पर दिखाया गया है। पुराने साझेदारगण भी यह सोच सकते हैं कि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान मूल्य से कम है या दायित्वों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया है। इस प्रकार आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियों और दायित्वों के प्रति नये साझेदार और पुराने साझेदारों के अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप नये साझेदार और पुराने साझेदारों में आपसी मतभेद और विवाद का जन्म हो सकता हैं। इन आपसी मतभेदों और विवादों को दूर करने के उद्देश्य से नये साझेदार के प्रवेश के समय सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यकता है।

सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी पुराने साझेदारों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसमें नये साझेदार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए यह न्योयोचित है कि इस वृद्धि या कमी को पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटें।

सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकनः–

सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ–हाँनि समायोजन खाता खोला जाता है। यह खाता नाममात्र खाता है। लाभ–हाँनि खाता की तरह ही डेबिट पक्ष में हाँनियों तथा क्रेडिट पक्ष में लाभों को लिखा जाता है। इस खाता की क्रेडिट शेष लाभ या डेबिट शेष हाँनि है जिसे पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांट लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ–हाँनि समायोजन खाता का प्रारूप निम्नांकित प्रकार हैः–

Revaluation Account

or

Dr. Profit and Loss Adjustment Account Cr.

Particulars	**Amt.**	**particulars**	**Amt.**
To Decrease in the value of Assets	Rs. -	By Increase in the value of Assets	-

(Individually) To Reserve for Bad and doubtful debts (Individually) To Increase in the value of Liabilities (Individually) To Unrecorded Liabilities (viz. Outstanding expenses) To Cash/Bank A/c (payment of unrecorded liability) To Profit transferred to Old Partner's Capital A/cs (in old Ratio)	- - - -	(Individually) By Decrease in the value of Liabilities (Individually) By Unrecorded Assets (viz. Un-recorded Investment, prepaid expenses etc.) ByCash/Bank A/c (Sale of unrecorded asset) By Reserve for Discount on Creditors A/c By Loss transferred to Old Partner's Capital A/cs (in old Ratio)	- - - - -

रोजनामचा प्रविष्टिया (Journal Entries)-

सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने पर इनके मूल्य में वृद्धि या कमी की रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रकार की जाती है :

1. सम्पत्तियों के मूल्य में कमी (Depreciation),देनदारों पर अप्राप्य ऋण संचिति (Reserve for doubtful debts on debtors) तथा अदत्त व्ययों के लिए

    Profit and Loss Adjustment A/c ...Dr.
    To Various Assets A/c (write individually)
    To Reserve for Bad and Doubtful Debts A/c
    To Outstanding Expenses A/c

(Being depreciation in the value of assets, provision standing expenses adjusted)

2. सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि, लेनदारों पर छूट हित संचिति(Appreciation),पूर्व दत्त व्यय (Prepaid expenses), लेनदारों पर छूट हित संचिति (Reserve for discount on creditors), अप्राप्य ऋण संचिति में कमी (decrease in Reserve for doubtful debts) के लिए

    Various Assets A/c (write individually) ...Dr.
    Prepaid-Unexpired Expenses A/c ....Dr.
    Reserve for discount on Creditors A/c ...Dr.
    Reserve for Doubtful Debts A/c ....Dr.
    To Profit and Loss Adjustment A/c

    (Being appreciation in the value of assets, prepaid expenses, reserve for discount on creditors and reserve for doubtful debts adjusted)

3. दायित्वों के मूल्य में कमी

    Particular Liabilities A/c ....Dr.
    To Profit and Loss Adjustment A/c
    (Being decrease in the value of liabilities adjusted)

4. दायित्वों के मूल्य में वृद्धि

Profit and Loss Adjustment A/c ....Dr.
To Particular Liabilities A/c ....Dr.
(Being increase in the value of liabilities adjusted)

5. अलिखित सम्पत्ति(Unrecorded Asset) का लेखा
Particular Liabilities A/c ....Dr.
To Profit and Loss Adjustment A/c

6- अलिखित सम्पत्ति का विक्रय(Sale of Unrecorded Asset)
Cash/Bank A/c ....Dr
To Profit and Loss Adjustment A/c

7. अलिखित दायित्व(Unrecorded Liability) का लेखा
Profit and Loss Adjustment A/c ...Dr.
To Particular Unrecorded Liability A/c
(Being unrecorded liabilities adjusted)

8. अलिखित दायित्व का भुगतान
Profit and Loss Adjustment A/c ...Dr.
To Cash/Bank A/c
(Being payment made on unrecorded liability)

अब Profit and Loss Adjustment Account का खाता बनाकर उपर्युक्त प्रविष्टियों की खतौनी (Posting) कर दी जाती है। खतौनी के बाद इस खाता के दोनों पक्षों का अन्तर निकाला जाता है। यदि क्रेडिट पक्ष (Credit side) का योग डेबिट पक्ष (Debit side) के योग से अधिक होता है तो यह अन्तर लाभ (Profit) होता है। इसके विपरीत यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के याग से अधिक होता है तो यह अन्तर हॉनि (Loss) होती है। इस लाभ या हॉनि को पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ–हॉनि अनुपात में बांट दिया जाता है जिसकी प्रविष्टि निम्नलिखित प्रकार है–

1. पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर
Profit and Loss Adjustment A/c ....Dr.
To Old Partner's Capital A/c
(Being profit on revaluation transferred to Old Partner's capital A/cs in their profit sharing ratio)

2. पुनर्मूल्यांकन पर हॉनि होने पर
Old Partners'Capital A/cs ....Dr.
To Old Partner's Capital A/cs
(Being loss on revaluation transferred to old Partner's Capital A/cs in their profit sharing ratio)

10.11 लाभ–हॉनि खाता, संचय और अतिरिक्त लाभ का हस्तान्तरण करना

पुरानी फर्म के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पुराने साझेदारों के मध्य न बांटे गए या रोके गए लाभों (Undistributed or Retained Earnings) को लाभ–हॉनि खाता (Profit and Loss Account), संचय (Reserve),सामान्य संचय (General Reserve), संचय कोष (Reserve Fund), आकस्मिक कोष (Contingency Fund), आदि नाम से सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा जाता है। ये

लाभ पुराने साझेदारों के द्वारा अर्जित किए गए रहते हैं। इस कारण नये साझेदार के प्रवेश के समय इन्हें पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बाँटकर उनके पूँजी खाते में जमा (Credit) करदिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है।

पुरानी फर्म के आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में पुरानी फर्म की अवितरित हाँनि लाभ–हाँनि खाता (Profit and Loss Account) शीर्षक में दी हुई रहती है। ये हाँनियां पुराने साझेदारों के व्यावसायिक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होती हैं। इस कारण नये साझेदार के प्रवेश के समय इन्हें पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटकर उनके पूँजी खाते में नाम (Debit) कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ

1. आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित लाभ–हाँनि खाता, संचय, सामान्य संचय, संचय कोष, आकस्मिक कोष आदि को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटना

   Profit and Loss A/c ....Dr.
   Reserve A/c ....Dr.
   General Reserve A/c ....Dr.
   Reserve Fund A/c ....Dr.
   Contingency Fund A/c ...Dr.
   To Old Partner's Capital A/cs
   (Being Profit and Loss A/c, Reserve, General Reserve, Reserve Fund, Contingency Fund credited to old partner's capital accounts in the old profit sharing ratio)

2. आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ–हाँनि खाता को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि खाता को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटना

   Old Partner's Capital A/c ....Dr.
   To Profit and Loss A/c
   (Being old losses debited to old partner's capital accounts in old profit sharing ratio)

10.12 कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन करना

पुरानी फर्म के आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में पुरानी फर्म की कृत्रिम सम्पत्तियों जैसे स्थगित विज्ञापन व्यय (Deferred Advertisement Expenses), प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses), आदि भी दी हुई रहती है। कृत्रिम सम्पत्तियों का आशय ऐसी सम्पत्तियों से है जो वास्तव में सम्पत्तियां नहीं होती बल्कि इनकी डेबिट बाकी होने के कारण इन्हें कुछ अवधि के लिए सम्पत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ये कृत्रिम सम्पत्तियां पुराने साझेदारों के व्यावसायिक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होती हैं। इस कारण नये साझेदार के प्रवेश के समय इन्हें पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटकर उनके

पूँजी खातें में नाम (Debit) कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है।

कृत्रिम सम्पत्तियों के अपलेखन की प्रविष्टिः–

आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में प्रदर्शित कृत्रिम सम्पत्तियों को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में बांटना

Old Partner's Capital A/cs ....Dr.
  To Fictitious Assets A/c
(Being writing off fictitious assets by debiting old partner's capital accounts in old profit sharing ratio)

10.13 नये साझेदार की पूँजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूँजी का समायोजन करना

नये साझेदार के प्रवेश के समय उसे पुराने साझेदार फर्म के कुछ लाभ का एक हिस्सा देते हैं और नया साझेदार लाभ के एक हिस्से के लिए पूँजी देता है। इस स्थिति में पुराने साझेदारगण यह निर्णय लेते हैं कि नई फर्म में उनकी पूँजी नये साझेदार द्वारा लिए गए लाभ और उसके द्वारा दी गई पूँजी के अनुपात मे रहेगी। यह न्यायसंगत भी है कि सभी साझेदारों की पूँजी उनके द्वारा लिए गए अनुपात में हो।

नये साझेदार की पूँजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूँजी की गणना निम्नलिखित प्रकार की जाती है :

1. सर्वप्रथम नया लाभ–हाँनि अनुपात को निकाल लीजिए।
2. अब नये साझेदार के लाभ के हिस्से और उसके द्वारा दी गई पूँजी के आधार पर पुराने साझेदारों के अलग–अलग लाभ के हिस्से के अनुसार नई फर्म में रखी जाने वाली उनकी अलग–अलग पूँजी को निकाल लीजिए।
3. समायोजन के बाद पुराने साझेदारों का पूँजी खाता बनाइए। इस पूँजी खाते में लाभ–हाँनि समायोजन खाते के लाभ/हाँनि, ख्याति, पुराने आर्थिक चिट्ठे के संचय, अविभाजित लाभ, अविभाजित हाँनि, आदि का लेखा कर पूँजी खाता का शेष निकाल लीजिए।
4. पूँजी खाता का शेष की तलना उपर्युक्त 2 से प्राप्त पूँजी से कीजिए। यदि पूँजी खाता का शेष अधिक हो तो पुराने साझेदार अपने पूँजी–आधिक्य (Excess of Capital) को फर्म से निकाल लेंगे या उनके चालू खातों (Current Accounts) में जमा (Credit) कर दीजिए। इसके विपरित पूँजी खातों का शेष कम हो तो पुराने साझेदार फर्म में पूँजी की कमी को लाकर देंगे या उनके चालू खाते में नाम (Debit) कर दीजिए।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ–

1. पुराने साझेदार के द्वारा पूँजी की कमी (Deficiency of Capital) को पूरा करना

Cash/Bank A/c ....Dr.
Depending upon
Partner's Current A/c ...Dr. } the

Partner's Loan A/c ....Dr.
instructions given
To Old Partner's Capital A/c
(Being deficiency of capital brought in or transferred to his current/loan account)

2. पुराने साझेदार के द्वारा पूँजी आधिक्य (Excess of Capital) को निकाल लेना

Cash/Bank A/c ....Dr.
Depending upon
Partner's Current A/c ...Dr. the
Partner's Loan A/c ....Dr.
instructions given
To Old Partner's Capital A/c
(Being excess of capital withdrawn or transferred to his current/load account)

10.14 पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी के आधार पर नए साझेदार की पूँजी की गणना करना

कभी–कभी पुराने साझेदारगण नए साझेदार को साझेदारी व्यावसाय में प्रवेश देते समय अपनी संयुक्त पूँजी(Combined Capitla) के आधार पर नए साझेदार से पूँजी लेते हैं। ऐसी स्थिति में नए साझेदार का लाभ में हिस्सा ज्ञात रहता है पर उसकी पूँजी की मात्रा की जानकारी नहीं रहती है। पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी के आधार पर नए साझेदार की पूँजी की गणना निम्नलिखित प्रकार की जाती है :

1. सर्वप्रथम समायोजन के बाद पुराने साझेदारों के पूँजी खाते बनाइए। इस पूँजी खातों में लाभ–हाँनि समायोजन खाता के लाभ–हाँनि, ख्याति, पुराने आर्थिक चिट्ठे के संचय, अविभाजित लाभ, अविभाजित हाँनि, आदि का लेखा कर पूँजी खातों के शेष निकाल लीजिए।
2. अब पुराने साझेदारों के पूँजी खातों के शेष (Capital Balance) को जोड़कर 'पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी' (Combined capital of old partner's) निकाल लीजिए।
3. फर्म के कुल लाभ 1 में से नए साझेदार के लाभ के हिस्से को घटा दीजिए। 'शेष बचा हुआ लाभ' (Remaining Profit) पुराने साझेदारों का सम्मिलित लाभ (Combined profit old partners) है।
4. शेष बचा हुआ लाभ और पुराने साझेदारों की संयुक्त पूँजी के आधार पर कुल लाभ 1 पर फर्म की कुल पूँजी(Total profit of the firm) निकाल लीजिए।
5. फर्म की कुल पूँजी में नए साझेदार के हिस्से से गुणा कर नए साझेदार की पूँजी(Capital of new Partner) निकाल लीजिए।

10.15 सारांश

जब साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से नये व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है तो इसे साझेदार का प्रवेश कहते है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से किसी नये व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। धारा 31(2) के अनुसार नया व्यक्ति प्रवेश के पूर्व फर्म द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नये साझेदार के प्रवेश पर निम्न समस्यायें उत्पन्न होती है–
(1) उसकी पूँजी क्या हो ? (2) ख्याति का लेखांकन किस प्रकार होगा ? (3) नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो ? (4) सम्पत्ति एवं दायित्वों का पूर्नमूल्यांकन किस प्रकार हो ? (5) संचय एवं आयोजन का लेखा किस प्रकार हो ?

कभी–कभी नये साझेदार के प्रवेश पर सभी साझेदारों के बीच यह समझौता हो जाता है कि प्रत्येक साझेदार की पूँजी उनके लाभ–हाँनि विभाजन अनुपात में होगी, ऐसी स्थिति में पूँजी कम होने पर साझेदार कभी भी राशि फर्म में लाता है तथा अधिक होने पर आधिक्य की राशि निकाल कर अपनी पूँजी लाभ–हाँनि विभाजन अनुपात में समायोजित करता है। यह समायोजन दो आधारों पर किया जाता है– (1) नये साझेदार के पूँजी के आधार पर शेष सभी साझेदार की पूँजी का समायोजन एवं (2) पुराने साझेदारों के पूँजी के अनुपात में नये साझेदार की पूँजी का समायोजन।

सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में कार्यरत किसी कर्मचारी अथवा प्रबन्धक को फर्म में साझेदार के रूप मे प्रवेश दिया जा सकता है। इससे फर्म की कार्य कुशलता एवं लाभ में वृद्धि की सम्भावनायें बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रवेश कर रहे साझेदार को देय राशि का निर्धारण पुनः नये ढंग से समझौते के आधार पर किया जाता है।

10.16 शब्दावली

नया लाभ–हॉनि अनुपात–साझेदार व्यवसाय के भविष्य के लाभों को सभी साझेदारों (नए और पुराने सहित) के बीच बांटने हेतु निर्मित अनुपात नया लाभ–हॉनि अनुपात है।

त्याग के अनुपात– साझेदार फर्म में नये साझेदार को लाभ का एक हिस्सा या अनुपात देने हेतु पुराने साझेदारों के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है।

ख्याति– ख्याति का अर्थ अदृश्य स्थायी सम्पत्ति है। ख्याति का सृजन एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका मूल्य तो होता है पर इसे देखा और छूआ नहीं जा सकता है लेकिन समझा जा सकता है।

अधिलाभ– कोई व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक वास्तविक लाभ कमाता है उसे अधिलाभ कहते हैं।

छिपी हुई ख्याति– जब नये साझेदार ख्याति की रकम नकद नहीं लाता है तो इस स्थिति में फर्म की ख्याति की गणना नये साझेदार की पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर की जाती है।

नये साझेदार का प्रवेश– साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारी फर्म का पुनगर्ठन है।

अवयस्क– किसी अवयस्क को साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों की स्वतंत्र सहमति से फर्म में नया साझेदार बनाया जा सकता हैं। अवयस्क साझेदार फर्म में केवल लाभ के लिए साझेदार होता है।

सम्पत्ति का गुण–अदृश्य सम्पत्ति में एक सम्पत्ति का गुण होना चाहिए अर्थात् सम्पत्ति का आन्तरिक/बाह्य मूल्य होना चाहिए और इसकी सरलता से पहचान होनी चाहिए।

गुप्त ख्याति– नई फर्म की कुल पूँजी में से पुराने और नए साझेदारों की संयुक्त पूँजी घटा देने पर बचा हुआ शेष गुप्त ख्याति है।

सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन– सम्पत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए लाभ–हानि होती है। इसके विपरीत सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी फर्म के लिए लाभ होता है।

कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन– कृत्रिम सम्पत्तियों का आशय ऐसी सम्पत्तियों से है जो वास्तव में सम्पत्तियां नहीं होती है बल्कि इनको डेबिट बाकी होने के कारण इन्हें कुछ अवधि के लिए सम्पत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ये कृत्रिम सम्पत्तियां पुराने साझेदारों के व्यावसायिक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होती हैं।

10.17 बोध प्रश्न

बताइए कि निम्नलिखित कथन 'सत्य' हैं अथवा 'असत्य'।

(State whether the following statements are 'True' or 'False'):

1. ख्याति खाता एक व्यक्तिगत खाता है।
   (Goodwill account is a personal account.)
2. ख्याति एक अमूर्त एवं अवास्तविक सम्पत्ति है।
   (Goodwill is an intangible and fictitious asset.)
3. नये साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों का लाभ–हाँनि विभाजन का अनुपात कम हो जाता है।
   (On admission of a new partner the profit sharing ratio of old partners is reduced.)
4. नये साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने पर पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में उनके त्याग के अनुपातमें अन्तरित किया जाता है।
   (On bringing the amount of goodwill. it is transferred to the old partners' capital accounts in their sacrificing ratio.)
5. यदि 'R', 'S' एवं "T" 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ–हाँनि का विभाजन करते हैं। वे 'U' को 1/7 भाग के लिएसम्मिलित करते हैं, उनका नया अनुपात 3 : 2 : 1 : 1 होगा।
   If 'R', 'S' and " T" share profit in the ratio of 3 : 2 : 1 and they sdmit 'U' for 1/7 share, their new ratio will be 3 : 2 : 1 : 1.

10.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) असत्य; (2) असत्य; (3) सत्य; (4) सत्य; (5) सत्य।)

10.17 स्वपरख प्रश्न

(A) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long Type Question)**–

1. ख्याति की परिभाषा दीजिये और इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित समझाइये।

   Define goodwill and describe the various methods of valuation of goodwill with examples.

2. ख्याति क्या है? एक व्यवसाय की ख्याति का मूल्य निर्धारण करने की विभिन्न विधियों को समझाइये।

   What is goodwill? Explain the various methods of ascertaining the goodwill of a business.

3. किसी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन की विभिन्न रीतियों को बताइए तथा उनमें से किन्हीं दो को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए।

   When does necessity arise in a firm for the valuation of goodwill? Explain the averageprofit and super profit basis.

4. एक साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों में ख्याति के लिए प्रयुक्त विभिन्नविधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

5. ख्याति खाता खोलने से आपका क्या तात्पर्य है? वह लेखा पुस्तकों में कब और कैसे खोला जाता है?किसी साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन मानक–10 (AS-10) के अनुसार ख्याति का क्या लेखांकन है?

   What do you understand by creation of goodwill account? When and how is it created in the books of accounts? What is the treatment of goodwill at the time of admission of a newpartner as per Accounting Standard-10?

(B) लघु उत्तरीय प्रश्न(Short Answer Question)–

1. उन दशाओं को बताइए जब साझेदारी में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है।

   "Write those conditions when valuation of goodwill is essential in partnership.

2. किसी साझेदार के प्रवेश के समय त्याग के अनुपात का अर्थ बताइए।

   "Give the meaning of sacrificing ratio at the time of admission of a partner.

3. पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते है? कल्पित आँकड़ों से यह खताा बनाकर दिखाइए।

   "What is Revaluation Account? Draw an imaginary revaluation account.

4. पुनर्मूल्यांकन का खाता प्रचार करने के लिए कौन–कौन सी जर्नल (पंजी) प्रविष्टियाँ की जाती है? बताइए।

   What journal entries are made to record revaluation? Mention them.

5. पुनर्मूल्यांकन खाता एवं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता में अन्तर बताइए।

   Give Difference between revaluation A/c and memorandum revaluation A/c

संख्यात्मक प्रश्न **(Numerieal Question)**

उदाहरण– 1

'A; 'B' और 'C' जो 6 : 5 : 3 के अनुपात में लाभ–हानि का विभाजन करते है, का 31 मार्च, 2016 को चिट्‌ठा (स्थिति–विवरण) निम्नानुसार था:

The following was the balance sheet of 'A; 'B' and 'C' sharing profits and losses in the ratio of : 6 : 5 :3 as 31st March, 2016.

दायित्व (Liabilities)		राशि (Amount)	सम्पत्तियों (Assets)	राशि (Amount)
		रू. Rs.	Rs.	Rs.
लेनदार (Creditors)		19,000	रोकड़ (Cash)	1,890
देयबिल (Bills Payable)		6,200	देनदार (Debtors)	26,460
पूँजीखाते(CapitalA/cs)	रू.(Rs.)	.	स्कन्ध (Stock)	29,400
A	39,900		फर्नीचर (Furniture)	7,350
B	33,600	.	भूमि एवं भवन (Land &Building)	50,400
C	16,800	90,000		
		1,15,500		1,15,500

उन्होनें (D) को निम्न शर्तो पर 1/8 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया:

(i) D ख्याति के 12,600 रू. तथा 14,700 रू. पूँजी के लायेगा।

(ii) फर्नीचर पर 920 रू. ता स्कन्ध पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाय।

(iii) 1,320 रूपये अदत्त मरम्मत के बिल के लिए संचय किया जाय।

(iv) भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़ाकर 65,100 रू. कर दिया जाय।

आवश्यक जर्नल (पंजी) प्रविष्टियाँ खाता एवं साझेदारों के पूँजी खाते बनाइये।

They agreed to take D into partnership by giving him 1/8th share on the following terms:

(i) That D should bring in Rs. 12,600 for goodwill and Rs 14,700 as his capital.

(ii) The furniture be depreciated by Rs. 920 and stock @ 10%

(iii) That a reerve of Rs. 1,320 be made for outstanding repairs Bills.

(iv) That the value of land and building having appreeiated by brought up to Rs.65,100 Make journal entrics and prepare Revatuation A/c and Partners' Capital Accounts.

हलः–

Journal Entrics

Date	Particulars	L.F.	Amount Debit	Amount Credit
2016			Rs.	Rs.
Mar., 31	Revaluation A/c Dr.		5,180	
	To Furniture A/c Dr.			920
	To Stock A/c Dr.			2,940
	To Outstanding RepairsA/c Dr.			
	(Being depreciation of assets and prvision for outstanding repairs)			
" 31	Land & Building A/c Dr.		14,700	
	To Revaluation A/c			14,700
	(Being the appreciation in the value of Land & Building			
" 31	Revaluation A/c Dr.		9,520	
	To A's Capital A/c			4,080
	To B's Capital A/c			3,400
	To C's Capital A/c			2,040
	(Being capital and goodwill brought in y the new partner D)			
" 31	Bank A/c Dr.		27,300	
	To D's Capital A/c			27,300
	(Being capital and goodwill brought in by the new partner D)			
" 31	D's Capital A/c Dr.		12,600	
	To A's Capital A/c			5,400
	To B's Capital A/c			4,500
	To C's Capital A/c			2,700
	(Being the amount of goodwill distributed amongst the old partners)			

.

Dr. Revaluation Account Cr.

	Particulars		Amount		Particulars		Amount
			Rs.				Rs.
	To Furniture A/c		920		By Land & Building A/c		14,700
	To Stock A/c		2,940				
	To Outstanding RepairsA/c						
	To Partner's capital A/c : Rs						
	A 4,080						
	B 3,400						
	C 2,400		9,520				
			14,700				14,700

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Date	Particulars	A	B	C	D	Date	Particulars	A	B	C	D
2008		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	2008		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Mar,31	ToA'sCapital				5,400	Mar, 31	By Balance				

	A/c						b/d	39,900	33,600	16,800	
" 31	ToB'sCapital					Mar, 31	By Revaluation				
	A/c				4,500		A/c (Profit)	4,080	3,400	2,040	
" 31	ToC'sCapital					Mar, 31	By Bank A/c				27,300
	A/c				2,700	Mar, 31	By D's Capital				
	To Balance c/d	49,380	41,500	21,540	14,700		A/c	5,400	4,500	2,700	
		49,380	41,500	21,540	27,300			49,380	41,540	21,540	27,300

उदाहरण– 2

'ए' और 'बी' बराबर के साझेदार है। 1 अप्रैल, 2016 को वे 'सी' को प्रवेश देने हेतु सहमत हो जाते हैं। 'सी' को 2,000 रू. प्रीमियम के रूप में देने थे, रूपए को व्यवसाय में छोड़ दिया जाना था टोर उसने व्यवसाय में एक तिहाई हिस्से के लिए 5,000 रू. पूँजी के रूप में लगाये।

31 मार्च, 2016 को 'ए' तथा 'बी' का चिट्ठा निम्नानुसार था:

दायित्व	राशि	सम्पत्तियाँ	राशि
	रू.		रू.
पूँजी खाते : रू.		भूमि एवं भवन	7,962
'ए' 9,000		प्लाण्ट एवं मशीनरी	6,841
'बी' 9,000	18,000	पुस्तकीय देनदार	10,210
विविध लेनदार	9,862	स्कन्ध	3,528
संचय खाता	1,000	बैंक में रोकड़	271
		हस्तस्थ रोकड़	50
	28,862		28,862

पक्षकारों के मध्य यह तय हुआ कि पुस्तकीय मूल्यों में निम्नांकित समायोजन किया जाये–

(i) भूमि एवं भवन को 12,000 रू. पर मूल्यांकित किया जाये।

(ii) प्लाण्ट एवं मशीनरी को घटाकर 5,000 रू. कर दिया जाये।

(iii) 749 रू. अप्राप्य ऋण के अपलिखित किये जायें।

(iv) स्कन्ध का मूल्यांकन 3,000 रू. पर किया जाये।

(v) संचय खाता को 'ए' तथा 'बी' में समान रूप से बाँटा जाये।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये तथा नयी फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए।

' A' and 'B' are equal partners. On 1st April, 2016 they agreed to admit 'C' as partner. 'C' was to pay Rs. 2,000 as permium, the money to be left in teh business and contributed Rs. 5,000 as capital for one-third share in business.

The Balance Sheet of 'A' and 'B' as at 31st March, 2016 was as follows:

Liabilities	**Amount**	**Assets**	**Amount**
	Rs.		Rs.
Capital A/cs: Rs.		Land & Building	7,962
'A' 9,000		Plant & Machinery	6,841
'B' 9,000	18,000	Book Debts	10,210

Sundry Creditors	9,862	Stock	3,528
Reserve Account	1,000	Cash at Bank	271
Total	28,862	Total	28,862

It was agreed that the following adjustments in the book values were to be made:

(i) Land and building to be valued Rs. 12,000.

(ii) Plant and Machinery to be reduced Rs.5,000.

(iii) Bad Debts to be written off Rs. 749

(iv) Stock to be valued at Rs. 3,000.

(v) Reserve Account to be shared equally between 'A' & 'B'.

Show journal entries and prepare the Balance sheet of the new firm.

हलः–

Date	Particulars	L.F.	Debit Amount	Credit Amount
2016			Rs.	Rs.
April 1	Reserve A/c Dr.		1,000	
	To A's Capital A/c			500
	To B's Capital A/c			500
	(Being distribution of reserve among old partners			
" 1	Land and Building A/c Dr.		4,038	
	To Revaluation A/c			4,038
	(Being increase in the value of land and building			
" 1	Revaluation A/c Dr.		3,118	
	To Plant and Machinery A/c			1,841
	To Book Debts A/c			749
	To Stock A/c			528
	(Being reduction in teh value of assets			
" 1	Revaluation A/c Dr.		920	
	To A's Capital A/c			460
	To B's Capital A/c			460
	(Being profit on revaluation transferred to old partners' capital accounts)			
	Bank A/c Dr.		7,000	
	To C's Capital A/c			7,000
	(Being amount brought in by 'C' as capitl and premium			

	C's Capital A/c		2,000	
	To A's Capital A/c			1,000
	To B's Capital A/c			1,000
	(Being teh amount of premium credited to old partners' capital accounts in their sacrificing ratio i.e. 1: 1)			

Balance Sheet of 'A; 'B' and 'C' as on 1st April, 2016

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.		Rs.
CapitalA/cs:		Land and Building	12,000
10,960			
A 10,960		Plant and Machinery	5,000
B 10,960		Book Debts	9,461
C 5,000	26,920	Stock	3,000
Sundry Creditors	9,862	Cash at Bank	
		(271+5,000+2,000)	7,271
		Cash in Hand	50
	36,782		36,782

Working Notes:

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Particulars	A	B	C	Particulars	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
To A's Capital A/c			1,000	By Balance B/d	9,000	9,000	
To B's Capital A/c			1,000	By Reserve A/c	500	500	
To Balance c/d	10,960	10,960	5,000	By Revaluation A/c	460	460	
				By Bank A/c			7,000
				By C's Capital A/c	1,000	1,000	
	10,960	10,960	7,000		10,960	10,960	7,000

उदाहरण– 3

राम और श्याम लाभ में क्रमशः 3/4 भाग लेते हैं तथा 31 मार्च, 2016 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था–

देयताएँ	राशि	सम्पत्तियाँ	राशि
	रू.		रू.
लेनदार	75,000	बैंक में शेष	45,000
सामान्य संचय	8,000	प्राप्य विपत्र	6,000
पूँजी खाते रू.		देनदार	32,000
राम 60,000		स्कन्ध	40,000
श्याम 32,000	92,000	कार्यालय उपस्कर	2,000
		भूमि तथा भवन	50,000
	1,75,000		1,75,000

वे 1 अप्रैल, 2016 को मोहन को निम्नलिखित शर्तो पर साझेदारी में लेते हैं–

1. कि मोहन फर्म के आगामी लाभों में $\frac{1}{5}$ भाग के लिए 28,000 रू. दें।
2. कि नयी फर्म की पुस्तकों में प्रब्याजि खाता 40,000 रू. से खोला जाय किन्तु प्रवेश के बाद उसे अपलिखित कर दिया जाए।
3. कि स्कन्ध तथा कार्यालय उपस्कर को 10% से कम किया जाये तथा देनदारों पर 5% से संदग्धि ऋणों के लिए आयोजन किया जाय।
4. कि भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% वृद्धि की जाय।
5. कि सभी साझेदारों के पूँजी खाते उनके लाभ–हाँनि के अनुपात में पुनः समायोजित किये जायें तथा जो अतिरिक्त रकम हो उसे अस्थायी रूप से चालू खाते में जमा या नाम किया जाय तथा उसी समय उसका भुगतान नकद किया जाए।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा नई फर्म का प्रारम्भिक चिट्ठा बनाइये।

The following is the Balance Sheet as at 31st March, 2016 of Ram and Shyam, who share profits in the proportion of $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively:

Liabilities		Amount	Assets	Amount
		Rs.		Rs.
Sundry Creditors		75,000	Cash at Bank	45,000
General Reserve		8,000	Bills Receivable	6,000
Capital A/cs	Rs.		Sundry Debtors	32,000
Ram	60,000		Stock	40,000
Shyam	32,000	92,000	Office Furniture	2,000
			Land & Buildings	50,000
		1,75000		1,75,000

They admit Mohan into partnership on 1st April, 2016 on the following terms:

(1) That Mohan pays Rs. 28,000 for $\frac{1}{5}$th share in future profits.

(2) That a Premium (Goodwill) account be raised in the books of the firm at a value of Rs. 40,000 but written off after admission.

(3) That stock and office furniture be reduced by 10% and a provision for doubtful debts be created at 5% on debtors.

(4) That the value of the land and Building be appreciated by20%

(5) That the capital of all the partners be adjusted on the basis of their profit sharing proportion and any additional amount to the credit of any partner should be temporarily transferred to his current account and immediately paid in cash to him.

Give journal entries and prepare the initial balance sheet of the new firm.

हलः–

Date	Particulars	L.F.	Debit Amount	Credit Amount
2016			Rs.	Rs.
April 1	BankA/c Dr.		28,000	
	To Mohan's Capital A/c			28,000
	(Being capital brought in by Mohan for 1/5th share			
April 1	Premium (Goodwill) A/c Dr.		40,000	
	To Ram's Capital A/c			30,000
	To Shyam's Capital A/c			10,000
	(Being soodwill raised on the admission of new partner)			
" 1	Ram's Capital A/c Dr.		24,000	
	Shyam's Capital A/c Dr.		8,000	
	Mohan's Capital A/c Dr.		8,000	
	To Premium (Goodwill) A/c			40,000
	(Being the goodwill wrtten off)			
" 1	Revaluation A/c Dr.		5,800	
	To Stock A/c			4,000
	To Office furniture A/c			200
	To Provision for Doubtful Debts A/c			1,600
	(Being value depreciated on admission of Mohan)			
" 1	Building A/c Dr.		10,000	
	To Revaluation A/c			10,000
	(Being appreciation in the value of Building)			
April	Revaluation A/c Dr.		4,200	
1	To Ram's Capital A/c			3,150
	To Shyam's Capital A/c			1,050
	(Being profit on revaluation transferred to old partners'capital			
"1	General Reserve A/c Dr.		8,000	
	To Ram's Capital A/c			6,000
	To Shyam's Capital A/c			2,000
	(Being general reserve transferred to partners' capital accounts			
"1	Ram's Capital A/c Dr.		15,150	
	Shyam's Capital A/c Dr.		17,050	
	To Ram's Current A/c			15,150
	To Shyam's Current A/c			17,050
	(Being exeees capital transferred)			
"1	Ram's Current A/c Dr.		15,150	
	Shyam's Current A/c Dr.		17,050	
	To Bank A/c			32,200
	(Being excess capital withdrawn by old partners			

Balance Sheet of the New Firm as on 1st April, 2016

Liabilities		Amount	Assets		Amount
		Rs.			Rs.
Sundry Creditors		75,000	Cash at Bank		40,800
Capital Accounts:	Rs.		Bills Receivable	Rs.	6,000
Ram	60,000		Sundry Debtors	32,000	
Shyam	20,000		*Less* : Provision	1,600	30,400
Mohan	20,000	1,00,000	Stock		36,000
			Furniture		1,800

		Buildings	60,000
	1,75,000		1,75,000

Working Notes:

(i) Calculation of New Profit Sharing Ratio

Let total profit be Re. 1

Share given to Mohan $=\frac{1}{5}$

Remaining share $=\frac{1}{1}-\frac{1}{5}=\frac{5-1}{5}=\frac{4}{5}$

Ram's Share $=\frac{3}{4}$ of $\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$

Shyam's Share $=\frac{1}{4}$ of $\frac{4}{6}=\frac{1}{5}$

New Profit Sharing ratio of Ram, Shyam and Mohan will be

$=\frac{3}{5}:\frac{1}{5}:\frac{1}{5}=3:1:1$

(ii) *Calculation of New Capital of partners*

Mohan is to Pay Rs. 28,000

Less: Share of Goodwill $\left[20{,}000\times\frac{1}{5}\right]$ Rs. 8,000

Mohan's Capital 20,000

On the basis of Mohan's Capital of Rs. 20,000 the total capital of the firm willbe

$20{,}000\times\frac{5}{1}=Rs.\,1{,}00{,}000$

Capital of Partners

Ram's Capital in the new firm $=1{,}00{,}00\times\frac{3}{5}=Rs.\,60{,}000$

Shyam's Capital in the new firm $=1{,}00{,}000\times\frac{1}{5}=Rs.\,20{,}000$

Mohan's Capital in the new firm Rs. 20,000

(v) Calculation of old Partners's Net Capital

	Ram	Shyam
	Rs.	Rs.
Balance b/d	60,000	32,000
Add : Goodwill (Mohan's Share)	6,000	2,000
Revaluation Profit	3,150	1,050
General Reserve	6,000	2,000
Net Capital	75,150	37,050

(vi) Calculation of Excess Capital withdrawn by old Partners:

Partners	Net Capital	New Capital	=	Excess Capital
Ram	Rs. 75,150	Rs. 60,000	=	Rs. 15,150
Shyam	Rs. 37.050	Rs. 20,000	=	Rs. 17,050

(v)

Dr. Bank A/c Cr.

2016			Rs.	2016			Rs.
April 1	To Balance b/d		45,000	April 1	By Ram's Current A/c		15,150
" 1	To Mohan's Capital A/c		28,000	" 1	By Shyam's CurrentA/c		17,050
				" 1	By Balance c/d		40,800
			73,000				73,000

10.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई –11 साझेदारी खाते– साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु (Partnership Account – Death and Reiterment of Parners)

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 साझेदार के अवकाश ग्रहण का आशय

11.3 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि की गणना विधि

11.4 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेझार को कुल देय राशि का लेखांकन

11.5 अवकाश के समय की लेखांकन समस्याओं का समायोजन

11.5.1 चालू (शेष) साझेदारों के नये लाभ हाँनि अनुपात और लाभ–प्राप्ति के अनुपात की गणना

11.5.2 ख्याति का लेखांकन

11.5.3 फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन

11.5.4 संचय, अवितरित लाभ और लाभ–हाँनि खाते का हस्तान्तरण

11.5.5 कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन

11.5.6 पूँजी का समायोजन

11.5.7 संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का समायोजन

11.5.8 किस्तों में भुगतान

11.6. मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को कुल देय राशियों की गणना विधि

11.7 साझेदार की मृत्यु के बाद लेखांकन प्रक्रिया

11.8 ख्याति का लेखांकन और लेखांकन प्रमाप–10 का उपयोग

11.9 मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना विधि

11.10 संयुक्त जीवन बीमा पत्र की आवश्यकता

11.11 सारांश

11.12 शब्दावली

11.13 बोध प्रश्न

11.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.15 स्वपरख प्रश्न

11.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- साझेदार का अवकाश ग्रहण का अर्थ परिभाषा एंव कारण को समझ सकें।
- अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि की गणना विधि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो धनराशि दिया जाता है। उसकी लेखांकन विधि को जान सकें।
- लेखांकन में आने वाली समंस्यायों का समायोजन की जानकारी प्राप्त कर सकें ।

- शेष साझेदारों के नये लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना कर सकें।
- फर्म की सम्पत्तियों व दायित्वों का मूंल्याकन एंव ख्याति का लेखांकन विधि को अच्छी तरह समझ सकें।
- संचय, अवितरित लाभ और लाभ हाँनि खाते का हस्तान्तरण की प्रक्रिया को जान पायें।
- कृत्रिम सम्पत्तियों का अवलेखन और पूँजी का समायोजन का अवलेखन और पूँजी का समायोजन को जान सकें।
- संयुक्त जीवन बीमा पत्र को समायोजन का पूर्ण अध्ययन कर सकें।
- मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को कुल देय , राशियों की गणना विधि को भलिभाँति समझा सकें।
- मृत्यु के बाद लेखांकन प्रकिया एंव ख्याति का लेखांकन प्रमाण10का उपयोग को समझ सकें।
- मृतक साझेदार के हिस्से की लाभ की गणना विधि को जान सकें।

11.1 प्रस्तावना

वैधानिक रूप से साझेदारी साझेदारोंके मध्य एक पारस्परिक अनुबन्ध है। साझेदारी की स्थापना कम–से–कम दो व्यक्ति होने पर किसी भी समय की जा सकती है और सभी साझेदारों की सहमति से किसी भी समय भंग की जा सकती है। साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत कोई भी साझेदार किसी भी कारण, किसी भी समय साझेदारी व्यवसाय से अलग हो सकता है। इसके लिए उसे फर्म को छोड़ने की इच्छा को प्रकट करते समय छः महीने पूर्व सूचना देनी होगी और वह साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साझेदारी से अवकाश ग्रहण करेगा। अवकाश ग्रहण करते समय अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को फर्म से उसका वित्तीय हिस्सा लौटा दिया जाता हैं जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसे निवृत्त साझेदार (Retiring Partner) और फर्म में शेष बचे साझेदार को चालू साझेदार (Continuing Partner) कहते हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदारी को भंग करता है और इसका परिणाम फर्म का पुनर्गठन है।

11.2 साझेदार के अवकाश ग्रहण का आशय

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 32 के अनुसार, ''एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों से स्पष्ट समझौते से या ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है''।

जब कोई साझेदार निम्नलिखित कारणो से स्वंय को फर्म से अलग करता है तो उसका अवकाश ग्रहण करना कहते है–

अ. बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण।

ब. वृद्धावस्था के कारण

स. किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण

द. कोई अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा होने के कारण

य. किसी अन्य कारण जिससे वह फर्म में रहना उचित नहीं समझता हो।

11.3 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि की गणना विधि

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम की गणना करने हेतु अवकाश ग्रहण करने की तिथि को उसका पूँजी खाता बनाया जाता हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार निम्नलिखित मदों से अपना हिस्सा पाने का अधिकारी होता है या उसके पूँजी खाता में आर्थिक चिट्ठे के अनुसार उसकी पूँजी लिखने के बाद जमा पक्ष (Credit side) में निम्नलिखित मदों को लिखा जाता हैः–

1. अवकाश ग्रहण करने की तिथि को फर्म की कुल ख्याति में उसका हिस्सा।
2. आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित अवितरित लाभ, लाभ–हाँनि खाता, संचय, सचय कोष, सामान्य संचय, आदि में उसका हिस्सा।
3. अवकाश ग्रहण करने की तिथि को फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने पर निर्मित लाभ–हाँनि समायोजन खाता (Profit and Loss Adjustment) या पुनर्मूल्यांकन खाता (Revaluation Account) के अनुसार हुए लाभ में उसका हिस्सा।
4. उसकी पूँजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक आदि–यदि अदत्त या देय हो।
5. अन्तिम आर्थिक चिट्ठे की तिथि से लेकर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के बीच की अवधि का फर्म के अनुमानित शुद्ध लाभ (Estimated Net Profit) में उसका हिस्सा।
6. संयुक्त जीवन पॉलिसी (Joint Life Policy) के समर्पित मूल्य (Surrender Valeu) में उसका हिस्सा।

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाता के नाम पक्ष (Debit side) में निम्नलिखित मदों को लिखा जाता है :

1. आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ–हाँनि खाता में उसका हिस्सा।
2. अवकाश ग्रहण करने की तिथि को फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने पर निर्मित लाभ–हाँनि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता के अनुसार हुई हाँनि में उसका हिस्सा।
3. आहरण एवं आहरण पर ब्याज।
4. अन्तिम आर्थिक चिट्ठे की तिथि से लेकर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के बीच की अवधि का फर्म की कुल हाँनि में उसका हिस्सा।

अवकाश ग्रहण करने की तिथि को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाता में उपर्युक्त मदों को लिख देने के बाद उसके पूँजी खाता का शेष निकाला जाता है। प्रायः यह जमा शेष (Credit Balance) होता है, जिसका पूर्ण या आंशिक भुगतान या उसके ऋण खाता में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाता का प्रारूप (Proforma)निम्नलिखित है :

Dr. Retiring Partner's Capital Account Cr.

Date	Particulars	J.F.	Amount	Date	Particulars	J.F.	Amount

	To Profit and Loss A/c (Dr.) To Profit and Loss Adjustment A/c (Loss) To Drawing A/c To Interest on Drawings A/c To Retiring Partner's Loan A/c or Cash or Bank A/c		Rs. (Balancing figure)		By Balance b/d By Profit and Loss A/c (Cr.) By Undistributed Profit By Reserve By Reserve Fund By General Reserve By Profit & Loss Adjustment A/c (Profit) By Interst on Capital A/c By Joint Life Policy A/c		(If due) (share in surrender value) ....

11.4 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम का लेखांकन

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाता का जमा शेष (Credit Balance) ही कुल देय रकम होती है, जिसके भुगतान का दायित्व साझेदारी फर्म पर होता है। इस कुल देय रकम का लेखांकन निम्नलिखित विधियों में से किसी भी प्रकार किया जा सकता है:

1 (क) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पूर्ण भुगतान

1. फर्म के पर्याप्त रोकड़ या बैंक शेष में पूर्ण भुगतान (Full Payment)

Retiring Partner's Capital A/c ....Dr.
To Cash/Bank A/c
(Being full payment made to Retiring Partner)

2. फर्म के द्वारा बैंक से ऋण लेकर पूर्ण भुगतान(Full Payment)

अ. बैंक से ऋण लेना

Bank A/c
To Bank Loan A/c ....Dr.
(Being loan taken from Bank for payment to Retiring Partner)

ब. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पूर्ण भुगतान (Full Payment)

Retiring Partner's Capital A/c .....Dr.
To Bank A/c
(Being full payment made to Retiring Partner)

1 (ख) फर्म में अपर्याप्त रोकड़ या बैंक शेष रहने पर पूर्ण भुगतान करने हेतु फर्म के रोकड़ या बैक शेष को दे देने के बाद शेष राशि बाकी बचे साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन अनुपात या समायोजित पूँजी के अनुपात में लाकर पूर्ण भुगतान (Full Payment)

3. (अ) शेष बचे साझेदारों के द्वारा अतिरिक्त राशि (additional amount) लाना

Cash/Bank A/c ....Dr.
To Remaining Partners' Capital A/c ....Dr.
(Being additional amount brought by Remaining Partner to make payment to Retiring Partner)

(ब). अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पूर्ण भुगतान (Full Payment)

Retiring Partner's Capital A/c ....Dr.
To Cash/Bank A/c
(Being full payment made to Retiring Partner)

2 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को आंशिक भुगतान–

फर्म में अपर्याप्त रोकड़ या बैंक शेष रहने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को आंशिक भुगतान (Part Payment)किया जाता है और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है :

4. आंशिक भुगतान तथा शेष राशि का उसके ऋण खाते में हस्तान्तरण

Retiring Partner's Capital A/c Dr.\
To Cash /Bank A/c
To Retiring Partner's Loan A/c
(Being Part payment made and balance transferred to his loan account)

3 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम का उसके ऋण खाते में हस्तान्तरण

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाते के जमा शेष का पूर्ण भुगतान न करने पर इस कुल देय रकम को उसके ऋण खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। साझेदारी फर्म उसके ऋण खाता के शेष पर पूर्व निर्धारित दर पर या दर निर्धारण न रहने पर6% वार्षिक की दर से ब्याज देती है।

5. कुल देय रकम का उसके ऋण खाते में हस्तान्तरण

Retiring Partner 's Capital A/c Dr.
To Retiring Partner 's Loan A/c
(Being blance of capital account transferred to his loan account)

6. ऋण पर ब्याज देय होना

Interest A/c Dr.
To Retiring Partner 's Loan A/c
(Being interest due of Retiring Partner 's Loan Account)

7. उपयुक्त ब्याज का भुगतान

Retiring Partner's Lone A/c
To Cash /Bank A/c
(Being interest paid to Retiring Partner on due amount)

4. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को किस्तों में भुगतान

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी शेष को उसके ऋण खाते में हस्तान्तरित कर देने के बाद यदि इस शेष का भुगतान किस्तों में ब्याज सहितकिया जाता हैं। तो प्रारम्भिक शेष पर ब्याज निकालकर इसे किस्त की

राशि में जोड़ दिया जाता है, तत्पश्चात् किस्त का भुगतान कर दिया जाता है। ऋण के पूर्ण भुगतान होने तक ब्याज की गणना की जाती है। किस्त भुगतान के साथ साथ देय राशि घटती जाती है। अन्तिम किस्त के भुगतान के साथ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ऋण खाता बन्द हो जाता है।

8 (a) बकाया देय रकम पर ब्याज देय होना

Interest A/c ....Dr.
To Retiring Partner 's Capital A/c
(Being interest due on balance of Partner 's Loan A/c)

(b) ब्याज सहित किस्त का भुगतान

Retiring Partner's Capital A/c ......Dr.
To Cash/ Bank A/c
(Being instalement money incluing Paid)

नोट – किस्त के अन्तिम भुगतान होने तक उपर्युक्त दोनों प्रविष्टियां प्रति वर्ष की जाती हैं ।

5 अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान

(Payment by Annuity) –अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम वार्षिकी द्वारा कुछ सीमित वर्षो में भुगतान देने पर उसके पूँजी खाते के शेष को वार्षिकी उचन्त खाता (Annuity Suspense Account)में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इसमें समय समय पर ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। और प्रति वर्ष भुगतान के समय वार्षिक खाता डेबिड और रोकड़/बैंक खाता को क्रेडिट कर दिया जाता है।

9 (i) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाते के शेष का वार्षिकी उचन्त खाता में हस्तान्तरण होने पर

Retiring Partner 's Capital A/c Dr.
To Annuity Suspense A/c
(Being blance of Retiring Partner's Capital A/ctransferred to Annuity Suspense A/c)

(ii) ब्याज देय होना

Interest A/c
To Annuity Suspense A/c
(Being interest due on balance amount)

(iii) भुगतान करना

Annuity Suspense A/c Dr.
To Cash/Bank A/c
(Being payment made by Annuity)

11.5 साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय लेखंकन समस्याओं का समायोजन

साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय लेखांकन की निम्नलिखित समस्याओं का समायोजन करना आवश्यक है :

11.5.1 चालू (शेष) साझेदारों के नये लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ– हाँनि प्राप्ति के अनुपात की गणना।
11.5.2 ख्याति का लेखांकन ।
11.5.3 फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन ।
11.5.4 संचय ,अवितरित लाभ तथा लाभ हाँनि खाते का हस्तान्तरण ।
11.5.5 कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन ।
11.5.6 पूँजी का समायोजन ।
11.5.7 संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समायोजन ।
11.5.8 किस्तों में भुगतान ।

11.5.1 चालू (शेष) साझेदारों के नये लाभ हाँनि अनुपात और लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना–

नया लाभ–हाँनि अनुपात (New Profit and Loss Ratio)–किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष साझेदारों के द्वारा भविष्य के लाभों को बॉटा जाने वाला अनुपात नया लाभ–हाँनि अनुपात कहलाता है। आपसी विवादों और मतभेदों से बचाव हेतु शेष साझेदार नये लाभ हाँनि अनुपात का आगणन करते हैं।

लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio)–अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में शेष साझेदार प्राप्त करते है, उसे ही लाभ–प्राप्ति अनुपात कहते हैं। शेष साझेदारों के नये लाभ–हाँनि अनुपात में से पुराने लाभ–हाँनि अनुपात को घटाने पर बचा हुआ शेष अनुपात लाभ–प्राप्ति अनुपात कहलाता है।

लाभ–प्राप्ति अनुपात = नया लाभहाँनि अनुपात – पुराना लाभहाँनि अनुपात
(Gaining Ratio = New Profit & Loss Ratio – Old Profit & Loss Ratio)

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु के बाद लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोलना और बन्द करना तथा ख्याति खाता खोले बिना ही ख्याति का लेखा करने के लिए लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना करना अनिवार्य होता है। नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है :

स्थिति (Circumstances)	शेष साझेदारों के बीच (Between Remaining Partners)	
	नया लाभ–हाँनि अनुपात (New Pofit & Loss Ratio)	लाभ–प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio)
1. जब नया लाभ हाँनि अनुपात दिया हो। 2. जब नया लाभ हाँनि अनुपात दिया नहीं हों। 3. जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग से लाभप्राप्ति करना।	प्रश्न में दिया है ही। शेष साझेदारों के मध्य पुराना लाभहाँनि अनुपात पुराना लाभहाँनि अनुपात + लाभप्राप्ति	नया लाभ हाँनि अनुपात –पुराना लाभ हाँनि अनुपात शेष साझेदारों का पुराना लाभहाँनि अनुपात प्रश्न में लाभहाँनि

	अनुपात	अनुपात दिया है ही

चालू शेष साझेदारों के नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना विधि–

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष बचे साझेदारों का नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ–प्राप्ति अनुपात परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार निकाला जाता है :

1. जब शेष साझेदारों का नया लाभ–हाँनि अनुपात न दिया हो–

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का नया लाभ–हाँनि अनुपात न दिया हुआ हो तो शेष साझेदार उसी पुराने अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे तो उनके बीच पहले से ही था। इसके लिए पुराने लाभ–हाँनि अनुपात में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा हटा दिया जाता है। यदि पुराना लाभ–हाँनि अनुपात भिन्न में दिया हो तो इसे पूर्णांक बनाकर नया लाभ–हाँनि अनुपात भिन्न में दिया हो तो इसे पूर्णांक बनाकर नया लाभ–हाँनि अनुपात निकाला जाता है। इस परिस्थिति में शेष साझेदारों का नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ–हाँनि का अनुपात एक समान होता है।

2. **जब शेष साझेदारो ंका नया लाभ–हाँनि अनुपात दिया हो**

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद जब शेष साझेदारों का नया लाभ–हाँनि अनुपात दिया रहता है तो इस स्थिति में नया लाभ–हाँनि अनुपात नहीं निकाला जाता है। शेष साझेदारों के लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना नए लाभ–हाँनि अनुपात में से पुराने लाभ–हाँनि अनुपात को घटाकर की जाती हैं।

3. जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार निर्धारित अनुपात में लेते हों:–

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद जब शेष साझेदार उसका हिस्सा एक निश्चित अनुपात में ले लेते हैं, तो इस स्थिति में शेष साझेदारों के अनुपात में लिए गए अनुपात को जोड़कर नया लाभ–हाँनि अनुपात निकाल लिया जाता है।

4. जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार निर्धारित निश्चित भाग में लेते हों

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद जब शेष साझेदार उसका हिस्सा निर्धारित निश्चित भाग में ले लेते हैं तो इस स्थिति में शेष साझेदारों के हिस्से में निर्धारित निश्चित भाग को जोड़कर नया लाभ–हाँनि अनुपात निकाल लेते हैं।

5. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूरा हिस्सा केवल एक साझेदार लेता होकिसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद जब शेष साझेदारों में से कोई एक साझेदार उसका पूरा हिस्सा ले लेता हो तो इस स्थिति में हिस्सा लेने वाले साझेदार के हिस्से में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा जोड़ दिया जाता है और बाकी साझेदारों का हिस्सा पूर्ववत् रहता है।

<u>11.5.2 ख्याति का लेखांकन–</u>

लेखांकन प्रमाप– 10 लेखांकन प्रमाप– 10 के अनुच्छेद–16 के अनुसार, किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु साझेदारों के मध्य लाभ–विभाजन अनुपात में परिवर्तन की स्थिति में फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में प्रतिफलस्वरूप मुद्रा या मुद्रा रूपी भुगतान नहीं किया जाता है। ख्याति को लेखा पुस्तकों में केवल उसी समय दिखाया जा सकता है जबकि इसके बदले में कोई प्रतिफल मुद्रा के रूप में दिया जाए। इसलिए केवल खरीदी गई ख्याति ही खाता पुस्तकों में दिखाई जानी चाहिए।

साझेदारी फर्म की स्वंय कमाई गई वंशानुकूल ख्याति (Internally generated inherent goodwill) में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके लाभ–हाँनि के अनुपात में ख्याति में हिस्सा दिया जाता है। लेखांकन प्रमाप– 10 के अनुसार ख्याति के प्रतिफल में मुद्रा का भुगतान होने पर ही ख्याति को खाता पुस्तकों में दिखाया जाएगा। इस प्रमाप के आधार पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदर के हिस्से की ख्याति का लेखा (समायोजन) साझेदारों के पूँजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है।

लेखांकन प्रमाप– 10 का प्रयोग–साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर वह साझेदार साझेदारी फर्म की स्वंय कमाई गई वंशानुकूल ख्याति(inherent goodwill) या साझेदारी फर्म की कुल ख्याति में से अपने लाभ के अनुपात में अपनी ख्याति का हिस्सा पाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में साझेदारी का संलेख(Partnership Deed) के अनुसार फर्म की कुल ख्याति में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ख्याति का हिस्सा उसके लाभ–हाँनि अनुपात में निकला लिया जाता है। अब ख्याति खाता खोले बिना अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति देने के सन्दर्भ में लेखांकन के सिद्धान्त, 'लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को अपनी प्राप्ति की सीमा तक क्षतिपूर्ति करेगा' के आधार पर ख्याति का लेखांकन पूँजी खातों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार किया जाता है :

<u>**समायोजन लेखांकनAccounting Adjustment**</u>

1. **अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति का समायोजन (लेखा)** (Adjustment of Share of Goodwill of retiring partner)

प्रथम स्थितिः–

अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के द्वारा साझेदारी फर्म में अपने लाभ का हिस्सा त्याग करने से उसके लाभ का हिस्सा शेष साझेदारों को प्राप्त होता है जिससे शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। इस कारण शेष साझेदारों को अतिरिक्त प्राप्त किए गए लाभ के हिस्से के लिए उन्हें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना चाहिए या अपने लाभ की प्राप्ति सीमा तक क्षतिपूर्ति करना चाहिए। इसके लिए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली उसके हिस्से की ख्याति की राशि शेष साझेदार अपने पूँजी खाते से देंगे। इसी आधार पर शेष साझेदारों के पूँजी खातों को उनके लाभ प्राप्ति के अनुपात (Gaining ratio) में डेबिट और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा।

रोजनामचा प्रविष्टि (Journal Entry) –

Remaining/Continuing PartnersCapital A/c Dr.

(In gaining ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(With his share of goodwill)

(Being retiring partner's share of goodwill debited to remaining/continuing partners capital accounts in their gaining ratio)

द्वितीय स्थिति :–

साधारणतया अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का लाभ का हिस्सा शेष साझेदारों को प्राप्त होने से उनके लाभ के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। शेष साझेदारों का नया लाभ–विभाजन अनुपात (New profit sharing ratio of remaining partners) निश्चित कर देने पर यह भी हो सकता है कि शेष साझेदारों में से किसी का लाभ–विभाजन अनुपात घट जाए या लाभ का त्याग करना पड़े। ऐसी स्थिति में लाभ के हिस्से में कमी होने वाले साझेदार को फर्म की कुल ख्याति में से लाभ के त्याग के आधार पर उसके हिस्से की ख्याति से उसके पूँजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

रोजनामचा प्रविष्टि(Journal Entry)

Remaining/Continuing Partners

Capital A/cs ....Dr.

(For share gained)

To Retiring Partner's Capital A/c

(With his share of goodwill)

To Remaining/Continuing PartnersCapital A/c

(For share sacrifice)

2. आर्थिक चिट्ठा में ख्याति खाता प्रदर्शित रहने पर(If Goodwill Account appears in Balance Sheet)– यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति दी हुई हो तो उसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदार अपने पुराने लाभ–विभाजन के अनुपात में अपलिखित कर देंगे।
3. आर्थिक चिट्ठा में ख्याति का प्रदर्शन– आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित ख्यातिको अपलिखित कर देने और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति का लेखा शेष साझेदारों के पूँजी खातों के माध्यम से होने से नई फर्म के आर्थिक चिट्ठा में ख्याति नहीं रहेगी।

साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखा–

11.5.3 फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन

विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय सभी साझेदार फर्म की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन हेतु फर्म के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य की तुलना वर्तमान समय के मूल्य से की जाती है। तुलना करने पर सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि/कमी परिलक्षित होती है। **सम्पत्तियों के मूल्य में कमी फर्म के लिए हाँनि है।** इसके विपरीत **सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी फर्म के लिए लाभ है। सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का शुद्ध परिणाम लाभ या हाँनि होता है जिसे सभी साझेदार**

(अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित) अपने लाभ–हाँनि अनुपात में बांट लेते हैं।

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता–किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय विद्यमान साझेदारी व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा सभी साझेदारों (अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित) का होता है। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार यह सोच सकता है कि आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान मूल्य से कम है या दायित्वो को अधिक मूल्य पर दिखाया गया है। शेष बचे साझेदार भी यह सोच सकते हैं कि आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक है यादायित्वों को कम मूल्य पर दिखाया गया है। अवकाश ग्रहण करने वालेसाझेदार और शेष बचे साझेदारों का फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण होने से आपसी विवाद हो सकता है। इन विवादों से बचाव हेतु किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय सम्पत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।

फर्म की सम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसलिए यह न्यायोचित हैकि इस वृद्धि या कमी में से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भी हिस्सा ले।

सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन– किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार किसी नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के लेखांकन हेतु पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। इस खाता का शुद्ध परिणाम लाभ या हाँनि होता है जिसे सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ–हाँनि अनुपात में बांट दिया जाता है। इस बंटवारा के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है :

1. **पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होना**

Profit & Loos Adjustment A/c
Or Revaluation A/c ...Dr.
To Retiring Partner's Capital A/cs
To Remaining Partner's Capital A/cs
(Being profit on revaluation transferred to all partner's capitl accounts)

2. **पुनर्मूल्यांकन पर हाँनि होना**

Retiring Partner's Capital A/c ...Dr.
Remaining Partner's Capital A/cs ...Dr.
To Profit & Loss Adjustment A/c or Revaluation A/c
(Being loss on revaluation transferred to all partners capital accounts)

आवश्यक खाते खोलना–किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय निम्नलिखित आवश्यक खाते खोले जाते है :–

1. लाभ–हाँनि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता
2. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूँजी खाता

3. शेष बचे साझेदारों के पूँजी खाते
4. रोकड़/बैंक खाता उपर्युक्त आधार पर पुराने आर्थिक चिट्ठे को ध्यान में रखकर सबसे अन्त में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद **नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा** बनाया जाता है।

नई फर्म के आर्थिक चिट्ठा पर सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव–किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है इस **चिट्ठे के दायित्व पक्ष** में शेष बचे साझेदारों के पूँजी खातों का शेष, अवकाश ग्रहणकरने वाले साझेदार का ऋण खाता (यदि पूरा भुगतान न दिया गया हो तो), अन्य दायित्वों में कमी को घटाकर या वृद्धि को जोड़कर दिखाया जाता है। इनके बाद अतिरिक्त दायित्व, नया दायित्व और अदत्त व्ययों को लिखा जाता है। **सम्पत्ति पक्ष** में सम्बन्धित सम्पत्तियों की कमी को घटाया जाता है या वृद्धो को जोड़ दिया जाता है, देनदार तथा प्राप्य बिल में से संदिग्ध ऋणार्थसंचिति को घटाया जाता है, रोकड़/बैंक खाता के शेष (यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान दिया गया हो तो उसे घटाने के बाद), अलिखित सम्पत्तियों औरपूर्वदत्त व्ययों को लिखा जाता है। आर्थिक चिट्ठा के दोनों पक्षों का योग एकसमान होना अनिवार्य है।

11.5.4 संचय, अवितरित लाभ तथा लाभ–हॉनि खाता का हस्तान्तरण–

सभी साझेदारों के मध्य न बांटे गए लाभों को लाभ–हॉनि खाता, संचय, सामान्य संचय, संचय कोष आदि नामों से रखा जाता है। यह लाभ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों का होता है। इस कारण इन्हें सभी साझेदारों के मध्य लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर उनके पूँजी खाते मे क्रेडिट कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है।

आर्थिक चिट्ठा में सम्पत्ति पक्ष में–फर्म की अवितरित हॉनि, लाभ–हॉनि खाता शीर्षक में दी हुई रहती है। ये हॉनियां भी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के व्यावसायिक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होती है। अतः इन्हें भी सभी साझेदारों के मध्य लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर उनके पूँजी खाते में डेबिट कर दिया जाता है। परिणामस्वयप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखया जाता है।

प्रविष्टियाँ–

1. आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित लाभ–हॉनि खाता, संचय, सामान्य संचय, संचय कोष, आदि को सभी साझेदारों के मध्य लाभ–हॉनि अनुपात में बांटना

Profit and Loss A/c	Dr.
Reserve A/c	Dr.
General Reserve A/c	Dr.
To Retiring Partner's Capital A/c	Dr.
To remaining Partner's Capital A/cs	

(Being Profit and Loss A/c, Reserve, General Reserve, Reserve Fund credited to all partner's capital accounts in their profit sharing ratio)

2. आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ–हॉनि खाता को सभी साझेदारों के मध्य लाभ–हॉनि अनुपात में बांटना

Retiring Partner's Capital A/c

To Profit and Loss A/c

(Being old losses debited to retirings partner's capital account in his profit sharing ratio)

11.5.5 कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन

साझेदारी फर्म में विद्यमान आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में फर्म की कृत्रिम सम्पत्तियों जैसे, सथगित विज्ञापन व्यय, प्रारम्भिक व्यय, आदि दी हुई रहती हैं। इन्हे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर उनके पूँजी खाते में डेबिट कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठा में नहीं दिखाया जाता हैः

कृत्रिम सम्पत्तियों को सभी साझेदार के मध्य लाभ–हॉनि अनुपात में बांटना

Retiring Partner's Capital A/c Dr.

Remaining Partner's Capital A/c Dr.

To Fictitious Assets A/c

(Being writing-off fictifiouts assets by debiting all partner's capital accounts in profits sharing ratio)

11.5.6 पूँजी का समायोजन

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद शेष साझेदार नई फर्म में कुल पूँजी को किसी निर्धरित मात्रा में नये लाभ–हॉनि अनुपात के अनुसार रखने का निर्णय कर सकते हैं। इस स्थिति में कुल पूँजी की निर्धारित मात्रा को शेष साझेदारों के बीच उनके नये लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर नई फर्म में उनकी नई समायोजित पूँजी को निर्धारित कर लिया जाता है। इसके बाद यदि किसी साझेदार का पूँजी शेष उसके हिस्से की पूँजी से कम शेष दिखाता है तो वह पूँजी खाता की कमी की राशि को नकद लाकर देगा या आधिक्य शेष हो तो आधिक्य पूँजी को निकाल लेगा।

11.5.7 संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का समायोजन

जीवन बीमा–पत्र का अर्थ–संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का आशय उस जीवन बीमा–पत्र से है जिसे कि साझेदारी फर्म जीवन बीमा निगमसे साझेदारों के संयुक्त जीवन पर लेती है। ऐसे बीमा–पत्र के बीमित धन का भुगतान जीवन बीमा निगम किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या बीमा–पत्र की अवधि पूरा होने पर, जो पहले हो सकता है।

संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का लेखांकन– किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय साझेदारी फर्म जीवन बीमा निगम से संयुक्त जीवन बीमा–पत्र के समर्पण मूल्य की जानकारी लेती है। **समर्पण मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिसे जीवन बीमा निगम जीवन बीमा–पत्र की अवधि पूरा होने से पूर्व, जीवन बीमा–पत्र समर्पण करने पर, बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में, एक दिए गए प्रीमियम के आधार पर एक निश्चित धन देने को तत्पर रहता है।** तत्पश्चात् साझेदारी फर्म किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर समर्पण मूल्य के समायोजन का लेखा करती है।

संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का लेखा करते समय यह जानना अनिवार्य है कि संयुक्त जीवन बीमा–पत्र परदिए जा रहे प्रीमियम को व्यापारिक व्यय/आयगत व्यय माना गया है या पूँजीगत व्यय।

(1) जब दिए गए प्रमियमको व्यापारिक व्यय या आयगत व्यय माना जाए–

जब साझेदारी फर्म संयुक्त जीवन बीमा पर दिए जा रहे प्रीमियम को व्यापार के अन्य आवर्ती व्यापारिक व्ययों या आयगत व्ययों जैसे, वेतन, किराया, विद्युत् व्यय, आदि की तरह व्यापारिक व्यय/आयगत व्यय मानकर इसका लेखा लाभ–हाँनि खाता के डेबिट पक्ष में करती है तब इस स्थिति में आर्थिक चिट्ठा के अन्दर संयुक्त जीवन बीमा–पत्र की मद नहीं होती है।

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय साझेदारी फर्म संयुक्त जीवन बीमा–पत्र के समर्पण मूल्य की जानकारी जीवन बीमा निगम से लेती है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय समर्पण मूल्य का लेखा स्थिति के अनुसार होता है :–

(a)जब जीवन बीमा निगम से समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त नहीं की जाए और संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता खुला हो–समर्पण मूल्य से संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का खाता खोलना–

Joint Life Policy A/c (Surrender Value) Dr
To All Partner's Capital A/c
(Profit Sharing Ratio)

(Being surrender value of joint Life Policy credited to all partner's capital accounts in their profit sharing ratio on retirement of a partner)

आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शन–अब का खाता बनाया जाता है और उसका डेबिट शेष आर्थिक चिट्ठा के समर्पण पक्ष में दिखाया जाता है। इस स्थिति में खुला रहता है।

(b) जब जीवन बीमा निगम से समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त नहीं की जाए और संयुक्त जीवन बीमा– पत्र को बन्द कर दिया जाए–

(i) समर्पण मूल्य से संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता खोलना

Joint Life Policy A/c (Surrender Value) Dr
To All Partner's Capital A/c
(Profit Sharing Ratio)

(Being surrender value of joint Life Policy credited to all partner's capital accounts in their profit sharing ratio on retirement of a partner)

(ii) शेष बचे साझेदारो के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता बन्द करना

Remaining Partner's Capital A/c
(New Ratio) Dr.
To Joint Life policy A/c (Surrender Value)

(Being surrender value of joint Life Policy written off by remaining partners in their new profit sharing ratio)

(C) जब जीवन बीमा निगम से समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त नहीं की जाए और संयुक्त जीवन बीमा– पत्र को बन्द कर दिया जाए–

संयुक्त जीवन बीमा – पत्र के समर्पण मूल्य को बहियों में नहीं दिखाना हो और साझेदारो के पूँजी खातो के माध्यम से करना

Gaining Partner's Capital A/c
(In gaining ratio)
To Retiring Partner's Capital A/c
(With his share in surrender value)

(Being retiring partner's share in surrender value payable by gaining partners in their gaining ratio)

(2) जब दिए गए प्रीमियम को पूँजीगत व्यय (सम्पत्ति) माना जाए–

साझेदारी फर्म के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पत्र पर दिए गए प्रीमियम को पूँजीगत व्यय (सम्पत्ति) मानने की स्थिति में आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में समपर्ण मूल्य से संयुक्त जीवन बीमा पत्र प्रदर्शित रहता हैं। इस स्थिति में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय केवल यह निर्णय लेना पड़ता हैं कि आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित संयुक्त जीवन बीमा पत्र को रखा जाए या अपलिखित कर दिया जाए।

(a) जब संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता को आर्थिक चिट्ठा में रखा जाए –इस स्थिति मे संयुक्त जीवन बीमा पत्र से सम्बन्धित समायोजन का लेखा नही किया जाता हैं। क्योकि पूर्व में ही संयुक्त जीवन बीमा पत्र की राशि (समर्पण मूल्य) को सभी साझेदारो के पूँजी खातों में क्रेडिट किया जा चुका है।

(b) जब संयुक्त जीवन बीमा– पत्र खाता को आर्थिक चिट्ठा में नहीं रखा जाए– किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय नए शेष साझेदार यह निर्णय ले लेते है कि संयुक्त जीवन बीमा – पत्र खाता को बन्द कर देना हैं।

शेष साझेदारो के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता को बन्द करना
Remining Partner's Capital A/c
(In New ratio) Dr.
To joint Life Policy A/c (Given in B/S)

(Being existing joint Life Policy in Balance sheet written off by remainging partners in their new profit sharing ratio)

(3) जब दिये गये प्रीमियम को पूँजीगत व्यय (सम्पत्ति) माना जाए और संयुक्त जीवन बीमा पत्र संचय खाता खोला जाए–

साझेदारी फर्म के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा–पत्र पर दिये गये प्रीमियम को पूँजीगत व्यय (सम्पत्ति) मानकर आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में समर्पण मूल्य से संयुक्त जीवन बीमापत्र और ठीक इतनी ही राशि का दायित्व पक्ष में संयुक्त जीवन बीमा – पत्र संचय खाता प्रदर्शित रहता है इस स्थिति में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय केवल यह निर्णय लेना पड़ता है कि आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित संयुक्त जीवन बीमा–पत्र को रखा जाए या अपलिखित कर दिया जाए।

(a) **जब संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता को आर्थिक चिट्ठा मे रखा जाए**–इस स्थिति में संयुक्त जीवन बीमा–पत्र से सम्बन्धित समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है, क्योकि पूर्व में ही संयुक्त जीवन बीमा–पत्र की राशि (समर्पण मूल्य) सभी साझेदारो की पूँजी खाते मे क्रेडिट की जा चुकी है।

(b) **जब संयुक्त जीवन बीमा–पत्र और संयुक्त जीवन बीमा–पत्र संचय खाताको आर्थिक चिट्ठा मे नही रखना हो**–सभी साझेदारो के द्वारा संयुक्त जीवन

बीमा–पत्र और संयुक्त जीवन बीमा–पत्र संचय खाता नहीं रखने का निर्णय लेना।

Joint Life Policy Reserve A/c
(Given in B/S) Dr.
To joint Life Policy A/c
(Being joint Life Policy Account is closed by transferring its balance to joint life Policy Reserce Account on retirement)

जब आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता और दायित्व पक्ष में संयुक्त बीमा–पत्र संचय खाता हो –

जब आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता और दायित्व पक्ष में संयुक्त बीमा–पत्र संचय खाता रहने पर जीवन बीमा निगम से संयुक्त जीवन–बीमा पत्र के समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त होने पर निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टिया की जाती हैं।

(a) संयुक्त बीमा–पत्र खाता के शेष को संयुक्त बीमा–पत्र संचय खाता में हस्तान्तरित करना

Joint Life Policy Reserve A/c
(Given in B/S) Dr.
To joint Life Policy A/c
(Being balance of joint life policy account closed by transferring its balance to joint life policy reserve account of retirement)

(b) संयुक्त बीमा–पत्र खाता के शेष को संयुक्त बीमा–पत्र संचय खाता में हस्तान्तरित करना

Life Insurance corporation A/c Dr.
To Joint Life Policy A/c
(Being amount of joint life Policy due)

(c) जीवन बीमा निगम से समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त होना

Bank A/c Dr.
To Life insurance Corporation A/c
(Being amount of joint life Policy ie. surrender value received from Life Insurance Corporation)

अबJoint Life Policy Account का खाता खोलकर इस खाता का शेष निकालते है। यह सभी के लिए संयुक्त जीवन बीमा–पत्र पर लाभ होता है जिसे सभी साझेदारो के मध्य उनके लाभ–हॉनि अनुपात में बांट दिया जाता है।

(d) संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता के शेष को सभी साझेदारो के मध्य उनके लाभ–हॉनि अनुपात में बांटना

Joint Life Policy A/c Dr.
To all Partners' capital A/c
(Being Profit on joint life policy A/c transferred to all partners' capital accounts in their profit sharing ratio)

आर्थिक चिट्ठा में निरूपण(Presentation in balance sheet) प्रविष्टियो को करने पर और बन्द हो जाने से इन्हें आर्थिक चिट्ठा मे नही लिखा जाता हैं।

11.5.8 किस्तों मे भुगतान –

यदि अवकाश ग्रहण करने वालो को पूर्ण भुगतान नही दिया जाता हैं तो इस स्थिति में उसके पूँजी खाता के शेष को उसके ऋण खाता में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् आगामी कुछ निश्चित वर्षो में एक निर्धारित किस्त में ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। अवकाश ग्रहण के समय ब्याज की राशि का निर्धारण कर दिया जाता है। किसी विशेष संविदा के अभाव में ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक होती है।

(1) किस्त की राशि (Amount of instalment) = अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के ऋण

$$= \frac{\text{खाते का प्रारम्भिक अदत्त शेष}}{\text{देय वर्षो की संख्या}}$$

(2) ब्याज (Interest) = साझेदार के ऋण खाता का प्रारम्भिक अदत्त

$$\frac{\text{शेष} \times \text{ब्याज की दर \%} \times \text{समय}}{100}$$

(3) किस्त भुगतान की राशि (Amount of instalment Payement) =किस्त की राशि + ब्याज

(i) =ब्याज देय होना

Interest A/c Dr.

To Retirining Partner's Loan A/c

(Being interest on retiring partner's loan due)

(ii) किस्त (ब्याज सहित) का भुगतान

Retiring Partner's Loan A/c Dr.

To Cash/Bank A/c

(Being payment of instalment of loan including interest made)

विशेष –(i) वर्ष प्रति वर्ष किस्त का भुगतान होते रहने से अदत्त शेष घटता जाता है, फलस्वरूप ब्याज भी घटता
जाता है।

(ii) ऋण के पूर्ण भुगतान तक ब्याज निकाला जाता है।

(iii) अन्तिम किस्त के भुगतान के साथ ही ऋण खाता के दोनो पक्ष बराबर हो जाने से साझेदार का ऋण खाता बन्द हो जाता है।

(iv) साझेदार के ऋण खाता की अदत्त राशि को आर्थिक चिठ्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता हैं।

11.6 मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को कुल देय राशियो की गणना विधि

किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की तरह ही उसके उत्तराधिकारी को कुल देय राशि की गणना की जाती है साझेदारी फर्म में मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी निम्मलिखित मदों के भुगतान पाने के अधिकारी होते हैं। इन मदो को मृतक साझेदार के पूँजी खाता के क्रेडिट पक्ष मे लिखा जाता हैं–

1. मृतक साझेदार की पूँजी खाता और चालू खाता का जमा शेष
2. मृत्यु की तिथि को कुल ख्याति में उसका हिस्सा (इसे मृत्यु की तिथि को निकाला जाता है)
3. आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित अवितरित संचित लाभ, लाभ–हाँनि खाता, संचय, संचय कोष, सामान्य संचय में उसका हिस्सा
4. मृत्यु की तिथि को सम्पत्तियो और दायित्वो के पुनर्मूल्यांकन करने पर निर्मित पुनर्मूल्याकंन खाता के अनुसार हुये लाभ में उनका हिस्सा
5. उसकी पूँजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, आदि, यदि अदत्त या देय हों।
6. अन्तिम आर्थिक चिट्ठा की तिथि से मृत्यु की तिथि तक के बीच की अवधि का फर्म के अनुमानित शुद्ध लाभ में उसका हिस्सा।
7. संयुक्त जीवन बीमा–पत्र में उसका हिस्सा।
8. मृतक साझेदार के द्वारा साझेदारी फर्म को दिया गया ऋण और इस पर देय ब्याज।

मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को उपर्युक्त कुल देय राशि में से निम्नलिखित मदों की राशियों को काट लिया जाता है (इन मदों को मृतक साझेदार के पूँजी खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता हैं)

1. मृतक साझेदार के पूँजी खाता और चालू खाता का नाम शेष।
2. आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष मे प्रदर्शित लाभ–हाँनि खाता और अवितरित संचित हाँनि मे उसका हिस्सा।
3. मृत्यु की तिथि को सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने पर निर्मित पुनर्मूल्यांकन खाता के अनुसार लाभ में उसका हिस्सा।
4. मृतक साझेदार का आहरण और आहरण का ब्याज।
5. अन्तिम आर्थिक चिट्ठा की तिथि से मृत्यु की तिथि तक के बीच की अवधि का फर्म की अनुमानित शुद्ध हाँनि में उसका हिस्सा।
6. साझेदारी के फर्म के द्वारा मृतक साझेदार को दिए गए ऋण और उस पर ब्याज।
7. आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष मे प्रदर्शित ख्याति को अपलिखित करने के लिए इस ख्याति में उसका हिस्सा।

मृतक साझेदार के पूँजी खाता मे उपर्युक्त मदों को डेबिट ओर क्रेडिट पक्ष मे लिख देने के बाद इस खाता का शेष निकाला जाता है प्रायः यह जमा शेष होता है इस जमा शेष को उसके उत्तराधिकारी के खाता मे हस्तान्तरित कर दिया जाता है अब साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार इस खाता मे लिखित राशि का पूर्ण भुगतान या आंशिक भुगतान या उत्तराधिकारी के ऋण खाता में हस्तान्तरित किया जाता है।

मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को कुल देय राशि का भुगतान और लेखांकन –

मृतक साझेदार की पूँजी खाता का जमा शेष ही मृतक के उत्तराधिकारी को कुल देय रकम होती है। इस रकम के भुगतान का दायित्व साझेदारी फर्म का होता है साझेदारी फर्म साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार इस रकम का भुगतान करती हैं।

साझेदारी अनुबन्ध के अभाव में मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को पूर्ण भुगतान न हो पाने की स्थिति में **भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।**

1. मृत्यु की तिथि से अन्तिम भुगतान होने की तिथि तक देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
2. देय राशि से फर्म के द्वारा कमाए गए लाभ का भाग। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान के सम्बन्ध में प्रविष्ठियो और भुगतान का ढंग अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय के भुगतान की तरह ही होता है।

11.7 साझेदार की मृत्यु के बाद की लेखांकन प्रक्रिया

साझेदारी फर्म मे किसी साझेदार की मृत्यु होने पर निम्नलिखित लेखांकन की प्रक्रियाओ का समायोजन करना पड़ता है : –

1. शेष जीवित साझेदारो के नये लाभ–हॅानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना
2. ख्याति का लेखांकन
3. फर्म की सम्पत्तियो और दायित्वो का पुनर्मूल्यांकन
4. संचय, अवितरित लाभ तथा लाभ–हॅानि खाते का हस्तान्तरण।
5. कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन।

उपर्युक्त और लेखांकन प्रविष्टिया अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अन्तिम लेखा बनाने की तरह होता है।

साझेदार की मृत्यु पर विशिष्ट लेखांकन प्रक्रिया –

मानव जीवन की एक निश्चित घटना मृत्यु है पर इस निश्चित घटना की तिथि अनिश्चित है। इस कारण साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु होने पर निम्नलिखित लेखांकन प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

(a) ख्याति का लेखांकन – वर्तमान समय मे ख्याति का लेखा लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार किया जाता है। इस प्रमाप के अनुसार आर्थिक चिट्ठा में दिए गए ख्याति को सभी साझेदारो के द्वारा अपलिखित कर दिया जाता है। इसके बाद साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार या प्रश्नानुसार ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है इस ख्याति में से मृतक साझेदार का ख्याति का हिस्सा पुराने लाभ लाभ–हॅानि अनुपात मे निकाला जाता है। शेष जीवित साझेदार अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में इस ख्याति की राशि का अंशदान (भुगतान) मृतक साझेदार को करते हैं। नए आर्थिक चिट्ठा में पुरानी ख्याति और वर्तमान ख्याति को नहीं लिखा जाता हैं।

(b) मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना –साझेदारी अनुबन्ध में फर्म के साझेदार सामान्यतया यह प्रावधान कर लेते हैं कि किसी भी साझेदार का अवकाश ग्रहण अन्तिम खाता बनाने की तिथि को होगा। ऐसा करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि निकालने में सुविधा और भुगतान करने मे सरलता रहती है। मृत्यु की तिथि अनिश्चित रहने से किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्दर कभी भी आर्थिक चिट्ठा की तिथि से लेकर मृत्यु तक की तिथि का फर्म का अनुमानित लाभ निकाला जाता है इस अनुमानित लाभ में से मृतक साझेदार के

हिस्से का लाभ पुराने लाभ–हाँनि अनुपात से निकाला जाता है। मृतक साझेदार के इस अनुमानित लाभ को नये आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जाता है

(C)संयुक्त जीवनबीमा–पत्र मे हिस्सा–साझेदारी फर्म अपने सभी साझेदारो के जीवन पर अलग–अलग जीवन बीमा–पत्र लेती हैं इन बीमा पत्रों के प्रीमियम का भुगतान साक्षेदारी फर्म करती है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर अलग अलग जीवन बीमा पत्र के बीमित धन का भुगतान जीवन बीमा निगम करता हैं। इन दोनो ही स्थितियों में मृतक साझेदार को इस जीवन बीमा पत्रों की राशि में से नियमानुसार हिस्सा दिया जाता है।

किसी साझेदार की मृत्यु होने पर शेष साझेदारो का नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ–प्राप्ति अनुपात की गणना विधि–किसी साक्षेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के शेष साझेदारो का नया लाभ–हाँनि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की तरह ही किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म के शेष जीवित साझेदारों का नया लाभ हाँनि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है।

11.8 ख्याति का लेखांकन और लेखांकन प्रमाप–10 का उपयोग

साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को फर्म की कुल ख्याति (total goodwill) नए साझेदार का प्रवेश, के अन्तर्गत ख्याति का लेखांकन में अपने लाभ विभाजन के अनुपात में अपना हिस्सा पाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार फर्म की कुल ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात् मृतक साझेदार का कुल ख्याति में उसका हिस्सा उसके लाभ हाँनि अनुपात में निकाल लिया जाता है।

मृतक साझेदारों की ख्याति का लेखांकन प्रमाप 10–

Accounting Standard -10 **के अनुच्छेद .16 के अनुसार**

मृतक साझेदार के हिस्से की ख्याति का समायोजन शेष जीवित साझेदारों के मध्य उनके लाभ प्राप्ति

अनुपात (Gaining Ratio) में किया जाता है। प्रविष्ट करने के लिए शेष जीवित साझेदारों के पूँजी खाते को उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में डेबिट और मृतक साझेदार के पूँजी खाते को उसके हिस्से की ख्याति से क्रेडिट किया जाता है।

मृतक साझेदार को ख्याति देना (क्रेडिट करना):

Continuing Partners' Capital A/cs Dr.

To DecIased Partners 's Capital A/c

(Being deceased share of goodwill debited to continuing Partners' Capital Accounts in theire gaining ratio)

यदि आर्थिक चिट्ठा में पहले से ही ख्याति हो_ (If goodwill already appears in Balance Sheet)

यदि आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में पहले से ही ख्याति खाता हो तो इसे सभी साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ हाँनि अनुपात में बांटकर इस ख्याति को अपलिखित कर दिया जाता है।

आर्थिक चिट्ठा मे प्रदर्शित ख्याति को सभी साझेदारों के द्वारा अपलिखित करने पर प्रविष्टि होगी।

All Partner's Capital A/cs Dr.

To Goodwill A/c

(Being existing good will be in balance sheet written off by all partners in their profit sharing ratio)

आर्थिक चिट्ठा में निरूपण (Presentation in Balance Sheet)-

(1) ख्याति खाता खोले बिना ही मृतक साझेदार को उसके हिस्से की ख्याती शेष साझेदारगण अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में दे देते हैं। इस कारण इस ख्याति का लेखा नए आर्थिक चिट्ठा में नहीं होता है।

(2) पुराने आर्थिक चिट्ठों की ख्याति भी अपलिखित की जा चुकी रहती हैं। इस कारण इस ख्याति को भी नए आर्थिक चिट्ठा में नही दिखाते हैं।

11.9 मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना

साझेदारी व्यवसाय मे किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके उत्तराधिकारियो के वर्तमान वर्ष में जीवित अवधि का लाभ का हिस्सा पाने का अधिकार है। सैद्धान्तिक लेखांकन की दृष्टि से साझेदार की मृत्यु की तिथि को साझेदारी फर्म का तलपट बनाकर वास्तविक शुद्ध लाभ निकाला जाय और आर्थिक चिट्ठा बना लिया जाए। किन्तु व्यवहारिक लेखांकन की दृष्टि से वर्तमान वर्ष के मध्य में किसी भी दिन तलपट और आर्थिक चिट्ठा बनाना कठिन है और श्रम साध्य कार्य है। और इसका वैधानिक औचित्य भी नहीं है। इसी कारण साझेदारी अनुबन्ध मे मृत साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना करने की विधि का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है इस उल्लेखित विधि के द्वारा निकाला गया लाभ अनुमानित शुद्ध लाभ है इसके लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि की जाती हैं–

Profit and Loss suspense account Dr.

To Deceased partner's capital A/c

or

To Deceased Partner's Executor's A/c

(Being deceased partner's share of profit to date of death credited to his capital / executor's account)

आर्थिक चिट्ठा में निरूपण (Presentation in Balance Sheet)-

मृत साझेदार के हिस्से के लाभ को नया आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जाता हैं। यदि नया आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में शेष लाभ हॉनि खाता हो तो इसमे से घटा दिया जाता है।

लाभ निकालने की विधियाँ(Method of calculating profit)-

साझेदारी अनुबन्ध में मृत साझेदार के हिस्से की लाभ की गणना करने की सामान्यतया निम्नलिखित तीन विधियों में से किसी एक विधि का उल्लेख रहता हैं–

(a) प्रथम विधिः पिछले वर्षो के औसत लाभ के आधार पर–इस विधि में मृत साझेदार के हिस्से का लाभ निकालने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध क्रिया अपनाते हैं–

(1) पिछले वर्षो के दिए गए लाभो का औसत निकाल लिजिए। यह एक वर्ष का औसत लाभ है।

(2) इस औसत लाभ मे 12 से भाग देकर एक माह का लाभ निकाल लिजिए।

(3) इस माह के एक लाभ में मृत साझेदार की जीवित अवधि (माह) से गुणा कीजिए। प्राप्त गुणनफल उक्त अवधि का अनुमानित शुद्ध लाभ हैं।

(4) अनुमानित शुद्ध लाभ में मृत साझेदार के लाभ क हिस्से से गुणा किजिए। प्राप्त गुणनफल मृत साझेदार की जीवित अवधि का अनुमानित शुद्ध लाभ हैं।

(b) द्वितीय विधिः पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर –इस विधि के अन्तर्गत मृत साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना करने के लिये निम्नलिखित चरणबद्ध क्रिया अपनाते है।

(1) पिछले वर्ष के लाभ मे 12 से भाग देकर एक माह का लाभ निकाल लिजिए।

(2) इस एक माह के लाभ में मृत साझेदार का जिवित अवधि माह से गुणा कीजिए प्राप्त गुणनफल उक्त अवधि का अनुमानित शुद्ध लाभ हैं।

(3) अनुमानित शुद्ध लाभ में मृत साझेदार के लाभ के हिस्से से गुणा किजिए। प्राप्त गुणनफल मृत साझेदार की जीवित अवधि का अनुमानित शुद्ध लाभ हैं।

(c) तृतीय विधि विक्रय के आधार पर–इस विधि के अन्तर्गत मृत साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना करने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध क्रियाऐंअपनाते हैं :–

(1) पिछले वर्ष के कुल विक्रय और शुद्ध लाभ के आधार पर इस कुल विक्रय पर शुद्ध लाभ निकाल लेते है।

$$\text{Percentage of profit on total sales} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Sales}} \times 100$$

(2) वर्तमान वर्ष में साझेदार की मृत्यु की तिथि तक कुल विक्रय दिया रहता है। कुल विक्रय पर लाभ के प्रतिशत के आधार पर इस कुछ विक्रय पर शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं। यह शुद्ध लाभ साझेदार की मृत्यु की तिथि तक का साझेदारी व्यवसाय का शुद्ध लाभ हैं।

(3) अब शुद्ध लाभ में मृत साझेदार के लाभ के हिस्से से गुणा करके मृत साझेदार के हिस्से का लाभ निकाल लेते हैं।

11.10 संयुक्त जीवन बीमा पत्र की आवश्यकता

संयुक्त बीमा पालिसी का अर्थ–संयुक्त जीवन बीमा–पत्र का आशय उस बीमा पत्र से है जिसे साझेदारी फर्म सभी साझेदारो के संयुक्त जीवन पर लेती है। ऐसे बीमा पत्र के बीमित धन का भुगतान जीवन बीमा निगम के किसी साझेदार की मृत्यु पर या बीमा पत्र की अवधि के पूरा होने पर जो पहले हो करती हैं।

संयुक्त बीमा पॉलिसी लेने की आवश्कता–किसी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी मृतक साझेदार की पूँजी, ख्याति, मृत्यु की तिथि तक का लाभ, संचय, अविभाजन लाभ, पूँजी, पर ब्याज, सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर उसका लाभ आदि पाने के अधिकारी होते हैं। यदि साझेदारी फर्म एकमुश्त इस देयराशि का भुगतान करेगी तो निश्चित है कि उसकी कार्यकारी पूँजी प्रभावित हो जायेगी। फलतः साझेदारी फर्म के संचालन में बाधा पहुंचेगी। इस स्थिति से बचने के लिए साझेदारी फर्म पर्याप्त नकद राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त जीवन बीमा–पत्र लेती है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र लेने पर यदि किसी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा निगम से बीमित धन की

प्राप्ति होती है। इस धन में मृतक साझेदार की देय राशि का भुगतान करने में सुविधा होती है और कार्यकारी पूँजी भी प्रभावित नहीं होती हैं।

संयुक्त जीवन बीमा पत्र के प्रकार–संयुक्त जीवन बीमा पत्र निम्नलिखित दो प्रकार का होता हैं–

11.10 (a) व्यक्तिगत जीवन बीमा–जब साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के जीवन पर अलग–अलग जीवन बीमा पत्र लेती है तो उसे व्यक्तिगत जीवन बीमा पत्र कहते हैं। उस स्थिति मे प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग–अलग बीमा पत्र लिया जाता है और फर्म प्रीमियम की राशि का भुगतान करती हैं।

मृतक साझेदार के हिस्से की गणना–व्यक्तिगत जीवन बीमा पत्र रहने पर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उस साझेदार की बीमित राशि का भुगतान जीवन बीमा निगम कर देता है। इसी तिथि को जीवित साझेदारों के जीवन बीमा–पत्र का समर्पण मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। अब मृत साझेदार की बीमा–पत्र की पूरी राशि और जीवित साझेदारों के जीवन बीमा पत्र के समर्पण मूल्य को जोड़ दिया हैं। इस कुछ योग में से मृतक साझेदार के हिस्से को उसके लाभ–हाँनि अनुपात के आधार पर निकाल लिया जाता है।

व्यक्तिगत जीवन बीमा–पत्र रहने पर प्रविष्टियाँ–साझेदारी फर्म मेंसभी साझेदारों का व्यक्तिगत जीवन बीमा–पत्र रहने पर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दी जाने वाली बीमा पत्र की राशि का हिस्सा निकालने के बाद इसका लेखा करने के लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाती हैं–

(1) मृतक साझेदार को बीमित राशि देय होना –

Life Insurance corporation A/c Dr.
To Deceased partner's Life policy A/c
(Being amount due on death)

(2) जीवन बीमा निमग से मृतक साझेदार की बीमित राशि प्राप्त होना–

Bank A/c Dr.
To Life Insurance Corporation A/c
(Being amount of deceased partner life policy received)

(3)मृतक साझेदार की बीमीत राशि को सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ–हाँनि अनुपात में बांटना

Deceased partner Life policy A/c Dr.
To All Partners Capital A/cs
(Being amount of deceased partner life policy transferred to all partner's capital accounts in their profit sharing ratio)

(4)जीवित साझेदारो के कुल समर्पण मूल्य में से मृतक साझेदारों को उसके लाभ हाँनि अनुपात में हिस्सा देना और इस राशि को जिवित साझेदारो के मध्य प्राप्ति अनुपात में बाँटना–

Remaining Partners' Capital A/c Dr.
To Deceased partner's Capital A/cs
(Being deceased share in the surrender value of other life policies adjusted in remaining partners capital accounts in gaining ratio)

11.10(b) एकल/संयुक्त जीवन बीमा–पत्र–जब साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से एक ही बीमा–पत्र लेती है तो इसे एकल/संयुक्त जीवन बीमा–पत्र कहते हैं। साझेदारी फर्म संयुक्त बीमा पत्र के प्रीमियम का भुगतान करती है। किसी साझेदार की बीमित अवधि में मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा निगम बीमा–पत्र की बीमित राशि का भुगतान कर देती हैं।

संयुक्त जीवन बीमा–पत्र के प्रीमियम का भुगतान साझेदारी फर्म करती हैं। ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म प्रीमियम के भुगतान के संन्दर्भ मे निम्नलिखित तीन अलग–अलग दृष्टीकोण अपना सकती है–

(1) जब जीवन बीमाको व्यापारिक व्यय माना जाए और लाभ–हाँनि खाता खोला जाए।

(2) जब जीवन बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए।

(3) जब जीवन बीमा प्रीमियम को सम्पत्ति माना जाए और संयुक्त जीवन बीमा–पत्र संचय खाता खोला जाए।

दृष्टीकोण की विभिन्नता होने पर इससे सम्बन्धित रोजनामचा प्रविष्टियों में भी विभिन्नता हो जाती है।

11.10 b (1) जब जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए–

इस विधि के अनुसार जीवन बीमा निगम के प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप मे दी गयी राशि अन्य आयगत व्ययों जैसे वेतन किराया आदि के भुगतान की तरह आयगत व्यापारिक व्यय मानी जाती है। ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के लिए निश्चित अवधि की एकल संयुक्त बीमा पालिसी लेती है। पालिसी की अवधि तक वर्ष प्रति वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करती है निश्चित अवधि के पूरा हो जाने पर या किसी साझेदार की निश्चित अवधि के अन्दर मृत्यु हो जाने पर जो भी इसमे पहले हो जीवन बीमा निगम संयुक्त बीमा पालिसी की पूरी राशि का भुगतान साझेदारी फर्म को कर देती है। इस भुगतान के बाद संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ–हाँनि अनुपात में बाँट दी जाती है।

जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाती हैं–

(क) जीवन बीमा प्रीमियम का वर्ष–प्रति–वर्ष भुगतान करना

Joint Life insurance premium A/c Dr.

To Bank A/c

(Being life insurance premium paid on joint life policy)

(ख) वर्ष के अन्त में जीवन बीमा प्रीमियम को लाभ–हाँनि खाता में हस्तान्तरित करना

Profit and loss A/c Dr.

To joint life Insurance Premimum A/c

(Being amount of life insurance premium charged/ transferred to profit and loss A/c)

उपर्युक्त दोंनों प्रविष्टियाँ संयुक्त बीमा पालिसी की बीमीत राशि का भुगतान होने तक वर्ष प्रति वर्ष की जाती है संयुक्त बीमा पालिसि के भुगतान के समय निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाती है –

(ग) संयुक्त जीवन बीमा पालिसी की बीमीत राशि देय होना (बीमा पत्र की अवधि के पूरा होने या किसी साझेदार की मृत्यु पर जो इसमें से पहले हो)

Life Insurance Corporation A/c Dr.
    To Joint life policy A/c
(Being amount of joint life policy due)

(घ) जीवन बीमा निमग से संयुक्त जीवन बीमा पालिसी की बीमित राशि को प्राप्त करना—

Bank A/c Dr.
    To Life insurance corporation A/c
(Being aomount of joint life policy received)

(च) संयुक्त बीमा पालिसी की राशि को सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ—हाँनि अनुपात में वितरित करना—

Joint Life Policy A/c Dr.
    To All partners Capital A/c
(Being amount of joint life policy credied to all partners capital accounts in their profit sharing ratio)

खातों का निर्माण –

उपर्युक्त रोजनामचा प्रविष्टियों के आधार पर

(1) Joint Life Insurance Premium A/c बनाने पर यह खाता प्रति वर्ष बन्द हो जाता है ।

(2) Joint Life Insurance Corporation A/c और Joint Life Policy A/c बन्द हो जाता है ।

(3) Joint Life Insurance Premium को आर्थिक चिट्‌ठा में नहीं दिखाया जाता है क्योकि यह आयगत व्यय है।

ध्यान रहे कि जीवन बीमा निगम से संयुक्त बीमा पालिसी पर प्राप्त राशि को सभी साझेदारों के बीच नही बांटा जाता हैं। क्योंकि साझेदारी फर्म ने सभी साझेदारों की ओर से एकल संयुक्त बीमा पालिसी ली हैं। इस कारण संयुक्त बीमा पॉलिसी पर प्राप्त धन साक्षेदारी फर्म को मिलता है। सभी साझेदार संयुक्त बीमा पालिसी की बीमित राशि को प्राप्त करने के अधिकारी होते है। जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने की स्थिति में अर्थिक चिट्‌ठा में संयुक्त बीमा पालिसी को नहीं दिखाया जाता हैं।

जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने की विधि बहुत ही सरल है। पर यह विधि आयगत व्यय के कारण फर्म के वास्तविक लाभ/हाँनि को दिखाने में असमर्थ है। इस कारण फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती हैं।

11.10 b (2) जब जीवन बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए–

जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से विनियोग का तत्व है। जीवन बीमा निगम से फर्म के सभी साझेदारों के जीवन पर एकल संयुक्त बीमा पत्र लिया जाता है। संयुक्त बीमा पत्र मेंबीमित राशि अवधि और इस पर दिया जाने वाला वार्षिक प्रीमियम निश्चित होता है। जीवन बीमा निगम संयुक्त जीवन बीमा—पत्र की अवधि के पूरा हो जाने या अवधि के पूर्व किसी साझेदार की मृत्यु होने पर (जो इसमें से पहले हो) संयुक्त बीमा—पत्र की

बीमित राशि का भुगतान कर देता है और फर्म प्रीमियम का भुगतान करना बन्द कर देती है इस दृष्टीकोण के आधार पर जीवन बीमा निगम को दिया जाने वाला प्रीमियम विनियोग होने से यह व्यापार के लिए पूँजीगत व्यय है।

जीवन बीमा प्रीमियम को विनियोग मानने पर पॉलिसी का समर्पण मूल्य को जानना आवश्यक है समर्पण मूल्य का तात्पर्य उस मूल्य से है जिसे कि जीवन बीमा निगम बीमा–पत्र की बीमित अवधि के पूर्व बीमादाता के आग्रह पर बीमा को बन्द कर देने पर भुगतान देने के लिए सहमत रहता है। यह मूल्य चुकाए गए जीवन बीमा प्रीमियम की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत रहता हैं।

लेखांकन के दृष्टीकोण से जीवन बीमा प्रीमियम को पूँजीगत व्यय या विनियोग मानकर इस प्रीमियम का भुगतान करते समय Joint Life Policy account को डेबिट और Bank Account को क्रेडिट किया जाता है। लाभ–हाँनि खाता में इसे हस्तान्तरित करते समय सावधानी बरती जाती है Joint life Policy account के वर्तमान वर्ष में डेबिट पक्ष के कुल योग में से वर्तमान वर्ष के समर्पण मूल्य को घटाने के बाद शेष राशि को Profit and loss A/c डेबिट और Joint Life policy account को क्रेडिट पक्ष में By Balance c/d के रूप में दिखाते हैं। तत्पश्चात् क्रेडिट पक्ष की शेष राशि को By Profit and loss A/c मे हस्तान्तरित कर देते हैं।

जीवन बीमा प्रीमियम को विनियोग या पूँजीगत व्यय मानने पर साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती हैं–

(1) संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम का वर्ष–प्रतिवर्ष भुगतान करना

Joint Life PolicyA/c Dr.

To Bank A/c

(Being life insurance premium paid on joint life policy)

(2) वर्ष के अन्त में संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम को लाभ–हाँनि खाता में लिखनाJoint Life Policy A/cमें समर्पण मूल्य का By Balance c/d लिखकर शेष राशि को Profit and Loss A/c में लिखा जाता हैं।

Profit and loss A/c Dr.

To joint life policy A/c

(Being the amount in excess of surrender value written off to profit and loss A/c)

(3) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बीमित राशि देय होना (बीमा पत्र की अवधि के पूरा होने या किसी साझेदार की मृत्यु पर जो इसमें पहले हो)

Life insurance corporation A/c Dr.

To joint life policy A/c

(Being the amount of joint life policy due)

(4) जीवन बीमा निगम से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बीमित राशि को प्राप्त करना

Bank A/c Dr.

To life insurance policy A/c

(Being amount of joint Life policy received)

(5) संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता (Joint life policy account) के शेष को सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ हाँनि अनुपात में वितरित करना

Joint Life Policy A/c Dr.

To All Partners' Capital A/cs

(Being the balance of joint life policy account transferred to all partners' Capital accounts in their profit sharing ratio)

आर्थिक चिट्ठा मे दिखाना–आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष मेंJoint Life Policy account को इसके शेष (वर्तमान वर्ष का समर्पण मूल्य) से दिखाया जाता है।

किसी साझेदार की मृत्यु होने पर आर्थिक चिट्ठा केवल सम्पत्ति पक्ष में लिखेJoint Life Policy से खाता खोलकर लाभ निकाल लिया जाता है और इस लाभ को सभी साझेदारो के बीच उनके लाभ–हॉनि अनुपात मे बांट दिया जाता है।

11.10 b (3) जब जीवन बीमा प्रीमियम को सम्पत्ति माना जाए और संयुक्त जीवन बीमा–पत्र संचय खाता खोला जाए –

यह विधि उपर्युक्त द्वितीय विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में रोजनामचा प्रविष्टि के दृष्टीकोण से निम्नलिखित संशोधन हैं–

(1) संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम का वर्ष–प्रतिवर्ष भुगतान करना

Joint Life PolicyA/c Dr.

To Bank A/c

(Being life insurance premium paid on joint life policy)

(2) संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम की राशि से लाभ–हॉनि खाता में लिखकर–

Profit and loss ApproprationA/c Dr.

To Joint life Policy Reserve A/c

(Being premium of joint life policy transferred to profit & loss Appropriation A/c)

(3) वर्ष के अन्त मे संयुक्त जीवन बीमा–पत्र खाता Joint Life policy A/c के शेष को संयुक्त जीवन बीमा–पत्र संचय खाता Joint Life policy reserve A/c में हस्तान्तरित करना Joint Life policy A/c मेंBy Balance c/d समर्पण मूल्य को लिखकर शेष राशि कोJoint Life policy reserve A/c में लिखा जाता है–

Joint Life Policy reserve A/c Dr.

To Joint life Policy A/c

(Being the transferrred of balance on excess of surrender Value)

(4) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बीमित राशि देय होना (बीमा–पत्र की अवधि के पूरा होने या किसी साझेदार की मृत्यु पर, जो इसमें पहले हों)

Life Insurance Corporation A/c Dr.

To Joint life Policy A/c

(Being the amount of Joint Life Policy due)

(5) जीवन बीमा निगम से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बीमित राशि को प्राप्त करना

Bank A/c Dr.

To Life Insurance Corporation A/c

(Being amount of Joint Life Policy received)

(6) संयुक्त जीवन बीमा संचय खाता के प्रारम्भिक शेष (To)Balance b/d) को संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता मेंहस्तान्तरित करना (संयुक्त बीमा–पत्र की बीमित राशि देयहोने पर यह लेखा होता है)–

Joint Life Policy Reserve A/c Dr.

To Joint Life Policy A/c

(Being balance of Joint Life Life Policy Reserve A/c transferred to Joint Life Policy A/c)

(7) संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता के लाभ (Credit Balance)को सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ–हॉनि अनुपात में वितरित करना (जीवन बीमा निगम से बीमित राशि देय होनेपर यह लेखा होता है)–

Joint Life Policy A/c Dr.

To All Parthers' Capital A/cs

(Being profit on Joint Life Policy transferred to all partners capital accounts in their profit sharing ratio)

आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शन–प्रति वर्षJoint Life Policy A/cतथा Joint LifePolicy Reserve A/cबनाया जाता है। Joint LifePolicyA/c के शेष को आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में सम्पत्ति केरूप में तथा Joint Life Policy Reserve A/c के शेष कोआर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। **इन दोनों खातों का शेष सदैव बराबर रहता है।**

किसी साझेदार की मृत्यु होने पर Joint Life PolicyReserve A/c के शेष को वर्ष के अन्त में Joint Life Policy Account में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् जीवन बीमा निगम से मिलने वाली बीमित राशि को Joint Life Policy A/c के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अब इस खाता को सन्तुलित कर लाभ को निकालने के बाद इसे सभी साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ–हॉनि अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

11.11 सारांश

साझेदार का साझेदारी फर्म से अलग होना साझेदार का अवकाश ग्रहण करना अथवा निवृत्त होना कहलाता है। ऐसी स्थिति में पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है तथा शेष साझेदारों के मध्य पुनः समझौता द्वारा नई साझेदारी की स्थापना की जाती है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक फर्म का अवितरित लाभ संचय ख्याति तथा सम्पत्तियों एवं दायित्वों में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ पर अनुपातिक भाग पाने का अधिकार रहता है। यह भुगतान एक मुश्त नगद में अथवा किश्तों में या वार्षिकी के रूप में अथवा साझेदार के ऋण खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदार की मृत्यु एवं साझेदार के अवकाश ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होता है। सामान्यतया साझेदार की मृत्यु पर वही समायोजन किये जाते है जो साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय किये जाते है। अन्तर दोनों में यह है कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म से अपना हिसाब स्वंय करता है जबकि उसकी मृत्यु होने पर यह कार्य मृतक साझेदार का वैधानिक उत्तराधिकारी करता है। मृतक साझेदार के उत्राधिकारी को फर्म से निम्नलिखित भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है–

1. पूँजी खाता का क्रेडिट शेष की धनराशि।
2. साझेदारी संलेख के अनुसार मृत्यु की तिथि तक फर्म से वेतन, कमीशन, ब्याज प्राप्त करने या अधिकार।
3. मृत्यु की तिथि तक फर्म क लाभ में हिस्सा।
4. फर्म की ख्याति में अनुपातिक हिस्सा।
5. फर्म के चिट्ठे में प्रदर्शित लाभ, संचय आदि में अनुपातिक हिस्सा।
6. मृत्यु तिथि पर पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ में हिस्सा।
7. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में मृतक साझेदार का हिस्सा।

11.12 शब्दावली

साझेदार के अवकाश ग्रहण–जब कोई साझेदार निम्नलिखित कारणों से स्वंय को फर्म से अलग करता है तो इसे उसका अवकाश ग्रहण करना कहत है– (अ) बीमार या शारीरिक कमजोरी के कारण, (ब) वृद्धावस्था के कारण, (स) किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण, (द) कोई अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा होने के कारण, (य) किसी अन्य कारण जिससे वह फर्म में रहना उचित नहीं सकझता हो।

नया लाभ–हानि अनुपात– किस साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष साझेदारों के द्वारा भविष्य के लाभों को बांटा जाने वाला अनुपात नया लाभ–हानि अनुपात कहलाता है।

लाभ प्राप्ति अनुपात–अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में शेष साझेदार प्राप्त करते हैं, उसे ही लाभ–प्राप्ति अनुपात कहते है। शेष साझेदारों के नये लाभ–हॉनि अनुपात में से पुराने लाभ–हानि अनुपात को घटाने पर बचा हुआ शेष अनुपात लाभ–प्राप्ति अनुपात कहलाता है।

त्याग का अनुपात– पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ के हिस्से का परित्याग करते हैं। परित्याग का यह अनुपात ही त्याग का अनुपात कहलाता है।

आर्थिक चिट्ठा में ख्याति का प्रदर्शन– लेखांकन प्रमाप– 10 और प्रमाप– 26 के अनुसार नई फर्म के आर्थिक चिट्ठा में ख्याति कभी भी प्रदर्शित नहीं हो सकती है।

कृत्रिम सम्पत्तियों का अपलेखन– साझेदारी फर्म में विद्यमान आर्थिक चिट्ठा के सम्पत्ति पक्ष में फर्म की कृत्रिम सम्पत्तियां जैसे, स्थगित विज्ञापन व्यय, प्रारम्भिक व्यय, आदि दी हुई रहती हैं। इन्हें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में डेबिट कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये खाते बन्द हो जाने से इन्हें नई फर्म के आर्थिक चिट्ठा में नहीं दिखाया जाता है।

पूंजी का समायोजन– किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद शेष साझेदार नई फर्म में कुल पूंजी को किसी निर्धारित मात्रा में नये लाभ–हॉनि अनुपात के अनुसार रखने का निर्णय कर सकते है। इस स्थिति में कुल पूँजी की निर्धारित मात्रा की शेष साझेदारों के बीच उनकेक नये लाभ–हॉनि अनुपात में बांटकर नई फर्म में उनकी नई समायोजित पूँजी को निर्धारित कर लिया जाता है।

संयुक्त जीवन बीमा पत्र– संयुक्त जीवन बीमा पत्र का आशय उस जीवन बीमा पत्र है जिसे कि साझेदारी फर्म जीवन बीमा निगम से साझेदारों के संयुक्त जीवन

पर लेती है। ऐसे बीमा पत्र के बीमित धन का भुगतान जीवन बीमा निगम किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर या बीमा पत्र की अवधि पूरा होने पर, जो पहले हो, करता है।

समर्पण मूल्य– समर्पण मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिसे जीवन बीमा निगम बीमा पत्र की अवधि पूरा होने से पूर्व, जीवन बीमा पत्र समर्पण करने पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में, एक दिये गये प्रीमियम के आधार पर एक निश्चित धन देने को तत्पर रहता है।

मृतक साझेदारों की ख्याति का लेखांकन– लेखांकन प्रमाप–10 के अनुच्छे– 16 के अनुसार किया जाता है। इस प्रमाप के अनुसार मृतक साझेदार के हिस्से की ख्याति का समायोजन शेष जीवित साझदारों के मध्य उनके लाभ–प्राप्ति अनुपात में किया जाता है।

आर्थिक चिट्ठा में निरूपण– ख्याति खाता खोले बिना ही मृतक साझेदार की उसके हिस्से की ख्याति शेष साझेदारगण अपने लाभ–प्राप्ति अनुपात में दे देते हैं।

संयुक्त बीमा पॉलिसी– संयुक्त जीवन बीमा पत्र का आशय उस बीमा पत्र से है जिसे साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर लेती है। ऐसे बीमा पत्र के बीमित धन का भुगतान जीवन बीमा निगम किसी साझेदार की मृत्यु पर या बीमा पत्र की अवधि के पूरा होने पर, जो पहले हो, करती है।

व्यक्तिग जीवन बीमा पत्र–जब साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के जीवन पर अलग–अलग जीवन बीमा पत्र लेती है तो उसे व्यक्तिगत् जीवन बीमा पत्र कहते है।

एकल/संयुक्त जीवन बीमा पत्र– जब साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से एक ही बीमा पत्र लेती है तो इसे एकल/संयुक्त जीबन बीमा पत्र कहते हैं।

11.13 बोध प्रश्न

'सत्य' अथवा 'असत्य' कथन का निर्धारण कीजिए–

Determine whether the statement is " True' or 'False'

1. जब कोई साझेदार फर्म से किसी कारणवश अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है तो इसे साझदेार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं।

   If a partner for any reason breaks his relations with the firm. it is called retirement of a partner.
2. कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है जब इसके लिए शेष सभी साझेदार सहमत हों।

   Any partner can be retired when all the remaining partners agree to it.
3. एक साझेदारी फर्म में किसी साझदेार के अवकाश–ग्रहण करने के बाद भी फर्म का अस्तित्व बना रहता हैं।

   On the retirement of a partner from a partnership firm the firm still continues to be existence.
4. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि की शेष साझेदारों के पूँजी खातों में उनके प्राप्ति के अनुपात में क्रेडिट (समाकलित) किया जाता है।

The share of goodwill of the retiring partner is credited in the capital accouts on continuing partner in their gaining ratio.

5. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरन्त भुगतान नहीं होने पर उसे उसके ऋण खाते में अन्तरित किया जाता हैं।

   The amount due to the retiring partner is transferred to his loan account if it is not paid immediately.

6. त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात एक ही हैं।

   Sacrificing ratio adn gaining ratio are one and the same.

7. साझेदार की मृत्यु की दशा में संयफकत जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को केवल मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों के खाते में डेबिट (विकलित) की जाती है।

   In the event of death of a partner the amount of joint life isurance policy in debited only to the deceased partner's esecutors account.

8. साझेदार की मृत्यु की दशा में मृतक साझेदार के पूँजी खाते का शेष उनके वैधानिक प्रतिनिधि के खाते में अन्तरित कर दिया जाता।

   In case of teh death of a partner, the balance of capital account of rthe deceased partner is transferred to the legal representative's account the deceased partner,

9. साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदारी को भंग करता हैं।

   Retirement of partner dissolves the partnership.

10. साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदारी को भंग करता हैं।

   If a partner retires, ther othe partners have a gain in their profit sharing ratio.

11.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

;(1) सत्य; (2) सत्य; (3) सत्य; (4) असत्य; (5) सत्य; (6) असत्य; (7) असत्य; (8) सत्य; (9) सत्य; (10) सत्य।)

11.15 स्वपरख प्रश्न

(A) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. एक फर्म से साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का क्या अर्थ होता हैं? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिये।

   What is meant by retirement of a partner from a firm? Discuss the problems that arise on a partner's retirement.

2. साझेदार के अवकाश ग्रहण से आपका क्या आशय हैं? अवकाश ग्रहण के समय ख्याति के सम्बन्घ में क्या नियम हैं? उन्हें समझाने के लिए आवश्यक पंजी (जर्नल) प्रविष्टियाँ कीजिए।

   What do you mean by retirement of a partner? What are the rules regarding goodwill at the time of retirement of a partner? Give necessary journal entries to make fhem understand?

3. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के प्रयोग की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिये।

Describe the various methods of treatment of goodwill at the time of retirement of a partner.

4. फर्म से पृथक होने वाले साझेदार का भुगतान किन विधियों से किया जा सकता हैं? प्रत्येक विध को जर्नल प्रविष्टियों द्वारा समझाइये।

By which methods payment can be made to an outgoing partner? Explain each method by Journal entries?

5. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने की विध का वर्णन कीजिए। इस सम्बन्ध मं क्या प्रविष्टियाँ की जाती हैं।

Discuss the method of payment by annuity of a retiring partner. What entries done in this respect?

6. एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु पर क्या–क्या समस्याँ उत्पन्न होती हैं? इनका निपटारा कैसे किया जाता हैं?

What problems do arise on retirement ordeath of a partner? How are they settled?

(B) लघुउत्तरीय प्रश्न–

1. जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो खातांकन सम्बन्धी क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

What accounting problems arise when a partner retires?

2. किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति खाता को ख्याति की राशि से अपलिखित करते समय की जाने वाली पंजी (जर्नल) प्रविष्टियों को बताइए।

Give the journal entry to write off the goodwill account with the amount of goodwill of the firm on retirement of a partner.

3. संयुक्त बीमा पॉलिसी तथा पृथक बीमा पॉलिसियों का खातांकन फर्म की पुस्कतों में कैसे करते हैं?

How is accounting done for Joint Insurance Policy and Several Insurance Policy and Several Insurance Policies in the books of a firm?

4. खातांकन की दृष्टि से साझेदार के अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु में क्या अन्तर हैं?

From the accounting point of wiew, what is the difference between the representative on the death of a partner?

5. यदि किसी साझेदार की मृत्यु वर्ष के दौरान हो जाती हैं तो ऐसे साझेदार के हिस्से का लाभ कैसे मालूम करेंगे?

If a partner dies during the year, howwill you find out the share of profit of the deceased partner?

संख्यात्मक प्रश्न

उदाहरण – 1

A, B एवं C एक व्यवसाय में साझेदार हैं वे लाभ–हाँनि का विभाजन क्रमशः $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$ के अनुपात में करते थे। 31 मार्च, 2016 को उनका स्थिति–विवरण (चिट्ठा) निम्नानुसार था:

A, B and C are partners in a business, sharing profits and losses in the ratio of $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{6}$ respectively. Their Balance-Sheet as on 31st March, 2016, was as follows :

देयताऐं (Liabilities)		राशि (Amount)	सम्पत्तियाँ (Assets)	राशि (Amount)
		रू. Rs.		रू. Rs.
देय विपत्र (Bills Payable)		16,000	हाथ में रोकड़ (Cash in hand)	12,000
लेनदार (Creditors)		16,000	बैंक में रोकड़ (Cash in Bank)	20,000
संचय (Reserve)		1,20,000	देनदार (Debtors)	1,80,000
पूँजी खाते (Capital A/cs):	रू.(Rs.)		स्कन्ध (Stock)	1,40,000
A	2,00,000		मशीनरी (Machinery)	1,20,000
B	2,00,000		भूमि एवं भवन (Land and Building)	2,80,000
C	2,00,000	6,00,000		
		7,52,000		7,52,000

1 अप्रैल, 2016 को C फर्म से अवकाश प्राप्त करता है यह तय हुआ कि सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाये :

(i) देनदारों पर अप्राप्य ऋणों के लिए 4 % की दर से प्रावधान किया जाए।

(ii) स्कन्ध में 5%की कमी की जाए।

(iii) मशीनरी पर 10%की दर से ह्रास (अवक्षयण) लगाया जाए।

(iv) भूमि एवं भवन का पुनर्मूल्यांकन 3,02,000 रू. में किया जाए।

(v) C का पूँजी खाता बंद कर उसके ऋण खाता में अन्तरित किया जाए।

आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा शेष साझेदार A एवं B का चिट्ठा बनाइयें।

On 1st April, 2016 D retires from the firm. It is agreed to adjust the value of assets as follows:

(i) That the provision for doubtful debts to be made at 4 % on Debtors.

(ii) That the value of stock to be reduced by 5%

(iii) That Machinery be depreciated by 10 %

(iv) That Land and Building be revalued at Rs. 3,02,000.

(v) That D's Capital Account be closed by transferring to his loan Account. Give necessary journal entries. Prepare a Revaluation Account, Partners' Capital Accounts and the Balance-Sheet of A and B the remaining partners.

हल–

Date	(Particulars)	L.F.	Debit Amount	Debit Amount
2016			Rs.	Rs.
April 1	Revaluation A/c Dr.		26,200	
	To Provision for Doubtful Debts A/c			7,200
	To Stock A/c			7,000
	To Machinery A/c			12,000

	(Being decrease in the value of assets)		
" 1	Land and Building A/c	22,000	
	To Revaluation A/c		22,000
	(Being increase in the value of assets		
" 1	A's Capital A/c	2,100	
	B's Capital A/c	1,400	
	C's Capital A/c	700	
	To Revaluation A/c		4,200
	(Being loss on revaluation transferred to partners' capital account)		
" 1	Reserve A/c Dr.	1,20,000	
	To A's Capital A/c		60,000
	To B's Capital A/c		40,000
	To C's Capital A/c		20,000
	(Being Reserve Credited to all partners' capital accounts in their old ratio)		
	D's Capital A/c	2,19,300	
" 1	To D's Loan A/c		2,19,300
	(Being balance of D's tane fered to his loan A/c)		

Dr.	Ravaluation Account						Cr.
2016			Rs.	2016			Rs.
April 1	To Provision for Doubtful		7,200	April 1	By Land and Building A/c		22,000
	Debts A/c			" 1	By A's Capital A/c		2,100
	To Stock A/c		7,000	" 1	By B's Capital A/c		1,400
	To Machinery A/c		12,000	" 1	By D's Capital A/c		700
			26,200				26,200

Dr.	Partners' Capital Accounts								Cr.
Date	Particulars	A	B	C	Date	Particulars	A	B	C
2016		Rs.	Rs.	Rs.	2016		Rs.	Rs.	Rs.
April 1	To Revaluation A/c	2,100	1,400	700	April 1	By Balance b/d	200000	200000	200000
" 1	To D's Loan A/c			219300	" 1	By Reserve A/c	60000	40000	20000
" 1	To Balance c/d	257900	238600						
		260000	240000	220000			260000	240000	220000

Balance Sheet of A and B
as on 1st April, 2016

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.		**Rs.**
Bills Payable	16,000	Cash in hand	12,000
Creditors	16,000	Cash in hand Rs.	20,000
C's Loan A/c	2,19,300	Debtors 1,80,000	
Capital Accounts: Rs.		Less : Provision for doubtful debts 7,200	1,72,800
A 2,57,900		Stock	1,33,000
B 2,38,600	4,96,500	Machinery	1,08,000
		Land and Building	3,02,000
	7,47,800		**7,47,800**

उदाहरण 2–

'A; 'B' एवं 'C' एक साझेदारी में थे जो लाभ–हानि का विभाजन 2 : 2 : 1 के अनुपात में करते थे 1 अप्रैल, 2016 को 'A' के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का चिट्ठा निम्नानुसार था:

'A; 'B' and 'C' were in partnership, sharing profits or losses in the ratio of 2 : 2 : 1. On 1st April, 2016, 'A' retired when the firm's Balance Sheet was as follows:

देयताऐं (Liabilities)	राशि Amount	सम्पत्तियाँ (Assets)	राशि Amount
	Rs.		Rs.
पूँजी खाते (Amount)		भूमि एवं भवन (Land and Building)	84,000
A 1,60,000		प्लाण्ट एवं मशीनरी (Plant and Machinery	1,39,600
B 1,36,000		देनदार (Debtors)	1,78,300
C 1,56,000	4,52,000	विनियोग (Investment)	1,60,000
'A' का ऋण खाता (A's Loan A/c	60,000	बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)	1,48,660
लेनदार (Creditors)	1,98,560		
	7,10,560		7,10,560

साझेदारी संलेख के अनुसार 'A' के अवकाश ग्रहण करने पर सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्नानुसार करना तय हुआ :

भूमि एवं भवन 80,000 रू.; संयत्र एवं मशीनरी 1,31,200 रू. विनियोग 1,68,000 रू.

'A' ने अपनी बाकियों के आंशिक भुगतान में विनियोगों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर स्वीकार किया।

'B' ने 80,000 रू. पूँजी का और भुगतान किया तथा 'A' को उसके खाते के शेष का भुगतान कर दिया गया। यह मानते हुए कि सम्मत्ति के विद्यमान पुस्तकीय मूल्यों में समायोजन को आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा 'B' एवं 'C' का पुनः संशोधित चिट्ठा बनाइये।

According to partnership deed assets were agreed to be revalued on A's retirement as under:

Land and Building Rs. 3,08,000, Plant and Machinery Rs. 1,31,200; Investments Rs. 1,68,000.

'A' accepted the investment at their revalued figures in part payment this dues. 'B' paid in Rs. 80,000 as furtner capital and 'A' was paid off the balance of his account.

Assuming that no adjustment in existing book values of the assets was desired to be carried forword in the books prepare the Revaluation Account, Partners, Capital Accounts and the revised Balance Sheet of 'B' and 'C'

हल

In the books of the firm

Dr. Memorandum Revaluation Account Cr.

To Plant and Machinery	Rs.		Rs.
To Profit on Revaluation Rs.	8,400	By Land & Building	2,24,000

'A' 89,440		(By Investment)	8,000
'B' 89,440			
'C' 44,720	2,23,600 2,32,000		2,32,000
To Reversal of Items :		(By Reversal of Items)	
Land and Building:	2,24,000	Plant and Machinery	8,400
Investment	8,000	By Profit to be written back Rs.	
		'B' 1,49,067	
		'C' 74,533	2,23,600
	2,32,000		2,32,000

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Particulars	'A'	'B'	'C'	Particulars	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
To Revaluation A/c	-	1,49,067	74,533	By Balance b/d	1,60,000	1,36000	1,56,000
(Profit written back				By Revaluation A/c			
To Investment A/c	1,68,000			(Profit)	89,440	89,440	44,720
To Bank A/c	1,41,440			By Bank A/c		80,000	
To Balance c/d		1,56,373	1,26,187	By A's Loan A/c	60,000		
	3,09,440	3,05,440	2,00,720		3,09,440	3,05,440	2,00,720

Balance Sheet of 'B' and 'C' as on 1st April, 2016

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.	Rs.	Rs.
Capital A/cs : Rs.	-	Land adn Building	84,000
'B' 1,56,373		Plant and Machinery	1,39,600
'C' 1,26,187	2,82,560	Debtors	1,78,300
Creditors	1,98,560	Cash at Bank	79,220
	4,81,120		4,81,120

Note : Cash at Bank = (1,48,660+80,000)-1,49,440)=Rs. 79,220

उदाहरण 3

'A' 'B' 'C' तथा 'D' लाभों को 1 : 2 : 3 : 4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 10 जून, 2016 की 'D' की मृत्यु हो जाती हैं खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 75,00,000 रू. की बिक्री पर लाभ 4,50,000 रू. तथा तिाि 1 अप्रैल, 2016 से 10 जून, 2016 तक की बिक्री 22,00,000 रू. रही।

चालू वर्ष के लाभ में मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से की गणना कीजिए।

'A' 'B' 'C' and 'D' are sharing profits in the ratio of 1 : 2 : 3 : 4 'D' dies on 10th June, 2016. Accounts are closed on 31st March every year.

Sale for the financial year 2016-17 amounted to Rs. 75,00,000 and profit for the year Rs. 4,50,000 sales from 1st April, 2016 to 10th June, 2016 amounted to Rs. 22,00,000

Calculate the deceased partner's share in the current year's profit.

हल

If sales are Rs. 75,00,000. Profit is Rs. 4,50,000

If sales are 22,00,000, profit will be $\frac{4{,}50{,}000 \times 22{,}00{,}000}{75{,}00{,}000}$

= Rs. 1,32,000

D's share will be $= \frac{1,32,000 \times 4}{10} = 52,800$

11.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई – 12 साझेदारी खाते– साझेदारी का विघटन और नगद का अलग–अलग बंटवारा (Partnership Accounts – Dissolution and Piecemeal Distribution of cash)

इकाई की रूपरेखा–

12.1 प्रस्तावना
12.2 साझेदारी के विघटन का आशय और विघटन पर हिसाब के निपटारे सम्बन्धी नियम
12.3 साझेदारों के संयुक्त ऋण एवं उनके व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान
12.4 फर्म के विघटन सम्बन्धी लेखे
12.5 विघटन के समय सम्पत्तियों की राशियॉ धीरे–धीरे प्राप्त करना और धीरे–धीरे ही उसका बटंवारा करना
12.6 किश्तों में प्राप्त रोकड़ में से पूँजी को वापस करना
12.7 साझेदार का दिवालिया होना
12.8 गार्नर बनाम मरे विवाद का निर्णय
12.9 सब साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन होना
12.10 नगद का अलग–अलग बंटवारा करना
12.11 सारांश
12.12 शब्दावली
12.13 बोध प्रश्न
12.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
12.15 स्वपरख प्रश्न
12.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- साझेदारी विघटन का अर्थ परिभाषा समझ सकें।
- साझेदारी विघटन के हिसाब के निपटारे सम्बन्धी नियम को जान सकें।
- साझेदारी के संयुक्त ऋण एवं उनके व्यक्तिगतऋणों का भुगतान की विधि को भली–भॉति समझ सकें।
- फर्म के विघटन सम्बन्धी लेखांकन प्रक्रिया की समीक्षा कर सकें।
- विघटन के समय सम्पत्तियों की राशियॉ धीरे–धीरे प्राप्त करना और धीरे–धीरे प्राप्त करना और धीरे–धीरे ही उनका बंटवारा करने सम्बन्धी प्रक्रिया को समझ सकें।
- किश्तों से प्राप्त रोकड़ में से पूँजी को वापस करने सम्बन्धी विधि का अध्ययन कर सकें।
- गार्नर बनाम मेरे का विवाद में हुए निर्णय को भली–भॉति जान सकें।
- जब फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते है तो फर्म के विघटित होने सम्बन्धी नियमों की समीक्षा कर सकें।

12.1 प्रस्तावना

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहते है। फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का भी विघटन हो जाता है। परन्तु साझेदारी का विघटन होने पर फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं होता है। किसी साझेदार के प्रवेश पर या अवकाश ग्रहण करने पर या किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारों के मध्य पूर्व में हुआ समझौता समाप्त हो जाता है तथा बाद में एक नया समझौता करके साझेदारी चालू रहता है। जबकि फर्म के विघटन साझेदारी के अन्त के साथ व्यवसाय का भी समापन हो जाता है।

यह विघटन कई प्रकार से हो सकता है–

1. ठहराव द्वारा विघटन
2. अनिवार्य विघटन
3. आकस्मिक घटना के कारण विघटन
4. सूचना द्वारा विघटन
5. न्यायालय द्वारा विघटन

फर्म के विघटन पर हिसाब–किताब का निपटारा साझेदारी अधिनियम की धारा 48, 49 और 55 के नियमों के तहत किया जाता है।

12.2 साझेदारी के विघटन का अर्थ और विघटन पर हिसाब के निपटारे सम्बन्धी नियम

साझेदारी के आपस में किये गये समझौते के भंग होने पर साझेदारी व्यवसाय का विघटन हो जाता है परन्तु फर्म काअन्त तब माना जाता है जब सभी साझेदार आपस में काम करना पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें। अतः साझेदारी विघटन व साझेदारी व्यवसाय समापन में बुनियादी अन्तर है। फर्म के अन्त में साझेदारी का विघटन की दशा में फर्म का समापन या अन्त हो जाये अनिवार्य नहीं है। जैसे तीन साझेदारों में एक साझेदार फर्म से अपना नाम वापस ले ले तो शेष दो साझेदार भी फर्म चला सकते हैं। यहां पर यह देखना है कि साझेदारी का विघटन तो हुआ लेकिन साझेदारी व्यवसाय का अन्त नहीं हुआ। इसके वितरीत यदि शेष साझेदार भी भविष्य में संस्था न चलाएं तो यह अवस्था फर्म का अन्त कहलायेगीं अतः सभी साझेदारों द्वारा संस्था न चलाना फर्म का अन्त कहलायेगा।

फर्म के विघटन पर हिसाब तय करना–

साझेदारी संस्था के विघटन पर फर्म का सारा हिसाब बनाया जाता है। फर्म की कुल सम्पत्ति बेच दी जाती है और बिक्री से मिली हुई राशि का प्रयोग फर्म के दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है फिर साझेदारों के ऋणों का भुगतान होता है और अन्त में, यदि कुछ राशि बचती है तो इससे साझेदारों की पूँजी लौटायी जाती है। इसके भी बाद जो राशि बचती है वह लाभा–लाभ अनुपात में साझेदारों में बांट दी जाती है।

फर्म के विघटन के समय हिसाब के निपटारे के सम्बन्ध में निम्न नियम लागू होते हैं:

(1) फर्म की हाँनियां सर्वप्रथम लाभ में से पूरी की जायेंगी, हाँनियों के साथ–साथ पूँजी की अपूर्णता को लाभों में से पूरा किया जायेगा। लाभों के बाद उन्हें

पूँजी से और यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक साझेदार इन्हें अपने लाभालाभ अनुपात में सहन करेगा।

(2) फर्म की सम्पत्ति का प्रयोग निम्न क्रम से किया जाता है : (अ) साझेदारों को छोड़कर अन्य पक्षकारों के ऋण चुकाने के लिएः (ब) प्रत्येक साझेदार को वह धन आनुपातिक रूप से भुगतान किया जायेगा जो कि उसने फर्म की पूँजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में दिया है; (स) प्रत्येक साझेदार की पूँजी आनुपातिक हिसाब से वापस करने में; (द) उपर्युक्त भुगतान के बाद कोई धन शेष बचे तो वह उसके लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाता है।

12.3 साझेदारों के सम्मिलित ऋण और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान

जहाँ साझेदारी के सम्मिलित ऋण हों, वहां फर्म की सम्पत्ति सबसे पहले फर्म के ऋण के चुकाने में लगायी जायेगी। इसके बाद फर्म की बची हुई सम्पत्ति में से प्रत्येक साझेदार अपने हित तक, अपना व्यक्तिगत ऋण का भुगतान कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक साझेदार अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को सबसे पहले अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान करने में लगायेगा, इन भुगतानों के बाद यदि उसकी सम्पत्तिबचती है तो उसे फर्म के ऋण को चुकाने में प्रयोग किया जाता है, परन्तु ऐसा तभी होगा जबकि फर्म की सम्पत्ति फर्म के ऋणों को चुकाने में पर्याप्त न हो।

फर्म के विघटन के बाद फर्म की सम्पत्ति आदि से प्राप्त लाभ का हिसाब देना–यदि कोई साझेदार फर्म के विघटन के बाद परन्तु इसके हिसाब–किताब का निपटारा होने के पहले फर्म की सम्पत्ति से या फर्म के कार्य से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे लाभ का पूरा हिसाब फर्म को देना उसका कर्तव्य है कि वह इस लाभ का भाग अन्य साझेदारों को भी दे।

निश्चित अवधि के पहले फर्म के विघटन पर प्रीमियम का हिसाब– यदि किसी साझेदार ने निश्चित अवधि वाली साझेदारी में प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया था तो उसे इस धन को अथवा उसके ऐसे भाग को जो कि उचित हो, ऐसे दशा में वापस किये जाने का अधिकार रहता हैं जबकि फर्म उस अवधि के समाप्त होने के पहले विघटित हो जाय, यदि फर्म निन्न कार्योसे विघटित होती है तो इस पर साझेदार को अपने दिये हुए प्रीमियम का कोई भाग वापस नहीं मिलताः (अ) बिना किसी फर्म की त्रुटि से, (ब) किसी साझेदार की म्त्यु से, (स) दोनो पक्षों की त्रुटि से, (द) प्रीमियम देने वाले साझेदार के दुर्व्यवहार से, (य) सब साझेदारों की अनुमति से या ऐसे अनुबन्ध के अनुसार जिसमें यह लिखा हुआ है कि प्रीमियम का कोई भाग वापस नहीं किया जायगा।

फर्म के विघटन पर ख्याति की बिक्री– अन्य सम्पत्तियों की भांति फर्म के विघटन के समय ख्याति बेची जा सकती है और इससे प्राप्त रकम का प्रयोग सम्पत्ति के प्राप्त होने वाली रकमों के साथ ही किया जाता है।

12.4 फर्म के विघटन सम्बन्धी लेखे

जब किसी साझेदारी संस्था का विघटन होता है तो उसकी बहियां बन्द की जाती है। ऐसा करने के लिए निम्नांकित लेखों की आवश्यकता होती है जिन्हें फर्म के विघटन सम्बन्धी लेखे कहा जाता हैः–

12.4 (1) वसूली खाता Realisation Account)–(अ)सम्पत्तियों का लेखा– साझेदारी संस्था की सम्पत्तियों के मूल्य को इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यहॉसम्पत्तियों का आशय केवल उन्हीं सम्पत्तियों से है जो वास्तव में सम्पत्तियों हों, परन्तु रोकड़ या बैंक बाकी को वसूली खाते में हस्तान्तरित नहीं किया जाता है।

यदि विघटन के समय चिट्ठे में सम्पत्ति की ओर देनदारी की राशि से अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों का संचय घटाकर दिखाया गया है तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में देनदारों की पूरी राशि लिखी जायेगी तथा अप्राप्य एवं संदिगध ऋणों के संचय की राशि वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जायेगी।

वसूली खाते की प्रविष्टियों व वसूली खाते का नमूना निम्न प्रकार है–

(अ) राशि दी हुई हो तो अन्य सम्पत्तियों की भाँति इसे भी वसूली खाते के डेबिट पक्ष में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए।

(ब) सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय– साझेदारी संस्था को सम्पत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है।

(स) यदि साझेदारी संस्था की किसी सम्पत्ति को कोई साझेदार क्रय करता है तो वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है और उस साझेदार का पूँजी खाता डेबिट किया जाता है।

(द) दायित्वों का लेखा साझेदारी के दायित्वों का मूल्य वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर ले जाया जाता है। इस प्रकार दायित्व खाते बन्द हो जाते हैं। यहां साझेदारों के दायित्वों से आशय साझेदारों के ऋणों व पूँजी खताो ंव संचय को छोड़कर बाकी सब दायित्वों से हैं।

(य) दायित्वों के भुगतान का लेखा–साझेदारों के दायित्वों का भुगतान यदि पूरी रकम पर किया गया है तो पूरी रकम और यदि कुद कटौती पर किया गया है तो कटौती काटकर शेष रकम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है।

(र) विघटन व्ययों का लेखा–यदि साझेदारों के विघटन के समय कोई व्यय किये गये हैं तो उनका लेखा भी वसूली खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है।

(ल) यदि किसी दायित्व का भुगतान करने का भार साझेदार ने अपने ऊपर लिया है तो वसूली खाता डेबिट और साझेदार का पूँजी खाता क्रेडिट किया जाता है।

(व) वसूली खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का अलग–अलग योगकर इन दोनो योगों का अन्तर निकाला जाता है यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो जितना अधिक होता है वही साझेदारी विघटन की हाँनि मानी जाती है और साझेदारों के वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष के जोड़ से अधिक होता है तो जितना अधिक होता है वही साझेदार के विघटन का लाभ माना जाता है। यह लाभ या हाँनि साझेदारों के पूँजी खातों में लाभालाभ अनुपात में हस्तान्तरित कर दी जाती है।

12.4 (2) पूँजी खाता (**Capital Account**)–साझेदारी के विघटन के समय वसूली खाता बनाने के बाद साझेदारों के पूँजी खाते बनाये जाते हैं। इन खातों में निम्न लेखे किये जाते हैंः(अ)अवितरित लाभ या साधारण कोष यदि हों तो इन्हें साझेदारों

के पूँजी खाते के क्रेडिट पक्ष के लाभलाभ अनुपात में बांटकर लिखा जाता हैं।(ब) विघटन के समय तक का लाभ व हाँनि यदि कोई हो तो साझेदारों के पूँजी खातों में लाभा–लाभ अनुपात में हस्तान्तरित की जाती है। (स) वसूली खातों की बाकी इन खातों में हस्तान्तरित की जाती है। (द) यदि साझेदारों ने कोई आहरण किये हों तो इनकी राशि उनके पूँजी खातों के डेबिट पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है। (य) यदि अन्य कोई समायोजन इस प्रकार के हों जिससेपूँजी खातों पर प्रभाव पड़ता हो तो इन्हें भी इन खातों में लिखा जाता है। (र) पूँजी खाता बन्द करते समय इन खातों की बाकी रोकड़ या बैंक द्वारा भुगतान की जाती है। (ल) यदि साझेदार का कोई चालू खाता होता हो तो उसकी बाकी साझेदारों के पूँजी खातों में हस्तान्तरित कर दी जाती है।

जब साझेदार केपूँजी खाते का डेबिट पक्ष बड़ा और क्रेडिट पक्ष छोटा होता है तो इस कमी की राशि को वह साझेदार रोकड़ में लाता है, इस दशा मं रोकड़ खाता डेबिट और साझेदार का पूँजी खाता क्रेडिट किया जाता है।

12.4 (3) ऋण खाता (Loan Account)– यदि किसी साझेदार ने साझेदारी संस्था को कोई ऋण दिया हो और इस ऋण के लिए साझेदारी संस्था ने कोई ऋण खाता खोला हो तो इस खाते की बाकी को रोकड़ या बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है।

12.4 (4) बैंक खाता (Bank Account)–(अ) इस खाते के डेबिट पक्ष में साझेदारी के विघटन के समय तक का इस खाते का शेष लिखा जाता है और जो रकम सम्पत्तियों के बेचने से प्राप्त हुई है वह भी इसके डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं। (ब) लेनदारों का भुगतान, विघटन व्ययों का भुगतान साझेदारों के ऋणों का भुगतान और साझेदारों के पूँजी खातों की अन्तिम बाकियों का भुगतान, इसके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता हैं। (स) बैंक में जमा धन को निकालकर रोकड़ खाता डेबिट और बैंक खाता क्रेडिट किया जाता हैं। ऐसा तभी करना ठीक होता है जब हस्तस्थ रोकड़ एवं बैंक बाकी दोनों हों। ऐसा करने से एक ही खाता रह जाता है।

साझेदारी तथा फर्म के समापन में अन्तर

	साझेदारी का समापन	फर्म का समापन
1.	साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं है।	फर्म की समाप्ति होते ही साझेदारी का अन्त हो जाता है।
2.	साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का संचालन बन्द होना जरूरी नहीं है।	फर्म के समापन पर व्यवसाय का संचालन बन्द होना अनिवार्य हैं।
3.	साझेदारी की समाप्ति होने पर सब साझेदारी के बीच सम्बन्ध समाप्त नहीं होते बल्कि सम्बन्धों में परिवर्तन हो जाता है।	फर्म के समापन होने पर समस्त साझेदारी के सम्बन्घ समाप्त हो जाते है।
4.	साझेदारी की समाप्ति पर अलग होने वाले साझेदार को फर्म की सम्पत्ति में से हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है।	फर्म के विघटन की दशा में फर्म की समस्त सम्पत्ति का बंटवारा हो जाता है।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाता में अन्तर

	पुरर्मूल्यांकन खाता	वसूली खाता
1. तैयार करने का समय	पुनर्मूल्यांकन खाता किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश–ग्रहण तथा मृत्यु के समय तैयार किया जाता है।	वसूली खाता साझेदारी फर्म के समापन के समय तैयार किया जाता है।
2. तैयार करने का उद्देश्य	इस खाते के बनाने का उद्देश्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है।	इस खाते के तैयार करने का उद्देश्य फर्म की समाप्ति पर उसकी सम्पत्तियों के बेचने से तथा दायितवों के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हॉंनि को ज्ञात करना है।
3. लेखांकन का आधार	इस खाते में प्रविष्टियां सम्पत्तियों एवं दायिव्वों के पुस्तक मूल्य तथा पुनर्मूयांकन मूल्य के अन्तर की राशि से की जाती है।	वसूली खाते में सभी प्रविष्टियों सम्पत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य के आधार पर की जाती हें
4. लाभ–हॉंनि का विभाजन	पुनर्मूल्यांकन खाते से प्राप्त लाभ या हॉंनि को पुराने साझेदारी में पुराने अनुपात में बांटा जाता है।	वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हॉंनि को सभी साझेदारी में उनके लाभ–हॉंनि अनुपात में बांटा जाता है।
5. खातों का प्रभाव	सम्पत्तियों एवं दायित्वों के खाते बन्द नहीं होते।	सभी सम्पत्तियों एंव दायित्वों के खाते बन्द हो जाते है।

12.5 विघटन के समय सम्पत्तियों की राशियॉ धीरे–धीरे प्राप्त करना और धीरे–धीरे ही उसका बटंवारा करना

फर्म में विघटन के सम्बन्धमें ज्ञात हो कि फर्म की सम्पत्तियों की रकम विघटन के समय प्राप्त कर ली गयी है और उसी समय लेनदार आदि का भुगतान कर दिया गया हैं ऐसा करने से वूसली पर लाभ और हॉंनि तुरन्त ज्ञात की जा सकती है और साझेदारों के पूॅंजी खातेउचित लेखा के पश्चात् बन्द किये जा सकते है, परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा होना कठिन है कि सभी सम्पत्तियों की रकम एक ही समय प्राप्त कर ली जाय। वही कारण है कि सम्पत्तियों पर राशि धीरे–धीरे वसूल की जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि धीरे–धीरे बेचने से सम्पत्तियों पर अच्छी रकम प्राप्त हो सकती है। कभी–कभी साझेदार विघटन के समय कुछ सम्पत्तियों को बेचना थोड़े समय के लिए टालदेते है, यदि वे यह समझते है। कि ऐसा करने से उन्हें उन सम्पत्तियो पर अच्छी राशि प्राप्त हो

जायेगी। कुछ भी हो यदि किसी साझेदारी संस्था के विघटन के समय सभी सम्पत्तियाँ एक साथ नहीं बेची जाती है। तो जैसे–जैसे उन सम्मत्तियों को लेकर रकम आती है वैसे–वैसे इसका विवरण विभिन्न पक्षों में उनके अधिकारों के हिसाब से होता जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है–

(1) सर्वप्रथम फर्म के लेनदारों का कुछ भुगतान किया जाता है। (2) लेनदारों के भुगतान के बाद, यदि किसी साझेदार का ऋण फर्म पर हो तो इस ऋण का भुगतान किया जाता है। यदि कई साझेदार हों, तो इसका वितरण उन साझेदारों में आनुपातिक रूप से होता है जिन्होंने अपनी पूँजी के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण फर्म को दिये हैं। (3) ऊपर वर्णित ऋणों के भुगतान करने के बाद यदि कोई राशि बचे तो इसे साझेदारों को लौटाया जाता हैं। यदि साझेदारों की पूंजी उनके लाभालाभ अनुपात में हो तो प्रत्येक वितरण के समय उनमें विभाजन उनके अनुपात में किया जाना चाहिए। (4) यदि साझेदारों की पूँजी उनके लाभा–लाभ अनुपात में न हो, तो साझेदार में बंटने के लिए जो राशि उपलब्ध हो, सर्वप्रथम इसे उन साझेदारों को देना चाहिए जिनकी पूँजी उनके लाभालाभ अनुपात से अधिक हो। इस प्रकार उनकी पूँजियाँ लाभा–लाभ अनुपात में लायी जायेंगी। इसके बाद सब साझेदारों को उनके लाभा–लाभ अनुपात में भुगतान किया जायगा क्योंकि इस समय पूँजी अनुपात तथा लाभा–लाभ अनुपात एक हो जाता है।

12.6 किस्तों में प्राप्त रोकड़ में से पूँजी को वापस करना

जब तक सब सम्पत्तियों पर पूरी रकम प्राप्त न हो जाय तब तक वसूली खाते का लाभ–हॉनि ज्ञात नहीं किया जा सकता है और ऐसा न होने पर साझेदारों के पूँजी खाते की बाकी भी ठीक–ठीक ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसीलिए जहां साझेदारी के विघटन में सम्पत्तियाँ धीरे–धीरे बेची जाती हैं, वहां रोकड़ में से साझेदारों की पूँजी लौटाने में बड़ी कठिनाइयां होती है। इस सम्बन्ध मं निम्नांकित सूचनाएं महत्वपूर्ण हैः

लाभा–लाभ अनुपात में नही लौटाना चाहिए–यदि पूँजी के अनुपात और लाभा–लाभ अनुपात एक न हों और रोकड को लाभ के अनुपात मे बॉटा जाय तो अन्त में जो पूँजी भुगतान नहीं हो पायेगी वह फर्म के साझेदारों की हॉनि मानी जायेगी और वह हॉनि उस अनुपात में नहीं होगी जिसमें की साझेदार लाभालाभ बाटते है अतः लाभालाभ के अनुपात में रोकड़ का बांटना अनुचित हैं। **पूँजी अनुपात में नही लौटानी चाहिए**–यदि पूँजी अनुपात और लाभालाभ अनुपात एक नही हैं और रोकड़ को पूँजी के अनुपात में बांटा जाय तो अन्त में जो पूँजी भुगतान नही हो पायेगी वह फर्म के साझेदारो की हॉनि मानी जायेगी और वह उस अनुपात में नही होगी जिस अनुपात मे साझेदार लाभा–लाभ बाटते है अतः पूँजी के अनुपात मे रोकड़ को बाटना अनुचित हैं।

12.7 साझेदार का दिवालिया होना

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार विभिन्न अनुबन्ध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का अन्त हो जाता हैं।

पूर्व में साझेदारी का विघटन ऐसी दशाओ मे समझाया गया है जिसमे सब साझेदारों में शोधन क्षमता थी। जब एक साझेदारी फर्म का अन्त किसी साझेदार

के दिवालिया होने के कारण होता है तो इसका आशय है कि जो साझेदार दिवालिया घोषित किया गया है वह फर्म के प्रति अपने संम्पूर्ण दायित्व का भुगतान नही कर सकता हैं। साझेदारी मे प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। इसलिए यदि कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उसके दिवालिया होने से फर्म की सम्पत्ति मे जो भी कमी आती है उसे पूरा करने का दायित्व शोधक्षम्य साझेदारो का है अब प्रश्न यह है कि दिवालिया साझेदार की कमी को शेष साझेदार किस अनुपात मे पूरा करें, यदि साझेदारो मे इस संम्बन्ध में कोई ठहराव है तो इस कमी को ठहराव में वर्णित अनुपात में साझेदार वहन करेंगें यदि कोई स्पष्ट ठहराव नहीं है तो इस हाँनि की पूर्ति लाभालाभ अनुपात में किस अनुपात मे की जाय इस संम्बन्ध मे एकमत नहीं है। हो सकता है कि यह कमी शेष साझेदार अपने लाभालाभ अनुपात मे पूरा करें या अपने पूँजी के अनुपात मे पूरा करें। 1903 से पहले दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को शेष साझेदार अपने लाभा लाभ अनुपात में विभाजित करके पूरा करत थे। परन्तु नवम्बर 1903 मे गार्नर बनाम मरे के विवाद में इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था।

12.8 गार्नर बनाम मरे विवाद का निर्णय

सन् 1903 में न्यायधीश जॉयस ने गार्नर बनाम मरे के मुकदमे में जो निर्णय दिया हैं। उसने दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी के सम्बन्ध में नये सिद्धान्तो को जन्म दिया।

विवाद का निर्णय –

(क) दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदारों की पूँजी के अनुपात में बांटना –इस विवाद में निर्णय लिया गया है कि दिवालिया साझेदार विल्किन्स की पूँजी की कमी वसूली की हाँनि से भिन्न है। विल्किन्स की पूँजी की कमी एक पूँजीहाँनि है इसलिए इसका विभाजन पूँजीके अनुपात मे होना चाहिए लाभा–लाभ अनुपात मे नही।

(ख)पूँजी का अनुपात उसी पूँजी के अनुपात मे निकालना जो विघटन के पूर्व बने हुये चिट्ठे में थीं–

पूँजी अनुपात निकालने के लिए किस पूँजी को आधार माना जाय? इस संम्बन्ध में यह ज्ञात करना आवश्यक है कि साझेदारों की पूँजी स्थायी है या अस्थायी।

स्थायी पूँजी–यदि पूँजी स्थायी है तो पूँजी चिट्ठे में दी होगी उसी के अनुपात में दिवालिया साझेदारों की पूँजी की कमी को बांट लिया जायेगा। स्थायी पूँजी की दशा में पूँजी की कमी को बांट लिया जायेगा। स्थायी पूँजी के दशा में पूँजी पर ब्याज सामान्य संचय अविभजित लाभ, आहरण तथा आहरण पर ब्याज आदि का लेखा साझेदारों के चालू खातों में किया जाता है वसूली खाते की हाँनि भी साझेदारों के चालू खातों में हस्तान्तरित की जाती है। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी **शोधक्षम्य साझेदारों के चालू खातों में उनके स्थायी पूँजी के अनुपात से हस्तान्तरित की जाती हैं।** शोधक्षम्य साझेदार वसूली खाते की हाँनि को नकदी में लाते हैं। तब इसका लेखा भी उनकें चालू खातों में किया जाता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साझेदारी संस्था में स्थायी पूँजी होती है उसमें साझेदारी से सम्बन्धित सब लेखे, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। साझेदारो के चालू

खातो में किये जाते हैं। और सबसे अन्त में चालू खातों की बाकी पूँजी खातों में हस्तान्तरित कर दी जाती हैं।

अस्थायी पूँजी–यह पूँजी अस्थायी है तो विघटन के पूर्व बनाये गये चिट्ठे में दी हुई पूँजी में उन संचित कोषों व अविभाजित लाभो को समायोजित कर दिया जायेगा। जो कि उस चिट्ठे में दिये हुये हों परन्तु इसमे वसूली खातों के लाभ या हाँनि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा इस प्रकार समायोजन के बाद जोपूँजी आयेगी उसी अनुपात में दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदार पूरा करेंगें।

(ग) वसूली की हाँनि को सब साझेदारों में लाभा–लाभ अनुपात में बांटना–इस विवाद में वसूली की हाँनि के संम्बन्ध मे यह निर्णय किया गया था कि साझेदारी के विघटन के समय वसूली पर जो हाँनि हो उसे सब साझेदारो मे चाहे वो शोधक्षम्य हों या दिवालिया– लाभा–लाभ अनुपात में विभाजित करना चाहिए।

(घ) वसूली की हाँनि को शोधक्षम्य द्वारा नकदी में लाना–जो साझेदार शोधक्षम्य हों उन्हें अपने हिस्से की हाँनि को नकदी में लाना चाहिए।

निर्णय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तर्क–

(1) शोधक्षम्य साझेदारो द्वारा रोकड़ में लाने वाली हाँनि के सम्बन्ध में इस निर्माण के अनुसार –प्रत्येक शोधक्षम्य साझेदार को वसूली पर हाँनि के अपने भाग को रोकड़ में लाना पड़ता है। शोधक्षम्य साझेदारों से ऐसा करवाना निम्नलिखित कारणों से अनुचित हैं। (अ) एक ऐसे साझेदार को हाँनि को रोकड़ में माँगना अनुचित है जिसकी पूँजी खाते में क्रेडिट शेष पहले से ही हैं। (ब) एक ऐसे साझेदार के लिए जो कि अपनी सब पूँजी साझेदारी मे लगा चूका हो साझेदारी विघटन के समय वसूली की हाँनि के अपने भाग को रोकड़ में लाना असंभव समझता है। (स) रोकड़ मॉगने की यह प्रथा उन दशाओ में एकाउण्टैंन्सी सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं जहां वसूली खाते के फलों के कारण साझेदार के खाते में डेबिट बाकी हो और डेबिट बाकी को उसके चालू खाते या उसके ऋण खाते से (यदि कोई हो) पूरा किया जा सकता हों।

(2) शोधक्षम्य साझेदारो में पूँजी खाते के डेबिट पक्ष में उनके भाग में पड़ने वाली कमी को लिखने के संम्बन्ध में तर्क –(अ) किसी भी हाँनि को पूँजी खातो में डेबिट करना इस हाँनि को पूरा करना नही है। (ब) पूँजी की कमी को शेष साझेदारों के पूँजी खातों में डेबिट करने से पूँजी खाते परिवर्तित हो जायेंगे। और ऐसा होने से सम्पत्तियों के विवरण का आधार बदल जायेगा।

गार्नर बनाम मरे के सिद्धान्त का भारत में प्रयोग–

वर्तमान काल में भारत में साझेदारी संलेख विशेष महत्व रखता हैं। यह संलेख बनाते समय साझेदार आपस में तय कर लेते हैं कि किसी भी साझेदार के दिवालिया होते समय उसकी पूँजी की कमी को किस अनुपात में विभाजित किया जायेगा। यदि साझेदारी संलेख में दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को पूरा करने के लिये कोई अनुपात दिया रहता हैं। तो उसी अनुपात में शोधक्षम्य साझेदार पूँजी की कमी को पूरा करते हैं। और इस दशा में गार्गर बनाम मरे का निर्णय प्रयोग में नहीं लाया जाता हैं।

गार्नर बनाम मरे के विवादमें साझेदारों की केवल पूँजी को ही ध्यान में रखा जाता है, उसकी व्यक्तिगत सम्पत्तियों का नहीं, ऐसा सम्भव हो सकता है कि

एक साझेदार को जिसने कि अधिक पूँजी दी हो, परन्तु इस समय उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी न हो, दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को उस साझेदार की तुलना में अधिक सहन करना पड़ेगा जिसने इस संस्था में कम पूँजी लगायी हो, परन्तु वह काफी धनवान हो। जिस साझेदार ने अपनी सम्पूर्ण पूँजी विघटन के पहले साझेदारी संस्था से निकाल ली हो और चाहे जितना भी धनवान क्यों न हो वह दिवालिया साझदेार की पूँजी की कभी का कोई भार सहन नहीं करेगा। इन्हीं कारणों से लगभग प्रत्येक साझेदारी संलेख में यह नियम दिया रहता है कि किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूँजी की हाँनि को शेष साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जायेगा? गार्नर बनाम मरे का सिद्धान्त तभी लागू होता है जबकि साझेदारी संलेख में इस सम्बन्ध में कोई नियम न दिया हो।

कुछ लोगों का विचार है कि गार्नर बनाम मरे का निर्णय भारत में नहीं लगता हैं। ऐसा विचार होने के मुख्यतः निम्नलिखित कारण है :–

(अ) **किसी भारतीय न्यायालय का निर्णय न होना**– भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया गया है।

(ब) **गार्नर** बनाम **मरे की इंग्लैण्ड में आलोचना**–इंग्लैण्ड में लेखापालकों, अंकेक्षकों तथा व्यवसायियों आदि ने इस विवाद में दिये हुए निर्णय की कड़ी आलोचना की हैं इन आलोचकों के आधार पर बहुत से भारतवासी भी इस निर्णय के पक्ष में नहीं है।

यद्यपि उपर्युक्त कारणों से बहुत–से, लोगो की विचारधारा इस निर्णय को भारत में लागू न किये जाने के पक्ष में है, परन्तु **फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साझदेारी अधिनियम ने कहीं भी इस नियम का विरोध नहीं किया हैं इसलिए इस निर्णय का भारत में उस समय तक पालन करने में कोई दोष नहीं है जब तक कि भारत में किसी न्यायालय द्वारा इसके विरोध में निर्णय न दिया जाय।**

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, जिसे पहले भी समझाया जा चुका है, निम्न नियम लागू होता हैः

''हाँनियां (पूँजी की अपूर्णता सम्बन्धी हाँनि सहित) पहले लाभ में से, फिर पूँजी में से और अन्त में यदि आवश्यक हो तो सब साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभालाभ अनुपात में चुकायी जाती है।''

भारत में **गार्नर** बनाम **मरे** के निर्णय के प्रयोग पर विभिन्न प्रकार के विचार हैं। जे0.आर. बाटलीबॉय के अनुसार, ''भारत में एक दिवालिया साझेदार की पूँजीहाँनि को शोधक्षम्य द्वारा उस अनुपात में पूरा किया जा सकता है जिसमें वे अपने लाभालाभ वितरित करते हैं।''

वर्तमान लेखापालकों का दृष्टिकोण

वर्तमान लेखापालकों का **गार्नर** बनाम **मरे** के निर्णय के अनुसार शोधक्षम्य साझेदारों के द्वारा वसूली की हाँनि को नकद **लाये जाने के सम्बन्ध में यह विचार है कि शोधक्षम्य साझेदारों द्वारा वसूली की हाँनि को नकद नहीं लाना चाहिए। इसलिए साझेदारी के विघटन तथा दिवालिया साझेदारों से सम्बन्धित प्रश्न करते समय चाहिए परन्तु यदि प्रश्न में यह दिया हो कि प्रश्न गार्नर बनाम मरे के अनुसार किया जायेगा तो इस निर्णय के अनुसार ही करना चाहिए। जहां तक**

दिवालिया साझेदार की पूँजी की हाँनि का शोधक्षम्य साझेदारों में विभाजन का प्रश्न है, इसे पूँजी के अनुपात में ही विभाजित किया जाना चाहिए।

यदि पूँजी स्थायी है तो इस अनुपात में और यदि पूँजी अस्थायी है तो वसूली खाते की बाकी की समायोजन करने के पहले पूँजी खाते में संचय आदि का लेखा करने के बाद आने वाले पूँजी अनुपात में दिवाले की कमी का विभाजन किया जाना चाहिए।

12.9 सब साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन होना

(1) सम्पत्तियों से प्राप्त राशि में से वसूली व्यय काटना –फर्म की सम्पत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि तथा साझेदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति से जो भी राशि मिलती है उसमें से वसूली व्यय काट दिये जाते हैं।

(2) वसूली की शेष रकम से लेनदार का भुगतान –ऊपर वर्णित शेष रकम में से लेनदारों को भुगतान किया जाता है। बहुधा यह देखने में आया है कि जिस फर्म के सब साझेदार दिवालिया होते हैं उसमें वसूली से प्राप्त रकम में से वसूली व्यय काटने के पश्चात् जो रशि शेष बचती हैं, वह कभी भी लेनदारों को भुगतान की जाने वाली रकम के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अतः लेनदारों को अपनी पूरी रशि मिलने के स्थान पर इसका केवल एक अंश ही मिलता है। (3) साझेदारों द्वारा पूँजी की कमी की पूर्ति में असमर्थता– चूंकि साझेदार दिवालिया होते हैं, इसलिए वे अपनी कमी को पूरा करने के लिए कोई रकम नहीं ला सकते हैं।

इस दशा में लेखा करने की विधि निम्न हैः–

(1) वसूली खाता बनाना– सब साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म के विघटन के समय जो वसूली खाता बनाया जाता है, वह लगभग उसी प्रकार होता है जैसा कि एक या एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया होते समय बनाया जाता है, परन्तु अन्तर केवल इतना है कि दायित्वों के पुस्तक मूल्य या इन्हें भुगतान की जाने वाली रकम का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता है। (2) साझेदारों का खाता बनाना– के क्रेडिट पक्ष में लेनदारों का पुस्तक मूल्य लिखा जाता है और डेबिट पक्ष मं यह राशि लिखी जाती है जो इन्हें भुगतान में दी गयी हों इस खाते की बाकी जो अधिकतर क्रेडिट बाकी होती हैं, वसूली पर लाभ–हाँनि खाते में हस्तान्तरितज की जाती है। यदि लेनदारों मं अतिरिक्त कोई दायित्व, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, देय बिल, इत्यादि हों तो उसके लिए भी उसी प्रकार के खाते बनाये जाते हैं। (3) वसूली पर लाभ–हाँनि खाता– इस खाते में वसूली खाते की बाकी तथा दायित्वों से सम्बन्धित खातों की बाकियां लायी जाती हैं। फिर इसकी बाकी को साझेदारें के पूँजी खातों में लाभालाभ अनुपात मं हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

(4) साझेदारों के पूँजी खाते– इन खातों में वे सब रकमें ले जायी जाती हैं जिन्हें कि पूँजी खाते का वर्णन करते समय समझायां जा चुका हैं। इन खातों के सम्बन्ध में एक विषय विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी पूँजी खाते में कोई क्रेडिट बाकी आती हो तो इस बाकी को ऐसे साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है जिनमें कि डेबिट बाकी आती हो, और इस प्रकार खाते बन्द कर दिये जाते है।

12.10 नगद का अलग–अलग बंटवारा (Piecemeal Distribution of cash)

सामान्यतया, साझेदारी फर्म के विघटन पर जो सम्पत्तियॉ ले ली जाती है, उनका भुगतान धीरे–धीरे काफी अवधि के बाद छोटे–छोटे किश्तों में प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में जो भी सम्पत्तियॉ या नगदी संगृहित होती है, उन्हें या तो बांट दिये जाय तो पूरी विक्री की राशि प्राप्त होने तक इन्तजार किया जाय। अक्सर पहली व्यवस्था को अपनाया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने हेतु की नगदी का बंटवारा सभी साझेदारों में उनके हित के अनुपात में हो। यह नगदी का बंटवारा निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता हैः–

1. **अधिकतम हाँनि विधि (Maximum Loss Method)–**

प्रत्येक किश्त जो प्राप्त होता है को पूरा या अन्तिम भुगतान (Final Payment) माना जाय अर्थात् बकाया सम्पत्तियों एवं दावों को मूल्यहिन माना जाता है और साझेदारों के खातों को प्रत्येक बार इसी आधार पर समायोजित किया जाता है जब–जब नगदी का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर या तो गार्नर बनाम मरे का नियम या लाभ–हाँनि वितरण अनुपात के नियम का पालन किया जाता है।

2. **उच्चतम सम्बन्धित पूँजी विधि (Highest Relative capital method)–**

इस विधि को अनुपातिक पूँजी विधि (Proportinate capital method) के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अनुसार जिस साझेदार की पूँजी उसके लाभ वितरण अनुपातों से सापेक्षतया अधिक होती है उसे पहले भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद क्रमशः उस साझेदारों को भुगतान किया जाता है जिनका पूँजी उनके लाभ वितरण अनुपात से कम होती है। अर्थात् जिस साझेदार की पूँजी अधिकतम होती है उसे भुगतान सबसे पहले किया जाता है फिर क्रमशः कम पूँजी वाले साझेदारों का भुगतान किया जाता है।

12.11 सारांश

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब एक फर्म के सभी साझेदार आपस में पूर्व में स्थापित साझेदारी सम्बन्ध को तोड़ दे तो इसे साझेदारी का विघटन कहा जाता है। साझेदारी फर्म के विघटन के बाद फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। जब एक या कुछ साझेदारों के मध्य साझेदारी प्रबन्ध समाप्त होता है अथवा एक या कुछ साझेदार फर्म से पृथक हो जाते है तो इसे ही साझेदारी का विघटन कहते हैं। इस स्थिति में शेष साझेदार पुनर्गठन या नया साझेदारी समझौता करके व्यवसाय चला सकते है। साझेदारी फर्म के विघटन की कई स्थितियॉ होती हैं। फर्म का विघटन होने पर इसकी सार्वजनीक सूचना देना अनिवार्य होता है। विघटन की सूचना समस्त साझेदारों या किसी भी साझेदार द्वारा दी जानी चाहिए अन्यथा विघटन के बाद भी प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा। जिस प्रकार यह विघटन के पूर्व किसी साझेदार द्वारा फर्म के लिए किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

12.12 शब्दावली

साझेदारी के विघटन– साझेदारी के परस्पर में किये गये समझौते के भंग होने पर साझेदारी व्यवसाय का विघटन कहलाता है, परन्तु फर्म का अन्त जब माना जाता है जब सभी साझेदार आपस में काम करना पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें।

फर्म के विघटन पर ख्याति की बिक्री–अन्य सम्पत्तियों की भांति फर्म के विघटन के समय ख्याति बेची जा सकती है और इससे प्राप्त रकम का प्रयोग सम्पत्ति के प्राप्त होने वाली रकमों के साथ ही किया जाता है।

वसूली खाता– साझेदारी संस्था की सम्पत्तियों के मूल्य को इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यहां सम्पत्तियों का आशय केवल उन्हीं सम्पत्तियों से है जो वास्तव में सम्पत्तियां हों, परन्तु रोकड़ या बैंक बाकी को वसूली खाते में हस्तान्तरित नहीं किया जाता है।

साझेदारी का समापन– साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का संचालन बन्द होना जरूरी नहीं है।

फर्म का समापन– फर्म की समाप्ति होते ही साझेदारी का अन्त हो जाता है। फर्म के समापन पर व्यवसाय का संचालन बन्द होना अनिवार्य है।

पुनर्मूल्यांकन खाता– पूनर्मूल्यांकन खाता किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश–ग्रहण तथा मृत्यु के समय तैयार किया जाता है। इस खाते के बनाने का उद्देश्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है।

वसूली खाता– वसूली खाता साझेदारी फर्म के समापन के समय तैयार किया जाता है। इस खाते के तैयार करने का उद्देश्य फर्म की समाप्ति पर उसकी सम्पत्तियों के बेचने से तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञान करना है।

साझेदार का दिवालिया होना–भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार विभिन्न अनुबन्ध के अभाव में एक साझेदार केक दिवालिया हो जाने पर फर्म का अन्त हो जाता है।

12.13 बोध प्रश्न

बताइये निम्न कथन सही है या गलत–

(Say whether the following statements are Right or Wrong):

1. फर्म के विघटन के समय सभी सम्पत्तियों के साथ रोकड़ और लाभ–हानि खाते का शेष भी रोकीकरण या वसूली खाता मैं अन्तरित होता है।

   The Balance of Cash A/c and Profit & Loss A/c are transferred to Realisation A/c with all asste at the time of firm's dissolution.
2. सम्पत्तियों के रोकीकृत होने पर 'रोकीकृत या वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है।

   The Realisation A/c is credited when assets are realised.
3. एक सझेदार के दिवालिया घोषित होने पर सामान्यतः फर्म का विघटन हो जाता है।

   Generally the firm is dissolved when one partner became insolvent.
4. अघोषित (अप्रकट) सम्पत्ति के रीकीकृत होने पर 'रोकीकृत या वसूली खाता क्रेडिट होता है।

   Realisation A/c is credited when undisclosed asset is realisd.

5. विघटन पर फर्म की पुस्तकों में 'ख्याति' दिये जाने पर ख्याति खाता को अन्य सम्पत्तियों की तरह रोकीकरण या वसूली खाता में हस्तान्तरित बन्द कर दिया जाता हैं।

When goodwill is given in the books of firm on dissolution, then the goodwill A/c is closed after transferring to Rcalisation A/c like other assets.

6. 'रोकीकरण की हानि' किसी साझेदार के दिवालिये होनेपर 'पूँजी की कमी हानि' के बराबर होती है।

'Loss on Realisation' is equal to the loss on deficiency of capital when a partner becomes insolvent.

7. गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार, शोधक्षम (सक्षम) साझेदार द्वारा, जिसका पूँजी खाता डेबिट शेष दर्शाता है, दिवालिया साझेदार की पूँजी की कमी की हानि वहन की जायेगी।

Solvent Partner whose Capital A/c shows debit balance bear the loss on deficiency of capital of insolvent partner under Garner Vs. Murray Rule.

8. धीरे–धीरे रोकीकरण की दशा में साझेदारों में रोकड़ राशि का वितरण लाभ–हानि अनुपात में होता है, भले ही उनकी पूँजी लाभ–हानि अनुपात में न हो।

In case of gradual realisation the cash will be distributed amongst parters in profit sharing ration though their capital are not in profit sharing ratio.

12.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.15 स्वपरख प्रश्न

(A) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है तथा विघटन पर की जाने वाली जर्नल (पंजी) प्रविष्टियाँ दीजिए।

What is meant by dissolution of partnership firm and give necessary journal entries on dissolution?

2. गार्नर बनाम मरे के नियम पर एक निबन्ध लिखिए। क्या यह भारत में भी लागू होता हैं?

Write an essay on Garner Vs. Murray Rule. Does it apply in India also?

3. रोकड़ के शनै–शनै वितरण (भागशः वितरण) से आप क्या समझतें हैं? यदि सम्पत्तियों का रोकीकरण धीरे–धीरे होता है तो वसूली की राशि का वितरण किस प्रकार होगा?

What do you understand by piecemeal distributin of cash ? if theassets are realised gradually, how the realised amount would be distributed amongst the partners?

4. रोकड़ के शनै–शनै वितरण (भागशःवितरण) से आप क्या समझते है ? यदि सम्पत्तियों का रोकीकरण धीरे–धीरे होता है तो वसूली की राशि का वितरण किस प्रकार होगा ?

What do you understand by piecemeal distribustion of cash? If the asste are realised gradually, how realised amount would be distribution of cash amongst the partners?

5. निम्नलिखित का संक्षेप में समाझाइये(Explain in brief the follwoing)

वसूली खाता(Realisation A/c)

गार्नर बनाम मरे नियम(Garner Vs. Murray Rule)

साझेदारी फर्म केघिटन का क्या तात्पर्य है? किन परिस्थितियों में एक फर्म विघटित की जा सकती है ?

What is the meaning of dissolution of a partnership firm ? In what circumstances a firm can be dissolved ?

(B) लघु उत्तरीय प्रश्न(Short Answer Type Questions)

1. रोकणीकरण या वसूली खाता क्या है ? समझाइए।

What is a Realisation Account ? Explain.

2. फर्म के विघटन की परिस्थितयाँ लिखिए।

Write the circumstances for dissolution of the firm

3. रोकीकरण या वसूली खाता तथा पुनर्मूल्यांकन खाता में अन्तर बताइये।

Distinguish between Realisation Account and Realisation Account.

4. फर्म के समापन पर रोकड़ के बंटवारे के क्रम का वर्णन कीजिए।

Explain the order of distribution of cash on dissolution of firm.

5. रोक–वितरण की अधिकतम हानि विधि समझाझये।

Explain the Maximum loss method of cash distribution.

6. रोक–वितरण की आनुपतिक पूँजी विधि समझाझये।

Explain the Proportionate capital method of cash distribution.

(D)संख्यात्मक प्रश्न–

उदाहरण–1

ए, बी तथा सी 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ–हानि विभाजन करने वाले साझेदार है। 31 मार्च2016 को फर्म की स्थिति निम्न प्रकार है–

A, B and c are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1 on 31st March, 2016 the position of the firm is as follows :

चिट्ठा (Balance Sheet)

(31 मार्च, 2016 को) As on 31st March, 2016

देयताएँ (Liabilities)	राशि (Amount)	परिसम्पत्तियाँ (Assets)	राशि (Amount)
	रू. (Rs.)		रू. (Rs.)
विविध लेनदार (Sundry Creditors)	30,800	बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)	7,000
देय विपत्र (Bills Payable)	7,200	स्कन्ध (Stock)	39,600
ए का ऋण (A's Loan A/c)	20,000	विविध देनदार रू. (Rs.)	

संचय कोष (Reserve Fund)	24,000	(Sundry Debtors) 30,000	
पूँजी (Capital) Rs. (Rs.)		– अशोध्य ऋण आयोजन	
ए (A) 40,000		(Provision for Bad Debts) 2,000	28,000
बी (B) 32,000		संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी	
सी (C) 16,000	88,000	(Joint Lift Insurance Policy	8,000
		प्लाण्ट व मशीनरी (Plant &Machinery)	
	1,70,000		1,70,000

फर्म का 1 अप्रैल, 2016 को विघटन को गया। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ए द्वारा 10,000 रू. में ले ली गयी। स्कन्ध 36,000 रू. विविध देनदार 29,000 रू. तथा, प्लाण्ट व मशीनरी 72,000 रू. में रोकीकृत हुए। 1,400 रू. का एक विपत्र जो बैंक से पूर्व प्रापित कराया गया था, अनादृत हो गया।

The firm was dissolved on 1st April. 2016. Joint life insurance policy was taken over by A at Rs. 10,000, Stock realised Rs. 36,000, Debtors realised Rs. 29,000, Plant and Machiney fetched Rs. 72,000. One bill for Rs. 1,400 under discount have been dishonoured.

Make journal entries and close the books of the firm.

हल–**In the Book os Firm**

Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Debit Amount	Credit Amount
2016-17			Rs.	Rs.
April, 1	Realisation A/c Dr.		1,65,000	
	To Stock A/c			39,600
	To Sundry Debtors A/c			30,000
	To Plant & Machinery A/c			87,400
	To Joint Life Policy A/c			8,000
	(Being Assets transferred to Realisation A/c			
" 1	Creditors A/c Dr.		30,800	
	Bills Payable A/c Dr.		7,200	
	Provision for Bad Debts A/c Dr.		2,000	
	To Realisation A/c			40,000
	Beeing liabilities transferred to Realisation A/c			
" 1	Reserve Fund A/c Dr.		24,000	
	To A's Capital A/c			12,000
	To B's Capital A/c			8,000
	To C's Capital A/c			4,000
	(Being Reserve fund transferred to Partners' Capital A/c in 3 : 2 : 1 ratio)			
" 1	A's Capital A/c Dr.		10,000	
	To Realisation A/c			10,000
	(Being Joint Life Policy over taken by A)			
" 1	Bank A/c Dr.		1,37,000	
	To Realisation A/c			1,37,000
	(Being amount realised from Debtoes, Stock & Plant)			
" 1	Realisation A/c Dr.		38,000	

	To Bank A/c			38,000
	(Being payment of creditors and Bills Payable)			
" 1	Realisation A/c Dr.		1,400	
	To Bank A/c			1,400
	(Being entry of bill dishonoured)			
" 1	A's Capital A/c Dr.		8,700	
	B's Capital A/c Dr.		5,800	
	C's Capital A/c Dr.		2,900	
	To Realisation A/c			17,400
	(Being Realisation loss transferred to Partners' Capital A/c)			
" 1	A's Loan A/c Dr.		20,000	
	To Bank A/c			20,000
	(being payment of A's loan made			
" 1	A's Capital A/c Dr.		33,300	
	B's Capital A/c Dr.		34,200	
	C's Capital A/c Dr.		17,100	
	To Bank A/c			84,000
	(Being amount paid to A, B & C)			

In the Books of Firm

Dr. Realisation Account Cr.

Date	Particulars	J. F.	Amount	Date	Particulars	J. F.	Amount
2016-17			Rs.	2016-17			Rs.
April, 1	To Sundry Debtors A/c		30,000	April, 1	By Creditoes A/c		30,800
" 1	To Stock A/c		39,600	" 1	By Bills Payable A/c		7,200
" 1	To Joint Life Policy A/c		8,000	" 1	By Provision For Bad Debts		
" 1	To Plant & Machinery A/c		87,400		A/c		2,000
" 1	To Bank A/c		1,400	" 1	By A's Capital A/c		10,000
" 1	To Bank A/c		38,000	" 1	By Bank A/c		1,37,000
				" 1	By Partner's Cap A/c		
					A= (17,400X3/6)		8,700
					B=(17,400X2/6)		5,800
					C= (17,400x1/6)		2,900
			2,04,400				2,04,400

Dr. Bank Account Cr.

Date	Particulars	J. F.	Amount	Date	Particulars	J. F.	Amount
2016-17			Rs.	2016-17			Rs.
April, 1	To Balance b/d		7,000	April, 1	By Realisation A/c		1,400
" 1	To Realisation A/c		1,37,000	" 1	By Realisation A/c		38,000

				" 1	By A's Loss A/c		20,000
				" 1	By A's Capital A/c		33,300
				" 1	By B's Capital A/c		34,200
				" 1	By C's Capital A/c		17,100
			1,44,000				1,44,000

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Date	Particulars	J.F.	A Amt.	B Amt.	C Amt.	Date	Particulars	J.F.	A Amt.	B Amt.	C Amt.
2016-17			Rs.	Rs.	Rs.	2016-17					
April, 1	To Real. A/c		8,700	5,800	2,900	April, 1	By Bal b/d		40000	32000	16000
" 1	To Real. A/c		10000	–	–	" 1	By Reserve Funds A/c		12000	8000	4000
" 1	To Bank A/c		33300	34200	17100	" 1					
			52000	**40000**	**20000**				**52000**	**40000**	**20000**

उदाहरण–2

ए. बी तथा सी का स्थिति–विवरण (चिट्ठा) निम्नलिखित है :

The Balance Sheet of A, B and C is as under :

वित्तीय लेखांकन

दायित्व (Liabilities)	राशि (Amount)	सम्पत्तियाँ (Asscs)	राशि (Amount)
	रू. (Rs.)		रू. (Rs.)
लेनदार (Creditors)	20,000	रोकड़ (Cash)	6,000
सामान्य संचय (General Reserve)	15,000	देनदार (Debtors)	20,000
पूँजी खाते (Capital A/cs) : रू. (Rs.)		स्कन्ध (Stock)	20,000
ए (A)25,000		मशीनरी (Machinery)	20,000
बी (B) 15,000	40,000	सी का पूँजी खाता (C's Capital A/c)	9,000
	75000		75000

सी दिवालिया हो गया तथा उसकी सम्पत्ति से 2,000 रू. प्राप्त हुए। साझेदारी के विघटन का निश्चय किया गया। सम्पत्तियों से वसूली इस तरह हुई–देनदार 14,500 रू., स्टॉक 16,000 रू. मशीनरी 14,000 रू.। समापन व्य 2,500 रू. हुआ।

गार्नर बनाम मरे के नियम का पालन करते हुए फर्म की पुस्तकं बन्द करने के लिए आवश्यक खाते दर्शाइये।

C became insolvent and a sum of Rs. 2,000 received only from his assets. it is decided to dissolve the partnership. The assets were realised as follows : Debtors Rs. 14,500 Stock Rs. 16,000, Machinery Rs. 14,000. The liquidation expenses were Rs. 2,500.

Prepare necessary accounts to close the books of the firm. Garner Vs. Murray Rule was applied.

Solution

Dr. Realisation Account Cr.

Date	Particulars	J. F.	Amount	Date	Particulars	J. F.	Amount
			Rs.				Rs.
	To Debtors' A/c		20,000		By Creditors A/c		20,000
	To Stock A/c		20,000		By Cash A/c		44,500
	To Machinery A/c		20,000		By A's Capital A/c		6,000
	To Cash A/c				By B's Capital A/c		6,000
	(Liquidation Exps.		2,500		By C's Capital A/c		6,000
	To Cash A/c (Creditor						
			82,500				82,500

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Date	Particulars	A	B	C	Date	Particulars	A	B	C
		Rs.	Rs.	Rs.			Rs.	Rs.	Rs.
	To Balance b/d	-	-	9,000		By Balance b/d	25,000	15,000	-
	To Realisation A/c	6,000	6,000	6,000		By Reserve Fund A/c	5,000	5,000	5,000
	To C's Capital A/c	4,800	3,200	-		By Cash A/c	-	-	2,000
	To Cash A/c	25,200	16,800	-		By Cash A/c	6,000	6,000	-
						By A's Capital A/c	-	-	4,800
						By B's Capital A/c	-	-	3,200
		36,000	26,000	15,000			36,000	26,000	15,000

Cash A/c

Date	Particulars	J. F.	Amoun	Date	Particulars	J. F.	Amount
			Rs.				Rs.
	To Balance b/d		6,000		By Realisation A/c		2,500
	To Realisation A/c		44,500		By Realisation A/c		20,000
	To A's Capital A/c		6,000		By A's Capital A/c		25,200
	To B's Capital A/c		6,000		By B's Capital A/c		16,800
	To C's Capital A/c		2,000				
			64,500				64,500

Working Notes :

(i) Amount realised from Assets : Rs.

Debtors	14,500
Stock	16,000
Machinery	14,000
	44,500

(ii) Amount paid for Liabilities :

Creditors	20,000
Liquidation Expenses	2,500
	22,500

(iii) Deficiency in the capital of insolvent partner 'C' (15,000 –7,000) Rs. 8,000, is borne by the solvent partner A and B in their anjusted capital ratio i,e. (25,000+5000) : (15,000+5,000) or 3 : 2

A will bear = $8,000 \times \frac{3}{5}$ =Rs. 4,800

B will bear = $8,000 \times \frac{2}{5}$ =Rs. 3,200

उदाहरण–3

31 मार्च, 2016 को रहीम, करीम, अमीर तथा गरीब का चिट्ठा निम्नलिखित था। वे लाभ–हाँनि का विभाजन क्रमशः 40%, 20%तथा 10% के अनुपात में करते थे।

Followings was the Balance Sheet of Rahim, Karim, Amir and Garib on 31st March 2016, They shared profits and losses in the proportion of 40%, 30%, 20% & 10% respectively.

चिट्ठा (Balance Sheet)			
दायित्व (Liabilities)	राशि (Amount)	सम्पत्तियाँ (Assets)	राशि (Amount)
	रू. (Rs.)		रू. (Rs.)
पूँजी खाते (Capital A/cs) : रू. (Rs.)		ख्याति (Goodwill)	40,000
रहीम (Rahim) 1,20,000		स्थायी सम्पत्तियाँ (Fixed Assets	1,60,000
करीम (Karim) 80,000		चले सम्पत्तियाँ (Current Assets	48,000
अमीर (Amir) 12,000	2,12,000	गरीब का पूँजी खाता	
लेनदार (Creditors)	40,000	(Garib's Capital A/c)	4,000
	2,52,000		2,52,000

गरीब की कोई भी अलग से सम्पत्ति तथा दायित्व नहीं है। साझेदारों ने व्यवसाय के विघटन का निर्णयलिया। स्थायी सम्पत्तियों से 1,20,000 रूपये और चालू सम्पत्तियों से 40,000 रूपये वसूल हुए। ख्याति को कोई मूल्य नहीं रहां समापन व्यय 12,000 रूपये हुए। अमीर की व्यक्तिगत सम्पत्ति से 2,000 रूपये वसूल हुए। गार्नर बनाम मरे के निर्णयानुसार यह मानते हुए कि अमीर व गरीब दिवालिया हो गये हैं आवश्यक खाते बनाइयें।

Garib has no separate assets and liabilities. The partners have decided to dissolve the business. Rs. 1,20,000, and Rs. 40,000 were received from fixed and current assets respectively. Goodwill has no value. Rs. 12,000 were incurred for dissolution expenses. Rs. 2,000 were received from personal assets of Amir. Prepare necessary accounts as per Garner Vs. Murray rule assuming that Amir and Garib became insolvent.

Solution

Dr. Realisation Account Cr.

Date	Particulars	J. F.	Amount	Date	Particulars	J. F.	Amount
2015-16			Rs.	2015-16			Rs.
Mar, 31	To Goodwill A/c		40,000	Mar, 31	By Creditors A/c		40,000
Mar, 31	To Fixed Assets A/c		1,60,000	Mar, 31	By Cash A/c		1,60,000
Mar, 31	To Current Assets A/c		48,000	Mar, 31	By Rahim's Capital A/c		40,000
Mar, 31	To Cash A/c (Creditors)		40,000	Mar, 31	By Karim's Capital A/c		30,000
Mar, 31	To Cash A/c			Mar, 31	By Amir's Capital A/c		20,000
	(Dissolution exp.)		12,000	Mar, 31	By Garib's Capital A/c		10,000
			3,00,000				3,00,000

Dr. Partners' Capital Accounts Cr.

Date	Particulars	Rahim	Karim	Amir	Garib	Date	Particulars	Rahim	Karim	Amir	Garib
2015-16		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	2015-16		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Mar, 31	To Balance					Mar, 31	By Balance				
	b/d	-	-	-	4,000		b/d	1,20,000	80,000	12,000	-
Mar, 31	To Real.					Mar, 31	By Cash				
	A/c	40,000	30,000	20,000	10,000		A/c	40,000	30,000	-	-
Mar, 31	To Amir's					Mar, 31	By Cash				
	Capital						A/c			2,000	-
	A/c	3,600	2,400	-	-	Mar, 31	By Rahim's				
Mar, 31	To Garib's						Capital				
	Capital						A/c	-	-	3,600	8,400
	A/c	8,400	5,600	-	-	Mar, 31	By Karim's				
Mar, 31	To Cash						Capital				
	A/c	1,08,000	72,000	-	-		A/c			2,400	5,600
		1,60,000	1,10,000	20,000	14,000			1,60,000	1,10,000	20,000	14,000

Dr. Cash Accounts Cr.

Date	Particulars	J F	Amount	Date	Particulars	J F	Amount
2016			Rs.	2016			Rs.
Mar, 31	To Realisation A/c		1,60,000	Mar, 31	By Realistion A/c		40,000
Mar, 31	To Rahim's Capital A/c		40,000	Mar, 31	By Realisation A/c		12,000
Mar, 31	To Karim's Capital A/c		30,000	Mar, 31	By Rahim's Capital A/c		1,08,000
Mar, 31	To Amir's Capital A/c		2,000	Mar, 31	By Karim's Capital A/c		72,000
			2,32,000				2,32,000

Working Notes :

(i) Deficiency in the capital of Insolvent partner Amir (20,000-14000) = Rs. 6,000 is borne by the Solvent

Partner Rahim & Karim in their adjusted capital ratio i.e. (1,20,000 : 80,000) or 3 : 2 :

Rahim will bear 6,000 x 3/5 = Rs. 3,600

Karim will bear 6,000 x 3/5 = Rs. 2,400

(ii) Deficiency in the capital of Insolvent partner Garib (14,000-0) = Rs. 14,000 is borne by the Solvent

Partner Rahim & Karim in their adjusted capital ratio i.e.

Rahim will bear 14,000 x 3/5 = Rs. 8,400

Karim will bear 14,000 x 2/5 = Rs. 5,600

12.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई – 13 अंश एवं ऋणपूँजी (SHARE & DEBENTURE)

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 अंशों के प्रकार

13.2.1 समता अंश

13.2.2 पूर्वाधिकार अंश

13.3 पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार

13.4 अंश की प्रकृति व अंश पूंजी के प्रकार

13.5 अंशों के निर्गमन का ढंग व अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ

13.6 अंशों का अति–अभिदान व अंशों का हरण

13.7 अंशों का आनुपातिक आबंटन व अंशों का समर्पण

13.8 अधिकार अंशों का निर्गमन व सम अंशों की पुनखरीद

13.9 ऋणपत्रों का निर्गमन – उद्देश्य, अर्थ व विशेषतायें

13.10 ऋणपत्र एवं अंशों में अन्तर

13.11 ऋणपत्रों के निर्गमन के महत्वपूर्ण प्रावधान

13.12 ऋणपत्रों के प्रकार

13.13 ऋणपत्रों के निर्गमन का उद्देश्य व प्रक्रिया

13.14 ऋणपत्रों का शोधन व शोधन के स्रोत

13.15 ऋणपत्रों के भुगतान की विधियाँ

13.16 एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा व लाभों में से ऋणपत्रों का शोधन

13.17 संयची शोधन कोष का निर्माण

13.18 सारांश

13.19 शब्दावली

13.20 बोध प्रश्न

13.21 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.22 स्वपरख प्रश्न

13.23 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- अंश क्या है, अंश कितने प्रकार के होते है इसके बारे में जान सके।
- अंश निर्गमन की प्रक्रिया को समझ सकें।
- पूर्वाधिकार एवं समता अंश का अर्थ समझ सकें।
- अंशों के हरण के बारे में जान सकें।
- ऋणपत्र का अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख विशेषताए समझ सकें।
- अंशों एवं ऋणपत्रों के अन्तर को समझ सकें।
- ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकार के बारे में जान सकें।

13.1 प्रस्तावना

कम्पनी की अंश पूंजी (Share Capital) की छोटी–छोटी विभाजित की जाने वाली इकाई को अंश (Share) कहते हैं। सरल शब्दों में, अंश पूँजी वाली

कम्पनी की पूँजी को एक निश्चित राशि के जिन भागों में बाँटा जाता है, उन्हें अंश कहते हैं; जैसे – यदि एक कम्पनी की पूँजी A 2,00,000 है और इसे A 100 के 2,000 हिस्सों में बाँटा गया है, तो 2,000 भागों को अंशों की कुल संख्या तथा प्रत्येक A 100 वाला एक भाग ''अंश'' कहलायेगा।

परिभाषा (Definition)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(84) के अनुसार, ''अंश का आशय एक कम्पनी की अंश पूँजी में एक अंश से है और इसमें स्टॉक (stock) भी शामिल है।''

''अंश एक चल सम्पत्ति है, जो इसके अंशधारी के स्वामित्व का प्रमाण होता है।''

13.2 अंशों के प्रकार (Types/Kinds of Shares)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार निर्गमित अंश दो प्रकार के होते हैं तथा सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ और सार्वजनिक कम्पनियाँ दो प्रकार के अंशों का निर्गमन (Issue) करती हैं।

1. समता अंश (Equity Shares)
2. पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)

13.2.1 **समता अंश** – कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, ''अंशों द्वारा सीमित किसी कम्पनी की दशा में समता अंश पूँजी वह है, जो पूर्वाधिकारी अंश पूँजी नहीं है।''

समता अंश पूँजी (Equity Share capital)

- समता अंश वह है, जो समता अंश पर लाभांश; कम्पनी के विभाजन योग्य लाभ में–से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद मिलता है।
- यदि लाभांश बांटने के बाद लाभांश नहीं बचता है, तो इन्हें (समता अंशधारियों को) कुछ भी (लाभांश) प्राप्त नहीं होता।
- इनकी लाभांश (Dividend Rate) की दर संचालकों के द्वारा निर्धारित की जाती है।
- समता अंशधारी कम्पनी के प्रबन्ध (Management) में सक्रिय भाग लेते हैं।
- समता अंशधारियों को मताधिकार (Voting Right) प्राप्त है।
- समता मताधिकार द्वारा संचालक मण्डल चुने जाते हैं।
- इन्हें ही वार्षिक सामान्य सभा के द्वारा कम्पनी नियंत्रण का कार्य दिया जाता है।
- ''समता अंशधारी, वास्तविक रूप से, कम्पनी के स्वामी होते हैं।''

13.2.2 **पूर्वाधिकार अंश** – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार, ''अंशों द्वारा सीमित किसी कम्पनी की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूँजी वह है, जो समता अंश पूँजी नहीं है।''

पूर्वाधिकार अंश पूँजी

- पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश के भुगतान प्राप्त करने में प्राथमिक/पूर्वाधिकार प्राप्त है।
- कम्पनी के समापन पर, पूँजी के भुगतान पर, प्राथमिक/पूर्वाधिकार प्राप्त।

- कम्पनी प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं।
- कम्पनी प्रबन्ध के सम्बन्ध में मत देने का अधिकार नहीं। विशेष स्थिति में मत का अधिकार।

13.3 पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार (Kinds of Preference Shares)

1. **संचयी पूर्वाधिकार अंश** (Cumulative Preference Shares)

इसके अन्तर्गत लाभांश का भुगतान किसी विशेष वर्ष में प्राप्त न होने पर आगामी वर्षों में समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान प्राप्त होने से पहले इस लाभांश का भुगतान होगा। कम्पनी अन्तर्नियम में स्पष्ट उल्लेख न होने पर संचयी पूर्वाधिकार अंश की स्थिति मानी जाती है। इन्हें लाभांश में प्राथमिक/पूर्वाधिकार के अधिकार के साथ ही लाभांश को संचित करने का अधिकार भी होता है।

2. **असंचयी पूर्वाधिकार अंश** (Non-Cumulative Preference Shares)

इन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं किया जाता। यदि कम्पनी लाभांश की घोषणा नहीं करती, तो फलतः बकाया लाभांश कालातीत हो जाता है। संचय नहीं किया जाता।

3. **परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश** (Convertible Preference Shares)

इन अंशों के धारकों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि वे चाहें तो एक निश्चित समय/अवधि के अन्दर अपने अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं।

4. **अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश** (Non-Convertible Preference Shares)

इनको परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशधारी के समान साधारण अंशों में, अपने अंश परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है।

5. **शोध्य पूर्वाधिकारी अंश** (Redeemable Preference Shares)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 में यह प्रावधान है कि यदि कम्पनी अन्तर्नियम में यह व्यवस्था है, तो कम्पनी के जीवनकाल में ही अंशों का शोधन कर दिया जायेगा।

6. **अशोध्य पूर्वाधिकार अंश** (Irredeemable Preference Shares)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ने इन अंशों के शोधन की व्यवस्था समाप्न कर दी है। इन अंशों का भुगतान कम्पनी के समापन पर किया जाता है। इन्हें केवल लाभांश का पूर्वाधिकार है।

7. **अतिरिक्ति लाभ–सहित पूर्वाधिकार अंश** (Participating Preference Shares)

इन अंशों पर निश्चित दर से लाभांश मिलता है, साथ ही, अतिरिक्त लाभ होने पर इन लाभों में–से हिस्सा भी मिलता है। अतिरिक्त लाभ का आशय लाभांश वितरण के बाद शेष बचे लाभ से है।

8. **अतिरिक्त लाभ–रहित पूर्वाधिकार अंश** (Non-Participating Preference Shares)

इन्हें केवल लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है। अतिरिक्त लाभ में–से इन्हें अतिरिक्त रूप से नहीं दिया जाता।

''भारत में इनमें से केवल शोध्य पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित (Issue) किये जाते हैं।''

13.4 अंश की प्रकृति व अंश पूंजी के प्रकार

अंश किसी कम्पनी की चल सम्पत्ति है। इन्हें एक अंशधारी द्वारा दूसरे को हस्तान्तरित किया जा सकता है। वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत अंशों को वस्तु माना गया है तथा अन्य वस्तुओं की भाँति इनका क्रय–विक्रय किया जा सकता है तथा इन्हें गिरवी भी रखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी में राशि अंशों के रूप में विनियोजित (Invest) करता है, उसे कम्पनी का अंशधारी कहते हैं।''

अंश पूँजी (Share Capital)

प्रत्येक कम्पनी को अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों को करने हेतु बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। कम्पनी यह पूँजी अंशों का निर्गमन करके प्राप्त करती है। अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूँजी को 'अंश पूँजी' कहते हैं।

अंश पूंजी के प्रकार (Kinds of Share Capital)

कम्पनी के स्थिति विवरण में अंश पूंजी को विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है । इन्हीं उपशीर्षकों के आधार पर अंश पूंजी के प्रकारों की व्याख्या की जाती है।

1. **अधिकृत पूंजी** (Authorized Capital) – इसे पंजीकृत पूंजी (Registered Capital) एवं नाममात्र पूंजी (Nominal Capital) भी कहते हैं। यह एक कम्पनी की अधिकतम पूंजी राशि होती है, जिसे एक कम्पनी अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में निर्गमित कर सकती है। इस राशि का स्पष्टीकरण कम्पनी के पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association) के पूंजी वाक्य (Capital Clause) के अन्तर्गत होता है। इसे (Authorized Capital) कम्पनी की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

जैसे – एक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूंजी A 20,00,000 है, जो A 10 प्रति अंश के 2,00,000 समता अंशों में विभाजित है। A 20,00,000 की अंश पूंजी को कम्पनी की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) कहा जायेगा।

2. **निर्गमित पूंजी** (Issued Capital) – कम्पनी अधिकृत पूंजी में से जितनी पूंजी जनता द्वारा क्रय किये जाने के लिए प्रस्तावित करती है, इसे निर्गमित पूंजी (Issued Capital) कहते हैं।

जैसे – कम्पनी अपने 2,00,000 अंशों में से 1,00,000 अंश जनता के लिए आमंत्रित करती है, तो निर्गमित पूंजी (1,00,000 × A 10) A 10,00,000 (निर्गमित पूंजी) होगी।

3. **अनिर्गमित पूंजी** (Unissued Capital) – अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय करने के लिए आमंत्रित/प्रस्तावित नहीं किया जाता, उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जारी किया जायेगा।

4. **प्रार्थित पूंजी** (Subscribed Capital) – निर्गमित पूंजी का वह भाग, जिसको लेने/क्रय करने के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं।

जैसे – निर्गमित पूंजी A 10,00,000 है और जनता से केवल 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रार्थित पूंजी A 9,00,000 होगी। (90,000 shares times A 10)

5. **याचित पूंजी** (Called-up Capital) – संचालकों द्वारा सम्पूर्ण राशि/अंश के अंकित मूल्य को एक साथ न मँगवा कर धीरे–धीरे किश्तों (Installment) में मंगवाया जाता है। अतः प्रति अंश के हिसाब से जो राशि मंगवा ली जाती है, उसे याचित पूंजी कहते हैं।

जैसे – A 10 अंश मूल्य के स्थान पर A 6 ही मंगवाये जायें, तो याचित राशि A 5,40,000 होगी। (90,000 shares times A 6)

6. **चुकता पूंजी** (Paid-up Capital) – याचित पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाये, उसे चुकता पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी में–से जिस भाग का अंशधारी भुगतान नहीं कर पाते, उसे अदत्त याचना (Calls-in-Arrears) कहते हैं।

जैसे – अदत्त याचना – एक अंशधारक, जिसके पास 2,000 अंश हैं, वह A 4 प्रति अंश की याचना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो (2,000 shares times A 4) 8,000 अदत्त याचना राशि कहलायेगी।

चुकता पूंजी – अदत्त याचना को कम कर के जो राशि शेष बचेगी, वह चुकता पूंजी होगी।

जैसे– A 5,40,000 – A 8,000 = A 5,32,000 चुकता पूंजी है।

7. **अग्रिम याचना राशि** (Calls-in-Advance) – यदि कोई अंशधारक अपने अंशों पर बकाया (Balance) राशि का अग्रिम भुगतान (Advance Payment) कर देता है, तो इस प्रकार प्राप्त राशि को अग्रिम याचना राशि कहते हैं। इसे अंश पूंजी में अलग से दर्शाया जाता है।

8. **आरक्षित या संचित पूंजी** (Reserve Capital) – कम्पनी अधिनियम की धारा 99 के अनुसार कम्पनी विशेष प्रस्ताव पास करके अनिर्गमित पूंजी (Unissued Capital) के किसी निश्चित भाग को कम्पनी के समापन की दशा को छोड़कर, अन्य किसी भी दशा में, नहीं मंगवाया जा सकेगा। संचित पूंजी (Reserve Capital) केवल कम्पनी के समापन पर ही मांगी जायेगी।

अनिर्गमित पूंजी का वह हिस्सा, जिसे संचय नहीं माना गया है, वह जनता को निर्गमित (Issue) करने के लिए उपलब्ध रहता है। आवश्यकता होने पर इस अनिर्गमित पूंजी को जनता को निर्गमित किया जा सकता है।

अंश पूंजी का स्थिति विवरण में प्रकटीकरण

(Disclosure of Share Capital in the Balance Sheet)

Balance Sheet of a Company
(as on ....)

Liabilities	Amount A	Assets	Amount A
Share Capital :		Cash at Bank	5,32,000
Authorized Capital :			
(2,00,000 Shares of A 10 each)	20,00,000		
Issued Capital :			
(1,00,000 Shares of A 10 each)	10,00,000		
Subscribed Capital :			
(90,000 Shares of A 10 each)	9,00,000		
Called-up Capital :			
(90,000 Shares of A 10 each A 6 per share called-up)	5,40,000		
Paid-up Capital :			

90,000 Shares of A 10 each A 8 per share called-up 5,40,000 **Less :** Calls in Arrears (2,000×4) 8,000 **Add :** Calls in Advance A/c Share forfeiture A/c	 5,32,000 - - - - - - - - - - - -		
	5,32,000		5,32,000

13.5 अंशों के निर्गमन का ढंग व अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ

कम्पनी के अंशों का निर्गमन निम्नलिखित तरीकों/ढंगों (Modes) से किया जा सकता है।

1. **नकद के लिए** (For cash) – अंशों की निजी व्यवस्था (Private Placement) के द्वारा निर्गमन करना।
2. **नकद के लिए** (For Cash) – जनता के द्वारा अंशों का अभिदान करके अंश निर्गमित करना (By Public subscription of Shares)
3. **नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए** (For consideration other than Cash) – पूर्णदत्त (Fully paid share) द्वारा अंशों का निर्गमन करके।
4. **अंश जारी किया जा सकता है** (Share may be Issued) – अंश को सममूल्य (Par Value) या अधिमूल्य (Premium Value) या छूट पर निर्गमित किया जा सकता है।
5. **निर्गमित मूल्य का अर्थ** – निर्गमित मूल्य का अर्थ अंश के उस मूल्य से है, जिस मूल्य पर अंश जारी किये जाते हैं। जैसे – A 10,000 के अंश पूंजी वाली कम्पनी 1,000 अंश A 10 मूल्य से निर्गमित करती है, तो A 10 निर्गमन मूल्य होगा।
6. **निर्गमित मूल्य देय होता है** – निर्गमित मूल्य को कम्पनी द्वारा किस्तों में/विभिन्न चरणों में (आंशिक रूप में आवेदन, आबंटन, प्रथम तथा द्वितीय याचना पर) या एकमुश्त देय होता है।
7. **प्रति अंश मूल्य का अर्थ** – अंश का अंकित या नाममात्र मूल्य का अर्थ प्रति अंश मूल्य से लगाया जाता है। जैसे – A 1, A 2, A 5, A 10, A 20, A 25, A 30, A 50 आदि।
8. **अंश पूंजी का विस्तार** –
   i. अधिकार अंशों का निर्गमन
   ii. अंशों की निजी व्यवस्था द्वारा,
   iii. जनता को अंशों का निर्गमन करके,
   iv. (ESOP) कर्मचारी स्कन्ध (Stock/Inventory) विकल्प योजना द्वारा।

अंशों की निजी व्यवस्था (Private Placement of Shares)

वह निर्गमन, जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है, बल्कि कुछ चुने हुए लोगों/व्यक्तियों के समूह को जारी किया जाता है, उसे अंशों की चुने हुए व्यक्तियों के समूह द्वारा निर्गमन या अंशों की निजी व्यवस्था कहते हैं। जैसे – बैंक, जीवन बीमा निगम आदि।

निर्गमन प्रक्रिया –

- विशेष प्रस्ताव पारित करना।

- विशेष प्रस्ताव की अनुपस्थिति/अभाव में केन्द्र सरकार के समकक्ष कम्पनी संचालकों को आबंटन देकर कम्पनी हित में अनुमति लेनी चाहिये।
- अधिमानी आबंटन के SEBI से सम्बन्धित नियम/निर्देश मान्य/लागू होंगे।
- **बन्द अवधि** – अंशों को बेचने का अधिकार, निजी व्यवस्था के अन्तर्गत आबंटन की तिथि से न्यूनतम 3 वर्षों के अन्तर्गत आबंटिती (Allottees) को नहीं होता। इस समय को बन्द अवधि (Lock-in-Period) कहते हैं।
- **लेखांकन अवधि** – अंशों का लेखांकन, जनता द्वारा अभिदान की तरह ही निजी व्यवस्था के अन्तर्गत भी किया जाता है।

अंश पूंजी का जनता को अभिदान (Public Subscription of Share Capital)

Procedure of Issue of Shares

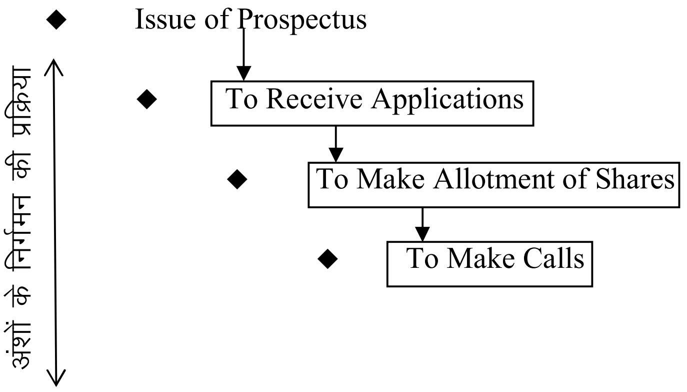

1. **प्रविवरण निर्गमन करना** (Issue of Prospectus) – पूंजी निर्गमन के लिए सर्वप्रथम कम्पनी द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है। प्रविवरण जनता को अंश क्रय करने के लिए एक आमंत्रण है, जिसमें कम्पनी का नाम, उद्देश्य, सीमा नियम, अंतर्नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पता, व्यवसाय, अधिकृत, निर्गमित अंश पूंजी, अंशों का नाम आदि का उल्लेख/विवरण होता है। इन सभी विवरणों को पढ़कर जनता अंश क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है।
2. **आवेदन पत्रों की प्राप्ति** (To Receive Applications) – कम्पनी के अंशों को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र होता है, जिसे आवेदक पूर्णरूप से भरकर बैंक ड्राफ्ट के साथ कम्पनी के पते पर भेज देता है। कम्पनी बैंक ड्राफ्ट को प्रविवरण में उल्लेखित बैंक में जमा कर देती है। आबंटन की कार्यवाही पूरे होने पर ही इस राशि का प्रयोग कम्पनी द्वारा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट (आवेदन की राशि) प्रविवरण में उल्लेखित होती है।
3. **अंशों का आबंटन** – आवेदन प्राप्त करने के बाद आबंटन किया जाता है। निजी कम्पनी के लिए आबंटन से सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में न्यूनतम अभिदान (प्रविवरण में उल्लेखित राशि) आवश्यक रूप से प्राप्त होना महत्वपूर्ण है।
4. **याचनायें करना** (To Make Calls) – कम्पनी किस्तों/याचनाओं के रूप में राशि को मांगती है। संचालक सभा में याचनाओं की संख्या, याचनाओं

की राशि तथा याचना का समय निर्धारित होता है। याचनायें पार्षद अन्तर्नियम के अनुसार मंगायी जाती है। यदि पार्षद अन्तर्नियम मूक है, अर्थात् उल्लेखित नहीं है, तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की तालिका 'F' (Table F) के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

तालिका **'F'** (Table F)

1. याचना राशि (Calls) अंश के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. दो याचनाओं के मध्य कम–से–कम एक माह का अंतर।
3. याचना राशि के भुगतान के लिए कम–से–कम चौदह दिन का समय।
4. याचना पत्र में याचना राशि, भुगतान का ढंग, राशि जमा करने वाले बैंक का नाम, राशि की अंतिम तिथि का उल्लेख।
5. समान श्रेणी के सभी अंशों पर मांग को एक समान आधार पर मांगा जाना चाहिये।

अंशों के निर्गमन की शर्तें या प्रकार

1. **सममूल्य पर** (At Par) – जब कम्पनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य (Face Value) पर करती है, तो इसे सममूल्य पर निर्गमन करना कहते हैं। जैसे A 10 के अंश को A 10 में निर्गमित करना (10 अंकित मूल्य)।
2. **प्रीमियम पर** (At Premium) – जब कम्पनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है, तो इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जैसे – A 10 के अंश को A 12 में निर्गमित करना।
3. **कटौती या बट्टा** (At Discount) – जब कम्पनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, तो इसे बट्टा या कटौती पर निर्गमन करना कहते हैं। जैसे – A 10 के अंश को A 9 पर निर्गमित करना।
4. **भुगतान की शर्तें या प्रकार** – कम्पनी अंशों की पूरी राशि एक साथ या छोटी–छोटी अनेक किस्तों में मंगवा सकती है। कम्पनी अंशों की बकाया राशि पर ब्याज भी लगा सकती है तथा अदत्त होने पर जब्त भी कर सकती है।

अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ (Entries on Issue of Shares)

1. आवेदन के समय

Bank A/c ...Dr.

To Share Application A/c

(Being application money received on .... shares @ A ....)

Share Application A/c ...Dr.

To Share Capital A/c

(Being application money transferred to share capital A/c)

2. आबंटन के समय

Share Allotment A/c ...Dr.

To Share Capital A/c

(Being allotment due on .... shares @ A.............)

Bank A/c ...Dr.
To Share Allotment A/c
(Being Allotment money received)

3. याचना के समय

Share First and Final Call A/c ...Dr.
To Share Capital A/c
(Being First and Final call money due on .... shares @ A ....)

Bank A/c ...Dr.
To Share First and Final call A/c
(Being First and Final call money received)

4. सममूल्य पर निर्गमन

Bank A/c ...Dr.
To Share Capital A/c
(Being ...... share of A ..... per share issued at Par as fully paid)

5. प्रीमियम पर निर्गमन

Bank A/c ...Dr.
To Premium on Issue of Shares A/c
To Share Capital A/c
(Being ...... share of A ..... per share issued at a premium of A...... per share as fully paid)

6. कटौती पर निर्गमन

Bank A/c ...Dr.
Discount A/c / Discount on Issue of Shares A/c ...Dr.
To Share Capital A/c
(Being .... share of A...... per share issued at a discount of A....... per share as fully paid)

प्रवर्तकों को अंशों का निर्ममन (Issue of Shares to Promoters)

फर्म या कम्पनियों को प्रवर्तित करने वाले व्यक्ति प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तकों के परिश्रम के कारण ही कम्पनी का निर्माण सम्भव होता है। अर्थात् कम्पनी की ख्याति बनती है। इनका कार्य कम्पनी स्थापना से लेकर तकनीक, शोध, विकास, प्रबन्ध, प्लाण्ट की व्यवस्था करना आदि होता है। इन्हें इनकी इन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक के रूप में अंश दिये जाते हैं।

1. प्रवर्तकों को सममूल्य पर अंशों का निर्गमन

Formation Expenses/Goodwill A/c ...Dr.
To Share Capital A/c
(Being share issued to Promoters)

2. प्रवर्तकों को प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन

Formation Expenses/Goodwill A/c ...Dr.
To Premium on Issue of Share A/c
To Share Capital A/c
(Being .... shares of A.......... per share issued at a premium of A........... per share to promoters as fully paid for their services)

3. प्रवर्तकों को कटौती पर अंशों का निर्गमन

Formation Expenses/Goodwill A/c ...Dr.
Discount on Issue of Shares A/c ...Dr.

To Share Capital A/c

(Being .... shares of A........ per share issued at a discount of A.......... per share to promoters as fully paid for their services)

अंशों के निर्गमन पर व्यय (Expenses on Issue of Shares)

कम्पनी की स्थापना करते समय अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। कम्पनी स्थापना पर किये गये व्ययों को प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses) कहते हैं। जैसे –

1. कम्पनी के रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रलेखों, छपायी पर व्यय,
2. प्रलेखों पर लगायी गयी स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस,
3. सार्वमुद्रा की लागत,
4. अभिगोपकों (Underwriters) का कमीशन,
5. अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी,
6. प्रविवरण, छपाई, निर्गमन के व्यय आदि।

प्रविष्टियाँ

Preliminary Expenses A/c ...Dr.

To Bank A/c

(Being Preliminary Expenses made on Formation of Company)

अंशों के निर्गमन पर व्यय प्रविष्टि

Expenses on Issue of Shares A/c ...Dr.

To Bank A/c

(Being expenses made on issue of shares)

अदत्त याचनायें (Calls-in-Arrears)

याचित पूंजी का वह भाग, जो अंशधारियों द्वारा भुगतान तिथि पर देय नहीं किया जाता, उसे मांग पर बकाया या अदत्त याचना कहते हैं।

याचना पर अदत्त राशि = आवंटित अंश × याचना पर देय राशि

इसकी दो विधियाँ हैं –

1. मांग पर बकाया खाता न खोला जाये,
2. मांग पर बकाया खाता खोला जाये।

1. **मांग पर बकाया खाता खोला जाये** – इस विधि में मांग पर बकाया हेतु अलग से 'अदत्त याचना खाता' खोला जाता है। यदि आबंटर या किसी याचना पर कोई राशि अदत्त शेष रह जाती है, तो इस खाते को अदत्त राशि से डेबिट तथा सम्बन्धित याचना खाते को क्रेडिट किया जाता है।

प्रविष्टियाँ –

(i) **मांग का बकाया होना**

Calls-in-Arrears A/c ...Dr.

To Share.......Calls A/c

(Being calls-in-arrears on .... shares @ A............ each)

(ii) **मांग पर बकाया राशि की प्राप्ति होना**

Bank A/c ...Dr.

To calls-in-arrears A/c

(Being amount of calls in arrears received on......shares @ A........... each)

2. **मांग पर बकाया खाता न खोला जाये** – प्रायः अदत्त याचना के लिए अलग से खाता नहीं खोला जाता है, क्योंकि जब तक याचना राशि पूरी

प्राप्त नहीं हो जाती, डेबिट शेष बचा रहता है। इस राशि को याचित पूंजी (Called-up-Capital) में–से घटाया जाता है तथा शेष राशि चुकता पूंजी (Paid-up-Capital) रह जाती है। प्रायः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है।

मांग पर बकाया राशि पर ब्याज (Interest on Calls in Arrears)

कम्पनी यह प्रावधान अपने अन्तर्नियम में कर सकती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के Table F के अनुसार ब्याज की दर 10% वार्षिक या संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित इससे (10% से) कम दर होगी। संचालक मण्डल द्वारा इस ब्याज को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है।

प्रविष्टियाँ

(i) जब ब्याज देय है –

Shareholders A/c ...Dr.
To Interest on Call-in-Arrears A/s
(Being Interest due)

(ii) जब ब्याज प्राप्त होता है –

Bank A/c ...Dr.
To Shareholders A/c
(Being Interest received)

(iii) जब ब्याज, लाभ–हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है–

Interest on Calls-in-Arrears A/c ...Dr.
To Statement of Profit and Loss A/c
(Being Interest transferred to Statement of Profit and Loss A/c)

अग्रिम याचना का भुगतान (Calls Paid in Advance)

कभी–कभी अंशधारक कम्पनी के बिना मांगे याचना की राशि का अग्रिम भुगतान कर देते हैं। यदि कम्पनी अन्तर्नियम इसकी अनुमति देते हैं, तो यह भुगतान समय से पहले आवेदन, आबंटन या याचनाओं के साथ किया जाता है। इसे अग्रिम याचना का भुगतान (Calls Paid in Advance) कहते हैं।

प्रविष्टियाँ –

(i) अग्रिम याचना का भुगतान

Bank A/c ...Dr.
To Calls in Advance A/c
(Being call money received in advance)

(ii) समायोजन करने पर

Calls in Advance A/c ...Dr.
To Share call A/c
(Being call money received)

(iii) अग्रिम याचना पर ब्याज – कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ब्याज की दर 12% से अधिक नहीं हो सकती।

(iv) जब ब्याज देय हो –

Interest on calls-in-advance A/c ...Dr.
To Shareholders A/c
(Being Interest due but not paid)

(v) जब ब्याज का भुगतान किया जाता है

Shareholders A/c ...Dr.
To Bank A/c
(Being interest paid)

(vi) **जब ब्याज को लाभ–हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है**
Statement of Profit and Loss A/c ...Dr.
To interest on Calls-in-Advance A/c
(Being Interest transferred to statement of Profit and Loss A/c)

13.6 अंशों का अति–अभिदान व अंशों का हरण (Over-subscription of Shares & Forfeiture of Shares)

जब किसी कम्पनी को जनता को प्रस्तावित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति को अंशों का अति–अभिदान कहते हैं।

जैसे – एक कम्पनी जनता को 2,00,000 अंशों का निर्गमन करती है और जनता से 2,45,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। यह अंशों के अति–अभिदान की स्थिति है।

अति अभिदान राशि का प्रयोग (Utilization of Amount of Over-subscription)

इसके प्रयोग के तीन विकल्प हो सकते हैं –

1. **पूर्ण आबंटन और आधिक्य आवेदनों की पूर्णतः अस्वीकृति** – कुछ आवेदनों को पूर्णतः स्वीकृति देना तथा आधिक्य राशि को पूर्णतः अस्वीकार कर सम्पूर्ण राशि पूर्ण रूप से वापस कर देना इस विकल्प के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।
2. **सभी आवेदकों को समानुपातिक आबंटन** – ऐसी स्थिति में आवेदनों पर प्राप्त अधिक राशि का समायोजन आबंटन पर देय राशि के साथ किया जाता है। यदि आवेदनों पर प्राप्त आधिक्य राशि अंशों के आबंटन पर देय राशि से अधिक होती है, तो इसे वापस कर दिया जाता है या Calls-in-Advance Account में क्रेडिट कर दिया जाता है।
3. **दोनों विकल्पों का संयोजन** – दोनों विधियों/विकल्पों को संयुक्त रूप में प्रयोग करना।

अंशों का अल्प–अभिदान (Under-subscription of Shares)

जब कम्पनी द्वारा जनता को आमंत्रित अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इसे अंशों का अल्प अभिदान कहते हैं। जैसे – कम्पनी द्वारा जनता को 20,000 अंशों के लिए आमंत्रित किया गया, परन्तु जनता से 19,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। इस स्थिति में 19,000 अंशों पर आबंटन दिया जायेगा।

अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन (Issue of Shares at Premium)

जब अंशों को कम्पनी द्वारा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जैसे – अंश का अंकित मूल्य A 100 है। इसे A 125 में जारी किया गया है, तो A 125 – A 100 = A 25 प्रीमियम राशि है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रीमियम राशि को Securities Premium Reserve में जमा किया जाता है। यह नाममात्र का खाता है। यह हमेशा जमा शेष दिखाता है।

अधिमूल्य (Premium) का प्रयोग

- कम्पनी के सदस्यों में पूर्णदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए;

- प्रारम्भिक व्ययों के लिए;
- कम्पनी अंश, ऋणपत्रों के व्ययों, कमीशन, छूट के लिए;
- शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के लिए;
- ऋणपत्रों के शोधन पर भुगतान के लिए;
- धारा 68 के अन्तर्गत स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए;

प्रविष्टियाँ –

(i) **प्रीमियम सहित आबंटन की राशि देय होने पर**

Share Allotment A/c ...Dr.

To Share Capital A/c

To Securities Premium Reserve A/c

(Being share allotment money due on ..... shares @ A.....each including premium @ A..... each)

(ii) **प्रीमियम सहित आबंटन की राशि प्राप्त होने पर**

Bank A/c ...Dr.

To Share Allotment A/c

(Being share allotment money received)

अंशों का कटौती पर निर्गमन (Issue of Shares at Discount)

जब कम्पनी द्वारा अंशों के अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों को निर्गमित किया जाता है, तो इसे अंशों का कटौती पर निर्गमन कहते हैं। जैसे – अंश का अंकित मूल्य A 100 है। इसे A 90 में निर्गमित किया जाता है, तो A 100 – A 90 = A 10 कटौती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 के अनुसार कटौती पर निर्गमन हेतु निम्न प्रावधान हैं –

प्रावधान –

- धारा 54 में वर्णित स्वैट अंशों के अतिरिक्त कटौती पर निर्गमन नहीं;
- कटौती मूल्य पर निर्गमन व्यर्थ;
- उल्लंघन पर दण्ड/जुर्माना;
- दण्ड राशि कम–से–कम 1 लाख से कम नहीं तथा 5 लाख से अधिक नहीं;
- 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों।

  अब कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। यह दण्डनीय/प्रतिबंधनीय है।

अंशों का हरण (Forteiture of Shares)

अंश हरण का अर्थ आबंटन को रद्द करना है। जब निर्धारित समय पर आबंटन की राशि और याचित राशियों को न देने के कारण कम्पनी द्वारा अंशधारियों का नाम हटा दिया जाता है तथा अंशधारियों से प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाता है, तब कम्पनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर अंशों की प्राप्त राशि को जब्त कर सकती है।

अंश हरण की प्रक्रिया – कम्पनी अधिनियम, 2013 की Table F के 28 से 34 प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है –

- निर्धारित तिथि पर भुगतान न करने पर संचालक मण्डल द्वारा नोटिस जारी करना। इस नोटिस में ब्याज सहित भुगतान राशि को भुगतान करने का आदेश होता है।
- नोटिस में भुगतान की तिथि बतायी जाती है तथा भुगतान न करने पर अंश जब्त की बात कही जाती है। भुगतान तिथि नोटिस मिलने के 14 दिन की समाप्ति से पहले नहीं हो सकती।
- इस नोटिस का पालन न करने पर संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा अंशों का हरण किया जायेगा।
- हरण किये अंशों को बेचा या निपटारा किया जा सकता है। विक्रय से पूर्व उन शर्तों पर, जिन्हें उपयुक्त समझा जाये, अंश हरण को निरस्त किया जा सकता है।
- जिस अंशधारी के अंश जब्त किये गये हैं, उसकी कम्पनी सदस्यता समाप्त हो जाती है, परन्तु अंशों पर बकाया राशि के सम्बन्ध में उसका (अंशधारी) दायित्व जब्त अंश की बकाया राशि प्राप्त होने तक बना रहता है।

अंशों के हरण के प्रभाव (Effects of Forfeiture of Shares)

- हरण अंशों के अंशधारक का नाम सदस्यता रजिस्टर से हटा दिया जाता हैं
- अंशधारक अंशों पर अपना अधिकार खो देते हैं। अब वे अंशधारी नहीं रहते।
- अंशों को रद्द कर दिया जाता है। इससे अंश पूंजी में कमी आती है। अंशधारियों द्वारा दी गई राशि जब्त कर ली जाती है। राशि वापस नहीं की जाती।
- अंशों को हरण की प्रविष्टि, अंशों पर मांगी राशि से Share Capital Account को डेबिट किया जाता है।

लेखांकन व्यवहार (Accounting Treatment)

1. **सममूल्य पर निर्गमित अंशों को जब्त करना**

 Share Capital Account ...Dr. (No. of Share Forfeited × Amt. Called-up)
  To Share Allotment A/c (Amount not paid on Allotment)
  To Share Calls A/c (Amount not paid on calls)
  To Share Forfeiture A/c (Total Amount paid already)
 (Being share forfeited for non-payment of Allotment and Calls)

2. **प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को जब्त करना** – जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों को जब्त किया जाये –

 Share Capital A/c...Dr. (Amt. called up so far)
 Securities Premium Reserve A/c ...Dr.
  To Forfeiture Share A/c
  To Share Allotment A/c
  To Share Calls A/c
 (Being .... share forfeited for non-payment of allotment and calls)

3. **अंश हरण खाते को पूंजी खाते में हस्तांतरित करना**

Share forfeiture A/c ...Dr.
To Capital Reserve A/c
(Being profit on re-issue transfer to Capital Rreserve Account)

13.7 अंशों का आनुपातिक आबंटन व अंशों का समर्पण (Pro-Rata Allotment of Shares & Surrender of Shares)

कभी–कभी कम्पनी द्वारा जनता को निर्गमित अंशों के लिए आवश्यकता से अधिक आवेदन आ जाते हैं। इन्हें पूर्णतः स्वीकृत करना अर्थात् अंश आबंटित करना सम्भव नहीं हो पाता। अतः इन अंशों पर आबंटन SEBI द्वारा विकल्पित दो विधियों द्वारा किया जाता है –

1. सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से आबंटन;
2. कम्पनी द्वारा कुछ आवेदकों को पूर्णतः स्वीकृति
   - कुछ आवेदकों को पूर्णतः अस्वीकृति;
   - (कुछ) बाकी/शेष आवेदकों को आनुपातिक आबंटन

आनुपातिक आबंटन – आवेदकों को आनुपातिक रूप में, अंशों का आबंटन, आनुपातिक आबंटन कहलाता है। अतिः अभिदान होने पर आनुपातिक आबंटन किया जाता है।

आनुपातिक आबंटन की गणना

a. आबंटित अंशों की संख्या

$$= \frac{\text{आनुपातिक अनुपात के द्वारा आबंटित अंश}}{\text{आनुपातिक अनुपात के द्वारा आवेदित अंश}} \times \text{आवेदित अंशों की संख्या}$$

b. आवेदित अंशों की संख्या

$$= \frac{\text{आनुपातिक अनुपात के द्वारा आवेदित अंश}}{\text{आनुपातिक अनुपात के द्वारा आबंटित अंश}} \times \text{आबंटित अंशों की संख्या}$$

c. आनुपातिक अंशधारियों से आबंटन की अप्राप्य राशि की गणना

आबंटन पर अप्राप्य राशि = आबंटन पर देय राशि – आवेदन पर प्राप्य आधिक्य राशि

(Amount not received on allotment = Amount due on allotment – Excess Amount received)

d. आनुपातिक रूप से आबंटित अंशधारियों से मांग की अप्राप्त राशि की गणना

याचना पर अप्राप्त राशि = आबंटित अंश × याचना पर देय राशि

(Amount no recieved = Allotted sharess × Amount due on calls)

जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों को जब्त किया जाये – यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो, तो Securities Premium Reserve Account को डेबिट या क्रेडिट या Forfeited Share Account में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। कम्पनी अधिनियम, 2013 इसकी अनुमति नहीं देता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रीमियम की राशि का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

अंशों का समर्पण (Surrender of Shares)

कम्पनी का कोई अंशधारी जब स्वयं अपने अंशों पर भुगतान न करने/न कर पाने की स्थिति को महसूस करता है और स्वयं स्वेच्छा से कम्पनी को अपने अंश समर्पित करता है। रद्द करने परन्तु स्वेच्छा से, की स्थिति अंशों का समर्पण कहलाती है। इसमें अंशों के हरण/जब्त की भांति प्रविष्टियाँ की जाती हैं। अंशों को पुनः निर्गमित हरण अंशों की तरह किया जाता है।

हरण किये गये अंशों का पुनः निर्गमन (Reissue of Forfeited Shares)

अंशधारियों के अंशों को जब्त करने के उपरान्त, हरण किये गये अंश कम्पनी की सम्पत्ति हो जाते है। पार्षद अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुसार इन अंशों को पुनः निर्गमित करना कम्पनी अधिकार के अन्तर्गत आता है।

प्रावधान –

- यदि हरण अंश सममूल्य पर निर्गमित हो, तो इन्हें कटौती (Discount) पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। कटौती हरण राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। जैसे – A 100 के अंश को A 96 प्राप्त होने के बाद जब्त किया गया, तो पुनः निर्गमन A 96 से अधिक कटौती पर नहीं किया जा सकता।
- यदि हरण अंश प्रीमियम पर निर्गमित थे, तो पुनः निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम नहीं लिखा जायेगा। परन्तु यदि हरण प्रीमियम राशि की प्राप्ति होने से पहले हुआ हो, तो पुनः निर्गमन पर इसकी प्राप्ति का लेखा होगा।
- पूंजीगत लाभ Forfeited Shares Account का क्रेडिट शेष पूंजीगत लाभ है। इस खाते को Capital Reserve Account में हस्तान्तरित किया जाता है।

लेखांकन प्रविष्टियाँ –

हरण अंशों का सममूल्य पर पुनः निर्गमन

Bank A/c ...Dr. (with amount received)
    To Share Capital A/c (Called-up Value)
(Being forfeited share reissued @ A.... each at Par)

हरण अंशों का प्रीमियम पर पुनःनिर्गमन

Bank A/c ...Dr. (with amount received)
    To Share Capital A/c (Called-up value)
    To Securities Premium Reserve A/c (Premium Amount)
(Being ..... forfeited shares reissued @ A..... each including premium)

हरण अंशों को कटौती पर पुनःनिर्गमन

Bank A/c ...Dr. (with amount received)
Share Forefeiture A/c ...Dr. (discount on re-issue)
    To Share Capital A/c (Called-up value)
(Being ..... share forfeited reissued @ A..... each at a discount of A.... each)

उदाहरण–1

ABC Ltd. issued 10,000 shares of A 10 each. Pass Journal Entries when :

a. shares are issued at par;
b. shares are issued at 20% premium;
c. shares are issued at 10% discount.

हल-1

Journal Entries of ABC Ltd.

Date	Particulars	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
1.	Bank A/c To Share Capital A/c (Being shares issued for cash at par)	1,00,000	 1,00,000
2	Bank A/c To Share Capiral A/c To Securities Premium A/c (Being shares issued for cash at premium of 20%)	1,20,000	 1,00,000 20,000
3	Bank A/c Discount A/c To Share Capital A/c (Being shares issued at a discount of 10%)	90,000 10,000	 1,00,000

उदाहरण–2

Rohan Ltd. issued 20,000 shares of A 20 each, payable A 10 on application and allotment, A 6 on first call and A 4 on final call. All shares were applied and fully subscribed. Pass Journal Entries.

हल-2

Journal Entries of Rohan Ltd.

Date	Particulars	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c To Share Application & Allotment A/c (Being application and allotment money on 20,000 shares @ A 10 per share received)	2,00,000	 2,00,000
	Share Application & Allotment A/c To Share Capital A/c (Being application & allotment money on 20,000 share transferred to share capital A/c)	2,00,000	 2,00,000
	Share First Call A/c To Share Capital A/c (Being first call money on 20,000 shares @ A 6 per share made due)	1,20,000	 1,20,000
	Bank A/c To Share First Call A/c (Being first call money on 20,000 shares @ A 6 per share received)	1,20,000	 1,20,000
	Share Second & Final Call A/c To Share Capital A/c (Being final call money on 20,000 shares @ A 4 per share	80,000	 80,000

	made due)		
	Bank A/c To Share Second & Final call A/c (Being final call money on 20,000 shares @ A 4 per share received)	80,000	80,000

उदाहरण–3

Aalip Ltd. Company issued 15,000 equity shares of A 20 each and 30,000; 10% preference shares of A 20 each, payable as follows :

	Equity Shares	Pref. Shares
On Application	A 4	A 6
On Allotment	A 4	A 6
On First Call	A 8	A 4
On Final Call	A 4	A 4

All these shares were subscribed and all money due were received. Journalize these transactions in the books of Aalip Ltd. Company. Also prepare Balance Sheet.

हल -3

Aalip Ltd.
Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c To 10% Preference Share Application A/c (Being Preference Share application money received on 30,000, 10% preference shares)		1,80,000	1,80,000
	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being equity share application money received on 15,000 shares)		60,000	60,000
	10% Preference Share Allotment A/c To 10% Share Capital A/c (Being allotment money due on preference shares)		1,80,000	1,80,000
	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c (Being allotment money due on equity shares)		60,000	60,000
	Bank A/c To 10% Preference Share Allotment A/c (Being preference share allotment money received)		1,80,000	1,80,000

	Bank A/c To Equity Share Allotment A/c (Being equity share allotment money received)		60,000	60,000
	10% Pref. Share First Call A/c To 10% Pref. Share Capital A/c (Being first call money due on preference shares)		1,20,000	1,20,000
	Equity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being first call money due on equity shares)		1,20,000	1,20,000
	Bank A/c To 10% Pref. Share First Call A/c (Being first call pref. share money received)		1,20,000	1,20,000
	Bank A/c To Equity Share First Call A/c (Being first call equity share money received)		1,20,000 1,20,000	1,20,000 1,20,000
	10% Pref. Share Final Call A/c To 10% Pref. Share Capital A/c (Being final call money due on pref. share)		60,000	60,000
	Equity Share Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being final call money due on equity shares)		1,20,000	1,20,000
	Bank A/c To 10% Pref. Share Final Call A/c (Being amount received on final call)		60,000	60,000
	Bank A/c To Equity Share Capital A/c (Being amount received on final call)			

Balance Sheet
(as at ....)

Particulars	Note No.	Amount (A)
I. EQUITY AND LIABILITIES Shareholders' fund : Share Capital	1.	9,00,000
II. ASSETS : Current Assets : Cash and Cash Equivalents		9,00,000

Notes to Accounts :

Particulars	Amount (A)
I. Share Capital	

Authorized Capital	----
Issued Share Capital	
30,000, 10% Preference Shares of A 20 each	6,00,000
15,000 Equity Shares of A 20 each	3,00,000
	9,00,000
Subscribed Share Capital :	
Subscribed and Fully Paid-up :	
30,000, 10% Preference Shares of A 20 each	6,00,000
15,000 Equity Shares of A 20 each	3,00,000
	9,00,000

उदाहरण–4

XYZ Ltd. issued 20,000 equity shares of A 100 each payable as follows :

A 30 (On Application)

A 20 (on Allotment)

A 25 (on First Call)

A 25 (on Second And Final Call)

Applications were received for 25,000 shares. Directors of the company rejected 5,000 applications and returned money to the applicants of these shares. All the sums were duly received. Pass necessay Journal Entries.

हल -4

In the Books of XYZ Ltd.
Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being share application money received on 25,000 shares @ A 30 per share)		7,50,000	7,50,000
	Equity Share Application A/c To Bank A/c (Being excess share application money refunded on 5,000 shares @ A 30 per share)		1,50,000	1,50,000
	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c (Being share application money received on 20,000 shares @ A 30 per share transferred to equity share capital account)		6,00,000	6,00,000
	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c (Being share allotment money due on 20,000 shares @ A 20 per share)		4,00,000	4,00,000
			4,00,000	

	Bank A/c To Equity Share Allotment A/c (Being share allotment money received on 20,000 shares @ A 20 per share)		5,00,000	4,00,000 5,00,000
	Equity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being share first call money due on 20,000 shares @ A 25 per share)		5,00,000	5,00,000
	Bank A/c To Equity Share First Call A/c (Being share first call money received on 20,000 shares @ A 25 per share)		5,00,000	5,00,000
	Equity Share Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being share final call money due on 20,000 shares @ A 25 per share)		5,00,000	5,00,000
	Bank A/c To Equity Share Final Call A/c (Being share final call money received on 20,000 shares @ A 25 per share)			

उदाहरण–5

Aabha Ltd. issued 16,000 equity shares of A 100 each at a premium of A 60 per share, payable as :

On Application A 20 (A 10 for premium)
On Allotment A 50 (A 30 for premium)
On First and Final Calls A 90 (A 20 for premium)

Applications were received for 21,000 shares. Applicants for 4,000 shares were adjusted to allotment and balance shares refunded. Pass the Journal Entries.

हल -5

In the Books of Aabha Ltd.
Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being share application money received on 21,000 shares @ A 20 per share)		4,20,000	4,20,000
	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c		4,20,000	1,60,000

	To Securities Premium Reserve A/c			1,60,000 80,000
	To Equity Share Allotment A/c		8,00,000	20,000
	To Bank A/c (1,000 × 20)			3,20,000
	Equity Share Allotment A/c			4,80,000
	To Equity Share Capital A/c			
	To Securities Premium Reserve A/c		7,20,000	
	(Being share allotment money due on 16,000 shares @ A 50 per share including premium A 30)		14,40,000	7,20,000
	Bank A/c			11,20,000
	To Equity Share Allotment A/c			3,20,000
	(Being share allotment money received)			
	Equity Share First & Final Call A/c		14,40,000	
	To Equity Share Capital A/c			1,40,000
	To Securities Premium Reserve A/c			
	(Being share first and final call money due on 160,000 shares @ A 90 per share)			
	Bank A/c			
	To Equity Share First & Final A/c			
	(Being share first & final call money received on 16,000 shares @ A 90 per share)			

उदाहरण–6

Vidya Ltd. forfeited 400 equity shares of A 10 each issued at a premium of A 5 per share for non-payment of allotment money of A 8 per share (including share premium A 5 per share), first call of A 2 per share and final call of A 3 per share. Out of these, 250 equity shares were re-issued at A 9 per share as fully paid. Journalize.

हल -6

In the Books of Vidya Ltd.
Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Share Capital A/c		4,000	
	Securities Premium Reserve A/c		2,000	
	To Share Forfeiture A/c			800
	To Share Allotment A/c			3,200

	To Share First Call A/c			800
	To Share Final Call A/c			1,200
	(Being 400 shares forfeited due to non-payment of allotment, first call and final call)			
	Bank A/c		2,250	
	Share Forfeiture A/c		250	
	To Share Capital A/c			2,500
	(Being 250 equity shares (forfeited) reissued at A 9 per share as fully paid)			
	Share Forfeiture A/c		250	
	To Capital Reserve A/c			250
	(Being transfer of profit on reissue of 250 forfeited shares)			

उदाहरण–7

Vasu Company Ltd. offers 4 shares for every 10 share held to its shareholders. The issue price of share is A100 per share and market price A160 per share. Determine the value of right.

हल -7

$$\text{Value of Right} = \frac{\text{New Shares}}{\text{Total Share}} \times (\text{M.P.} - \text{I.P.})$$

(M.P. = Market Price of old one share)

(I.P. = Issue price of new one share)

⇨ $\frac{4}{10+4} \times (160 - 100)$

⇨ $\frac{4}{14} \times 60$

⇨ $\frac{240}{14}$

⇨ A 17.1428 or A 17.14

13.8 अधिकार अंशों का निर्गमन व सम अंशों की पुनखरीद (Issue of Right Shares & Buy-Back of Equity Shares)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 में अधिकार अंशों के निर्गमन के लिए प्रावधान हैं। अधिकार अंश सममूल्य, प्रब्याजि या कटौती पर निर्गमित किये जा सकते हैं। इनकी राशि एकमुश्त या किस्तों में ली जा सकती है। एक सार्वजनिक कम्पनी अपनी अधिकृत पूंजी की सीमाओं के अन्तर्गत अपनी प्रार्थित पूंजी में वृद्धि करना चाहे तो समामेलन के 2 वर्ष बाद या प्रथम अंश आबंटन की तिथि से 1 वर्ष बाद, इन दोनों स्थितियों में–से जो स्थिति प्रथम हो, में अपने अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है।

वैधानिक दायित्व

- नये अधिकार अंशों का निर्गमन सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को किया जाय।
- विद्यमान अंशधारियों को अंशों के अनुपात में आबंटन किया जाय।
- विद्यमान अंशधारियों व अन्य को अंशों को स्वीकारने, अस्वीकारने या त्याग करने का विकल्प।

गणना विधि

$$\text{अधिकार अंश का मूल्य} = \frac{\text{नये अंश}}{\text{कुल अंश (पुराने+नये)}} \times (\text{पुराने एक अंश का बाजार मूल्य} - \text{नये एक अंश का निर्गमन मूल्य})$$

अथवा

$$\text{अधिकार अंश का मूल्य} = \frac{\text{विद्यमान एक अंश क I– बाजार मूल्य} \quad \text{विद्यमान अंशों का बाजार मूल्य} + \text{नये अधिकार अंशों का निर्गमन मूल्य}}{\text{विद्यमान अंशों की संख्या} + \text{अधिकार अंशों की संख्या}}$$

कर्मचारी स्कन्ध विकल्प योजना (Employees' Stock Option Plan or ESOP)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(37) के अन्तर्गत भविष्य में कम्पनी के कर्मचारियों को, पूर्व निर्धारित मूल्यों पर अंश खरीदने का विकल्प कर्मचारी स्कन्ध विकल्प योजना कहलाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह ऐच्छिक योजना है।
- कर्मचारी को अंश क्रय करने का अधिकार प्रदान करना।
- कर्मचारी स्वेच्छा से अंश क्रय कर सकता है या छोड़ सकता है।
- प्रतिभूतियों का आरक्षण 5% से अधिक नहीं।

उद्देश्य

- उत्तम योजना, कुशलता व अनुभव वाले कर्मचारी को कम्पनी में बनाए रखना।
- कर्मचारियों में स्वामीभक्ति, विश्वास और अपनत्व की भावना पैदा करना।
- प्रबन्ध में अंशधारियों के समान भाग लेना।

क्षेत्र (Scope)

- कम्पनी के स्वामी कर्मचारी,
- कम्पनी के निदेशक,
- कम्पनी के अधिकारी,
- सहायक कम्पनी या सूत्रधारी कम्पनी के कर्मचारी।

(इसमें वे प्रवर्तक, संचालक और अधिकारी सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, जिनके पास स्वयं, समूह या संस्था के पास 10% समता अंश हो।)

लेखांकन प्रविष्टि

1. Bank A/c ...Dr.
   Employees' Compensation Expenses A/c ...Dr.
   To Equity Share Capital A/c
   To Security Premium Reserve A/c
   (Being shares issued to the employees against the options vested to them in pursuance of Employee Stock option Plan)

2. Statement of Profit & Loss A/c ...Dr.
To Employees' Compensation Expenses A/c
(Being transfer of Employees' Compensation to statement of Profit & Loss)

सम अंशों की पुनर्खरीद (Buy-Back of Equity Shares)

कम्पनी सर्वप्रथम प्रविवरण द्वारा अपने अंश जनता को विक्रय करती है। इसके विपरीत कभी–कभी कम्पनी द्वारा अपने अंशों का क्रय भी किया जाता है। जब कम्पनी अपने अंशों का क्रय करती है, तो इसे अंशों की पुनर्खरीद कहते हैं।

क्रय का स्थान – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के अनुसार क्रय का स्थान

- कम्पनी के वर्तमान/विद्यमान समता अंशधारियों से आनुपातिक आधार पर क्रय;
- खुले बाजार से क्रय;
- अनियमित (जो नियमित न हो) अंशधारकों के समूह से क्रय;
- स्कन्ध विकल्प योजना या स्वैट समता योजना द्वारा लिये गए कर्मचारियों के अंशों का क्रय

क्रय हेतु कोष (Fund) – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के अनुसार –

- मुक्त संचय से अंशों का क्रय;
- प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता;
- किसी अंश के धन से;
- अन्य विशिष्ट (Specified) प्रतिभूति के धन से।

क्रय प्रक्रिया – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68(2) के अनुसार

- अंशधारियों को वार्षिक सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित,
- पार्षद अन्तर्नियम अंशों को पुनः खरीद हेतु अधिकृत करते हैं।
- अंश की खरीद पूर्णतः चुकता होनी चाहिये।
- ऋण समता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं।
- अंशों का क्रय प्रदत्त पूंजी के 25% से अधिक नहीं।
- SEBI नियमों के अन्तर्गत।
- निर्धारित नियमों के अनुसार क्रय।
- स्वतंत्र संचय से 25% से अधिक नहीं।

पुनर्खरीद का निषेध

- किसी सहायक कम्पनी के माध्यम से अपने ही अंश क्रय करने पर;
- विनियोग कम्पनी के माध्यम से अपने अंश क्रय करने पर;
- भुगतान के लिए दोषी मानी गई कम्पनी द्वारा अंश क्रय करने पर।

पुनर्खरीद के लाभ

- नकद संसाधन का उपयोग पुनर्खरीद पर होता है, इससे कम्पनी लाभांश कर को बचा सकती है।
- पुनर्खरीद से पूंजी आधार में कमी आती है। इससे प्रति अंश आय में वृद्धि होती है।

- टेकओवर के जोखिम में कमी आती है।
- रोकड़ धन का उपयोग पुनर्खरीद पर किया जाता है। इससे पूंजी की पुनर्संरचना की प्रक्रिया में आसानी हो जाती है।

प्रविष्टियाँ –

पुनर्खरीद की अंश राशि के बराबर राशि का हस्तांतरण

Free Reserve A/c	...Dr.
Securities Premium Reserve A/c	...Dr.
To Capital Redemption Reserve A/c	

पुनर्खरीद अंशों का सममूल्य पर भुगतान

Equity Share Capital A/c	...Dr.
To Equity Shares Buy-Back A/c	
Equity Shares Buy-Back A/c	...Dr.
To Bank A/c	

पुनर्खदीद अंशों का प्रीमियम पर भुगतान

Equity Share Capital A/c	...Dr.
Premium Payable on Buy-Back of Shares A/c	...Dr.
To Equity Shares Buy-Back A/c	
Equity Shares Buy-Back A/c	...Dr.
To Bank A/c	

पुनर्खरीद अंशों का छूट पर भुगतान

Equity Share Capital A/c	...Dr.
To Equity Shares Buy-Back A/c	
To Capital Reserve A/c	
Equity Shares Buy-Back A/c	...Dr.
To Bank A/c	

13.9 ऋणपत्रों का निर्गमन – उद्देश्य, अर्थ व विशेषतायें (Issue of Debenture- Objectives, Meaning & Characteristics)

इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात आप निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे –

- ऋणपत्र का अर्थ एवं परिभाषा,
- ऋणपत्र की विशेषतायें,
- ऋणपत्रों के निर्ममन की विभिन्न परिस्थितियाँ
- ऋणपत्रों एवं अंशों में अन्तर
- ऋणपत्रों के प्रकार

ऋणपत्र का अर्थ

ऋणपत्र दीर्घकालीन ऋण अथवा दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋणपत्र से आशय उस प्रपत्र से है, जो ऋण का निर्माण करता है। एक कम्पनी को समय–समय पर धन की आवश्यकता होती है। धन की पूर्ति अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा की जाती है। ऋणपत्रों पर निश्चित प्रतिशत से ब्याज दिया जाता है। जनता से उधार लेने का ऋणपत्र एक अत्यन्त लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(80) के अनुसार ''ऋणपत्र में ऋण–पत्र, स्टॉक, बॉण्ड और कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियाँ, जो ऋण सूचक हैं, सम्मिलित हैं, चाहे कम्पनी की सम्पत्तियों में प्रभार रखती हों या नहीं।''

ऋणपत्र, ऋणदाता तथा कम्पनी के बीच एक अनुबन्ध पत्र या प्रमाण पत्र होती है, जिसके द्वारा कम्पनी लिये हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वायदा करती है। यह ऋण प्राप्ति की रसीद या प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण सम्बन्धी सभी शर्तों का उल्लेख होता है, जैसे ऋण राशि, ब्याज की दर, भुगतान की किस्तें, अवधि, ऋण के लिए बन्धक या जमानत आदि। ऋणपत्र में कम्पनी का ऋण स्टॉक, बॉण्ड (bond) और अन्य प्रतिभूतियाँ शामिल रहती हैं।

ऋणपत्रों की विशेषतायें (Characteristics of Debentures)

ऋणपत्र की निम्नलिखित विशेषतायें हैं –

1. यह कम्पनी के द्वारा ऋण लेने का प्रमाण पत्र है।
2. ऋणपत्र पर ब्याज की दर, अवधि, शोधन विधि, आदि पूर्व निर्धारित होती है।
3. ऋणपत्रों को सममूल्य, अधिमूल्य या छूट पर जारी किया जाता है।
4. यह जनता से ऋण उधार लेने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं
5. ऋणपत्र सुरक्षित एवं असुरक्षित दोनों ही प्रकार के जारी किये जा सकते हैं।
6. ऋणपत्र कम्पनी के द्वारा निर्गमित, लिखित और सार्वमुद्रा में स्वीकृत प्रलेख है।
7. ऋणपत्र का शोधन नकद भुगतान के द्वारा या अंशों में परिवर्तित करके किया जाता है।
8. ऋणपत्र पर ब्याज देय होता है, चाहे कम्पनी को लाभ हो या हानि।
9. ऋणपत्रधारक को मत देने और कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।
10. यह ऋणदाता प्रतिभूति होने के कारण इसे कम्पनी के आर्थिक चिट्‌ठे में 'समता और दायित्व' शीर्षक के अन्तर्गत ''गैर चालू दायित्व'' में दिखाया जाता है।

13.10 ऋणपत्र एवं अंश में अन्तर (Difference Between Debentures and Shares)

क्र.सं.	अन्तर का आधार	ऋणपत्र	अंश
1.	पूंजी की प्रकृति	ऋणपत्र कम्पनी की उधार ली गई पूंजी है।	अंश कम्पनी की स्वामित्व पूंजी है।
2.	स्वामित्व	ऋणपत्रधारी कम्पनी के लेनदार होते हैं।	अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं।
3.	प्रतिफल	ऋणपत्र का प्रतिफल उसका ब्याज है।	अंश का प्रतिफल उसका लाभांश है।
4.	अवधि	इनके निर्गमन द्वारा प्रायः अस्थायी, दीर्घकालीन अथवा	अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन स्थायी पूंजी

		मध्यकालीन पूंजी प्राप्त की जाती है।	प्राप्त की जाती है।
5.	आय	ऋणपत्रों पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। कम्पनी को हानि की स्थिति में ब्याज का भुगतान पूंजी से भी किया जा सकता है।	अंशों पर लाभांश दिया जाता है, जो केवल कम्पनी के लाभ में से ही देय होता हैं
6.	प्रबन्ध का अधिकार	इन्हें प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार नहीं होते हैं।	इन्हें प्रबन्ध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं।
7.	प्रकार	ऋणपत्र अनेक प्रकार के होते हैं।	ये दो प्रकार के होते हैं।
8.	सुरक्षित	साधारणतया ऋणपत्र सुरक्षित होते हैं।	अंश असुरक्षित होते हैं।
9.	परिवर्तनशील	ऋणपत्रों को दी गई शर्तो के अधीन अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है।	अंशों को ऋणपत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
10.	बाजार से क्रय	एक कम्पनी अपने ऋणपत्रों को खरीद सकती है, रद्द कर सकती है या पुनः निर्गमित कर सकती है।	एक कम्पनी अपने अंशों को बाजार से क्रय नहीं कर सकती है।
11.	समापन पर भुगतान	अंशधारियों से पूर्व ऋणपत्रधारियों को भुगतान पर प्राथमिकता प्राप्त हैं	सभी दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात बचे हुए शेष से अंशधारियों का भुगतान किया जाता हैं

13.11 ऋणपत्रों के निर्गमन के महत्वपूर्ण प्रावधान (Important provisions of Issue of Debentures)

ऋणपत्रों के निर्गमन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अन्तर्गत मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं –

1. **ऋणपत्रों का निर्गमन** – एक कम्पनी ऐसे ऋणपत्रों का निर्गमन कर सकती है, जिनमें शोधन के समय पूर्णतः या आंशिक रूप से अंशों में परिवर्तन का विकल्प हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक हो कि सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन हो।
2. **मतदान का अधिकार नहीं** – कोई भी कम्पनी किसी मतदान अधिकार को रखने वाले ऋणपत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती है।
3. **ऋणपत्र शोधन कोष** – जहाँ एक कम्पनी द्वारा इस धारा के अन्तर्गत ऋणपत्र निर्गमित किये जाते हैं, कम्पनी एक ऋणपत्र शोधन कोष (Debenture Redemption Reserved A/c) का सृजन करेगी। यह कोष लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कम्पनी के लाभों में बनाया जाता है।

4. **सुरक्षित ऋणपत्र** – किसी कम्पनी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दशाओं के साथ सुरक्षित ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है।
5. **ऋणपत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति** – कोई भी कम्पनी अपने ऋणपत्रों के अभिदान के लिए जनता को या अपने पाँच सौ से अधिक सदस्यों को प्रविवरण जारी नहीं करेगी या आमन्त्रण नहीं देगी, जब तक कि कम्पनी ने ऐसे निर्गमन या प्रस्ताव से पूर्व एक या अधिक ट्रस्टियों की नियुक्ति न कर दी हो और ऐसे ट्रस्टियों की नियुकित को शासित करने वाली शर्तें वे होंगी, जो इसके लिए निर्धारित की जायें।

13.12 ऋणपत्रों के प्रकार (Kinds of Debentures)

1. **रजिस्टर्ड ऋणपत्र** (Registered Debentures) – रजिस्टर्ड ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं, जिसमें ऋणपत्र धारकों का नाम कम्पनी की पुस्तक में लिखा रहता है।
2. **सुरक्षित या बन्धक ऋणपत्र** – जिन ऋणपत्रों के लिए कम्पनी की सम्पत्तियों पर भार या बन्धक उत्पन्न किया जाता है, ऐसे ऋणपत्र धारकों का कम्पनी यदि भुगतान नहीं कर पाती है, तो वे अपनी क्षति भार रखी हुई सम्पत्ति से पूरी कर सकते हैं।
3. **वाहक ऋणपत्र** (Bearer Debentures) – वाहक ऋणपत्र वे ऋणपत्र हैं, जो वाहक को देय होते हैं और केवल सुपुर्दगी द्वारा ही इनका हस्तान्तरण किया जाता है। इनका ब्याज तथा इनकी मूल राशि का भुगतान इनके वाहकों या धारकों को किया जाता है।
4. **साधारण ऋणपत्र** (Simple Debentuer) – साधारण ऋणपत्र वे होते हैं, जिनमें ब्याज के भुगतान तथा पूंजी के शोधन के लिए ऋणदाताओं को कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती है। कम्पनी के समापन की दशा में लेनदारों की भांति ही इनका भुगतान किया जाता है।
5. **शोध्य ऋणपत्र** (Redeemable Debentures) – शोध्य ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं, जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कम्पनी द्वारा कर दिया जाता हैं
6. **अशोध्य ऋणपत्र** (Irredeemable Debenture) – जिन ऋणपत्रों का भुगतान कम्पनी के जीवनकाल में नहीं किया जाता है, परन्तु कम्पनी के समापन पर ही इनका भुगतान किया जाता है, अशोध्य ऋणपत्र कहलाते हैं।
7. **परिवर्तनशील ऋणपत्र** (Changeable Debenture) – परिवर्तनशील ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं, जिनकी एक निश्चित अवधि के पश्चात अंशों पर बदल दिया जाता हैं
8. **अपरिवर्तनशील ऋणपत्र** (Non-changeable Debenture) – अपरिवर्तनशील ऋणपत्रों से आशय उन ऋणपत्रों से है, जिनको अंशों में नहीं बदला जा सकता है।
9. **प्रतिभूति ऋणपत्र** (Collateral Debenture) – जब कम्पनी किसी ऋण को लेने के लिए अपने ऋणपत्रों को प्रतिभूतियों की तरह देती है, तो इसे प्रतिभूति ऋणपत्र कहा जाता है।

13.13 ऋणपत्रों के निर्गमन का उद्देश्य व प्रक्रिया (Objectives of Issuing Debentures & Procedure)

कम्पनियाँ ऋणपत्रों के निर्गमन के माध्यम से बहुत बड़ी रकम एकत्रित करती हैं। ऋणपत्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्गमित किया जाता है –

1. नई परियोजना की स्थापना के लिए,
2. वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के लिए,
3. संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए,
4. कम्पनियों के विक्रय के लिए,
5. कम्पनी की कार्यशील पूंजी के लिए।

ऋणपत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया (Procedure for the Issue of Debenture)

सर्वप्रथम एक प्रविवरण निर्गमित किया जाता है, जिसमें ऋणपत्रों के निर्गमन की शर्तों का ब्यौरा दिया होता है। ऋणपत्रों का सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है।

1. **सममूल्यों पर ऋणपत्रों का निर्गमन** – जब ऋणपत्रों का उसके अंकित मूल्य पर निर्गमन किया जाता है, तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं।
2. **प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन** – जब ऋणपत्रों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो उसे ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं।
3. **बट्टे पर ऋणपत्रों का निर्गमन** – जब ऋणपत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाता है, तो उसे ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं।

ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन (Debentures Issued at Par)

जब ऋणपत्रों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर किया जाता है, तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरणार्थ – यदि A 100 मूल्य का ऋणपत्र A 100 में ही निर्गमित होता है, तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ (Journal Entries)

कम्पनी की खाता बहियों में ऋणपत्रों के सममूल्य पर निर्गमन हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

व्यवहार का विवरण	रोजनामचा प्रविष्टियाँ (Journal Entries)
आवेदन राशि प्राप्त होने पर	Bank A/c Dr. To Debenture Application A/c (Debenture Application money received on .... @ A .... each)

ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन (Issue of Debenture at Par)

उदाहरण–8

अंजलि लिमिटेड ने 10,000 ऋणपत्र प्रत्येक A 100 के जारी किये, जो कि इस प्रकार देय हैं –

A 20 आवेदन पर A 80 आवंटन पर सभी ऋणपत्र निर्गमित एवं आवंटित किये गये। देय राशि प्राप्त कर ली गयी। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

Anjali Ltd. issued 10000 debentures of 100 each, payable as follows :

A20 on Application and A80 on Allotment. All the debentures were applied for and allotted. All money due were received. Pass necessary journal entries.

हल-8

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c Dr. To Debenture Application A/c *(Being application money on 10000 Debentures @ A 20 per debenture received)*		2,00,000	2,00,000
	Debenture Application A/c Dr. To Debenture A/c *(Being application money transferred to Debentures A/c)*		2,00,000	2,00,000
	Debenture Allotment A/c Dr. To Debenture A/c *(Being allotment money due on 10000 Debentures @ A 80 per debenture)*		8,00,000	8,00,000
	Bank A/c Dr. To Debenture Allotment A/c *(Being allotment money received)*		8,00,000	8,00,000

ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन (Issue of Debentures at Premium)

जब कम्पनी अपने ऋणपत्रों को उसके अंकित मूल्य (face value) से अधिक पर जारी करती है, तो इसे ऋणपत्रों का 'प्रब्याज' या प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है।

उदाहरण–9

आदित्य लिमिटेड ने A 100 वाले 5000 5% ऋणपत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किये, जिन पर A 20 आवेदन पर एवं शेष राशि प्रीमियम सहित आवंटन पर देय थे। A 500 ऋणपत्रों के निर्गमन पर व्यय हुए। कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल पर आवश्यक लेखे कीजिये।

Aditya Limited issued 5000, 5% debentures of A 100 each at premium of 10% payable A 20 on application and the balance with premium on allotment. Expenses on issue of debentures amounted to A 500. Pass the necessary journal entries in the books of the company.

हल-9

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c		1,00,000	

	Dr. To 5% Debenture A/c *(Being application money received on 2000 debentures @ A 20 each)*			1,00,000
	5% Debenture Application A/c Dr. To 5% Debenture A/c *(Being transfer of application money to debenture A/c)*		1,00,000	1,00,000
	5% Debenture allotment A/c Dr. To 5% Debenture A/c To Securities Premium A/c *(Being allotment money due on 5000 debentures together with premium)*			4,00,000 50,000
	Bank A/c Dr. To 5% Debenture Allotment A/c *(Being allotment money received)*		4,50,000	4,50,000
	Expenses on issue of 5% Debenture A/c Dr. To Bank A/c *(Being payment expenses on issue of debentures)*		500	500
	Securities Premium A/c Dr. To expenses on issue of 5% debenture A/c *(Being expenses written off)*		500	500

ऋणपत्रों की कटौती पर निर्गमन (Issue of Debentures at Discount)

जिन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है और पूंजी की आवश्यकता रहती है, उनके द्वारा ऋणपत्रों को उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाता है। ऋणपत्रों की कटौती पर निर्गमन करने से जनता ऋणपत्रों की ओर अधिक आकर्षित होती है और ऋणपत्रों के विक्रय में सुविधा होती है। अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ऋणपत्रों के निर्गमन को ही कटौती या बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है।

उदाहरण–10

A लिमिटेड कम्पनी ने A 100 वाले 10000 ऋणपत्र 10% कटौती पर निर्गमित किये। इन पर A 10 आवेदन पर, A 30 आवंटन पर, A 40 प्रथम याचना पर और A 100 अन्तिम याचना पर देय है। सभी राशियाँ प्राप्त हो गयी। कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिये। कटौती का लेखा आवंटन के साथ कीजिये। कटौती का लेखा आवंटन के साथ कीजिये।

A Limited Company issued 10000 debentures of A 100 each at a discount of 10% payable as A 10 on application, A 30 on allotment, A 40 on first call and A 100 on final call. All the amounts were duly received.

Pass necessary journal entries in the books of the company record discount with allotment.

हल-10

Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (A)	Amount (A)
	Bank A/c Dr. To Debenture Application A/c *(Being application received on 10000 debentures @ A 10 per debenture)*		1,00,000	 1,00,000
	Debenture Application A/c Dr. To Debentures A/c *(Being of debenture application money to debentures A/c)*		1,00,000	 1,00,000
	Debenture A/c Dr. Discount on Issue of Debenture A/c Dr. To Debenture A/c *(Being allotment money due on 10000 debenture @ A 30 each and discount on issue of debentures @ A10 each)*		3,00,000 1,00,000	 4,00,000
	Bank A/c Dr. To Debenture Allotment A/c *(Being allotment money received)*		3,00,000	 3,00,000
	Debenture First call A/c Dr. To Debenture A/c *(Being first call money due on 10000 debentures @ A 40 each)*		4,00,000	 4,00,000
	Bank A/c. Dr. To Debenture First call A/c *(Being first call money received)*		4,00,000	 4,00,000
	Debenture Final call A/c Dr. To Debenture A/c *(Being call money due on 10000 debentures)*		1,00,000	 1,00,000
	Bank A/c Dr. To Debenture Final call A/c *(Being final call money received)*		1,00,000	 1,00,000

ऋणपत्रों पर बकाया और अग्रिम याचना (Calls in Arrear and Calls in Advance)

ऋणपत्रधारियों से याचनाओं पर राशि की माँग की जाती है। किन्हीं कारणों से कुछ ऋणपत्रधारी याचना पर राशि माँगने पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। यह भुगतान न की गई राशि माँग पर बकाया (Call in arrears) कही जाती है। यदि कम्पनी के अर्न्तनिगमों में व्यवस्था हो तो कम्पनी (i) बकाया राशि पर निर्धारित दर से ब्याज वसूल सकती है और (ii) अग्रिम याचना राशि पर ब्याज दिया जा सकता है।

उदाहरण–11

सीमा लिमिटेड ने A 100 वाले 5000, 14% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। राशियाँ निम्नलिखित प्रकार देय थी – A 20 आवेदन पर, A 30 आवंटन पर और

A 50 प्रथम एवं अन्तिम याचना पर। X, जिसके पास 100 ऋणपत्र हैं, ने आवंटन तथा प्रथम माँग राशि का भुगतान नहीं किया, Y, जिसको 200 ऋणपत्र आवंटित किये गये हैं, ने आवंटन राशि के साथ ही ऋणपत्रों की शेष राशि का भुगतान कर दिया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये।

Seema Limited issued 5000, 14% Debenture of A 100 each. The amounts were payable as A 20 on application, A 30 on allotment and A 50 on first and Final call. X, who has holding 100 debentures failed to pay the allotment and first call money and Y, who holds 200 debentures paid the full amount due along with the allotment money. Give necessary journal entries.

हल-11

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To 14% Debenture Application A/c *(Being application money received for 5000 debenture @ A 20 per Debenture)*		1,00,000	1,00,000
Date of Allotment	Debenture Application A/c Dr. To 14% Debenture A/c *(Being 5000 debenture allotted and application money transferred)*		1,00,000	1,00,000
Date of Allotment	14% Debenture Allotment A/c Dr. To 14% Debenture A/c *(Being allotment money due on 5000 debenture @ A 30 each)*		1,50,000	1,50,000
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To 14% Debenture Allotment To Call in Advance *(Being allotment money received except a holder Mr. X, who holds 100 debenture failed to pay allotment money and another holder of 200 debentures Mr. Y paid call money in advance)*		1,57,000	1,47,000 10,000
Date of Call	Debenture First and Final call A/c Dr. To 14% Debenture A/c *(Being First and Final call due @ A 50 pen Debenture)*		25,00,000	2,50,000
Date of Call	Call in Advance A/c Dr. Bank A/c Dr. To 14% Debenture A/c *(Being First and Final call money received on 4700 debentures @ A 50)*		10,000 2,40,000	2,50,000

ऋणपत्रों का अति अभिदान (Over subscription of Debentures)

कम्पनी के द्वारा ऋणपत्रों का निर्गमन करने के बाद कम्पनी को अपनी आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्रों की प्राप्ति होती है। इसे ऋणपत्रों का अति अभिदान (over subscription of debentures) कहते हैं। अतिरिक्त आवेदन राशि का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है –

1. अतिरिक्त आवेदन को बिल्कुल अस्वीकृत कर के उस पर प्राप्त आवेदन धनराशि को आवेदकों को लौटा दिया जाता है।
2. ऋणपत्रों के लिए आये हुए कुल आवेदनों को प्रार्थियों के बीच अनुपातिक (Pro-rata) ढंग से आवंटित करना एवं अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन खाते में हस्तान्तरित करना ताकि उसका समायोजन किया जा सके।
3. ऋणपत्रों के कुछ आवेदन पत्रों को बिल्कुल अस्वीकृत करते हुए उसकी राशि लौटा देना एवं बाकी आवेदकों में आनुपातिक रीति से ऋणपत्रों का आवंटन करना।

उदाहरण–12

राम लिमिटेड ने A 40 आवेदन पर तथा A 60 आवंटन पर देय रखते हुए प्रति ऋणपत्र A 100 पर, 10,000, 11% ऋणपत्रों को निर्गमित किया। जनता ने 14,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन किये। 9,000 ऋणपत्रों के लिए पूर्व आवेदन स्वीकृत किये गये थे। 2,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदनों पर 1,000 ऋणपत्र आवंटित किये गये थे। आवेदन की आधिक्य राशि का समायोजन आवंटन में कर दिया गया था तथा शेष आवेदनों को अस्वीकार्य कर दिया गया था। सारी राशि यथानुपात प्राप्त हुई थी। इन लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिये।

Ram Limited issued 10,000 11% debenture of A 100 each payable as A 40 on application and A 60 on allotment. The public applied for 14,000 Debentures applications of 9,000 Debentures were accepted in full applications for 2,000 Debentures were allotted 1,000 Debenture, their excess application money was adjusted on allotment and the remaining applications were rejected. All money was duly received. Journalise these transactions.

हल-**12**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Bank A/c Dr. To 11% debenture applications A/c *(Being debenture application money received on 14,000 debenture @ A 40 each)*		5,60,000	 5,60,000
	11% debenture applicationA/c Dr. To 11% debenture A/c To 11% debenture allotment to bank A/c To Bank A/c *(Being debenture application money on 10,000 debenture @ A 40 each transferred to 11% debenture account 1,000 debenture @ A 40 each transferred to debenture allotment and excess money on 3,000 debenture @ A 40 each refunded)*		5,60,000	 4,00,000 40,000 1,20,000
	11% debenture allotment A/c Dr. To 11% debenture A/c *(Being debenture allotment money due on 10,000*		6,00,000	 6,00,000

	debentures @ A 60 each)			
	Bank A/c Dr. To 11% debenture allotment *(Being debenture allotment money received after adjusting excess debenture application)*		5,60,000	5,60,000

उदाहरण–13

संजय लिमिटेड ने अभिदान के लिए A 100 वाले 8,000 13% ऋणपत्र प्रस्तावित किये। कम्पनी के पास 10,000 ऋणपत्रों को खरीदने हेतु प्रार्थना पत्र आयें प्रार्थियों को ऋणपत्र यथानुपात आवंटित किये गये। ऋणपत्रों पर विभिन्न राशियाँ निम्न प्रकार देय हैं –

प्रार्थना पत्र के साथ A 30, आबंटन पर A 40, प्रथम माँग पर A 20, द्वितीय माँग पर A 10 एक व्यक्ति ने, जिसके पास 200 ऋणपत्र हैं, आबंटन के समय देय राशियों का भुगतान नहीं किया। उसने आबंटन पर देय राशि का प्रथम माँग के साथ भुगतान कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने, जिसके पास 400 ऋणपत्र हैं, आवंटन राशि के साथ ही भविष्य की माँग का भी भुगतान कर दिया। कम्पनी की पुस्तकों में नकद व्यवहारों सहित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये।

Sanjay Limited offered 8,000 12% Debentures of A 100 each for subscription. Applications for the purchases of 10,000 debentures were received by the company. The Debenture were allotted proportionately to the applicants. The amount is payable on debentures as follows :

A 30 on application, A 40 on allotment, A 20 on first call and A 10 on second call. A person who holds 200 debentures failed to pay the call money, another person, who is holding 400 debentures had paid all the calls in advance with the allotment money.

Pass the necessary journal entries (including those of cash in the books of the company).

हल-**13**

Journal of Sanjay Ltd.

Date	Particulars	L.F.	Dr Amount (A)	Cr. Amount (A)
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To Debenture Application A/c (Application money receved for the purchase of 10,000 debentures transferred to Debentures A/c)		3,00,000	3,00,000
Date of Allotment	Debenture Application A/c Dr. To 13% Debentures A/c (Debenture Application money received on 8,000 debentures transferred to Debentures A/c)		2,40,000	2,40,000
Date of Allotment	Debenture Application A/c Dr. To 13% Debentures A/c (Allotment money due on 8,000 debentures)		3,20,000	3,20,000
Date of Allotment	Debenture Application A/c Dr. To 13% Debentures A/c		60,000	60,000

	(Excess amount received on Debenture Application transfer to Debentures Allotment A/c)			
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To Debenture Allotment A/c To Debenture Call Received in Advance A/c (Amount due on allotment received including the calls received in advance from a holder of 400 debentures)		2,65,500	2,53,500 12,000
Date of Call	Debenture First Call A/c Dr. To 13% Debenture A/c (Amount due on 8,000 debentures @ A 20 per debenture)		1,60,000	1,60,000
Date of Call money	Debenture Call Received in Advance A/c Dr. To Debenture first Call A/c (Adjustment of Debentures call received in advance)		8,000	8,000
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To Debenture First Call A/c To Debenture Allotment A/c (Amount due on first call received, allotment dues in arreat on 200 debentures also received with the first call)		1,58,500	1,52,000 6,500
Date of Call	Debenture Second Call A/c Dr. To 13% Debenture A/c (Amount due on 8,000 debentures in respect of second call @ A 10 per debenture)		80,000	80,000
Due Date of Call	Debenture Call Received in Advance A/c Dr. To Debenture Second Call A/c (Being Debentures call in advance adjusted)		4,000	4,000
Date of Receipt	Bank A/c Dr. To Debenture Second Call A/c (Being amount due on debenture second call received)		76,000	76,000

नकद छोड़कर अन्य प्रतिफल में ऋणपत्रों का निर्गमन

(Issue of Debentures for Purchase Consideration of Assetts)

जब कोई कम्पनी स्थायी सम्पत्तियों (भूमि, भवन, फर्नीचर आदि) का उधार क्रय करती है और इसका भुगतान ऋणपत्रों के निर्गमन के द्वारा करती है। यह भुगतान ऋणपत्रों के निर्गमन सममूल्य या अधिमूल्य या कटौती पर किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

1.	सम्पत्ति को उधार खरीदना	Assets A/c Dr. To Vendor's A/c *(Being assets purchased on credit from vendor)*
2.	क्रय प्रतिफल में ऋणपत्र का सममूल्य पर निर्गमन	Vendor's A/c Dr. To Debentures A/c *(Being .... debenture of* A *....... each issued at par in purchase consideration to Vendor)*
3.	क्रय प्रतिफल में ऋणपत्र	Vendor A/c Dr.

	का प्रीमियम पर निर्गमन	To Debenture A/c To Securities Premium reserve A/c *(Being .... debenture of* A....... *each issued at a premium of* A .... *each in purchases consideration to Vendor)*
4.	क्रय प्रतिफल में ऋणपत्र का कटौती पर निर्गमन	Vendor A/c Dr. Discount on issue of Debenture A/c To Debenture A/c *(Being .... Debenture of* A .... *each issued at a discount of* A .... *each)*

उदाहरण–14

करन लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए –

1. एक कम्पनी ने X लिमिटेड की सम्पत्तियाँ A 4,00,000 में क्रय की और भुगतान स्वरूप प्रत्येक A 100 वाले 6% ऋणपत्र निर्गमित किये।
2. एक कम्पनी ने Y लिमिटेड की A 4,40,000 मूल्य की सम्पत्तियाँ क्रय की। क्रय मूल्य का भुगतान 6% वाले ऋणपत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया गया।
3. एक कम्पनी ने Z लिमिटेड की A 3,60,000 मूल्य की सम्पत्तियाँ क्रय की। कम्पनी ने इसके पूर्ण भुगतान में ऋणपत्रों को 10% कटौती पर निर्गमित किया।

Give Journal Entries in the books of Karan Ltd.

1. A company purchased the assets of 'X' Ltd. for A 4,00,000 and in payment issued 6% debentures of A 100 each.
2. A company purchased the assets worth A 4,40,000 of 'Y' Ltd. The purchase price was paid by issuing 6% debentures at 10% premium.
3. A company purchased the assets worth A 3,60,000 of 'Z' Ltd. The company issued debentures at 10% discount in full satisfaction.

हल-14

In the Books of Karan Limited, Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
Date of Purchase	Sundry Assets A/c Dr. To X Ltd. A/c *(The Purchase of Assets)*		4,00,000	4,00,000
Date of Issue	X Ltd. A/c Dr. To 6% Debentures A/c *(Issue of 2,000 6% debentures of 100 each in satisfaction of purchase price)*		4,00,000	4,40,000
Date of Purchase	Sundry Assets A/c Dr. To Y Ltd. A/c (The Purchase of Assets)		4,40,000	4,40,000
Date of Issue	Y Ltd. A/c Dr.		4,40,000	4,00,000

	To 6% Debentures A/c To Securities Premium A/c *(Issue of 2,000 6% debentures of 10% premium)*			40,000
Date of Purchase	Sundry Assets A/c Dr. To Z Ltd. A/c *(The Purchase of Assets)*		3,60,000	3,60,000
Date of Issue	Z Ltd. A/c Dr. Discount on issue of Debentures A/c Dr. To 6% Debentures A/c To Securities Premium A/c *(Issue of debentures at discount of 10% in full satisfaction of the purchase price)*		3,60,000 40,000	4,00,000

सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन

(Issue of Debentures as a Collateral Security)

सहायक या द्वितीयक प्रतिभूति का प्रयोग कम्पनी जब बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है और बन्धक के रूप में मुख्य प्रतिभूति (Primary Security) रखने के अतिरिक्त इन संस्थानों की माँग पर द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन भी करती है। ऋणदाताओं को इन ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें ऋण राशि पर ब्याज दिया जाता है। यदि कम्पनी वित्तीय संस्थानों के ऋण वापस नहीं कर पाती है, तो ये संस्थान मुख्य प्रतिभूति तथा सहायक प्रतिभूति को बेचकर अपने ऋण राशि को वसूल कर लेते हैं तथा शेष बची हुई राशि कम्पनी को वापस कर दी जाती है। इसके विपरीत यदि कम्पनी ऋण का भुगतान कर देती है, तो ये संस्थान सहायक प्रतिभूति को वापस कर देती हैं। सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन दो विधियों से किया जाता है –

1. प्रथम विधि में ऋणपत्रों के निर्गमन की प्रविष्टि कम्पनी की पुस्तकों में नहीं की जाती है। इसे कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे के समता और दायित्व के अन्तर्गत 'गैर चालू दायित्व' शीर्षक में Bank Loan के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाते हैं।
2. द्वितीय विधि में कम्पनी ऋणपत्र लेने की प्रविष्टि करती है। वहीं दूसरी ओर ऋणपत्रों के निर्गमन की भी प्रविष्टि करती है। जब तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक Debentures Suspense A/c को स्थिति विवरण के सम्पत्ति पक्ष में तथा Debenture A/c को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है।

उदाहरण–15

मोहन लिमिटेड ने A 20,00,000 का ऋण बैंक से लिया। कम्पनी ने 100 वाले 24000 14% ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया। मोहन लिमिटेड की बहियों में इन सव्यवहारों को दर्शाइये।

हल-15

प्रथम विधि (First Method)

सहायक प्रतिभूति की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं करना –

In the Books of Mohan Limited, Journal Entry

Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (A)	Amount (A)
Date of Purchase	Bank A/c Dr. To Bank Loan A/c. (Being the loan taken from bank on the collateral securities of A 24,000, 14% debenture of A 100 each)		20,00,000	20,00,000

Balance sheet of Mohan Ltd.

(As at ....)

Particulars	Note No.	Current Year A	Previous Year A
I - Equity and Liabilities Non-current liabilities Long term borrowings Bank Loan (On collateral security of 24,000, 14% debentures of A 100 each)		--- --- 20,00,000	-
II - Assets Current assets Cash and Cash equivalents (Cash at Bank)		20,00,000	

द्वितीय विधि (Second Method)

सहायक प्रतिभूति की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि करना

In the Books of Mohan Limited, Journal Entries

Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (A)	Amount (A)
	Bank A/c Dr. To Bank Loan A/c *(Being the loan taken from bank on the collateral securities of 24,000, 14% security of A 24,000, 14% debenture of A 100 each)*		20,00,000	20,00,000
	Debenture suspense A/c Dr. To 14% Debenture A/c *(Being 24,000, 14% debenture of A 100 each issued as collateral security for loan taken from bank)*		24,00,000	24,00,000

Balance sheet of Mohan Ltd.

Particulars	Note No.	Current Year (A)	Previous Year (A)
I - Equity and Liabilities			-

Non-current liabilities Long term borrowings Bank Loan (On collateral security of debentures of A 24,00,000, 14% debentures A 24,00,000 Less : Debenture suspense A/c 24,00,000)		20,00,000	
II - <u>Assets</u> Current Liabilities: Cash and Cash equivalents (Cash at Bank)		20,00,000	

13.14 ऋणपत्रों का शोधन शोधन के स्रोत (Redemption of Debentures & Sources of Funds for Redemption)

कम्पनी जब अपने ऋणदाताओं को उनकी धनराशि लौटाकर ऋणपत्र वापस ले लेती है, तो इसे ऋणपत्रों का शोधन कहा जाता है। सामान्यतः ऋणपत्रों का शोधन ऋणपत्रों की अवधि समाप्त होने पर किया जाता है, लेकिन कम्पनी पार्षद अन्तर्नियमों में प्रावधान करके ऋणपत्रों का शोधन ऋणपत्रों के जीवन समाप्ति के पूर्व भी करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। ऋणपत्रों का शोधन सममूल्य पर अथवा प्रीमियम पर किया जाता है।

कोहलर शब्द कोष के अनुसार ''शोधन का आशय स्टॉक या बॉण्ड के निर्गमनकर्त्ता द्वारा उनकी पूर्व निर्धारित दर पर पुनः खरीद कर निरस्त करने से है।''

ऋणपत्रों के शोधन के स्रोत (Sources of Funds for Redemption of Debentures)

ऋणपत्रों के शोधन हेतु एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। एक कम्पनी निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक साधनों का प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन हेतु करती है –

1. पूँजी में से शोधन करना (Redemption out of Capital)
2. लाभों में से शोधन करना (Redemptio out of Profits)
3. अंशो/ऋणपत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन करना (Redemption by conversion into shares debentures)
4. अंशों/ऋणपत्रों के नये निर्गमन से प्राप्त राशि से शोधन करना (Redemption out of proceeds of fresh issue of Share/Debentures)
5. स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से शोधन (Redemption out of sale proceeds of Fixed Assets)

13.15 ऋणपत्रों के भुगतान की विधियाँ (Methods of Redemption of Debentures)

ऋणपत्रों के भुगतान की महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नवत् हैं –

1. एकमुश्त भुगतान (Lump-sum payment)
2. वार्षिक किस्तों में भुगतान (Payment in Annual Instalmenet)
3. खुले बाजार में अपने ऋणपत्रों का क्रय करना (Purchase of own Debentures in open market)

4. अंशों या ऋणपों में परिवर्तन द्वारा (Payment by conversion into shares of Debentures)

ऋणपत्रों के शोधन की विधियाँ

(Methods of Redemption of Debentures)

ऋणपत्रों के भुगतान की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधियाँ हैं –

ऋणपत्रों के शोधन की विधियाँ

- एकमुश्त भुगतान विधि
- वार्षिक किस्त भुगतान विधि
- खुले बाजार में क्रय विधि
- परिवर्तन विधि
- एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान शोधन कोष विधि

13.16 एकमुश्त भुगतान विधि द्वारा लाभों में से)ऋणपत्रों का शोधन (Redemption of Debentures by Lump-sum Payment Method & out of Profit)

ऋणपत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद जब ऋणपत्रों का शोधन ऋणपत्रधारियों को एकमुश्त भुगतान देकर किया जाता है, तो इसे एकमुश्त भुगतान विधि द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कहा जाता है। एकमुश्त भुगतान विधि के अनुसार ऋणपत्रों के शोधन की दो विधियाँ हैं –

1. **पूँजी में से ऋणपत्रों का शोधन** (Redemption of Debentures our of Capital)

जब कम्पनी के चालू साधनों में से ऋणपत्रों का भुगतान किया जाता है, तो इसे पूँजी में से ऋणपत्रों का शोधन कहते हैं। इस विधि से भुगतान करने पर कम्पनी की कार्यशील पूँजी में कमी आती है।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ (Journal Entries)

लेखांकन व्यवहार

क्र. सं.	लेन–देन (Transaction)	शोधन (भुगतान) पर प्रविष्टि (Entry on Redemption)
1.	सममूल्य पर निर्गमन एवं सममूल्य पर भुगतान (Debentures issued at par and redeemed at par)	1. भुगतान के लिये देय होने पर Debentures A/c Dr. To Debentureholders A/c (For transfer of debentures to Debentureholders A/c)
		2. भुगतान के लिए Debentureholders A/c Dr. To Bank A/c (For debenture redeemed at par)
2.	यदि ऋणपत्रों का प्रीमियम पर भुगतान होने वाला हो (On Debenture becoming due for payment at premium)	1. Debenture A/c (अंकित मूल्य) Premium on Redemption of Debenture A/c Dr. To Debenture holders A/c or To Debentures redemption A/c (For debentures payable at premium)
		2. Debenture holders A/c Dr. or

		Debenture Redemption A/c Dr. To Bank A/c (For the debentures paid off)
		उपर्युक्त दो प्रविष्टियों के बदले एक ही प्रविष्टि की जा सकती है। Debentures A/c Dr. Premium on redemption of Debentures A/c. Dr. To Bank A/c
3.	यदि ऋणपत्र का भुगतान बट्टा पर अर्थात् अंकित मूल्य से कम पर किया जाये When debentures are redeemed at discount	Debentures A/c Dr. To Bank A/c To profit on redemption of debentures A/c

2. **लाभों में से ऋणपत्रों का शोधन** (Redemption on Debenture out of profit)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुसार जब भी कोई कम्पनी इस धारा के अन्तर्गत ऋणपत्र निर्गमित करती है, तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा और इस संचय में जमा राशि का प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं होगा। ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत भाग को ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

जब समस्त ऋणपत्रों का भुगतान हो जाता है, तो Debentures Redemption Reserve A/c को सामान्य संचिति खाते (General Reserve A/c) में हस्तान्तरित कर के बन्द कर दिया जाता है।

Journal Entries

1.	For Amount payable on redemption : 1. at par 2. at premium	Debenture A/c Dr. To Debentureholders A/c
		Debenture A/c Dr. Premium on redemption of debenture A/c Dr. To Debentureholders A/c (with total)
2.	For payment to debentureholders case 1(1) and 1(2) (one entry can be made)	Debentureholders A/c Dr. To Bank A/c
		Debenture A/c Dr. To Bank A/c
3.	For transfer of profits to D.R.R. A/c equal to 50% of the normal value of	Profit or Loss Appropriation A/c Dr. To Debenture Redemption Rerserve

	debentures	A/c
4.	On transferring D.R.R. A/c to General Reserve A/c	Debentures Redemption Reserve A/c Dr. To General Reserve A/c

उदाहरण–16

सोहन लिमिटेड ने A 100 वाले 10000, 12% ऋणपत्र 01 जनवरी, 2011 को निर्गमित किये, जिनका शोधन 10 वर्षों के उपरान्त सममूल्य पर होना था। ऋणपत्रों के निर्गमन तथा शोधन के समय रोजनामचा प्रविष्टियाँ यह मानते हुए कीजिये कि SEBI के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है।

Sohan Limited issued 10000, 12% Debentures of A 100 each on 1st January, 2011 redeemable at par after 10 years. Give necessary Journal entries both at the time of issue and redemption; assume that the SEBI guidelines are followed. (Ignore entries for interest).

हल-**16**

Journal Entries in the Books of Sohan Ltd.

S.No.	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
2011, Jan. 1	Bank A/c Dr. To 12% Debentures Application A/c (For the receipt of debenture application money on 10,000 debentures)		10,00,000	10,00,000
Jan. 1	12% Debentures Appication A/c Dr. To 12% Debentures Application A/c (For application money transferred to Debentures Account)		10,00,000	10,00,000
Jan. 1	Profit and Loss Appropriation A/c Dr. To Debenture Redemption Reserve A/c (For the transfer of profit to DRR A/c equal to 50% of the nominal value of debentures)		5,00,000	5,00,000
Jan. 1	12% Debentures A/c Dr. To Debentureholders A/c (For the amount payable on redemption)		10,00,000	10,00,000
Jan. 1	Debentureholders A/c Dr. To Bank A/c (For the amount paid to the debentureholders)		10,00,000	10,00,000
Jan. 1	Debenture Redemption Reserve A/c Dr. To General Reserve A/c (For transfer of DDR A/c to General Reserve A/c)		5,00,000	5,00,000

Note : *Since the debentures are redeemed purely out of capital, an amount equal to 50% of the total of debentures redeemed is transferred to DRR.*

उदाहरण–17

कान्ता वेलफेयर कम्पनी लिमिटेड ने A 100 वाले 5,000, 10% शोध्य ऋणपत्रों को 5% बट्टे पर निर्गमित किया, जो 5 वर्षों के उपरान्त 5% प्रीमियम पर

शोध्य थे। ऋणपत्रों का शोधन प्रारम्भ होने के पहले ऋणपत्र शोधन संचय की कितनी राशि सृजित की जानी चाहिये ? निर्गमन एवं शोधन के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये।

Kanta Welfare Compay Limited issued 5,000, 10% Reedemable Debentures of A 100 each at a discount of 5% redeemable after 5 years at a premium of 5%. How much amount of Debenture Redemption Reserve should be created before the redemption of debentures begins. Show the Journal Entries for issue and redemption of debentures.

हल-17

Journal Entries in the Books of Kanta Welfare Compay Ltd.

Dr. Cr.

S. No	Particulars	L.F.	Amount (A)	Amount (A)
1.	**At the time of Issue of Debentures :** Bank A/c Dr. Loss on Issue of Debentures A/c Dr. To 10% Debentures A/c To Premium on Redemptinof Debentures A/c (The issue of 10% Debentures of 100 each at a discount of 5% payable at a premium of 5%)		4,75,000 50,000	5,00,000 25,000
2.	**For Creation of Debenture Redemption Reserve :** Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Debenture Redemptin Reserve A/c (For creatin of Debenture Redemption Reserve for 50% of 5,00,0000)		2,50,000	2,50,000
3.	**At the time of Redemption :** 10% Debentures A/c Dr. Premium on Redemptinof Debentures A/c Dr. To Debentureholders A/c (For total amount payable to debentureholders)		5,00,000 25,000	5,25,000
4.	Debentureholders A/c Dr. To Bank A/c (For payment made to debentureholders)		5,25,000	5,25,000
5.	Debenture Redemption Reserve A/c Dr. To General Reserve A/c (For transfer of DRR A/c to General Reserve A/c)		2,50,000	2,50,000

Note : *If it is not mentioned in the question as to the payment of entire amount is out of profit, then the DRR should be created with the amount equall to 50% of debentres.*

ऋणपत्रों का लाभों में से शोधन (Redemption of Debentures out of Profit)

निश्चित अवधि के पश्चात ऋणपत्रों के शोधन हेतु एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। अतः एक कम्पनी के लिये यह उचित होगा कि

ऋणपत्रों की देय तिथि को उसके शोधन हेतु पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध हो सके, इसके लिए आरम्भ से ही व्यवस्था की जाती है। इसके लिए कम्पनी जिस वर्ष ऋणपत्र निर्गमित करती है, उसी वर्ष से एक संचित कोष का निर्माण आरम्भ कर देती है। विभाज्य लाभों में से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि इस संचित कोष में हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस प्रकार नियोजित राशि का प्रयोग या तो व्यापार में किया जा सकता है अथवा व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जा सकता है।

ऋणपत्रों के शोधन के लिए स्थापित संचित कोष में लाभ हानि खाते में अन्तरित धनराशि को जब बाहर की प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है, तो इसे 'ऋणपत्र शोधन कोष' अथवा ऋणपत्र सिंकिंग फण्ड (Debenture Redemption Fund or Debenture Sinking Fund) कहते हैं। परन्तु इसके विपरीत यदि इस कोष की धनराशि का प्रयोग व्यापार में किया जाता है, तो इसे 'ऋणपत्र शोधन संचय' (Reserve for Redemption of Debentures) कहा जाता है। शोधन कोष भी दो प्रकार के होते हैं –

1. **संचयी शोधन कोष** (Cumulative Sinking Fund) – जब विभाज्य लाभ में से शोधन कोष में प्रतिवर्ष धनराशि हस्तान्तरित की जाती है और उस धनराशि का प्रयोग व्यापार के बाहर सुरक्षित प्रतिभूतियों में विनियोजित करने के साथ–साथ उस पर प्राप्त ब्याज को भी पुनः विनियोजित कर दिया जाता है, तो ऐसे शोधन कोष को 'संचयी शोधन कोष' कहते हैं।
2. **असंचयी शोधन कोष** (Non–cumulative Sinking Fund) – विभाज्य लाभ में से निकाली गई राशि का प्रतिवर्ष समान होना आवश्यक नहीं है। सिंकिंग फण्ड में पर्याप्त लाभ होने पर ही धनराशि विनियोजित की जाती है। केवल विभाज्य लाभों से निकाली गई राशि का ही विनियोग किया जाता है। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाता है, वरन् उसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है।

13.17 संयची शोधन कोष का निर्माण (Formation of Cumulative Sinking Fund)

सर्वप्रथम हम शोधन कोष तालिका की मदद से यह ज्ञात करते हैं कि प्रतिवर्ष लाभ–हानि नियोजन खाते से कितनी राशि शोधन कोष खाते में हस्तान्तरित की जानी चाहिये।

उदाहरणार्थ यदि हमें 10 वर्ष बाद 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर A 10,00,000 की आवश्यकता है, तो प्रतिवर्ष 0.083291 × 10,00,000 अर्थात 83291 विनियोजित किया जाना चाहिये।

इस विधि से प्रतिवर्ष विभाज्य लाभ से निकाली जाने वाली किस्त निर्धारित कर लेने के पश्चात निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

परिस्थिति	जर्नल प्रविष्टियाँ
प्रथम वर्ष के अन्त में	
विभाज्य लाभों में से वार्षिक धनराशि को अन्तरित करने पर	Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Debeture Siking Fund A/c (Annual sum transferred to Debenture Sinking Fund

	A/c)
निश्चित किस्त की राशि को विनियोजित करने पर	Debenture Sinking Fund Investment A/c Dr. To Bank A/c (Amount of Sinking Fund invested in securities)
प्रथम वर्ष के पश्चात अगले वर्ष/वर्षों में	
गत वर्ष/वर्षों के विनियोगों पर ब्याज प्राप्त करने पर	Bank A/c Dr. To Debenture Sinking Fund A/c (Interest received on Sinking Investments)
वार्षिक राशि अन्तरित करने पर	Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Debenture Sinkiing Fund A/c (Annual sum transferred to Debentune Sinking Fund A/c)
वार्षिक राशि तथा ब्याज का विनियोजन करने पर	Debenture Sinking Fund Investment A/c Dr. To Bank A/c (Annual installment and interest invested)

अन्तिम वर्ष में (जब ऋणपत्रों का शोधन किया जाना है)

अन्तिम वर्ष में जब ऋणपत्रों का भुगतान करना हो, तो उस वर्ष की किस्त और प्राप्त ब्याज का विनियोग नहीं किया जायेगा। इसी वर्ष ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए विनियोग को बेच दिया जाता है।

परिस्थिति	जर्नल प्रविष्टियाँ
पिछले विनियोगों की कुल राशि पर ब्याज प्राप्त करने पर	Bank A/c Dr. To Debenture Sinking Fund A/c (Interest received on Sinking Investments)
वार्षिक राशि को अन्तरित करने पर	Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Debenture Sinkiing Fund A/c (Annual sum transferred to Deb. Sinking Fund A/c)
विनियोगों के विक्रय करने पर	Bank A/c Dr. To Debenture Sinking Fund Investment A/c (Sinking Fund Investments sold)
विनियोगों के विक्रय पर लाभ होने पर	Debenture Sinking Fund Investment A/c Dr. To Debenture Sinking Fund A/c (Profit on sale of investments tranferred to Debenture Sinking Fund A/c)
अथवा विनियोगों के विक्रय पर हानि होने पर	Debenture Sinking Fund A/c Dr. To Debenture Sinking Fund Investment A/c (Loss on sale of investments tranferred to Debenture Sinking Fund A/c)
ऋणपत्रों के भुगतान करने पर	Debentures A/c Dr. To Bank A/c (Debenture redeemed)
सिकिंग फण्ड के शेष को अन्तरित करने पर	Debenture Sinking Fund A/c Dr. To General Reserve A/c (Balance transferred)

वार्षिक किस्त (आहरण) द्वारा ऋणपत्रों का शोधन

[Redemption of Debentures by Annual Installment (Drawings)]

वार्षिक किस्त विधि के अनुसार ऋणपत्रों का भुगतान एक साथ नहीं किया जाता है, बल्कि कुल ऋणपत्रों के एक निश्चित भाग का प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है। साधारणतया इस प्रकार का भुगतान एक निश्चित वर्ष से प्रारम्भ होता है और निर्धारित समय के अन्तराल कुल ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया जाता है।

इस विधि के अनुसार कम्पनी जिन ऋणपत्रों का शोधन करना चाहती है, उन्हें लॉटरी द्वारा निकाल लिया जाता है और फिर उसका भुगतान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। अतः इस विधि को लॉटरी विधि भी कहा जाता है। यदि ऋणपत्रों के भुगतान पर कोई लाभ होता है, तो लाभ की राशि से ऋणपत्र खाता डेबिट तथा Profit on Redemption of Debentures A/c को क्रेडिट किया जाता है, अर्थात्

Debenture A/c Dr.

To Profit on Redemption of Debenture A/c

(Profit made on Redemption of Debenture)

पुनः Profit on Redemption of Debenture A/c के शेष को पूँजी संचय खाता (Capitl Reserve A/c) में हस्तान्तरित कर दिया जाता है, अर्थात्

Profit on Redemption of Debenture A/c Dr.

To Capital Reserve A/c

(Being transfer of Profit to Capital Reserve A/c)

खुले बाजार से अपने ऋणपत्रों का क्रय कर के ऋणपत्रों का शोधन

(Redemption of Debentures by the purchases of Own Debentures in Open Market)

जब स्कन्ध विपणि के माध्यम से कम्पनी अपने ऋणपत्रों को क्रय करती है, तो ऋणपत्रों को क्रय करने और रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कहा जाता है। कम्पनी के पास पर्याप्त मात्रा में आधिक्य होने तथा ऋणपत्रों का बाजार मूल्य उसके नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में यह विधि अपनायी जाती है। कम्पनी ऋणपत्रों का क्रय सममूल्य या प्रीमियम तथा छूट पर भी कर सकती है। साधारणतया कम्पनी अपने ऋणपत्रों का क्रय तब करती है जब बाजार की ब्याज दर से ऋणपत्रों की ब्याज दर अधिक होती है।

पार्षद अन्तर्नियम में प्रावधान रहने पर ही कम्पनी अपने ऋणपत्रों को खुले बाजार से क्रय करके उनका शोधन करती है। खुले बाजार से क्रय करने के निम्नलिखित दो विकल्प होते हैं –

1. निवेश के रूप में ऋणपत्रों का क्रय करना (Purchase of debentures as an investment
2. तुरन्त रद्द करने के लिए ऋणपत्रों का क्रय करना (Purchase of Debentures for immediate cancellation)

लेखा संव्यवहार (Accounting Treatment)

i. **रद्द करने के लिए ऋणपत्रों का क्रय** –विशेष परिस्थितियों में कम्पनी अपने स्वयं के ऋणपत्रों (Own Debentures) को बाजार में क्रय करके उनको रद्द अथवा परोक्ष रूप में शोधन कर देती है। प्रायः ऐसी खरीद उस समय की जाती है जबकि

बाजार में ऋणपत्र का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। प्रविष्टि निम्नवत की जाती है

स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय	Debenture A/c Dr. To Bank A/c To Profit on Redemption of Debentures A/c (Own debenture of Rs. ... each cancelled by Purchase in the open market at Rs. ....)

ऋणपत्रों का बाजार से क्रय करके शोधन करने से कम्पनी को जो लाभ होता है, वह उसका पूँजीगत लाभ है। इस लाभ में से ऋणपत्रों के निर्गमन पर यदि कोई हानि हुई हो, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है, अन्यथा इसे 'पूँजी संचय खाते' में अग्रलिखित लेखा प्रविष्टि द्वारा अन्तरित कर दिया जाता है।

पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण	Profit on Redemption of Debentures A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Transfer of Profit on redemption to Capital Reserve A/c)

यदि स्वयं के ऋणपत्रों को देय ब्याज की तिथि के अलावा अन्य किसी तिथि को खरीदा जाता हे, तो ब्याज के सम्बन्ध में भी समायोजन किया जायेगा।

ii. **विनियोजन करने हेतु** (For Investment) **स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय –**

यदि कम्पनी के पास अतिरिक्त धनराशि एकत्रित हो जाती है और उसका कहीं लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा हो, तो कम्पनी इस राशि को अपने स्वयं के ऋणपत्र क्रय करने में लगा सकती है, जिससे उसे देय ब्याज की बचत हो जाती है। प्रायः कम्पनी ऐसा निर्णय तभी लेती है, जबकि उसके ऋणपत्रों के बाजार में भाव कम रहते हैं। ऋणपत्रों को विनियोग के रूप में खरीदने पर निम्न प्रविष्टि की जाती है –

स्वयं के ऋणपत्रों का विनियोग रूप में क्रय	Own Debenture A/c Dr. To Bank A/c (Own Debenture Purchased)

यदि ऋणपत्रों को ब्याज की देय तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि को खरीदा जाता है, तो ब्याज के सम्बन्ध में भी समायोजन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अग्रांकित प्रविष्टि दी जाती है –

स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज अलग से भुगतान करने पर	Own Debenture A/c Dr. Interest on Own Debentures A/c Dr. To Bank A/c (Own Debenture Purchased)

विनियोग के रूप में रखे गये स्वयं के ऋणपत्रों को या तो कम्पनी कुछ समय पश्चात वापस बेच देती है या निरस्त कर देती है। ऋणपत्रों को लाभ अथवा हानि पर वापस बेचने पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है –

स्वयं के ऋणपत्रों को लाभ में बेचने पर	Bank A/c Dr. To Own Debentures A/c To Profit on Resale of Own Debenture a/c (Own Debenture sold at profit)

स्वयं के ऋणपत्रों को हानि पर बेचने पर	Bank A/c Dr. Loss on Resale of Own Debentures A/cDr. To Own Debentures a/c (क्रय मूल्य से) (Own Debentures sold at loss)

स्वयं के ऋणपत्रों को पुनः बेचने से यदि कोई लाभ हुआ हो तो उसे सामान्य संचय खाते या लाभ–हानि खाते में तथा हानि हुई हो तो उसे लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

स्वयं के ऋणपत्रों को निरस्त (Cancel) करने पर निम्नवत प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

रद्द करने से लाभ होने पर	Debentures A/c Dr. To Own Debentures A/c To Profit on Cancellation of Own Debenture A/c (Debenture Cancelled)

इस लाभ को पूँजीगत संचय में हस्तान्तरित किया जाता है –

रद्द करने से हानि होने पर	Debentures A/c Dr. Loss on Cancellation of To Own Debentures A/c (Debenture Cancelled)

रद्द करने पर हानि पूँजीगत प्रकृति की है, अतः इसे पूँजीगत लाभ से या लाभ–हानि खाने से अपलिखित किया जाता है।

यदि कम्पनी के पास ब्याज की देय तिथि को स्वयं के ऋणपत्र विनियोग के रूप में शेष हैं, तो ऐसे शेष पर देय ब्याज के लिए निम्न प्रविष्टि की जायेगी –

स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज प्राप्त होने पर	(i) Debentures Interest A/c Dr. To Interest on Own Debentures Ac
ब्याज की राशि के हस्तान्तरण पर	(ii) Interest on Own Debentures A/c Dr. To P & L a/c

उदाहरण–18

शान्ति लिमिटेड ने 01.01.2007 को A 100 वाले 20,000, 12% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। ब्याज का भुगतान वार्षिक किया जाना है।

2. 01.10.2008 को कम्पनी ने 3,000 ऋणपत्र A 98 की दर पर बाजार से क्रय किये। इन्हें 30.06.2009 को A 105 प्रति ऋणपत्र पर बेच दिया गया।
3. 01.01.2009 को इसने 2,000 ऋणपत्र A 104 प्रति ऋणपत्र की दर पर बाजार से क्रय किये। इन्हें 01.04.2009 को रद्द कर दिया गया।
4. 01.10.2009 को इसने 4,000 ऋणपत्र A 106 प्रति ऋणपत्र की दर पर खुले बाजार से क्रय किये। इन ऋणपात्रों का अन्य ऋणपत्रों के साथ 31. 12.2009 को A 5 प्रति ऋणपत्र प्रब्याजि पर शोधन कर दिया गया।

उपर्युक्त व्यवहारों को दिखाते हुए जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये। यह मानते हुए कि सभी सौदे ब्याज सहित किये गये हैं।

1. Shanti Ltd. has issued 20,000, 12% debentures of A 100 each on 01.01.2007. These Debentures are redeemable after 3 years. Iterest is payable annually.
2. On 01.10.2008 it buys 3,000 debentures from the market of A 98 per debentures. These are sold away on 30.06.2009 at A 105 per Debenture.
3. On 01.01.2008, it buys 2000 debentures at A 104 per debenture from tehopen market. These are cancelled on 01.04.2009.
4. On 01.10.2009, it bus 4000 debentures at A 106 per debenture from the open market. These debentures along with other debentures are redeemed on 31.12.2009 at a premium of A 5 per debenture.

Give journal entries showing the above transactions assuming that all the transactions are ex-interest.

हल-18

In the Books of Shanti Ltd. Journal Entries

Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (A)	Amount (A)
2007 Jan. 31	Bank A/c Dr. To 12% Debentures A/c (12% Debentures issued)		20,00,000	20,00,000
Dec. 31	Debenture Interest A/c Dr. To Bank A/c (Debenture interest paid)		2,40,000	2,40,000
Dec. 31	P & L A/c Dr. To Debenture Interest A/c (Debenture interest transferred)		2,40,000	2,40,000
2009 Oct. 31	Own Debentures A/c Dr. Interest on Own Debentures A/c To Bank A/c (Own Debentures purchases)		2,94,000 27,000	3,21,000
Dec. 31	Debenture Interest A/c Dr. To Bank A/c To Interest on Own Debentures A/c (Debenture interest paid)		2,40,000	2,04,000 36,000
Dec. 31	P & L A/c Dr. To Debenture Interest A/c (Debenture interest transferred to P & L A/c)		2,40,000	2,40,000
Dec. 31	Interest on Own Debentures A/c Dr. To P & L A/c (Interest on Own Debentures transferred)		9,000	9,000
2009 Jan. 1	Own Debentures A/c Dr. To Bank A/c (Own Debentures purchased)		2,08,000	2,08,000

April, 1	Debenture Interest A/c Dr. To Inteest on Own Debentures A/c (Debenture interest taken into account on cancellation of debentures)		6,000	6,000
April 1	12% Debentures A/c Dr. Loss on Cancellation of Own Debentures A/c Dr. To Own Debenture A/c (1,000 Own Debenture cancelled)		2,00,000 8,000	2,08,000
June 30	Bank A/c Dr. To Interest on Own Debentures A/c To Own Debentures A/c (Own Debentures sold @ A105 per debenture)		3,33,000	18,000 3,15,000
2009 June 30	Own Debentures A/c Dr. To Profit on Resale of Own Debentures A/c (Profit n resale of Own Debentures)		21,000	21,000
Oct. 1	Own Debenture A/c Dr. Interest on Debentures A/c Dr. To Bank A/c (Own Debentures purchased)		2,24,000 36,000	4,60,000
Dec. 31	Debentures Interest A/c Dr. To Bank A/c To Interest on Own Debenture A/c (Debenture interest paid)		2,16,000	1,68,000 48,000
Dec. 31	12% Debentures A/c Dr. Premium on Redemption of Debentures A/c Dr. To Bank a/c (Debentures redeemed)		14,00,000 70,000	14,70,000
Dec. 31	12% Debentures A/c Dr. Loss on Cancellation of Own Debentures A/c Dr. To Own Debentures A/c (Own Debentures cancelled)		4,00,000 24,000	4,24,000
Dec. 31	P & L A/c Dr. To Premium on Redemption of Debentures A/c To Loss on Cancellation of Own Debentures A/c To Debenture Interest A/c (Premium on redemption, loss on cancellation & Debenture interest transferred)		3,24,000	70,000 32,000 2,22,000
Dec. 31	Interest on Own Debentures A/c Dr. Profit on Resale of Own Debentures A/c Dr. To P& L A/c (Interest on Own Debentures & Profit on sale of Own Debentures a/c transferred)		36,000 21,000	57,000

टिप्पणियाँ –

1. **Interest paid on purchase of Own Debentures :**

Date	Nominal Amount	Period	Rate	Interest

2006, Oct. 1 2007, Oct. 1	3,00,000 4,00,000	9 month 9 months	12% 12%	27,000 36,000

2. Interest credited to Interest on Own Debentures A/c :

Date	Nominal Amount	Period	Rate	Interest
2007, Dec. 31 2008, April 1 2009, June 30 2009, Dec. 31	3,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000	12 months 3 months 6 months 12 months	125 12% 12% 12%	36,000 6,000 18,000 18,000

परिवर्तन द्वारा शोधन (Redemption by Conversion)

परिवर्तन द्वारा ऋणपत्रों के शोधन का आशय नये समता अंशों/ऋणपत्रों में परिवर्तन कर के ऋणपत्रों का शोधन करना है। परिवर्तनशील ऋणपत्रों (convertible debentures) को नये वर्ग के समता अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तित कर के शोधन किया जाता है। ये नए समता अंश या ऋणपत्र सममूल्य या प्रीमियम या छूट पर निर्गमित किये जाते हैं।

परिवर्तन द्वारा शोधन के वैधानिक नियम

(Legal Rules as to Redemption by Conversion)

1. कम्पनी अधिनियम के अनुसार ऋणपत्रों के अपरिवर्तनशील भाग को परिवर्तन द्वारा शोधन पर प्रतिबन्ध है।
2. ऋणपत्रधारियों को परिवर्तन द्वारा ऋणपत्रों के शोधन हेतु आवेदन देना पड़ता है।
3. कोई भी कम्पनी 36 माह से अधिक समय के लिए परिवर्तनशील ऋणपत्र निर्गमित नहीं कर सकती है तथा 18 माह से कम नहीं।
4. निर्गमन करने वाली कम्पनी के द्वारा प्रीमियम की राशि और परिवर्तन का समय निर्धारित किया जाता है।

जर्नल प्रविष्टियाँ

यदि ऋणपत्रधारी अपने ऋणपत्रों को अंश या नये ऋणपत्रों में परिवर्तन हेतु तैयार हो जाते हैं, तो निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जायेंगी –

1.	ऋणपत्रों पर देय रकम को ऋणपत्रधारियों के खाते में हस्तान्तरित करने के लिए	Debentures A/c (परिवर्तन की राशि से) Dr. To Debentureholders A/c (Transfer of convertibe debentures)
2.	ऋणपत्रधारियों को अंश नया ऋणपत्र दिये जाने पर (i) सममूल्य पर (at Par)	Debenturerholders A/c Dr. To share capital/new debentures A/c (Issue of Shares debentures to debentureholders)
	(ii) प्रीमियम पर (at Premium)	Debentureholders A/c Dr. To Share Capital/New Debentures A/c To Securities Premium A/c (Issue of Shares/Debenture at premium to debentureholders)
	(iii) बट्टा पर (at Discount)	Debentureholders A/c Dr. Discount on Issue of Shares Debenture A/c Dr.

		To Share Capital/New Debentures A/c (Issue of shares at discount)

परिवर्तन द्वारा भुगतान (Redemption by Conversion)

उदाहरण–19

अल्फा लिमिटेड ने A 100 वाले 4,000, 6% ऋणपत्र A 105 की दर से निर्गमित किये। ऋणपत्रधारियों को एक वर्ष के अन्दर ऋणपत्रों को अपने 100 वाले 8% पूर्वाधिकार अंशों में 125 प्रति अंश की दर से परिवर्तित करने का विकल्प है। प्रथम वर्ष के अन्त में ऋणपत्रों पर ब्याज अदत्त था। 200 ऋणपत्रधारियों ने विकल्प का लाभ उठाने का निश्चय किया। जर्नल के लेख कीजिये और इन मदों को कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखाइये।

Alfa Ltd. issued 4,000, 6% debentures of A100 each at A105. The debentureholders have the option of converting within one year debentures into 8% Preference Shares of 100 each at 125. At the end of the first year the interest on debentures was outstabding. Holders of 200 debentureholders decided to take the advantages of the option. Give Journal entries and show these items in the Balance Sheet of the Company.

Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
Date of Issue	Bank A/c Dr. To 6% Debentures A/c To Securities Premium A/c (Debentures issued at premium)		4,20,000	 4,00,000 20,000
End of First Year	Debenture Interest A/c Dr. To Debenture Interest Outstanding A/c (One year's interest due on debentures)		24,000	 24,000
End of First Year	6% Debentures A/c Dr. To 8% Preference Share Capital A/c To Securities Premium A/c (Conversion of 200 debentures of A 100 each into preference shares at a premium of A 25 per share)		20,000	 16,000 4,000

Balance Shee of Alfa Ltd. (as on ....)

Liabilities	Amount	Assest	Amount
Share Capital : 160 Preference Shares of 100 each full paid (These shares were issued for consideration other than cash) Reserves and Surplus : Securities Premium	 16,000		

(20,000 + 4,000)	24,000		
Secured Loan :			
3,800, 6% Debentures of A100 each	3,80,000		
Interest on Debentures outstanding	24,000		

13.18 सारांश

अंश का आशय एक ऐसी इकाई से है जिसमें कम्पनी की पूँजी विभाजित होती है। अंश कम्पनी के अर्न्तनियमों के अन्तर्गत हस्तान्तरणीय चल सम्पत्ति की श्रेणी में आते है। न्यून्तम अभिदान कुल पूँजी का वह भाग होता है जो निर्धारित समय में जनता द्वारा अभिदानित होना अनिवार्य है अन्यथा निर्गमन रद्द माना जाता है। अति अभिदान की स्थिति में सभी आवेदन पत्रों को आनुपातिक आधार पर आवंटन को ही यथानुपात बंटन कहते हैं।

ऋणपत्र निर्गमित करके धनराशि प्राप्त करना सबसे अच्छी एवं सुविधाजनक रीति है। ऋणपत्र एक ऐसा प्रलेख है जो कम्पनी पर ऋण को प्रमाणित करता है तथा ऋण के प्रमुख साधनों को प्रकट करता है। ऋणपत्र कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण की रसीद है जो एक प्रमाणपत्र के रूप में ऋणदाता को दी जाती है। प्रत्येक ऋणपत्र का अंकित मूल्य पूर्व निर्धारित रहता है जिस पर एक निश्चित दर ब्याज दिया जाता है। ऋणपत्रधारियों को अंशधारियों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं होता वरन् निर्गमन की शर्तानुसार एक निश्चित समयावधि पश्चात् ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। सामान्यः ऋणपत्र कम्पनी की सम्पत्तियों में चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते है। एक कम्पनी को स्वयं के ऋणपत्रों को क्रय करने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत कम्पनी खुले बाजार से ऋणपत्रों को क्रय कर के तुरन्त रद्द कर सकती है अथवा भावी विनियोग हेतु भी रख सकती है। ऋणपत्रों का शोधन एकमुश्त भुगतान द्वारा अथवा किस्तों द्वारा भी किया जा सकता है। इस हेतु शोध कोष विधि अथवा बीमा पॉलिसी विधि अपनाई जा सकती है।

प्रत्येक विनियोजक स्वयं को जोखिम से बचाने के लिए साधारणतया प्रारम्भ में ऋणपत्र लेना पसन्द करता है क्योंकि प्रारम्भिक परिस्थिति में कम्पनी को पर्याप्त लाभ नहीं होते। परन्तु बाद में जब कम्पनी उन्नति करती हे, तो अंशधारियों को लाभांश के रूप में अधिक राशि वितरित होती है। अतः ऋणपत्रधारी परिवर्तन द्वारा शोधन की स्थिति में अंशों में परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा केवल उसी दशा में सम्भव है जबक परिवर्तनशील ऋणपत्रों का निर्गमन किया गया हो।

13.19 शब्दावली

अंश प्रमाण पत्र (Share Certificate) – यह कम्पनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा के अधीन जारी एक प्रमाण पत्र है जिसमें अंशों की संख्या, धारक का नाम, फोलियो संख्या आदि विवरण लिखा होता है जो उसके स्वामित्व का प्रमाण है।

सेबी (SEBI) – सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचैंज बोर्ड ऑफ इण्डिया।

संचित पूंजी (Reserve Capital) – कम्पनी की न माँगी गई पूंजी का वह भाग है जो केवल कम्पनी के समापन की दशा में माँगा जा सकता है।

लाभांश (Dividend) – लाभ का ऐसा अंश जो कम्पनी द्वारा अपने अंशाधारियों को वितरित किया जाता है।

स्वेट इक्विटी अंश (Sweat Equity Shares) – ऐसे अंश जो कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को उनके द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी मूल्यवर्द्धन के प्रतिफल स्वरूप रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले जारी किये जाते है।

बंधक ऋणपत्र – ऐसे ऋणपत्र जिनके पास कम्पनी की कोई सम्पत्ति गिरवी रखी जाती है।

नग्न ऋणपत्र – जिन ऋणपत्र धारकों के पास कम्पनी की कोई सम्पत्ति गिरवी नहीं रखी जाती।

शून्य ब्याज ऋणपत्र – ऐसे ऋणपत्र पर कम्पनी द्वारा जीवनकाल में कोई ब्याज नहीं दिया जाता।

न्यूनतम अंशदान – सेबी के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अंशदान की राशि कुल निर्गमन का 90% निर्धारित किया जाता गया है।

प्रारम्भिक व्यय – ऐसे व्यय जो कम्पनी निर्माण के समय व्यय किये जाते हैं। इसे अंश प्रीमियम खाते से अथवा लाभ–हानि खाते से अपलिखित किया जाता है।

पूंजी संचिति खाता – पूंजीगत लाभों में से पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के बाद शेष राशि को इस खातें में हस्तांतरित किया जाता है।

ब्याज सहित मूल्य – जब ऋणपत्र के खरीद मूल्य में पिछली बीती हुई अवधि (जिस पर ब्याज देय हो गया है) का ब्याज सम्मलित होता है तथा जिसके लिए क्रेता को कोई अतिरिक्त धन का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

ब्याज रहित मूल्य – जब ऋणपत्र खरीदने वाली कम्पनी को बीती हुई अवधि का ब्याज पुराने ऋणपत्रधारी को खरीद मूल्य के अतिरिक्त देना पड़ता है। अर्थात् खरीद मूल्य में ऋणपत्र पर पूर्व अविध में अर्जित ब्याज सम्मलित नहीं माना जाता है।

13.20 बोध प्रश्न

1. अंश पूँजी वाली कम्पनी की पूँजी को एक निश्चित राशि के जिन भागों में बाँटा जाता है, उन्हें .... कहते हैं।
2. ....के अन्तर्गत लाभांश का भुगतान किसी विशेष वर्ष में प्राप्त न होने पर आगामी वर्षों में समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान प्राप्त होने से पहले इस लाभांश का भुगतान होगा।
3. .... को पंजीकृत पूंजीएवं नाममात्र पूंजी भी कहते हैं।
4. जब किसी कम्पनी को जनता को प्रस्तावित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति को अंशों का .... कहते हैं।
5. .... से आशय उस प्रपत्र से है, जो ऋण का निर्माण करता है।
6. .... वे ऋणपत्र होते हैं, जिसमें ऋणपत्र धारकों का नाम कम्पनी की पुस्तक में लिखा रहता है।

13.21 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. अंश, 2. संचयी पूर्वाधिकार अंश, 3. अधिकृत पूंजी 4. अति–अभिदान 5. ऋणपत्र 6. रजिस्टर्ड ऋणपत्र

13.22 स्वपरख प्रश्न

1. अंश प्रमाण पत्र किसे कहते हैं ?
2. अंशों के अति अभिदान से आप क्या समझते हैं ?
3. पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होत हैं ?
4. स्वेट ईक्विटी अंश क्या है ?
5. अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं ?
6. अंशों के समर्पण और अंशों के हरण में क्या अन्तर हैं ?
7. ऋणपत्र से आप क्या समझते है ?
8. ऋणपत्रों का समर्थक ऋणधार के रूप में निर्गमन से आप क्या समझते है?
9. अंश व ऋणपत्रों पर देय ब्याज की लेखांकन प्रविष्टि दीजिए।
10. ऋणपत्रों के शोधन के लिए कोषों के विभिन्न स्रोत बताइये।
11. ऋणपत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को बताइये।
12. ऋणपत्र के निर्गमन पर बट्टे के लेखांकन व्यवहार को समझाइए।

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. 'एक्स लिमिटेड' ने जनता से A 10 वाले 50,000 ईक्विटी अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन–पत्र आमन्त्रित किए। जनता से 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को यथानुपात अंशों का बटन कर दिया गया। अंशों पर राशि निम्न प्रकार देय थी :

   आवेदन पर A 2, बंटन पर A 5 तथा प्रथम व अन्तिम माँग पर A 3।

   राम को छोड़कर सभी अंशधारियों ने अपने अंशों पर देय राशि का भुगतान कर दिया। राम ने जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था बंटन एवं माँग राशियों का भुगतान नहीं किया।

   कम्पनी की पुस्तकों में उपुर्यक्त व्यवहारों के लिए जर्नल व रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ दीजिए।

   X Ltd. invitied applications for the issue of 50,000 equity shares of A 10 each. Applications for 60,000 shares were received from public. All applicants were allotted shares pro-rata. The amounts on shares were payable as : A 2 on application, A 5 on allotimetn, and A 3 on first and final call.

   All the shareholdres paid the amount due on their shares except Ram, who applied for 240 shares, did not pay the allotment and call moneys.

   Give journal and cash book entires for the above transactions in the book of the company.

2. निम्नांकित के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

   अ) संचालकों ने A को निर्गमित 200 अंशों को A 20 अन्तिम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर लिया। A 100 वाले ये अंश को A 10 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किये गये।

(ब) B के A 100 वाले 100 अंश जो A 50 की प्रथम एवं अन्तिम याचना का भुगतान नहीं होने से जब्त कर लिये गये थे, C को A 70 प्रति अंश पूर्णतः चुकता मानते हुए पुनर्निर्गमित किये गये।

(स) कम्पनी ने A 62,500 में एक मशीन का क्रय किया और क्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान A 100 वाले अंशों को A 25 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित कर दिया।

Give Journal entries for the following :

(a) The Directors forfeited 200 shares issued to A on account of non-payment of the final call of A 20. These shares of A 100 each were issued to B at a premium of A 10 each per share.

(b) B's 100 forfeited shares of A 100 each for non-payment of first and final call of A 50 are re-issued to C for A 70 per share fully paid-up.

(c) The company purchased a machine for A 62,500 and made full payment of purchase price by issuing shares of A 100 at a premium of A 25 per share.

3. एक कम्पनी की अंश पूँजी में प्रत्येक A 100 वाले 10,000 पूर्ण दत्त विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश भी थे। जब अंश शोधन हेतु देय हो गया, तब कम्पनी के पास इसके संचय कोष में A 6,00,000 थे। शोधन के विशेष उद्देश्य से कम्पनी ने A 25 वाले आवश्यकतानुसार समता अंशों को निर्गमित किया। तब नये निर्गमन में से पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कर दिया गया और बाकी संचय कोष से चुकाया गया।

उपर्युक्त लेन–देनों को अभिलेखित करते हुए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

A Company has as part of its share capital 10,000 redeemable preference shares of A 100 each fully paid-up. When the shares become due for redemption, the company had A 6,00,000 in its reserve fund. The company issues necessary equity shares of A 25 specifically for the purpose of redemption and received cash in full. The redeemable preference shares were then paid out of the new issue, the balance being met from the reserve fund.

Make the necessary Journal entries recording the above transactions.

4. मान्या स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का पंजीयन A 15,00,000 से हुआ जो A 10 वाले 1,00,000 समता अंशों में और A 100 वाले 5,000, 8% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित हैं। 80,000 समता अंश एवं 2,000 पूर्वाधिकार अंश बिक्री के लिए प्रस्तावित किये गये। समता अंशों एकमुश्त चुकाये जाने थे। सभी अंशों की बिक्री हो गयी। सभी किस्तों पर देय समस्त राशि प्राप्त हो गयी, सिर्फ चन्दन को छोड़कर जिसके पास 600 समता अंश थे, याचना की राशि नहीं चुकायी गयी।

उपर्युक्त लेन–देनों का लेखा करने के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा चिठ्टा बनाइए।

Manya Spinning Mills Ltd. was registered with a capital of A 15,00,000 divided into 1,00,000 Equity Shares of A 10 each and 5,000, 8% Preference Shares of A 100 each. 80,000 Equity Shares and 2,000 Preference Shares were offered for public subscription. Equity shares were payable as A 5 per share on application, A 3 per share on allotment and the balance on a call, whereas the Preference shares were payable at a time. All the shares were subscribed. All money due on all instalments were received except Chandan holding 600 Equity shares failed to pay the call. Pass necessary Journal entries to record the above transactions an prepare the Balance Sheet.

5. एक कम्पनी ने A 100 वाले 2,000, 12% ऋणपत्र A 95 प्रति ऋणपत्र की दर से निर्गमित किये। इन पर A30 आवेदन पर, A 50 बंटन पर तथा शेष माँग पर देय हैं। आनन्द, जिसके पास 50 ऋणपत्र है, ने माँग राशि का भुगतान नहीं किया। शेष राशि यथा समय प्राप्त हो गयी। कम्पनी की पुस्तकों में 12% ऋणपत्र पत्र खाता बनाइये।

(A company is issued 2,000 12% Debentures of A 100 each at A 95 per Debenture. Amount payable as A 30 on application A 150 on allotment and the balance on call. Anand, who holds 50 Debentures did not pay the call money. Rest of the amount was duly received. Prepare 12% Debentures Account in the books of the company.)

6. निम्नलिखित के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।
   i. X लिमिटेड ने A 100 वाले 4,000, 8% ऋणपत्र जारी किये जिन पर A 40 आवेदन पत्र और शेष आबंटन पर देय है।
   ii. Y लिमिटेड ने A 100 वाले 10,000, 6% ऋणपत्र A 10 प्रीमियम पर जारी किये जिन पर A 40 आवेदन पत्र तथा शेष प्रीमियम सहित आबंटन पर देय है।
   iii. Z लिमिटेड ने A 100 वाले 6,000, 11% ऋणपत्र 5% कटौती पर निर्गमित किये जो एक किस्त में ही देय है।
   i. X Ltd. issued 4,000, 7% Debentures of A 100 each, payable as A 40 on Application and balance on Allotment.
   ii. Y Ltd. issued 10,000, 6% Debentures of A 100 each at a premium of A 10 payable as A 40 on Application and balance on Allotment including premium.
   iii. Z Ltd. issued 3,000, 11% Debentures of A 100 each at a discount of 5% payable in one instalment.

7. एक कम्पनी ने A 100 वाले 5000, 10% ऋणपत्र A 95 प्रति ऋणपत्र की दर से निर्गमित किये। इनका भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था। A 15

आवेदन पत्र पर, A 35 आवंटन पर, A 10 प्रथम याचना पर और शेष A 35 द्वितीय याचना पर।

ऋणपत्रों के निर्गमन की एक शर्त यह थी कि ऋणपत्रों की सारी राशि इकट्ठी ऋणपत्रों के आबंटन की तिथि पर भुगतान की जा सकती है और ऐसी दशा में इस अग्रिम भुगतान की राशि पर 60% प्रति वर्ष दर से ब्याज दिया जायेगा और इस ब्याज का भुगतान उस तिथि को किया जायेगा, जबकि अन्तिम याचना की राशि का भुगतान किया जाना है। 200 ऋणपत्रधारियों ने इसी शर्त के अनुसार ऋणपत्रों की राशि का भुगतान आबंटन तिथि पर ही कर दिया। निर्गमन तिथि 1 जनवरी 2009 आबंटन तिथि 1 फरवरी, 2009 प्रथम याचना तिथि 1 मार्च, 2009 और द्वितीय याचना तिथि 1 जून 2009 है। कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए।

A company is issued 5,000 10% Debentures of A 100 each at A 95 per Debenture payable as under : A15 on application, A 35 on allotment, A 10 on 1st call and balance of A 35 on 2nd call.

One of the conditions of issue of debentures was that whole of the amount of debentures can be paid at the time of allotment of debentures and in this case interest @ 6% per annum will be paid by the company on the advance money received and this interest will be paid on the date of payment of last call. Holders of 200 debentures paid whole of the amount of debentures on allotment in accordance with this condition. Date of issue Jan. 1, 2009 date of allotment Feb. 1, 2009, date of 1st call March 1, 2009 date of second call June 1, 2009. Pass necessary Journal entries in the books of the company.

8. आर लिमिटेड ने A 8,00,000 को 15 प्रतिशत प्रथम बन्धक ऋणपत्र प्रत्येक A 100 का A 98 पर निर्गमित किए। निर्गमन का पूर्णतया अभिदान हुआ। ऋणपत्रों का बंटन 31 मार्च को किया गया। भुगतान निम्न प्रकार देय था – प्रार्थना–पत्र के साथ 10 प्रतिशत, बंटन पर 40 प्रतिशत, 30 सितम्बर को 25 प्रतिशत तथा शेष राशि 30 नवम्बर को। निर्गमन की शर्तों के अधीन बंटन पर पूर्ण भुगतान किया जा सकता था। इस प्रकार अग्रिम भुगतान की राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना था जो कि कम्पनी द्वारा 31 दिसम्बर को देय है। ऋणपत्रों के आधे आबंटियों ने अग्रिम भुगतान की शर्तो का लाभ उठाया, अन्य आबंटियों ने देय तिथियों पर भुगतान किया।

उपुर्यक्त सौंदों का कम्पनी के जर्नल में दर्ज कीजिए।

R Ltd. made an issue of A8,00,000, 15% First Mortagae Debentures (A 100 each) at A 98. The issue was fully subscribed. The debentures were allotted on 31st March, subscription being payable. 10% on application, 40% on allotment, 25% on 30th September and the balance on 30th November. Under the terms of the issue, payment could be made in full on allotment, interest on

any amounts prepaid being allowable at the rate of 5% annum, such interest was payable by the company on 31st December. The allottees of on-half of the debentures took advantage of the pre-payment terms. The others paid on the due dates. Journalise the above transactions in the books of the company.

13.23 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई 14 कम्पनी के अन्तिम खाते (COMPANY FINAL ACCOUNTS)

इकाई की रूपरेखा

14.1 प्रस्तावना
14.2 कम्पनी अधिनियम 2013 एवं अन्तिम खाते
14.3 सामान्य अनुदेश
14.4 चिट्ठा का प्रारूप और सामान्य अनुदेश
    14.4.1 आर्थिक चिट्ठा तैयार करने हेतु सामान्य अनुदेश
    14.4.2 समता एवं दायित्वों की व्याख्या
    14.4.3 सम्पत्तियों की व्याख्या
14.5 लाभ–हानि विवरण का प्रारूप एवं सामान्य अनुदेश
14.6 लाभ हानि खाता तैयार करने के सामान्य नियम
14.7 सारांश
14.8 शब्दावली
14.9 बोध प्रश्न
14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
14.9 स्वपरख प्रश्न
14.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- कम्पनी के अन्तिम लेखों का अर्थ समझाया जाय।
- लेखा वर्ष के अन्त में कम्पनी की लाभ–हानि ज्ञात की जा सके।
- वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की आर्थिक स्थिति ज्ञात की जा सके।
- कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जा सकें।

14.1 प्रस्तावना

अन्तिम खाते या वित्तीय विवरण लेखाकंन प्रक्रिया का अन्तिम चरण है। वित्तीय विवरणों से अभिप्राय ऐसे प्रलेखों या विवरणों से है, जिनमें सम्बन्धित संस्था या कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं का वर्णन रहता है। वित्तीय विवरणों के अन्तर्गत मुख्य रूप से दो विवरणों को सम्मलित किया जाता है।

1. आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)
2. लाभ–हानि विवरण (Statement of Profit and Loss)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार ''वित्तीय विवरण कम्पनी या कम्पनियों की स्थिति विवरण का सच्चा एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे, वे धारा 133 में अधिसूचित लेखांकन प्रमापों का पालन करेंगे तथा अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में होंगे।''

आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)

चिट्ठा का आशय तथ्यों एवं समकों को विधिवत, औपचारिक एवं बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करने से है, जिसमें कुल सम्पत्तियों व कुल दायित्वों को उचित

मूल्य पर एक निर्धारित तिथि को एक निर्धारित अवधि के पश्चात दर्शाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे को सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी कहा जाता है।

लाभ–हानि खाता (Statement of Profit and Loss)

यह एक ऐसा विवरण है, जिसमें अर्जित आयों एवं अन्य लाभों तथा उनके सापेक्ष आयों को अर्जित करने में किये गये व्ययों एवं हानियों का उल्लेख किया जाता है। परम्परागत रूप से इसके अन्तर्गत निर्माणी खाता व्यापारिक खाता तथा लाभ–हानि खाता शामिल किया जाता है। भारत में कम्पनियों के लिए लाभ–हानि खाता विवरण बनाने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश दिये गए हैं।

14.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं अन्तिम खाते (Companies Act, 2013 and Final Accounts)

अनुसूची III की मुख्य बातें –

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष से सभी कम्पनियों पर लागू है, जिन कम्पनियों पर अन्य कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता।
2. आर्थिक चिट्ठे का लम्बवत प्रारूप का ही प्रयोग किया जायेगा। चिट्ठे का क्षैतिज प्रारूप विलोपित कर दिया गया है।
3. लाभ–हानि विवरण अनुसूची III के भाग II में प्रारूप निर्धारित किया गया है।
4. निर्वचन एवं सारांश पुरानी अनुसूची का भाग III तथा भाग IV का विलोप कर दिया गया है।
5. अनुसूची III की विषय सामग्री निम्नवत् है –
   - अ. सामान्य अनुदेश
   - ब. चिट्ठे का प्रारूप
   - स. लाभ हानि विवरण का प्रारूप

14.3 सामान्य अनुदेश (General Instructions)

अनुसूची III के सामान्य अनुदेशों में विशेष रूप से निम्नलिखित प्रदत्त हैं –

1. अधिनियम व लेखा प्रमाण के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय विवरणों या उनके भाग बनने वाले व्यवहार या प्रकटीकरण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो ऐसे परिवर्तन किये जा सकेंगे। उपरोक्तानुसार अनुसूची III में सुधार किया जायेगा।
2. अनुसूची III के भाग I व भाग II की प्रकटीकरण की अपेक्षायें कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित लेखा प्रमापों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त है।
3. लेखा प्रमापों में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण को खातों के टिप्पणियों के रूप में या अतिरिक्त विवरणों के माध्यम से किया जायेगा, जब तक कि वित्तीय विवरणों के मुख पर प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।
4. आर्थिक चिट्ठे व लाभ–हानि विवरण के मुख पर वर्णित प्रत्येक मद का खातों की टिप्पणियों के सम्बद्ध किसी सूचना हेतु संदर्भ संख्या का उल्लेख होगा।

5. कम्पनी के टर्नओवर के आधार पर वित्तीय विवरण में दर्शायी संख्याओं को निम्न प्रकार सन्निकट किया जायेगा।

अ. A 100 करोड़ से कम	निकटतम सैकड़ा, हजार, लाख निकटतम लाख या इसके दशमलव तक
ब. A 100 करोड़ या अधिक	मिलियन या करोड़ या इसके दशमलव तक

माप मान की जिस इकाई का चुनाव एक बार किया जाय, वित्तीय विवरणों में एक समान रूप से उस इकाई का ही प्रयोग होना चाहिये।

6. कम्पनी के समक्ष रखे गये प्रथम वित्तीय विवरणों के अपवाद सहित बाद के सभी वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी मदों के लिए पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में समतुलनाओं को भी दर्शाया जायेगा।

14.4 चिट्ठा का प्रारूप और सामान्य अनुदेश (Form of Balance sheet and General Instruction)

अनुसूची III के भाग I में प्रदत्त चिट्ठा का प्रारूप निम्नवत् है –

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period	Figures as at the end of the previous reporting period
1. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholder's funds			
a. Share capital			
b. Reserves and surplus			
c. Money received against share warrants			
(2) Share application money pending allotment			
(3) Non-current liabilities			
a. Long-term borrowings			
b. Deferred tax liabilities (Net)			
c. Other Long term liabilities			
d. Long-term provisions			
(4) Current liabilities			
a. Short-term borrowings			
b. Trade payables			
c. Other current liabilities			
d. Short-term provisions			
TOTAL			
2. ASSETS			
(1) Non-current assets			
a. Fixed assets			
i. Tangible assets			
ii. Intangible assets			
iii. Capital work-in-progress			
iv. Intangible assets under development			

b. Non-current investments c. Deferred tax assets (net) d. Long-term loans and advances e. Other non-current assets **(2) Current assets** a. Current investments b. Inventories c. Trade receivables d. Cash and cash equivalents e. Short-term loans and advances f. Other current assets **TOTAL**			

यह स्पष्ट है कि अनुसूची III में चिट्ठे के ऊपरी भाग को समता दायित्व कहा गया है तथा निचले भाग को 'सम्पत्ति' के रूप में रखा गया है।

14.4.1 आर्थिक चिट्ठा तैयार करने हेतु सामान्य अनुदेश

(General Instructions for Preparation of Balance Sheet)

आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के सम्बन्ध में प्रदत्त सामान्य अनुदेश सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को चल और अचल वर्गों में परिभाषित करते हैं।

1. **चालू सम्पत्ति** (Current Assets)

   सम्पत्ति को तभी चल सम्पत्ति माना जायेगा जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती हो –

   क. व्यवसाय के सामान्य परिचालन चक्र में उसकी वसूली प्रत्याशित हो या विक्रय हेतु या उपभोग हेतु तैयार हो।

   ख. सम्पत्ति को मूलतः व्यापार हेतु धारित किया गया हो।

   ग. सम्पत्ति को वित्तीय रिपोर्ट तिथि के बाद के बारह महीने के अन्दर होने की प्रत्याशा हो।

2. **चालू दायित्व** (Current Liabilities)

   दायित्व को तभी चल दायित्व कहा जाता है जबकि वह निम्नलिखित मापदण्डों में से किसी एक मापदण्ड को पूरा करती हो –

   क. उसका निपटारा कम्पनी के सामान्य परिचालन चक्र में किये जाने की प्रत्याशा हो।

   ख. दायित्व व्यापार करने हेतु धारित किया गया हो।

   ग. दायित्व का निपटारा रिपोर्टिंग तिथि के बाद के बारह माह में होना हो।

   घ. वार्षिक रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह माह के लिए दायित्व के निटपाने को स्थगित करने का शर्त रहित कोई अधिकार नहीं हैं

3. **व्यापारिक प्राप्य** (Trade Receivables)

   वह व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में बेचे गये माल या प्रदत्त सेवाओं के उपलक्ष्य में देय रकम से सम्बन्धित हो। इसमें देनदारों और प्राप्य बिलों को शामिल किया जाता है।

4. **व्यापारिक देय** (Trade Payables)

एक देय को 'व्यापारिक देय' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, यदि वह व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में खरीदे गये माल या प्राप्त सेवाओं के सम्बन्ध में चुकता योग्य हो।

14.4.2 समता एवं दायित्वों की व्याख्या (Explanation of Equity and Liabilities)

1. **अंशधारी कोष** (Shareholder's Funds)

क. **अंशपूँजी** (Share Capital) – अधिकृत अंशों की संख्या व रकम निर्गमित, प्रार्थित व पूर्ण चुकता अंशों की संख्या, प्रति अंश अंकित मूल्य अदत्त माँगे एवं अपहृत अंश का विवरण इसके अन्तर्गत दिया जाता है।

ख. **संचितियाँ व आधिक्य** (Reserves and Surplus) – संचितियों व आधिक्य में पूँजीगत संचिति पूँजी शोधन सम्पत्ति, प्रतिभूति प्रीमियम संचिति ऋणपत्र शोधन संचिति, पुनर्मूल्यांकन संचिति आदि संचिति को दर्शाया जाता है।

ग. **अंश वारण्ट के बदले प्राप्त राशि** (Money Received against Share Warrants) – अंश वारण्ट सामान्यतः इस आशय से निर्गमित किये जाते हैं कि एक निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि पर वारण्टों को परिवर्तित करके उन्हें अंशों का निर्गमन किया जा सके। अंश वारण्ट अंश पूँजी की तरह ही होते हैं।

2. **आबंटन पूर्ण न होने पर अंश प्रार्थनापत्र राशि** (Share Application Money Pending Allotment) – कम्पनी ने अंश प्रार्थना राशि प्राप्त की हो, लेकिन अंश को आबंटन चिट्ठे की तिथि को पूर्ण न हुआ हो, इस प्रकार की प्रार्थना राशि को एक दायित्व माना जायेगा और इसे शीर्षक में दर्शाया जायेगा।

3. **गैर चालू दायित्व** (Non-current Liabilities)

क. **दीर्घकालीन उधार** (Long term Borrowing) – बन्धपत्र/ऋणपत्र, सावधि ऋण, स्थगित भुगतान दायित्व, निक्षेप (12 माह के पश्चात देय) वित्तीय पट्टा बाध्यताओं की दीर्घकालीन देयता आदि को दीर्घकालीन उधार शीर्षक में दर्शाया जाता है।

ख. **स्थगित कर दायित्व** (Deferred Tax Liabilities) – स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है, जबकि लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है। ऐसी दशा में लेखांकन आय पर कुल आय कर लाभ–हानि खाते में नामित किया जाता है। कर योग्य आय पर कर की राशि चालू कर खाता या कर के लिए प्रावधान में जमा की जाती है तथा शेष को स्थगित कर दायित्व में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

ग. **अन्य दीर्घकालीन दायित्व** (Other Long-term Liabilities) – व्यापारिक देय (यदि 12 माह से अधिक पर देय हो) अन्य देय भी दीर्घकालीन दायित्व में दर्शाये जाते हैं।

घ. **दीर्घकालीन प्रावधान** (Long-term Provisions) – दीर्घकालीन प्रावधान में कर्मचारी सुविधाओं हेतु प्रावधान एवं अन्य को सम्मिलित किया जाता है।

4. **चालू दायित्व** (Current Liabilities)

क. **अल्पकालीन उधार** (Short-term Borrowing) – माँग पर देय ऋण, सम्बद्ध पक्षों से ऋण तथा अग्रिम, अल्पकालीन निक्षेप आदि को दर्शाया जाता है।

ख. **व्यापारिक देय** (Trade Payable) – इसमें लेनदारों एवं देय बिलों को शामिल किया जाता है।

ग. **अन्य चल दायित्व** (Other Current Liabilities) – दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वतायें, उधारी पर ब्याज अर्जित परन्तु देय नहीं, उधारी पर अर्जित व देय ब्याज, अग्रिम में प्राप्त आय, न चुकाया लाभांश, अदत्त व्यय आदि को शामिल किया जाता है।

घ. **अल्पकालीन प्रावधान** (Short-term Provisions) – कर्मचारी सुविधाओं हेतु प्रावधान, कर के लिए प्रावधान, प्रस्तावित लाभांश आदि।

14.4.3 सम्पत्तियों की व्याख्या (Explanation of Assets)

1. **गैर चालू सम्पत्तियाँ** (Non Current Assets)

गैर चालू सम्पत्तियों से आशय उन सम्पत्तियों से है जो एक साल से अधिक के लिए रखी जाती हैं। इन्हें दीर्घकालीन सम्पत्ति भी कहते हैं। गैर चालू/स्थायी सम्पत्तियों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है –

क. **स्थायी सम्पत्तियाँ** (Fixed Assets)

(i) **मूर्त सम्पत्तियाँ** (Tangible Assets) – जिनका वास्तविक अस्तित्व होता है और जिसे देखा व अनुभव किया जा सकता है, जैसे – भूमि, भवन, संयंत्र, फर्नीचर, वाहन आदि।

(ii) **अमूर्त सम्पत्तियाँ** (Intangible Assets) – जिनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन जिनका मूल्य होता है, जैसे – ख्याति, ब्राण्ड/ट्रेडमार्क, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेन्ट्स, अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार, नुस्खे, सूत्र, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप, लाइसेन्स आदि।

(iii) **पूँजीगत कार्य प्रगति** (Capital Work in Progress) – सम्पत्ति एवं संयंत्र आदि के निर्माण की लागत, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।

ख. **गैर चालू निवेश** (Non-current Investments)

सम्पदा निवेश इक्विटी निवेश, अंशों में निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, ऋणपत्रों में निवेश, परस्पर निधियों में निवेश, अन्य गैर चालू निवेश आदि को शामिल किया जाता है।

ग. **स्थगित कर सम्पत्ति** (Deferred Tax Assets)

लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के अन्तर पर कर की राशि को स्थगित कर सम्पत्ति माना जाता है। यह इस आशा में दर्शाया

जाता है कि कर अधिकारी कुछ हानियों को प्रावधान के समय नहीं वरन् वास्तव में होने पर स्वीकार करते हैं। अशोध्य ऋण के लिये संचय ऐसी स्थिति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

घ. **दीर्घकालीन ऋण या अग्रिम** (Long-term Loans and Advances)
दीर्घकालीन ऋण में पूँजी अग्रिम, प्रतिभूति निक्षेप सम्बन्धित पक्षकारों को ऋण तथा अग्रिम (सुरक्षित एवं असुरक्षित) अन्य ऋण तथा अग्रिम को शामिल किया जाता है।

ङ **अन्य गैर–चालू सम्पत्तियाँ** (Other Non-current Assets)
इसमें दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य आदि को सम्मिलित किया जाता है।

2. **चालू सम्पत्तियाँ** (Current Assets)

चालू सम्पत्तियाँ वे सम्पत्तियाँ होती हैं, जो एक वर्ष या इससे कम समय के लिए होती हैं। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है –

क. **चालू निवेश** (Current Investment) – चालू निवेश से आशय इक्विटी प्रलेखों में निवेश, पूर्वाधिकार अंशों में निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, ऋणपत्रों एवं बन्धपत्रों में निवेश, परस्पर निधियों में निवेश, साझेदारी फर्मों में निवेश आदि को सम्मिलित किया जाता है।

ख. **रहतिया** (Inventories) – रहतिये में कच्चा माल/सामग्री, चालू कार्य, तैयार माल, व्यापारिक स्कन्ध, स्टोर्स, खुले औजार आदि को सम्मिलित किया जाता है।

ग. **व्यापारिक प्राप्य** (Trade Receivables) – इसमें एक वर्ष के अन्तर्गत परिपक्व होने वाले देनदारों और प्राप्य विपत्रों को शामिल किया जाता है।

घ. **नकद एवं नकद समतुल्य** (Cash and cash Equivalents) – इसके अन्तर्गत बैंक शेष, हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, रोकड़–हाथ–में आदि को दर्शाया जाता है।

ङ **अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम** (Short term Loans and Advances) – अल्पकालीन ऋणों और अग्रिमों में सम्बन्धित पक्षकारों के ऋण और अग्रिम आदि को दर्शाया जाता है।

च. **अन्य चालू सम्पत्तियाँ** (Other Current Assets) – इसके अन्तर्गत पूर्वदत्त व्यय, विनियोग एवं अर्जित ब्याज आदि को शामिल किया जाता है।

14.5 लाभ–हानि विवरण का प्रारूप एवं सामान्य अनुदेश (Form of Statement of Profit and Loss)

लाभ–हानि विवरण का प्रारूप अनुसूची III (भाग–II) में शामिल किया गया है। इसे निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है –

FORM OF STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

Name of the Company ....

Statement of Profil & Loss (for the year ended ....) (Rupees in)

Particulars	*Note*	*Figures as at*	*Figures as at the*

		No.	*the end of current reporting period*	*end of the previous reporting period*
	1	2	3	4
I	Revenue from operations		xxx	xxx
II	Other Income		xxx	xxx
III	Total Revenue (I + II)		xxx	xxx
IV	Expenses :			
	Cost of Materials consumed		xxx	xxx
	Purchases of Stock-in-Trade		xxx	xxx
	Changes in inventories of finished goods, Work-in-progress and Stock-in-Trade		xxx	xxx
	Employee benefits expenses		xxx	xxx
	Finance costs			
	Depreciation and amortisation expense		xxx	xxx
	Other expenses		xxx	xxx
	Total expenses		xxx	xxx
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		xxx	xxx
VI	Exceptional items		xxx	xxx
VII	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		xxx	xxx
VIII	Extraordinary items		xxx	xxx
IX	Profit before tax (VII – VIII)		xxx	xxx
X	Tax expenses :			
	1. Current tax		xxx	xxx
	2. Deferred tax		xxx	xxx
XI	Profit (Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		xxx	xxx
XII	Profit /Loss from discontinuing operations		xxx	xxx
XIII	Tax expenses of discontinuing operations		xxx	xxx
XIV	Profit/Loss from discontinuing operations (after tax) (XII – XIII)		xxx	xxx
XV	Profit (Loss) for the period (XI + XIV)		xxx	xxx
XVI	Earnings per equity share :			
	1. Basic		xxx	xxx
	2. Diluted		xxx	xxx

यह महत्वपूर्ण है। अनुसूची III में 'Profit and Loss A/c' का नाम परिवर्तित करके 'Statement of Profit and Loss' कर दिया गया है।

14.6 लाभ–हानि विवरण तैयार करने के सामान्य नियम (General Instructions for Preparation of Statement of Profit & Loss)

1. **लाभ–हानि विवरण** – इसमें किसी प्रकार के नियोजन मद का वर्णन नहीं किया जाता है।
2. **परिचालन से आय** (Revenue from operations) – किसी कम्पनी के सन्दर्भ में परिचालन से आगम को अलग से टिप्पणी के रूप में (क) उत्पादों की बिक्री, (ख) सेवाओं की बिक्री, (ग) अन्य परिचालन आगम (राजस्व) के रूप में (क+ख+ग) के योग में से उत्पाद शुल्क घटाकर प्रकट किया जायेगा।

3. **अन्य आय** (Other Income) – इसमें ब्याज से आय लाभांश से आय, विनियोगों की बिक्री से शुद्ध लाभ, अन्य गैर परिचालन आय को शामिल किया जाता है।

4. **वित्त सम्बन्धी लागतें** (Finance Cost) – वित्त सम्बन्धी लागतों में ब्याज सम्बन्धी व्यय, अन्य उधार सम्बन्धी लागतें आदि को शामिल किया जाता है।

5. **अतिरिक्त सूचनाओं के नोटिस** (Notes of Additional Informations) – एक कम्पनी निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में सकल व्यय एवं सकल आय के अतिरिक्त सूचना टिप्पणी के रूप में प्रकट करेगी –

(अ) क. कर्मचारियों की सुविधा पर व्यय
- ख. ह्रास व परिशोधन
- ग. आय या व्यय की कोई मद जो परिचालन के आगम का एक प्रतिशत या A1,00,000 से अधिक हो,
- घ. ब्याज आय,
- ङ ब्याज व्यय,
- च. लाभांश आय,
- छ. विनियोगों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि
- ज. विनियोगों के धारित मूल्य की रकम का समायोजन,
- झ. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों एवं उनके संपरिवर्तन पर शुद्ध लाभ/हानि,
- ञ. अंकेक्षक को अंकेक्षक के रूप में या कम्पनी विधि सम्बन्धी मामलों में या कर मामलों के सन्दर्भ में किये गये भुगतान,
- ट. अपवाद स्वरूप व असाधारण प्रकृति के मदों का विवरण,
- ठ. पूर्व अवधि की मदें।

(ब) क. **निर्माणी कम्पनी की दशा में** – व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत कच्चा माल (सामग्री), क्रय किया गया माल।
- ख. **व्यापारिक कम्पनी की दशा में** – व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत क्रय किया गया माल जिसका कम्पनी व्यापार करती हो,
- ग. **सेवा प्रदान करने वाली या आपूर्ति करने वाली कम्पनी की दशा में** – सेवा प्रदान करने या सेवा की आपूर्ति से प्राप्त सकल आय,
- घ. ऐसी कम्पनी जो उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित वर्गों में से एक से अधिक वर्गों में आती है, तो उसे क्रय, विक्रय व उपभोग एवं प्रदत्त सेवाओं से सकल आय को दर्शाना ही पर्याप्त होगा।
- ङ अन्य कम्पनियों की दशा में व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त सकल आय।

6. निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना टिप्पणी के रूप में दी जायेगी –

क. कम्पनी के पास चालू कार्य है, तो उसका विवरण।

ख. संचितियों में रखने के लिए अलग रखी गयी रकम।

ग. निर्दिष्ट दायित्वों, आकस्मिकताओं को पूरा करने हेतु किये गये प्रावधान।

घ. सहायक कम्पनियों से लाभांश तथा सहायक कम्पनी की हानियों के लिए प्रावधान।

निम्नलिखित मदों में प्रत्येक मद में खर्चे का विवरण –

क. स्टोर्स व अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग;

ख. शक्ति तथा ईंधन;

ग. किराया;

घ. भवन की मरम्मत;

ङ मशीन की मरम्मत;

च. बीमा;

छ. दरें तथा कर (आय कर को छोड़कर);

ज. विविध व्यय।

उदाहरण–1

31 मार्च, 2015 को वरुण लि. की पुस्तकों से निम्नलिखित खाताबही शेष लिये गये हैं –

भूमि एवं भवन A 2,00,000; 12% ऋणपत्र A 2,00,000; अंश पूँजी 1,00,000 समता अंश; प्रत्येक A 10 वाला पूर्ण भुगतान किये हुए; संयंत्र एवं मशीनरी A 8,00,000; ख्याति A 2,00,000; राजा लि. के अंशों में निवेश A 2,00,000; प्राप्य बिल A 50,000; देनदार A1,50,000; लेनदार A 1,00,000; बैंक ऋण (असुरक्षित) A 1,00,000; कर के लिए प्रावधान A 50,000; 12% ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा A 5,000; प्रस्तावित लाभांश A 55,000; रहतिया A 1,00,000; सामान्य संचय A 2,00,000।

आपको कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार कम्पनी का चिट्ठा तैयार करना है।

The following ledger balances were extracted from the books of Varun Ltd. as on 31st March, 2015:

Land and Building A 2,00,000; 12% Debentures A 2,00,000; Share Capital 1,00,000 Equity Shares of A 10 each fully paid-up; Plant and Machinery A8,00,000; Goodwill A 2,00,000; Investments in Shares of Raja Ltd. A 2,00,000; Bills Receivables A 50,000; Debtors A 1,50,000; Creditors A 1,00,000; Bank Loan (Unsecured) A 1,00,000; Provision for Taxation A 50,000; Discount on Issue of 12% Debentures A 5,000;Proposed Dividend A 55,000; Stock A 1,00,000; General Reserve A 2,00,000.

You are required to prepare the Balance Sheet of the Company as per Schedule III of the Companies Act, 2013.

हल-1

Varun Ltd.
Balance Sheet
(as on 31st March, 2015)

Particulars	Note No.	2013-14 Amount A	2012-13 Amount A

I. Equity & Liabilities :			
1. Shareholders' Funds :			
a. Share Capital		—	
Authorised			
Issued: subscribed and Paid-up Capital			
1,00,000 Equity Shares of 10 each, fully paid-up		10,00,00	
b. Reserve and Surplus		0	
General Reserve			
Discount on Issue of Debentures		2,00,000	
2. Share Application money pending allotment		(5,000)	
3. Non-Current Liabilities :			
12% Debentures			
Bank Loan		2,00,000	
4. Current Liabilities :		1,00,000	
Creditors			
Short-term Provisions :		1,00,000	
Proposed Dividend			
Provision for Tax		55,000	
		50,000	
		17,00,00	
II. Assets :		0	
1. Non-Current Assets :			
a. Fixed assets			
i. Tangible Assets			
Land and Building			
Plant and Machinery			
ii. Intangible assets		2,00,000	
Goodwill		8,00,000	
b. Non-Current Investment			
Shares of Raja Ltd.		2,00,000	
c. Deferred Tax Assets			
d. Long-term Loans & Advances		2,00,000	
e. Other Long-term Assets		---	
2. Current Assets :		---	
a. Stock		---	
b. Debtors			
c. Bills Receivables		1,00,000	
		1,50,000	
		50,000	
		17,00,00	
		0	

उदाहरण–2

सीमा लि. की पुस्तकों में 31 मार्च, 2014 को निम्नलिखित शेष प्रदर्शित थे।

The following balances appeared in the books of Seema Ltd. as on 31st March, 2014.

Particulars	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
Opening Inventories		
Raw Materials	2,00,000	

Finished Goods	5,00,000	
Purchases of Raw Materials	50,00,000	
Carriage inward	20,000	
Share Capital		1,20,00,000
Building	70,00,000	
Machinery	60,00,000	
Goodwill	20,00,000	
Trade Mark	2,00,000	
Building under Construction	10,00,000	
Patent under Development	1,00,000	
Interest on Bank Loan	40,000	
Gross Sales		1,18,00,000
Excise Duty	1,00,000	
Debentures (Secured)		10,00,000
General Reserve		4,00,000
Bank Loan – Unsecured		4,00,000
Bank Overdraft		2,00,000
Trade Payables		3,00,000
Security Deposit with Supplier	4,00,000	
Trade Receivables	6,80,000	
Outstanding Expenses		40,000
Investment		
Current	1,00,000	
Non-current	6,00,000	
Cash at Bank	7,00,000	
Wages & Salary	10,00,000	
Establishment Expenses	40,000	
Receipts from Discontinuing Business		4,00,000
Expenses on Discontinuing Business	3,00,000	
Unclaimed Dividend		20,000
Prepaid Expenses	30,000	
Abnormal Loss due to fire	5,50,000	
	2,65,60,000	**2,65,60,000**

उपर्युक्त शेषों एवं निम्न सूचनाओं से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में कम्पनी का लाभ–हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिये।

1. 31 मार्च, 2014 को स्टॉक; कच्ची सामग्री A 4,00,000 तैयार माल A 8,00,000
2. कम्पनी की अधिकृत पूँजी A 100 वाले प्रत्येक के 2,00,000 अंशों में विभक्त है, जिसमें से 1,20,000 अंश निर्गमित एवं पूर्णदत्त है।
3. करों के लिये A 4,00,000 का प्रावधान कीजिये।
4. भवन पर 10% तथा मशीन पर 15% ह्रास का प्रावधान कीजिये।
5. अंश पूँजी पर A1,00,000 का लाभांश प्रस्तावित है।

From the above balances and following information, prepare statement of Profit & Loss and Balance sheet of the Company in the format of Schedule III as prescribed in Company Act, 2013.

1. Inventories on 31st March, 2014; Raw material A 4,00,000; Finished goods A 8,00,000

2. The authorized capital of the company consists of 2,00,000 equity shares of A 100 each of which 1,20,000 shares are issued and fully paid.
3. Make a provision of A 4,00,000 for taxes.
4. Provide Depreciation @ 10% on Building and 15% on Machinery.
5. Dividend of A 1,00,000 is proposed on share capital.

हल-2

Seema Limited
Balance Sheet
(as on 31st March, 2014)

	Particulars	Note No.	2013-14 Amount (A)	2012-13 Amount (A)
I .	**Equity & Liabilities :**			
	1. Shareholders' Funds :			
	a. Share Capital	1	120,00,000	
	b. Reserve and Surplus	2	37,50,000	
	2. Non-Current Liabilities :			
	a. Long-term borrowing	3	10,00,000	
	b. Other Long-term Liabilities	4	4,00,000	
	3. Current Liabilities :			
	a. Short-term borrowings	5	2,00,000	
	b. Trade Payables		3,00,000	
	c. Other current liabilities	6	60,000	
	d. Short-term provisions	7	5,00,000	
			18,21,00,000	
II.	**Assets :**			
	1. Non-Current Assets :			
	a. Fixed assets		1,14,00,000	
	i. Tangible	8	22,00,000	
	ii. Intangible assets	9	10,00,000	
	iii. Capital work in progress	10	1,00,000	
	iv. Intangible assets under	11	6,00,000	
	development		4,00,000	
	b. Non-current investment	12		
	c. Long-term loans & advances		1,00,000	
	2. Current Assets :		10,00,000	
	a. Current investments	13	6,80,000	
	b. Inventories		7,00,000	
	c. Trade receivables		15,000	
	d. Cash & cash equivalents		18,21,00,000	
	e. Short-term loans and advances			

Working Note :

1. Share Capital :
   Authorized Capital :
   2,00,000 Equity shares of A 100 each 2,00,00,000

	Issued and Paid up Capital :			
	1,20,000 Equity shares of A 100 each			1,20,00,000
2.	Reserve and Surplus :			
	General Reserve		4,00,000	
	Profit for current year	34,50,000		
	Less : Proposed Dividend	1,00,000	33,50,000	37,50,000
3.	Long-term Borrowings :			
	Debenture – Secured			10,00,000
4.	Other Long-term Liabilities :			4,00,000
	Bank loan – Unsecured			
5.	Short-term Borrowings :			2,00,000
	Bank Overdraft			
6.	Other Current Liabilities :			
	Outstanding expenses	40,000		
	Unclaimed dividend	20,000		60,000
7.	Short-term Provisions :			
	Provision for Tax	4,00,000		
	Proposed Divident	1,00,000		5,00,000
8.	Fixed Assets :			
	Building (70,00,000–7,00,000)	63,00,000		
	Machinery (60,00,000–9,00,000)	51,00,000		1,14,00,000
9.	Intangible Assets :			
	Goodwill	20,00,000		
	Trademark	2,00,000		22,00,000
10.	Capital work in Progress:			
	Building under construction			10,00,000
11.	Intangible Assets under development:			
	Patent under development			1,00,000
12.	Long-term loans and advances:			
	Security deposit with supplier			4,00,000
13.	Inventories			
	Raw Materials	4,00,000		
	Finished Goods	6,00,000		10,00,000

Statement of Profit and Loss

(for the year ended 31st March, 2014)

	Particulars		**Note No.**	**Figures for the Currnt Reporting Period (A)**	**Figures for the Previous Reporting Period (A)**
I	**Revenue from operations**				
	Gross Sales	1,18,00,000			
	Less : Excise duty	1,00,000		1,19,00,000	
II	**Other Income**			---	
III	**Total Revenue**			1,19,00,000	
IV	**Expenses :**				
	Cost of materials consuded			48,20,000	
	Purchases of stock in trade			---	
	Change in inventories of finished goods, work				

	in progress		(1,00,000)	
	Employee benefits expenses :			
	Wages and Salary		10,00,000	
	Finance costs :			
	Interest on Bank loan		40,000	
	Depreciation and amortization expenses		16,00,000	
	Other expenses :			
	Establishment / Expenses		40,000	
	Total Expenese		74,00,000	
V	Profit before exceptional and extra ordinary items and tax (III – IV)		43,00,000	
VI	Exceptional items – Loss for fire		5,50,000	
VII	Profit before extra ordinary items and Tax (V – VI)		36,50,000	
VIII	Extra ordinary items		---	
IX	Profit before Tax (VII – VIII)		36,50,000	
X	Tax expenses :			
	(i) Current Tax Provision for Tax			
	(ii) Deferred Tax		4,00,000	
XI	Profit (Loss) (IX – X)		32,50,000	
XII	Profit (Loss) from discounting operations		50,000	
XIII	Tax expense of discontinuing operations		---	
XIV	Profit/(Loss) from Discounting operations (after tax) (XII – XIII)		50,000	
XV	Profit (Loss) for the period (XI + XIV)		34,50,000	
XVI	Earnings per equity share			
	(i) Basic			
	(ii) Diluted		2.875	

Working Note :

1. Cost of Materials :

Opening stock	2,00,000
Purchases	50,00,000
Carriage Inward	20,000
	52,20,000
Less : Closing Inventory	4,00,000
	48,10,000

2. Depreciation :

Depreciation on Building @ 10%	7,00,000
Depreciation on Machinery @ 15%	9,00,000
	16,00,000

उदाहरण–3

31.03.2015 को विनोद लिमिटेड का तलपट निम्न है –

The following is the Trial Balance of Vinod Limited as on 31.03.2015

Debit	**Amount (A)**	**Credit**	**Amount (A)**
Land at Cost	110	Equity Capital (Shars of A 10	150
Plant & Machinery at	385	each)	100
Cost	10	10% Debentures	65
Bank	48	General Reserve	36

Debtors	43	Profit & Loss A/c.	20
Stock (31.03.2012)	160	Share Premium	350
Adjusted Puchases	30	Sales	26
Factory Expenses	15	Creditors	86
Administration Expenses	15	Provision for Depreciation	2
Selling Expenses	10	Suspense A/c	
Debentures Interest	9		
Interim Dividend Paid	835		835

अतिरिक्त सूचनाएँ :–

a. 31.03.2012 को कम्पनी ने अंशधारियों को 1:3 के अनुपात में बोनस अंश निर्गमित किये। इनके सम्बन्ध में कोई लेखा नहीं किया गया है।

b. कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी 25,000 अंश A 10 वाले हैं।

c. कम्पनी भूमि का मूल्यांकन A 1,80,000 पर करना चाहती है।

d. प्रस्तावित अन्तिम लाभांश 10%।

e. उचन्त खाते A 2,000; 01.04.2013 को बेची गई मशीनरी से प्राप्त रोकड़ को प्रदर्शित करता है। बेची गई मशीनरी की लागत A 5,000 तथा संचित ह्रास A 4,000 था।

f. प्लाण्ट तथा मशीनरी पर ह्रास लागत पर 10% किया जायेगा।

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सुभाष लिमिटेड का लाभ–हानि खाता तैयार कीजिये तथा उक्त तिथि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार लम्बवत् प्रारूप में आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अपने उत्तर में निम्न अनुसूचियाँ सम्मिलित कीजिये :

(i) अंश पूँजी, (ii) संचय एवं आधिक्य, (iii) स्थायी सम्पत्तियाँ

पिछले वर्ष के आँकड़ों तथा कराधान पर ध्यान न दें।

Additional Information :

a. On 31.03.2012, the company issued bonus shares to the shareholders on 1:3 basis. No entry relating to this has yet been made.

b. The authorized share capital of the company is 25,000 shares of A 10 each.

c. The company on the advice of an independent valuer wishes to revalue the land at A 1,80,000.

d. Proposed final dividend 10%.

e. Suspense Account of 2,000 represents cash received for the sale of the machinery on 01.04.2011. The cost of the machinery was 5,000 and the accumulated depreciation thereon being 4,000.

f. Depreciation is to be provided on plant and machinery at 10% on cost.

You are required to prepare Subhash Limited's Profit and Loss Account for the year ended 31.03.2013 and a balance sheet on that date in vertical form as per the provisions of scheduled III of the Companies Act, 2013. Your answer to include detailed schedules only for the following :

(1) Share Capital; (2) Reserves and Surplus; (3) Fixed Assets

Ignore previous year's figures and taxation.

हल - 3

Vinod Limited

Profit and Loss Account

(for the year ended 31st March, 2012) (A *in thousand*)

	Amount (A)	Amount (A)
I. Revenue from Operations		350
II. Other Income (Profit on Sale of Machine)		1
III. Total Income (I + II)		351
IV. Expenses :		
Purchases	160	
Factory Expenses	30	
Administration Expenses	15	
Selling Expenses	15	
Interet on Debentures	10	
Depreciation	38	(268)
V. Profit before dividend		83
VI. Less : Dividend		
Interim	9	
Final	15	(24)
Balance to be shown in Balance Sheet		59

Balance Sheet

(as on 31st March, 2012)

(A *in thousand*)

		Amount (A)	Amount (A)
I. **Equity and Liabilities**			
(1) *Shareholder's Funds :*		200	
(a) Share Capital		200	400
(b) Reserves and Surplus			
(2) *Non-Current Liabilities :*			100
10% Debentures			
(3) *Current Liabilities :*		26	
Trade Payables : Creditors		5	41
Short-term Provisions : Proposed Dividend			541
Total			
II. **Assets**			
(1) *Non-Current Assets :*			
(a) Fixed Assets :			
(b) Tangible Assets :			
Land (after valuation)		180	
Machinery Gross Block (382-5)	380		
Less : Depreciation (86+38-4)	120	260	440
(2) *Current Assets :*			
Stock		43	
Debtors		48	
Cash at Bank		10	101
Total			541

Working Notes :

Issue Bonus Shares

Proportion of Bonus issue 1 : 3

No. of Shares $= \frac{15,000 \times 1}{3} = 5,000$

Share Capital = 5,000 × A 10 = A 50,000

Journal Entry

	Amount (A)	Amount (A)
General Reserve A/c Dr.	50,000	
To Equity Share Capital A/c		50,000
(Capitalization of reserves)		

Schedule 1 : Share Capital

	amount (A)
Authorized	
25,000 shares of A 10 each	2,50,000
Issued, subscribed and paid up capital :	
20,000 shares of A 10 each	
(of which 5,000 shares are allotted as fully paid by way of Bonus Shares by utilizing General Reserves)	2,00,000

Schedule 2 : Reserves and Surplus

	amount (A)
Securities Premium A/c	20,000
Revaluation Reserve	70,000
(Created on revaluation of land)	
General Reserve (65,000 - 50,000)	15,000
Surplus :	
Profit & Loss A/c Balance	
Profit during the year	95,000
	2,00,000

Schedule 3 : Fixed Assets

Fixed Assets	as on 01.04.2011	Additions	Deletions	Depreciation	Net Block as on 31.03.2012
Land	1,10,000	70,000*			1,80,000
Plant & Machinery	3,85,000	----	5,000	1,20,000	2,60,000
Total	4,95,000	70,000	5,000	1,20,000	4,40,000

*** Land was revalued upward by A 70,000 during the year**

14.7 सारांश

कम्पनी के अन्तिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य वर्ष के अन्त में लाभ–हानि की गणना करना तथा वर्ष के अन्तिम दिन व्यवसाय की स्थिति ज्ञात करना होता है। आर्थिक चिट्ठे के अन्तर्गत व्यवसाय की विभिन्न सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसकी प्रकृति के आधार पर अलग–अलग दर्शाया जाता है, जिसमें मुख्यतः स्थाई सम्पत्तियाँ, विनियोग, चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम विविध व्यय, अंश पूँजी, संचय एवं आधिक्य, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व एवं समायोजन संदिग्ध दायित्व आदि को सम्मिलित किया जाता है।

प्रारम्भिक व्यय, अंश निर्गमन व्यय, अंश निर्गमन पर बट्टा जैसी मदों को अस्थगित आयगत व्यय की तरह माना जाता है। अंश प्रीमियम पूँजीगत आय मानी जाती है। इसे संचय एवं आधिक्य में दिखाया जाता है। कराधान के लिए प्रावधान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाता है।

14.8 शब्दावली

परिचालन चक्र (Operating Cycle) – एक परिचालन चक्र प्रसंस्करण हेतु सम्पत्ति के अधिग्रहण एवं नकद या नकद समतुल्य के रूप में उनकी वसूली के बीच का समय होता है। सामान्यतः समय परिचालन चक्र बारह माह की अवधि का माना जाता है।

प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses) – कम्पनी की स्थापना करते समय किये गये व्यय प्रारम्भिक व्यय कहलाते हैं।

लाभांश (Dividend) – लाभ का वह भाग जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है, उसे लाभांश कहते हैं।

अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) – किसी वर्ष में यदि कम्पनी को अधिक मात्रा में लाभ होता है, तो वर्ष के मध्य ही लाभांश दे दिया जाता है, जिसे अन्तरिम लाभांश कहते हैं।

विनियोग (Investment) – किसी ऐसे स्थान पर धन लगाना, जिससे आय प्राप्त हो सके, उसे विनियोग कहते हैं।

कराधान (Provision for Taxation) – लाभों में से करों के लिये आयोजन को कराधान कहते हैं।

14.9 बोध प्रश्न

1. अन्तिम खाते या वित्तीय विवरण लेखाकंन प्रक्रिया का .... है।
2. .... एक ऐसा विवरण है, जिसमें अर्जित आयों एवं अन्य लाभों तथा उनके सापेक्ष आयों को अर्जित करने में किये गये व्ययों एवं हानियों का उल्लेख किया जाता है।
3. .... का वास्तविक अस्तित्व होता है और जिसे देखा व अनुभव किया जा सकता है।
4. लाभों में से करों के लिये आयोजन को .... कहते हैं।

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. अन्तिम चरण, 2. लाभ–हानि खाता, 3. मूर्त सम्पत्तियाँ, 4. कराधान

14.9 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रारूप के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण का प्रारूप बनाइये।

   Prepare a specimen of Companies Balance Sheet in the format as per Schedule III of the Companies Act, 2013.
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक कम्पनी के चिट्ठे का क्षैतिक रूप में नमूना दीजिये।

   Give specimen of Company's Balance Sheet in Vertical form according to the Companies Act, 2013.

3. लाभ–हानि विवरण को तैयार करने के लिए कम्पनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिये।

Mention various provisions of the Companies Act, 2013 for preparation of Statement Profit and Loss.

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक कम्पनी के अन्तिम लेखों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कौन से नियम हैं ? व्याख्या कीजिये।

What are the rules regarding the preparation and presentation of the Final Accounts of a company under the Companies Act, 2013? Explain.

5. चालू दायित्वों से आप क्या समझते हैं ? ऐसे दायित्वों के चार उदाहरण दीजिये।

What do you mean by Current Liabilities ? Give four examples of such liabilities.

6. कम्पनी अधिनियम के अनुसार लाभ–हानि विवरण द्वारा प्रदर्शित सूचनाओं का संक्षप में उल्लेख कीजिये।

State in brief the particulars shown by Statement of Profit and Loss according to Companies Act.

क्रियात्मक प्रश्न **(Practical Questions)**

1. कपड़ा कम्पनी एशिया ट्रेडर्स लिमिटेड का 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए, लाभ–हानि विवरण बनाइए तथा चिट्ठे में 'संचय एवं आधिक्य' शीर्षक में दिखायी जाने वाली लाभ–हानि की शुद्ध राशि की गणना कीजिये। विवरण निम्नानुसार है –

भवन A 3,00,000; मशीन A 3,30,000; अन्तरिम लाभांश A 37,500; स्कन्ध (1 अप्रैल, 2013) A 75,000; उपस्कर एवं अन्वायुक्ति A 7,200; व्यापारिक प्राप्य A 87,000; क्रय A 1,85,000; प्रारम्भिक व्यय A 5,000; भृत्ति A 84,865; सामान्य व्यय A 16,835; रेल एवं गाड़ी भाड़ा A 13,115; वेतन A 14,500; संचालकों का शुल्क A 5,725; अशोध्य ऋण A 2,110; ऋणपत्रों पर ब्याज A 9,000; लाभ–हानि विवरण (क्रेडिट शेष) A 14,500; विक्रय A 4,15,000; अशोध्य ऋणों के लिए आयोजन (1 अप्रैल, 2013) A 3,500; 12% ऋणपत्र A 1,50,000।

समायोजन –

(i) अन्तिम स्कन्ध का मूल्य A 1,95,000 आंका गया। (ii) भवन पर 5%, मशीनरी पर 25% एवं उपस्कर, आदि पर 10% आवक्षयण की व्यवस्था कीजिये। (iii) प्रारम्भिक व्यय को A 500 से अपलिखित किया जाना है। (iv) ऋणपत्रों पर आधे वर्ष का ब्याज देय है। (v) व्यापारिक प्राप्यों पर अशोध्य ऋणों के लिए 5% की दर से आयोजन कीजिये। (vi) करों के लिए A 37,000 का आयोजन कीजिये।

Prepare Statement of Profit & Loss and calculate net amount of profit and loss to be shown in Balance sheet under the heading "Reserve & Surplus" of Cloth Company Asia Traders Limited for the year ending 31st March, 2014. Particulars are as under :

Building ; Machinery Interim Divident ; Inventories (1st April, 2013) 75,000; Furniture & Fixtures 7,200; Trade Receivables 87,000; Purchase 1,85,000; Preliminary Expenses 5,000; Wages 84,865; General Expenses 16,835; Rail and Carriage 13,115; Salary 14,500; Directors' Fees 5,725; Bad debts 2,110; Interest on debentures 9,000; Statement of Profit & Loss (Surplus) 14,500; Sales 4,15,000; Bad debts provision (on 1st April, 2013) 3,500; 12% debentures 1,50,000.

Adjustments :

(i) Closing Inventories was values at 1,95,000, (ii) Provide depreciation at 5% on Building, 25% on Machinery and 10% on Furnitures and Fixtures, (iii) Prelimiary expenses are to be written by 500, (iv) Interest on Debentures is payable for half year, (v) Provide 5% on trade receivables for doubtful debts., (vi) Provede 37,000 for taxation

2. नर्मदा कम्पनी लि., जबलपुर की निम्न परीक्षा सूची से आपको 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अन्तिम लेखे बनाये जाने हैं –

From the following trial balance of Narmada Company Ltd., Jabalpur, you are required to prepare final accounts for the year ended 31st March, 2014 :

परीक्षा–सूची (दिनांक 31.03.2014)

Trial Balance (as at 31.03.2014)

विवरण **(Particulars)**	विकलन **(Debit)**	समाकलन **(Credit)**
	A	A
प्रारम्भिक स्कन्ध (Opening Inventories)	7,500	
क्रय (Purchases)	24,500	
मजदूरी (Wages)	5,000	
विक्रय (Sales)		35,000
अपहार (Discount)	700	500
वेतन (Salaries)	750	
किराया (Rent)	495	
सामान्य व्यय (General Expenses)	1,705	
लाभांश दत्त (Dividend paid)	900	
लाभ–हानि विवरण (1.04.2013) [Statement of Profit &		1,500
Loss(1-04-2013)]	483	
अशोध्य ऋण (Bad Debts)		1,500
संचित (Reserves)		1,100
व्यपारिक देय (Trade Paybles)	3,750	
व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivables)		10,000
पूंजी (Capital)	2,900	
यन्त्र (Machinery)	1,620	
रोकड़ (Cash)	50,303	50,303

योग (Total)		

अतिरिक्त जानकारी :

i. 31.03.2014 का स्कन्ध का मूल्य A 8,200 है।

ii. यंत्र पर 10% अवक्षयण का आयोजन कीजिए।

iii. अदत्त किराया A 45 है।

iv. पूर्वदत्त सामान्य व्यय A 38 हैं।

Other informations :

i. Invenories amounted to A 8,200 on 31.03.2014.

ii. Carge 10% depreciation on machinery.

iii. Outstanding rent is A 45.

iv. Prepaid general expenses are A 38.

3. शर्मा केमिकल लि0 की अधिकृत, निर्गमित, प्रार्थित तथा प्रदत्त पूंजी A 4,00,000 है जो A 100 वाले 4,000 सामान्य अंशों में विभाजित है। 31 मार्च 2016 को खाता बही में निम्न शेष है –

The Sharma Chemical Ltd. has an authorised, issued, subscribed and paid up capital of A 4,00,000 divided into 4,000 equity shares of A 100 each. The ledger shows the folloing balances on 31st March, 2014 :

	Dr. A	**Cr.** A
Land and Building	1,80,000	
Plant and Machinery	3,31,200	
Loose Tools	18,800	
Furniture and Fittings	7,200	
Preliminary Expenses	9,800	
Call-in arears	3,000	
10% Govt. Bonds (free of tax) of face value of A	19,760	
20,000	27,200	
Bill Receivable	6,000	
Motor Vehicles	32,000	61,200
Goodwill	41,600	
Sundry Debtors and Creditors	1,000	
Cash in Hand	30,000	17,600
Reserve Fund		22,360
Profit and Loss Account on 1 st April, 2007		10,000
Bank Overdraft	4,80,000	
Purchases and Returns Outward	5,080	
Advertising	14,000	
Sales Returns and Sales	2,000	
Legal Charges	7,400	
Carriage Inward	46,400	
Wages	9,800	4,00,000
Rent, Rates and Insurance		2,00,000
Share Capital		
12% Debentures of A 100 each	95,200	
Stock (Opening)	5,600	
Directors Fees	3,000	

Trade Expenses	1,720	
Repairs to Plant & Machinery		
Inteim Dividend (including dividend tax 1,000) paid for half year ending on 30th September, 2007	9,000	
	13,56,760	13,56,760

लाभ–हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइये। विविध देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 5 प्रतिशत आयोजन कीजिये, प्लान्ट एवं मशीन पर 5% एवं फिटिंग्स पर 7%, औजारों पर 10% तथा मोटर पर 20% से ह्रास काटिए। 31 मार्च, 2008 को स्टॉफ मूल्य A 88,400 था। 16 नवम्बर, 2007 को संचालकों ने 30 सितम्बर, 2007 को समाप्त हाने वाले अर्द्धवर्ष के लिए 5 प्रतिशत अन्तरित लाभांश की घोषणा की।

Prepare Profit and Loss Account and Balance Sheet, Create a provision for Bad Debts at 5% on Sundry Debtors, Charge 5% depreciation on Plant and Machinery, 7½% on Furniture and Fittings, 10% in Loose Tools and 20% on Motors. The Sock-in trade at 31st March, 2008 was valued at A 88,400 on 16 November, 2007 the directors declared an interim dividend at 5% for six months ending 30th September, 2007.

4. 31 दिसम्बर, 2014 को कान्ता कम्पनी लि0, जिसकी अधिकृत पूँजी A 6,00,000 है और A 10 वाले समता अंशों में विभाजित है, का तलपट निम्नांकित है :

The following is the Trial Balance of the Kanta Company Ltd. with an authorized capital of A 6,00,000 in Equity shares for A 10 each as at 31st December, 2014

डेविट बाकियाँ (Debit Balances)	राशि (Amount)	डेविट बाकियाँ (Debit Balances)	राशि (Amount)

	A		A
याचना बकाया (Calls in Arrear)	7,500	लाभ–हानि खाता (शेष 2011 से आगे लाया गया) (Profit and Loss Account) (Balance brought forward from 2011)	14,500
परिसर (Premises)	3,00,000	6% ऋणपत्र (6% Debentures)	3,00,000
संयंत्र एवं यंत्र (Wages)	3,30,000	पूर्ण याचित पूँजी (Fully Called-up Capital)	4,00,000
अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend)	37,500	देय बिल (Bills Payable)	38,000
स्टॉक (1.1.2014) (Stock 1.1.2014)	75,00	विविध लेनदार (Sundry Creditors)	50,000
फिक्सचर्स (Fixtures)	7,200	विक्रय (Sales)	4,15,000
विविध देनदार (Sundry Debtors)	87,000	सामान्य संचय (General Reserve)	25,000
ख्याति (Goodwill)	25,000	अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान (Provision for Bad Debta)	3,500
हाथ में रोकड़ (Cash in hand)	750	ऋण ब्याज बकाया (Debenture Interest due)	9,000
बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)	39,900		
क्रय (Purchases)	1,85,000		
प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses)	5,000		
मजदूरी (Wages)	84,865		
सामान्य व्यय (General Expenses)	16,835		
भाड़ा एवं ढुलाई (Freight and Carriage)	13,155		
वेतन (Salaries)	14,500		
संचालकों की फीस (Director's Fees)	5,725		
अप्राप्य ऋण (Bad Debts)	2,100		
ऋणपत्र ब्याज (Debenture Interest)	18,000		
	12,55,000		12,55,000

अन्य सूचनाएँ :

i. संयंत्र एवं यंत्र पर 10% ह्रास काटना है।

ii. 31 दिसम्बर, 2012 को स्टॉफ A 95,000 था।

iii. देनदारों पर अप्राप्य ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान करना है।

iv. A 20,000 सामान्य संचय में हस्तान्तरित कीजिए।

v. मजदूरी में A 20,000 की वह राशि शमिल है जो दुर्घटनाग्रसत श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई।

31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता तथा उसी तिथि को कम्पनी का चिट्ठा बनाइए।

Other Informations :

i. 10% is to be written- off Plant and Machinery.

ii. Stock on 31st December, 2012 was A 95,000.

iii. Provision for bad Debts is to be maintained at 5% of the Debtors.

iv. Transfer A 20,000 to General Reserve.

v. Wages include a sum of A 20,000 paid as compensation to worker injured in accidents.

Prepare the Profit and Loss Account for the year ended 31st December, 2012 and the Balance Sheet of the Company as on that date.

5. ऑटो पार्ट्स निर्माता कम्पनी लि0 A 10,00,000 की अधिकृत पूँजी से रजिस्टर्ड हुई जो कि A 10 वाले अंशों में विभाजित है जिसमें से 40,000 अंश निर्गमिल व पूर्ण प्रदत्त है। 31 मार्च, 2015 को तलपट निम्न प्रकार था :

The Auto Parts Manufacturing Co. Ltd. was registered with an authorised capital of A 10,00,000 divided into shares of A 10 each of which 40,000 shares had been issued and fully paid. The following is the final balance extreacted on 31st March, 2015.

विवरण **(Particulars)**	विकलन **(Debit)**	समाकलन **(Credit)**
	A	A
स्कन्ध (1 अप्रैल, 2014) [Stock (1st April, 2014)]	1,86,420	–
क्रय एवं विक्रय (Purchase and Sales)	7,18,210	11,69,900
वापसियाँ (Returns)	12,680	9,850
निर्माणी मजदूरी (Manufacturing Wages)	1,09,740	–
विविध निर्माणी व्यय (Sundry Manufacturing Expenses)	19,240	–
आवक गाड़ी भाड़ा (Carriage Inwards)	4,910	–
18% बैंक ऋण (सुरक्षित) [18% Bank Loan (Secured)]	–	50,000
बैंक ऋण पर ब्याज (Interest on Bank Loan)	4,500	–
कार्यालय वेतन एवं व्यय (Office Salaries and Expenses)	17,870	–
अंकेक्षण शुल्क (Auditing Fees)	8,600	–
संचालकों का पारिश्रमिक (Director's Remuneration)	26,250	–
प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses)	6,000	–
फ्रीहोल्ड भवन (Freehold Premises)	1,64,210	–
प्लाण्ट एवं मशीनरी (Plant and Machinery)	1,28,400	–
फर्नीचर (Furniture)	5,000	–
खुले औजार (Losse Tools)	12,500	–
देनदार एवं लेनदार (Debtors and Creditors)	1,05,400	62,220
हाथ में रोकड़ (Cash in hand)	19,530	–
बैंक में रोकड़ (Cash in Bank)	96,860	–
अग्रिम कर का भुगतान (Advance Payment of Tax)	84,290	–
1 अप्रैल, 2010 को लाभ–हानि लेखा (Profit and Loss A/c on 1st April, 2010)		38,640
अंश पूँजी (Share Capital)		4,00,000
	17,30,610	**17,30,610**

आपको निम्नलिखित समायोजनों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का व्यापार एवं लाभ–हानि खाता व चिट्ठा बनाइए :

i. 31 मार्च, 2011 को बकाया निर्माणी मजदूरी एवं बकाया कार्यालय वेतन क्रमशः A 1,890 व A 1,200 था, उसी तिथि को स्कन्ध का मूल्यांकन A 1,24,840 व खुले औज़ार A10,000 थे।

ii. बैंक ऋण पर 6 माह का ब्याज देना है।

iii. प्लाण्ट एवं मशीनरी पर 15% की दर से एवं कार्यालय फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाना है।

iv. प्रारम्भिक व्ययों का $\frac{1}{3}$ भाग अपलिखित करना है।

v. आयकर के लिए 50% का आयोजन करना है।

vi. संचालकों ने 31 मार्च, 2011 को 15% लाभांश प्रस्तावित किया। 13.068% लाभांश कर मानिए।

You are required to prepare Trading and Profit and Loss Account for the year ended 31 March, 2011 and a Balance Sheet as at that date after taking into considertion the following adjustments :

i. On 31st March, 2011 outstanding manufacturing wages and outstanding office salaries stood at A 1,890 and A 1,200 respectively. On the same date, stock was valued at A 1,24,840 and losse tools of A 10,000.

ii. Provide for interest on bank loan for 6 months.

iii. Depereciation on plant and machinery is to be provided @ 15% while on office furniture it is to be @ 10%.

iv. Write off one-third of preliminary expenses.

v. Make a provision for income tax at 5%.

vi. The directoes recommended a dividend @15% for the year ending 31st March, 2011. Assume 13.068% dividend tax rate.

14.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई –15 कम्पनियों का एकीकरण, संविलयन एवं पुनर्निर्माण (AMALGAMATION, ABSORPTION AND RECONSTRUCTION)

इकाई की रूपरेखा

15.1 प्रस्तावना
15.2 लेखा प्रमाप–14 एवं एकीकरण
15.3 समझौते, व्यवस्थायें एवं एकीकरण
15.4 एकीकरण के उद्देश्य व दोष
15.5 एकीकरण के प्राकर
 15.5.1 विलय के स्वभाव का एकीकरण
 15.5.2 क्रय के स्वभाव का एकीकरण
15.6 क्रय प्रतिफल एवं इसका निर्धारण
 15.6.1 शुद्ध भुगतान रीति
 15.6.2 शुद्ध सम्पत्ति रीति
 15.6.3 अंशों की अनुपात रीति या अंश विनियम रीति
15.7 एकीकरण की लेखांकरन विधियाँ
 15.7.1 हितों का समूहीकरण विधि
 15.7.2 क्रय विधि
15.8 जर्नल प्रविष्टियाँ
 15.8.1 हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में
 15.8.2 हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में
15.9 खातावही के आवश्यक खाते
15.10 कम्पनियों का पुनर्निर्माण व पुनर्निर्माण के प्रकार
15.11 आन्तरिक पुनर्निर्माण
15.12 आन्तरिक पुनर्निर्माण की विशेषताऐं व वांछनीयता
15.13 आन्तरिक पुनर्निर्माण की विधियाँ
15.14 बाह्य पुनर्निर्माण के आशय व उद्देश्य
15.15 आन्तरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अन्तर
15.16 सारांश
15.17 शब्दावली
15.18 बोध प्रश्न
15.19 बोध प्रश्नों के उत्तर
15.20 स्वपरख प्रश्न
15.21 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- कम्पनियों का एकीकरण, संविलयन व बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है, की व्याख्या कर सकें।
- लेखा प्रमाप–14 किससे सम्बन्धित है, का वर्णन कर सकें।
- एकीकरण कितने प्रकार का होता है, की व्याख्या कर सकें।

- कम्पनियों का पुनर्निर्माण कितने प्रकार का होता है, का वर्णन कर सकें।
- विभिन्न विधियों के अन्तर्गत क्रय प्रतिफल की गणना कैसे की जाती है,
- कम्पनी व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ।

15.1 प्रस्तावना

वर्तमान युग प्रतिस्पर्द्धा का युग है। वर्तमान में केवल के व्यवसाय ही प्रगति कर सकते है जो साधन सम्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायिक संयोजन (Business Alliances) अधिक लोकप्रिय हो रहे है।

व्यवसायिक संयोजन से आशय दो या दो से अधिक कम्पनियों के सम्मलित रूप से कार्य करने से है। संयोजन का उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा शक्ति में वृद्धि करना, संसाधनों का समुहीकरण तथा बड़े आकार की बचतों का लाभ प्राप्त करना है। कम्पनियों के संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है– एकीकरण और सूत्रधारी कम्पनी। 1 अप्रैल 1995 से पूर्व एकीकारण के सम्बन्ध में एकीकरण, संविलयन और बाह्य पुनर्निर्माण जैसे तथ्य प्रचलित थे। भारतीय चार्टट एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा लेखा मानक–14 के जारी होने से ये तीनों तथ्य समाप्त कर सिर्फ 'एकीकरण' में ही शामिल किये गये है। इस प्रकार, परम्परागत लेखा विधि के स्थान पर लेखा मानक–14 (AS-14) का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है।

एकीकरण (Amalgamation) – जब दो या अधिक कम्पनियाँ समापन में जाती हैं और इनके व्यवसायों को लेने के लिए नई कम्पनी समामेलित की जाती है, तो इसे एकीकरण कहा जाता है।

उदाहरण – X और Y कम्पनी के व्यवसाय को लेने के लिए Z Ltd. का निर्माण किया जाता है।

संविलयन (Absorption) – इस दशा में कोई नई कम्पनी निर्मित नहीं की जाती, वरन् एक विद्यमान कम्पनी अन्य कम्पनी या कम्पनियों को क्रय करके अपने में मिला लेती है, तो इसे संविलयन कहा जाता है।

पुनर्निर्माण (Reconstruction) – यह एक विद्यमान कम्पनी की पुनर्संरचना की स्थिति होती है, जो आन्तरिक या बाहरी हो सकती है।

15.2 लेखा प्रमाप – 14 एवं एकीकरण (Accounting Standard – 14 and Amalgamation)

''दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया'' द्वारा उपर्युक्त मान्यताओं को समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.1995 से एकीकरण के सम्बन्ध में लेखा प्रमाप–14 (Accounting Standard-14 on A.S.-14) को प्रभावी बनाया गया है। लेखा प्रमाप–14 मूलतः कम्पनियों को निर्देशित करते हैं।

एकीकरण का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है या कम्पनियों पर लागू होने वाले अन्य किसी नियमों के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है। अर्थात् जब दो या दो से अधिक कम्पनियाँ आपस में मिलने का निश्चय करती हैं, तब इसे एकीकरण कहा जाता है।

हस्तान्तरक कम्पनी (Transferor Company) – हस्तान्तरक कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है, जिसका एकीकरण किसी दूसरी कम्पनी में होता है। लेखा प्रमाप–14 लागू होने के पूर्व इसे विक्रेता कम्पनी के रूप में जाना जाता था।
हस्तान्तरी कम्पनी (Transferee Company) – हस्तान्तरी कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है, जिसमें हस्तान्तरक कम्पनी का एकीकरण होता है। पूर्व में इसे क्रेता कम्पनी कहा जाता था।

15.3 समझौते, व्यवस्थायें एवं एकीकरण (Compromises, Arrangements and Amalgamation)

कम्पनियों के विलयन एवं एकीकरण के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 में इन तीन अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है।

धारा 203 के अनुसार, ''समझौता (अ) एक कम्पनी एवं इसके लेनदारों या उनमें से किसी एक वर्ग के साथ या (ब) एक कम्पनी एवं इसके सदस्यों या उनमें से किसी एक वर्ग के साथ प्रस्तावित किया जा सकता है।

''व्यवस्थाएँ'' में कम्पनी की अंश पूँजी का पुनर्संगठन शामिल होता है, जो विभिन्न वर्गों के अंशों को संघनित करके अथवा विभिन्न वर्गों के अंशों को विभाजित करके या इन दोनों रीतियों द्वारा हो सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि 'समझौता' या व्यवस्थाएँ प्रक्रियाएँ हैं, जबकि विलयन एवं एकीकरण 'परिणाम' हैं। धारा 232 के अनुसार जब समझौते या व्यवस्था की स्वीकृति के लिए धारा 230 के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल को प्रार्थनापत्र दिया जाता है, तो ट्रिब्यूनल के समक्ष यह दर्शाना होता है कि यह योजना दो या अधिक कम्पनियों के पुनर्निर्माण विलयन या एकीकरण की योजना है, जिसका परिणाम यह होगा कि कम्पनी की सम्पत्ति या दायित्व पूरी तरह या उसका कुछ भाग अन्य कम्पनी को हस्तान्तरित किया जायेगा या दो या अधिक कम्पनियों के मध्य हस्तान्तरण या विभाजन का प्रस्ताव है।

कम्पनी अधिनियम 2013 में विलय (Merger) शब्द का प्रयोग संविलयन (Absorption) तथा एकीकरण (Amalgamation) दोनों के लिए किया गया है। धारा 232 में यह स्पष्ट किया गया है कि –

1. सम्मिश्रण में एक या अधिक कम्पनियों के उपक्रम, सम्पत्ति और दायित्वों को उस कम्पनी से शामिल करते हुए, जिसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है, को अन्य विद्यमान को हस्तान्तरित किया जाता है। इसे 'संविलयन द्वारा विलय' (Merger by Absorption) कहा जाता है।
2. जहाँ दो या अधिक कम्पनियों के उपक्रम, सम्पत्ति और दायित्व उस कम्पनी को शामिल करते हुए, जिसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है, एक नई कम्पनी को, जो सार्वजनिक कम्पनी हो या ना हो, हस्तान्तरित किये जाते हैं, तो इसे 'नवीन कम्पनी के निर्माण द्वारा विलय' (Merger by Formation of a New Company) अर्थात् एकीकरण कहा जाता है।

15.4 एकीकरण के उद्देश्य व दोष ((Merits/Objectives & Demerits of Amalgamation)

1. प्रतिस्पर्द्धा में कमी

2. बड़े पैमाने पर उत्पादन
3. व्ययों में कमी
4. पूँजी में वृद्धि
5. प्रबन्ध एवं नियन्त्रण
6. विशेषज्ञों की सुविधा
7. वितरण में सुविधा
8. बाजार पर नियन्त्रण

एकीकरण के दोष (Demerits of Amalgamation)

एकीकरण के निम्न दोष हैं –

1. प्रबन्धकीय समस्याएँ
2. असहयोग
3. मूल्य में वृद्धि
4. पूर्ति पर नियन्त्रण
5. अति–पूँजीकरण
6. छोटे व्यवसायी को नुकसान
7. बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई

15.5 एकीकरण के प्रकार (Types ofAmalgamation)

लेखा प्रमाप–14 के अनुसार एकीकरण के निम्नलिखित दो प्रकार हैं –

15.5.1 विलय के स्वभाव का एकीकरण (Amalgamation in the Nature of Merger)

निम्नलिखित पाँच शर्तों के पूरा होने पर किसी भी कम्पनी के एकीकरण को विलय के स्वभाव का एकीकरण माना जायेगा –

1. एकीकरण के बाद हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ एवं दायित्व हस्तान्तरी कम्पनी के हो जायेंगे।
2. हस्तान्तरी कम्पनी एवं उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा एकीकरण के पूर्व तक ग्रहण किये गये हस्तान्तरक कम्पनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90 प्रतिशत अंशधारी हस्तान्तरी कम्पनी के साधारण अंशधारी एकीकरण के बाद बन जायेंगे।
3. हस्तान्तरक कम्पनी के वे सभी साधारण अंशधारी, जो हस्तान्तरी कम्पनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पूर्णतः भुगतान किया जायेगा, किन्तु खण्डित अंशों का भुगतान नकदी में किया जायेगा।
4. हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तान्तरक कम्पनी के व्यवसाय को चालू रखा जायेगा।
5. हस्तान्तरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों में हस्तान्तरक कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसके पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित किया जायेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तान्तरक कम्पनी एवं हस्तान्तरी कम्पनी दोनों का अस्तित्व बना रहता है और दोनों कम्पनियों का व्यवसाय भी बना रहता है। दोनों कम्पनियों के अंशधारियों का स्वामित्व भी बहुत

हद तक बना रहता है। वार्षिक विवरण में दोनों कम्पनियों में सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी साथ–साथ दिखाया जाता है।

15.5.2 क्रय के स्वभाव का एकीकरण (Amalgamation in Nature of Purchases)

विलय के स्वभाव के एकीकरण में जिन पाँच शर्तों का उल्लेख किया गया है, जब उनमें से कोई एक या अधिक शर्तों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब ऐसे एकीकरण को क्रय के स्वभाव का एकीकरण माना जाता है। क्रय स्वभाव के एकीकरण में किसी एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है तथा आपसी समझौते के अनुसार क्रय प्रतिफल अंशों में या ऋणपत्रों में या नकदी में या सभी रूप में किया जा सकता है।

क्रय स्वभाव के एकीकरण में हस्तान्तरक कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा क्रय कर लिया जाता है और हस्तान्तरक कम्पनी का व्यवसाय बन्द हो जाता है।

15.6 क्रय प्रतिफल एवं इसका निर्धारण (Purchases Consideration and Its Determination)

लेखा मानक–14 का कथन है – ''एकीकरण के प्रतिफल का आशय हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी को निर्गमित अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का एकल राशि एवं रोकड़ या अन्य सम्पत्तियों के रूप में किये गये भुगतान से होता है।'' क्रय प्रतिफल हस्तान्तरक कम्पनी के अंशधारियों द्वारा अंशों, ऋणपत्रों, नकद या अन्य सम्पत्तियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि ऋणपत्रधारियों को किया गया भुगतान या अन्य दायित्वों के भुगतान को क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं करते हैं। सामान्यतः क्रय मूल्य का निर्धारण हस्तान्तरक कम्पनी और हस्तान्तरी कम्पनी के आपसी अनुबन्ध द्वारा होता है। क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते समय इसके विभिन्न तत्वों का उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने हेतु अनेक तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है।

क्रय प्रतिफल के निर्धारण की तीन रीतियाँ निम्न हैं –

1. शुद्ध भुगतान रीति (Net Payment Method)
2. शुद्ध सम्पत्ति रीति (Net Assets Method)
3. अंशों की अनुपात रीति या अंश विनिमय रीति (Share Proportion Method or Share Exchange Method)

15.6.1 शुद्ध भुगतान रीति (Net Payment Method)

लेखा मानक–14 अनुबन्ध करता है कि क्रय प्रतिफल मुख्य रूप से शुद्ध भुगतान पर आधारित होता है। लेखा मानक–14 का कथन है कि एकीकरण के लिए प्रतिफल का आशय हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी को निर्गमित अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का सकल राशि एवं रोकड़ या अन्य सम्पत्तियों के रूप में किये गये भुगतान से है। इस प्रकार शुद्ध भुगतान रीति के अन्तर्गत क्रय प्रतिफल हस्तान्तरक कम्पनी समता व पूर्वाधिकार अंशधारियों के दावों हेतु चुकता किये अंशों, ऋणपत्रों एवं नकद का कुल योग होता है। यह ध्यान में रखना अच्छा है कि हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान क्रय प्रतिफल का भाग

नहीं होता है। अतः ऋणपत्रधारियों एवं अन्य दायित्वों को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल के अंग नहीं माने जाते हैं।

उदाहरण–1

स्टार लि. और मून लि. का एकीकरण करते हुए 01 अप्रैल, 2014 को सन लि. का निर्माण निम्न शर्तों पर हुआ –

(i) स्टार लि. के अंशधारियों को A 100 वाले 60, 12% ऋणपत्र सन लि. द्वारा निर्गमित होना है।

(ii) मून लि. के ऋणपत्रधारियों ने आग्रह किया कि उन्हें सन लि. के अंश निर्गमित किये जायें। अतः उन्हें A 10 वाले 7,500 समअंश A 12 प्रति अंश की दर से आबंटित किये गए।

(iii) स्टार लि. के पूर्वाधिकार अंशधारियों ने A 100 वाले 900, 11% पूर्णाधिकार अंश आबंटित करने का आग्रह किया।

(iv) स्टार लि. के समता अंशधारियों को उनके द्वारा धारित 7 सम अंशों के बदले में 10 समता अंश सम मूल्य पर आबंटित किया जाना है। स्टार लि. के अंश A 10 प्रति वाले 21,000 हैं।

स्टार लि. को देय क्रय प्रतिफल की गणना कीजिये।

On 1st April, 2014 Sun Ltd. was formed by amalgamating. Star Ltd. and Moon Ltd. on the following terms -

(i) Sun Ltd. to issue 60 12% Debentures of A 100 each to debentureholders of Star Ltd.

(ii) The debentureholders of Moon Ltd. insisted that they should be allotted equity shares in Sun Ltd. As such they were allotted 7,500 equity shares of A 10 each at A 12 per share.

(iii) Preference Shareholders of Star Ltd. insisted for allotment of 900 11% redeemable preference shares of A 100 each.

(iv) The equity shareholders of Star Ltd. are to be allotted 10 equity shares at par for 7 equity share held by them. The shares of Star Ltd. are 21,000 of A 10 each.

Calculate the purchase consideration payable to Star Ltd.

हल-1

Purchase Consideration Payable to Star Ltd.
(Net Payment Basis)

		amount (A)
1.	900, 11% Preference Shares of A 100 each	90,000
2.	$\frac{21,000 \times 10}{7}$ = 30,000 Equity shares of A 10 each	3,00,000
		3,90,000

15.6.2 शुद्ध सम्पत्ति रीति (Net Assets Method)

इस रीति के अनुसार क्रय प्रतिफल की राशि का निर्धारण हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा लिये गये सभी सम्पत्तियों के उचित मूल्य या शुद्ध पुस्तक मूल्य के योग में से हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा लिये गए बाह्य दायित्वों के पुस्तक मूल्य या

निर्धारित मूल्य को घटाकर किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है –

(i) यदि हस्तान्तरी कम्पनी हस्तान्तरक कम्पनी के सभी सम्पत्तियों को लेने के लिए तैयार होती है, तो इन सम्पत्तियों में रोकड़ व बैंक शेष भी शामिल होंगे,परन्तु 'सभी सम्पत्तियों' शब्द में 'Unamortised Expenses' को शामिल नहीं किया जाता।

(ii) यदि कोई ख्याति, पूर्वदत्त व्यय हो तो ली गई सम्पत्तियों में इन्हें शामिल करेंगे, जब तक कि इसके विपरीत कुछ न कहा गया हो।

(iii) यदि हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा कुछ सम्पत्तियाँ नहीं ली जाती हैं, तो उन्हें शामिल न करके छोड़ दिया जायेगा।

(iv) 'दायित्व' शब्द हमेशा तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सभी दायित्वों का बोध कराता है। व्यापारिक दायित्व वे होते हैं, जो माल/सेवा के क्रय से उदित होते हैं; जैसे व्यापारिक लेनदार या देय विपत्र।

(v) दायित्वों में संचित या अवितरित लाभ; जैसे सामान्य संचय सिक्योरिटी प्रीमियम, कर्मचारी दुर्घटना फण्ड, बीमा फण्ड, पूंजीगत संचय, लाभांश समानीकरण कोष आदि को शामिल नहीं करते हैं।

उदाहरण–2

ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड, जो समान व्यापार में संलग्न हैं, ने एकीकरण का निश्चय किया तथा उनके व्यापार को लेने के लिए सी लिमिटेड की स्थापना की गई। 31 मार्च, 2014 को उनके चिट्‌ठे निम्न प्रकार थे –

A Ltd. and B Ltd. engaged in the same type of business, decided to amalgamate and for the purchase of their business, C Ltd. was formed on 31st March, 2014. Their Balance Sheets were as follows :

विवरण	ए लिमिटेड	बी लिमिटेड
I. समता एवं दायित्व (Equity and Liabilities)	A	A
अंशधारी कोष (Shareholders' Funds) :		
अंश पूँजी (Share Capital)	2,00,000	1,60,000
संचय एवं आधिक्य (Reserve and Surplus) :		
संचय कोष (Reserve fund)	12,000	6,000
लाभ–हानि विवरण (Statement of P & L)	8,000	14,000
चालू दायित्व (Current Liabilities) :		
व्यापारिक देय (Trade payables)	30,000	66,000
	2,50,000	2,46,000
II. सम्पत्ति (Assets)		
गैर चालू सम्पत्ति (Non-current assets):		
स्थायी सम्पत्तियाँ (Fixed assets) :		
मूर्त सम्पत्तियाँ (Tangible assets) :		
भवन (Building)	1,40,000	1,10,000
मशीनरी (Machinery)	50,000	56,000
चालू सम्पत्तियाँ (Current assets) :		
व्यापारिक प्राप्य (Trade receivables)	16,000	30,000
	26,000	24,000

स्कन्ध (Inventories)	18,000	26,000
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (Cash and cash equivalents)		
	2,50,000	2,46,000

क्रय मूल्य की गणना कीजिये।

Calculate Purchase Consideration.

हल-**2**

Calculation of Purchase of Consideration

	A Ltd.	*B Ltd.*
Agreed value of Assets taken over	2,50,000	2,46,000
Less : Agreed value of liabilities taken over	30,000	66,000
Purchase Conside	2,20,000	1,80,000

15.6.3 अंशों की अनुपात रीति (Share Proportion Method)

इस विधि में क्रय प्रतिफल का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध सम्पत्ति विधि से कम्पनी की शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, तदोपरान्त इस मूल्य में हस्तान्तरी कम्पनी के अंश की कीमत का भाग दिया जाता है, जिससे उन अंशों की संख्या ज्ञात हो जाती है जो हस्तान्तरक कम्पनी के अंशधारियों को हस्तान्तरी कम्पनी से प्राप्त होंगे। जब यह मालूम हो जाता है कि हस्तान्तरी कम्पनी से हस्तान्तरक कम्पनी को कितने अंश मिलेंगे, तो इसे हस्तान्तरक कम्पनी के वर्तमान अंशों से भाग देने पर अंशों का अनुपात ज्ञात हो जाता है।

उदाहरण के लिए, माना कि हस्तान्तरक कम्पनी को अपने वर्तमान 1,000 अंशों के बदले में हस्तान्तरी कम्पनी को 2,000 अंश मिलेंगे, तो पुराने और नये अंशों का अनुपात 1:2 होगा।

खण्डित अंशों की समस्या (Problem of Fraction of Shares)

यदि अनुपात 1 : 1½ आता है, तब आधे अंश के भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे खण्डित अंशों की समस्या कहते हैं। इस समस्या का समाधान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

1. जिन अंशधारियों को खण्डित अंश प्राप्त होते हैं, उन सभी अंशधारियों के लिए हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा खण्डित अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन अंशधारियों द्वारा खण्डित अंश प्रमाण पत्र खरीद कर अपने अंश को पूर्ण किया जा सकता है।
2. जिन अंशधारियों को खण्डित अंश प्राप्त होते हैं, वे खण्डित अंशों के लिए कम्पनी से रोकड़ की माँग कर सकते हैं। ऐसी दशा में खण्डित अंश का रोकड़ मूल्य अंश के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.7 एकीकरण की लेखांकन विधियाँ (Methods of Accounting for Amalgamation)

लेखा प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण की लेखांकन विधि दो प्रकार की निर्धारित की गई है –

1. हितों का समूहीकरण विधि (Pooling of Interests Method)
2. क्रय विधि (Purchase Method)

15.7.1 हितों का समूहीकरण विधि (Pooling of Interests Method)

इसके अन्तर्गत एकीकरण के सम्बन्ध में उस समय लेखांकन किया जाता है, जब हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के व्यवसाय को निरन्तर जारी रखा जाता है। इस विधि के अन्तर्गत एकीकृत हुई कम्पनियों के वित्तीय विवरण बनाते समय मामूली परिवर्तन किये जाते हैं। इस विधि की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं –

1. इस विधि का प्रयोग केवल उस समय किया जाता है, जब कम्पनियों के बीच विलय के स्वभाव का एकीकरण हुआ हो।
2. इस विधि के अनुसार हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संचितियों को उनके पुस्तकीय मूल्य (Existing Value) पर किया जाता है। इसी मूल्य पर लेखा पुस्तकों में उल्लेख किया जाता है।
3. इस विधि में हस्तान्तरक कम्पनी के विभिन्न संचयों की पहचान सुरक्षित रखी जाती है, अर्थात् उन्हें पूर्व नामों से ही वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।
4. एकीकरण के पूर्व अंशधारियों को लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध संचितियाँ एकीकरण के पश्चात् भी लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध रहती है।
5. हस्तान्तरक कम्पनी की अंश पूँजी एवं उसे निर्गमित अंश पूँजी में यदि कोई अन्तर हो, तो इस अन्तर का समायोजन हस्तान्तरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों में संचितियों में से किया जायेगा।
6. हस्तान्तरक कम्पनी के लाभ–हानि खाते के शेष को हस्तान्तरी कम्पनी के लाभ–हानि खाते के शेष के साथ जोड़ कर दिखाया जाता है।

15.7.2 क्रय विधि (Purchase Method)

लेखा प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण के सम्बन्ध में लेखा करने की यह दूसरी विधि है। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं –

1. क्रय विधि का प्रयोग केवल उस समय किया जाता है, जब कम्पनियों के बीच क्रय के स्वभाव का एकीकरण हुआ हो।
2. इस विधि में हस्तान्तरक कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य (Existing Value) पर हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में शामिल किया जाता है।
3. वैकल्पिक स्थिति यह है कि एकीकरण की तिथि पर हस्तान्तरक कम्पनी की पहचानी जा सकने वाली सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसके उचित मूल्य (Fair Value) पर हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में शामिल किया जा सकता है।
4. यदि हस्तान्तरी कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है, तो उचित मूल्य का निर्धारण हस्तान्तरी कम्पनी की इच्छा पर निर्भर करता है।
5. इस विधि में हस्तान्तरक कम्पनी की संचितियों को सुरक्षित रखना तथा हस्तान्तरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है।

6. हस्तान्तरक कम्पनी की वैधानिक संचितियों को सुरक्षित रखना तथा हस्तान्तरी कम्पनी की लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करना आवश्यक है।
7. यदि हस्तान्तरक कम्पनी द्वारा किसी कानून के अन्तर्गत संचय बनाये हैं, तो ऐसे सभी संचय हस्तान्तरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किये जायेंगे, जैसे आयकर अधिनियम की धारा 80 HHB के अन्तर्गत बनाया गया 'विदेशी परियोजना संचय खाता'।
8. क्रय विधि में हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा की गई हस्तान्तरक कम्पनी की शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य में से क्रय प्रतिफल को घटाया जाता है तथा परिणाम नकारात्मक प्राप्त होता है। अर्थात् शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से अधिक है तो इस अन्तर की राशि को पूँजी संचय कहा जाता है और क्रय प्रतिफल से शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य कम होता है, तो इसे ख्याति कहा जाता है।
9. लेखा प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण पर उत्पन्न ख्याति को अधिक से अधिक पाँच वर्षों में अपलिखित कर देना चाहिये।
10. इस विधि में हस्तान्तरक कम्पनी के लाभ–हानि खाते का शेष, जो चाहे डेबिट हो या क्रेडिट, का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।

15.8 जर्नल प्रविष्टियाँ (Journal Entries)

जर्नल प्रविष्टियाँ

↓

हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में | हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में

↓

विलय के एकीकरण की दशा में | क्रय के एकीकरण की दशा में

15.8.1 हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ
(Journal Entries in the Books of Transferor Company)

विलय के स्वभाव का एकीकरण हो या क्रय के स्वभाव का, दोनों दशाओं में हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

1. समस्त मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियों के पुस्तकीय मूल्य पर वसूली लेखे में अन्तरित करने पर

   Realisation A/c Dr.

   To Various Assets A/c

   (Being various assets transferred to Realisation Account)

नोट – यदि रोकड़ शेष एवं बैंक में रोकड़ शेष को हस्तान्तरी कम्पनी ने नहीं लिया है, तो इसके शेष को रोकड़ लेखा या बैंक खाते की डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है।

2. विविध व्ययों का कृत्रिम सम्पत्तियों; जैसे, अंशों एवं ऋणपत्रों पर कटौती, प्रारम्भिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन व्यय, लाभ–हानि खाते की डेबिट बाकी, आदि को समता अंशधारियों के लेखे में अन्तरित करने पर –

   Equity Shareholder's A/c Dr.

To Discount on Shares and Debentures A/c
To Preliminary Expenses A/c
To Underwriting Commission A/c
To Expenses of Issue of Shares & Debentures
To Statement of Profit and Loss
(Being balance of above accounts transferred to Equity Shareholders Accounts)

3. हस्तान्तरक कम्पनी द्वारा जिन सम्पत्तियों को स्वयं बेचा जाता है, उसके लिए –

Bank A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being sale of assets)

4. हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा जिन दायित्वों को लिया जाता है, उसके लिए –

Various Liabilities A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being balance of various liabilities transferred to Realisation A/c)

5. हस्तान्तरक कम्पनी द्वारा जिन दायित्वों का स्वयं भुगतान किया जाता है, उसके लिए –

Various Liabilities A/c Dr.
To Bank A/c
(Being payment of liability made)

6. जब उपर्युक्त दायित्वों का भुगतान प्रीमियम पर किया जाता है, तो प्रीमियम के लिए –

Realisation A/c Dr.
To Liability Concerned A/c
(Being record of premium on ...... liability)

7. जब उपर्युक्त दायित्वों का भुगतान कटौती पर किया जाता है, तो इस कटौती के लिए –

Liability Concerned A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being record of discount on .... liability)

8. प्राप्य क्रय प्रतिफल के लिए –

Transferee Company A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being purchase consideration receivable)

9. क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर –

Shares in Transferee Company A/c Dr.
Debentures in Transferee Company A/c Dr.
Bank A/c Dr.
To Transferee Company A/c
(Being purchase consideration received)

10. क्रय प्रतिफल का हस्तान्तरण करने पर –

Equity Shareholders' A/c Dr.

To Shares in Transferee Company A/c
To Debentures in Transferee Company A/c
To Bank A/c
(Being distribution of purchase consideration)

11. पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते की बाकी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में अन्तरित करने पर–

Preferencial Share Capital A/c Dr.
To Preference Shareholders' A/c
(Being balance transferred to pref. shareholders'A/c)

12. यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रीमियम पर भुगतान किया जाता है, तो प्रीमियम के लिए –

Realisation A/c Dr.
To Preference Shareholders' A/c
(Being record of prmium on pref. shares)

13. यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कटौती पर भुगतान किया जाता है, तो कटौती के लिए –

Preference Shareholders' A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being record of discount on pref. shares)

14. उपर्युक्त लेखा करने के बाद (यदि हो तो) पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर –

Preference Shareholders' A/c Dr.
To Bank A/c
(Being payment made to pref. sharholders)

15. वसूली लेखे पर लाभ होने पर –

Realisation A/c Dr.
To Equity Shareholders' A/c
(Being profit on realisation transferred to Equity Shareholders' A/c)

16. वसूली लेखे पर हानि होने पर –

Equity Sharholders' A/c Dr.
To Realisation A/c
(Being loss on realisation transferred to Equity Shareholders' A/c)

17. हस्तान्तरक कम्पनी द्वारा स्वयं समापन व्ययों का भुगतान करने पर –

Realisation A/c Dr.
To Bank A/c
(Being expenses of liquidation paid)

18. यदि समापन व्ययों का भुगतान हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तो –

(i) लेखा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) यदि लेखा करना आवश्यक हो तो निम्नलिखित दो प्रविष्टियाँ होंगी –

अ. Transferee Company A/c Dr.
To Bank A/c

(Being liquidation expenses paid on behalf of the transferee company)

ब. Bank A/c Dr.

To Transferee Company

(Being reimbursement of liquidation expenses)

19. हस्तान्तरक कम्पनी की अंश पूंजी, संचितियों एवं कोषों तथा लाभ–हानि खाते की क्रेडिट बाकी के लिए –

Equity Share Capital A/c Dr.

Various Reserves and Funds A/c Dr.

Securities Premium Reserve A/c Dr.

Statement of Profit & Loss (Surplus) Dr.

To Equity Shareholders' A/c

(Being balance of above accounts transferred to Equity Shareholders' Ac)

20. अन्त में बैंक खाते के शेष को अन्तरित करने पर –

Equity Shareholders' A/c Dr.

To Bank A/c

To Shares in Transferee Co. A/c

(Being final payment made to equity shareholders and account closed)

15.8.2 हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ

(Journal Entries in the Books of Transferee Company)

(अ) जब विल के स्वभाव का एकीकरण होता है तब हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में समूहीकरण विधि द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

1. देय क्रय प्रतिफल का लेखा करने पर –

Business Merger A/c Dr.

To Liquidator of Transferor Company A/c

(Being consideration payable to liquidators of Transferor Co.)

2. हस्तान्तरक कम्पनी से प्राप्त समस्त सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संचितियों का लेखा करने पर –

Various Assets A/c Dr.

To Various Liabilities A/c

To Various Reserves and Funds A/c

To Business Merger A/c

To General Reserve A/c (Balancing Figure)

(Being various assets, liabilities and reserves taken over from transferor company and balancing figure credited to General Reserve)

अथवा / Or

Various Assets A/c Dr.

General Reserve A/c (Balancing Figure)

To Various Liabilities A/c

To Various Reserves & Funds A/c

To Business Merger A/c

(Being various assets, liabilities and reserves taken over from the transferor company and balancing figure debited to General Reserve)

3. क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर –

Liquidator of Transferor Company A/c Dr.
  To Equity Share Capital A/c
  To Bank A/c
(Being the discharge of purchase consideration)

4. हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के समापन व्ययों का भुगतान करने पर –

Expenses of Liquidation A/c Dr.
  To Bank A/c
(Being expenses of liquidation paid)

5. समापन व्ययों को सामान्य संचय से अपलिखित करने पर –

General Reserve A/c Dr.
  To Expenses of Liquidation A/c
(Being expenses of liquidation written off with General Reserve)

6. हस्तान्तरी कम्पनी के प्रारम्भिक व्ययों के लिए –

Preliminary Expenses A/c Dr.
  To Bank A/c
(Being prliminary expenses paid)

7. हस्तान्तरक कम्पनी के ऋणपत्रों को हस्तान्तरी कम्पनी के ऋणपत्रों से परिवर्तन करने पर –

Debentures of Transferor Co. A/c Dr.
  To Debentures (of Transferee Co.) A/c
(Being debentures of transferor company, converted into debentures of transferee company)

(ब) जब क्रय के स्वभाव का एकीकरण होता है, तब हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में क्रय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं –

1. देय क्रय प्रतिफल का लेखा करने पर –

Business Purchase A/c Dr.
  To Liquidators of Transferor Co. A/c
(Being consideration payable to liquidators of Transferor Co.)

2. हस्तान्तरी कम्पनी से ली गई वास्तविक सम्पत्तियों एवं दायित्वों के लिए –

Various Real Assets A/c Dr.
Goodwill A/c (Balancing figure) Dr.
  To Various Liabilities A/c
  To Business Purchase A/c
(Being various assets and liabilities taken over from the transferor company and balancing figure debited to Goodwill A/c)

अथवा / Or

Various Reas Assets A/c Dr.
  To Various Liabilities A/c
  To Business Purchase A/c
  To Capital Reserve A/c (Balancing figure)

(Being various assets and liabilities taken over from the transferor company and balancing figure credited to Capital Reserve)

3. क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर –

Liquidator of Transferor Co. Dr.
To Equity Share Capital A/c
To Preferential Share Capital A/c
To Debentures A/c
To Bank A/c
(Being the discharge of purchase consideration)

4. हस्तान्तरक कम्पनी के केवल वैधानिक संचयों का लेखा करने के लिए –

Amalgamation Adjustment A/c Dr.
To Various Statutory Reserves A/c
(Being incorporation of statutory reserves of Transferor Co.)

5. हस्तान्तरक कम्पनी के ऋणपत्रों का भुगतान हस्तान्तरी कम्पनी के ऋणपत्रों में परिवर्तन द्वारा करने पर –

Debentures of Transferor Co. A/c Dr.
To Debentures (of Transferee Co.) A/c
(Being allotment of debentures to discharge debentures of Transferor Co.)

6. हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के समापन व्ययों का भुगतान करने पर –

Expenses of Liquidation A/c Dr.
To Bank A/c
(Being payment of liquidation expenses)

7. समापन व्ययों को ख्याति या पूंजी संचय से अपलिखित करने पर–

Goodwill/Capital Reserve A/c Dr.
To Expenses of Liquidation A/c
(Being written off expenses of liquidation)

15.9 खाताबही के आवश्यक खाते (Necessary Ledger Accounts)

हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में खोले जाने वाले आवश्यक खाते

1. वसूली खाता (Realisation Accounts)
2. हस्तान्तरी कम्पनी का खाता (Transferees Company Accounts)
3. बैंक खाता (Bank Account)
4. अंशधारियों का खाता (Shareholders' Account)

हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में बनाये जाने वाले आवश्यक खाते

1. व्यवसाय क्रय खाता (Business Purchases Account)
2. हस्तान्तरक कम्पनी के निस्तारक का लेखा (Liquidator's of Transferor Company Accounts)

Amalgamation in the Nature of Purchase

उदाहरण–3

A लि. तथा B लि. का एकीकरण 01 अप्रैल, 2012 को हुआ। एक नई कम्पनी C लि. की स्थापना विद्यमान कम्पनियों के व्यवसाय को खरीदने के लिए की गई।

31 मार्च, 2012 को A लि. तथा B लि. के चिट्ठे नीचे दिये गये हैं –

A Ltd. and B Ltd. were amalgamated on and from 1st April, 2012. A new company C Ltd. was formed to take over the business of the existing companies. The Balance Sheets of A Ltd. and B Ltd. as on 31st March, 2012 are given below :

Balance Sheet

(as on 31st March, 2012) (A in lakhs)

Liabilities	A Ltd	B Ltd.	Assets	A Ltd	B Ltd.
Share Capital :			**Fixed Assets :**		
Equity Shares of	800	750	Land & Building	550	400
A100 each			Plant &	350	250
12% Preference	300	200	Machinery	150	50
Shares of A			Investments		
100 each			**Current Assets,**		
Reserves and	150	100	**Loans and**	350	250
Surplus :	170	150	**Advances**	250	300
Revaluation			Stock	50	50
Rerserve	50	50	Sundry Debtors	300	200
General Reserve	50	30	Bills Receivable		
Investment			Cash and Bank		
Allowance	60	30			
Reserve					
P & L Account					
Secured Loans :					
10% Debentures	270	120			
(A 100 each)	150	70			
Current Liabilities	**2,000**	**1,500**		**2,000**	**1,500**
and Provisions					
:					
Sundry Creditors					
Bills Payable					

अतिरिक्त सूचनायें –

1. A लि. तथा B लि. ~~के 10% ऋण–पत्र~~धारियों का शोध C लि. द्वारा A 100 वाले 15% उतनी संख्या के ऋणपत्रों द्वारा किया जायेगा, जिससे वही हित कायम रह सके।
2. दोनों कम्पनियों के पूर्वाधिकार अंशधारियों को C लि. के समान संख्या में 15% पूर्वाधिकार अंश A 150 प्रति अंश की दर से (अंकित मूल्य A 100) निर्गमित किये जायेंगे।

3. C लि. A लि. में प्रत्येक समता अंश के लिए 5 समता अंश तथा B लि. में प्रत्येक समता अंश के लिए 4 समता अंश निर्गत करेगी। अंश A 30 की दर से निर्गत की जानी है, जिसका अंकित मूल्य A 10 प्रति अंश है।
4. विनियोग भत्ता संचय चार और वर्षों तक बना रहेगा।

एकीकरण के बाद क्रय की प्रकृति में एकीकरण के आधार पर 1 अप्रैल, 2012 को C लि. का चिट्ठा बनाइये।

Additional Information

1. 10% Debentureholders of A Ltd. and B Ltd. are discharged by C Ltd. issuing such number of its 15% Debentures of A 100 each so as to maintain the same amount of interest.
2. Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of C Ltd. at a price of A 150 per share (face value A 100).
3. C Ltd. will issue 5 equity shares for each equity share of A Ltd. and 4 equity shares for each equity share of B Ltd. The shares are to be issued @ A 30 each, having a face value of A 10 per share.
4. Investment allowanced reserve is to be maintained for 4 more years.

Prepare the Balance Sheet of C Ltd. as on 1st April, 2012 after the amalgamation has been carried out on the basis of amalgamation in the nature of purchase.

हल-3

Balance Sheet

(as on 1st April, 2012) (A in lakhs)

Liabilities	Amount (A)	Assets	Amount (A)
Share Capital :		**Fixed Assets :**	
70,00,000 Equity Shares of A10 each	700	Goodwill (110-90)	20
5,00,000 Preference Shares of A100 each	500	Land & Building	950
(all these shares have been issued as fully		Plant & Machinery	600
paid-up for consideration other than cash)		Investments	200
Reserves and Surplus :		**Current Assets, Loans and Advances :**	
Securities Premium	1,650		
Investment Allowance Reserve	100	(i) Current Assets :	
Secured Loans :		Stock	600
15% Debentures	60	Sundry Debtors	550
Unsecured Loans	Nil	Cash at Bank	500
Current Liabilities and Provisions :		(ii) Loans and Advances :	
(i) Current Liabilities :		Bills Receivable	100
Bills Payable	220	**Miscellaneous Expenditure :**	
Sundry Creditors	390	Amalgamation	
(ii) Provisions	Nil	Adjustment Account	100
	3,620		**3,620**

Working Notes : **(A in lakhs)**

		A. Ltd.		B. Ltd.
1. Purchace Consideration				
a. Preference Shareholders				
$\left(\frac{3,00,00,000}{100} \times 150\right)\left(\frac{2,00,00,000}{100} \times 150\right)$		450		300
b. Equity Shareholders				
$\left(\frac{8,00,00,000 \times 5}{100} \times 30\right)\left(\frac{7,50,00,000 \times 4}{100} \times 30\right)$		1,200		900
		1,650		1,200
2. Net Assets taken over				
Land and Building		550		400
Plant and Machinery		350		250
Investments		150		50
Stock		350		250
Sundry Debtors		250		300
Bills Receivable		50		50
Cash and Bank		300		200
		2,000		**1,500**
Less : Liabilities taken over				
Debentures	40		20	
Sundry Creditors	270		120	
Bills Payable	150	-460	70	-210
Net Assets taken over		1,540		1,290
Purchase consideration		1,650		1,200
Goodwill		110		
Capital Reserve				90

3. Since Investment Allowance Reserve is to be maintained for 4 more years, it is carried forward by a corresponding debit to Amalgamation Adjustment Account.

उदाहरण–4

A लि. एवं B लि. के चिट्ठे 31.03.2012 को निम्न हैं –

Following are the Balance Sheets of A Ltd. and B Ltd. as at 31.03.2012.

Balance Sheet

Liabilitieis	A Ltd.	B Ltd.	Assets	A Ltd.	B Ltd.
Share Capital :	A	A		A	A
10% Preference Shares of A 100 each	---	2,60,000	Fixed Assets	35,00,000	10,30,000
			Current Assets	13,00,000	7,20,000
Equity Shares of A10 each	30,00,000	8,00,000			
General Reserve	12,00,000	3,00,000			
Statutory Reserve	1,20,000	35,000			
Profit and Loss A/c	1,25,000	65,000			
10% Debentures	---	75,000			
Current Liabilities	3,55,000	2,15,000			
	48,00,000	**17,50,000**		**48,00,000**	**17,50,000**

01 अप्रैल, 2012 को A लि. ने B लि. का अधिग्रहण निम्न शर्तों पर किया –

(i) A लि. B लि. के समता अंशधारियों को A 10 वाले 1,00,000 समता अंश सम–मूल्य पर निर्गत करेगी।

(ii) A लि. B लि. के पूर्वाधिकार अंशधारियों को A 100 वाले 3,000, 10% पूर्वाधिकार अंश सम–मूल्यों पर निर्गत करेगी।

(iii) B लि. के ऋणपत्र A लि. द्वारा अधिग्रहीत कर लिये जायेंगे एवं समान संख्या में उसी मूल्य के 12% ऋणपत्र में परिवर्तित कर दिये जायेंगे।

On 1st April, 2012, A Ltd. takes over B Ltd. on the following terms :

(i) A Ltd. will issue 1,00,000 equity shares of A 10 each at par to the equity shareholders of B Ltd.

(ii) A Ltd. will issue 3,000, 10% Pref. Shares of A 100 each at par to the Pref. Shareholders of B Ltd.

(iii) The debentures of B Ltd. will be taken over by A Ltd. and then converted into an equal number of 12% Debentures by the same denomination.

आपको कहा जाता है –

विलय प्रकृति एवं क्रय पद्धति का एकीकरण मानते हुए A Ltd. की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियाँ करें एवं प्रारम्भिक आर्थिक चिट्ठा तैयार करें।

You are required to :

Give Journal Entries in the books of A Ltd. and prepare Opening Balance Sheet assuming the amalgamation in the nature of merger and the amalgamation in the nature of purchase.

हल-4

Calculation of Purchase Consideration

	Amount (A)
1,00,000 Equity Shares of A 10 each	10,00,000
3,000 Pref. Shares of A 100 each	3,00,000
	13,00,000

Note : *Journal entries in the books of transferor company remains the same, both in the case of amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. But J.E.s varies in the books of Transferee Company under these two methods of amalgamation.*

In the Books of A Ltd.

Journal Entries

I. Amalgamation in the Nature of Merger

S.N.	Particulars	L.F.	Dr. Amount	Cr. Amount

			(A)	(A)
1	Business Purchase A/c Dr. To Liquidators of B Ltd. A/c (Being Purchase Consideration)		13,00,000	 13,00,000
2.	Fixed Assets A/c Dr. Current Assets A/c Dr. To Statutory Reserve A/c To Profit and Loss A/c To 10% Debentures A/c To Current Liabilities A/c To Business Purchase A/c To General Reserve A/c (Bal. fig.) (Being incorporation of assets and liabilities)		10,30,000 7,20,000	 35,000 65,000 75,000 2,15,000 13,00,000 60,000
3.	Liquidator of B Ltd. A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To 10% Pref. Share Capital A/c (Being discharge of Purchase Consideration)		13,00,000	 10,00,000 3,00,000
4.	10% Debentures in B Ltd. A/c Dr. To 12% Debentures A/c (Being 10% debentures of B Ltd. converted into 12% debentures)		75,000	 75,000

Working Note :

Calculation of General Reserve (Verification) : A

Purchase Consideration of B Ltd.	13,00,000
Less : Share Capital A/c (B Ltd.)	10,60,000
Debit Balance of G/R	2,40,000
G/R of B Ltd. as per B/S (Cr.)	3,00,000
Net Credit Balance of G/R	60,000

Balance Sheet of A Ltd. (In case of Merger)

(as at 01.04.2012)

Liabilities	Amount (A)	Assets	Amount (A)
Share Capital :		Fixed Assets	45,30,000
10% Preference Shares of A 100 each	3,00,000	Current Assets	20,20,000
Equity Shares of A 10 each	40,00,000		
General Reserve (12,00,000 + 60,000)	12,60,000		
Statutory Reserve	1,55,000		
Profit and Loss	1,90,000		
12% Debentures	75,000		
Current Liabilities	5,70,000		
	65,50,000		**65,50,000**

II. Amalgamation in the Nature of Purchase

S.N.	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)

1	Business Purchase A/c Dr. To Liquidators of B Ltd. A/c (Being Purchase Consideration Payable)		13,00,000	13,00,000
2.	Fixed Assets A/c Dr. Current Assets A/c Dr. To 10% Debentures A/c To Current Liabilities A/c To Business Purchase A/c To Capital Reserve A/c (Bal. fig.) (Being incorporation of assets and liabilities)		10,30,000 7,20,000	75,000 2,15,000 13,00,000 1,60,000
3.	Liquidator of B Ltd. A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To 10% Pref. Share Capital A/c (Being discharge of Purchase Consideration)		13,00,000	10,00,000 3,00,000
4.	10% Debentures A/c Dr. To 12% Debentures A/c (Being 10% debentures of B Ltd. converted into 12% debentures of A Ltd)		75,000	75,000
5.	Amalgamation Adjustment A/c Dr. To Statutory Reserve A/c (Being recording of Statutory Reserve of B Ltd.)		35,000	35,000

Balance Sheet of A Ltd. (In case of Purchase Nature Merger)

(as at 01.04.2012)

Liabilities	Amount (A)	Assets	Amount (A)
Share Capital :			
Preference Shares of A 100 each	3,00,000	Fixed Assets:	45,30,000
Equity Shares of A 10 each	40,00,000	Current Assets	20,20,000
Capital Reserve	1,60,000	Amalgamation Adjustment	35,000
General Reserve	12,00,000		
Statutory Reserve	1,55,000		
Profit and Loss A/c	1,25,000		
12% Debentures	75,000		
Current Liabilities	5,70,000		
	65,85,000		**65,85,000**

15.10 कम्पनियों का पुनर्निर्माण व पुनर्निर्माण के प्रकार (Reconstruction of Companies & Types)

जब कभी किसी कम्पनी की पूंजी संरचना अति–पूंजीकृत (over-capitalized) हो गई है या कम्पनी ने भारी मात्रा में हानि उठाई है और उसे अपलिखित करना हो या सम्पत्तियों को आवश्यकता से अधिक मूल्य पर दिखाया गया हो, तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए और कम्पनी की वित्तीय संरचना को पुनर्संगठित करने के लिए पुनर्निर्माण का

कदम उठाया जाता है। इस प्रकार पुनर्निर्माण शब्द का प्रयोग किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय संरचना में पुनर्सुधार या पुनर्संगठन के लिए किया जाता है।

व्यापक अर्थ में कम्पनी के पुनर्निर्माण से आशय अंशधारकों, ऋणपत्रधारियों व लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर कम्पनी की अंश पूंजी में कमी करना, पूंजी में परिवर्तन व पुनर्गठन करना अथवा विद्यमान कम्पनी का समापन कर उसके व्यवसाय के क्रय के लिए नई कम्पनी की स्थापना करना है।

पुनर्निर्माण के प्रकार (Types of Reconstruction)

पुनर्निर्माण दो प्रकार का होता है –

1. आन्तरिक पुनर्निर्माण (Internal Reconstruction IRC)
2. बाह्य पुनर्निर्माण (External Reconstruction ERC)

15.11 आन्तरिक पुनर्निर्माण (Internal Reconstruction)

''आन्तरिक पुनर्निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनः आकलन, हानियों का अपलेखन तथा अंशों के चुकता मूल्य में कमी इत्यादि के द्वारा कम्पनी की व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाता है।''

15.12 आन्तरिक पुनर्निर्माण की विशेषताएं व वांछनीयता (Features of Internal Reconstruction & Desirability)

1. विद्यमान कम्पनी अपने व्यवसाय को जारी रखते हुए अपने वित्तीय स्वरूप को बदलने का प्रयास करती है।
2. आन्तरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब होती है, जब कम्पनी को लगातार असफलता के कारण समापन से बचना है।
3. आन्तरिक पुनर्निर्माण एक वैधानिक प्रक्रिया है।
4. आन्तरिक पुनर्निर्माण के अन्तर्गत कम्पनी की अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है।
5. पूंजी में कमी लाकर आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्भव है। अर्थात् गत वर्षों में हुई हानियों के अपलेखन द्वारा।
6. आन्तरिक पुनर्निर्माण अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ मिलकर पुनर्गठन की योजना बनाकर किया जा सकता है।

आन्तरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता (Desirability of Internal Reconstruction)

1. जब व्यवसाय में गत वर्षों में एकत्रित हानियाँ बहुत अधिक हो गयी हैं, जिन्हें अपलिखित किया जाना आवश्यक हो गया है।
2. जब किसी कम्पनी की पूंजी संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है और उसे अब सरल और सुविधाजनक बनाना हो।
3. जब कम्पनी की साधारण अंश पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी का अनुपात उचित प्रतीत नहीं होता। (Capital gearing Ratio)
4. जब कम्पनी के अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) में परिवर्तन की आवश्यकता हो, जिससे कि भावी निवेशकों को कम्पनी के प्रति विनियोग करने हेतु आकर्षित किया जा सके।

5. जब चिट्ठे में विद्यमान सम्पत्तियों का मूल्य उसकी पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
6. जब कम्पनी की उत्पादक क्षमता में कमी हो गयी है।

15.13 आन्तरिक पुनर्निर्माण की विधियाँ (Methods of Internal Reconstruction)

1. अंश पूँजी में परिवर्तन,
2. अंश पूँजी में कमी,
3. कम्पनी के सदस्यों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना।

1. **अंश पूंजी में परिवर्तन** (Alternation in Share Capital A/c)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित एक कम्पनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है बशर्ते पार्षद अन्तर्नियमों द्वारा उसे अधिकार प्राप्त हो।

अ. **नए अंशों के निर्माण द्वारा अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाना** (Increase in Authorised Share Capital) – जब किसी कम्पनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और उसके वर्तमान सभी अंश निर्गमित हो चुके होते हैं, तो वह नए अंशों का निर्माण करके अधिकृत पूंजी बढ़ा सकती है। इन नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए पारित प्रस्ताव के 80 दिन के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ता है। नए अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में पुस्तपालन सम्बन्धी लेखे उसी प्रकार से होते हैं, जैसे मूल अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में किये जाते हैं।

ब. **अंशों का स्टॉक में बदलना** (Conversion of Shares into Stock) – केवल पूर्व दत्त अंशों को ही स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टॉक समान तथा क्रमबद्ध भागों में नहीं बँटा होता है। अतः अंशों को स्टॉक में बदलने पर अंशधारियों के पास अंश पूंजी का इतना भाग होता है न कि अंशों की निश्चित संख्या। उदाहरण के लिए, एक अंशधारी के पास 100 अंश A 20 प्रति अंश है। इन अंशों को स्टॉक में बदलने पर उस अंशधारी के पास A 2,000 का स्टॉक होगा। अंशों के इस प्रकार का स्टॉक में परिवर्तन एक माह के भीतर ही रजिस्ट्रार को सूचित कर देना चाहिये। अंशों को स्टॉक में बदलने पर पुस्तकों में अग्र लेखा किया जाता है –

Equity Share Capital A/c. Dr.
To Equity Stock A/c

स्टॉक को अंशों में बदलने पर

Equity Stock A/c Dr.
To Equity Share Capital A/c

स. **अनिर्गमित अंशों का विलोपन** (Cancellation of Unissued Share Capital) – एक कम्पनी को अधिकार होता है कि वह उन सभी अंशों को समाप्त पर दे, जो निश्चित तिथि को निर्गमित न किये गये हों या जिनके निर्गमन का वादा किसी व्यक्ति के साथ न किया गया हो। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य इन अंशों द्वारा प्राप्त असुविधाजनक अधिकारों या दायित्वों से छुटकारा पाना होता है।

द. **कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन** (Consolidation of Shares into Shares of a Large Amount) – किसी भी

कम्पनी को अधिकार है कि वह अपनी अंश पूँजी को कम मूल्य वाले अंशों से अधिक मूल्य के अंशों में समेकन करके बाँट दे। इस प्रकार की क्रिया से चुकता पूंजी की रकम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु अंशों की संख्या पहले से कम हो जाती है।

उदाहरण के लिए, यदि A 100 वाले अंश हैं और उन पर केवल A 80 चुकता किया गया है, (80%) और इन अंशों की गणना A 1,000 वाले अंशों में करना है, तो उन पर A 800 से चुकता होगा। पुराना अंश पूंजी खाता बन्द करने के लिए और नया अंश पूंजी खाता खोलने के लिए पुस्तकों में लेखा करना पड़ता है। उक्त उदाहरण के आधार पर निम्न होगा –

A 100 Share Capital A/c Dr.
To 1,000 Share Capital A/c

य. विद्यमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में उप विभक्तकरण (Sub-Division of Shares into Shares of Smaller Amount) – इसके आधार पर एक कम्पनी कभी–कभी अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभक्त भी कर सकती है।

उदाहरण–5

मीना लि. की अधिकृत पूंजी 31.03.2013 को A 5,00,000 थी जो A 100 के अंशों में विभक्त थी और जिसमें से 3,000 अंश पूर्णदत्त रूप में निर्गमित किये गये थे। सितम्बर, 2013 में कम्पनी ने निर्गमित अंशों को स्टॉक में बदलने का निर्णय लिया, परन्तु सितम्बर, 2014 में कम्पनी ने स्टॉक को अंशों में (A 10 प्रति पूर्णदत्त) में पुनः परिवर्तित कर दिया।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और दर्शाइये कि 31.03.2014 और 31.03.2015 को चिट्ठे में अंश पूंजी को कैसे दर्शाया जायेगा ?

Meena Ltd. had A 5,00,000 authorized capital on 31.03.2013 divided into shares of A 100 each out of which 3,000 shares were issued and fully paid up. In September, 2013 the company decided to convert the issued shares in stock. But in September, 2014 the company reconverted the stock into shares of A 10 each fully paid up.

Pass entries and show how share capital will appear in Balance Sheets as at 31.03.2014 and 31.03.2015 ?

हल-5

Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
2013 Sept.	Equity Share Capital A/c Dr. To Equity Stock A/c (Being conversion of 3,000 fully paid shares of A 100 each into A 3,00,000 stock)		3,00,000	3,00,000
2013 Sept.	Equity Stock A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being conversion of A 3,00,000 stock into		3,00,000	3,00,000

	30,000 shares of A 10 each fully paid up)			

Balance Sheet (Equity and Liabilities side only)

As at 31.03.2014

1.	**Share Capital :**		
	Authorized	: 5,000 Equity Shares of A 100 each	5,00,000
	Issued	: Equity Stock	3,00,000
		As at 31.03.2015	
1.	**Share Capital :**		
	Authorized	: 50,000 Equity Shares of A 10	5,00,000
	Issued	: 30,000 Equity Shares of A 10 each fully paid	3,00,000

उदाहरण–6

31 मार्च, 2012 को बी. लि. की अधिकृत पूंजी A 10 प्रति अंश में A 2,00,000 थी। सभी अंश निर्गमित किये गये जिनमें से A 8 दत्त थे। सितम्बर, 2012 में कम्पनी ने सामान्य बैठक में प्रत्येक अंश को A 5 वाले दो अंशों में A 4 दत्त के रूप में उपविभाजित करने का निर्णय लिया। सितम्बर 2013 में सामान्य बैठक में कम्पनी ने A 5 वाले A 4 चुकता 20 अंशों को A 100 वाले A 80 चुकता अंशों में समेकन करने का प्रस्ताव पारित किया।

जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और 31.03.2013 तथा 31.03.2014 के चिट्ठे में अंश पूंजी को कैसे दर्शाएंगे ?

On 31st March, 2012, B Ltd. had authorized capital of A 2,00,000 into shares of A 10 each. All shares were issued on which A 8 were paid up. In Spetember, 2012 the company in general meeting decided to subdivide each shares into two shares of A 5 each, A 4 paid up. In September, 2013 the company in general meeting resolved to consolidate 20 shares of A 5, A 4 paid up into one A 100 shares, A 80 paid up.

Pass entries and show how Share Capital A/c will appear in Balance Sheets as on 31.032013 and 31.03.2014 ?

हल-6

Journal Entries

Date	*Particulars*	*L.F.*	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
2012 Sept.	A 10 Equity Share Capital A/c Dr. To A 5 Equity Share Capital A/c (Being sub-division of 20,000 equity shares of A10 into 40,000 equity shares of A 5, A 4 paid-up)		1,60,000	1,60,000

2012 Sept.	A 5 Equity Share Capital A/c Dr. To A 100 Equity Share Capital A/c (Being consolidation of 40,000 equity shares of A 5, A 4 paid into 2,000 equity shares of A 100, A 80 paid up)		1,60,000	1,60,000

Balance Sheet (Equity and Liabilities side only)

	As at 31.03.2013	
1.	**Share Capital :**	
	Authorized : 40,000 Equity Shares of A 5 each	2,00,000
	Issued : 40,000 Equity Shares of A 5 each, A 4 paid up	1,60,000
	As at 31.03.2014	
1.	**Share Capital :**	
	Authorized : 2,000 Equity Shares of A 100 each	2,00,000
	Issued : 2,000 Equity Shares of A 100 each, A 80 paid up	1,60,000

2. **अंश पूंजी में कमी** (Reduction in Share Capital)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 अंश पूंजी में कमी से सम्बन्धित है, जो निम्न प्रकार है –

क. **अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया**

अ. **कम्पनी को अपनी अंश पूंजी को विभिन्न प्रकार से कम करने की शक्ति**

अंशों द्वारा सीमित अथवा गारण्टी द्वारा सीमित तथा अंश पूंजी रखने वाली एक कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा अपने प्रार्थनापत्र पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल द्वारा सम्पुष्टि किये जाने पर किसी प्रकार से और विशेष रूप से निम्न प्रकार से अपनी अंश पूंजी कम कर सकती है –

(i) यह अपने अंशों के सम्बन्ध में चुकता न की गयी अंश पूंजी के सम्बन्ध में दायित्व को समाप्त कर सकती है।

(ii) अपने अंशों में से किसी एक दायित्व को समाप्त करने या घटाने के साथ या बिना किसी चुकता अंश पूंजी को निरस्त कर सकती है।

ब. **प्रतिवेदनों के आमन्त्रण हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस**

जब एक कम्पनी अपनी अंश पूंजी में कमी के लिए ट्रिब्यूनल को प्रार्थनापत्र देती है, तो ट्रिब्यूनल इसकी सूचना केन्द्र सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, सूचीगत कम्पनियों की दशा में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कम्पनी के लेनदारों को देती है। यदि तीन माह के अन्दर कोई आपत्ति आती है, तो ट्रिब्यूनल इस पर विचार करता है।

स. **ट्रिब्यूनल द्वारा सम्पुष्टि आदेश**

यदि ट्रिब्यूनल सन्तुष्ट हो जाता है कि कम्पनी के प्रत्येक लेनदार का ऋण या दावा निस्तारित या निर्धारित या सुरक्षित किया जा चुका है, यदि उसकी सहमति की जा चुकी है, तो वह उन शर्तों एवं

दशाओं के आधार पर, जिन्हें वह उचित समझे, अंश पूंजी में कमी की सम्पुष्टि का आदेश निर्गत करेगा।

द. **ट्रिब्यूनल के सम्पुष्टि आदेश का प्रकाशन**

ट्रिब्यूनल द्वारा निर्गत अंश पूंजी में कमी के आदेश का कम्पनी द्वारा उस प्रकार से प्रकाशन किया जायेगा, जिस प्रकार ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित किया गया हो। यदि कम्पनी इस निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहती है, तो उस पर A 5 लाख से लेकर A 25 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है।

य. **ट्रिब्यूनल के सम्पुष्टि आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को देना**

कम्पनी अंश पूंजी में कमी के ट्रिब्यूनल के सम्पुष्टि आदेश की प्रमाणित प्रति एवं ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म की प्रति 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को देगी।

ख. **किसी सदस्य पर किसी माँग या अंशदान का दायित्व नहीं**

कम्पनी का कोई सदस्य, भूत या वर्तमान, अपने द्वारा धारित किन्हीं अंशों के सम्बन्ध में इस अन्तर से अधिक राशि की किसी माँग या अंशदान के लिये दायी नहीं होगा।

ग. आपत्ति का अधिकार रखने वाले ऐसे लेनदार के दावे या ऋण के सम्बन्ध में जिसका नाम लेनदारों की सूची में शामिल नहीं था, सदस्यों का दायित्व

i. रजिस्ट्रार द्वारा कमी के आदेश के पंजीयन की तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी का सदस्य है, ऐसे ऋण या दावे के भुगतान के लिए अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ii. यदि कम्पनी का समापन हो चुका है और ऐसा कोई लेनदार अपनी गैर जानकारी के प्रमाण सहित ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र देता है, तो ट्रिब्यूनल यदि उचित समझे, अंशदान के लिए उत्तरदायी कम्पनियों की सूची तय कर सकता है और अंशदाताओं से याचना करने की व्यवस्था कर सकता है।

घ. **कम्पनी के दोषी अधिकारियों का दायित्व**

यदि कम्पनी का कोई अधिकारी निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, तो इसके लिए उसे 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है तथा कपट की गयी राशि के तीन गुना राशि के बराबर दण्ड हो सकता है।

i. अधिकारी जानबूझ कर लेनदारों का नाम छुपाता है,

ii. लेनदारों की राशि के लिये मिथ्या वर्णन करता है,

iii. अधिकारी मिथ्या वर्णन एवं छिपाव में प्रोत्साहन का भागीदार हो।

3. **अंश पूंजी में कमी का पुस्तकों में लेखा**

क. जब अदत्त या अयाचित (uncalled) रकम को समाप्त किया गया हो, तो चुकता पूंजी की रकम प्रभावित नहीं होती है। केवल आंशिक दत्त अंश पूर्णदत्त अंश हो जाते हैं। इस दशा में खातों में कोई लेखा आवश्यक नहीं होता है। हाँ, कभी–कभी निम्न लेखा किया जा सकता है –

Share Capital A/c (Partly paid) Dr.
    To Share Capital A/c (Fully paid)

ख. अंश पूंजी की चुकता रकम में से कुछ भाग अंशधारियों को लौटाया जाए –

(अ) Share Capital A/c Dr.
    To Sundry Shareholders' A/c

(ब) Sundry Shareholders' A/c Dr.
    To Bank A/c

कुछ लेखकों की राय में अंश पूंजी का भुगतान सीधे अंशधारियों को न करके एक विशेष खाता Capital Reduction Account के जरिये होना चाहिये। इस दशा में उक्त लेखों में Shareholders' Account की जगह Capital Reduction Account डेबिट या क्रेडिट किया जायेगा।

(स) जिस अंश पूंजी में कमी लायी गई है उससे सम्बन्धित सामान्य संचिति या लाभलाभ खाते की क्रेडिट बाकी की खाते को Capital Reduction Account या Capital Reserve Account में हस्तान्तरित कर देना चाहिये।

(द) कम्पनी का Capital Redemption Reserve Account तथा Securities Premium Reserve Account में उसी प्रकार से कमी लायी जा सकती है, जैसे अंश पूंजी में।

ग. जब अंश पूंजी में कमी पूंजी के नष्ट हुए भाग को अपलिखित करके लायी गई हो –

(अ) Share Capital A/c Dr.
    To Capital Reduction A/c (कमी की रकम से)

(ब) यदि इस प्रकार के अपलेखन में अंशों के विवरण में पूर्णतया परिवर्तन हो जाए, तो पुराने अंश पूंजी खाते को डेबिट करके नया अंश पूंजी खाता खोल देना चाहिये और दोनों के अन्तर की रकम से 'पूंजी कमी खाता' क्रेडिट कर देना चाहिये।

Old Share Capital A/c (पुरानी रकम से) Dr.
    To New Share Capital A/c (नई रकम से)
    To Capital Reduction A/c (कमी की रकम से)

(स) 'पूंजी कमी खाता' का प्रयोग अनेक सम्पत्तियों को अपलिखित करने में किया जाता है या बनावटी सम्पत्तियों को समाप्त करने में भी किया जा सकता है। लेखा इस प्रकार होगा –

Capital Reduction A/c Dr.
    To Statement of Profit & Loss (Debit Balance)
    To Discount on Issue of Debentures A/c
    To Preliminary Expenses A/c
    To Goodwill A/c
    To Patents A/c
    To Other Assets A/c

घ. कभी–कभी लेनदार या ऋणपत्रधारी भी त्याग करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस दशा में उनके दावों में भी कमी आ जाती है। इस कमी की रकम को भी Capital Reduction Account में क्रेडिट किया जाता है।

कुछ लेखापालकों की राय में लेनदारों या ऋणपत्रधारियों द्वारा त्याग की दशा में Capital Reduction Account की जगह Reorganization Account या Reconstruction Account नामकरण होना चाहिये।

छ. किसी सम्भाव्य दायित्व का भुगतान करने पर,

Capital Reduction A/c Dr.

To Contingent Liability A/c (Mention the name of Liability)

इसके बाद भुगतान करने पर साधारण लेखा कर दिया जाएगा।

ङ. किसी सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन स्वरूप–मूल्य में वृद्धि होने पर –

Asset A/c Dr.

To Capital Reduction A/c (बढ़ी हुई रकम से)

(अ) स्कीम में वर्णित अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में लेखा साधारण दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किया जा सकता है।

(ब) विभिन्न सम्पत्तियों एवं बनावटी सम्पत्तियों के अपलेखन के बाद भी Capital Reduction Account का शेष बचता है, तो उसे Capital Reserve Account में हस्तान्तरित कर देना चाहिये।

उदाहरण–7

एक कम्पनी की चुकता अंश पूंजी A 3,20,000 है, जो A 10 वाले A 8 चुकता 40,000 अंशों में विभक्त है। लाभ–हानि खाता द्वारा A 1,40,000 का क्रेडिट शेष दर्शाया गया है।

कम्पनी चुकता अंश पूंजी को A 6 चुकता तक कम करने का निर्णय करती है और इसके लिए आवश्यक राशि को संचित लाभ में से लेकर भुगतान करती है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

A company has a paid up Share Capital of A 3,20,000 divided into 40,000 Equity Shares of A 10 each, A 8 per share paid up. The Profit & Loss A/c shows a credit balance of A 1,40,000.

The company decides to reduce the paid up Share Capital to A 6 per share paid up by paying off the necessary amount of accumulated profits. Give neceassary Journal entries.

हल-7

Journal Entries

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Equity Share Capital A/c To Equtiy Shareholders' A/c (Being transfer @ A 2 per share on 40,000 shares for repayment)		80,000	80,000
	Equity Shareholders' A/c To Bank A/c (Being payment to Equity Shareholders)		80,000	80,000

	Statement of Profit & Loss To Capital Reserve A/c (Being transfer upon payment of capital)		80,000	80,000

उदाहरण–8

(अ) 31.03.2013 को एक्स लि. के पास A 100 वाले, A 80 प्रति अंश याचित 40,000 समता अंश थे। सितम्बर, 2013 में कम्पनी ने निर्णय लिया कि A 100 वाले अंशों को घटाकर A 80 वाला पूर्ण चुकता मान लिया जाए और अदत्त A 20 प्रति अंश की राशि को रद्द कर दिया जाए। 31.03.2013 को अधिकृत पूंजी A 40,00,000 थी, जो A 100 वाले 40,000 समता अंशों में विभक्त थी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और 31.03.2013 तथा 31.03.2014 के चिट्ठे में अंश पूंजी को दर्शाइये।

(ब) वाई लि. की अधिकृत पूंजी A 10 वाले 40,000 अंशों में विभक्त A 4,00,000 थी। ये सभी अंश निर्गमित किये गए थे और A 7 प्रति अंश तक चुकता थे। 31.03.2014 में कम्पनी ने निर्णय लिया कि A 2 प्रति अंश से भुगतान कर दिया जाए और A 10 के अंश को घटाकर A 5 प्रति अंश पूर्ण चुकता कर दिया जाए और बकाया राशि को रद्द कर दिया जाए। लाभ–हानि विवरण में A 1,20,000 का क्रेडिट शेष था।

a. X Ltd. had on 31.03.2013 40,000 Equity Shares of A 100, A 80 per share called up. In September, 2013 the company decided to reduce A 100 shares to A 80 shares as fully paid by cancelling unpaid amount of A 20 per share. The Authorized Capital on 31.03.2013 was A 40,00,000 divided into 40,000 shares of A 100 each. Necessary formalities were carried out. Pass entries and show how Share Capital will appear in 31.03.2013 and 31.03.2014.

b. Y Ltd. had A 4,00,000 authorized capital divided into 40,000 shares of A 10 each. All these shares were issued and were paid to the extent of A 7 per share. The company decided on 31.03.2014 to pay off A 2 per share and to reduce the A 10 share to A 5 share fully paid up by cancelling unpaid amount. There was A 1,00,000 balance in Statement of P & L (Cr.). Pass entries and show Share Capital A/c will appear in B/S on 31.03.2014.

हल-**8**

a. **Books of X Ltd.**

Journal Entries

Date	*Particulars*	*L.F.*	**Dr. Amount (A)**	**Cr. Amount (A)**
	Share Capital A/c (Partly paid up)		32,00,000	

	To Share Capital A/c (Fully paid up) (Being cancellation of A 20 unpaid amount on 40,000 shares)			32,00,000

Balance Sheet (Equity and Liabilities side only)

	As at 31.03.2013	
1.	**Share Capital :**	
	Authorized : 40,000 Equity Shares of A 100 each	40,00,000
	Issued : 40,000 Equity Shares of A 100 each, A 80 paid up	32,00,000
	As at 31.03.2014	
1.	**Share Capital :**	
	Authorized : 50,000 Equity Shares of A 80 each	40,00,000
	Issued : 40,000 Equity Shares of A 80 each fully paid	32,00,000

b. **Books of Y Ltd.**

Journal Entries

Date	*Particulars*	*L.F.*	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Share Capital A/c To Shareholders' A/c (Being transfer @ A 2 on 40,000 shares for repayment)		80,000	80,000
	Shareholders' A/c To Bank A/c (Being repayment to shareholders)		80,000	80,000
	Statement of Profit & Loss To Capital Reserve A/c (Being transfer upon repayment)		80,000	80,000
	Share Capital A/c (Partly paid) To Share Capital A/c (Fully paid) (Being cancellation of A5 per share on 40,000 shares to bring them A5 fully paid)		2,00,000	2,00,000

Balance Sheet (Equity and Liabilities Side) (as at 31.03.2014)

1.	Share Capital A/c :	
	Authorized : 80,000 Shares of A 5 each	4,00,000
	Issued : 80,000 Shares of A 5 each fully paid	4,00,000

15.14 बाह्य पुनर्निर्माण का आशय व उद्देश्य (Meaning and Objectives of External Reconstruction)

विद्यमान कम्पनी आर्थिक कठिनाईयों के कारण व कई वर्षों से होने वाली लगातार हानियों के कारण या अन्य किसी कारण से अपना समापन करती है और इसे लेने के लिए दूसरी नयी कम्पनी का निर्माण करती है, तो इसे कम्पनी का बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। क्रय करने वाली कम्पनी अधिकतर नयी स्थापित की हुई कम्पनी होती है, जो विशेषतया इस कार्य के लिए बनायी जाती है।

बाह्य पुनर्निर्माण के उद्देश्य (Objectives of External Reconstruction)

1. हानियों से भविष्य में बचने के लिए,
2. कम्पनी के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य को बढ़ाने के लिए,
3. रजिस्टर्ड कार्यालय को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिए,
4. कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए।

15.15 आन्तरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अन्तर (Difference between Internal and External Reconstruction)

आधार	आन्तरिक पुनर्निर्माण	बाह्य पुनर्निर्माण
1. विद्यमान कम्पनी	विद्यमान कम्पनी बनी रहती लें	विद्यमान कम्पनी का समापन हो जाता है।
2. नवीन कम्पनी	इसमें कोई नवीन कम्पनी नहीं बनती, लेकिन अंशधारियों एवं लेनदारों के अधिकार परिवर्तित हो जाते हैं।	इसमें विद्यमान कम्पनी लेने के लिए एक नवीन कम्पनी का गठन किया जाता है।
3. पूंजी की कमी	इसमें पूंजी की कमी अनिवार्य होती है।	इसमें पूंजी की कमी नहीं होती, वरन् नई कम्पनी की नई अंश पूंजी होती है।
4. अधिनियम का सम्बन्ध	आन्तरिक पुनर्निर्माण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।	बाहरी पुनर्निर्माण पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 282 के प्रावधान लागू होते हैं।

बाह्य पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में लेखे

चूंकि यहाँ एक कम्पनी की बिक्री दूसरी कम्पनी को होती है, अतः यहाँ भी लेखे क्रेता व विक्रेता दोनों पुस्तकों में किये जाते हैं। इन दोनों पुस्तकों में लेखे करते समय उन्हीं सिद्धान्तों व नियमों तथा लेखांकन मानक–14 को अपनाया जाता है, जिन्हें विक्रय के स्वभाव के एकीकरण (Amalgamation in the nature of Merger) के समय अपनाया जाता है। इसका वर्णन पीछे किया जा चुका है।

उदारहण–9

यूनाइटेड ट्रेडिंग क. लि. के व्यापारिक देय और अंशधारी पुनर्निर्माण की एक योजना पर सहमत हुए और कम्पनी का समापन हुआ। पुनर्निर्माण की तिथि पर कम्पनी का चिट्ठा निम्न था –

The trade payables and shareholders having agreed upon a scheme of Reconstruction, the United Trading Co. Ltd. went into voluntary liquidation. The Balance Sheet at the date of reconstruction stood as under :

Particulars	Amount (A)
I. समता एवं दायित्व **(Equity and Liabilities)**	
अंशधारी कोष *(Shareholders' funds)*	
अंश पूंजी *(Share Capital) :*	
A 10 वाले 25,000 अंश *(25,000 Shares of* A *10 each)*	2,50,000
संचय एवं आधिक्य *(Reserves and surplus) :*	
लाभ–हानि विवरण (Statement of P&L – Dr. balance)	(45,000)
गैर–चालू दायित्व ***(Non-current liabilities) :***	1,00,000
5% ऋणपत्र *(5% Debentures)*	
चालू दायित्व ***(Current liabilities) :***	40,000
व्यापारिक देय *(Trade payables)*	**3,45,000**
II. सम्पत्तियाँ **(Assets) :**	
गैर चालू सम्पत्तियाँ ***(Non-current assets) :***	
स्थायी सम्पत्तियाँ *(Fixed assets)* :	
मूर्त सम्पत्तियाँ *(Tangible assets)* :	95,000
भवन *(Building)*	1,05,000
प्लाण्ट *(Plant)*	
अमूर्त सम्पत्तियाँ ***(Intangible assets) :***	40,000
ख्याति *(Goodwil)*	
चालू सम्पत्तियाँ ***(Current assets)*** **:**	50,000
रहतिया *(Inventories)*	
व्यापारिक प्राप्य *(Trade receivables)*	53,000
Less : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *(Provision for doubtful debts*) 7,000	2,000
	3,45,000
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य *(Cash & cash equivalents)*	

पुनर्निर्माण की योजना निम्न प्रकार थी : (अ) उपर्युक्त कम्पनी से रहतिया एवं व्यापारिक प्राप्यों को पुस्तक मूल्य से 20% से कम पर तथा भवन एवं प्लाण्ट को क्रमशः A 77,000 और A 1,00,000 पर खरीदने के लिए एक नयी कम्पनी की स्थापना की जानी चाहिए; नयी कम्पनी की पूंजी A 5,00,000 होगी, जो A 10 वाले 50,000 अंशों में विभक्त होगी। (ब) पुराने ऋणपत्रों के बदले में ऋणपत्रधारियों को A 1,50,000 के 5% बन्धक ऋणपत्रों का निर्गमन किया जायेगा। (स) व्यापारिक देयताओं ने नई कम्पनी से A 35,000 अपने दावों के पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किये। (द) अंशधारियों ने A 10 प्रति अंश (A 5 चुकता वाले 25,000 अंश, A 2.50 प्रति अंश की याचना सहित, जो आगे की जानी है, लेना स्वीकार किया। (य) बैंक बाकी का प्रयोग पुनर्निर्माण व्ययों का चुकता में किया।

आप पुरानी कम्पनी की पुस्तकों को बन्द करने के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिये तथा यह मान कर कि अंशधारियों पर मांगी गयी सब याचनाओं का भुगतान हो गया, नयी कम्पनी की पुस्तकों में चिट्ठा बनाइये।

The scheme of reconstruction provided as under : (a) That a new company may be formed with a share capital of A 5,00,000 in 50,000 shares of A 10 each to take over from the above company inventories and trade receivables at 20% less than the book value and Building and Plant at A 77,000 and A 1,00,000 respectively; (b) The Debentureholders were to be satisfied by the issue of 5% mortgage debentures of A 1,50,000 in the new company in exchange for old debentures. (c) The trade payables agreed to receive A 35,000 from the New Company in full settlement of their claims. (d) The shareholders agreed to receive 25,000 shares of A 10 each, credited with A 5 per share paid-up with a call of A 2.50 per share to be made forthwith. (e) The bank balance was utilized in payment of reconstruction expenses.

You are required to give the necessary Journal entries to close the books of the old company and assuming that the call made on shareholders was duly received also prepare Balance Sheet in the books of New Company.

हल-9

Journal Entries in the Books of Old Company
(United Trading Co. Ltd.)

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Realisation A/c Dr.		3,50,000	
	To Goodwill A/c			40,000
	To Buildings A/c			95,000
	To Inventories A/c			50,000
	To Plant A/c			1,05,000
	To Trade Receivables A/c			60,000
	(Being transfer of the above mentioned assets to Realisation A/c)			
	Trade Payables A/c Dr.		5,000[1]	
	Provision for Doubtful Debts A/c Dr.		7,000	
	To Realisation A/c			12,000
	(Being the agreement of creditors to forego this account and closing of Provision for Doubtful Debts Account)			
	Realisation A/c Dr.		50,000[2]	
	To 5% Debenture A/c			50,000
	(Being the premium at which debentureholders are satisfied)			
	Realisation A/c Dr.		2,000	
	To Bank A/c			2,000

	(Being the expenses of realisation)			
	New Company A/c Dr. To Realisation A/c (Being record for selling price)		3,10,000[3]	 3,10,000
	Shareholders' A/c Dr. To Realisation A/c (Being loss on realisation transferred to Shareholders' A/c)		80,000[4]	 80,000
	Bank A/c Dr. Shares in New Company A/c Dr. 5% Mortgage Deb. in New Co. A/c Dr. To New Company A/c (Being receipt of selling price)		35,000 1,25,000 1,50,000	 3,10,000
	5% Debentures A/c Dr. To 5% Debentureholders' A/c (Being transfer of Debenture & Premium made)		1,50,000	 1,50,000
	Trade Payables A/c Dr. To Bank A/c (Being creditors paid)		35,000	 35,000
	Share Capital A/c Dr. To Shareholders' A/c (Being transfer made)		2,50,000	 2,50,000
	Shareholders' A/c Dr. To Statement of Profit & Loss A/c (Being transfer made)		45,000	 45,000
	Shareholders' A/c Dr. To Share in New Company A/c (Being payment made to shareholders)		1,25,000	 1,25,000

[1] A 40,000 – A 35,000 = A 5,000

[2] A 1,50,000 – A 1,00,000 = A 50,000

[3] 25,000 shares × A 5 = A 1,25,000; A 1,25,000 + Debentures A 1,50,000 + Payment to creditors A 35,000 = A 3,10,000

[4] A (3,50,000 + 50,000 + 2,000) – (12,000 + 3,10,000) = A 80,000

Journal Entries in the Books of the New Company

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (A)	Cr. Amount (A)
	Building A/c Dr. Machinery A/c Dr. Inventories A/c Dr. Trade Receivables A/c Dr. Goodwill A/c Dr. To United Trading Co. Ltd. Dr. (Being the Assets taken over as per scheme of		77,000 1,00,000 40,000[5] 48,000[6] 45,000[7]	 3,10,000

	reconstruction and the excess of purchase price over assets transferred to Goodwill A/c)			
	United Trading Co. Ltd. Dr. To Bank A/c To Share Capital A/c To 5% Mortgage Debentures A/c (Being the discharge of purchase price by debentures, shares and cash)		3,10,000	 35,000 1,25,000 1,50,000
	Bank A/c Dr. To Share Capital A/c (Being the amount received on a call of A2.50 per share on 25,000 shares)		62,500	 62,500

[5] A 50,000 – 50,000 $\times \frac{20}{100}$ = A 40,000   [6] A 60,000 – 60,000 $\times \frac{20}{100}$ = A 48,000

[7] A 3,10,000 – (77,000 + 1,00,000 + 40,000 + 48,000) = A 45,000

Balance Sheet of New Company

I. EQUITY AND LIABILITIES	**Amount (A)**
Shareholders' funds :	
Share Capital :	
Authorized Capital	
Issued and subscribed capital	5,00,000
Non-current liabilities :	1,87,500
5% Mortgage debentures	
A	1,50,000
II. ASSETS	**3,37,500**
Non-current assets :	
Fixed assets :	
Tangible assets :	
Building	
Machinery	77,000
Intangible assets :	1,00,000
Goodwill	
Current assets :	45,000
Inventories	
Trade receivables	40,000
Cash & cash equivalents	48,000
A	27,500[2]
	3,37,500

[1] A 62,500 – 35,000 = A 27,500   [2] A 1,25,000 + 62,500 = A 1,87,500

15.16 सारांश

कम्पनी के पुनर्गठन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पुर्ननिर्माण कहते हैं। जब किसी कम्पनी में लगातार हानि होने के कारण अत्यधिक मात्रा में

हानियाँ एकत्रित हो जाती है अथवा कम्पनी वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही होती है तो उसके पुर्ननिर्माण की आवश्यकता होती है। कम्पनी का पुर्ननिर्माण दो तरीके से हो सकता है। आन्तरिक एवं बाह्य पुर्ननिर्माण। आन्तरिक पुर्ननिर्माण में कम्पनी के अस्तित्व को कायम रखते हुए उसकी पूँजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। जबकि बाह्य पुर्ननिर्माण में वर्तमान कम्पनी का समापन कर उस कम्पनी के सम्पत्तियों एवं दायित्वों से एक नई कम्पनी की स्थापना की जाती है।

15.17 शब्दावली

कम्पनियों का एकीकरण (Amalgamation of Company) – कम्पनियों का मिश्रण दो या दो से अधिक कम्पनियों को एक कम्पनी में परिवर्तित करना होता है।

संविलयन (Absorption) – एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी में समावेश किया जाना है।

ट्रिब्यूनल (Tirbunal) – न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकरण कहलाता है।

अनिर्गमित पूँजी (Unissued Capital) – जो अंश पूँजी निर्गमित न की गयी हो।

आन्तरिक पुर्ननिर्माण (Internal Reconstruction) : कम्पनी के अस्तित्व को कायम रखते हुये पूँजी संरचना में परिवर्तन।

बाह्य पुर्ननिर्माण (External Reconstruction) : वर्तमान कम्पनी की सम्पत्तियों व दायित्वों से एक नई कम्पनी की स्थापना।

अंशों का समेकन (Consolidation of Shares) : कम मूल्य वाले अंशों का बड़े मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन।

अंशों का उपविभाजन (Sub-division of Shares) : बड़े मूल्यों वाले अंशों का छोटे मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन।

15.18 बोध प्रश्न

1. जब दो या अधिक कम्पनियाँ समापन में जाती हैं और इनके व्यवसायों को लेने के लिए नई कम्पनी समामेलित की जाती है, तो इसे ....कहा जाता है।
2. ''एकीकरण के .... का आशय हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी को निर्गमित अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का एकल राशि एवं रोकड़ या अन्य सम्पत्तियों के रूप में किये गये भुगतान से होता है।
3. कम्पनी के ....से आशय अंशधारकों, ऋणपत्रधारियों व लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर कम्पनी की अंश पूंजी में कमी करना, पूंजी में परिवर्तन व पुनर्गठन करना अथवा विद्यमान कम्पनी का समापन कर उसके व्यवसाय के क्रय के लिए नई कम्पनी की स्थापना करना है।
4. ....पुनर्निर्माण इसमें विद्यमान कम्पनी लेने के लिए एक नवीन कम्पनी का गठन किया जाता है।

15.19 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. एकीकरण, 2. प्रतिफल, 3. पुनर्निर्माण, 4. बाह्य

15.20 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. कम्पनियों के एकीकरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिये। कम्पनियों के एकीकरण सम्बन्ध लेखा मानक 14 की आवश्यकताओं की भी विवेचना कीजिये।

   Narrate the objects of amalgamation of companies. Also discuss the requirements of Accounting Standard 14 relating to amalgamation of companies.
2. कम्पनियों के एकीकरण के समय पर सामान्यतया कौन सी समस्यायें उत्पन्न होती हैं? इन समस्याओं का निपटारा तथा सम्बन्धित कम्पनियों की लेखा पुस्तकों में व्यवहार किस प्रकार किया जाता है ?

   What problems generally arise at the time of amalgamation of companies ? How are these settled and treated in the account books of concerned companies ?
3. विलियन के स्वभाव वाले एकीकरण के लिए किन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है ?

   What conditions are to be complied with for amalgamation in the nature of a merger ?
4. आन्तरिक पुनर्निर्माण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? क्या इसमें अनिवार्यतः पूंजी में कमी निहित होती है ?

   What are the essential features of internal reconstruction ? Does it necessarily involve Capital Reduction ?
5. पूंजी कमी खाता क्या है ? इसे कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है ?

   What is Capital Reduction Account ? When, why and how is it prepared ?
6. कम्पनी के आन्तरिक पुनर्निर्माण से क्या तात्पर्य है ? उन परिस्थितियों को बताइये जिनमें आन्तरिक पुनर्निर्माण आवश्यक हो जाता है।

   What is meant by Internal Reconstruction of a company ? State the circumstances in which internal reconstruction becomes necessary.
7. आन्तरिक पुनर्निर्माण क्या है ? आन्तरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइये।

   What is Internal Reconstruction ? Explain in brief the process of internal reconstruction.
8. आन्तरिक पुनर्गठन के समय कम्पनियों की पुस्तकों में क्या लेखे किये जाते हैं ?

   What accounting entries are passed in the books of the companies at the time of internal reconstruction ?

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. सुशीला लि. का प्रकाश लि. द्वारा संविलयन करने के बाद सुशीला लि. के चिट्ठे की स्थिति निम्न प्रकार थी –

   Sushila Ltd. is absorbed by Prakash Ltd. The Balance Sheet of Sushila Ltd. is as under :

Balance Sheet

	Amount (A)		Amount (A)
		Sundry Assets	26,00,000
Share Capital : 4000 7% Preference Shares of A 100 each (fully paid up)	4,00,000		
10000 Equity Shares of A 100 each (fully paid up)	10,00,000		
Reserves	6,00,000		
6% Debentures	4,00,000		
Trade Creditors	2,00,000		**26,00,000**
	26,00,000		

प्रकाश लि. की सहमति हुई –

i. सुशीला लि. के 4 अधिमान अंशों के बदले प्रकाश लि0 के 9% A 100 वाले 3 अधिमान अंश निर्गमित किये जायेंगे।

ii. सुशीला लि. के 6% ऋणपत्र के बदले 8% बन्धक ऋणपत्र A 96 प्रति ऋणपत्र के हिसाब से दिये जायेंगे जिनका शोधन 20% प्रीमियम पर होना है।

iii. सुशीला लि. के प्रत्येक 5 ईक्विटी अंशों के बदले A 100 वाले जिनका (बाजार मूल्य A 125) 6 ईक्विटी अंश निर्गमित किये जायेंगे तथा A 20 प्रति अंश दिये जायेंगे।

iv. व्यापारिक लेनदारों का दायित्व बना रहेगा।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिये।

Prakash Ltd. has agreed :

i. To issue 9% preference shares of A 100 each in the ratio of 3 shares of Prakash Ltd. for 4 preference shares in Sushila Ltd.

ii. To issue to the debentureholders in Sushila Ltd. 8% Mortgage Debentures at A 96 in lieu of 6% Debentures in Sushila Ltd. which are to be redeemed at a premium of 20%.

iii. To pay A 20 per share in cash and to issue six equity shares of A 100 each (market value A 125) in lieu of every five equity shares held in Sushila Ltd.

iv. To assume the liability to trade creditors.

2. विनोद लि. ने रमेश लि. का संविलयन करने का निश्चय किया। रमेश लि. का चिट्ठा निम्नलिखित है –

Vinod Ltd. decides to absorb Ramesh Ltd. The Balance Sheet of Ramesh Ltd. is as follows :

Balance Sheet

	A		A
6000 Equity Shares of A 100 each (fully paid)	6,00,000	Sundry Net Assets	5,00,000
Preference Shares	1,20,000	Profit and Loss Account	1,40,000
	7,20,000		7,20,000

विनोद लि. रमेश लि. की शुद्ध सम्पत्तियों को लेने के लिए सहमत हो जाती है। राम लि. के एक ईक्विटी अंश का मूल्य संविलयन के उद्देश्य से A 70

माना गया। विनोद लि. अधिमान अंशधारियों को A 1,20,000 नकद चुकाने को सहमत हुई तथा शेष भुगतान ईक्विटी अंशों में, जिनका मूल्यांकन A 120 प्रति अंश के हिसाब से किया गया।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए।

Vinod Ltd. agrees to take over the net assets of Ramesh Ltd. An equity share in Ramesh Ltd., for purposes of absorption, is valued @ A 79. Vinod Ltd. agrees to pay A 1,20,000 in cash for payment to preference shareholders and the balance in the form of its equity shares of Vinod Ltd. valued at A 120 each.

Calculate purchase Consideration.

3. 31 मार्च, 2015 को विनोद लि. व रमेश लि. के चिट्ठे अग्र प्रकार थे –

The following are the balance sheets of Vinod Ltd. and Ramesh Ltd. on 31st March, 2015.

Liabilities	Vinod Ltd.	Ramesh Ltd.	Assets	Vinod Ltd.	Ramesh Ltd.
Equity Share Capital (of A 100 each)	20,00,000	24,00,000	Fixed Assets	18,00,000	17,00,000
			Investments	2,20,000	1,20,000
General Reserve	6,00,000	10,00,000	Stock	2,60,000	9,60,000
Capital Reserve	2,00,000	3,00,000	Debtors	4,00,000	12,00,000
Revaluation Reserve	1,00,000	1,20,000	Cash at Bank	9,30,000	8,40,000
Profit and Loss A/c	1,50,000	2,00,000			
12% Debentures	4,00,000	6,00,000			
Sundry Creditors	1,60,000	2,00,000			
	36,10,000	**48,20,000**		**36,10,000**	**48,20,000**

विनोद लि. व श्याम लि. के 01 अप्रैल, 2015 को एकीकरण (विलियन के स्वभाव वाला) के द्वारा एक नई कम्पनी आर.एस. लि. की स्थापना की गई। आर. एस. लि. द्वारा विनोद लि. व रमेश लि. के ईक्विटी अंशधारियों के दावों का निपटारा करने के लिए 100 वाले पर्याप्त ईक्विटी अंश निर्गमित किए गए।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिये तथा आर.एस. लि. की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये। एकीकरण के तुरन्त बाद 01 अप्रैल, 2015 को आर0एस0 लि. चिट्ठा भी बनाइये।

A new company RS Ltd. was formed by amalgamation (in the nature of merger) of Vinod Ltd. and Ramesh Ltd. on 1st April, 2015. RS Ltd. issued requisite number of equity shares of A 100 each to discharge the claims of equity shareholders of Vinod and Ramesh Ltd.

Calculate purchase consideration and pass necessary journal entries in the books of RS Ltd. Also prepare the balance sheet of RS Ltd. on 1st April, 2015 soon after the amalgamation.

4. 31.03.2015 को ए लि. एवं बी लि. के सारांशित चिट्ठे इस प्रकार हैं –

The summarised Balance Sheets of A Ltd. and B. Ltd. as on 31.03.2015 are as follows :

Liabilities	A Ltd.	B Ltd.	Assets	A Ltd.	B Ltd
	A	A		A	A
Share Capital :	2,50,000	1,50,000		1,50,000	1,20,000

Shares of A 10	60,000	40,000	Fixed	70,000	80,000
each	40,000	60,000	Assets	80,000	40,000
Reserves	30,000	20,000	Stock	80,000	30,000
Profit and Loss	**3,80,000**	**2,70,000**	Debtors	**3,80,000**	**2,70,000**
A/c			Bank		
Creditors					

उपर्युक्त दोनों कम्पनियाँ मिलकर एकीकरण के पश्चात् निम्न शर्तों पर AB लि. बनाती है –

1. AB लि. ने A लि. एवं B लि. की समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिग्रहण निम्न समायोजनाओं के आधार पर किया (जो लेखांकन की शर्तों की पुष्टि करती है) –
   अ. दोनों कम्पनी सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगायेंगी, जिसमें A लि. 10%, प्रतिवर्ष से और B लि. 15% के ह्रास लगायेगी एवं B लि. द्वारा A 10,000 का अधिह्रास समायोजित किया जायेगा।
   ब. A लि. रहतिये का मूल्यांकन LIFO के आधार पर करती है, जबकि B लि. रहतिये का मूल्यांकन FIFO के आधार पर करती है। अतः B लि. रहतिये को A लि. के समान करने के लिए इसे A 5,000 से कम किया जायेगा।
2. समस्त क्रय प्रतिफल का शोधन A 10 वाले अंशों के निर्गमन से किया जायेगा। A लि. को 30,000 अंश एवं B लि. को 20,000 अंश मिलेंगे। B लि. की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइये। एकीकरण के विलय की दृष्टि से AB लि. की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कर चिट्ठा बनाइये।

The above two companies agree to amalgamate and form a new company AB Ltd. on the following conditions :

1. AB Ltd. will takeover all assets and liabilities of A Ltd. and B Ltd., subject to the following adjustments in order to ensure uniform accounting policies :
   a. Though both companies follow straight line method of depreciation. A Ltd. charges depreciation @ 10% p.a. where as B Ltd. charges depreciation @ 15% p.a. In effect depreciation overcharged by B Ltd., amount to A 10,000 has to be adjusted.
   b. A Ltd. values stock on LIFO basis, where as B Ltd. values stock on FIFO basis. To bring B Ltd.'s values in line with those of A Ltd. its value is to be reduced by A 5,000.
2. The entire purchase consideration will be satisfied by the issue of shares of A 10 each. A Ltd. will get 30,000 shares and B Ltd. will get 20,000 shares.

Prepare necessary ledger accounts in the books of B Ltd. and give Journal entries in the books of AB Ltd. and prepare Balance Sheet of AB Ltd. assuming amalgamation in the nature of merger.

5. (अ) 31 मार्च, 2014 को गिरीश लि. के A 10 वाले 40,000 समता अंश A 8 प्रति अंश याचित थे। सितम्बर, 2014 में कम्पनी ने A 2 प्रति अंश अचुकता राशि को समाप्त करते हुए A 10 वाले अंशों को पूर्ण चुकता A 8 वाले अंशों में घटाने का निश्चय किया। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये।

Girish Ltd. had on 31st March, 2014 40,000 Equity Shares of A 10; A 8 per share called up. In September, 2014 the Company decided to reduce A 10 shares to A 8 shares as fully paid by cancelling unpaid amount of A 2 per share. Pass journal entries.

(ब) महेश लि. की अधिकृत पूंजी A 100 वाले 4,000 अंशों में विभक्त A 4,00,000 थी। ये सभी अंश निर्गमित हुए थे और A 70 प्रति अंश तक चुकता थे। जून, 2014 में कम्पनी ने प्रति अंश A 20 का भुगतान करने का निश्चय किया और अचुकता राशि को समाप्त करते हुए A 100 वाले अंशों को A 50 वाले पूर्ण चुकता अंशों में घटाने का निश्चय किया। लाभ–हानि विवरण में क्रेडिट शेष A 1,00,000 था। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और चिट्ठे में अंश पूंजी दर्शाइये।

Mahesh Ltd. had A 4,00,000 authorized capital divided into 4,000 shares of A 100 each. All these shares were issued and were paid to the extent of A 70 per share. The company decided in June, 2014 to pay off A 20 per share and to reduce A 100 shares to A 50 shares fully paid up by cancelling unpaid amount. There was A 1,00,000 balance (credit) in Profit & Loss. Pass necessary Journal entries and show Share Capital Account in the Balance Sheet.

6. एक कम्पनी का पुनर्निर्माण करते हुए निम्नलिखित शर्तों का ठहराव किया गया :

अंशधारियों को उनके वर्तमान धारण (अर्थात् A 10 वाले 25,000 अंश) के स्थान पर निम्नलिखित प्राप्त होंगे :

अ. उनके धारण के 2/5 भाग के बराबर समता अंश,

ब. उपर्युक्त नये समता अंशों के 1/5 भाग के बराबर 5% पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश।

स. A 30,000 के 6% द्वितीय ऋणपत्र।

A 25,000 के 5% प्रथम ऋणपत्रों का निर्गमन व आबंटन हुआ और इनका भुगतान रोकड़ में प्राप्त किया गया।

ख्याति, जिसका मूल्य A 1,50,000 था, को कम करके A 75,000 कर दिया। भूमि तथा भवन का मूल्य A 50,000 था, जिसे कम करके A 37,500 कर दिया गया। प्लाण्ट और मशीनरी, जिसका मूल्य A 75,000 था, को घटाकर A 62,500 कर दिया गया।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिये।

On the reconstruction of a company the following conditions were agreed upon :

The shareholders to receive in lieu of their present holding (*i.e.* 25,000 shares of A 10 each) the following :

a. Fully paid equity shares to 2/5 of their holding.

b. 5% preference shares, fully paid to the extent of 1/5 of the above new equity shares.

c. A 30,000, 6% second debentures.

An issue of A 25,000, 5% first debentures was made and allotted, payment for the same having been received cash. The Goodwill, which stood at A 1,50,000 was written down to A 75,000. The Land and Building, which was at A 50,000 was written down to A 37,500. The Plant and Machinery, which stood at A 75,000 were written down to A 62,500. Give the journal entries in the books of the company on the basis of the above description.

7. जेड लि. की अंश पूंजी में निम्नलिखित शामिल थे –

(i) 10,000, 6% पूर्वाधिकार अंश A 100 वाले, और

(ii) 50,000 समता अंश A 10 वाले

अंश पूर्णतः चुकता थे। वर्ष के अन्त तक A 20,000 के प्रारम्भिक व्ययों के अतिरिक्त उसकी संचित हानियाँ A 3,50,000 की हो चुकी थीं। यह भी निश्चय किया गया कि पुस्तकों में दिखाई गई A 14,00,000 की स्थायी सम्पत्तियाँ A 4,00,000 से अधिक मूल्यांकित थी। अधि–मूल्यांकन को समाप्त करने तथा हानियों व प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करने के उद्देश्य से पूंजी–कटौती की एक योजना बनाई गई और ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित की गई। इस योजना के अन्तर्गत, 6% पूर्वाधिकार अंशों को A 60 वाले 7% पूर्वाधिकार अंशों में तथा समता अंशों को A 2 वाले समता अंशों में बदलना है। पूर्वाधिकार अंशों पर तीन वर्षों के बकाया लाभांश को भी रद्द करना है। योजना के लागू करने पर की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये।

The Share capital of Z Ltd. consisted of the following :

(i) 10,000, 6% Preference shares of A 100 each; and

(ii) 50,000 Equity shares of A 10 each

The shares were fully paid. By the end of the year, it had accumulated losses to the extent of A 3,50,000 besides of preliminary expenses totalling A 20,000. It was also ascertained that the fixed assets which stood in the books A 14,00,000 were overvalued to the extent of A 4,00,000. A scheme of capital reduction was adopted and approved by the tribunal in order to remove the over-valuation and to write off the losses and preliminary expenses. Under the scheme, 6% Preference shares were to be converted into 7% preference shares of A 60 each and Equity shares were to be converted into shares of A 2 each. Also the dividends on preference shares which were in arrears of three years were to be cancelled.

State the journal entries to be passed on the implementation of the scheme.

8. 31 मार्च, 2014 को अरुण कम्पनी लि. का चिट्ठा निम्न प्रकार था –

The Balance Sheet of Arun Company Ltd. showed as follows on 31st March, 2014 :

Particulars	Amount (A)
I. EQUITY AND LIABILITIES	
Shareholders' funds :	
Share Capital :	
Authorized Capital :	
10,000 Equity shares of A 100 each	10,00,000
10,000, 6% Pref. Shares of A 100 each	10,00,000
	20,00,000
Issued and subscribed capital :	
6,000 Equity shares fully paid	6,00,000
6,000 Pref. shares fully paid	6,00,000
Reserves and Surplus :	
Statement of Profit and Loss	(1,85,000)
Current liabilities :	
Trade payables	80,000
Other current liabilities:	
Bills payable	20,000
	11,15,000
II. ASSETS	
Non-current assets :	
Fixed assets :	
Tangible assets :	
Freehold land and buildings	2,30,000
Machinery	5,00,000
Current assets :	
Inventories	2,15,000
Trade receivables :	
Debtors	1,40,000
Bills receivable	10,000
Cash & cash equivalents	5,000
Other current assets :	
Unamortized preliminary expenses	15,000
	11,15,000

निम्नलिखित योजना अन्तिम रूप से स्वीकृत और ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित की गई :

क. पूर्वाधिकार अंशों को A 25 प्रति अंश से घटाना है, उनका लाभांश 8% करना है।

ख. समता अंशों का दत्त मूल्य घटाकर A 60 प्रति अंश करना है, उनका अंकित मूल्य पहले जितना ही रहेगा।

ग. कटौती के कारण उपलब्ध राशि का उपयोग मशीनरी में से A 40,000 तथा स्टॉक में से A 35,000 घटाने में तथा A 25,000 व्यापारिक प्राप्यों पर आयोजन बनाने में करना है।

उपर्युक्त व्यवहारों को लेखांकित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये तथा उसके बाद चिट्ठा बनाइये।

The following scheme was finally accepted and sanctioned by the tribunal :

a. Pref. Shares were to be reduced by A 25 each, the rate of dividend being raised to 8%.

b. The paid up value of equity shares was reduced to A 60 each, the face value remaining the same.

c. The amount made available by reduction were utilized to write off A 40,000 from Machinery, A 35,000 from inventories and to create a provision of A 25,000 against trade receivables.

Make Journal entries recording the above transactions and draw up the Balance Sheet thereafter.

Hint : Preliminary expenses and debit balance of P & L will be written off, though not asked in the question.

9. असफल लि. का चिट्ठा 31 मार्च, 2014 को निम्नलिखित था –

The Balance Sheet of Asafal Ltd. on 31st March, 2014 was as follows :

Particulars	**Amount (A)**
I. EQUITY AND LIABILITIES	
Shareholders' funds :	
Share Capital :	
Authorized Capital :	
20,000 Equity shares of A 10 each	2,00,000
Paid up capital :	
19,000 Shares of A 10 each	1,90,000
Reserves and Surplus :	
Statement of Profit and Loss	(97,000)
Current liabilities :	
Trade payables	10,000
Amar (the promoter)	10,000
	1,13,000
II. ASSETS	
Non-current assets :	
Fixed assets :	
Tangible assets :	
Buildings	10,000

Machinery	26,000
Furniture	2,000
Intangible assets :	
Goodwill	20,000
Current assets :	
Inventories	37,000
Trade receivables	18,000
	1,13,000

व्यापार में निरन्तर हानि के कारण कम्पनी को पुनर्संगठित करने के लिए निम्नलिखित योजना तैयार की गई :

क. A 10 वाले 19,000 अंशों के मूल्य को घटाकर उतनी ही संख्या में A 4 प्रति अंश कर देना है।

ख. अमर को देय A 1,000 का ऋण भी समाप्त करना है तथा उसके पूर्ण शोधनार्थ शेष अनिर्गमित 1,000 अंशों को A 4 प्रति अंश पूर्णदत्त पर उसे निर्गमित करना है।

ग. पूंजी में कटौती तथा अमर से हुए समझौते के कारण उपलब्ध राशि का उपयोग ख्याति व लाभ–हानि के डेबिट शेष को अपलिखित करने तथा शेष उपलब्ध राशि को मशीनरी का मूल्य घटाने में प्रयुक्त किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये तथा पुनर्संगठित कम्पनी का चिट्ठा बनाइये।

Because of regular losses in the business, the following scheme of reorganizing the company was prepared:

i. The 19,000 shares of A 10 each are to be reduced to an equal number of fully paid shares of A 4 each.

ii. The debt. of A 10,000 due to Amar was also to be written off, the remaining 1,000 unissued shares being issued to him as fully paid up shares of A 4 each in full settlement of the amount due to him.

iii. The amount thus rendered available by the reduction of capital and by the above arrangement with Amar is to be utilized in writing off Goodwill and the debit balance of Profit & Loss and in writing down the value of Machinery.

Give Journal entries to implement the above scheme and prepare the Balance Sheet of the reconstructed company.

15.21 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई 16 अंशों का मूल्यांकन एवं ख्याति का मूल्यांकन
(VALUATION OF SHARE AND GOODWILL)

इकाई की रूपरेखा

16.1 प्रस्तावना
16.2 अंशों का मूल्य ज्ञात करना
16.3 अंशो के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता
16.4 अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व व प्रकार
16.5 मूल्यांकन का आधार
16.6 अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ
16.6.1 शुद्ध सम्पत्ति विधि
16.6.2 आय विधि
16.6.3 उचित मूल्यांकन विधि
16.7 प्रति अंश आय विधि
16.8 अधिकार अंशों का मूल्यांकन
16.9 ख्याति का मूल्यांकन व परिभाषायें
16.10 ख्याति के निर्माण के कारण
16.11 ख्याति की अवधारणायें
16.12 ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक व विशेषतायें
16.13 ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व दशाएँ
16.14 ख्याति के लेखाकर्म सम्बन्धी गुण
16.15 ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ
16.15.1 औसत लाभ विधि
16.15.2 अधिलाभ विधि
16.15.3 पूँजीकरण विधि
16.15.4 वार्षिकी विधि
16.16 औसत लाभ और अधिलाभ विधि में अन्तर
16.17 सारांश
16.18 शब्दावली
16.19 बोध प्रश्न
16.20 बोध प्रश्नों के उत्तर
16.21 स्वपरख प्रश्न
16.22 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- अंश मूल्यांकन की आवश्यकता को समझ सकें।
- अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सकें।
- अंशों का मूल्यांकन किन–किन विधियों द्वारा किया जा सकता है, यह समझ सकें।

- अंश का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, इस बारे में जान सकें।
- बोनस अंश जारी करने पर अंश मूल्यांकन की पद्धति की जानकारी प्राप्त हो सकें।
- यह समझ सकें कि अधिकार अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाता है।

16.1 प्रस्तावना

बाजार में अन्य वस्तुओं की तरह अंशों का भी क्रय–विक्रय किया जाता है। अंशों के मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर अंशों का क्रय–विक्रय, हस्तान्तरण या कर–निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन की दृष्टि से अंश दो प्रकार के होते है– प्रथम सूचियत अंश, जो किस स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होते है, द्वितीय असूचियत अंश जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत नहीं होते है। सूचियत अंशों का मूल्य माँग एवं पूर्ति द्वारा स्व्यमेंव निर्धारित होता रहता है जिसकी सूचना अखबारों, टेलीविजन आदि के द्वारा निरन्तर प्राप्त होती रहती है परन्तु अंश बाजार में पंजीकृत मूल्य सदैव ही उचित नहीं हो सकता क्योंकि इनमें सयेरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस कारण अंशों का मूल्यांकन लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त असूचियत अंशों के हस्तान्तरण के लिए भी अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है।

16.2 अंशों का मूल्य ज्ञात करना (Finding Out Value of Shares)

अंशों का मूल्य मुख्यतः स्कंध विपणि तथा मूल्यांकन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। स्कंध विपणि में छपी हुई कीमतों का मूल्य अंशों के मूल्य में उतार–चढ़ाव होने के कारण सही प्राप्त हो, ऐसा सम्भव नहीं है। अतः बहुत बार स्कंध विपणि का मूल्य भी मूल्यांकन विधि द्वारा निकाला जाता है।

16.3 अंशों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता (Necessity of Valuation of Shares)

अंशों का मूल्यांकन करना निम्न परिस्थितियों में आवश्यक होता है –

1. **एकीकरण के समय** – जब दो या दो से अधिक कम्पनियों का एकीकरण होता है, तब कम्पनियों के अंशों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।
2. **अंशों के परिवर्तन पर** – अंशों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन पर जैसे – समता का पूर्वाधिकार या पूर्वाधिकार का समता अंशों में परिवर्तन पर, अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
3. **कम्पनी के संविलयन पर** – जब एक कम्पनी का संविलयन (Absorption) दूसरी कम्पनी में होता है।
4. **कम्पनी के पुनर्निर्माण पर** – पुनर्निर्माण होने पर, पुनर्निर्माण की योजना से असन्तुष्ट अंशधारियों के अंशों का भुगतान करने के लिए अंशों का मूल्यांकन किया जाता है।
5. **एक निजी कम्पनी की दशा में** – निजी कम्पनी के विक्रय या इसकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए अंशों का मूल्यांकन करना पड़ता है।
6. **कर का निर्धारण करने में** – धन कर, उपहार कर, सम्पत्ति कर में यदि अंश सम्मिलित है, तो इसका निर्धारण करते समय अंश मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है।

7. **अंशों की प्रतिभूति पर ऋण** – अंशों की जमानत पर ऋण देने पर जब बैंक अंशों की प्रतिभूति पर ऋण देते हैं।
8. **चिट्ठे के पक्ष का मूल्यांकन** – प्रन्यास और वित्तीय कर्मचारियों के कम्पनियों के चिट्ठे की सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए।
9. **अवशिष्ट मूल्य का मूल्यांकन** – खान की सम्पत्तियों के विघटन होने पर, अवशिष्ट मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है।
10. **राष्ट्रीयकरण करने पर (सरकार द्वारा)** – राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए।
11. **अंशों की बिक्री होने में** – अंशों की बिक्री होने पर, मूल्य प्रकाशित न होने पर तथा कम्पनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में क्रय करने के समय।
12. **कम्पनी के अंश क्रय करने पर** – किसी ऐसी कम्पनी के अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन करना जिस पर नियंत्रण करना हो।
13. **विशेष दशाओं पर** – कुछ विशेष दशाओं में ऋण व दायित्वों का भुगतान करने के लिए।
14. **अन्य किसी दशा पर** – जबकि मूल्यांकन करने पर विशेष ज्ञान होने की सम्भावना प्राप्त हो। अर्थात् किसी छिपी हुई सूचना का पता चले।

16.4 अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व व प्रकार (Types & Factors Affecting Value of Shares)

अंशों का मूल्य मुख्यतः कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा लाभ–अर्जन क्षमता पर निर्भर करता है। परन्तु कम्पनी के व्यापार से सम्बन्धित आंतरिक व बाह्य कारक भी इसका मूल्य प्रभावित करते हैं। देश की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ भी परोक्ष रूप से अंशों का मूल्य प्रभावित करती हैं।

अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं –

1. कम्पनी की लाभ–अर्जन शक्ति
2. व्यवसाय की प्रकृति
3. कम्पनी की सम्पत्तियाँ तथा दायित्व
4. कम्पनी का पूँजी ढाँचा (Capital Structure)
5. कम्पनी की शुद्ध मूर्त सम्पत्तियाँ (Net Tangible Assets)
6. कम्पनी के अन्य पक्षों के विनियोग
7. प्रतियोगिता की सीमा
8. अंशधारियों की संख्या
9. संचालकों की योग्यता, अनुभव, क्षमता, कौशलता एवं ख्याति
10. अंशों की माँग (Demand) एवं पूर्ति (Supply)
11. कम्पनी के भविष्य में प्रगति की सम्भावना
12. कम्पनी पर सरकारी नियंत्रण की सीमा
13. राजनीतिक दशाएँ
14. कम्पनी द्वारा उत्पादित माल की ख्याति
15. गत वर्षों (Previous Years) में कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश (Dividend)
16. देश में शांति और सुरक्षा की स्थिति

17. विनियोगों पर देश में प्रतिबन्ध
18. कम्पनी की लाभांश नीति
19. कम्पनी के व्यापार से सम्बन्धित सरकार की नीति

अंशों के मूल्य के प्रकार (Types of Value of Shares)

अंशों के मूल्यों के प्रकार निम्नांकित हैं –

1. **सममूल्य** (Par Value) **या अंकित मूल्य** (Face Value) – कम्पनी के पार्षद सीमा नियम में कम्पनी के पूँजी अंश मूल्य का जो अंकित मूल्य होता है, उसे अंशों का सम मूल्य कहते हैं। कम्पनी पूँजी का निर्गमन (Issue) इससे कम (Discount) या अधिक (Premium) पर कर सकती है।
2. **पुस्तकीय मूल्य** (Book Value) – कम्पनी के अंशों का पुस्तकीय मूल्य कम्पनी की पुस्तकीय पूँजी में अंशों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होने वाले मूल्य से है। पुस्तकीय पूँजी (Book Capital) का आशय अंश पूँजी (Share Capital) + संचय एवं आधिक्य की राशि से है। इसे स्वामियों की क्षमता (Owner's Equity) कहा जाता है।
3. **बाजार मूल्य** (Market Price) – अंशों के बाजार मूल्य का आशय कम्पनी के अंशों के उस मूल्य से है, जिस पर कम्पनी के अंशों का क्रय–विक्रय (Purchase-Sale) अंश बाजार (Share Market) में होता है। अंश बाजार को (Stock Exchange) कहते हैं।
4. **लागत मूल्य** (Cost Price) – अंश के लागत मूल्य का अर्थ एक अंशधारी को एक अंश के धारक बनने के लिए जो व्यय करना पड़ता है। इसमें दलाली पर व्यय तथा अंश का बाजार मूल्य भी शामिल रहता है।
5. **आंतरिक मूल्य** (Capitalized Price) – कम्पनी की सम्पत्तियों के प्राप्त मूल्य में से एक निश्चित तिथि पर, उसी तिथि के कम्पनी के बाह्य दायित्वों (External Liabilities) को घटाने के बाद शेष आने वाली राशि में अंशों का भाग देकर जो राशि प्राप्त होती हे, वह कम्पनी के अंशों का आंतरिक मूल्य कहलाता है।
6. **उचित मूल्य** (Fair Price) – अंशों के आंतरिक मूल्य व बाजार मूल्य के जोड़ में दो का भाग देने से आने वाला मूल्य अंशों का उचित मूल्य कहा जाता है।
7. **पूंजीकृत मूल्य** (Capitalized Value) – कम्पनी की उपार्जन क्षमता का पूँजीकरण विनियोगों पर आय की सामान्य दर के आधार पर किया जाता है। इस पूँजीकृत मूल्य में अंशों की संख्या का भाग देकर एक अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

16.5 मूल्यांकन का आधार (Basis of Valuation)

अंशों का मूल्य मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है।

1. कम्पनी की सम्पत्तियों पर;
2. कम्पनी की लाभार्जन क्षमता पर

इन दोनों बातों का महत्व अलग–अलग परिस्थितियों में अलग–अलग होता है। इस सम्बन्ध में निम्न का ध्यान रखा जाता है –

1. एक ऐसी कम्पनी जो समापन की कगार पर है, उसके अंशों का मूल्यांकन सम्पत्तियों पर निर्भर करता है। अर्थात् इनका समापन होने पर अंशों का मूल्यांकन सम्पत्तियों के आधार पर किया जायेगा।
2. कुछ व्यवसायों में, जैसे इंजीनियरिंग, सलाहकार, कानूनी सलाहकार आदि के लिए अंशों का लाभार्जन क्षमता के अनुपात में मूल्यांकन किया जाता है। इन व्यवसायों में सम्पत्ति को आधार नहीं बनायेंगे।
3. एक चालू कम्पनी के अंशों का मूल्यांकन करते समय सम्पत्ति तथा लाभ दोनों को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु सम्पत्ति और लाभ इन दोनों आधारों में से अंशों के मूल्यांकन के लिए लाभ को अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण माना जाता है।

16.6 अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ (Methods of Valuation of Shares)

अंशों के मूल्यांकन के लिए कोई विशेष विधियाँ कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दी गई है, यद्यपि अंतर्नियमों में इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। साधारणतया, अंशों के मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग की जाती है।

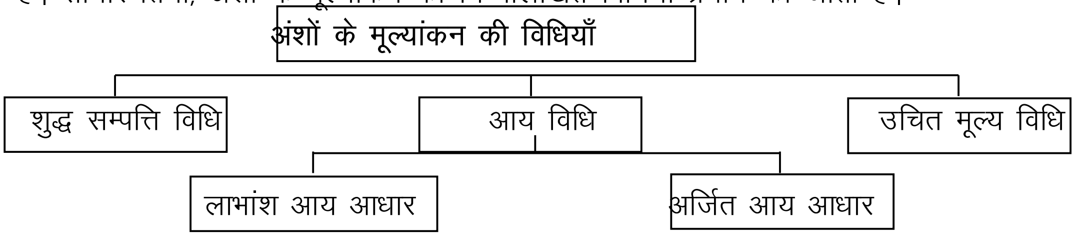

16.6.1 शुद्ध सम्पत्ति या सम्पत्ति मूल्यांकन विधि (Net Assets or Assets Valuation Method)

इस विधि के अनुसार अंशों का मूल्य दो प्रकार से निकाला जा सकता है।

क. सम्पत्तियों एवं दायित्वों की गणना द्वारा

ख. संचिति एवं आधिक्य की गणना द्वारा

क. सम्पत्तियों एवं दायित्वों की गणना द्वारा – सम्पत्तियों की गणना विधि द्वारा अंशों का मूल्य निकालने के लिए जिस कम्पनी के अंशों का मूल्य ज्ञात करना हो, उसकी समस्त सम्पत्तियों (कृत्रिम सम्पत्तियों; जैसे प्रारम्भिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों पर बट्टा, लाभ–हानि खाते की डेबिट बाकी, आदि को छोड़कर) के पुनर्मूल्यांकित मूल्य का योग किया जाता है। इसी तरह समस्त बाह्य दायित्वों; जैसे लेनदार, ऋणपत्र, आरक्षित ऋण, कर्मचारी बचत तथा सुरक्षा कोष, आदि का योग किया जाता है। कुल सम्पत्तियों के योग में से कुल दायित्वों के योग को घटा दिया जाता है। इससे शुद्ध सम्पत्ति मूल्य ज्ञात होता है। इस मूल्य में अंशों की संख्या का भाग देकर एक अंश (Share) का मूल्य प्राप्त किया जाता है। इसे अंश का आंतरिक मूल्य भी कहते हैं।

(i) शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य = सम्पत्तियों के वसूली मूल्य का योग – बाह्य दायित्वों का योग

(ii) अंश का मूल्य = शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य ÷ अंशों की संख्या

ख. संचिति एवं आधिक्य की गणना द्वारा – सम्पत्ति मूल्यांकन या शुद्ध सम्पत्ति मूल्यांकन की यह वैकल्पिक विधि है। इस विधि द्वारा कम्पनी के अंश का मूल्य

ज्ञात करने के लिए कम्पनी की अंश पूँजी में कम्पनी की संचिति एवं कोष तथा पुनर्मूल्यांकन का लाभ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार, पुनर्मूल्यांकन की हानि, व्यावसायिक हानि तथा स्थगित व्यय आदि को आपस में जोड़कर प्रथम योग में से इसे (द्वितीय योग) घटा दिया जाता है। यह राशि (प्राप्त राशि) शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य होती हैं। इस मूल्य में अंशों की संख्या का भाग देकर एक अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसे भी कम्पनी का आंतरिक मूल्य कहते हैं।

(i) शुद्ध सम्पत्ति का मूल्य = (कम्पनी की अंश पूँजी + संचिति एवं कोष + पुनर्मूल्यांकन का लाभ आदि) – (पुनर्मूल्यांकन पर हानि + व्यावसायिक हानि + स्थगित व्यय आदि)

(ii) अंश का मूल्य = शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य ÷ अंशों की संख्या

शुद्ध सम्पत्ति मूल्यांकन विधि की उपयुक्तता

1. जब कम्पनी का समापन करने का विचार हो,
2. सम्पत्तियों से वसूल राशि को अंशधारियों में वितरित करना हो,
3. जब किसी कम्पनी में नियंत्रक अंशों को क्रय करना हो,
4. जब दो या दो से अधिक कम्पनियों का एकीकरण हो,
5. जब दो या दो से अधिक कम्पनियों का संविलयन किया जाना हो,
6. जब कम्पनी लगातार हानि (Loss) में हो और ना ही लाभ अर्जन की सम्भावना हो,
7. जब धन कर के लिए अंशों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो,
8. जब कम्पनी की अर्जन क्षमता के बारे में विश्वसनीय सूचनायें प्राप्त न हों, जैसे – नवीन स्थापित कम्पनियों की दशा में।

सम्पत्तियों के मूल्यांकन विधि में कठिनाइयाँ (Difficulties in Assets Valuation Method)

सम्पत्तियों के मूल्यांकन में निम्न कठिनाईयाँ आ सकती हैं –

1. **सम्पत्तियों के मूल्यांकन में कठिनाई** – सम्पत्तियों के मूल्यांकन की बहुत सी विधियाँ वर्तमान में प्रयोग की जाती हैं, जैसे – चालू व्यवसाय मूल्य, प्रतिस्थापन मूल्य, समापन मूल्य, बाजार मूल्य आदि। इनमें से सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु किस मूल्यांकन विधि को चुना जाय, यह एक कठिनाई है।
2. **दायित्वों के मूल्यांकन में कठिनाई** – दायित्वों का मूल्यांकन एक कठिन समस्या है। चिट्ठे में दिये हुए सभी दायित्व वास्तविक नहीं हो सकते हैं। कुछ कम तथा कुछ अधिक हो सकते हैं। जैसे लेनदारों पर कटौती की राशि घटाकर, करों के आयोजन में से उस राशि को घटाकर जो करों की वास्तविक राशि मूल्यांकन के दिन तक न हो, आने वाले दायित्व वास्तविक होते हैं। यदि कुछ दायित्वों की वास्तविक दायित्व बनने की सम्भावना हो, परन्तु वे संदिग्ध दायित्व हों, तो उन्हें भी दायित्व में जोड़ लेना चाहिये।
3. **कई प्रकार के समता अंशों का होना** – जब कुछ समता अंश (Equity Share) पूर्णदत्त (Fully paid) तथा कुछ आंशिक दत्त (Partly paid) होते हैं, तो शुद्ध सम्पत्ति के बँटवारे में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इन्हें पूर्णदत्त (Fully paid) के अनुपात में बांटा जाता है।
4. **पूर्वाधिकार अंशों की देय राशि** – पूर्वाधिकार अंशों के अन्तर्गत प्राथमिकता का गुण विद्यमान होता है। पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी (Capital) एवं

लाभांश (Dividend) की प्राथमिकता होने के साथ–साथ पार्षद सीमानियम एवं पार्षद अंतर्नियमों के आधार पर अन्य अधिकार अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। इनकी देय राशि निकालने की कठिनाई इनके अधिकारों के अध्ययन से दूर की जा सकती है।

उदाहरण–1

31 मार्च, 2016 को एक सीमित कम्पनी का आर्थिक स्थिति विवरण निम्नलिखित है –

Particulars	Amount (A)
I. Equity and Liabilities	
Shareholder's Funds :	
Share Capital :	
15,000 Equity Share of A 10 each	1,50,000
Reserve & Surplus :	
General Reserve	1,45,000
Statement of Profit and Loss	25,000
Non-Current Liabilities :	
9% Debentures	70,000
Current Liabilities	70,000
Total	**4,60,000**
II. Assets	
Non-Current Assets :	
Fixed Assets :	
Tangible assets	2,90,000
Intangible Assets : Goodwill	50,000
Current Assets	1,20,000
Total	**4,60,000**

31 मार्च, 2016 को स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन A 1,90,000, ख्याति A 75,000 किया गया। सम्पत्ति विधि द्वारा कम्पनी के अंशों के मूल्य की गणना कीजिये।

हल-1

सम्पत्तियों की गणना

Calculation of Assets

Fixed Assets		1,90,000
Current Assets		1,20,000
Goodwill		75,000
Total		**3,85,000**
Less : Liabilities 9% Debentures	70,000	
Current Liabilities	70,000	1,40,000
Net Assets		**2,45,000**

Value of Per Equity Share $= \frac{2,45,000}{15,000} =$ A16.33

उदाहरण–2

ऑक्सीक कम्पनी के शुद्ध लाभ, जिसका 31 मार्च, 2016 का आर्थिक चिट्ठा निम्नांकित है – सभी व्यय, ह्रास और कर काटने के बाद निम्न हैं – 2013 – A 90,000; 2014 – A 85,000; 2015 – A 85,000; 2016 – A 90,000।

31 मार्च, 2016 को भूमि और भवन (Land and Building) क्रमशः A 3,50,000 तथा A 96,000 पर मूल्यांकित किये गये। जिस उद्योग में कम्पनी वर्तमान में लगी हुई है, उसमें उचित आय 9% प्रतिवर्ष है। ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर निकालकर अंश का मूल्य निकालिये।

Balance Sheet
(as on 31st March, 2016)

	Particulars	**Amount (A)**
I.	**Equity and Liabilities**	
	Shareholder's Funds :	
	Share Capital :	
	50,000 shares of A 10 each	5,00,000
	Reserve and Surplus :	
	Statement of Profit and Loss	80,000
	Current Liabilities :	
	Trade Payables	70,000
	Other Current Liabilities :	
	Short-term provisions :	
	Provision for tax	40,000
	Proposed Dividend	80,000
	Total	**7,70,000**
II.	**Assets**	
	Non-Current Assets :	
	Fixed Assets :	
	Tangible assets :	
	Land	3,50,000
	Building	70,000
	Current Assets :	
	Trade receivable	2,10,000
	Inventories	70,000
	Cash-in hand	40,000
	Cash-at Bank	30,000
	Total	**7,70,000**

हल–**2**

Land	3,50,000
Building	90,000
Trade receivable	2,10,000
Inventories	70,000
Cash-in hand	40,000

Cast-at Bank		30,000
Total Real Assets		**7,90,000**
Less : Trade Payable	70,000	
Provision for tax	40,000	1,10,000
Capital Employed		**6,80,000**
Capital Employed		6,80,000
Half of Current year Profit (45,000)		
90,000 × 1/2 = A 45,000		45,000
Average Capital Employed =	A	**6,35,000**

Normal (Rate of Return) or Normal Profit = 6,35,000 × 9/100 = A 57,150

Total Profit = 90,000 + 85,000 + 85,000 + 90,000 = A 3,50,000

Average Profit = 3,50,000 / 4 = A 87,500

Super Profit = Average Profit – Normal Profil

= 87,500 – 57,150 = A 30,350

Goodwill = 30,350 × 3 = A 91,050

Goodwill (as calculated above)	91,050
Land	3,50,000
Building	90,000
Trade receivables	2,10,000
Inventories	70,000
Cash-in hand	40,000
Cash-at Bank	30,000
Total Real Assets	**8,81,050**
Less : External Liabilities (70,000 + 40,000)	1,10,000
Net Assets or Intrinsic value of shares	**A 7,71,050**

Value of one share = $\frac{7,71,050}{50,000}$ = A 15.421 or A 15

16.6.2 **आय विधि** (Income Method)

आय के आधार पर मूल्यांकन (Yield Basis Valuation Method)

आय मूल्यांकन विधि (Yield or Income Valuation Method)

इस विधि के अन्तर्गत अंशों का मूल्यांकन दो आधारों पर किया जाता है –

क. लाभांश आय आधार (Valuation of based on Dividend)

ख. अर्जित आय आधार (Basis of Rate of Earnings)

क. लाभांश आय आधार (Valuation of based on Dividend)

जब अंशों का मूल्यांकन लाभांश की आय के आधार पर किया जाता है, जो अंशों के मूल्य पर प्राप्त होने वाली आय है, तब इसे लाभांश आय आधार विधि कहते हैं। इस विधि के अन्तर्गत अंशों का मूल्यांकन करने के लिए 'आय की सामान्य दर' तथा 'लाभांश की दर' का प्रयोग किया जाता है। ।

लाभांश की दर – लाभांश की दर का आशय उस दर से है, जिस दर से कम्पनियों द्वारा लाभांश (Dividend) की घोषणा की जाती है।

$$\text{लाभांश की दर} = \frac{\text{लाभांश की राशि} \times 100}{\text{चुकता समता अंश पूँजी}}$$

अंश का मूल्य – लाभांश की गणना के बाद लाभांश का प्रयोग अंश का मूल्य निकालने के लिए निम्न प्रकार किया जाता है –

$$\text{अंश का मूल्य} = \frac{\text{लाभांश की दर} \times \text{अंश पर चुकता राशि}}{\text{आय की सामान्य दर}}$$

उदाहरण–3

The rates of dividends in the last 3 years were as – 15%, 20% and 17%. You conclude that on the basis of an average dividend of 10%, the value of shares (which are of A 100 each) should be treated at Par. For every additional 1/2% rate of dividend, the par value of shares will increase by A 2.55. Find out the value of shares of deceased shareholder with the help of this information.

हल-**3**

Average rate of Dividend = $\frac{15 + 20 + 17}{3}$ = 17.33%

Rate of Additional Dividend = 17.33% - 10% = 7.33%

Value of Shares on the basis of an average dividend of 10% = A 100 each

Value of shares for additional 7.33% of dividend @ A 2.55 for every addition 1/2% rate of dividend = $\frac{2.55 \times 7.33}{1/2}$ = A 37.383

$\therefore$ Value of per share = A 100 + A 37.383 = A 137.383

ख. **अर्जित आय आधार** (Basis of Rate of Earnings)

कम्पनी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय का नियोजित पूँजी के साथ अनुपात निकालकर अंश का मूल्य निकालने की विधि को आय की अर्जित आधार विधि कहते हैं। इस विधि में 'अर्जित आय' एवं नियोजित पूँजी का प्रयोग किया जाता है। अंशों का मूल्यांकन करने के लिए।

1. **अर्जित आय** – अंशों के मूल्यांकन के लिए अर्जित आय ज्ञात की जाती है। इसके लिए लाभ में से कर, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश, ऋणपत्रों पर ब्याज एवं संचय में हस्तान्तरण को घटा दिया जाता है। प्राप्त आय अर्जित आय कहलाती है।
2. **नियोजित पूँजी** – समस्त वास्तविक सम्पत्ति में से समस्त बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद प्राप्त पूँजी, नियोजित पूँजी कहलाती है।
3. **अंश का मूल्य** – अर्जित आय एवं नियोजित आय को आपस में भाग करके 100 से गुणा कर दिया जाता है। इससे प्राप्त अर्जित आय की दर का प्रयोग कर निम्न प्रकार अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है –

(i) $$\text{अर्जित आय की दर} = \frac{\text{अर्जित आय} \times 100}{\text{नियोजित पूँजी}}$$

(ii) $$\text{समता अंश का मूल्य} = \frac{\text{अर्जित आय की दर} \times \text{अंश प चुकता राशि}}{\text{आय की सामान्य दर}}$$

वैकल्पिक विधि

(i) $$\text{लाभ का पूंजीकरण} = \frac{\text{समता अंशों पर देय लाभांश} \times 100}{\text{आय की सामान्य दर}}$$

(ii) समता अंश का मूल्य = $\frac{\text{लाभांश का पूँजीगत मूल्य}}{\text{समता अंशों की संख्या}}$

उदाहरण–4

एक कम्पनी के लाभ (जिसकी पूँजी A 10 वाले 25,000 अंशों में विभाजित है। पिछले पाँच वर्षों के लिए निम्नांकित हैं – A 20,000; A 25,000; A 30,000; A 35,000; A 40,000। उचित आय की दर 10% प्रति वर्ष है। कम्पनी की अंश पूँजी का मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल-4

Total Profit = 20,000 + 25,000 + 35,000 + 30,000 + 40,000 = 1,50,000

Average Profit = $\frac{1,50,000}{3}$ = A 50,000

Earning Rate = $\frac{\text{Earned Income}}{\text{Capital Employed}} \times 100 = \frac{50,000}{2,50,000} \times 100 = 20\%$

Value of Share = $\frac{\text{Rate of Earning}}{\text{Normal Rate of Return}}$ × Paid amount of Shares = $\frac{20}{10} \times 10 = 20$

वैकल्पिक हल

A 10 is the yield on A 100

A 50,000 will be the yield on $\frac{100 \times 50,000}{10}$ = A 5,00,000

The value of shares of the company is A 5,00,000. This amount should be divided by the number of shares of the company and the result will be the value of one shares, i.e.

$$\frac{5,00,000}{25,000} = \text{A } 20$$

16.6.3 उचित मूल्यांकन विधि (Fair Valuation Method)

जब विनियोजक कम्पनी के अंश खरीदते समय उससे प्राप्त होने वाली आय, अपने धन की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, कम्पनी के अंशों का मूल्यांकन करते हैं, तो इस परिस्थिति में वे 'उचित मूल्यांकन विधि' का प्रयोग करते हैं। वे निम्न गणना विधि द्वारा अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं –

1. अंश का आंतरिक मूल्य = $\frac{\text{शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य}}{\text{अंशों की संख्या}}$
2. अंशों का बाजार मूल्य ज्ञात करना
   (i) अर्जित आय की दर = $\frac{\text{अर्जित आय} \times 100}{\text{नियोजित पूँजी}}$
   (ii) अंश का बाजार मूल्य = $\frac{\text{अर्जित आय की दर} \times \text{अंश पर चुकता राशि}}{\text{आय की सामान्य दर}}$
3. अंश का उचित मूल्य = $\frac{\text{अंश का आंतरिक मूल्य} + \text{अंश का बाजार मूल्य}}{2}$

उदाहरण–5

ए.बी.सी. लि. के अंशों का मूल्य निकालिये।

	Particulars	Amount (A)
I.	**Equity and Liabilities**	
	Shareholders' Funds :	
	Share Capital :	
	20,000 Equity shares of A 20 each	4,00,000
	Reserve and Surplus :	
	Reserve	10,000
	Current Liabilities :	
	Trade Payables	25,000
	Total	**4,35,000**
II.	**Assets**	
	Non-Current Assets :	
	Fixed Assets :	
	Tangible assets :	
	Building	1,50,000
	Machinery	35,000
	Total	**4,35,000**

भवन और मशीन क्रमशः A 2,70,000 और A 1,40,000 के हैं। गत तीन वर्षों के लाभ कर काटने के बाद क्रमशः A 50,000; A 52,000 और A 60,000 हैं। करारोपण का ध्यान मत कीजिये (Ignore Taxation)। अपेक्षित औसत आय नियोजित पूँजी पर 12% प्रति वर्ष मानी जा सकती है।

हल - 5

Building		2,70,000
Machinery		1,40,000
Current Assets		35,000
	Total of Real Assets	4,45,000
Less : Creditors		25,000
Intrinsic Value of shares		4,20,000

Intrinsic value of one share = $\frac{4,20,000}{20,000}$ = A 21

Yield Method

Total of Profits = A 50,000 + A 52,000 + A 60,000
= A 1,62,000

Average Profit = 1,62,000 ÷ 3
= 54,000

Rate of Earning = $\frac{54,000}{4,20,000} \times 100$
= A 12.86

Value of Share = $\frac{12.86}{12} \times 10$
= A 10.71

$$\text{Fair Value} = \frac{21+1\ .71}{2}$$

= A 15.86 Per Share

16.7 प्रति अंश आय विधि (Earning Per Share Method)

वर्तमान में अत्यधिक प्रचलन में 'प्रति अंश आय विधि' है। आजकल अंशों का मूल्यांकन करने के लिए इस विधि को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम कम्पनी के अंशों के मूल्यांकन के लिए 'प्रति अंश आय' ज्ञात की जाती है। तद्पश्चात् प्रति अंश आय की गणना के बाद इसकी तुलना अन्य कम्पनियों की सामान्य प्रति अंश आय से की जाती है। 'प्रति अंश आय' की गणना हेतु कम्पनी की वार्षिक आय (Annual Income) में अंशों की कुल संख्या का भाग देते हैं।

$$\text{Value of Share} = \frac{\text{EPS of Company}}{\text{Normal EPS}} \times \text{Paid up value of per share}$$

उदाहारण–6

31 मार्च, 2016 को ए.बी.सी. कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा निम्नवत है –

Balance Sheet of ABC Company

(as at 31st March, 2016)

Particulars	Amount	(A)
I.	**Equity and Liabilities**	
	Shareholders' Funds :	
	Share Capital :	
	2,70,000 Equity Shares of A 10 each	27,00,000
	Current Liabilities	4,00,000
	Total	**31,00,000**
II.	**Assets**	
	Sundry Assets	31,00,000
	Total	**31,00,000**

व्यवसाय का औसत शुद्ध लाभ कर के बाद A 7,00,000 है। समता अंशों पर आशंसित सामान्य प्रत्याय (Expected Normal Rate of Return) 20% है। प्रति अंश आय विधि से समता अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये।

हल-6

$$\text{Value per share} = \frac{\text{EPS of the Company}}{\text{Normal EPS}} \times \text{Paid up value per share}$$

$$\text{E.P.S.} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{No.of Shares}} = \frac{7,00,000}{2,70,000} = 2.6$$

$$\text{Normal EPS} = \frac{20 \times 10}{100} = 2.00$$

$$\text{Value of per share} = \frac{2.6 \times 10}{2.00} = \text{A } 12.96 \text{ or A } 13$$

16.8 अधिकार अंशों का मूल्यांकन (Valuation of Right Shares)

जब कोई विद्यमान कम्पनी अपनी पूँजी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अंशों का निर्गमन (Issue of Shares) करती है और विद्यमान अंशधारियों को इसे लेने का प्राथमिक अधिकार (Primary Right) प्राप्त होता है, तब बहुत से अंशधारी ऐसे भी

हो सकते हैं, जो अपने इस अधिकार (Right) का प्रयोग करें। अतः जब ऐसे विद्यमान अंशधारी अपने अधिकार को बेचते हैं, तो इसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है–

(i) पुराने अंश का बाजार मूल्य (Market Value of old share) = $\frac{\text{पुराने अंश का बाजार मूल्य + नये अंश का मूल्य}}{\text{पुराने अंश + नये अंश}}$

अथवा

(ii) $\frac{\text{नये अंश}}{\text{कुल अंश}} \times$ (पुराने अंश का बाजार मूल्य – नये अंश का मूल्य)

अंशों से सम्बन्धित कुछ विशेष अधिकार

1. लाभांश पाने का अधिकार
2. अधिलाभांश पाने का अधिकार
3. पूँजी पाने का अधिकार
4. Cum-Rights (नये अंशों से सम्बन्धित अधिकार भी क्रेता को प्राप्त होते हैं)
5. Ex-Rights (जब अंश बेचे जाते हैं, तब नये अंशों से सम्बन्धित सारे अधिकार विक्रेता के पास होते हैं)

उदाहरण–7

चार अंशों के लिए A115 वाले दो अंश निर्गमित कर XY कम्पनी लि0 अपनी अंश पूँजी बढ़ाती है। इसके विद्यमान अंशों का बाजार मूल्य 117 cum-right है। अधिकार का मूल्य ज्ञात कीजिये।

हल-7

Value of Right = Market Price of existing shares – $\frac{\text{Market price of existing shares + value of new shares}}{\text{Existing shares + New shares}}$

$$= 117 - \frac{(117 \times 4) + (115 \times 2)}{4+2}$$

$$= 117 - \frac{(468)+(230)}{6} = 117 - \frac{698}{6} = A\ 0.67$$

Value of Right is A 0.67 (Approx)

Alternate Method

Value of Right = $\frac{\text{New Shares}}{\text{Total Shares}} \times$ (Market Price of old shares – Value of new shares)

$$= \frac{2}{6} \times (117 - 115)$$

= A 0.67 (Approx)

16.9 ख्याति का मूल्यांकन व परिभाषायें (Definitions & Valuation of Goodwill)

ख्याति की उत्पत्ति एक प्रक्रिया के रूप में होती है। जिसका मूल्य तो होता है, किन्तु मशीनरी, नकद, बैंक आदि सम्पत्तियों की भांति इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। व्यवसाय के लिए ख्याति एक सम्पत्ति तो है, किन्तु अमूर्त सम्पत्ति अथवा अदृश्य स्थायी सम्पत्ति के रूप में अर्थात् ख्याति एक ऐसी अमूर्त आकर्षण शक्ति है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है। इसके

माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते हैं, जिससे फर्म, कम्पनी, व्यवसाय व व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्ति के साधन एकत्रित होते हैं। इसका मूल्य व्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ सम्पर्कों पर निर्भर करता है। इन सबके कारणस्वरूप लाभ कमाने या लाभ प्राप्त करने की अतिरिक्त क्षमता ख्याति (Goodwill) कहलाती है।

संक्षिप्त शब्दों में – ''किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं।''

ख्याति की परिभाषायें

मोरिसे के अनुसार, ''ख्याति एक फर्म के आनुमानित अधिक उपार्जन का वर्तमान मूल्य है।''

आर. विक्सन के अनुसार, ''ख्याति एक व्यावसायिक उपक्रम से सम्बन्धित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है।''

एक अन्य परिभाषा के अनुसार, ''ख्याति एक व्यवसाय की भविष्य की अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है।''

''अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है।''

डिक्सी के अनुसार, ''जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है, तो वह राशि इसलिये देता है कि ऐसा करने से वह इतनी अधिक आय प्राप्त करेगा, जितना कि वह बिना इसे प्राप्त किये नही कर सकता।''

16.10 ख्याति के निर्माण के कारण

- व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर हो, जो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हो। अर्थात् सुविधाजनक पहुँच।
- व्यापार के पास लाइसेन्स, पेटेंट या ट्रेडमार्ग जैसे (ISO) होना।
- व्यापार के प्रबन्धकों व कर्मचारियों का ईमानदार, परिश्रमी तथा अनुभवी होना।
- ग्राहकों को अच्छी किस्म, उचित मूल्य पर वस्तु (Goods) अथवा माल प्रदान करना।
- ग्राहकों से सद्व्यवहार करना। सही व उचित जानकारी प्रदान करना (वस्तु के विषय में)।

16.11 ख्याति की अवधारणायें

- कानूनी अवधारणा (Legal Concept)
- आर्थिक अवधारणा (Economic Concept)
- लेखांकन अवधारणा (Accounting Concept)

कानूनी अवधारणा (Legal Concept) – इसे विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कानूनी अवधारणा के अनुसार ख्याति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय में सामान्य लाभ से अधिक लाभ हो। व्यवसाय की प्रतिष्ठा हो या न हो, लाभ अधिक हो या न हो, ख्याति मानी जायेगी। यदि ग्राहक बार–बार व्यवसाय के स्थान पर आयेंगे। इन्होंने ख्याति को ग्राहक ख्याति तक ही सीमित रखा है।

आर्थिक अवधारणा (Economic Concept) – सम्पत्तियाँ लिखित व अलिखित दो रूपों में होती हैं। लिखित की भांति अलिखित सम्पत्तियों के कारण व्यवसाय को साधारण लाभ से अधिक लाभ होता है। अतः ख्याति का मूल्य इन दोनों (लिखित व अलिखित सम्पत्तियों) का सामूहिक योगदान कहा जा सकता है। आर्थिक अवधारणा ख्याति को संगठन का फल मानती है।

लेखांकन अवधारणा (Accounting Concept) – लेखांकन में ख्याति की प्रकृति, स्वरूप, विचार आदि गुणात्मक तथ्यों का महत्व नहीं है, वरन् इसकी विद्यमानता एवं मूल्य का महत्व है। यदि व्यवसाय में लाभ साधारण लाभ से अधिक हो रहे हैं और व्यवसाय को बेचने पर अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा हो, तो लेखांकन अवधारणा की दृष्टि से इसे ख्याति माना जाता है। लेखापालकों के अनुसार जब तक ख्याति का कोई विक्रय मूल्य (Selling Price) न हो, तब तक ख्याति का कोई महत्व (Value) नहीं है।

ख्याति का मूल्य – लेखाकर्म में ख्याति का महत्व ख्याति के मूल्य होने पर है। अर्थात् जब तक ख्याति के लिए कोई राशि न दी जाये, न ली जाये, तब तक इसका कोई लेखा (Entry) नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेखाकर्म में लेखे तभी होंगे, जबकि कोई सौदा हो। ख्याति का मूल्य निर्धारित होने पर ही ख्याति का लेखा किया जायेगा। जब किसी व्यवसाय को क्रय करते समय सम्पत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त कुछ और अधिक राशि देनी पड़ती है, तो इस अधिक राशि को ख्याति का मूल्य कहा जाता है।

16.14 ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तथ्य/घटक/तत्व व विशेषतायें

ख्याति मुख्य रूप से व्यवसाय की लाभ अर्जित क्षमता अथवा लाभार्जन शक्ति पर निर्भर होती है। विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही भविष्य के लाभों को ख्याति के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं, परन्तु वास्तव में व्यवसाय का लाभ अनेक बातों पर आधारित होता है, जिनका विचार ख्याति के मूल्यांकन के समय किया जाता है।

व्यापार का स्थान – व्यापार का स्थान सुविधाजनक होना ख्याति में वृद्धि का पहला आकर्षक तत्व है। यहाँ ग्राहक आसानी से पहुँच सकता है। इससे फर्म की ख्याति अधिक होगी।

प्रबन्धकों की कुशलता – यदि फर्म, व्यवसाय का संचालन अनुभवी, योग्य, ईमानदान, दूरदर्शी तथा कुशल प्रबन्धकों के हाथ में है, तो व्यापार का प्रबन्ध तन्त्र मजबूत है। इससे व्यापार की लाभार्जन क्षमता अधिक होगी। विक्रय व लाभ निरन्तर बढ़ते जायेंगे। इससे ख्याति में वृद्धि होगी।

लाइसेंस का होना – पेटेण्ट या ट्रेडमार्क का होना अधिक वर्षों तक ख्याति को प्रभावित करता है। आयात–निर्यात लाइसेंस व्यवसाय को अन्य देशों में भी फैला देता है। इससे फर्म की ख्याति बढ़ती है।

एकाधिकार की स्थिति – यदि व्यापार पर किसी फर्म का बाजार में एकाधिकार है (एक विक्रेता) तो उस फर्म के विक्रय एवं लाभों में वृद्धि होगी। फर्म का ब्राण्ड प्रसिद्ध होने पर फर्म की ख्याति बढ़ जायेगी। फर्म के पास पेटेन्ट, व्यापारिक चिह्न, कॉपीराइट आदि होने पर फर्म की ख्याति का मूल्य अधिक होगा।

व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि – फर्म की दीर्घकालीन अवधि फर्म को जानने में, ग्राहकों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने में कई दशकों से कार्य कर रही होती है। इससे फर्म की ख्याति बढ़ती है।

उत्पाद की किस्म – फर्म के उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, दैनिक प्रयोग के उत्पाद हैं, तो इससे फर्म की ख्याति बढ़ती है। क्योंकि दैनिक प्रयोग के उत्पाद की वस्तु किस्म की मांग निरन्तर बढ़ती है।

भावी प्रतिस्पर्धा – यदि किसी फर्म के उत्पाद की भविष्य में प्रतिस्पर्धा की सम्भावना अधिक है, तो उस व्यवसाय की ख्याति कम होगी। जैसे – JIO SIM की Idea, Airtel Company से प्रतिस्पर्धा।

लाभों की प्रवृत्ति – भविष्य के लाभों का मूल्यांकन गत वर्षों के आधार पर किया जाता है। अर्थात् गत वर्ष के लाभ या हानि आधारस्वरूप भावी लाभों का मूल्यांकन करवाते हैं। इसी आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है।

राजनीतिक संरक्षण – यदि व्यापार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या प्राप्त होने वाला है, तो यह व्यापार के लाभ में वृद्धि करता है। इससे निश्चित रूप से लाभ अधिक होंगे तथा व्यापार की ख्याति बढ़ जायेगी।

हस्तान्तरण की आशा – यदि ख्याति का हस्तान्तरण किया जा सकता है, तो इसका मूल्यांकन मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत स्थिति होने पर ख्याति का मूल्यांकन मूल्य कम हो जायेगा।

पूँजी की मात्रा – यदि व्यापार में अधिक पूँजी विनियोजित की गई है, तो इसके क्रेता कम होंगे और ख्याति भी कम मात्रा में होगी और इसके विपरीत व्यापार में कम पूँजी विनियोजित की गई और लाभ की मात्रा समान है, तो अधिक क्रेता आकर्षित होंगे तथा ख्याति की मात्रा में वृद्धि होगी।

सरकारी संरक्षण – किसी भी व्यवसाय को सरकार का संरक्षण प्राप्त होना अधिक ख्याति की गारण्टी नहीं है, अपितु राजनीतिक संरक्षण द्वारा चलाये जा रहे व्यापार का समर्थन व विरोध को प्रदर्शित करना है। यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा कोई व्यापार चल रहा है और इसका विरोध सरकार करती है, तो इससे ख्याति का मूल्य प्रभावित होगा। जैसे – Maggie Company के इस उत्पाद की किस्म में गिरावट, राजनीतिक संरक्षण द्वारा भी इसे संरक्षण नहीं प्रदान कर पायी। क्योंकि सरकार द्वारा इस उत्पाद का विरोध हुआ। इससे इसकी ख्याति पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

ख्याति की विशेषतायें

- ख्याति व्यवसाय की अमूर्त सम्पत्ति है।
- ख्याति का मूल्यांकन सही–सही ज्ञात करना कठिन होता है।
- ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। यह स्थायी नहीं है।
- ख्याति व्यवसाय की अधिक लाभार्जन शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक है।
- ख्याति ग्राहकों को पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करने वाली शक्ति है।

- ख्याति उस समय अत्यधिक मूल्यवान होती है जब सम्पूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है, जैसे Facebook द्वारा Whatsapp को क्रय करना।
- ख्याति एक व्यावसायिक शब्द है, इसे सम्पत्ति माना जाता है।
- ख्याति किसी फर्म या व्यापार की प्रसिद्धि है।

16.16 ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व दशाएँ (Circumstances and Need for the Valuation of Goodwill)

एक साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न दशाओं में होती है –

- नये साझेदार के प्रवेश के समय।
- किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर।
- साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु होने पर।
- साझेदारी फर्म के समापन होने पर।
- दो व्यवसायों का एकीकरण (Amalgamation) करने पर।
- जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदार अपने लाभ–विभाजन अनुपात में परिवर्तन का निर्णय लेते हैं।

ख्याति के मूल्यांकन की दशाएँ (Circumstances for Valuation of Goodwill)

एक कम्पनी की दशा में –

- जब दो कम्पनियों का एकीकरण हो जाये।
- जब एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी का संविलयन किया जाये।
- जब कम्पनी ने पहले से ही ख्याति को अपलिखित (Written off) कर दिया हो और अब लाभ–हानि खाते की डेबिट बाकी/शेष को कम करने के लिए ख्याति का बनाया जाना अति आवश्यक हो।
- जब अंशों का मूल्यांकन (Valuation of Shares) करारोपण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो तथा स्कन्ध विपणि के द्वारा अंशों का मूल्य उपलब्ध न हो।
- कम्पनी की बिक्री/विक्रय होने पर।
- कम्पनी पर नियंत्रण करने के लिए कम्पनी के आवश्यकता से अधिक अंश क्रय करने के लिए।
- अन्य विशेष दशाओं पर अंशों को क्रय करने पर।

एक साझेदारी संस्था की दशा में –

- साझेदार के प्रवेश पर।
- साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर।
- साझेदार की मृत्यु पर।
- साझेदार के लाभ–अनुपात में परिवर्तन करने पर।
- साझेदारी को कम्पनी में परिवर्तित करने पर।
- साझेदारी संस्थाओं या दो संस्थाओं द्वारा एकीकरण होने पर।

- साझेदारी संस्थाओं की बिक्री पर।
- साझेदारी फर्म के समापन पर।

अन्य दशाओं में –

- व्यापारी की मृत्यु पर सम्पत्ति कर लगने पर।
- किसी व्यवसाय की बिक्री होने पर।
- किसी व्यापार को सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अन्तर्गत लेने पर।
- व्यवसाय या फर्म के पुनर्संगठित होने पर।
- एकाकी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर।

16.14 ख्याति के लेखाकर्म सम्बन्धी गुण (Accounting Characterisitics of Goodwill)

1. **सम्पत्ति** (Assets) – ख्याति को अमूर्त सम्पत्ति माना जाता है। इसे आर्थिक चिट्ठे (Balance sheet) के सम्पत्ति पक्ष में (Goodwill) लिखा जाता है।
2. **उच्चावचन** (Fluctuation) – ख्याति स्थायी नहीं है। लाभों में कमी व अधिकता से यह प्रभावित होती है। इसे उच्चावचन कहा जाता है, इसका लेखा नहीं किया जाता।
3. **ह्रास** (Depreciation) – अन्य स्थायी सम्पत्ति की तरह इस पर ह्रास का प्रबन्ध नहीं किया जाता।
4. **विकास लागत** (Development Cost) – कुछ व्यापारिक संस्थायें, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी विज्ञापन द्वारा या अन्य तरीकों से ख्याति बढ़ाने के लिए प्रचार करती हैं। जैसे LUX, Pantene, Jio, Idea, Levis आदि के विज्ञापन, इससे व्यापार की लागत बढ़ जाती है। इसे ख्याति की विकास लागत कहते हैं। इन व्ययों से ख्याति की राशि में वृद्धि नहीं होती, परन्तु ख्याति की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है यह स्थगित आयगत व्यय है।
5. **अपलेखन** (Writing off) – ख्याति को सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। सभी अच्छे व्यापारी इसे अधिक समय तक सम्पत्ति पक्ष में नहीं रखते, अपितु लाभों में से अपलिखित कर देते हैं।
6. **मौन सम्पत्ति** (Silent Assets) – जिन व्यवसायों में सामान्य की तुलना में अधिक लाभ होता है, वहाँ ख्याति मौन (in shape of silent assets) रूप में उपस्थित को प्रदर्शित करती है।
7. **व्यवसाय की बिक्री** (Sale of Business) – ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय की विक्रय/बिक्री पर प्राप्त होता है। ख्याति के क्रय–विक्रय मूल्यों का लेखा ही ख्याति मूल्य का वास्तविक लेखा है।

16.15 ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ (Methods for the Valuation of Goodwill)

ख्याति का मूल्यांकन
(Valuation of Goodwill)

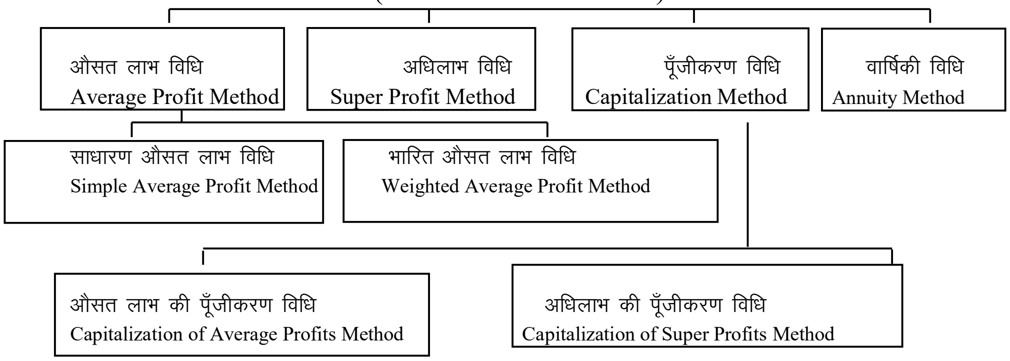

16.15.1 औसत लाभ विधि (Average Profit Method)

ख्याति के मूल्यांकन की यह एक सरल और व्यावहारिक विधि है। इस विधि के अन्तर्गत सर्वप्रथम पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। औसत लाभ निकालने का उद्देश्य भविष्य में व्यवसाय को सामान्यतया प्रतिवर्ष कितना आनुमानित लाभ होगा। यह जानना होता है। ख्याति की गणना निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात की जाती है –

$$\text{Average Profit} = \frac{\text{Total Profit}}{\text{Number of Years}}$$

$$\text{Goodwill} = \frac{\text{TotalProfit}}{\text{No.of Years}} \times \text{No. of years purchased}$$

Or

Goodwill = Average Profit × No. of years purchased

क. **साधारण औसत लाभ विधि** (Simple Average Profit Method)

गणना के चरण –

(i) असामान्य हानियों को जोड़ते हुए तथा असामान्य प्राप्तियों को घटाते हुए प्रत्येक वर्ष का सामान्य लाभ (Normal Profit) निकालिये।

(ii) दिये गये वर्षों का सामान्य लाभों का योग निकालिये।

(iii) $\text{Average Profit} = \frac{\text{Total Normal Profits}}{\text{No.of Years}}$

(iv) $\text{Goodwill} = \frac{\text{Total Normal Profits}}{\text{No.of Years}} \times \text{No. of years Purchased}$

उदाहरण–8

पिछले पाँच वर्षों के औसत लाभ के आधार पर चार वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिये। पाँच वर्षों के लाभ क्रमशः A 50,000, A 60,000, A 40,000, A 30,000, A 80,000 थे।

हल-8

Total Profits for five years = A 50,000 + A 60,000 + A 40,000 + A 30,000 + A 80,000

= A 2,60,000

$$\text{Goodwill} = \frac{\text{Total Profits}}{\text{No.of years}} \times \text{No. of years' purchase}$$

$$= \frac{2,60,000}{5} \times 4 = \text{A } 2,08,000$$

उदाहरण–9

एक फर्म की ख्याति गत तीन वर्षों के औसत लाभ के दो वर्षीय क्रय पर ज्ञात की जाती है।

2009 – A 20,000 (इसमें A 5,000 का असामान्य लाभ शामिल है)

2010 – A 40,000 (इसमें A 10,000 की असामान्य हानि है)

2011 – A 42,000 (इसमें A 2,000 बीमा प्रीमियम नहीं घटाया)

ख्याति ज्ञात कीजिये।

हल-9

Calculation of Actual Total Profit

Year	Profit	Amount of Adjustment	Net Profit
2009 2010 2011	20,000 40,000 42,000	- 5,000 (Abnormal Gain) + 10,000 (Abnormal Loss) - 2,000 (Insurance Premium)	= 15,000 = 50,000 = 40,000
3 years		**Total Profit**	**= A 1,05,000**

Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of years}} = \frac{1,05,000}{3}$ = A 35,000

Goodwill = Average Profit × No. of years purchased

= 35,000 × 2 = A 70,000

ख. **भारित औसत लाभ विधि** (Weighted Average Profit Method)

यह विधि साधारण औसत लाभ विधि का संशोधित रूप है।

गणना के चरण –

(i) दिये गये प्रत्येक वर्षों के लाभ की गणना कीजिये।

(ii) दिये गये वर्षों के लाभ को 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से भार (weight) दीजिये।

(iii) प्रत्येक वर्ष के लाभ को उसके भार से गुणा कीजिये।

(iv) भारों का योग और भारित लाभों का योग करो।

(v) भारित औसत लाभ की गणना कीजिये।

$$\text{Weighted Average Profit} = \frac{\text{Total of Product of Profits}}{\text{Total of Weight}}$$

(vi) भारित औसत लाभ को दिये गये वर्षों की संख्या से गुणा कर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

$$\text{Goodwill} = \frac{\text{Total of Product of Profits}}{\text{Total of weight}} \times \text{No. of years purchase}$$

Goodwill = weighted average Profit × Required no. of years purchased

उदाहरण–10

एक फर्म के पाँच वर्षों के लाभ –

Years	2012	2013	2014	2015	2016
Profits (A)	20,000	20,000	34,000	28,000	15,000

ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 भार प्रदान करें।

हल-**10**

Years	Profits	Weight	Product (Profit × Weight)
2012	20,000	1	20,000
2013	20,000	2	40,000
2014	34,000	3	1,02,000
2015	28,000	4	1,12,000
2016	15,000	5	75,000
	Total	**15**	**3,49,000**

Weighted Average Profit $= \frac{\text{Total of Product of Profits}}{\text{Total of Weight}} = \frac{3,49,000}{15} =$ A 23,267

Goodwill = Weighted Average Profit × No. of Years Purchased

= 23,267 × 3 = A 69,800

16.15.2 अधिलाभ विधि (Super Profit Method)

अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य ज्ञात करना औसत लाभ विधि की तुलना में अधिक संतोषजनक है। अधिलाभ का अर्थ उस अधिक लाभ से है, जो एक व्यवसायी, दूसरे व्यवसायी के लाभ से अधिक (समकक्ष व्यापार) अर्जित करता है।

अधिलाभ = वास्तविक औसत लाभ – सामान्य लाभ

S.P. = A.A.P. – N.P.

S.P. = Super Profit, A.A.P. = Actual Average Profit, Normal Profit

प्रत्येक व्यवसाय में निहित जोखिम, साझेदारों की सेवाओं तथा विनियोजित पूँजी पर एक सामान्य लाभ की आशा की जाती है और यदि फर्म इस सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है, तो इस अधिक लाभ को उस फर्म का अधिलाभ (Super Profit) कहते हैं। अर्थात् इस विधि में फर्म को साधारण लाभ से कितना अधिक लाभ हो रहा है, इसका मूल्य ज्ञात किया जाता है।

गणना के चरण –

(i) Average Profit $= \frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of Years}}$

(ii) Normal Profit $= \frac{\text{Capital Invested} \times \text{Normal Rate of Return}}{100}$

(iii) Super Profit = Actual Average Profit – Normal Profit

(iv) Goodwill = Super Profit × No. of years purchased

Capital Employed – विनियोजित पूँजी ज्ञात करने के लिए व्यापार में लगी हुई सम्पत्तियों (Total Assets) में से समस्त दायित्व (कम) घटा देना चाहिये। इसमें न प्रयोग होने वाली सम्पत्तियों को शामिल नहीं करना चाहिये। जैसे – Non Trading Assets, Investments, Prliminary Exp., Underwriting Commission on Shares and Debentures.

उदाहारण–11

एक फर्म विगत पाँच वर्षों में निम्न लाभ अर्जित करती है –

2001 - A 8,000; 2002 - A 7,500; 2004 - A 8,500; 2006 – A 7,000; 2008 – A 9,000। फर्म में विनियोजित पूँजी A 50,000 है। इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली फर्मों में सामान्य प्रतिफल की दर 12% है। उपरोक्त पाँच वर्षों के औसत अधिलाभ के तीन वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिये।

हल-11

Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of Years}}$ = $\frac{8,000 + 7,500 + 8,500 + 7,000 + 9,000}{5}$

= $\frac{40,000}{5}$ = A8,000

Normal Profit = $\frac{\text{Capital Invested} \times \text{Normal Rate of Return}}{100}$

= $\frac{50,000 \times 12}{100}$ = A 6,000

Super Profit = Average Profit – Normal Profit

= 8,000 – 6,000 = A 2,000

Goodwill = Super Profit × No. of years purchased

= 2,000 × 3 = A 6,000

उदाहरण–12

31 मार्च, 2016 को अंशुल लि. की आर्थिक स्थिति विवरण इस प्रकार थी –

दायित्व	Amount (A)	सम्पत्ति	Amount (A)
पूँजी सामान्य संचय लेनदार देय विपत्र	7,00,000 22,000 40,000 5,000	स्थिर सम्पत्तियाँ चालू सम्पत्तियाँ पूर्वदत्त विज्ञापन	6,80,000 84,000 3,000
	7,67,000		**7,67,000**

पिछली तीन वर्षों का शुद्ध लाभ A 1,19,500; A 1,22,500 तथा A 1,30,000 था। विनियोजित पूँजी पर 15% मानक प्रत्यय की दर को ध्यान में रखते हुए ख्याति की गणना अधिलाभ के तीन गुने पर कीजिये।

हल-12

Total Profit for the last 3 years = 1,19,500 + 1,22,500 + 1,30,000

= A 3,72,000

Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of years}} = \frac{3,72,000}{3}$

= A 1,24,000

Average Employed = Capital + General Reserve – Prepaid Advertisement

= 7,00,000 + 22,000 – 3,000

= A 7,19,000

Normal Profit = Capital Employed × Normal Rate of Return

$$= 7,19,000 \times \frac{15}{100} = A\ 1,07,850$$

Super Profit = Average Profit – Normal Profit

= 1,24,000 – 1,07,850 = A 16,150

Goodwill = Super Profit × no. of years purchased

= A 16,150 × 3 = A 48,450

16.15.3 **पूँजीकरण विधि** (Capitalization Method)

इस विधि में ख्याति की गणना एक निश्चित लाभ कमाने के लिए कितनी पूँजी की आवश्यकता है तथा वास्तव में कितनी पूँजी लगी हुई है, के अन्तर के आधार पर की जाती है। यदि एक फर्म कम पूँजी लगाकर उतना ही लाभ प्राप्त करती है जितना अधिक पूँजी लगाकर दूसरी फर्म, तो इन दोनों फर्मों की पूँजियों का अंतर पहले फर्म की ख्याति कहलायेगा।

इस विधि का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है –

क. औसत लाभ पूँजीकरण विधि

ख. अधिलाभ पूँजीकरण विधि

क. **औसत लाभ पूँजीकरण विधि** (Capitalization of Average Profit Method)

गणना के चरण –

(i) Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of years}}$

(ii) Capitalized Value of Average Profit = $\frac{\text{Average Profit} \times 100}{\text{Normal Rate}}$

(iii) Capital Employed = Total Assets (Excluding Goodwill) – Outside Liabilities

(iv) Goodwill = Capitalized value of Average Profit – Capital Employed

उदाहरण–13

पिछले कुछ वर्षों से एक फर्म का औसत लाभ A 50,000 है, जबकि इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य लाभ की दर 10% है। फर्म में A 3,30,000 की शुद्ध सम्पत्ति लगी है। औसत लाभ पूँजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिये।

हल-13

$$\text{Capitalized value of Average Profit} = \frac{\text{Average Profit} \times 100}{\text{Normal Rate of Return}}$$

$$= \frac{50,000 \times 100}{10} = 5,00,000$$

Goodwill = Capitalized Value – Net Assets (Capital Employed)

= 5,00,000 – 3,30,000 = A 1,70,000

उदाहरण–14

निम्नलिखित आँकड़ों से औसत लाभों के पूँजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिये।

(i) वास्तविक औसत लाभ – A 4,80,000

(ii) सामान्य प्रत्याय की दर – 15%

(iii) बाह्य दायित्व – A 8,00,000

(iv) कुल सम्पत्तियाँ – A 10,00,000 (ख्याति को छोड़कर)

हल-14

Capitalized Value of Average Profit = $\frac{\text{Average Profit} \times 100}{\text{Normal Rate}}$

$= \frac{4,80,000 \times 100}{15}$ = A 32,00,000

Capital Employed = Total Assets – Outside Liabilities

= 10,00,000 - 8,00,000 = A 2,00,000

Goodwill = Capitalized value of Average Profits – Capital Employed

= 3,20,000 - 2,00,000 = A 1,20,000

ख. अधिलाभ पूँजीकरण विधि (Capitalization of Super Profit)

गणना के चरण –

(i) Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of years}}$

(ii) Normal Profit = Capital Investment × Normal Rate of Return

(iii) Super Profit = Average Profit – Normal Profit

(iv) Capital Employed = Total Assets (excluding goodwill) – Outside Liabilities

(iv) Goodwill = $\frac{\text{Super Profit} \times 100}{\text{Normal Rate of Return}}$

उदाहरण–15

निम्नलिखित सूचनायें एक साझेदारी फर्म से सम्बन्धित हैं –

i. गत वर्षों के लाभ

2010 – A 1,25,000; 2011 – A 1,35,000; 2012 – A 1,10,000; 2013 – A 2,20,000; 2014 – A 2,30,000। तीन वर्षों के क्रय के आधार पर

ii. औसत विनियोजित पूँजी A 20,00,000

iii. सामान्य दर (लाभ दर) 10%

iv. निम्नलिखित आधारों पर ख्याति की गणना करो।

(a) अधिलाभ पूँजीकरण विधि के आधार पर

(b) औसत लाभ

(c) अधिलाभ

हल-15

(i) Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{Number of years}}$

$= \frac{4,25,000 + 2,35,000 + 2,10,000 + 2,20,000 + 2,30,000}{5}$

$= \frac{13,20,000}{5}$ = A 2,64,000

(ii) Super Profit = Average Profit – Normal Profit

Normal Profit = Capitalization of Super Profit × $\frac{\text{Normal Rate of Return}}{100}$

$= 20,00,000 \times \frac{10}{100} =$ A 2,00,000

Super Profit = 2,64,000 – 2,00,000 = A 64,000

(iii) Goodwill = Super Profit × $\frac{100}{\text{Normal Rate}}$

(on the basis of Capitalization of Super Profit)

$= 64,000 \times \frac{100}{10} =$ A 6,40,000

(iv) Goodwill = Average Profit × No. of Years Purchased

(on the basis of Average Profit)

= 2,64,000 × 3 = A 7,92,000

(v) Goodwill = Super Profit × No. of Years Purchased

(on the basis of Super Profit)

= 64,000 × 3 = A 1,92,000

16.15.4 वार्षिकी विधि (Annuity Method)

ख्याति की राशि पर जो क्षति ब्याज न मिलने के कारण होती है, उसका प्रबन्ध अधिलाभ पद्धति में नहीं किया जाता। वार्षिकी पद्धति एक ऐसी पद्धति है, जो ब्याज न मिलने के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दो विधि के प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है।

क. वार्षिकी तालिका के आधार पर

ख. सूत्र का प्रयोग करके

सूत्र (Formula)

वर्तमान मूल्य P.V. = $\frac{1-\left(\frac{100}{100+r}\right)^n}{\frac{r}{100}}$

गणना के चरण –

(i) Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of Years}}$

(ii) Normal Profit = Capital Employed × $\frac{\text{Normal Rate of Return}}{100}$

(iii) Super Profit = Average Profit – Normal Profit

(iv) एक निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित दर पर वार्षिकी का वर्तमान मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य तालिका या सूत्र द्वारा निकाला जाता है।

(v) यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य A 1 से कम है, तो

ख्याति = $\frac{\text{अधिलाभ}}{\text{वार्षिकी का वर्तमान मूल्य}}$

(vi) यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 से अधिक है, तो

ख्याति = अधिलाभ × वार्षिकी का वर्तमान मूल्य

उदाहरण–16

ABC फर्म पाँच वर्षों से निम्न लाभ अर्जित कर रही है। क्रमशः A 1,10,000; A 1,20,000; A 1,30,000; A 1,32,000; A 1,24,000 थे। विनियोजित पूँजी A 4,00,000 थी। इसी प्रकार के व्यवसायों में विनियोजित पूँजी पर 10% सामान्य लाभ की दर है। अधिलाभ पर आधारित वार्षिकी वृत्ति विधि से ख्याति की गणना कीजिये, जबकि 5% की दर पर पाँच वर्ष के लिए 0.282012 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य एक रुपया है।

हल-**16**

Calculation of Super Profit

Averae Profit $= \frac{\text{Total Profit}}{\text{Number of years}}$

$= \frac{1,10,000 + 1,20,000 + 1,30,000 + 1,32,000 + 1,24,000}{5}$

$= \frac{6,16,000}{5}$ = A 1,23,200

Normal Profit $= \frac{\text{Capital Employe} \times \text{Normal Rate of Return}}{100}$

$= \frac{4,00,000 \times 10}{100}$ = 40,000

Super Profit = Average Profit – Normal Profit

= 1,23,200 – 40,000 = A 83,200

Calculation of Goodwill

When Annuity is A 0.282012, Present Value = A 1

When Annuity is A 1, Present Value = $\frac{1}{0.282012}$

When Annuity is A 83,200, Present Value = $\frac{1}{0.282012} \times 83,200$

Hence, the value of Goodwill is = A 295022.907 or A 295023

उदाहरण–17

10% वार्षिकी ब्याज की दर से पाँच वर्षों के लिए A 1 की वार्षिकी वृत्ति का वर्तमान मूल्य 4.89 है तथा अधिलाभ A 30,560 है, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिये।

हल-**17**

Goodwill = Super Profit × Annuity Present Value

= 30,560 × 4.89

= A 1,49,438.4

Hence the value of Goodwill = A 1,49,438

उदाहरण–18

निम्नांकित सूचना से वार्षिकी विधि से ख्याति की गणना कीजिये। औसत पूँजी नियोजित A 4,00,000; लाभ की सामान्य दर 10%; लाभ 2,70,000 ख्याति की गणना अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय की वार्षिकी विधि के आधार पर करनी है।

हल - **18**

Average Profit = $\frac{\text{Total Profit}}{\text{No.of years}}$ = $\frac{2,70,000}{3}$ = ₹ 90,000

Normal Profit = 4,00,000 × $\frac{10}{100}$ = ₹ 40,000

Super Profit = Average Profit – Normal Profit

= 90,000 – 40,000 = ₹ 50,000

Present Value of the Annuity of 1 for 3 years at 10%

$$= \frac{1-\left(\frac{100}{100+r}\right)^n}{\frac{r}{100}} = \frac{1-\left(\frac{100}{100+10}\right)^3}{\frac{10}{100}}$$

$$= \left\{1 - \left(\frac{100}{100+10}\right)^3\right\} \times \frac{100}{10} = \left\{1 - \left(\frac{10}{11}\right)^3\right\} \times 10 = \{1 - 0.7513\} \times 10$$

= 0.2487 × 10 = 2.487

Value of Goodwill = Super Profit × Annuity Value

= 50,000 × 2.487 = ₹ 1,24,350

16.16 औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर

अंतर का आधार	औसत लाभ	अधिलाभ
1. अर्थ	वास्तविक लाभों के साधारण औसत का औसत लाभ कहते हैं।	सामान्य लाभ पर वास्तविक प्राप्त लाभ का आधिक्य (अधिक मूल्य) अधिलाभ कहलाता है।
2. औसत विनियोजित पूँजी का उपयोग	औसत लाभ की गणना करते समय औसत विनियोजित पूँजी का उपयोग नहीं किया जाता।	अधिलाभ की गणना करते समय औसत विनियोजित पूँजी का उपयोग (Normal Profit) सामान्य लाभ ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
3. सामान्य प्रत्याय दर का उपयोग	औसत लाभ की गणना करते समय सामान्य प्रत्याय की दर का उपयोग नहीं किया जाता।	अधिलाभ की गणना करते समय सामान्य प्रत्याय दर का उपयोग किया जाता है। (Normal Profit) सामान्य लाभ को ज्ञात करने के लिए सामान्य प्रत्याय दर को औसत विनियोजित पूँजी से गुणा किया जाता है।
4. ख्याति की गणना में उपयोग	औसत लाभ का उपयोग ख्याति की गणना में किया जाता है। औसत लाभ विधि अधिलाभ विधि तथा पूँजीकरण विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।	अधिलाभ का उपयोग अधिलाभ विधि तथा ख्याति के मूल्यांकन करते समय, अधिलाभ विधि में किया जाता है।
5. ख्याति की गणना का सूत्र	औसत लाभ = $\frac{\text{कुल सामान्य लाभ}}{\text{वर्षों की संख्या}}$ Average Profit = $\frac{Total\ Profit}{\text{No.of Years}}$	अधिलाभ = वास्तविक लाभ – सामान्य लाभ Super Profit = Actual Profit – Normal Profit

16.17 सारांश

सूचियत अंशों का मूल्य माँग एवं पूर्ति द्वारा स्वयमेंव निर्धारित होता रहता है जिसकी सूचना अखबारों, टेलीविजन आदि के द्वारा निरन्तर प्राप्त होती रहती है परन्तु अंश बाजार में पंजीकृत मूल्य सदैव ही उचित नहीं हो सकता क्योंकि इनमें

सयेरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस कारण अंशों का मूल्यांकन लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए। जब दो या दो से अधिक कम्पनियों का एकीकरण होता है, तब कम्पनियों के अंशों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।अंशों का मूल्य मुख्यतः कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा लाभ–अर्जन क्षमता पर निर्भर करता है। परन्तु कम्पनी के व्यापार से सम्बन्धित आंतरिक व बाह्य कारक भी इसका मूल्य प्रभावित करते हैं।

वर्तमान में अत्यधिक प्रचलन में 'प्रति अंश आय विधि' है। आजकल अंशों का मूल्यांकन करने के लिए इस विधि को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम कम्पनी के अंशों के मूल्यांकन के लिए 'प्रति अंश आय' ज्ञात की जाती है। लेखांकन में ख्याति की प्रकृति, स्वरूप, विचार आदि गुणात्मक तथ्यों का महत्व नहीं है, वरन् इसकी विद्यमानता एवं मूल्य का महत्व है। ख्याति मुख्य रूप से व्यवसाय की लाभ अर्जित क्षमता अथवा लाभार्जन शक्ति पर निर्भर होती है। विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही भविष्य के लाभों को ख्याति के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं, परन्तु वास्तव में व्यवसाय का लाभ अनेक बातों पर आधारित होता है, जिनका विचार ख्याति के मूल्यांकन के समय किया जाता है।

16.18 शब्दावली

सूचियत अंश (Listed share) – वे अंश स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होते हैं।

असूचियत अंश (Unlisted share) – वे अंश जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं होते हैं।

सम्पत्ति मूल्यांकन विधि (Assets Valuation Method) – प्रति अंश सम्पत्ति के मूल्यांकन की राशि ज्ञात होती है। यही मूल्य आन्तरिक मूल्य होता है।

प्रतिफल मूल्यांकन विधि (Yield Valuatiod Method) – प्रति अंश आय की राशि ज्ञात होती है।

शुद्ध सम्पत्ति (Net Assets) – कुल सम्पत्तियों के मूल्य में से बाह्यी दायित्वों को घटाने के बाद बचा हुआ मूल्य।

लाभांश दर (Dividend Rate) – प्रति अंश लाभ की राशि का प्रति अंश चुकता पूंजी पर प्रतिशत।

आशान्वित प्रत्याय दर (Edpected Rate of Return) – समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभ का उनकी चुकता पूंजी से प्रतिशत।

वास्तविक लाभार्जन दर (Actual Rate of Earning) – अर्जित लाभ का शुद्ध विनियोजित पूंजी से प्रतिशत।

वास्तविक औसत लाभ (Actual Average Profit) – ऐसे लाभ जो भविष्य में भी औसत रूप में व्यापार से होते रहेंगे।

अधिलाभ (Super Profit) – औसत लाभ का सामान्य लाभों पर आधिक्य होता है।

सामान्य प्रत्याय दर (Normal Rate of Return) – समान्तर व्यापार में सामान्य रूप से अर्जित लाभ की दर या बाजार में प्रचलित ब्याज की दर हो सकती है।

औसत विनियोजित पूंजी (Average Capital Employed) – व्यापार के अन्त की एवं प्रारम्भ की विनियोजित पूंजी का औसत होता हैं।

वर्षों की क्रय विधि (Years Purchases Method) – व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ या अधि–लाभ एक निश्चित आगामी वर्षों तक प्राप्त होते रहेंगे।

पूंजीकरण विधि (Capitalization Method) – यह लाभों का पंजीकृत मूल्य होता है।

वार्षिक वृत्ति विधि (Annuity Method) – अधिलाभों का एक रूपये के वर्तमान मूल्य (सारणी के आधार पर) से गुणनफल होता है।

16.19 बोध प्रश्न

1. कम्पनी के पार्षद सीमा नियम में कम्पनी के पूँजी अंश मूल्य का जो अंकित मूल्य होता है, उसे अंशों का .... कहते हैं।
2. .... विधि के अन्तर्गत अंशों का मूल्यांकन करने के लिए'आय की सामान्य दर' तथा 'लाभांश की दर' का प्रयोग किया जाता है।
3. किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता .... को कहते हैं।
4. ख्याति व्यवसाय की .... सम्पत्ति है।

16.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सम मूल्य, 2. लाभांश आय आधार, 3. ख्याति, 4. अमूर्त

16.21 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. अंश मूल्यांकन से आप क्या समझते है ?
2. अंश मूल्यांकन की आवश्यकता को बताते हुये अंश मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये।
3. अंशों का आन्तरिक मूल्य क्या होता है ? यह बाजार मूल्य से किस प्रकार भिन्न होता है ?
4. ख्याति की परिभाषा दीजिये। क्या यह वास्तविक है या बनावटी ?
5. ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित समझाइये ?
6. एक व्यापार की ख्याति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों को बताइये।

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. 31 मार्च 2017 को आदित्य लि. का चिट्ठा निम्न स्थिति प्रकट करता हैः–

Balance Sheet

	Amount (A)		Amount (A)
10000 equity shares of A 100 each fully paidup	20,00,000	Land & building	8,80,000
Profit & loss A/c	7,12,000	Plant & Machinery	3,80,000
Bank overdraft	80,000	Stock in Trade	14,00,000
Provision for taxation	1,80,000	Sundry Debtors	6,20,000
Sundry creditors	3,08,000		
	32,80,000		**32,80,000**

मूल्य ह्रास एवं कर आयोजन के पश्चात् कम्पनी के शुद्ध लाभ इस प्रकार थे :

2010–11	A 3,40,000	2011–12	A 3,84,000
2012–13	A 3,60,000	2013–14	A 4,00,000
2014–15	A 3,80,000		

31 मार्च 2017 को भूमि एवं भवन का मूल्यांकन 10,10,000 तथा प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन A 6,00,000 पर किया गया। व्यापार की प्रकृति को देखते

हुये, अन्तिम विनियोजित पूंजी पर 10% इस कम्पनी में उचित प्रत्याय मानी जाती है। शुद्ध सम्पत्तियों के आधार पर समता अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के पांच वर्षों के क्रय के आधार पर किया जा सकता है। अतिरिक्त मूल्य ह्रास का ध्यान भी रखना है।

2. प्रकाश लि. का 31 मार्च 2017 को चिट्ठा इस प्रकार है :–

Balance Sheet

	Amount (A)		Amount (A)
10000 equity shares of 100 each	10,00,000	Fixed assets	12,00,000
Reserves	2,00,000	Current assets	5,00,000
Profit & loss A/c	50,000	Goodwill	1,00,000
10% Debenture	2,50,000	Discount on issue of share	5,000
Trade creditor	1,55,000		
B/P	1,50,000		
	18,05,000		**18,05,000**

31 मार्च 2017 को स्थायी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य 14,00,000 तथा ख्याति का A 1,50,000 मूल्यांकित किया गया। पिछले तीन गत वर्षों के लाभ इस प्रकार थे :

2014 A 1,30,000 2015 A 1,50,000

2016 A 1,40,000

ऐसे लाभों में से 8% संचय में हस्तान्तरित किया गया। ऐसे उद्योगों में आय की सामान्य प्रत्याय दर 10% है। आपको कम्पनी के अंशों का मूल्यांकन निम्न विधियों से करना है :–

(i) सम्पत्ति मूल्यांकन विधि

(ii) प्रतिफल विधि के अन्तर्गत

  (a) आशान्वित प्रत्याय दर

  (b) वास्तविक अर्जन विधि

3. नरेश लि. श्री अमित के चालू व्यवसाय को क्रय करने पर विचार कर रही है, इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले चार वर्षों के भारित औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। सूचनाऐं निम्न हैं :–

1. पिछले चार वर्षों के लाभ : क्रमशः A 25,000, A 28,000, A 32,000 एवं A 35,000 थे।
2. प्रथम वर्ष जनवरी माह में भवन पर भारी व्यय किया गया जिस पर A 5,000 व्यय हुआ जिसे लाभ हानि खाते में आयगत खर्च के रूप में लिख दिया गया। इसे ख्याति के मूल्यांकन के लिए क्रमागत विधि से 20% ह्रास लगाय जाकर पंजीकृत कर दिया जाये।
3. प्रथम वर्ष में ही अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन A 2,000 से अधिक किया गया।
4. प्रबन्धक के रूप में पारिश्रमिक A 3,000 वार्षिक की व्यवस्था की जाये।

4. ए.बी.सी. एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिठ्टा इस प्रकार है :–

Balance Sheet

Capital		Building	3,50,000
A 5,00,000		Plant & Machinery	2,50,000
B 5,20,000	10,20,000	Stock	2,40,000
Creditors	2,80,000	Debtors	1,20,000
		B/R	1,60,000
		Cash Balance	1,80,000
	13,00,000		**13,00,000**

मशीनरी व भवन को छोड़कर सभी सम्पत्तियों को पुस्तक मूल्य उचित है। मशीनरी व भवन का बाजार मूल्य क्रमशः A 5,00,000; A 2,00,000 है। गत चार वर्षों का औसत लाभ A 1,60,000। अन्तिम विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रव्याय दर 10% मानी जा सकती है।

साझेदार अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं व आपसे उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह मांगते हैं। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है।

5 आँचल लि. का औसत व वास्तविक लाभ A 1,00,000 है यह आशा की जाती है कि 8 वर्षों तक कम्पनी यह लाभ कमाती रहेगी। इसी प्रकार की कम्पनियों में सामान्य प्रत्याय दर 5% है। एक रूपये की वार्षिकी का 8 वर्ष के लिए वर्तमान मूल्य A 6,463 है। औसत विनियोजित पूंजी A 60,000 है। ख्याति की गणना वार्षिक वृत्ति विधि के अनुसार कीजिये।

6 श्री हेमन्त तिवारी एक मेडिकल स्टोर चलाता है। 31 मार्च 2016 को उसकी शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य 2,00,000 था। A 12,000 प्रबन्धक का वार्षिक वेतन एवं A 20,000 वार्षिक किराया घटाने के बाद उसका औसत लाभ 1,40,000 वार्षिक है। स्टोर का मालिक इस व्यवसाय को खरीदना चाहता है। पूंजी पर प्रत्याय की सामान्य दर 8% मानी जा सकती है।

ख्याति के रूप में श्री हेमनत तिवारी कितनी राशि की आशा कर सकता है यदि यह माना जावे कि मेडिकल स्टोर (भवन) की लागत A 2,00,000 है।

16.22 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"

इकाई 17 कम्पनी का समापन (LIQUIDATION OF COMPANY)

इकाई की रूपरेखा

17.1 प्रस्तावना
17.2 कम्पनी के समापन की विधियाँ
  17.2.1 टिब्यूनल द्वारा समापन
  17.2.2 स्वेच्छा से समापन
17.3 निस्तारक के खाते का विवरण
17.4 निस्तारक के अन्तिम हिसाब के विवरण में दी जाने वाली सूचनाओं का स्पष्टीकरण
  17.4.1 प्राप्ति पक्ष
  17.4.2 भुगतान पक्ष
17.5 स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता
17.6 स्थिति विवरण
17.7 स्थिति विवरण तैयार करने की प्रक्रिया
17.8 सारांश
17.9 शब्दावली
17.10 बोध प्रश्न
17.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
17.10 स्वपरख प्रश्न
17.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- कम्पनी के समापन को समझ सकें।
- कम्पनी के समापन की विधियों को जान पायें।
- समापन की स्थिति में कम्पनी का स्थिति विवरण बना सकें।
- निस्तारक के अन्तिम हिसाब का विवरण तैयार कर सकें।
- प्राप्तक की नियुक्ति के बारे में समझ सकें।
- निस्तारक तथा प्राप्तक के अधिकार एवं दायित्व जान पायें।

17.1 प्रस्तावना

एक कम्पनी विधिक व्यक्ति है, जिसका जन्म विधि के विधान द्वारा होता है और इसका अन्त भी विधि के विधान द्वारा ही होता है। समापन द्वारा कम्पनी का व्यापार बन्द कर दिया जाता है। कम्पनी की सम्पत्तियाँ बेच दी जाती है। प्राप्त धन एवं एकत्र किये हुए धन से समापन के खर्चों व लेनदारों का भुगतान किया जाता है। यदि लेनदारों के भुगतान के बाद भी कुछ रकम शेष बचती है तो उसे अंशधारियों में बाँट दिया जाता है। यदि समापन के समय कम्पनी के पास लेनदारों के भुगतान हेतु धनराशि पूरी नहीं होती है, तो अंशधारियों से उनके दायित्वों के अनुसार धनराशि माँगी जाती है (यदि उनके द्वारा कोई धनराशि देय हो)।

प्रो0 गोवर (Prof. Gower) के अनुसार "कम्पनी का समापन वह विधि है। जिसके अनुसार कम्पनी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा उसकी सम्पत्तियों को उसके लेनदारों तथा सदस्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाता है।"

17.2 कम्पनी की समापन विधियाँ (Modes of Liquidation of Company)

कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का समापन निम्न दो विधियों में से किसी एक विधि के द्वारा हो सकता है –

1. ट्रिब्यूनल द्वारा समापन,
2. स्वेच्छा से समापन

17.2.1 ट्रिब्यूनल द्वारा समापन (Liquidation by Tribunal)

इसे अनिवार्य समापन भी कहा जाता है। अब कम्पनी का समापन न्यायालय के स्थान पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा कम्पनी का समापन निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकता है –

1. **विशेष प्रस्ताव द्वारा** – कम्पनी जब विशेष प्रस्ताव पारित कर लेती है कि उसका समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाए तो कम्पनी के संचालक कम्पनी के समापन हेतु ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं।
2. **ऋणों के भुगतान में असमर्थता** – जब कम्पनी ऋणपत्रों के भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है।
3. **देश के विरूद्ध कार्य** – कम्पनी यदि भारत की प्रभुसत्ता व अखण्डता, देश की सुरक्षा, विदेशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के विरूद्ध कार्य करती है।
4. **बीमार कम्पनियों के विषय में** – जब ट्रिब्यूनल को यह विश्वास हो जाता है कि बीमार औद्योगिक कम्पनियाँ भविष्य में उचित समय में अपने शुद्ध मूल्य (Net Worth) को नहीं प्राप्त कर सकती है।
5. **कम्पनी का काम कपटपूर्ण ढ़ंग से चलाया जा रहा है** – ट्रिब्यूनल के विचार में कम्पनी का कार्य कपटपूर्ण ढ़ंग से चलाया जा रहा है या कम्पनी का गठन धोखाधड़ी या गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
6. **कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों को दर्ज करने में त्रुटि** – कम्पनी ने यदि रजिस्ट्रार के पास निरन्तर पाँच वर्षों की वित्तीय विवरणियाँ या वार्षिक विवरण (Return) नहीं जमा कराये हैं।
7. **समापन उचित एवं न्यायपूर्ण होना (Trust and Equitable)** – जबकि ट्रिब्यूनल का यह विचार है कि कम्पनी का समापन करना उचित एवं न्यायपूर्ण है, तो ट्रिब्यूनल समापन का आदेश दे सकता है।

17.2.2 स्वेच्छा से समापन (Voluntary Liquidation)

जब कम्पनी के सदस्य एवं लेनदार ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना समापन सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसे स्वेच्छा से समापन कहते हैं। जब कम्पनी के अन्तर्नियमों में निर्धारित जीवन काल की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा किसी घटना विशेष के घटित होने पर कम्पनी का समापन होना हो और वह घटना घट चुकी हो तथा कम्पनी की साधारण सभा में इस आशय का एक साधारण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हो। यदि किसी अन्य कारण से कम्पनी ने इस आशय का

एक विशेष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हो कि कम्पनी का ऐच्छिक समापन कर दिया जाए।

ऐच्छिक समापन के प्रकार (Types of Voluntary Winding up) – ऐच्छिक समापन के दो प्रकार हैं–

अ. सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन

ब. ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन

(अ) **सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन** (Member's Voluntary Winding Up) – सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है –

(i) **शोधन क्षमता की घोषणा** (Declaration of Solvency) – संचालकों द्वारा अथवा कम्पनी में दो से अधिक संचालक होने पर उनके बहुमत द्वारा रजिस्ट्रार के पास कम्पनी की शोधन क्षमता की घोषणा भेजना आवश्यक है कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है और समापन प्रारम्भ होने से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपने सम्पूर्ण ऋणों का भुगतान कर देगी।

(ii) **विशेष प्रस्ताव स्वीकार करना** – संचालकों द्वारा कम्पनी की शोधन क्षमता की घोषणा करने के बाद 5 सप्ताह के भीतर कम्पनी की साधारण सभा बुला कर उसमें कम्पनी के समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाय।

(iii) **निस्तारक की नियुक्ति** – कम्पनी के समापन के कार्य का संचालन करने के लिए एक निस्तारक की नियुक्ति की जाती है। निस्तारक का पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार निश्चित किया जाता है।

(iv) **अधिकारों की समाप्ति** – निस्तारक की नियुक्ति के पश्चात् संचालक मण्डल, प्रबन्ध संचालक आदि के सम्पूर्ण अधिकार (कुछ परिस्थितियों में कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर) समाप्त हो जाते हैं।

(v) **ऋणदाताओं की सभा बुलाना** – समापन कार्य सम्पन्न करने के दौरान निस्तारक को यदि इस बात का अहसास हो जाता है कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वह ऋणदाताओं की सभा बुलायेगा और उसमें कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(vi) **साधारण सभा बुलाना** – समापन प्रक्रिया यदि एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है, तो निस्तारक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से 3 माह की अवधि में कम्पनी की साधारण सभा बुलायेगा, जिसमें सम्पूर्ण वर्ष का लेखा तथा अपने द्वारा किये गये कार्यों का विवरण देगा।

(vii) **अन्तिम सभा बुलाना** – जब कम्पनी के समापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वह कम्पनी के सदस्यों की एक अन्तिम सभा बुलाता है, जिसमें समापन के हिसाब का पूर्ण विवरण कि किस प्रकार समस्त सम्पत्तियों को बेच कर विभिन्न पक्षों को भुगतान

किया गया है, प्रस्तुत करेगा। इस सभा की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त विवरण की एक प्रति कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ तथा एक प्रति सरकारी निस्तारक के पास भिजवा देगा। कम्पनी का रजिस्ट्रार उस हिसाब की रजिस्ट्री कर लेता है तथा रजिस्ट्री के 3 माह पश्चात् कम्पनी का विघटन हो जाता है। प्रायः सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन एकीकरण, संविलयन ओर पुनर्गठन के लिए किया जाता है।

(ब) **ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन** (Creditor's Voluntary Winding Up) – कम्पनी अधिनियम की धारा 497 के अनुसार जब संचालकों द्वारा कम्पनी की शोधन क्षमता की कोई घोषणा नहीं की जाती है और अंशधारियों द्वारा कम्पनी के समापन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तब इस प्रकार के समापन को लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन कहते हैं। अंशधारियों द्वारा समापन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर कम्पनी उसी दिन अथवा उससे अगले दिन ऋणदाताओं की एक सभा का आयोजन करती है। ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन अग्रलिखित विधि से किया जाता है –

(i) **प्रस्ताव पारित करना** – सर्वप्रथम कम्पनी की साधारण सभा में कम्पनी के समापन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

(ii) **सभा बुलाना** – प्रस्ताव स्वीकार किये जाने वाले दिन अथवा उससे अगले दिन कम्पनी ऋणदाताओं की एक सभा का आयोजन करती है।

(iii) **स्थिति विवरण प्रस्तुत करना** – कम्पनी का संचालक मण्डल ऋणदाताओं को कम्पनी की आर्थिक स्थिति से अवगत कराता है और ऋणदाताओं की सूची प्रस्तुत करता है।

(iv) **निस्तारक की नियुक्ति** – कम्पनी के सदस्य तथा ऋणदाता अपनी–अपनी सभाओं में निस्तारक मनोनीत करते हैं। यदि दोनों सभाओं में अलग–अलग व्यक्तियों को निस्तारक के रूप में मनोनीत किया गया हो, तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही निस्तारक नियुक्त किया जायेगा। निस्तारक मनोनीत होने की तिथि से 7 दिन के भीतर कम्पनी के किसी संचालक, अंशधारी अथवा ऋणदाता द्वारा न्यायालय में आवेदन करने पर, न्यायालय अन्य किसी व्यक्ति को निस्तारक नियुक्त कर सकता है।

(v) **निरीक्षण समिति की नियुक्ति** – कम्पनी के ऋणदाता यदि उचित समझें, तो वे अपनी सभा में निरीक्षण समिति की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यदि समिति निस्तारक को परामर्श तथा मार्गदर्शन हेतु नियुक्त की जाती है। इसमें अधिक से अधिक 5 व्यक्ति हो सकते हैं।

(vi) **सदस्यों व ऋणदाताओं की सभा बुलाना** – समापन की कार्यवाही यदि एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है, तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन माह की अवधि में निस्तारक सदस्यों व ऋणदाताओं की सभायें बुलायेगा, जिनमें वह अपने द्वारा वर्ष भर में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(vii) **अन्तिम सभा बुलाना** – समापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कम्पनी का निस्तारक कम्पनी के सदस्यों एवं ऋणदाताओं की अन्तिम सभायें बुलायेगा, जिसमें समापन के हिसाब का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। इस

सभा के 7 दिन के भीतर निस्तारक समापन आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को व एक प्रति सरकारी निस्तारक को भेजेगा। सरकारी निस्तारक द्वारा न्यायालय को कम्पनी के समापन की रिपोर्ट भेजने की तिथि से कम्पनी का समापन माना जाता है।

स्वेच्छा से समापन में निस्तारक के अधिकार

(Right of Liquidator in Voluntary Liquidation)

1. अंशदाताओं की सूची तैयार करने का अधिकार;
2. याचना करने का अधिकार;
3. कम्पनी की साधारण सभा बुलाने का अधिकार;
4. अन्य स्वेच्छा से समापन में भी वही अधिकार हैं, जो अनिवार्य समापन में निस्तारक के अधिकार हैं।

17.3 निस्तारक के खाते का विवरण (Liquidators Statement of Account)

निस्तारक को समापन के प्रथम वर्ष के अन्त में व उसके बाद वाले वर्ष के अन्त में एक खाता यह विवरण देते हुए बनाना पड़ता है कि उसने उस समय तक कितनी राशियाँ वसूल की हैं और कितने भुगतान किये हैं, जिसे निस्तारक का विवरण खाता (Liquidator's Statement of Account) कहा जाता है।

निस्तारक के खाते के अन्तिम विवरण का नमूना

(Specimen of Liquidator's Final Statement of Accounts)

कम्पनीज़ अधिनियम के अनुसार निस्तारक के खाते के अन्तिम विवरण का नमूना निम्नांकित है

Here state whether the liquidation is a members' or the creditors' voluntary liquidation or a liquidation under the Supervision of the Court. If under the Supervision of the Court, mention the number of the petition in which the order was made and the date of order.

* Strike out what does not apply.

Liquidator's Statement of Account of The Liquidation
(Members'/Creditors' Voluntary Liquidation)

1. Name of the Company ……………………….Ltd.
2. Nature of proceeding. ……………………………………….....................……
3. Date of commencement of the liquidation. ………................…………………
4. Name and address of the Liquidator. ……………………………………………

Statement showing how the liquidation has been conducted and the property of the company has been disposed of from ……………

20……….. (commencement of liquidation) to ……….. 20 ……… (close of liquidation).

Receipts	*Estimated Value*	*Value realised*	*Payments*	*Amt.*	*Amt.*
Assets :	A	A		A	A
Cash at Bank			Legal charges		
Cash in hand			Liquidator's remuneration :		
Marketable securities			Where applicable		
Bills Debtors			% on A …. realised		
Trade receivable			% on A … distributed		
Loans and advances			Total		
Inventories			(By whom fixed…..)		
work-in-progress			Auctioneer's and		
Freehold property			Valuer's charges		
Leasehold property			Cost of processing and		
Plant and Machinery			maintenance of estate		
Furniture, Fittings, Utensils,			Cost of notice in Gazette and		
etc.			Newspapers		
Patents, Trademarks, etc.			Incidental outlay		
Investments other than			(establishment charges and		
marketable securities			other expenses of liquidation)		
Surplus from securities			Total costs and charges		
Unpaid calls at commencement			(i) Debenture holders :		
of liquidation			Payment of A ……… per		
Amounts received from calls			A … debenture Payment of		
on			A …per A … debenture		
contributories made in the			(ii) Creditors :		
liquidation			…. **Preferential*		
Receipt per trading account			….. **Unsecured :*		
Other property, viz. ………..			*Divident(s) ….. P*		
………………			*in the rupee on A (The*		
………………			*estimate of the amount*		
Less : Total			*expected to rank for dividend*		
Payments to redeem securities			*was A …..)*		
Costs of execution			(iii) Returns to contributories :		
Payment per trading account			…..P. per rupee …..$ Share…..		
			……P. per rupee……..share		
			…… $ share ………..		
			Add : Balance		

*State the number : Preferential creditors need not be separately shown if all creditors have been paid in full.

$ State nominal value and class of share.

1. The following assets estimated to be of A ………… have proved to be unrealisable : (Give details of the assets which have proved to be unrealisable)
2. Amount paid into the Company's Liquidation Account in respect of :

a. Unclaimed dividends payable to creditors in the winding-up A ………

b. Other unclaimed distributions in the winding-up A ………

c. Moneys held by the company in trust in respect of

dividends or other sum due before the commencement

of winding-up to any person as a member of the company A ....

3. Add here any remarks the liquidator thinks desirable :
(Sd.)
Dated the …day of ……. 20 ……. Liquidator

I declare that the above statement is true and contains a full and accurate account. The winding-up from the commencement to the close of the winding-up.
(Sd.)
Dated the ……. day of ……. 20 ……. Liquidator

17.4 निस्तारक के अन्तिम हिसाब के विवरण में दी जाने वाली सूचनाओं का स्पष्टीकरण (Clarification of the Information given in the Liquidator's Final Statement of Account)

उपरोक्त प्रारूप को देखने से ज्ञात होता है कि यह विवरण प्राप्ति एवं भुगतान खाते के समान होता है। बांये हाथ की ओर विभिन्न प्राप्तियाँ तथा दाहिने हाथ की ओर विभिन्न प्रकार के भुगतान दर्शाए जाते हैं। इसमें प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न मदों/सूचनाओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

17.4.1 प्राप्ति पक्ष (Receipts Side) (निस्तारक द्वारा वसूल की हुई राशियाँ)

1. **रोकड़ एवं बैंक शेष** – समापन में गई हुई कम्पनी के पास उपलब्ध रोकड़ एवं बैंक शेष को निस्तारक सर्वप्रथम अपने कब्जे में लेता है।

2. **सम्पत्तियों को बेचने से वसूली** – जो सम्पत्तियाँ कम्पनी द्वारा कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी हुई हों, निस्तारक उनको बेचकर वसूल हुई राशि को अपने विवरण पत्र में दर्शाता है। यदि अलग–अलग सम्पत्तियों का अलग–अलग वसूली मूल्य ज्ञात हो तो उन्हें अलग–अलग ही दिखाया जाता है। सामूहिक वसूली की दशा में सामूहिक वसूली मूल्य दिखाया जाता है।

3. **सुरक्षित लेनदारों के पास सम्पत्ति से वसूली** – सुरक्षित लेनदारों के प्रभार में रखी हुई सम्पत्तियों को प्रायः ऋणदाता बेचकर अपने ऋण की राशि वसूल कर लेते हैं तथा शेष राशि निस्तारक को लौटा देते हैं। निस्तारक अपने हिसाब के विवरण में ऐसी प्राप्त राशि को दर्शाता है। कभी–कभी ऋणदाता अपने प्रभार में रखी हुई सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार निस्तारक को दे देते हैं। ऐसी स्थिति में भी निस्तारक आधिक्य की राशि को ही अपने हिसाब के विवरण में दिखायेगा। सुरक्षित लेनदारों को किये गये भुगतान की राशि को इस विवरण में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

4. **अदत्त माँग राशि की वसूली** – कम्पनी के समापन की दशा में निस्तारक को अंशधारियों से उनकी तरह रही बकाया माँग राशि को वसूल करने का अधिकार होता है। इस प्रकार वसूल हुई राशि को इस विवरण–पत्र में दर्शाया जाता है।

5. **धनदाताओं से वसूली** – यदि लेनदारों को भुगतान करने के लिए कम्पनी की सम्पत्तियाँ अपर्याप्त हैं, तो निस्तारक अंशधारियों से अयाचित राशि (uncalled)

की माँग कर के वसूली कर सकता है। इस प्रकार की वसूली को निस्तारक अपने विवरण–पत्र में अलग से दर्शाता है।

6. **व्यापार संचालन से प्राप्ति** – यदि विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुमति से व्यापार चालू रखा गया हो, तो व्यापार संचालन से प्राप्त राशि को भी प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है।

17.4.2 भुगतान पक्ष (Payments Side)

1. **वैधानिक खर्चे (Legal Charge)** – निस्तारक सबसे पहले वैधानिक खर्चे चुकायेगा। वैधानिक खर्चों से तात्पर्य खर्चों की ऐसी राशि से है जो समान प्रक्रिया के दौरान कम्पनी द्वारा किसी पक्षकार पर दावा करने अथवा अन्य पक्षकार द्वारा कम्पनी पर दावा करने की स्थिति में अपने बचाव हेतु व्यय की गई हो।

2. **निस्तारक का पारिश्रमिक (Liquidators Remuneration)** – वैधानिक व्ययों का भुगतान करने के पश्चात् निस्तारक अपना पारिश्रमिक वसूल करेगा। यह पारिश्रमिक दो रूपों में हो सकता है, प्रथम सम्पत्तियों की वसूल की गई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में और द्वितीय लेनदारों/अंशधारियों को भुगतान की गई राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में।

(अ) **सम्पत्तियों की वसूली पर प्रतिशत के रूप में** – यदि कमीशन की गणना सम्पत्तियों की वसूली (Assets Realised) पर करनी हो तो ऐसी दशा में नकद व बैंक शेष को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों से वसूल हुई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन की गणना की जायेगी। परन्तु कमीशन की गणना यदि धन–राशि की वसूली (Amount) पर करनी हो तो ऐसी दशा में नकद व बैंक शेष पर भी कमीशन दिया जायेगा।

(ब) **भुगतान की गई राशि पर प्रतिशत के रूप में** – यदि निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना उसके द्वारा असुरक्षित लेनदारों अथवा अंशधारियों को किये गये भुगतानों की राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जानी हो तो उक्त भुगतानों की राशि का निर्धारित प्रतिशत ज्ञात करके उसे निस्तारक के हिसाब विवरण के भुगतान पक्ष में दर्शाया जाता है। सामान्यतया निस्तारक को पारिश्रमिक उसके द्वारा असुरक्षित लेनदारों को किये गये भुगतानों की राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इस सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान की गई राशि को असुरक्षित लेनदार माना जाय या नहीं ? ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्वानों की यही राय है कि उन्हें असुरक्षित लेनदारों में सम्मिलित किया जाना चाहिये जब तक कि इसके विपरीत कोई बात नहीं कही जाय। कमीशन की गणना विभिन्न परिस्थितियों में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करके की जाती है –

क. **जब असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि हो** – जब सब दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि होती है, तब कमीशन निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है –

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशत} \times \text{असुरक्षित लेनदारों की राशि}}{100}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission} \times \text{Amount of Unsecured Creditors}}{100}$$

ख. **जब असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि न हो –** जब सब दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है, तो इसका आशय यह होता है कि असुरक्षित लेनदारों की पूरी राशि नहीं लौटायी जायेगी, वरन् 1 रूपये में से कुछ पैसे ही मिलेंगे। ऐसी दशा में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है –

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशत} \times \text{असुरक्षित लेनदारों के लिए उपलब्ध राशि (शेष)}}{100 + \text{कमीशन का प्रतिशत}}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission} \times \text{Amount of Unsecured Creditors (Balance Amt.)}}{100 + \text{Percentage of Commission}}$$

ग. **अंशधारियों को भुगतान की जानी वाली राशि पर कमीशन (Commission on amount Paid to Shareholders)** – कभी–कभी समापक को उस राशि पर भी कमीशन दिया जाता है जो अंशधारियों को भुगतान की जाती है। ऐसी दशा में प्राप्ति पक्ष की सम्पूर्ण राशि में से भुगतान पक्ष के अंशधारियों को छोड़कर बाकी सभी भुगतानों की राशि को घटाकर जो राशि आती है, उसे 'शेष राशि' यहाँ माना गया है। इस राशि पर निम्न सूत्र से समापक का पारिश्रमिक निकाला जाता है –

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशत} \times \text{शेष राशि (अंशधारियों के लिए उपलब्ध राशि)}}{100 + \text{कमीशन का प्रतिशत}}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission} \times \text{Balance of Amount(left for shareholder)}}{100 + \text{Percentage of Commission}}$$

नोट – उपर्युक्त वर्णन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंशधारियों को देय राशि पर समापक के कमीशन की गणना करते समय पूर्वाधिकार अंशधारी एवं समता अंशधारी दोनों को ही भुगतान की जाने वाली राशियों का प्रयोग किया जाता है जब तक कि अन्यथा तय नहीं हो।

3. **समापन व्यय** – समापन व्यय प्रायः सम्पत्तियों की वसूली से सम्बन्धित होते हैं। इनमें समाचार–पत्रों इत्यादि में कम्पनी से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रकाशन के व्यय, सम्पत्ति के मूल्यांकन के व्यय, सम्पत्तियों की बिक्री में सहयोग देने वाले दलालों का कमीशन, सम्पत्तियों के रख–रखाव के खर्चे इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं।

4. **पूर्वाधिकार लेनदार** – ऐसे लेनदार जिन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 530(1) के अन्तर्गत भुगतान का प्राथमिक अधिकार होता है, पूर्वाधिकार लेनदार कहलाते हैं। ऐसे लेनदारों को ऋणपत्रधारियों तथा अन्य असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान किया जाता है, परन्तु समापक अन्तिम हिसाब के विवरण में इन्हें ऋणपत्रधारियों के पश्चात् दर्शाया जाता है।

5. **चल प्रभार वाले लेनदार** – कम्पनी में कुछ लेनदार ऐसे होते हैं, जिन्हें कम्पनी की सम्पत्तियों पर चल प्रभार होता है। ऐसे लेनदारों में प्रायः ऋणपत्रधारियों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदारों के बाद परन्तु अन्य असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान किया जाता है। यदि इन पर ब्याज की कोई राशि बकाया है, तो उसका भी भुगतान किया जाता है। यदि कम्पनी शोधक्षम्य (solvent) है, अर्थात् कम्पनी के पास लेनदारों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि है तो ब्याज भुगतान की तिथि तक का चुकाया जाता है। यदि कम्पनी शोधक्षम्य नहीं है, तो ब्याज का भुगतान समापन की तिथि तक का ही किया जाता है।

6. **असुरक्षित लेनदार** – ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने के पश्चात् असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है यदि कमपनी के पास पर्याप्त राशि है, तो उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाता है, अन्यथ शेष रही राशि से आनुपातिक भुगतान किया जाता है।

7. **पूर्वाधिकार अंश पूँजी एवं लाभांश** – असुरक्षित लेनदारों को भुगतान करने के पश्चात् पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। यदि इन अंशों पर लाभांश की घोषणा की जा चुकी है, तो ऐसे लाभांश का भी भुगतान किया जायेगा। यदि पूर्वाधिकार अंश संचयी है और उन पर लाभांश की घोषणा नहीं की गई हो तो अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार उन पर समापन की तिथि तक का लाभांश भी दिया जा सकता है।

यदि अन्तर्नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका भुगतान समता अंशधारियों की पूँजी वापसी के बाद शेष रही राशि में से किया जा सकता है। यदि पूर्वाधिकार अंश असंचयी हैं तो उन पर कोई लाभांश नहीं दिया जायेगा। स्पष्ट सूचना के अभाव में पूर्वाधिकार अंशों को संचयी ही मानना चाहिए।

8. **समता अंश पूँजी** – पूर्वाधिकार अंश पूँजी के भुगतान के पश्चात् समता अंशधारियों को पूँजी का भुगतान किया जाता है। यदि समता अंश अलग–अलग प्रदत्त मूल्यों के हैं, तो सबसे पहले अधिक प्रदत्त मूल्य वाले अंशों का भुगतान किया जायेगा, जिससे सभी अंश एक समान प्रदत्त मूल्य पर आ जाये। इसके पश्चात् सभी श्रेणी के अंशों का आनुपातिक भुगतान किया जाता रहेगा।

9. **आधिक्य** – यदि समता अंशधारियों को भुगतान करने के बाद भी कोई राशि बच जाती है तो उसका विभाजन अन्तर्नियमों में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा। यदि पूर्वाधिकार अंश अवशिष्ट भागी हैं, तो उन्हें भी इस आधिक्य में हिस्सा दिया जायेगा। यदि आधिक्य के वितरण के सम्बन्ध में अन्तर्नियम मौन हैं, तो समस्त आधिक्य समता अंशधारियों में ही वितरित किया जायेगा।

उदाहरण–1

मुकेश एण्ड कम्पनी लिमिटेड का निम्नलिखित दायित्वों के साथ समापन हुआ –

अ. सुरक्षित लेनदार A 40,000 (प्रतिभूतियों से वसूली A 50,000);

ब. पूर्वाधिकार लेनदार A 12,000, तथा

स. असुरक्षित लेनदार A 61,000

निस्तारक के पास से A 504 व्यय हुए।

निस्तारक को वसूली हुई राशि पर 3% तथा असुरक्षित लेनदार (पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़ते हुए) को वितरित राशि पर 1½% पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। विभिन्न सम्पत्तियों से (सुरक्षित लेनदारों के पास प्रतिभूति के अतिरिक्त) A 52,000 वसूल हुए।

आपको असुरक्षित लेनदारों को निपटारे में दी हुई राशि को व्यक्त करते हुए निस्तारक का हिसाब का विवरण तैयार करना है। निस्तारक सुरक्षित लेनदारों के पास रखी प्रतिभूतियों की वसूली पर भी पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है।

The Mukesh & Co. Ltd. went into liquidation with the following liabilities -

a. Secured Creditors A 40,000 (Securities realised A 50,000)
b. Preferential Creditors A 12,000 and
c. Unsecured Creditors A 61,000

Liquidator's out of pocket expenses amounted to A 504.

The liquidator is entitled to remuneration of 3% on the amount realised and 1½% on the amount distributed to unsecured creditors (excluding preferention creditors). The various assets (excluding securities in the hands of fully secured creditors) realised A 52,000.

हल-1

The Mukesh & Co Ltd.
(In liquidation)
Liquidator's Statement of Account

Receipts	Amount (A)	Payments	Amount (A)
To Realisation from Assets :		By Liquidator's Remuneration:	
Surplus from fully secured creditors	10,000	3% on A 102000 3060	
Other Assets	52,000	1½% on A 45750 686	3746
		By Liquidation Expenses	504
		By Preferential Creditors	12,000
		By Unsecured Creditors : (first and final dividend of 75 paise in a Rupee on A 51,000)	45750
	62,000		**62,000**

टिप्पणी –

प्रश्न में दिया गया है कि निस्तारक को सम्पत्तियों से वसूल रकम पर 3% और असुरक्षित लेनदार को दी गयी रकम पर 1½% पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसे प्रश्नों में यह देख लेना चाहिये कि असुरक्षित लेनदारों को पूर्ण भुगतान मिल सकेगा या नहीं। यदि उन्हें पूर्ण भुगतान मिल जाने की आशा हो तो उनकी पूरी रकम पर पारिश्रमिक निर्धारित दर से लगा दिया जाता है, परन्तु यदि उन्हें पूर्ण भुगतान मिलने की आशा न हो तो पारिश्रमिक की राशि निकालने में सावधानी रखनी पड़ती है। उपर्युक्त प्रश्न में A 62,000 की कुल वसूली में से A 3060 + A 504 + A 12000 (जो ज्ञात रकमें हैं) भुगतान कर देने के पश्चात A 62,000 – A 15564 अर्थात कुल A 46436 शेष रहे। इसी में से निस्तारक असुरक्षित लेनदारों का भुगतान करेगा और असुरक्षित लेनदारों को जितने राशि का भुगतान करेगा, उस पर निस्तारक 1½% पारिश्रमिक लेगा, अर्थात् इस राशि में से लेनदारों को भुगतान तथा निस्तारक को लेनदारों को भुगतान की गई राशि का 1½% से पारिश्रमिक सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में इसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी। मान लीजिये असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि A100 है, तो निस्तारक का पारिश्रमिक होगा A $\frac{3}{2}$ असुरक्षित लेनदार और निस्ताकर के पाश्रिमिक को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध धनराशि होगी $100 + \frac{3}{2} = A\,\frac{203}{2}$

$\therefore A\frac{203}{2}$ उपलब्ध होने पर पारिश्रमिक है = $A\frac{3}{2}$

A 1 उपलब्ध होने पर पारिश्रमिक होगा = $A\frac{3}{2} \times \frac{203}{2}$

उपलब्ध 46,436 पर निस्तारक का पारिश्रमिक होगा = $\frac{3}{2} \times \frac{2}{203} \times \frac{46436}{1}$ = A 686 Approx.

उदाहरण–2

31 मार्च, 2014 को एक कम्पनी का ऐच्छिक समापन हुआ, जबकि निम्नांकित चिट्ठा बनाया गया –

A Company went into voluntary liquidation on 31st March, 2014, when the following Balance Sheet was prepared :

विवरण	**Amount (A)**
I. समता एवं दायित्व **(Equity and Liabilities)**	
अंशधारी कोष **(Shareholders' funds) :**	
अंश पूंजी **(Share capital) :**	
नामांकित पूंजी (Nominal capital) :	
A 10 वाले 2,000 अंश (2,000 shares of A 10 each)	20,000
निर्गमित पूंजी **(Issued capital)**:	
A 10 वाले 1,452 अंश (1,452 shares of A 10 each)	14,520
संचय एवं आधिक्य **(Reserves and surplus) :**	
लाभ–हानि विवरण (Statement of P&L)	(5,908)
चालू दायित्व **(Current liabilities):**	
व्यापारिक देय **(Trade payables) :**	
अरक्षित लेनदार (Unsecured creditors)	7,716
अंशतः रक्षित लेनदार (Partly secured creditors)	2,918
पूर्वाधिकार लेनदार (Pref. Creditors)	405
बैंक अधिविकर्ष (अरक्षित) [Bank overdraft (unsecured)]	116
	19,767
II. सम्पत्तियाँ **(ASSETS)**	
गैर–चालू सम्पत्तियाँ **(Non-current assets) :**	
स्थायी सम्पत्तियाँ **(Fixed assets) :**	
मूर्त सम्पत्तियाँ (Tangible assets) :	
पट्टे की सम्पत्ति (Leasehold Property)	2,500
मशीनरी (Machinery)	3,740
अमूर्त सम्पत्तियाँ (Intangible Assets) :	
ख्याति (Goodwill)	3,000
चालू सम्पत्तियाँ **(Current Assets) :**	
रहतिया (Inventories)	5,855
व्यापारिक प्राप्य (Trade receivable)	4,622
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (Cash & cash equivalents)	50
	19,767

निस्तारक ने सम्पत्तियाँ निम्न प्रकार वसूल कीं – पट्टे की सम्पत्ति, जिसे अंशतः रक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए प्रयोग किया गया A 1,800; मशीन A 2,500; रहतिया A 3,100; देनदार A 4,350; रोकड़ A 50।

समापन व्यय A 50, निस्तारक का पारिश्रमिक रोकड़ सहित वसूल की गयी राशि पर 2½% और अरक्षित लेनदारों को भुगतान की गयी राशि पर 2%। अंशतः रक्षित लेनदारों की प्रतिभूतियों की वसूली निस्तारक ने की है। निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता विवरण प्रकट करते हुए बनाइए।

The Liquidator realised the assets as follows :

Leasehold property which was used in the first instance to pay the partly secured creditors prorata A 1,800; Machinery A 2,500: Stock A 3,100; Debtors A 4,350; Cash A 50.

The expenses of liquidation amount to A 50 and the liquidator's remuneration was agreed at 2½% on the amount realised including cash and 2% on the amount paid to unsecured creditors. Securities of partly secured creditors are realised by liquidator.

Prepare the Liquidator's Final Statement of Account showing the distribution.

हल-2

Liquidator's Final Statement of Account

Receipts	Estimated Value	Value Realised	Payments		Amount
Assets :	A	A	Liquidator's Remuneration:		A
Cash and cash equivalents:	50	50	2½% on A11,800[1]	295[2]	
Trade receivables	4,622	4,350	2% on A9,355[3]	187.10[4]	482.10
Inventories	5,855	3,100	Cost of Liquidation		50.00
Plant & Machinery	3,740	2,500	Creditors		9,355.00[3]
			Returns to Contributories : Shareholders (1,452 shares @ A0.07775[6] Approx. per share)		112.90[5]
	14,267	**10,000**			**10,000.00**

1 10,000 + 1,800 = A 11,800 2 $\frac{11,800 \times 5}{100 \times 2}$ = A 295

3 **महत्वपूर्ण टिप्पणी** – जब लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाता है, तब पूर्वाधिकार लेनदारों को अलग से नहीं दिखाया जाता है। पूर्वाधिकार लेनदार भी अरक्षित लेनदार होते हैं और इनकी पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हो। यहाँ ऐसा हुआ है। अरक्षित लेनदार निम्नांकित है

Unsecured Creditors	7,716		
Unsec. Crs. out of partly secured creditors (2,918 – 1,800)	1,118		
Bank Overdraft (unsecured)	116	8,950	
Pre. Crs.		405	9,355

4 $\frac{9,355 \times 2}{100}$ = A 187.10 5 This is balance i.e., excess of receipts over payments;

6 $\frac{112.90}{1,452}$ = A 0.07775

अग्रिम याचना को लौटाना तथा विभिन्न प्रकार के अंशधारियों की पूँजी लौटाना।

(Refund of Calls in Advance and Payment to Various Types of Shareholders)

उदाहरण–3

एक कम्पनी का स्वैच्छिक समापन हुआ। कम्पनी की लेनदारियाँ A 30,000 व सम्पत्तियाँ जो बेचकर प्राप्त हुई, A 1,78,000 थी। कम्पनी की पूँजी में 10,000, A 10 वाले पूर्वाधिकार अंश थे; इन पर A 7 प्रति अंश की दर याचित की गयी दत्त राशि थी। 8,000 पूर्वाधिकार अंशधारियों ने अपने अंशों की पूर्ण राशि A 10 प्रति अंश की दर से अग्रिम दे दी थी। इसके अतिरिक्त 10,000, A 10 वाले समता अंश थे जिन पर 9 प्रति अंश की दर से याचित किया गया था। A 2,000 समता अंशधारियों ने A 8 प्रति अंश की दर से भुगतान किया था। 4,000 समता अंशधारियों ने पूर्ण राशि A 10 प्रति अंश की दर से अग्रिम दे दी थी तथा बचे हुए अंशधारियों ने A 9, जो कि याचित किया गया था, भुगतान कर दिया था।

यह मानते हुए कि पूर्वाधिकार अंशधारियों का पूँजी में कोई पूर्वाधिकार नहीं है। आप निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता बनाइये। आप बकाया राशि को अंशधारियों में किस प्रकार बाँटेंगे, यह मानते हुए कि समापन के खर्चे 2,000 थे तथा याचना की बकाया राशियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली गयी हैं।

A limited company went into voluntary liquidation with liabilities amounting to A 30,000 and assets eventually realized A 1,78,000. The capital of the company consisted of 10,000 preference shares of A 10 each, of which A 7 per share was called and paid-up. The holders of 8,000 preference shares had, however, paid-up the full A 10 in advance of calls. There were also 10,000 equity shares of A 10 each, on which A 9 per share had been called. Holders of 2,000 equity shares had however, paid-up A 8 per share. Holders of 4,000 equity shares had paid-up the full A 10 in advance of calls. Remaining shareholders have paid A 9 per share as called-up.

Assuming that preference shares have no priority as to capital show in the form of Liquidator's Final Statement of Account, how you would divide the available balance among the shareholders assuming that the costs of winding-up amount to A 2,000 and that the calls in arrears are duly collected.

हल-3

Liquidator's Final Statement of Account

Receipts	**Amount (A)**	**Payments**	**Amount (A)**
Realisation of Assets	1,78,000	Liquidation Cost	2,000
Realisation of unpaid Calls :		Liabilities paid	30,000
2,000 Equity Shares @ A 1 per share	2,000	Returns of calls paid in Advance	
		8,000 Pref. Shares @ A 3 each	24,000
		4,000 Equity Shares @ A 1 each	4,000
		Return to Contributories :	

		Preference Shareholders (return of capital on 10,000 Pref. Shares @ A 5 per Share)	50,000
		Equity Shareholders (return of capital on 10,000 Eq. Shares @ A 7 per Shares	70,000
	1,80,000		**1,80,000**

नोट – 1. इस प्रश्न में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूँजी में कोई पूर्वाधिकार (प्राथमिकता) प्राप्त नहीं है। अतः दोनों प्रकार के अंशों की असमानता दूर करने के लिए पहले समता अंशधारियों को 9 – 7 = A 2 प्रति अंश की दर से चुकाया जायेगा और शेष रुपयों को दोनों प्रकार के अंशों में बराबर–बराबर बाँटा जायेगा क्योंकि पूर्वाधिकार एवं समता अंशधारियों की संख्या समान है, अर्थात् समता अंशधारियों को पहले 10,000 x 2 = A 20,000 शेष राशि (1,20,000 – 20,000) = A 1,00,000 (10,000 पूर्वाधिकार अंश + 10,000 समता अंश में विभाज्य) 1,00,000 + 20,000 = A 5 प्रति अंश की दर से दोनों को।

इस प्रकार समता अंशधारियों को A 7 (2 + 5) प्रति अंश की दर से पूँजी वापस होगी।

10,000 पूर्वाधिकार अंश – A 10 वाला A 7 प्रति अंश याचित

10,000 समता अंश – A 10 वाला A 9 प्रति अंश याचित

∴ समता अंशधारियों में 9 – 7 = A 2 की दर से अधिक चुकाये हैं, जिनका भुगतान पहले होगा।

2. अग्रिम की वापसी

8,000 पूर्वाधिकार अंशों पर	: माँग A 7 – चुकाया A 10	∴ 8,000 × 3	24,000
4,000 सता अंशों पर	: माँग A 9 – चुकाया A 10	∴ 4,000 × 1	4,000
			28,000

3. **बकाये की माँग से प्राप्त राशि**

समता अंशों पर याचना की दर A 9 प्रति अंश,

2,000 समता अंशों के धारकों ने 8 की दर से ही चुकाये, अतः A 1(9 – 8) बाकी रहा, जिसे निस्तारक ने माँग लिया।

वैकल्पिक विधि

Liquidator's Final Statement of Account

Receipts	Amount (A)	Payments		Amount (A)
Assets Realised	1,78,000	Liquidation Cost		2,000
Realisation of unpaid calls :		Liabilities		30,000
2,000 Equity Shares @ A 1 per share	2,000	Returns of calls paid in Advance :	A	
		Pref. Shares	24,000	
		Equity Shares	4,000	28,000
		Return to Contributories :		
		Preference Shareholders (on 10,000 Pref. Shares @ A 5.25 per Share)		52,500[1]
		Equity Shareholders (on 10,000 Eq. Shares @ A 6.75 per Shares		67,500[2]
	1,80,000			**1,80,000**

Working Note :

प्रश्नानुसार पूर्वाधिकार एवं समता अंशधारियों के अधिकर समान हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूँजी के भुगतान के सम्बन्ध में प्राथमिकता नहीं है। अतएव अग्रिम याचना की राशि के लौटाये जाने के बाद कुल A1,20,000 बचते हैं (1,80,000 – 60,000) जिनका विभाजन दोनों के अंशों पर प्रति अंश याचना व भुगतान के अनुपात में पूँजी की वापसी की जा सकती है क्योंकि उनके अंशों की संख्या समान है।

इस प्रकार 10,000 पूर्वाधिकार अंश – याचना A 7 पूँजी वापसी का अनुपात 7/16

10,000 समता अंश – याचना A 9पूँजी वापसी का अनुपात 9/16

1,20,000 × $\frac{7}{16}$ = A 52,500 ∴ भुगतान दर $= \frac{52,500}{10,000} =$ A 5.25 प्रति अंश

1,20,000 × $\frac{9}{16}$ = A 67,500 ∴ भुगतान दर $= \frac{67,500}{10,000} =$ A 6.75 प्रति अंश

समता अंशधारियों को भुगतान के बाद आधिक्य का वितरण

(Distribution of Surplus after Payment of Equity Shareholders)

उदाहरण–4

1 जनवरी, 2015 को अंजलि फैशन लि. का ऐच्छिक समापन हुआ। निस्तारक को सम्पत्तियों के विक्रय पर 3% तथा अंशधारियों को बाँटी गयी राशि पर 2% पारिश्रमिक मिलेगा, निस्तारक ने कम्पनी की समस्त सम्पत्तियाँ बेच दीं। 01 जनवरी, 2015 को कम्पनी की स्थिति निम्न प्रकार थी –

	Amount (A)
सम्पत्तियों की बिक्री पर रोकड़–प्राप्ति	7,00,000
समापन व्यय	12,600
लेनदार (एक माह का वेतन A 8,400 सहित)	95,200
7,000, 6% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक A 30 का (जिस पर एक वर्ष का लाभांश अवशिष्ट है)	2,10,000
14,000 समता अंश प्रत्येक A 10 का प्रत्येक पर A 9 याचित और भुगतान किये गये हैं	1,26,000
सामान्य संचय	1,68,000
लाभ–हानि खाता	28,000

कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियमों के अनुसार पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशों की राशि भुगतान करने के बाद बची हुई राशि में से 1/3 राशि प्राप्त करने का अधिकर है। निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता बनाइए।

Anjali Fashion Ltd. went into Voluntary Liquidation on 1st January, 2015. The Liquidator is to paid remuneration at 3% on the amount realised on sale of assets and 2% on amount distributed to shareholders. The liquidator sold out all the assets of the company. On January 1, 2015, Company's position was as under :

Amount

	(A)
Cash realised on sale of Assets	7,00,000
Liquidation Expenses	12,600
Creditors (including salaries for one month A8,400)	95,200
7000, 6% Preference Shares of A 30 each (on which dividend is in arrear for one year)	2,10,000
14,000 Equity Shares of A 10 each, A 9 per share called and paid	1,26,000
General Reserve	1,68,000
P. & L. A/c	28,000

Under Articles of Association of the Company the Preference Shareholders have a right to receive 1/3rd of the surplus remaining after repaying the Equity Share Capital. Prepare Liquidator's Final Statement of Account.

हल-4

Liquidator's Statements of Accounts

Receipts	Amount (A)	Payments		Amount (A)
To Assets Realised	7,00,000	By Liquidator's Remuneration : A		
		3% on 7,00,000	21	32,200
		2% on 5,60000[1]	11	12,600
		By Liquidation Expenses		8,400
		By Preferential Creditors		86,800[2]
		By Unsecured Creditors		2,10,000
		By Preference Shareholders A/c.		12,600[3]
				1,26,000
		By Arrears of Preference Diviend		
		By Equity Shareholders A/c		2,11,400
		By Surplus to Pref.		
		Shareholders (1/3)	70,	
		Equity Shareholders (2/3)	1,40	
	7,00,000			**7,00,000**

1. A 7,00,000 – A (21,000 + 12,600 + 8,400 + 86,800) = A 4,71,200

   ∴ 2% Rem. = $\frac{5,71,200 \times 2}{102}$ = A 11,200

   ∴ Total Amount paid to shareholders = A 5,71,200 – A 11,200 = A 5,60,000
2. A 95,200 – A 8,400 = A 86,800
3. $\frac{2,10,000 \times 6}{100}$ = A 12,600
4. (Surplus) 2,11,400 × 1/3 = A 70,467 (approx.)
5. 2,11,400 × 2/3 = A 1,40,933

17.5 स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता (Statement of Affairs and Deficiency Accounts)

जब ऋणपत्रधारी अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए उनके पास बन्धक पर रखी हुई प्रतिभूतियों को बिकवाना चाहते हैं, तो वे न्यायालय की आज्ञा से रिसीवर की नियुक्ति करते हैं, पर वे ऐसा उसी दशा में कर सकते हैं, जबकि यह अधिकार उन्हें ऋणपत्र संलेख में दिया हुआ हो तथा उनका कम्पनी के साथ प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए पहले से समझौता हो।

रिसीवर की नियुक्ति ऋणपत्रधारियों द्वारा कर दी जाती है, तो कम्पनी की सम्पत्तियाँ इसके अधिकार में आ जाती है और फिर वह उन सम्पत्तियों को बेचकर ऋणपत्रधारियों को कुल देय राशि का भुगतान करता है और शेष बची राशि निस्तारक को दे देता है।

ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने के पूर्व प्राप्त राशि में से (i) कानूनी व्यय (ii) प्राप्तियों की लागत, (iii) स्वयं का पारिश्रमिक, (iv) समापन व्यय, (v) पूर्वाधिकार भुगतानों की राशि का भुगतान करता है। इसके बाद ही ऋणपत्रधारियों का भुगतान किया जाता है।

1. प्राप्तकर्ता या रिसीवर का प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receiver's Receipt & Payment)
2. निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता (Liquidators Final Statement of Account)

रिसीवर के प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप

Specimen of Receiver's Receipt and Payment A/c

To Assets realised *(Under the charge of the receiver)*	....	By Legal Expenses By Receiver's Cost By Receiver's Remuneration By Preferential Payment By Debenture holders (with interest) By Payment to Liquidator (Balancing figure)	....

रिसीवर प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता तथा निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता

(Receiver's Receipt and Payment Account and Liquidator's Final Statement Account)

उदाहरण–5

करन कम्पनी की 31 मार्च, 2016 को निम्नांकित स्थिति थी – सम्पत्तियाँ A 90,000; मशीनरी A 30,000; रहतिया A 10,000; लाभ–हानि खाता डेबिट A 5,000; 5% ऋणपत्र A 50,000; बन्धक पर ऋण A 10,000; अरक्षित लेनदार A 7,000; आयकर 2015–16, A 2,000; 4,000, 6% पूर्वाधिकार अंश A 10 वाले; 2,600 समता अंश A 10 वाले।

ऋणपत्रों का कम्पनी की सभी सम्पत्तियों पर फ्लोटिंग अधिकार है। एक 'प्राप्तकर्ता' की नियुक्ति ऋणपत्रधारियों द्वारा की गयी है। कम्पनी का ऐच्छिक समापन हुआ है

और एक निस्तारक की भी नियुक्ति हुई है। आप रिसीवर प्राप्तियाँ और भुगतान खाता तथा निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता निम्नांकित सूचनाओं को भी ध्यान में रखते हुए बनाइये।

बन्धक वाले ऋण के लिए मशीनरी बन्धक रखी गयी है। A 80,000 की सम्पत्तियाँ प्राप्तकर्ता को सुपुर्द की गयी है; इसने इन सम्पत्तियों पर A 78,000 प्राप्त किये। इसका पारिश्रमिक A 400 है और इसका लागत व्यय A 200 है। समापन की लागत A 800; निस्तारक का पारिश्रमिक A 500; शेष सम्पत्तियों की बिक्री से निस्तारक को A 9,500 प्राप्त हुए। कानूनी व्यय समापन में A 100, मशीन पर A 25,000 प्राप्त हुए।

Following was the position of Karan Company on 31st March, 2016.

Property A 90,000; Machinery A 30,000; Stock A 10,000; Profit and Loss Account debit A 5,000; 5% Debentures A 50,000; Loan on Mortgages A 10,000; Unsecured creditors A 7,000; Income-tax 2015-16 A 2,000; 4,000, 6% Preference Shares of A 10 each; 2,600 equity shares of A 10 each.

Debetureholders have a floating charge on all the assets of the company. A receiver has been appointed by the debentureholders. There is voluntary liquidation of the company and a liquidator has also been appointed. After taking into consideration of following information, prepare receipts and payments account of the receiver and liquidator's final statement of account.

Machinery is lodged as a security against mortgaged debt. Assets worth A 80,000 were placed in the charge of receiver who realized A 78,000 on these assets. His remuneration is A 400 and his cost is A 200; cost of liquidation is A 800; liquidator's remuneration is A 500; liquidator received A 9,500 from the sale of remaining property; legal expenses in liquidation A100; Machinery realised A 25,000.

हल-5

Receiver's Receipts and Payments Account

Receipts	Amount (A)	Payments	Amount (A)
To Realisation of Assets	78,000	By Cost of Receiver	200
		By Receiver's Remuneration	400
		By 5% Debentureholders	50,000
		By Balance transferred to Liquidator	27,400
A	**78,000**	A	**78,000**

Liquidator's Final Statement of Account

Receipts	Estimated Value	Value Realised	Payments	Amount Paid
	A	A		A
Surplus from Receiver		27,400	Legal Expenses	100
Surplus from Mortgage		15,000[1]	Liquidator's Remuneration	500

Realisation of remaining assets		9,500	Cost of Liquidation Creditors : (i) Preferential (ii) Unsecured Returns to Contributories : Preference Shareholders Equity Shareholders @ A 0.577 Approx. 57.7[3] Paise Approx. per share	800 2,000[2] 7,000 40,000 1,500
		51,900		**51,900**

1. मशीन के बेचने से A 25,000 प्राप्त हुए लेकिन वह मशीन A 10,000 के ऋण के लिए बन्धक पर है। अतः बन्धक पर आधिक्य 25,000 – 10,000 = A 15,000 |
2. Income tax is preferential creditor.
3. 2,600 equity shares will get A 1,500, hence $\frac{1,500}{2,600}$ = A 0.577 (Approx.) per share.

निस्तारक का वसूली तथा वितरण का विवरण–पत्र

(Liquidator's Realisation and Distribution Statement)

निस्तारक वसूली तथा वितरण का एक विवरण–पत्र तैयार करता है। यह रोकड़ खाते या प्राप्ति एवं भुगतान खाते की तरह होता है। इस विवरण–पत्र में यह दिखाया जाता है कि किन–किन स्रोतों से और कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसका वितरण दायित्वों और अंशधारियों के भुगतान में किस प्रकार किया गया। वसूली तथा वितरण विवरण–पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार है –

Realisation and Distribution Statement

	Amount (A)	**Amount (A)**
A. Receipts from Assets Realised :		
(i)	—	
(ii)	—	—
etc.		
B. Payments made :		
(i) Fully Secured Creditors	—	
(ii) Liquidator's claim :		
(a) Liquidator's Remuneration	—	
(b) Cost of Liquidation	—	
(iii) Debentures		
(iv) Creditors :		
Preferential	—	
Unsecured	—	
C. Payments made to Contributories (Surplus distributed):	—	—
a. Pref. Shareholders	—	—

b. Equity Shareholders		

वसूली एवं वितरण विवरण (Realisation and Distribution Statement)

उदाहरण–6

मोहित कम्पनी का स्वैच्छिक समापन 31 मार्च, 2016 को हुआ। इस तिथि पर इसकी निम्नांकित स्थिति थी –

6% पूर्वाधिकार अंश 3,500, A 10 वाले; 4,000 समता अंश पूर्णदत्त A 10 वाले; 500, 6% ऋणपत्र A 100 वाले (पूर्णदत्त); समापन होने के 6 माह पहले की अवधि के लिए इन ऋणपत्रों पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था। इन ऋणपत्रों को कम्पनी की सभी सम्पत्तियों पर फ्लोटिंग अधिकार प्राप्त है। अरक्षित लेनदार A 10,000, इनमें से पूर्वाधिकार लेनदार A 1,000 है। समापन की लागत A 200, निस्तारक का पारिश्रमिक सम्पत्तियों की प्राप्त राशि पर 3% था। सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि A 1,00,000, निस्तारक को ऋणपत्रधारियों ने अपना प्राप्तकर्ता भी नियुक्त किया है। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर प्राप्तियाँ और वितरण का विवरण पत्र बनाइये। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों पर पूर्वाधिकार है।

Voluntary liquidation of Mohit Company took place on 31st March, 2016. Following was its condition on that date :

3,500, 6% Preference Shares of A 10 each; 4,000 equity shares of A 10 each fully paid; 500, 6% Debentures of A 100 each full paid no interest is paid on these debentures for a period of six months before liquidation. These debentures have a floating charge on all the assets of the company. Unsecured creditors A 10,000 out of these preferential creditors are A 1,000; Cost of Liquidation A 200; Liquidator's remuneration is 3% on the amount of assets realised. Amount realised on the Sale of assets A 1,00,000. Debentureholders have also appointed the liquidator as their receiver. Prepare a Statement of Realisation and Distribution on the basis of above information. Pref. Shareholders have priority over equity shareholders.

हल-6

Realisation and Distribution Statement

				Amount (A)	**Amount (A)**
A.	Receipts from Assets Realised				1,00,000
B.	Payments made :				
	(i)	Liquidator's Remuneration (3%)	3,000[1]		
		Liquidation Cost	200	3,200	
	(ii)	Debentures having Floating Charge	50,000		
		Interest @ 6% for six months	1,500[2]	51,500	
	(iii)	Creditors		10,000[3]	-64,700
C.	Payment made to Contributories:				
	Pref. Shareholders			35,000	
	Equity Shareholders			300	-35,300
					Nil

1. $1,00,000 \times \frac{3}{100}$ = A 3,000 2. $50,000 \times \frac{6}{100} \times \frac{6}{12}$ = A 1,500
3. When creditors are paid in full, Preference Creditors are not shown separately.

17.6 स्थिति विवरण (Statement of Affairs)

अगर कम्पनी के समापन का आदेश न्यायालय ने दिया हो या सरकारी निस्तारक को अस्थायी निस्तारक की तरह नियुक्त कर दिया हो, तो कम्पनी द्वारा एक स्थिति विवरण (Statement of Affairs) 21 दिन के अन्दर बनाया जाता है और सरकारी निस्तारक के पास भेजा जाता है। इस स्थिति–विवरण का सत्यापन Affidavit द्वारा किया जाता है। स्थिति विवरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख रहना आवश्यक है –

1. कम्पनी की सम्पत्तियाँ, रोकड़ हाथ में तथा रोकड़ बैंक में कम्पनी के पास रखी हुई विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ (यदि कोई हो) को पृथक–पृथक दर्शाया जाना चाहिये।
2. कम्पनी के ऋण एवं दायित्व।
3. कम्पनी के लेनदारों के नाम, पते एवं पेशे इसमें पूर्णतः रक्षित तथा अरक्षित लेनदारों को पृथक–पृथक दर्शाया जाना चाहिये। रक्षित लेनदारों के सम्बन्ध में उन प्रतिभूतियों का विवरण दिया जाना चाहिये, जो गिरवी रखी गयी हों।
4. कम्पनी द्वारा प्राप्त ऋण तथा उन देनदारों के नाम, पते व पेशे, जिनसे कम्पनी को ये ऋण प्राप्त करने हैं।
5. ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित कर दी जाय, जिसे निस्तारक उचित समझे।
6. स्थिति विवरण का सत्यापन संचालक अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये।

महत्वपूर्ण कम्पनी के अनिवार्य समापन एवं ऐच्छिक समापन दोनों स्थितियों में इसे तैयार किया जाना आवश्यक है। इसके तैयार करने से सम्बन्धी उचित व्यय का भुगतान निस्तारक द्वारा कम्पनी की सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से किया जा सकता है।

Form of Statement of Affairs

Statement as the Affairs of ....Ltd., on the .... day of ....20........., being the date of the winding-up order (or order appointing Provisional Liquidator or the date directed by the official liquidator as the case may be) showing assets at estimated realisable values and liabilities expected to rank :

Assets	Estimated Realisable Values

	Assets not specifically pledged (as per List "A")	A
	Balance at Bank	....
	Cash in hand	....
	Marketable Securities	....
	Bills Receivable	....
	Trade Debtors	....
	Loans and Advances	....
	Unpaid Calls	....
	Stock-in-trade	....
	Work-in-progress	....
	....	....
	....	....
	Freehold Property, Land & Buildings	....
	Lease-hold Property	....
	Plant and Machinery	....
	Furniture, Fittings, Utensils etc.	....
	Investments other than Marketable Securities	....
	Live-Stock	....
	Other Property	....
	....	....
	Assets specifically pledged (as per List 'B')	....
		....

	(a) *Estimated Realisable Value*	*(b)* *Due to Secured Creditors*	*(c)* *Deficiency ranking as Unsecured*	*(d)* *Surplus Carried to last Column*
	A	A	A	A
....	....	....	....	
....	....	....		....
	....	....	....	....

	Estimated surplus from assets specifically pledged Estimated total assets available for preferential creditors, debentureholders secured by a floating charge and unsecured creditors (carried forward)	....

Summary of Gross Assets

Gross realisable value of assets

Specifically pledged	....		
Other Assets	....		....
Gross Assets		....	

Estimated total assets available for preferential creditors, debentureholders secured by a floating charge and unsecured

	creditors (brought forward)	
(e) Gross Liabilities	**Liabilities**	
A	(to be deducted from surplus or added to deficiency as the case may be)	
....	Secured creditors (as per List 'B'): to the extent to which claims are estimated to be covered by assets specifically pledged [item (a) or (b) on preceding page, whichever is the less]	....
....	(insert in 'Gross Liabilities' column only)	
	Preferential Creditors (as per List 'C') :	....
	Estimated balance of assets available for Debentureholders secured by floating charge and unsecured creditors	....
....	Debentureholders secured by a floating charge (as per List 'D')	....
	Estimated surplus/Deficiency as regards Debentureholders	
	Unsecured Creditors (as per List 'E')	
	Estimated unsecured balance of claims of creditors partly secured on specific assets, brought from Preceding page (c)	
	A	
....	Trade Accounts	
....	Bills Payable	....
....	Outstanding Expenses	
....	Contingent liabilities (State nature)	
....	Estimated surplus/Deficiency as regards creditors	....
....	(being difference between Gross Assets and gross Liabilities as per column (e)	....
	Issued and Called-up Capital	
	.... Preference Shares of A .... each, ... called –up (as per List 'F')	....
	.... Equity Shares of A........ each, A .... called-up (as per List 'G')	....
	Estimated Surplus/Deficiency as regards members (as per List 'H')	....

17.7 स्थिति–विवरण तैयार करने की प्रक्रिया (Procedure of Preparing of Statement of Affairs)

1. वे सम्पत्तियाँ, जो स्पष्टतः गिरवीं नहीं रखी गई हैं (सूची 'A' के अनुसार), उनसे अनुमानित वसूल होने वाली राशि में पूर्ण रक्षित लेनदारों के अतिरेक की राशि, जो स्पष्टतः गिरवीं रखी गई सम्पत्तियों द्वारा पूर्ण रक्षित लेनदारों से प्राप्त हुई है (सूची 'B' के अनुसार) जोड़ दी जानी चाहिये।
2. उपर्युक्त राशियों के योग में सर्वप्रथम अधिमानी (पूर्वाधिकारी) लेनदारों को (सूची 'C' के अनुसार), तत्पश्चात् फ्लोटिंग (चल) अधिकार रखने वाले ऋणपत्रों को (सूची 'D' के अनुसार) तथा इसके पश्चात् अरक्षित लेनदारों को (सूची 'E' के अनुसार) घटा दिया जाना चाहिये।

(इस सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि आधिक्य से ही उक्त राशियाँ घटाई जानी चाहिये तथा कमी होने पर घटाई जाने वाली राशि जोड़ी जानी चाहिये।)

अरक्षित लेनदारों में प्रायः निम्न लेनदारों को सम्मिलित किया जाता है –

(i) अंशतः रक्षित लेनदारों की प्रतिभूतियों से कमी की राशि,

(ii) देय–विपत्र,

(iii) भुनाये गये (पूर्व प्रापित) विपत्रों पर अनुमानित दायित्व या सम्भाव्य दायित्व,

(iv) व्यापारिक लेनदार,

(v) अन्य अरक्षित लेनदार आदि,

3. शेष राशि में यदि आधिक्य हो तो पूँजी घटाई जाय तथा कमी की राशि हो तो पूँजी की राशि जोड़ दी जाए। इस प्रकार शेष राशि हीनता (कमी) या आधिक्य की राशि होती है।

महत्वपूर्ण नोट :

1. **बकाया याचना** (Calls in Arrears)
   (i) बकाया याचना की वह राशि जिसके प्राप्त होने की आशा है, उसे सूची 'A' (List 'A') में दिखाया जाना चाहिये।
   (ii) बकाया याचना की वह राशि जिसके प्राप्त होने की आशा नहीं है, उसे याचित पूँजी (called-up capital) में से घटाकर दिखाया जाना चाहिये।
2. **अयाचित पूँजी** (Uncalled Capital) – जिस पूँजी की याचना नहीं की गई है (अर्थात् अयाचित पूँजी), उसे स्थिति–विवरण के अन्त में एक टिप्पणी (Note) के रूप में दिखाना चाहिये।
3. **ऋणपत्र** (Debentures) – यदि प्रश्न में ऋणपत्रों के सम्बन्ध में कोई सूचना न दी गई हो, तो ऋणपत्रों को चल भार (floating charge) रखने वाले ऋणपत्र मानना चाहिये।
4. **अयाचित लाभांश** (Unclaimed Dividend) – यदि प्रश्न में न माँगे हुए लाभांश (अयाचित लाभांश) की राशि दी गई हो तो इसे अरक्षित लेनदारों (unsecured creditors) में शामिल किया जाना चाहिये। अयाचित लाभांश का भुगतान उसी स्थिति में होगा जब बाहर वाले लेनदारों का भुगतान हो चुका है।
5. **भुनाये हुए विपत्र** (Bills Discounted) – भुनाये विपत्रों को संदिग्ध दायित्व माना जाता है, यदि ऐसे विपत्र अनादृत (dishonoured) हो गये हैं तो इन्हें सूची 'E' (असुरक्षित लेनदारों) में जोड़ना चाहिये।
6. **देय विपत्र** (Bills Payable) – देय बिलों को अरक्षित लेनदारों (अर्थात् सूची 'E') में शामिल करना चाहिये।

List H : न्यूनता अथवा आधिक्य खाता – स्थिति विवरण द्वारा जो न्यूनता अथवा आधिक्य प्रदर्शित किया जाता है, उसके उत्पन्न होने के खुलासा विवरण इस खाते या विवरण में पाये जाते हैं। इसको सूची 'एच' (List H) भी कहते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार के प्रारूप में तैयार किया जाता है।

List H : Deficiency or Surplus Account - The period covered by this account must commence on a date not less than 3 years before the date of winding up order (or the order appointing Provisional Liquidator, or the date directed by the official liquidator) or, if the company has not been incorporated for the whole of that period, the date of formation of the company, unless the official Liquidator otherwise agrees.

	A
Items Contributing to Deficiency (or Reducing Surplus) :	
1. Excess (if any) of Capital & Liabilities over Assets on the ...... 20 ...... as shown by balance sheet (copy annexed).	
2. Net dividends and bonuses declared during the period from ......20...... to the date of the statements.	
3 Net Trading Losses (after charging items shown in note below) for the same period.	
4. Losses other than trading losses written off or for which provision has been made in books during the same period (give particulars or annex schedule).	
5. Estimated losses now written off or for which provision has been made for the purpose of preparing the statement (give particulars or annex schedule).	
6. Other items contributing to deficiency or reducing surplus.	
Items Reducing Deficiency (or Contributing to Surplus):	....
7. Excess (if any) of Assets over Capital and Liabilities on the ......20...... as shown in the Balance Sheet (copy annexed)	
8. Net Trading Profits (after charging items shown in note below) for the period from the .....20..... to the date of statement.	
9. Profits and Income other than trading profits during the same period (give particulars or annex schedule).	
10. Other items reducing deficiency or contributing to surplus	
Deficiency/Surplus as shown by statement	....
Note as to Net Trading Profits and Losses :	....
Particulars are to be inserted here (so far as applicable) of the items mentioned below, which are to be taken into account in arriving at the amount of Net Trading Profits or Losses shown in this account.	
Provisions for depreciations, renewals or diminution in value of fixed assets.	
Charges for Indian Income Tax and other Indian Taxation on Profits.	
Interest on debentures and other fixed loans, payments to directors made by the company and required by law to be disclosed in the accounts.	
Exceptional or non-recurring expenditure :	
....	
Less : Exceptional or non-recurring receipts :	
Balance being other trading profits or losses	....
Net Trading Profit or Losses as shown in Deficiency or Surplus Account above.	....
	....
	....

उपर्युक्त प्रारूप को देखने से यह ज्ञात होता है कि यह खाता एक विवरण के रूप में बनाया जाता है। इसको डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में विभाजित नहीं किया जाता। इसमें वे सभी मदें दिखलाई जाती हैं जो कम्पनी की न्यूनता को बढ़ने अथवा कम्पनी के आधिक्य में कमी लाने के लिए उत्तरदायी हैं तथा न्यूनता को कम करने या आधिक्य को बढ़ाने में सहायक हुई हैं।

उक्त न्यूनता या आधिक्य खाते में या तो Point (1) में या (7) में राशि दिखायी जाएगी। दोनों ही मदें एक साथ नहीं हो सकतीं। इनमें से किसी भी राशि को सम्मिलित करने के लिए किसी विशिष्ट दिन को कम्पनी अपना 'चिट्ठा बनाएगी तथा इसे सम्पत्तियों एवं पूँजी व दायित्व के योग के अन्तर के आधार पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जितना सम्भव हो सके, पुरानी तिथि को चिट्ठा बनाना है। जिस तिथि को भी चिट्ठा बनाया जाये व उक्त मद को न्यूनता खाते में सम्मिलित करते समय यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इस तिथि के पश्चात् के समस्त व्यापारिक लाभ या हानि का पूर्ण विवरण कम्पनी के पास होना चाहिये।

इन दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाई गई मदों के योगों का अन्तर न्यूनता (Deficiency) अथवा आधिक्य (Surplus) बताता है। यदि पहले शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित मदों का योग दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित मदों के योग से अधिक है तो न्यूनता होती है और विपरीत स्थिति में आधिक्य होता है।

उदाहरण–7

From the following particulars of Aditya Trading Company Limited, prepare the Statement of Affairs and Deficiency Account as at 31st March, 2016 the date of winding up order :

आदित्य ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के निम्नलिखित विवरणों से समापन आदेश की तिथि 31 मार्च, 2016 को स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता बनाइये।

	Amount A	
10,000 Equity shares of A100 each A 50 per share called up	5,00,000	
10,000 6% Preference shares of A100 each fully paid	10,00,000	
Calls in arrears on equity shares (Estimated to produce A10,000)		20,000
5% First Mortgage Debentures secured by a floating charge upon the whole of the assets of the company exclusive of uncalled capital		7,50,000
Fully Secured Creditors (Value of Securities A1,75,000)		1,50,000
Partly Secured Creditors (Value of Securities A50,000)		1,00,000
Preferential Creditors for Rates, Taxes and Wages etc.		30,000
Bill Payable		5,00,000
Unsecured Creditors		3,50,000
Bank Overdraft		50,000
Bills Receivable		75,000
Bills Discounted (one bill for A50,000 known to be bad)		2,00,000
Book Debts :		
Good		50,000
Doubtful (estimated to produce 50 paise in a rupee)		35,000
Bad		30,000
Land and Building (estimated to produce A5,00,000)		7,50,000
Stock in trade (estimated to produce A2,00,000)		2,50,000
Machinery, Tools, etc. (estimated to produce 10,000)		25,000
Cash in hand		500
Profit and Loss Account (Dr.) including A9,60,000 loss after 31st March, 2013		19,69,500

Solution-7

Statement of Affairs of Aditya Trading Company Limited

On 31st March, 2016 the date of winding up order

(Showing Assets at estimated realisable values and liabilities expected to rank)

Assets	Estimated Realisable Values
	A
Assets not specifically pledged (as per list A):	
Cash in hand	500
Bills Receivable	75,000
Book Debts	67,500
Unpaid Calls	10,000
Stock in trade	2,00,000
Land & Buildings	5,00,000
Machinery & Tools etc.	10,000

Assets specifically pledged (as per list B)	(a) Estimated Realisable values	(b) Due to Secured Creditors	(c) Deficiency ranking as unsecured	(d) Surplus carried to last column
	A	A	A	A
Securities	1,75,000	1,50,000	-	25,000
Securities	50,000	1,00,000	50,000	-
	2,25,000	2,50,000	50,000	25,000

		Estimated Realisable Values
Estimated surplus from assets specifically pledged		25,000
Estimated total assets available for Preferential Creditors, Debenture holders with floating charge and unsecured creditors Carried forward		8,88,000
	A	A
Summary of Gross Assets :	2,25,000	
Gross realisable value of assets specifically pledged	8,63,000	
Other Assets **Gross Assets**	10,88,000	

Gross Liabilities	Liabilities (to be deducted from Surplus or added to deficiency as the case may be)	Expected to Rank
A		A
	Estimated Total Assets available for Preferential Creditors, Debentureholders with a floating charge and unsecured creditors brought forward.	8,80,000
2,00,000	Secured Creditors (as per list B) to extent to which claims are estimated to be covered byAssets specifically pledged	
30,000	Preferential Creditors (as per list C)	30,000
	Estimated balance of Assets available for Debentureholders with floating charge and unsecured creditors	
7,50,000	Debenture holders secured by a floating charge (as per list D)	85,800

	Estimated surplus as regards debentureholders		7,50,000
	Unsecured Creditors (as per list E)	A	1,08,000
50,000	Unsecured balance of Partly secured creditors	50,000	
5,00,000	Bills payable	5,00,000	
3,50,000	Unsecured creditors	3,50,000	
50,000	Bank overdraft	50,000	
50,000	Bills discounted		
19,88,000	Estimated Deficiency as regards Creditors being the difference between :	A	10,00,000
	Gross Assets	10,88,000	
	and Gross Liabilities	19,80,000	8,92,222
	Issued and Called up Capital :	A	A
	10,000 Preference shares of A 100 each (as per list F)		10,00,000
	10,000 Equity shares of A 100 each A 50 paid up (as per list G)	5,00,000	
	Less : Calls in arrears (irrecoverable)	10,000	4,90,000
	Estimated Deficiency as regards members (as per list H)		23,82,000

List H-Deficiency Account

Items Contributing to Deficiency (or Reducing surplus) :	A	A
Excess of Capital and Liabilities over assets on 31st March, 2015 as shown by Balance Sheet		10,09,500
		....
Net dividends and bonuses declared during the period		9,60,000
Net trading losses during the period 01.04.2015 to 31.03.2016		....
Losses other than trading losses written off		
Estimated losses not written off on account of realisation of:		
Book Debts	47,590	
Stock in Trade	50,000	
Land & Buildings	2,50,000	3,62,500
Machinery & Tools etc.	15,000	50,000
Estimated Loss on account of liability for bills discounted		23,82,000
		....
Items reducing Deficiency (or Contributing to Surplus)		23,82,000
Deficiency as shown by Statement of Affairs		

17.8 सारांश

कम्पनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कम्पनी के वैधानिक अस्तित्व का अन्त भी सम्बन्धित विधान की धाराओं के अनुसार ही होता है। कम्पनी के समापन से आशय उस वैधानिक रीति से है, जिसके द्वारा कम्पनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। उसका व्यवसाय समाप्त हो जाता है, उसकी समस्त सम्पत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि का प्रयोग कम्पनी के दायित्वों के भुगतान के लिये किया जाता है। यदि दायित्वों के भुगतान के पश्चात् कोई

राशि बचती है, तो अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है।

समापन के आदेश जारी होने के साथ ही निस्तारक को कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। समापक के आदेश के बाद वह कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। निस्तारक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपनी प्राप्ति व भुगतानों का पूर्ण हिसाब रखे। उसे प्रत्येक छः माह के अन्त में न्यायालय के पास हिसाब का विवरण भेजना पड़ता है। समस्त सम्पत्तियों से पैसा वसूल होने के बाद निस्तारक को अन्तिम हिसाब का विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसके प्राप्ति पक्ष में, नकद, बैंक शेष, सम्पत्तियों से वसूली, सुरक्षित लेनदारों के भुगतान के बाद बचा आधिक्य तथा अंशधारियों से प्राप्त राशि दिखाई जाती है तथा भुगतान पक्ष में निस्तारक के व्यय, निस्तारक का पारिश्रमिक, पूर्वाधिकार लेनदारों को, ऋणपत्रधारियों को, असुरक्षित लेनदार को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को तथा समता अंशधारियों को क्रमानुसार किये गये भुगतान को दिखाया जाता है।

निस्तारक को पारिश्रमिक वसूल की गई सम्पत्ति तथा भुगतान की गयी राशि दोनों पर दिया जाता है।

17.9 शब्दावली

पूर्वाधिकार लेनदार (Preferential Creditors) – ऐसे लेनदार जिनके भुगतान को अन्य भुगतानों से प्राथमिकता दी जाती है।

सुरक्षित लेनदार (Secured Creditors) – ऐसे लेनदार जिनके भुगतान के लिये कोई विशेष सम्पत्ति गिरवी रखी गई है।

असुरक्षित लेनदार (Unsecured Creditors) – ऐसे लेनदार जिनके भुगतान के लिये कोई विशिष्ट सम्पत्ति अधिकृत नहीं है।

समापक (Liquidator) – वह व्यक्ति जिसे समापन की स्थिति में सम्पत्तियों से वसूली से लेकर विभिन्न दायित्वों के निपटारे के लिये नियुक्त किया गया है।

प्राप्तक (Receiver) – ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट ऋणपत्रधारियों ने अपने भुगतान की कार्यवाही के लिये नियुक्त किया है।

अंशदाता (Contributory) – समापन के लिये वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य जो भुगतान के लिये दायी है।

17.10 बोध प्रश्न

1. ट्रिब्यूनल द्वारा समापन को .... भी कहा जाता है।
2. जब कम्पनी के सदस्य एवं लेनदार ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना समापन सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसे ....से समापन कहते हैं।
3. अगर कम्पनी के समापन का आदेश न्यायालय ने दिया हो या सरकारी निस्तारक को अस्थायी निस्तारक की तरह नियुक्त कर दिया हो, तो कम्पनी द्वारा एक स्थिति विवरण .... दिन के अन्दर बनाया जाता है और सरकारी निस्तारक के पास भेजा जाता है।
4. समापन के आदेश जारी होने के साथ ही .... को कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।

17.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. अनिवार्य समापन, 2. स्वेच्छा, 3. 21, 4. निस्तारक

17.10 स्वपरख प्रश्न

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. समापक का अन्तिम खाता विवरण क्या है ? यह कैसे बनाया जाता है ? समझाइये।

   What is Liquidator's Final Statement of Account ? How is it prepared ? Explain.

2. कम्पनी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदारों का वर्णन कीजिये।

   Describe Preferential Creditors according to the Companies Act.

3. एक कम्पनी के समापन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये।

   Describe briefly the various methods of winding-up of a company.

4. समापक के खाता–विवरण को काल्पनिक आँकड़ों से समझाइये।

   Explain with imaginary figures the Liquidator's Statement of Account.

   अथवा

   निस्तारक के अन्तिम विवरण खाते का नमूना दीजिये।

   Give the specimen of Liquidator's Final Statement of Account.

5. निस्तारक द्वारा सम्पत्तियों से प्राप्त राशि को किस क्रम में वितरित किया जाता है ? विभिन्न अंशधारियों की पूँजी की वापसी के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

   In what order the money realised from assets is distributed by the liquidator ? What are the rules regarding refund of capital to various classes of Shareholders?

6. स्थिति–विवरण पर नमूने के साथ टिप्पणी लिखिये।

   Write short note on Statement of Affairs with specimen.

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी का ऐच्छिक समापन 31 मार्च, 2016 को हुआ। इसकी चुकता पूँजी A 5,00,000 थी। समापन की तिथि पर इसकी सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निम्नांकित विवरण हैं – मशीनरी, रहतिया और देनदार (जिन पर पुस्तकीय मूल्य प्राप्त हो गया) A 3,95,000; रोकड़ A 5,000; लेनदार A 2,00,000; 6% ऋणपत्र A 2,50,000 जिन्हें सम्पत्तियों पर चल प्रभार है इन पर 6 माह का ब्याज अदत्त है।

   ऋणपत्रों का भुगतान ब्याज सहित 30 सितम्बर, 2016 तक कर दिया गया। इसी तिथि पर लेनदारों को भी प्रथम एवं अन्तिम लाभांश का भुगतान कर दिया गया। A 25,000 के पूर्वाधिकार लेनदार हैं और शेष अरक्षित हैं। समापन के व्यय A 2,500 हैं। निस्तारक को वसूल किये हुए रुपयों पर 3% कमीशन मिलता है और 2% कमीशन उस राशि पर मिलता है जो कि पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर शेष अरक्षित लेनदारों को दी जाती है।

   निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता बनाइये।

   A Limited Co., which has paid-up share capital of A 5,00,000 went into voluntary liquidation on 31st March, 2016. The followig are

the particulars of its assets and liabilities as on that date Machinery, Stock and Debtors (which realised their book value) A 3,95,000; Cash A 5,000; Creditors A 2,00,000; 6% Debentures carrying a floating charge A 2,50,000 and interest accrued thereon for six months.

The Debentures were paid off with interest upto 30th September, 2016 on which date a first and final dividend was also paid to the creditor. Creditors for A 25,000 were preferential and the rest unsecured. The cost of liquidation amounted to A 2500. The liquidator is entitled to 3% on the amount realised and 2% of the amount distributable to the unsecured creditors (except preferential creditors) by way of his own remuneration.

Prepare the Liquidator's Final Statement of Account.

पूर्वाधिकार लेनदारों को अरक्षित लेनदारों की तरह भुगतान

(Preferential Creditors as Unsecured Creditors)

2. 1 अप्रैल, 2016 को खाकी बाबा प्राइवेट लिमिटेड का ऐच्छिक समापन किया गया। इस दिन स्थिति निम्न थी –

Khakhi Baba Private Ltd. went into voluntary liquidation on April 1, 2016 on which date its position was as under :

Liabilities	Amount (A)	Assets	Amount (A)
अंश पूँजी (Share Capital : 4,000 अंश प्रत्येक A 100 वाले पूर्णतः चुकता (4,000 Shares of A 100 each fully paid)	4,00,000	भूमि, भवन तथा मशीनरी (Land, Building and Machinery)	80,000
ऋण (गिरवी रखी गई भूमि, भवन तथा मशीनरी से सुरक्षित है) Loans (secured by mortgage of land, building and machinery)	1,00,000	अन्य अचल सम्पत्तियाँ (Other Fixed Assets)	2,60,000
अरक्षित ऋण एवं देयताएँ (पूर्वाधिकार देय A 10,000 सम्मिलित है) Unsecured loans and liabilities (including preferential dues A 10,000)	2,00,000	रहतिया (Stock)	1,05,000
		देनदार (Debtors)	1,00,000
		ऋण (Loans)	40,000
		रोकड़ (Cash)	5,000
		लाभ–हानि खात (Profit & Loss A/c.)	1,10,000
	7,00,000		7,00,000

भूमि, भवन तथा मशीनरी से सुरक्षित लेनदारों ने प्राप्त किये A 1,20,000। अन्य अचल सम्पत्तियों से प्राप्ति A 40,000, देनदार A 20,000, रहतिया A 10,000। ऋण पूर्ण अप्राप्य थे। निस्तारक A 1,000 तथा निश्चित पारिश्रमिक तथा अरक्षित लेनदारों को भुगतान की राशि का 2% पाने का अधिकारी है। निस्तारक ने अपनी जेब से A 1,000 व्यय के भुगतान किये। निस्तारक का अन्तिम विवरण खाता बनाइये।

Land building and machinery were realised by the secured creditors for A 1,20,000. Other fixed assets fetched A 40,000, debtors A 20,000, stock A 10,000. Loans were wholly bad. The liquidator is entitled to a fixed remuneration of A 1,000 plus 2% of the amount paid to unsecured creditors. The liquidators out of pockets expenses amounted to A 1,000. Show liquidator's statement of account.

4. 'ए' लिमिटेड के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है –

	Amount
निर्गमित एवं प्रार्थित पूँजी :	A
10,000, 10% पूर्वाधिकार अंश A 10 प्रति अंश पूर्णदत्त	1,00,000
10,000 समता अंश, A10 प्रति अंश, A7.5 याचित	75,000
20,000 समता अंश A10 प्रति अंश, A 5 याचित	1,00,000
निस्तारक के पास नकद	
(याचना करने के पूर्व, किन्तु बाहरी लोगों के अन्तिम भुगतानके बाद)	35,000

निस्तारक का अन्तिम खाता विवरण बनाइये। यह मान लें कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूँजी के मामले में प्राथमिकता प्राप्त है।

The following information is available from A Ltd. :

	Amount
Issued and Subscribed Capital :	A
10,000, 10% Preference Shares of A10 each fully paid	1,00,000
10,000 Equity Shares of A10 each A7.5 called-up	75,000
20,000 Equity Shares of A10 each A5 called-up	1,00,000
Cash with liquidator	
(before making calls but after final payments to outsiders)	35,000

Prepare Liquidator's Final Statement of Account. Assume that preference shares have priority in respect of capital.

3. रमेश कम्पनी लि. का 31 मार्च, 2016 को अनिवार्य रूप से समापन हो गया। इस तिथि को कम्पनी की पुस्तकों से निम्नांकित सूचनायें प्राप्त हुई –

R Company Ltd. went into compulsory liquidation on 31st March, 2016. Following information were received on this date from the books of the company:

Equity Share Capital	
30,000 Shares of A 100 each A 80 paid up	24,00,000
5% Preference Share Capital :	
20,000 Share of A 100 each fully paid but on 1000 shares A 2.50 were not paid	
It is estimated that A 1,000 will be recovered on these shares	20,00,000
10% First mortgage debentures having a floating charge on all the assets of the company	30,00,000
Fully Secured creditors which have first charge on Land and Buildings	6,00,000
Partly secured creditors which have second charge on Land and Buildings to the extent of A 3,00,000	5,00,000

Preferential Creditors	50,000
Unsecured Trade Creditors (in addition to Pref. Creditors)	10,00,000
Bank Overdraft	9,50,000
Liability on Bills discounted A 1,00,000 estimated liability	45,000
Bills Receivable (out of which one bill of A 50,000 is bad)	2,00,000
Books Debts - Good	12,50,000
- Bad	1,60,000
Stock (estimated to realised A 15,00,000)	11,00,000
Machinery lodged wiht the Bank as security for overdraft (estimated realisable value of Machines A 11,00,000)	16,00,000
Land and Building (estimated realisable value A 10,00,000)	13,00,000
Cash in hand	60,000

Prepare a statement of affairs and deficiency account.

स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता बनाइये।

17.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''वित्तीय लेखांकन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो0 एम0बी0 शुक्ल, ''उच्चतर लेखांकन'' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी।
3. डा0 एस0के0 सिंह, ''वित्तीय लेखांकन'' एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. डा0 एस0एम0 शुक्ल, ''बहीखाता एवं लेखाशास्त्र'' बंशल पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. प्रो0 रमेन्दु राय, ''वित्तीय लेखांकन'' भार्गव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
6. "Advanced Accounting" Board of Studies, the ICAI of India.
7. S.P. Gupta, "Financial Accounting" Shahitya Bhavan Publication, Agra,
8. Dr. K.K. Chaurasia वित्तीय लेखांकन, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
9. Accounting , "Board of Studies, The ICAI of India,"